ISO 9001:2015 Company

ISO 14001:2015

आईटीआई लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

1948 से राष्ट्र निर्माण में भागीदार

74वीं वार्षिक रिपोर्ट

2023 - 24

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

प्रिय शेयरधारको,

आपके सम्मुख आईटीआई लिमिटेड की वित्तीय वर्ष 2023-24 की 74वीं वार्षिक रिपोर्ट की प्रस्तुति करते हुए मुझे हर्ष की अनुभूति हो रही है। मैं आपको यह सहर्ष सूचित करना चाहता हूं कि आपकी कम्पनी ने सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों से संबंधित कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन किया है। आईटीआई लिमिटेड तथा निदेशक मंडल की ओर से वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट की प्रस्तुति के साथ साथ अपने विचार आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का जो सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है, वह मेरे लिए गौरव का विषय है।

आईटीआई के लिए यह वर्ष एक प्रमुख वर्ष है, इस वर्ष भारत की दूरसंचार एवं प्रौद्योगिकी के परिदृश्य में एक प्रमुख कम्पनी के रूप में हमने मजबूत स्थिति के साथ अपने बढ़ते कदमों को और आगे बढ़ाया है। राष्ट्र का डिजीटल कायाकल्प करने तथा देश में क्नेक्टिविटी का संवर्धन करने की हमारी प्रतिबद्धता ने सम्पूर्ण वर्ष के दौरान आगे बढ़ने के हमारे मार्ग को प्रशस्त किया है।

प्रिय शेयरधारकों, डिजीटल अवसंरचना में हुई प्रगति, 5जी के रोलआउट, तथा सुरक्षित संचार की बढ़ती हुई आवश्यकता के प्रभाव से दूरसंचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास की गति काफी तीव्र हो गई है। संचार मंत्रालय के अध्याधीन सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम के रूप में, आईटीआई लिमिटेड द्वारा विकास के इस क्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सरकार के 'डिजिटल इंडिया' और 'मेक इन इंडिया' के विज़न में योगदान दिया जा रहा है। दूरसंचार क्षेत्र के लिए स्वदेशी विनिर्माण पूर्ण समाधान की बढ़ती हुई मांग से हमारा रणनीतिक महत्व की ओर अब विशेष ध्यान आकर्षित हुआ है।

आइए, अब बात करते हैं वित्तीय वर्ष 2023-24 के बारे में। यह वर्ष कम्पनी के लिए अनेक चुनौतियों एवं ऐसी कुछ समस्याओं का वर्ष रहा है जिनकी संभावना नहीं थी। इस वर्ष के दौरान हमारे नियंत्रण से परे होने के कारण कुछ प्रमुख परियोजनाएं पूरी नहीं हो पाई थी। एसकॉन चरण IV परियोजना का अवधारणा प्रमाण (पीओसी) का निर्धारण कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण नहीं हो पाया था, जिसके कारण परियोजना प्रारंभ करने में देरी हुई तथा निष्पादन (बिलिंग) का वांछित स्तर प्राप्त नहीं किया जा सका था। इसके अलावा, बीएसएनएल की 4जी परियोजना का कार्य आदेश जारी करने में भी कुछ प्रक्रियात्मक देरी हुई थी जिसके परिणामस्वरूप केवल परियोजना को चौथी तिमाही में ही रोलआउट किया जा सका था। इस वर्ष इन दो अवांछित घटनाओं से हमारा निष्पादन काफी अधिक प्रभावित हुआ है तथा इससे कम्पनी की टर्नओवर आहत हुई है तथा लाभ भी इस वर्ष कम हो गए हैं। कम्पनी ने 1628.05 करोड़ रुपए की टर्नओवर हासिल की है जिससे 569.06 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। कंपनी के निष्पादन में प्रमुख योगदान एसकॉन चरण IV, बीएसएनएल 4जी रोलआउट, महानेट, टैनफीनेट, एनएफएस परियोजना, गुजनेट, तथा 3जी नेटवर्क को 4जी/एलटीई नेटवर्क में अपग्रेड करने की भारतीय वायुसेना की परियोजना से प्राप्त हुआ है। इस वर्ष विनिर्माण से भी योगदान प्राप्त हुआ है जो कि मुख्यत: एचडीपीई, ओएफसी, एनक्रिप्शन उत्पादों, सौर पैनलों, एफटीडीएमएस, मिनी पीसी, लैपटाप, टेलीफोनों, ओएनटी-23, 4जी एनोड बी, स्मार्ट कार्ड/ डीएल-आरसी कार्ड तथा सौर स्ट्रीट सोलर लाइटों से प्राप्त हुआ है। जीएसएम-एसजैड, एमएलएलएन / एसएसटीपी, जीपॉन, डिफेंस एनक्रिप्टर्स, वाई-फाई हाटस्पॉट्स, एनजीएन, सी-डॉट एएनआरएएक्स, डेटा सेंटर, आधार व्यवसाय / एसएएएस, वीएसएससी बिजनेस, थर्ड पार्टी ऑडिट सर्विसेस (टीपीए) जैसी सेवाओं के लिए एएमसी और साथ ही साथ एमएसपी द्वारा दिए गए बिजनेस का भी इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण योगदान है।

प्रिय शेयरधारको, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है, कम्पनी 4जी के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी के अवसरों के संबंध में बड़े पैमाने पर कार्य कर रही है, जिससे 5जी की नेकस्ट जनरेशन के लिए मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। हमने 4जी बीएसएनएल परियोजना को रोलआउट करने के साथ-साथ 4जी रिमोट रेडियो यूनिटों (आरआरयू) बेस बैंड यूनिटों (बीबीयू) के निर्माण के लिए टीसीएस के साथ मिलकर कार्य किया है। रेडियो के अलावा, आईटीआई लिमिटेड रोल आउट के लिए आवश्यक आउटडोर कैबिनेट (ओडीसी) और सीपीआरआई केबल का विनिर्माण भी किया जा रहा है।

बीएसएनएल की 4जी रोलआउट परियोजना के लिए अपेक्षित आरआरयू/बीबीयू का अनुबंध विनिर्माण हमारी 03 विनिर्माण इकाइयों: बेंगलूरू, मनकापुर और पालक्काड में किया जाता है। रायबरेली इकाई में सीपीआरआई केबल के विनिर्माण की योजना बनाई जा रही है।

बीएसएनएल 4जी रोलआउट परियोजना के लिए अपेक्षित ओडीसी का विनिर्माण एवं आपूर्ति बेंगलूरू और मनकापुर में किया जा रहा है। उत्तरी क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति मनकापुर यूनिट द्वारा की जा रही है।

आईटीआई द्वारा सी-डॉट प्रौद्योगिकी (बैंड – 1,3,8,28,41) के उपयोग से 4जी रेडियो का स्वदेशी निर्माण किया जा रहा है जिन्हें बीएसएनएल के विभिन्न स्थलों पर अवधारणा प्रमाण (पीओसी) के लिए विस्तारित किया जा रहा है। इससे कम्पनी के लिए 4जी और बाद में 5जी रेडियो का निर्माण भी कर पाएगी जिससे कम्पनी के लिए उन्नति के नए द्वार खुलेंगे। हम रेलवे के लिए पीओसी का विस्तार कर रहे हैं, 4जी आरएएन तथा पीओसी के कार्य प्रगति पर है। इससे कम्पनी के लिए प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर रेलवे, बीएसएनएल तथा अन्य ग्राहकों से प्राप्त होने वाली उभरती प्रौद्योगिकियों के अधिक व्यवसाय हासिल हो सकेंगे। हम 4जी आरएएन के निर्यात के क्षेत्र में भी प्रक्रिया प्रारंभ करने जा रहे हैं।

हमने 5जी, आईओटी तथा साइबर सिक्योरिटी जैसी उभरती प्रौद्योगिकी की ओर ध्यान देकर अपने उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार करने की दिशा में काफी अच्छी प्रगति की है। आईटीआई लिमिटेड ने भारत में 5जी प्रौद्योगिकी को अंगीकार करने में तेजी लाने के लिए लेखा वायरलैस, निराल नेटवर्क तथा इंस्टा आईसीटी साल्युशन के रणनीतिक सहकार्यता की है। आईटीआई के साथ दूरसंचार के क्षेत्र की इन विशेषज्ञता प्राप्त इकाईयों के साथ किया गया समझौता ज्ञापन एक महत्वपूर्ण साझेदारी की शुरूआत है। इस सहकार्यता से भारत में दूरसंचार अवसंरचना के संवर्धन के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी की लिवरेज की दिशा में संगठनात्मक प्रतिबद्धता लक्षित होती है।

आईटीआई लिमिटेड ने जे एंड के आपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ डिजीटल इंडिया की डिजीटल सुरक्षा में बढ़ोतरी के लिए मोबाइल, राउटर्स, टेबलेट, एवं अन्य अनेक उत्पादों सहित भारओएस सक्षम डिजिटल डिवाईस के निर्माण एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

प्रिय शेयरधारकों, मुझे आपको यह सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) द्वारा विकसित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को तकनीकी मूल्यांकन समिति ने अनुमोदित कर दिया है। आईटीआई लिमिटेड ने पहले से ही ईवीएम के बड़े पैमाने पर विनिर्माण तथा वाणिज्यिक प्रसार के लिए अवसंरचना के निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। कंपनी ईवीएम की मार्केटिंग (विपणन) के लिए राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) के साथ भी अनुसरण कर रही है। आर एंड डी द्वारा विकसित एक अन्य उत्पाद डिजिटल मोबाइल रेडियो (डीएमआर) है और इसके प्रोटोटाइप भारतीय रेलवे में प्रदर्शित किए गए हैं। रेलवे के विशाल बाजार के अलावा गृह मंत्रालय, राज्य पुलिस, रक्षा बलों जैसी एजेंसियों से अच्छी बाजार मांग होने की संभावना है।

हम अपने डेटा सेंटर से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के विपणन के लिए भी प्रत्येक संभव प्रयास कर रहे हैं। हमारा डेटा सेंटर क्लाउड सेवाओं, प्रबंधित सुरक्षा सेवाओं, ऑन-डिमांड सेवाओं, व्यावसायिक सेवाओं, सुरक्षा (एसओसी) और प्रबंधित आईटी सेवाओं सहित सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला की प्रस्तुति के लिए सुसज्जित है। इस डेटा सेंटर में से हम अपने ग्राहकों तथा एमएसएमई की सेवा के लिए साइबर खतरों की चौबीसों घंटे निगरानी, रोकथाम, पता लगाने, जांच करने और प्रतिक्रिया के लिए एसओसी प्लेटफॉर्म स्थापित करना चाहते हैं। टेलीकॉम टेस्ट लैब्स से हमारे वाणिज्यिक, संचार, चिकित्सा, ऑटोमोटिव, रेलवे, औद्योगिक, आईटी और घरेलू क्षेत्रों के ग्राहकों को विविध प्रकार की परीक्षण सेवाओं की पेशकश की जा सकती है। ईएमआई/ईएमसी लैब को सैन्य मानकों के अनुरूप उन्नत किया गया है तथा यह लैब एनएबीएल एवं टीईसी अनुरूपता मूल्यांकन निकाय (सीएबी), टीईसी दिल्ली से मान्यता प्राप्त है। स्टार्ट-अप हब स्टार्ट-अप फर्मों को आकर्षित करने में अच्छी प्रगति कर रहा है और इस हब से जुड़ने के लिए टेलीकॉम क्षेत्र में स्टार्ट-अप की पहचान किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि हम टेलीकॉम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) तथा अन्य क्षेत्रों

में सफल उत्पादों के निर्माण और विपणन के माध्यम से नवीन उत्पादों को बढ़ावा दे सकेंगे। रक्षा क्षेत्र के लिए एन्क्रिप्शन उपकरणों के डिजाइन और आपूर्ति के लिए हमारा अनुसंधान एवं विकास पिछले 5 दशकों से अग्रणी है।

यूनिटों से प्राप्त हो रहे योगदान के अंतर्गत मनकापुर यूनिट के एचडीपीई संयंत्र का उपयोग वाटर पाइपों के विनिर्माण के लिए किया जा रहा है तथा विभिन्न अवसरों के दोहन के लिए अब तक लगभग 10000 किलोमीटर वाटर पाइपों का विनिर्माण किया जा चुका है। यूनिट ने रेलटेल के लिए 30000 ओएनटी तथा बीएसएनएल के लिए 1500 4-पोर्ट ओएलटी का विनिर्माण भी किया है। इसके अलावा, यूनिट 4जी आरएएन एवं आउटडोर का विनिर्माण भी बीएसएनएल की 4जी परियोजना के लिए कर रही है। यूनिट ने मैसर्स विशटेल के साथ टेबलेट पीसी (बीआईएस, ईपीआर तथा आरओएचएस प्रमाणन) का विनिर्माण सीकेडी आधार पर करने के लिए प्रौद्योगिकी अंतरण अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए हैं। यूनिट द्वारा 1000 टेबलेट का विनिर्माण किया गया है तथा नैनी यूनिट ने बिहार राज्य (बीआरईडीए) में सौर स्ट्रीट लाइन की स्थापना के लिए अपेक्षित मैसर्स पतंजलि के 20,000 आर्डर की आपूर्ति के प्रति 120 वॉट के 10,000 सौर माड्यूल्स का विनिर्माण और आपूर्ति की है। मुझे यह सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि नैनी यूनिट को बीआरईडीए से लगभग 90 करोड़ रुपए मूल्य का एक रिपिट आर्डर बिहार राज्य में सौर स्ट्रीट लाइट प्रणाली की आपूर्ति, संस्थापन एवं कमीशनिंग के लिए प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, अन्य राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा की परियोजनाओं की आवश्यकताओं का भी अंवेषण किया जा रहा है। हम 500 मेगावाट क्षमता के मोनो क्रिस्टलिन सौर पैनल के विनिर्माण की योजना बना रहे हैं।

पालक्काड यूनिट द्वारा इंटेल के सहयोग से लैपटॉप का निर्माण और विपणन कर रही है। पालक्काड यूनिट द्वारा विकसित लैपटॉप ने बीआईएस, एफसीसी, आरओएचएस, सीई, बीईई आदि से प्रमाणन प्राप्त कर लिया गया है। डेस्कटॉप माइक्रो पीसी की आपूर्ति विभिन्न शैक्षिक संगठनों को की गई है तथा प्रतिवर्ष लगभग 2000 से 3000 माइक्रो पीसी पालाक्काड यूनिट से भेजे जा रहे हैं। आईटीआई, पालाक्काड एक प्रमुख उद्योग साझेदार है जिसके प्रति वीएसएससी एवियोनिक्स पैकेजों के कार्यान्वयन के लिए निर्भर है। मुझे आपको यह सूचित करते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि हमें चंद्रयान-3 (एलवीएम3-एम4) मिशन को लॉन्च करने के अवसर पर उड़ान किए जाने वाले एवियोनिक्स पैकेज का निर्माण इसरो के सभी गुणवत्ता मानदंडों के अनुरूप और समयबद्ध स्वरूप में आपूर्ति करने में पालक्काड टीम के सराहनीय योगदान, के लिए प्रशंसा पत्र मिला है।

हमारी उत्पाद यूनिटों द्वारा एसकॉन चरण-IV, महानेट, टैनफीनेट, गुजनेट, ए एंड एन परियोजनाओं, रेलवे, वोडाफोन तथा भारतीय वायु सेना (आईएएफ) परियोजनाओं के लिए लगभग 26,300 किलोमीटर एचडीपीई डक्ट का निर्माण किया गया है। इसके अलावा, रायबरेली यूनिट ने लगभग 25,700 किलोमीटर ओएफसी का निर्माण करके एसकॉन, टैनफीनेट, भारतीय वायु सेना की परियोजनाओं, एमटीएनएल तथा रेलवे की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए आपूर्ति की है। निर्माण सुविधा का अधिकतम उपयोग करने के लिए विपणन टीम द्वारा वोडाफोन, एयरटेल आदि जैसे निजी ऑपरेटरों के साथ अवसरों की तलाश की जा रही है।

बेंगलूरू यूनिट द्वारा रक्षा, अर्द्धसैनिक बलों एवं गृह मंत्रालय के साथ एनक्रिप्टरों, मल्टी चैनल एनक्रिप्टर यूनिटों [एमसीईयू] तथा टर्मिनल एंड सिक्रेसी डिवाइसों के लिए अपनी रणनीतिक साझेदारी को बनाए रखा है। यूनिट को एस्सेसरिज के साथ 500 किलोमीटर एचडीपीई के विनिर्माण एवं आपूर्ति के लिए अपना पहला एचडीपीई आर्डर मैसर्स एक्सेंट टैक्नोलाजी सर्विसेस से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, बीएसएनएल -4जी परियोजना के लिए यूनिट द्वारा सीकेडी स्तर पर 4जी आरएएन का विनिर्माण सी-डॉट प्रौद्योगिकी तथा तेजस टैक्नोलॉजी के एसकेडी स्तर के साथ तथा आउटडोर केबिनेट (ओडीसी) का विनिर्माण किया जा रहा है।

श्रीनगर यूनिट द्वारा एस्कॉन चरण IV तथा अन्य रक्षा, भारत नेट परियोजनाओं के लिए जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के दूरदराज के क्षेत्रों में जटिल संचार नेटवर्क के सुचारू कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण का सुनिश्चय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह केंद्र ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने और ऑप्टिकल स्प्लिसिंग, डेटा एंट्री ऑपरेटर आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कश्मीर के युवाओं को कुशल बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

संवहनीय विकास को हासिल करने सक्षम होने के लिए कंपनी की ऑर्डर बुक में वर्ष प्रति वर्ष सुधार के आगे प्रयास किए जाने अत्यंत आवश्यक है। कॉर्पोरेट मार्केटिंग टीम विभिन्न उत्पादों के लिए निजी बाज़ार की खोज करने की प्रक्रिया आक्रामक रूप से कर रह रही है। इस प्रक्रिया में आईटीआई लिमिटेड एचडीपीई डक्ट के लिए वोडाफोन के साथ पैनलबद्ध हुई है। मिनीओएलटी एवं ओएनटी, की आपूर्ति, निजी संस्थानों को मिनी पीसी की आपूर्ति, टेबलेट पीसी, लैपटाप, ओएफसी, एचडीपीई वाटर पाइप, मोबाइल हैंडसेट, के अनुबंधित निर्माण की प्रक्रिया प्रगति पर है तथा हमें इन अवसरों से अच्छा राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

पिछले वर्ष के राजस्व में सबसे अधिक योगदान नेटवर्क सिस्टम यूनिट (एनएसयू) का रहा है। एनएसयू द्वारा एसकॉन चरण -IV से 300.02 करोड़ रुपए, बीएसएनएल 4जी रोलआउट से 193.25 करोड़ रुपए, महानेट-49.25 करोड़ रुपए, टैनफीनेट- 74.47 करोड़ रुपए, गुजनेट -87.57 करोड़ रुपए तथा एनएफएस 63.60 करोड़ रुपए प्रमुख परियोजनाओं का निष्पादन किया गया हे। ओफसी को रोलआउट करने की प्रक्रिया भारत के पश्चिमी, उत्तरी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में प्रगति पर है तथा 5865 किलोमीटर टी एंड डी, 1681 किलोमीटर के स्वीकृति परीक्षण (एटी) का कार्य पूरा कर लिया गया है। सिविल निर्माण कार्य भी अच्छी प्रगति पर है। टैनफीनेट परियोजना में जीपी लिटिंग का 61% कार्य पूरा हो चुका है तथा लगभग 12000 किलोमीटर ओएफसी बिछाने के कार्य पूरे कर लिए गए हैं। हम इस परियोजना को सितम्बर, 2024 तक पूरा किए जाने की योजना बना रहे है।

प्रिय शेयरधारको, व्यवसाय में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए, आपकी कंपनी प्रौद्योगिकी में तीव्र गति से हो रहे परिवर्तनों को अंगीकार करने एवं तारतम्यता के प्रयास कर रही है। हमारा यह मानना है कि 4जी/5जी रेडियो, ईवीएम, डीएमआर जैसे उत्पाद कंपनी के लिए गेम-चेंजर हो सकते हैं। हमारा मार्ग कठिन है परंतु हमारा कृतसंकल्प सभी बाधाओं और सभी चुनौतियों से जूझकर पूर्ण पुनरुद्धार की स्थिति को प्राप्त करने पर केन्द्रित है। हमें अपनी पूर्ण प्रतिभाओं और आपनी विदग्धता का उपयोग अपने इस प्रमुख लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाना होगा। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सजग प्रयास एवं दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ना समय की मांग है और इससे ही कंपनी को नई ऊंचाइयों की प्राप्ति हो सकेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार की विभिन्न नई पहलों, नई प्रौद्योगिकी, नए व्यापार क्षेत्रों, नई परियोजनाओं और उत्पादों के साथ जुड़कर, हम निकट भविष्य में भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भविष्य की ओर यदि दृष्टिपात करें तो आईटीआई लिमिटेड भारत के डिजिटल भविष्य में और भी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। हमें विश्वास है कि नवोन्मेष, विस्तार और हमारी क्षमताओं में संवर्धन के हमारे जारी प्रयासों से शेयरधारकों को मूल्यों की आपूर्ति तथा राष्ट्र की प्रौद्योगिकी उन्नति में योगदान देते रहेंगे। हम अपने ग्राहकों को सुरक्षित, विश्वसनीय एवं लागत प्रभावी समाधान प्रदान करने के अपने ध्येय के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

मैं भारत सरकार, गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, दूरसंचार आयोग, बीएसएनएल, एमटीएनएल, बीबीएनएल, रक्षा, टीसीआईएल, भारतीय रेलवे, केंद्र और राज्य सरकारों के सभी विभागों के प्रति आभार की अभिव्यक्ति के साथ साथ अपने मूल्यवान ग्राहकों, जमाकर्ताओं, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, विदेशी सहयोगियों, लेखा परीक्षकों, सार्वजनिक उपक्रम समिति [सीओपीयू], सूचना प्रौद्योगिकी की स्थायी समिति और सार्वजनिक उद्यमों के स्थायी सम्मेलन [स्कोप] को उनके निरंतर सहयोग और समर्थन के लिए हृदय से अपना आभार प्रस्तुत करता हूं तथा इस अवसर पर, मैं सभी कर्मचारियों और शेयरधारकों को उनके समर्थन एवं अनुकूलता के लिए धन्यवाद देता हूं। आपका विश्वास और आपका भरोसा हमारे लिए प्रत्येक कार्य में उत्कृष्टता की प्राप्ति की प्रेरणा है। हम सब, साथ मिलकर अपनी सम्पदा का निर्माण करके आईटीआई को ऊंचाईयों के नए शिखर पर पहुंचा सकते हैं।

धन्यवाद

राजेश राय

स्थान: बेंगलूरू

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

टिप्पणी : इसका उद्देश्य 74वीं वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही का अभिलेख होना नहीं है।

संकल्पना, ध्येय और आदर्श

संकल्पना

"भारत का नेतृत्व दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईसीटी उत्पाद और सेवा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाते हुए जीवन को बेहतर बनाने का समाधान देना "।

ध्येय

"हमारा ध्येय आंतरिक रुप से विकसित अभिसरण समाधान, उत्पाद और सेवाएं दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा प्रणाली, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और स्मार्ट कनेक्टेड प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ग्राहकों के लिए प्रदान करना" ।

आदर्श

हमारी महत्वकांक्षा नवोन्मेष, सतत सुधार और रणनीतिक सहयोगी उद्यमों (साझेदार /गठबंधन) के साथ करते हुए पारदर्शिता तथा जिम्मेदारी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की हैं ।

- **नवोन्मेष:**

  विकास को अग्रसित करने हेतू नवोत्थान के लिए सुविधा, संसाधन प्रावधान, प्रोत्साहन और मान्यता एक निरंतर आवश्यकता है।

- **निरंतर सुधार:**

  हम निरंतर सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अधिक परिष्कृत और समग्र रुप से बेहतर आर्थिक प्रतिस्पर्धी उत्पाद एवं सेवाएँ लाते हैं।

- **रणनीतिक साझेदारी:**

  हम सिर्फ व्यवसाय ही नहीं लाते हैं, बल्कि हम ग्राहकों और अन्य हितधारकों के लिए हमसे जुड़े लोगों के जीवन परिवर्तन में मदद करते हैं।.

- **पारदर्शिता:**

  हम अपने आचरण में निष्पक्ष, ईमानदार और नैतिक हैं, हम जो भी करते हैं वह जाँच की कसौटी पर खरा उतरता है ।

- **जिम्मेदार प्रणाली:**

  हम अपने व्यवसाय में पर्यावरण और सामाजिक सिद्धांतों को एकीकृत करते हुए यह सुनिश्चित करते हैं कि हम जो भी उत्पादन करते हैं वह हितधारकों को वापस प्राप्त हो ।

वार्षिक रिपोर्ट 2023 - 2024

विषय सूची

विवरण **पृष्ठ संख्या**

कंपनी की जानकारी 6
सूचना 7
दस वर्ष के संक्षिप्त आँकड़े 15
आँकड़े – एक झलक 18
निदेशक की रिपोर्ट 20
कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट 71

एकल वित्तीय विवरण

- सामग्री लेखाकरण नीतियाँ 95
- तुलन पत्र 102
- लाभ और हानि का विवरण 106
- नकद प्रवाह विवरण 107
- वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी 108
- स्वतंत्र लेखापरिक्षकों की रिपोर्ट 153

समेकित वित्तीय विवरण

- सामग्री लेखाकरण नीतियाँ 171
- तुलन पत्र 178
- लाभ और हानि का विवरण 182
- नकद प्रवाह विवरण 183
- वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी 184
- स्वतंत्र लेखापरिक्षकों की रिपोर्ट 228

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी 245

कंपनी की जानकारी

निदेशक मंडल*

श्री राजेश राय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री राजीव श्रीवास्तव
निदेशक-वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्रीमती एस जेयंति
निदेशक-उत्पादन एवं निदेशक-मानव संसाधन (अतिरिक्त प्रभार)

श्री सी वी रमण बाबू
निदेशक-विपणन

लेफ्टिनेंट जनरल के विनोद कुमार, मुख्य सिग्नल अधिकारी
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री मुकेश मंगल, उप महानिदेशक (एआई एवं डीआईयू)
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्रीमती ममता पलारिया
स्वतंत्र निदेशक

डॉ. राजा नायक
स्वतंत्र निदेशक

श्री बिलेश्वर सिन्हा
स्वतंत्र निदेशक

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स बी के रामध्यानी एंड कंपनी एलएलपी

शाखा लेखापरीक्षक

मेसर्स मेहरोत्रा कपूर एंड टंडन (रायबरेली)

मेसर्स अमित ओएम एंड कंपनी, इलाहाबाद (नैनी)

मेसर्स एस.के. एसोसिएटस, फैजाबाद (मनकापुर)

मेसर्स बलराम और नंदकुमार (पालक्काड)

मेसर्स ए एच एम एंड कं., श्रीनगर (श्रीनगर)

लागत लेखापरीक्षक

मेसर्स जीएनवी एसोसिएटस, बेंगलूरू
मेसर्स अमन मालवीय एवं एसोसिएटस, लखनऊ

सचिवीय लेखापरीक्षक

श्री के एन नागेश राव, बेंगलूरू

बैंकर

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ बड़ौदा
केनरा बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
इंडियन बैंक

प्रबंधन*

निगमित कार्यालय

श्रीमती दीपा चावला
मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्रीमती ईला बहादुर
अधिशासी निदेशक -
प्रमुख विपणन एवं प्रौद्योगिकी और व्यवसाय विकास

श्री साजन अब्राहम
महाप्रबंधक – मानव संसाधन, परिसंपत्ति प्रबंधन एवं सीपीआईओ

श्रीमती कविता देवकर
अपर महाप्रबंधक-प्रचालन

श्री सतीश कुमार
अपर महाप्रबंधक – सामग्री प्रबंधन

श्री संदीप यादव
उप महाप्रबंधक-वित्त

श्री जोतिवेलू सेलैया
मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक- निगमित

यूनिट प्रमुख

नेटवर्क सिस्टम्स यूनिट
श्री प्रकाश चंद्र जैन
कार्यकारी निदेशक

बेंगलूरु प्लांट
श्रीमती वसंती आर
महाप्रबंधक

मनकापुर इकाई
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव
महाप्रबंधक

रायबरेली इकाई
श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव
अपर महाप्रबंधक

श्रीनगर प्लांट
श्री इदरिश असलम खान
अपर महाप्रबंधक

नैनी इकाई
श्री अलोक कुमार गुप्ता
अपर महाप्रबंधक

पालक्काड प्लांट
श्रीमती जयंतीमाला जी
महाप्रबंधक

*21.08.2024 तक

आईटीआई लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

सीआईएन : एल32202केए1950जीओआई000640

पंजीकृत कार्यालय : आईटीआई भवन, दूरवणीनगर, बेंगलूरु – 560016
दूरभाष संख्या : + 91(080) 25614466 **फैक्स सं. :** + 91(080) 25617525 **ई-मेल :** cosecy_crp@itiltd.co.in वेबसाइट : www.itiltd.in

सूचना

एतद्वारा **सूचित** किया जाता है कि आईटीआई लिमिटेड की चौहत्तरवें (74 वीं) वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) का आयोजन वीडियो कांफ्रेंसिंग(वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) से शुक्रवार, 08 नवंबर, 2024 को पूर्वाह्न 11.30 बजे किया जाएगा ।

I) सामान्य कार्य :

1) निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के, **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना :

"यह संकल्प किया गया कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण सहित लेखा परीक्षित एकल वित्तीय विवरण और उनके साथ उन पर निदेशक मंडल तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ, एतद्द्वारा उन पर विचार किया गया और अपनाया गया" ।

2) निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के, **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना :

"यह संकल्प किया गया कि श्री राजीव श्रीवास्वत (डीआईएन:08921307), जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र हैं, को कंपनी के निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है"।

3) निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के, **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना :

"यह संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 142 के तहत, आईटीआई लिमिटेड के निदेशक मंडल को अधिकृत किया जाता है कि यह कंपनी के साथ नियुक्त किए गए कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के यात्रा खर्च की वापसी और जेब खर्च सहित पारिश्रमिक और अन्य नियमों और शर्तों को ठीक करने के लिए अधिकृत किया गया है। भारत के नियंत्रक और सामान्य लेखा परीक्षक और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के शाखा लेखा परीक्षक द्वारा।"

II) विशेष कार्य :

4) विचार करने तथा उचित पाए जाने की स्थिति में किसी आशोधन अथवा आशोधन के बिना **साधारण संकल्प** के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करने :

"यह संकल्प किया गया है कि अध्याधीन निर्मित नियमों, यदि कोई हों, के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149,152 एवं अन्य लागू प्रावधानों, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 तथा संचार मंत्रालय के दिनांक 19 दिसंबर, 2023 के आदेश संख्या ई-14-3/2021-पीएसए के उपबंधों के अनुसार श्री रमण बाबू सी वी (डीआई:10478320) को दिनांक 25 जनवरी, 2024 से 31 जुलाई, 2028 अर्थात उनकी अधिवार्षिता की तिथि, अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं उपबंधों के अनुसार, पांच वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के निदेशक मंडल में एतद्द्वारा निदेशक (विपणन) नियुक्त किया जाता है।"

5) विचार करने तथा उचित पाए जाने की स्थिति में किसी आशोधन अथवा आशोधन के बिना **साधारण संकल्प** के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करने

"यह संकल्प किया गया है कि, "यह संकल्प किया गया है कि अध्याधीन निर्मित नियमों, यदि कोई हों, के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149,152 एवं अन्य लागू प्रावधानों, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 तथा संचार मंत्रालय के दिनांक 13 सितंबर, 2023 के आदेश संख्या ई-5-2/2021-पीएसए के उपबंधों के अनुसार लेफ्टिनेंट जनरल कंवर विनोद कुमार, सिग्नल आफिसर-इन-चीफ, रक्षा मंत्रालय (डीआई: 10366028) को दिनांक 20 अक्तूबर, 2023 से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी अधिवार्षिता की तिथि, अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं उपबंधों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल में एतद्द्वारा सरकार द्वारा नामित निदेशक नियुक्त किया जाता है।"

6) निम्नलिखित पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के, **समान्य संकल्प** के रूप में पारित करना :

"यह संकल्प किया गया है कि अध्याधीन निर्मित नियमों, यदि कोई हों, के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149,152 एवं अन्य लागू प्रावधानों, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 तथा संचार मंत्रालय के दिनांक 9 जनवरी, 2024 के आदेश संख्या ई-5-2/2021-पीएसए के उपबंधों के अनुसार श्री मुकेश मंगल (डीआई: 10460089), डीडीजी (एआई एवं डीआईयू) को दिनांक 10 जनवरी, 2024 से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी अधिवार्षिता की तिथि, अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं उपबंधों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल में एतद्द्वारा सरकार द्वारा नामित निदेशक नियुक्त किया जाता है।"

7) निम्नलिखित पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के, **समान्य संकल्प** के रूप में पारित करना :

"यह संकल्प किया गया है कि, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत बनाए गए नियमों की धारा 148 के प्रावधानों एवं नियमों के अनुसार एवं उस आधार पर पारिश्रमिक 3,30,400 लाख रु. (साथ ही लागू कर) और कंपनी के वर्ष 2024-25 के सभी इकाइयों के लागत अभिलेखों की और वास्तविक जेब खर्च और वाहन का खर्च सहित के लिए लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए लागत लेखापरीक्षक की नियुक्ति तय की गई है एवं एतद्द्वारा अनुसमर्थित है।"

पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय
आईटीआई भवन, दूरवाणीनगर

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक : 10.10.2024

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते आईटीआई लिमिटेड
राजीव श्रीवास्तव
निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
(डीआईएन : 08921307)

टिप्पणी :

1) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अपने दिनांक 5.5.2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020, दिनांक 5.5.2022 के सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022, दिनांक 28.12.2022 के सामान्य परिपत्र संख्या 10/2022 तथा दिनांक 25.09.2023 के सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 के माध्यम से, विधिवत जांच के पश्चात, उन कम्पनियों को अपनी वर्ष 2024 अथवा 2025 की वार्षिक आम सभा का आयोजन, दिनांक 30 सितंबर, 2025 को अथवा उससे पूर्व, दिनांक 5.5.2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 के पैरा 3 तथा पैरा 4 तथा इसके संबंध में जारी अन्य लागू परिपत्रों में निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसरण में, किसी समान स्थल पर सदस्यों की स्वयं उपस्थिति के बिना, 30 सितम्बर, 2025 तक, अपनी वार्षिक आम सभा का आयोजन वीडियो कांफ्रेंस (वीसी) अथवा अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से किए जाने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम'), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 तथा परिपत्रों के अनुसरण में कम्पनी की 74वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन वीडियो कांफ्रेंस / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से किया जा रहा है। वार्षिक आम सभा के आयोजन का मानित स्थल आईटीआई भवन, दूरवाणी नगर, बेंगलूरू – 560016 में स्थित कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।

2) चूँकि यह ए.जी.एम. परिपत्रों के अनुसरण में वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से आयोजित की जा रही है, सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है । तदनुसार, सदस्यों द्वारा परोक्षी नियुक्त करने की सुविधा इस ए.जी.एम. में उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए, परोक्षी फार्म और उपस्थिति पर्ची इस सूचना के साथ संलग्न नहीं किए गए हैं ।

3) वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से ए.जी.एम. में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम पूरा करने के प्रयोजनार्थ की जाएगी ।

4) सामान्य परिपत्र के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के साथ-साथ इस ए.जी.एम. की सूचना केवल ऐसे सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा रही है जिनके ई-मेल एड्रेस कंपनी / डिपोज़िटरों के पास दर्ज हैं। वार्षिक रिपोर्ट की हार्ड कॉपी की आवश्यक सदस्य **cosey_crp@itiltd.co.in** पर ई-मेल भेजकर अपना अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं।

5) वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के पूर्ण संस्करण के साथ 74वीं ए.जी.एम. आहूत करने की सूचना कंपनी की वेबसाइट **www.itiltd.in** पर 'निवेशक' खंड में अपलोड की गई है जिसे स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमश: **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** पर भी देखा जा सकता है। इस ए.जी.एम. की सूचना एन.डी.एस.एल. (सुदूर ई-मतदान और ए.जी.एम. के दौरान ई-मतदान प्रणाली की सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर भी प्रसारित की गई है।

6) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 113 के अनुसार वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से ए.जी.एम. में भाग लेने के लिए अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने का आशय रखने वाले कार्पोरेट सदस्य / एफ.आई.आई. / वित्तीय संस्थानों से अनुरोध है कि वे मंडल के संकल्प / अन्य दस्तावेज जिनमें बैठक में उनकी ओर से शामिल होने और मतदान करने हेतु उनके प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) को अधिकृत किया गया है, की प्रमाणित प्रति, उनके नमूने के हस्ताक्षों के साथ पर ईमेल **dvenkatacs@gmail.com** और **helpdesk.evoting@ndsl.com** द्वारा कंपनी को भेजें।

7) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार प्रासंगिक व्याख्यात्मक कथन, जो वार्षिक आम बैठक में विशेष व्यवसाय से संबंधित विवरण का वर्णन करता है, को इसके साथ सूचना के अंश बननेवाले **अनुबंध क** में दिया जाता है।

8) सूचीबद्ध दायित्वों के विनियम, नियमन के उपबंध 36(3) और भारत के कंपनी सचिव के संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठक पर सचिवीय मानक के अनुसार, निदेशक, जो नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं का संक्षिप्त विवरण/रूपरेखा या पूरी जानकारी हेतु जो **अनुबंध-ख** के रूप में संलग्न है।

9) अधिनियम की धारा 142 के साथ पठित धारा 139 के अनुसार, कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है । तथापि, लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में निर्धारित किया जाएगा । वर्ष 2024-25 के लिए सदस्य बोर्ड के लेखा परीक्षकों के देय यदि कोई हो, उपयुक्त पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं । सांविधिक आवश्यकताओं/कार्य की मात्रा/मुद्रास्फीति सूचकांक आदि को ध्यान में रखते हुए यदि कोई हो, असाइनमेंट के दायरे में परिवर्तन किया जा सकता है।

10) संयुक्त धारकों के मामले में, ऐसे सदस्य जिनके नाम कंपनी के सदस्यों की पंजी के अनुसार नामों के क्रम में पहले धारक के रूप में दर्शित होते हैं, वे इस बैठक में मतदान करने के हकदार होंगे।

11) सूचीबद्धता विनियम के विनियम 44, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के परिपत्र तथा सेबी परिपत्र के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 108 के अनुसरण में कंपनी द्वारा अपने सदस्यों को सहर्ष वार्षिक आम सभा में किए जाने वाले व्यवसाय संव्यवहारों के लिए नोटिस में उल्लिखित सभी संकल्पों पर रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से तथा वार्षिक आम सभा के दौरान ई-वोटिंग एवं वीडियो कांफ्रेंसिंग / अन्य आडियो विजुअल माध्यम से बैठक में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस उद्देश्य से कंपनी द्वारा नेशनल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ इलैक्ट्रानिक माध्यम से वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए ई-वोटिंग एजेंसी के लिए अनुबंध किया गया है। रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से सदस्यों को वोट डालने एवं ईजीएम/एजीएम के दौरान स्थल पर वोटिंग सिस्टम की स्थापना की सुविधा के कार्य एनएसडीएल द्वारा प्रदान किए जाने हैं। रिमोट ई-वोटिंग, वार्षिक आम बैठक के दौरान ई वोटिंग तथा वीडियो कांफ्रेंसिंग / अन्य आडियो विजुअल माध्यम से बैठक में भाग लेने से संबंधित निदेश नोटिस के **अनुलग्नक ग** में दिए गए हैं।

12) सदस्य अनुलग्नक-ग में उल्लिखित अनुदेशों का पालन करते हुए बैठक के प्रारंभ होने से 15 मिनट पहले और बैठक शुरु होने के निर्धारित समय के 15 मिनट के भीतर वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से ए.जी.एम. में शामिल हो सकते हैं। सदस्य एन.डी.एस.एल. की ई-मतदान वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर लॉगिन कर बैठक की कार्यवाही देख सकते हैं। वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से ए.जी.एम. में भाग लेने की सुविधा पहले आओ, पहले पाओ आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (जिनका शेयरधारण 2% या उससे अधिक हो), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन व पारिश्रमिक समिति तथा पणधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे जिन्हें पहले आओ, पहले पाओ आधार पर की सीमा के बिना ए.जी.एम. में शामिल होने की अनुमति होगी।

13) सूचना में संदर्भित सभी दस्तावेज और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 और 189 के तहत रखी गई सांविधिक पंजियाँ ए.जी.एम. के दौरान इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगी । ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य **cosecy_crp@itiltd.co.in** पर ई-मेल भेज सकते हैं ।

14) सदस्यों द्वारा लेखे की जानकारी अपेक्षित होने की दशा में, अनुरोध है कि बैठक की तारीख से कम-से-कम 15 दिन पूर्व कंपनी को लिखें ताकि वांछित सूचना तैयार रखी जा सके ।

15) श्री डी वेंकटेश्वरुलु (सी.पी. सं. 7773), पेशेवर कंपनी सचिव एवं डीएसी और एसोसिएट्स के साझेदार, बेंगलूरु को ए.जी.एम. के दौरान मतदान की जाँच-पड़ताल करने और सुदूर ई-मतदान उचित और पारदर्शी ढंग से संचालित करने के लिए संवीक्षक नियुक्त किया गया है।

16) कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर, शनिवार, दिनांक 02 नवंबर, 2024 से शुक्रवार, दिनांक 08 नवंबर, 2024 (दोनों दिन शामिल) को वार्षिक आम बैठक के आयोजन के उद्देश्य से बंद रखा जाएगा।

17) सेबी द्वारा दिनांक 3 नवंबर, 2022 एवं 15 दिसंबर 2021 और 16 मार्च, 2023 के अपने परिपत्रों के माध्यम से प्रतिभूतियों को भौतिक स्वरूप में धारण करने वाले शेयरधारकों के लिए पैन, केवाईसी विवरण एवं नामांकन की प्रस्तुति किए जाने के आधार के साथ पैन की लिंकिंग किए जाने की अनिवार्यता की गई है। तदनुसार, कंपनी ने शेयरों का भौतिक स्वरूप में धारण करने वाले सभी सदस्यों को वैयक्तिक पत्र भेज अपने पैन, केवाईसी एवं नामांकन विवरण इत्यादि की प्रस्तुति के लिए अनुरोध किया है। सदस्यों से यह अनुरोध है कि वे अपने पैन, केवाईसी एवं नामांकन विवरण की प्रस्तुति कंपनी के आरटीए को करें। इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में शेयरों का धारण करने वाले सदस्यों से यह अनुरोध है कि वे अपने पैन, केवाईसी एवं नामांकन विवरण की प्रस्तुति अपने संबंधित डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट (पार्टिसिपेंटों) को करें। इसके अद्यतन के अपेक्षित फार्म **https:// www.itiltd.in/common_and_simplified_norms** पर उपलब्ध हैं।

18) सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 40, यथासंशोधित, के अनुसरण में कंपनी ने भौतिक स्वरूप में धारित प्रतिभूतियों के अंतरण के नए अनुरोध स्वीकार करने बंद कर दिए हैं। कंपनी के शेयरों का भौतिक स्वरूप में धारण करने वाले सदस्यों से यह अनुरोध है कि वे कृपया डिमेट के अंतर्निहित लाभों की प्राप्ति के लिए अपने शेयरों को डिमेट / इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में परिवर्तित करवा लें।

19) सदस्य, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 तथा कंपनी (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर) नियमावली, 2014 के अनुसार नामांकन सुविधा के लिए निर्दिष्ट फार्म एसएच-13 भरकर कंपनी को प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई सदस्य अपने पूर्व नामांकन को बदलना अथवा रद्द करना चाहता है तो वह नया नामांकन कर सकता है, इसके लिए, फार्म आईएसआर-3 अथवा एसएच-4, जैसा भी मामला हो, की प्रस्तुति करनी अपेक्षित है। ये फार्म कंपनी की वेबसाइट **https://www.itiltd.in/common_and_ simplified_norms** से डाउनलोड किए जा सकते हैं। सदस्यों से यह अनुरोध है कि यदि उनके पास शेयरों का धारण इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में है तो वे अपने अपेक्षित फार्म अपने डीपी को प्रस्तुत करें तथा यदि शेयरों का धारण भौतिक स्वरूप में है तो फोलियो संख्या के हवाले के साथ अपने फार्म रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करें।

20) सदस्य, कृपया यह नोट करें कि सेबी द्वारा अपने दिनांक 25 जनवरी, 2022 के परिपत्र के माध्यम से सूचीबद्ध कंपनियों के लिए डुप्लीकेट प्रतिभूति प्रमाण जारी करने; उचंत खाते से संबंधित दावे; प्रतिभूति प्रमाण पत्रों के नवीकरण / विनिमय; पृष्ठांकन; प्रतिभूति प्रमाणपत्रों का सब-डिवीजन / विभाजन; प्रतिभूति प्रमाण पत्रों/ फोलियो का समेकन; ट्रांसमिशन

एवं ट्रांसपोजिशन के प्राप्त अनुरोध के प्रति केवल डिमेट स्वरूप में प्रमाण पत्र जारी करने की अनिवार्यता की गई है। तदनुसार, सदस्यों से यह अनुरोध है कि वे ऊपर उल्लिखित निवेश सेवाओं के लिए विधिवत भरा गया अपना फार्म आईएसआर-4, जो कंपनी की वेबसाइट **https://www.itiltd.in/common_and_simplified_norms** पर उपलब्ध है, के साथ दस्तावेज, एवं उसमें उल्लिखित विवरण, के साथ प्रस्तुत करें।

21) सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि, यदि इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में शेयरों का धारण किया है, वे अपने नाम, डाक पते, ईमेल पते, मोबाइल नंबर, पैन, नामांकन के पंजीकरण, बैंक के अनिवार्य विवरण इत्यादि से संबंधित विवरण, यदि परिवर्तन किए गए हैं, अपने डीपी को प्रस्तुत करें तथा यदि शेयरों का धारण भौतिक स्वरूप में किया गया है तो फोलियो नंबर के संदर्भ के साथ इसे रजिस्ट्रार को **irg@integratedindia.in** पर प्रस्तुत करने की व्यवस्था करें।

22) 'हरित पहल' के समर्थन में जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते का पंजीकरण नहीं करवाया है वे कृपया अपने डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, यदि इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में शेयरों का धारण है, से तथा यदि शेयरों का धारण भौतिक स्वरूप में किया गया है तो कंपनी से अनुरोध करके पंजीकरण करवा लें।

23) वार्षिक आम बैठक की रिकार्ड की गई ट्रांसक्रिप्ट का अनुरक्षण कंपनी द्वारा किया जाएगा तथा यह बैठक के समापन के पश्चात यथाशीघ्र कंपनी की वेबसाइट **https://www.itiltd.in/annual_general_meeting** पर उपलब्ध होगी।

24) सदस्य कंपनी के बारे में अधिक जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट देख सकते हैं ।

पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय
आईटीआई भवन, दूरवाणीनगर

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक : 10.10.2024

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते आईटीआई लिमिटेड

राजीव श्रीवास्तव
निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
(डीआईएन : 08921307)

अनुबंध-क

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत अपेक्षित व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 4,5,6 और 7 :

भारत के राष्ट्रपति को, कंपनी के संगम अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसरण में, समय-समय पर कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति करने तथा ऐसे निदेशकों की संदर्भ शर्तें भी निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है। तदनुसार, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में, भारत के राष्ट्रपति के निदेशों का अनुसरण करते हुए वर्ष के दौरान निम्नलिखित नियुक्तिय की गई हैं :

मद संख्या 4 : श्री रमण बाबू सी वी, निदेशक विपणन (डीआईएन:10478320)

संचार मंत्रालय द्वारा दिनांक 19 दिसंबर 2023 के आदेश के माध्यम से श्री रमण बाबू को आईटीआई लिमिटेड के निदेशक विपणन के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच साल की अवधि अथवा उनकी अधिवार्षिता की तिथि अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया है। निदेशक विपणन के पद पर श्री रमण बाबू की नियुक्ति के नियम एवं निबंधन सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार शासित होंगे।

मद संख्या 5: लेफ्टिनेंट जनरल कंवर विनोद कुमार, सरकारी निदेशक (डीआईएन:10366028)

संचार मंत्रालय द्वारा दिनांक 13 सितंबर 2023 के आदेश संख्या ई-5-2/2021-पीएसए के माध्यम से, लेफ्टिनेंट जनरल कंवर विनोद कुमार, सिग्नल ऑफिसर-इन-चीफ, रक्षा मंत्रालय (डीआईएन: 10366028) को कंपनी के निदेशक मंडल में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं निबंधनों के अनुसार दिनांक 20 अक्तूबर, 2023 को तीन वर्ष की अवधि अथवा अधिवार्षिता की तिथि अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, से सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

लेफ्टिनेंट जनरल कंवर विनोद कुमार की सरकारी निदेशक के पद पर नियुक्ति के नियम एवं निबंधन सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार शासित होंगे।

मद संख्या 6: श्री मुकेश मंगल, सरकारी निदेशक (डीआईएन:10460089)

संचार मंत्रालय द्वारा दिनांक 9 जनवरी, 2024 के आदेश संख्या ई-5-2/2021-पीएसए के माध्यम से श्री मुकेश मंगल (डीआईएन: 10460089), उप महानिदेशक (एआईएंडडीआईयू), दूरसंचार विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी नियमों एवं निबंधनों के अनुसार 10 जनवरी 2024 से तीन वर्ष की अवधि अथवा उनकी अधिवार्षिता की तिथि तक अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए कंपनी के निदेशक मंडल में सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री मुकेश मंगल की सरकारी निदेशक के पद पर नियुक्ति के नियम एवं निबंधन सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार शासित होंगे।

श्री रमण बाबू, लेफ्टिनेंट जनरल कंवर विनोद कुमार, श्री मुकेश मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के उपबंधों के अनुसार निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य हैं तथा उन्होंने कंपनी को निदेशक के पद पर कार्य के लिए अपनी सहमति दे दी है। कंपनी को सदस्यों से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अंतर्गत श्री रमण बाबू, लेफ्टिनेंट जनरल कंवर विनोद कुमार, श्री मुकेश मंडल को कंपनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किए की मंशा के साथ नोटिस प्राप्त हुआ है।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में श्री रमण बाबू की कंपनी में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक निदेशक की कंपनी में निदेशक के रूप में नियुक्ति आम सभा में की जानी है। तदनुसार, वार्षिक आम सभा में सदस्यों के अनुमोदन के लिए आवश्यक संकल्प प्रस्तुत किया गया है।

श्री रमण बाबू कंपनी में अपनी नियुक्ति निदेशक के रूप में किए जाने के लिए प्रस्तुत संकल्प के प्रति इच्छुक प्रतीत माने गए हैं।

कंपनी का कोई भी अन्य निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अथवा उनके संबंधी ऊपर उल्लिखित मद संख्या में निर्धारित संकल्प के प्रति इच्छुक, वित्तीय अथवा अन्यथा स्वरूप में, रूचि नहीं रखता है।

वैयक्तिक क्षमता में अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लाभग्राही के रूप में कंपनी के किसी शेयर का धारण श्री रमण बाबू, लेफ्टिनेंट जनरल कंवर विनोद कुमार, तथा श्री मुकेश मंडल द्वारा नहीं किया गया है।

आपके निदेशक, अनुमोदन के लिए प्रस्तुत नोटिस में की गई प्रस्तावना के अनुसार श्री रमण बाबू की नियुक्ति निदेशक विपणन, लेफ्टिनेंट जनरल कंवर विनोद कुमार की कंपनी के नियुक्ति सरकारी निदेशक के रूप में, श्री मुकेश मंगल की नियुक्ति कंपनी के सरकारी निदेशक के रूप में किए जाने की अनुशंसा करते हैं।

श्री रमण बाबू, लेफ्टिनेंट जनरल कंवर विनोद कुमार, तथा श्री मुकेश मंडल का संक्षिप्त प्रोफाइल इस नोटिस के **अनुलग्नक-ख** में प्रस्तुत किया गया है।

मद संख्या 7

निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की विभिन्न यूनिटों के लागत रिकार्डों की लेखापरीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षा समिति की अनुशंसा पर निम्नलिखित लागत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करने का अनुमोदन प्रदान किया है :

क्र.सं.	लागत लेखापरीक्षक का नाम	जीएसटी सहित लेखापरीक्षा शुल्क (रुपए में)
1.	जीएनवी एंड एसोसिएट्स, बेंगलूरु	2,36,000
2.	अमन मालवीय एंड एसोसिएट्स, लखनऊ	94,400
	योग	**3,30,400**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के अंतर्गत नियुक्त किए जाने वाले कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण करने के लिए कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) के नियम 14 में सदस्यों से अनुसमर्थन प्राप्त करने की अपेक्षा की गई है।

तदनुसार, वर्ष 2024-25 के लिए लागत लेखापरीक्षक की नियुक्ति के उद्देश्य से सदस्यों के सम्मुख अनुमोदन के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव 3,30,400 लाख रुपए (लागू करों सहित) के पारिश्रमिक तथा ऊपरी खर्चों एवं वास्तविक व्यय के निर्धारण के साथ अनुसमर्थन का आवश्यक संकल्प पारित कर लिया गया है।

कंपनी का कोई भी निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अथवा उनके किसी संबंधित के वित्तीय अथवा अन्यथा स्वरूप में कोई हित नोटिस की मद संख्या 8 में सूचीबद्ध संकल्प के प्रति नहीं हैं।

आपके निदेशकों ने इस साधारण संकल्प पर सदस्यों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए नोटिस में की गई प्रस्तावना के अनुसार अनुशंसा की है।

पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय
आईटीआई भवन, दूरवाणीनगर

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते आईटीआई लिमिटेड

राजीव श्रीवास्तव
निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
(डीआईएन : 08921307)

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक : 10.10.2024

अनुलग्नक ख

सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 36 एवं लागू सचिवीय मानकों के अंतर्गत नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तावित निदेशकों का संक्षिप्त विवरण।

मद संख्या 2
श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक - वित्त की पुनर्नियुक्ति

श्री राजीव श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 से कंपनी के निदेशक-वित्त का कार्यभार ग्रहण किया है। आईटीआई लिमिटेड में आपने दिनांक 17 दिसंबर, 2018 को महाप्रबंधक-वित्त के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। आप भारतीय लागत एवं प्रबंधन लेखा संस्थान की सदस्यता प्राप्त एक योग्य वित्त व्यवसायिक हैं। श्री श्रीवास्तव को 29 वर्षों से अधिक अवधि का समृद्ध अनुभव प्राप्त है।

आईटीआई लिमिटेड में सेवा प्रारंभ करने से पूर्व श्री श्रीवास्तव ने दिसंबर 1990 से दिसंबर 2018 तक भारत सरकार में निदेशक (लेखा)/वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर कार्य किए हैं।

श्री श्रीवास्तव दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक तथा वाणिज्य में मास्टर डिग्री प्राप्त हैं, डीएवी लॉ कॉलेज से आपने एलएलबी, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएमएआई) से सीडब्ल्यूए तथा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) से सीएस की डिग्री प्राप्त की है।

सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के अनुसार श्री राजीव श्रीवास्तव का अन्य विवरण नीचे प्रस्तुत है:

- वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थिति : **6**
- 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक पदधारिता : **शून्य**
- 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में सदस्यता / अध्यक्ष पदधारिता : **आईटीआई लिमिटेड में स्टेकधारक संबंध समिति तथा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति में सदस्य, आईटीआई लिमिटेड की जोखिम प्रबंधन समिति के अध्यक्ष**
- पिछले 3 वर्षों के दौरान अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक पदों से त्यागपत्र का विवरण: **शून्य**
- निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के मध्य परस्पर संबंधों का प्रकटीकरण: **शून्य**
- प्रस्तुति की तिथि को कंपनी के धारित शेयरों की संख्या (लाभग्राही स्वामी के रूप में धारित शेयरों सहित) : **शून्य**
- निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के बीच अंतर-संबंधों का प्रकटीकरण: **शून्य**

मद संख्या 4
श्री रमण बाबू सी वी की निदेशक विपणन के पद पर नियुक्ति

श्री रमण बाबू सी.वी भारतीय दूरसंचार सेवा (आईटीएस)- 90 बैच से हैं। आप आंध्र विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार स्नातक हैं तथा आपको द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (टेरी), नई दिल्ली से सार्वजनिक नीति एवं संवहनीय विकास का डिप्लोमा प्राप्त है। आप एक ऐसे अत्यधिक प्रेरित और परिणामोन्मुखी व्यक्ति हैं, जिन्हें विभिन्न दूरसंचार नेटवर्क्स की परियोजना योजना, निष्पादन, संस्थापन एवं कमीशनिंग तथा परिचालन के क्षेत्र में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव हासिल है। अपने करियर के शुरुआती वर्षों में, आपने दूरसंचार विभाग (डीओटी) के सॉफ्टवेयर केंद्र में विशाल क्षमता वाले डिजिटल स्विचिंग उपकरणों से संबंधित कार्यों का निर्वाह किया है। आपने वाई2के अवस्थांतरण काल में स्विचिंग और बिलिंग से संबंधित सॉफ्टवेयर पैच विकसित करके सुचारू कार्य किए हैं। आपको मोबाइल नेटवर्क का व्यापक ज्ञान है तथा आपने सीडीएमए एवं वाईमैक्स नेटवर्क स्थापित किए हैं। विख्यात सीएससी परियोजना के नेतृत्व भार का निर्वाह आपने सफलतापूर्वक निष्पादित किया है। बीएसएनएल से संबंधित स्पैक्ट्रम से जुड़े मामलों के दायित्व आपने सफलतापूर्वक निष्पादित किए हैं। बीएसएनएल के 4जी नेटवर्क के डिजाइन में आपने अग्रणी भूमिका निभाई है तथा चंडीगढ़ में वर्ष 2016 में 4जी सेवाओं का साफ्ट शुभारंभ आपने सफलतापूर्वक किया है। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) में मुख्य महाप्रबंधक के अपने पूर्व पद पर कार्य के दौरान आपने ओएफसी के साथ 120000 ग्राम पंचायतों को कनेक्शन प्रदान करने से संबंधित चरण – 1 को पूर्ण करने वाली विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय कार्य किए हैं। उन्हें प्रापण का व्यापक अनुभव प्राप्त है। पूर्ववर्ती दूरसंचार विभाग में कार्यकाल के दौरान आपने प्रापण कार्यों की देखरेख की है। बीएसएनएल के प्रापण मैनुअल के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा इसका उपयोग अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक दूरसंचार उपक्रमों एवं निजी दूरसंचार कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। आपकी रूचि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मोबाइल नेटवर्क, सर्कुलर अर्थव्यवस्था एवं अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में है।

सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के अनुसार श्री सी वी रमण बाबू से संबंधित विवरण निम्नलिखित है :

- वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थिति : **2**
- 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक पदधारिता : **शून्य**
- 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार अन्य सूचीबद्ध कम्पनियों में सदस्यता / अध्यक्ष पदधारिता : **आईटीआई लिमिटेड की जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्य**
- पिछले 3 वर्षों के दौरान अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक पदों से त्यागपत्र का विवरण: **शून्य**
- निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के मध्य परस्पर संबंधों का प्रकटीकरण: **शून्य**
- प्रस्तुति की तिथि को कम्पनी के धारित शेयरों की संख्या (लाभग्राही स्वामी के रूप में धारित शेयरों सहित) : **शून्य**
- निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के बीच अंतर-संबंधों का प्रकटीकरण: **शून्य**

मद संख्या 5

लेफ्टिनेंट जनरल कंवर विनोद कुमार की सरकारी निदेशक के पद पर नियुक्ति

लेफ्टिनेंट जनरल कंवर विनोद कुमार को 14 जून,1986 को भारतीय सेना के सिग्नल कोर में कमीशन प्रदान किया गया था। आप डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन, कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज, फोर्ट लीवनवर्थ, यूएसए तथा कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, सिकंदराबाद से स्नातक हैं।

आपको कमांड एवं स्टाफ असाइनमेंट का व्यापक अनुभव प्राप्त है, तथा आपने जम्मू एवं कश्मीर में एक कार्यकाल तथा पूर्वोत्तर भारत में तीन कार्यकालों सहित सम्पूर्ण भारत में सेवा प्रदान की है। सोमालिया में आपने स्टाफ ऑफिसर के पद पर संयुक्त राष्ट्र में भी सेवाएं प्रदान की हैं।

प्रापण में गहन अनुभव के साथ आपको सामरिक संचार प्रणालियों में विशेषज्ञता हासिल है, सिग्नल महानिदेशालय में अपर महानिदेशक के पद पर अपने कार्यकाल के दौरान आप इन क्षेत्रों के शीर्ष पदों पर सेवा प्रदान की है। आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सचिवालय में निदेशक शिकायत सलाहकार बोर्ड थे तथा आपको रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय सैन्य सचिव शाखा में दो कार्यकाल का अनुभव प्राप्त है। आप भारतीय थल सेना की सूचना प्रणाली के आधुनिकीकरण के कार्य समूह के अंग रहे हैं तथा आपको मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित विभिन्न प्रणालियों के स्वचालन का श्रेय प्राप्त है।

अपने वर्तमान कार्यभार से पूर्व सिग्नल ऑफिसर इन चीफ के पद पर कार्य के दौरान आप 23 फरवरी से 23 अगस्त की अवधि के दौरान चंडीगढ़ में राष्ट्रीय कैडेट कोर के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे।

सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के अनुसार लेफ्टिनेंट जनरल कंवर विनोद कुमार से संबंधित विवरण निम्नलिखित है :

- वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थिति : **3**
- 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार अन्य सूचीबद्ध कम्पनियों में निदेशक पदधारिता : **शून्य**
- 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार अन्य सूचीबद्ध कम्पनियों में सदस्यता / अध्यक्ष पदधारिता : **शून्य**
- पिछले 3 वर्षों के दौरान अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक पदों से त्यागपत्र का विवरण: **शून्य**
- निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के मध्य परस्पर संबंधों का प्रकटीकरण: **शून्य**
- प्रस्तुति की तिथि को कम्पनी के धारित शेयरों की संख्या (लाभग्राही स्वामी के रूप में धारित शेयरों सहित: **शून्य**
- निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के बीच अंतर-संबंधों का प्रकटीकरण: **शून्य**

मद संख्या 6
श्री मुकेश मंगल की सरकारी निदेशक के पद पर नियुक्ति

श्री मुकेश मंगल का संबंध भारतीय दूरसंचार सेवा (आईटीएस) के1991 बैच से है तथा वर्तमान में, आप दूरसंचार विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली में उप महानिदेशक (एआई और डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट) के पद पर कार्यरत हैं। आप 1990 में एमएनआईटी, जयपुर से बी.टेक (इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार) हैं। वर्ष 2018 में आपने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले, यूएसए में 'पब्लिक पॉलिसी में सर्टिफिकेट प्रोग्राम' तथा वर्ष 2015 में एलएसई, समर स्कूल, लंदन, यूके में 'मानव संसाधन प्रबंधन और रोजगार संबंधित' पाठ्यक्रम किए हैं।

आपको दूरसंचार स्विचिंग एक्सचेंजों, दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित गुणवत्ता आश्वासन क्रियाकलापों, आंतरिक सुरक्षा के मामलों, साइबर सुरक्षा तथा साइबर अपराध ये जुड़े विषयों, नीति निर्माण, प्रौद्योगिकी परिनियोजन, सेवा आपूर्ति, प्रशासन से संबंधित कार्यों के लिए दूरसंचार विभाग (डीओटी), गृह मंत्रालय और भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में जैसे विविध संगठनों में वरिष्ठ पदों पर कार्य का 31 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है।

वर्तमान में आप दूरसंचार विभाग की डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य दूरसंचार संसाधनों के उपयोग से साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम करना है, जिसमें डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुरक्षा और संरक्षण के कार्य भी है। साइबर सुरक्षा, डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, केंद्रीय मॉनीटरिंग प्रणाली तथा कानूनी अवरोधन के लिए इंटरनेट निगरानी प्रणाली के क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा परियोजनाओं की स्थापना में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। आप दूरसंचार विभाग की अनुसंधान एवं विकास शाखा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स के नोडल अधिकारी भी हैं।

सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के अनुसार श्री मुकेश मंगल से संबंधित विवरण निम्नलिखित है :

- वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थिति : **2**
- 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार अन्य सूचीबद्ध कम्पनियों में निदेशक पदधारिता : **शून्य**
- 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार अन्य सूचीबद्ध कम्पनियों में सदस्यता / अध्यक्ष पदधारिता : **शून्य**
- पिछले 3 वर्षों के दौरान अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक पदों से त्यागपत्र का विवरण: **शून्य**
- निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के मध्य परस्पर संबंधों का प्रकटीकरण: **शून्य**
- प्रस्तुति की तिथि को कम्पनी के धारित शेयरों की संख्या (लाभग्राही स्वामी के रूप में धारित शेयरों सहित: **शून्य**
- निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के बीच अंतर-संबंधों का प्रकटीकरण: **शून्य**

अनुबंध-ग

रिमोट ई-वोटिंग, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों को निर्देश

रिमोट ई-वोटिंग के लिए सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नलिखित हैं:

1) वोटिंग की अवधि मंगलवार, दिनांक 05 नवंबर, 2024 को पूर्वाह्न 09 बजे प्रारंभ होगी तथा गुरुवार, दिनांक 07 नवंबर, 2024 को अपराह्न 5 बजे समाप्त होगी । इस अवधि के दौरान कटऑफ तिथि (रिकार्ड तिथि) दिनांक 01 नवंबर, 2024 के अनुसार कंपनी के शेयरों का भौतिक अथवा डीमेट स्वरूप में धारण करने वाले शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक विधि से अपना वोट दे सकेंगे । इसके पश्चात् मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा ।

2) रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पहले ही अपना वोट दे चुके शेयरधारक एजीएम में वोट देने के पात्र नहीं होंगे ।

3) सेबी परिपत्र संख्या **सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9.12.2020 के साथ पठित सेबी परिपत्र दिनांक 13 मई 2022** के अनुसरण में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार सूचीबद्ध इकाईयों से अपने सदस्यों को, सभी शेयरधारक संकल्पों के लिए, रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा दिए जाने की अपेक्षा की गई है। तथापि, ऐसा देखने में आया है कि पब्लिक गैर-संस्थानिक शेयरधारकों / रिटेल शेयरधारकों की उपस्थिति का स्तर नगण्य होता है।

वर्तमान में, अनेकों ई-वोटिंग सेवा प्रदात्ता (ईएसपी) हैं जो भारत में सूचीबद्ध कंपनियों को ई-वोटिंग की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए शेयरधारकों से ईएसपी के पास पंजीकरण करवाने एवं मल्टीप्ल यूजर आईडी एवं पासवर्ड तैयार करना अपेक्षित होता है।

वोटिंग प्रक्रिया में सुगमता को और बढ़ाने के लिए, एक जन परामर्श के अनुसरण में, **सभी डीमेट खाता धारकों को उनके डीमेट खाते / डिपोजिटरियों/डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स की वेबसाइट के माध्यम से एकल लॉगिन विवरण** ई-वोटिंग के उद्देश्य से प्रभावी करने का निर्णय लिया गया है। डीमेट खाता धारक अब अपना वोट ईएसपी के पास फिर से पंजीकरण किए जाने की आवश्यकता के बिना कर सकते हैं, जिससे, सत्यापन की प्रक्रिया निर्बाध रूप् से सम्पन्न हो सकेगी अपितु इससे ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेना भी सुगम हो सकेगा।

4) **सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020** के उपबंधों के अनुसार डीमेट स्वरूप में सिक्योरिटिज का धारण करने वाले वैयक्तिक सदस्य अपना वोट डिपोजिटरी एवं डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अनुरक्षित अपने डीमेट खाते के माध्यम से कर सकते हैं। सदस्यों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के लिए अपना मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आईडी अपने डीमेट खाते में अपडेट करवा लें ।

सेबी के उपरोक्त परिपत्र के अनुसार, डीमैट स्वरूप में **सीडीएसएल/एनएसडीएल की प्रतिभूतियां करने वाले वैयक्तिक सदस्यों** के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि नीचे प्रस्तुत की गई है:

चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के लिए

क) डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियों का धारण करने शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने की लॉगिन विधि।

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा से संबंधित सेबी के दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियां का धारण वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी तथा डिपॉजिटरी प्रतिभागियों द्वारा अनुरक्षित अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। शेयरधारकों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे ई-वोटिंग सुविधा तक पहुंच के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट कर लें।

डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियां का धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि निम्नानुसार है:

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक सदस्य	1) विद्यमान IDeAS आईडीईएएस उपयोक्ता अपने पर्सनल कम्प्यूटर अथवा अपने मोबाइल के माध्यम से एनएसडीएल की वेबसाइट **https://eservices.nsdl.com** पर विजिट कर सकते हैं। ई-सेवाओं का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "**लॉगिन**" के अंतर्गत "**बेनिफिशियल ओनर**" आइकन पर क्लिक करें, जो IDeAS 'आइडीएएस' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी और आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "**एक्सेस टू ई-वोटिंग**" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी के नाम अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अथवा वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 2) यदि उपयोगकर्ता IDeAS आईडीईएएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प **https://eservices.nsdl.com** पर उपलब्ध है। "**IDeAS के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें**" पोर्टल का चयन करें अथवा **https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp** पर क्लिक करें। 3) एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। अथवा अपने पर्सनल कंप्यूटर पर अथवा मोबाइल पर यूआरएल **https://www.evoting.nsdl.com/** टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अथवा वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। 4) शेयरधारक / सदस्य निर्बाध वोटिंग अनुभव के लिए निम्नलिखित क्यू आर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल एप्प "**एनएसडीएल स्पीडी**" भी डाउनलोड कर सकते हैं। NSDL Mobile App is available on App Store Google Play
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक सदस्य	1) जिन प्रयोक्ताओं ने सीडीएसएल ईजी/ईज़ीएस्ट सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉग इन कर सकते हैं। बिना किसी और सत्यापन के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं के लिए ईज़ी/ईज़ीएस्ट में लॉग इन करने के लिए सीडीएसएल वेबसाइट **www.cdslindia.com** पर जाएं और लॉग इन आइकन पर क्लिक करें और New System Myeasi का चयन करें। 2) सफल लॉगिन के बाद ईज़ी/ईज़ीएस्ट उपयोगकर्ता कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे, जहां इवोटिंग चल रही है। ईवोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अथवा वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख सकेगा। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं अर्थात सीडीएसएल/एनएसडीएल/कार्वी/लिंकइनटाइम की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें। 3) यदि उपयोगकर्ता Easi/Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीडीएसएल वेबसाइट **www.cdslindia.com** पर उपलब्ध है तथा इसमें क्लीक करके लॉगिन करें और New System Myeasi पर क्लिक करने पर पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध होगा। 4) वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता **www.cdslindia.com** होम पेज पर क्लिक करके ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुंच सकते हैं। सिस्टम पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा जैसा कि डीमैट खाते में दर्ज है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देखने में सक्षम होगा जहां वोटिंग चल रही है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक सीधे पहुंचने में भी सक्षम होगा।
वैयक्तिक सदस्य (डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले) द्वारा अपने **डिपॉजिटरी प्रतिभागियों** के माध्यम से लॉगिन	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। एक बार जब आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो आपको सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अथवा वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट: जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट / वेबसाइटों पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी अर्थात सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दे के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियों का धारण करने वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक सद स्य	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य **evoting@nsdl.co.in** पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर: 022 - 4886 7000 तथा 1800-21-09911 पर कॉल कर सकते हैं।
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक सदस्य	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य **helpdesk.evoting@cdslindia.com** पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नम्बर 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं।

ख) डीमैट स्वरूप में वैयक्तिक सदस्यों के अलावा शेयरों का भौतिक स्वरूप् में धारण करने वाले सदस्यों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि

1) अपने पर्सनल कम्प्यूटर अथवा मोबाइल के उपयोग से एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर विजिट करके निम्नलिखित यूआरएल **https://www.evoting.nsdl.com/** टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें।

2) ई-वोटिंग प्रणाली का मुख पृष्ठ खुलने के पश्चात, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' भाग में उपलब्ध है।

3) एक नई स्क्रीन खुलेगी तथा आपको अपनी लॉगिन आईडी, अपना पासवर्ड/ओटीपी तथा स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार सत्यापन कोड दर्ज करना होगा।
इसके विकल्प के तौर पर, यदि आप एनएसडीएल सर्विसेज यथा IDEAS के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा IDEAS लॉगिन के साथ **https://eservices.nsdl.com/** पर लॉग-इन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल का उपयोग करने के बाद एनएसडीएल ईसर्विसेज में लॉग-इन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर आगे बढ़ सकते हैं अर्थात अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप से दे सकते हैं।

4) आपकी लॉगिन आईडी का विवरण नीचे दिया गया है:

डीमेट स्वरूप (एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल) अथवा भौतिक शेयरों के धारण के लिए	**आपका यूजर आईडी :**
क) उन सदस्यों के लिए जिनके धारित शेयर एनएसडीएल के डीमेट खाते में हैं	8 अक्षर वाली डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों वाली क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी डीपी आईडी IN300*** तथा क्लांइट आईडी 12****** है तो आपकी यूजर आईडी IN300***12****** है।
ख) उन सदस्यों के लिए जिनके धारित शेयर सीडीएसएल के डीमेट खाते में हैं	16 अंकों की बेनिफिशयरी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी बेनिफिशयरी आईडी 12********** है तो आपकी यूजर आईडी 12********** है।
ग) भौतिक स्वरूप में शेयरों का धारण करने वाले सदस्यों के लिए	कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर के बाद EVEN नंबर उदाहरण के लिए यदि फोलियो नम्बर 001*** है और EVEN नम्बरर 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** है।

5) वैयक्तिक सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों का पासवर्ड विवरण नीचे दिया गया है :

क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं तो आप अपने लॉगिन के लिए अपने विद्यमान पासवर्ड का उपयोग करके अपना वोट दे सकते हैं।

ख) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त करना होगा जो आपको सूचित किया गया था। एक बार जब आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए कहेगा।

ग) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे पुनः प्राप्त करें?

(i) यदि आपकी ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में अथवा कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको आपकी ईमेल आईडी पर सूचित किया जाता है। आपके मेलबॉक्स से एनएसडीएल द्वारा आपको भेजी गई ईमेल को ट्रेस करके खोलें और उसकी अटैचमेंट में से पीडीएफ फ़ाइल खोलें। पीडीएल फ़ाइल खोलने का पासवर्ड एनएसडीएल खाते के लिए आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक अथवा भौतिक स्वरूप में धारित शेयरों के मामले में फोलियो नंबर है। पीडीएल फ़ाइल में आपकी 'यूजर आईडी' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' है।

(ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, **तो कृपया उन चरणों का अनुसरण करें जो उन शेयरधारकों के संबंध में दिया गया है जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं।**

6) यदि आप "प्रारंभिक पासवर्ड" पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं अथवा यह आपको प्राप्त ही नहीं हुआ है अथवा आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं:

क) **www.evoting.nsdl.com** पर उपलब्ध विकल्प "**Forgot User Details/ Password?**"(यदि आपके पास एनएसडीएल या सीडीएसएल के अपने डीमैट खाते में शेयर हैं) विकल्प पर क्लिक करें।

ख) "**Physical User Reset Password?**" (यदि आपके पास फिजिकल मोड में शेयर हैं) विकल्प **www.evoting.nsdl.com** पर उपलब्ध है।

ग) यदि आप अभी भी उपरोक्त दो विकल्पों के उपयोग से पासवर्ड नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो आप अपना डीमैट खाता नंबर/फोलियो नंबर, अपना पैन, अपना नाम और अपना पंजीकृत पता आदि का उल्लेख करते हुए **evoting@nsdl.co.in** पर अपना अनुरोध भेज सकते हैं।

घ) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

7) अपना पासवर्ड दर्ज करने के पश्चात चेक बॉक्स पर सेलेक्ट करके "नियम एवं शर्तें" से सहमत होने के लिए टिक करें।

8) अब, आपको "लॉगिन" बटन पर क्लिक करना होगा।

9) "लॉगिन" बटन पर क्लिक करने के पश्चात ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण 2: अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर आम सभा में भाग लें।

1) चरण 1 पर सफल लॉगिन करने के पश्चात , आप उन सभी कम्पनियों को " EVEN" में देख सकेंगें जिनके शेयर आपके पास हैं और जिनका वोटिंग चक्र तथा आम सभा सक्रिय स्थिति में है।

2) उस कंपनी के "EVEN" का चयन करें जिसकी रिमोट ई-वोटिंग अवधि अथवा आम सभा के दौरान आप वोट डालाना चाहते हं। वर्चुअल बैठक में भाग लेने के लिए आपको "वीसी/ओएवीएम" लिंक पर क्लिक करना चाहिए जो "Join Meeting" के अंतर्गत दिया गया है।

3) अब वोटिंग पेज खुलने पर आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।

4) यथोचित विकल्प अर्थात सहमत अथवा असहमत का चयन करके, शेयरों की संख्या का सत्यापन करके / संशोधन करके आप अपनी इच्छा के अनुसार अपना वोट डाल सकते हैं तथा इसके पश्चात "सब्मिट" और "कंफर्म' पर क्लिक कर सकते हैं।

5) पुष्टि के तौर वोट सफलतापूर्वक डाले जाने का संदेश प्रदर्शित होगा।

6) आप कन्फर्मेशन पेज पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके अपने वोट का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।

7) एक बार संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि किए जाने के पश्चात आप अपने वोट में बदलाव नहीं कर सकते हैं।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1) संस्थानिक सदस्यों (अर्थात वैयक्तिक, एचयूएफ , एनआरआई आदि के अलावा) से यह अपेक्षित है कि वे अपने संबंधित निदेशक मंडल संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ / जेपीजी फार्मेट) उन व्यक्तियों के साक्ष्यांकित हस्ताक्षरों का वोट देने के पात्र अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के हस्ताक्षर के साथ स्क्रूटनाइजर को **dvenkatacs@gmail.com** को ई-मेल के माध्यम से भेजें तथा उसकी एक प्रति 1800-21-09911 भी भेजें। संस्थानिक सदस्य (वैयक्तिक, एचयूएफ , एनआरआई आदि के अलावा) अपने "ई-वोटिंग" टैग में लॉगिन करके "अपलोड निदेशक मंडल संकल्प / अधिकार पत्र" पर क्लिक करके अपने निदेशक मंडल संकल्प / पावर ऑफ अटॉर्नी / अधिकार पत्र आदि को भी अपलोड कर सकते हैं।

2) अत्यधिक दृढ़ता के साथ यह अनुशंसा की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर न करें तथा अपने पासवर्ड को गोपनीयता बनाए रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। गलत पासवर्ड दर्ज करने के पांच असफल प्रयासों के पश्चात ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन बंद कर दी जाएगी। ऐसा होने पर आपको **www.evoting.nsdl.com** वेबसाइट पर "**Forgot user details/Password?**" or "**Physical User Reset Password?**" के माध्यम से अपना पासवर्ड रिसेट करना होगा।

3) किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए "शेयरधारकों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा आप **www.evoting.nsdl.com** के डाउनलोड भाग में उपलब्ध शेयरधारकों के ई-वोटिंग यूजर मैनुअल से संदर्भ प्राप्त कर सकते हैं अथवा 022 - 4886 7000 एवं 1800-21-09911 पर कॉल कर सकते हैं अथवा श्री फाल्गुनी चक्रबर्ती, सहायक प्रबंधक, एनएसडीएल को **evoting@nsdl.com** पर अनुरोध कर सकते हैं।

जिन सदस्यों की ईमेल आईडी डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उन सदस्यों के लिए इस नोटिस में दिए गए प्रस्तावों हेतु यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और ई-वोटिंग के लिए ईमेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया :

1) यदि शेयर भौतिक स्वरूप में हैं तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति), आधार कार्ड (स्वयं सत्यापित आधार कार्ड की स्कैन की गई प्रति) की प्रति ईमेल **cosecy_crp@itiltd.co.in** के माध्यम से प्रस्तुत करें।

2) यदि शेयर डीमैट स्वरूप में हैं, तो कृपया डीपी आईडी – क्लाइंट आईडी (16 अंक डीपीआईडी + क्लाइंट आईडी अथवा 16 अंक की बेनिफिशयरी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर अथवा समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन कार्ड (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन प्रति) कार्ड की प्रति **cosecy_crp@itiltd.co.in** पर भेजें। यदि आप डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियों का धारक करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक हैं तो आपसे अनुरोध है कि चरण 1 (क) में बताई गई लॉगिन विधि देखें, अर्थात **ई-वोटिंग तथा वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि और डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों की लॉगिन विधि।**

3) वैकल्पिक रूप से शेयरधारक/सदस्य ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए **evoting@nsdl.co.in** पर उपर्युक्त दस्तावेजों के साथ अनुरोध भेज सकते हैं।

4) सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा के संबंध में सेबी के दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमेट स्वरूप में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी एवं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति दी गई है। ई-वोटिंग सुविधा तक पहुंच बनाने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही ढंग से अपडेट करना आवश्यक है।

वार्षिक आम बैठक के दौरान ई-वोटिंग के लिए सदस्यों हेतु निर्देश निम्नानुसार हैं।

1) ए.जी.एम. के दिन ई-मतदान की प्रक्रिया सुदूर ई-मतदान के लिए ऊपर उल्लिखित अनुदेशों के समान होगी।

2) केवल ऐसे शेयरधारक जो वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. की सुविधा द्वारा ए.जी.एम. में उपस्थित होंगे और जिन्होंने सुदूर ई-मतदान द्वारा संकल्पों पर अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है और जो अन्यथा ऐसा करने के लिए बाधित नहीं किए गए हैं, ए.जी.एम. के दौरान उपलब्ध ई-मतदान सुविधा के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगें।

3) जिन सदस्यों ने सुदूर ई-मतदान द्वारा मतदान किया है, वे ए.जी.एम. में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। बहरहाल, वे ई.जी.एम/ए.जी.एम. में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

4) वार्षिक आम बैठक के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए सम्पर्क व्यक्ति का विवरण वही है जिसका उल्लेख रिमोट ई-वोटिंग के लिए किया गया है।

वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. द्वारा ए.जी.एम. में शामिल होने वाले सदस्यों के लिए अनुदेश इस प्रकार हैं -

1) सदस्य को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के उपयोग से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य **एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली** तक पहुंच के लिए ऊपर उल्लेख किए गए चरणों का अनुसरण कर सकते हैं। सफल लॉगिन के पश्चात, आप कंपनी के नाम के सामने "ज्वाइन मीटिंग" मेनू के अंतर्गत "वीसी/ओएवीएम" का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि "**ज्वाइन मीटिंग**" मेनू के अंतर्गत "वीसी/ओएवीएम" लिंक पर क्लिक करें। वीसी/ओएवीएम का लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का ईवीईएन आपको दिखाई देगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है अथवा वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

2) सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप / आई पैड द्वारा बैठक में शामिल हों।

3) इसके अलावा, शेयरधारकों को बैठक के दौरान किसी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए कैमेरा और अच्छी स्पीड के इंटरनेट का उपयोग करना होगा।

4) कृपया नोट करें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से अथवा मोबाइल हॉटस्पॉट के ज़रिए कनेक्ट होने वाले लैपटॉप से जुड़ने वाले प्रतिभागी अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो / वीडियो में बाधा हो सकती है। इसलिए, यह सुझाव दिया जाता है कि वे स्थिर वाइ-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करें ताकि इस तरह का व्यवधान कम हो।

5) जो सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर के उल्लेख के साथ अग्रिम तौर पर अपने प्रश्न **cosecy_crp@itiltd.co.in** पर भेज सकते हैं। कंपनी द्वारा उनका उचित उत्तर दिया जाएगा।

6) जो सदस्य वार्षिक आम बैठक के आयोजन के दौरान अपने विचार अभिव्यक्त नहीं करना चाहते परन्तु वे अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, तो उन्हें अपने प्रश्न बैठक के आयोजन की तिथि से 7 दिन पूर्व अपने नाम, डिमेट खाता संख्या / फोलियो संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर के उल्लेख के साथ **co secy_crp@itiltd.co.in** भेजने चाहिए। कंपनी द्वारा ईमेल के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे।

7) जिन सदस्यों ने अपना पंजीकरण वक्ता के रूप में किया है, केवल उन्हें ही बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने / प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। समय की उपलब्धता के आधार पर कंपनी को वक्ताओं की संख्या प्रतिबंधित करने का अधिकार प्राप्त है।

अन्य अनुदेश

1) वार्षिक आम बैठक में मतदान समाप्त होने के तुरंत पश्चात, स्क्रूटनाइजर द्वारा एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोटों को अनब्लॉक कर दी जाएगी तथा वार्षिक आम सभा की समाप्ति के के 48 घंटे के भीतर पक्ष अथवा विपक्ष में डाले गए कुल वोटों, यदि कोई हो, की समेकित स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा लिखित में अधिकृत व्यक्ति को सौंपी जाएगी, जो उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

2) संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट **www.itiltd.in** पर और एन.डी.एस.एल. की वेबसाइट **ww.evoting.nsdl.com** पर तुरंत डाले जाएँगे। इसके साथ ही कंपनी परिणामों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और बी.एस.ई. लिमिटेड, जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, को अग्रेषित करेगी।

दस वर्ष के संक्षिप्त आंकड़े

करोड़ रु. में

परिचालन परिणाम	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
सेवाओं सहित बिक्री (जीएसटी/कर सहित)	1628	1589	2077	2578	2403	1894	1703	1611	1253	620
घटाएँ : जीएसटी / कर	364	193	216	216	345	226	219	63	60	46
सेवाओं सहित बिक्री (जीएसटी/कर को छोड़कर)	1264	1395	1861	2362	2059	1668	1484	1548	1193	574
स्टॉक में अभिवृद्धि / (ह्रास)	(25)	33	19	9	40	11	(12)	18	-	(2)
उत्पादन मूल्य (जीएसटी/कर सहित)	1603	1622	2096	2586	2444	1905	1691	1629	1253	618
उत्पादन मूल्य (जीएसटी/कर को छोड़कर)	1238	1429	1880	2370	2099	1680	1472	1566	1193	572
अन्य आय	44	53	36	94	94	335	243	146	102	85
अन्य आय (सहायता अनुदान)	-	-	219	67	90	1	84	395	495	-
प्रत्यक्ष सामग्री लागत	440	438	741	445	508	605	545	605	670	185
संस्थापन एवं अनुरक्षण पर प्रभार	718	777	714	1473	1114	784	526	642	318	214
कर्मचारी लागत	232	226	217	223	227	204	223	267	332	321
कर्मचारी लागत (वीआरएस)	-	3	5	67	4	-	3	34	-	-
मूल्यह्रास	53	49	51	42	42	37	25	17	13	15
वित्तपोषण व्यय	241	210	192	160	141	106	153	153	157	157
अन्य व्यय	167	139	95	111	101	187	94	123	63	62
लाभ	(569)	(360)	120	11	147	93	230	266	238	(298)
पूर्व अवधि समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
असाधारण मद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कराधन के पहले लाभ	(569)	(360)	120	11	147	93	230	266	238	(297)
कर / आस्थगित कर / एफआरबी के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कर पश्चात लाभ	(569)	(360)	120	11	147	93	230	266	238	(297)
अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	(21)	(61)	(15)	20	4	18	5	39	17	-
कुल व्यापक आय (ओसीआई और लाभ/ (हानि))	(590)	(421)	105	31	151	111	235	305	255	(297)
वित्तीय स्थिति	**2023-24**	**2022-23**	**2021-22**	**2020-21**	**2019-20**	**2018-19**	**2017-18**	**2016-17**	**2015-16**	**2014-15**
इक्विटी शेयर	961	950	934	934	925	897	760	560	288	288
अधिमान शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
इक्विटी - आवंटन लंबित रहने पर प्राप्त धनराशि	-	107	72	-	-	55	137	-	192	192
भंडार और अधिशेष	5865	5791	5716	5731	5613	5181	5163	5162	5124	5099
लाभ और हानि लेखा (नामे)	5077	4507	4148	4256	4255	4340	4432	4663	4929	5166
निवल मूल्य	1749	2340	2573	2408	2283	1794	1628	1059	675	713
देनदारियाँ और प्रावधान (गैर-चालू)										
उधार (बैंक के अलावा)	120	180	240	300	180	300	300	300	300	300
लेनदार	109	174	224	-	-	-	-	-	-	418
सरकारी अनुदान अप्रयुक्त	45	45	43	47	114	118	119	123	3	-
प्रावधान	54	51	46	53	74	81	68	58	84	89
अन्य	80	77	75	73	134	70	18	14	12	6
कुल (गैर-चालू देनदारियाँ)	**407**	**527**	**627**	**474**	**502**	**570**	**505**	**496**	**399**	**813**

देनदारियाँ और प्रावधान (चालू):										
उधार (बैंक)	1495	1576	1312	1164	1036	959	926	879	839	921
उधार (बैंक के अलावा)	180	120	60	-	120	-	-	-	-	-
लेनदार	1557	1377	1690	1885	1921	1805	2262	1976	2105	1865
प्रावधान	157	194	154	137	127	106	120	148	242	353
अन्य	4016	3323	3124	2809	1694	1726	1566	954	1575	677
कुल (चालू देनदारियाँ)	**7406**	**6590**	**6340**	**5995**	**4898**	**4595**	**4874**	**3958**	**4762**	**3815**
कुल देनदारियाँ	**9563**	**9457**	**9540**	**8877**	**7683**	**6959**	**7008**	**5513**	**5835**	**5341**
सकल ब्लॉक#	3030	3014	2942	2864	2814	2774	2662	3804	3738	3690
मूल्यह्रास #	298	262	213	162	122	80	43	1297	1279	1267
निवल ब्लाक	2732	2752	2729	2702	2693	2695	2620	2506	2458	2423
पूँजीगत चालू वर्ष	142	139	150	169	189	165	149	102	92	33
परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम: (गैर-चालू)										
देनदार	115	196	236	353	359	1	6	-	-	378
अन्य	0	0	0	1	1	1	1	1	1	3
कुल (गैर-चालू परिसंपत्तियाँ)	**116**	**197**	**237**	**353**	**360**	**2**	**6**	**1**	**1**	**381**
परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम (चालू):										
भंडार	222	250	193	194	173	149	156	142	104	93
देनदार	2441	2429	2730	2552	2761	2657	3080	2196	2743	1841
अन्य	3910	3690	3501	2907	1507	1292	996	566	437	569
कुल (चालू परिसंपत्तियाँ)	**6573**	**6369**	**6425**	**5653**	**4442**	**4098**	**4232**	**2904**	**3284**	**2503**
कुल परिसंपत्तियाँ	**9563**	**9457**	**9540**	**8877**	**7683**	**6959**	**7008**	**5513**	**5835**	**5341**
# आईएनडी एएस कार्यान्वयन के कारण 01.04.2016 से, खातों की किताबों में समेकित लागत के रूप में शुद्ध वाहक मूल्य लिया गया है ।										
वित्तीय स्थिति	**2023-24**	**2022-23**	**2021-22**	**2020-21**	**2019-20**	**2018-19**	**2017-18**	**2016-17**	**2015-16**	**2014-15**
कार्यशील पूँजी	(833)	(221)	85	(342)	(456)	(498)	(642)	(1,054)	(1,478)	(1,312)
प्रयुक्त पूँजी	1899	2532	2814	2360	2236	2197	1977	1453	981	1112
(निवल स्थायी परिसंपत्तियॉं + कार्यशील पूँजी)										
निधियों के स्रोत :										
शेयरधारकों का निधि	1749	2340	2573	2408	2283	1794	1628	1059	675	713
उधार (बैंक)	1495	1576	1312	1164	1036	959	926	879	839	921
उधार (बैंक के अलावा)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
निवल गैर चालू देयताएं	172	150	150	(180)	(38)	268	199	195	98	133
कुल	**3717**	**4366**	**4336**	**3693**	**3581**	**3321**	**3053**	**2434**	**1912**	**2066**
निधि का विनियोग :										
निवल स्थाई परिसंपत्तियॉं	2732	2752	2729	2702	2693	2695	2620	2506	2458	2423
कार्यशील पूँजी (उधार के अलावा)	842	1475	1457	822	699	461	284	(174)	(639)	(391)
पूँजीगत चालू कार्य	142	139	150	169	189	165	149	102	92	33
कुल	**3717**	**4366**	**4336**	**3693**	**3581**	**3321**	**3053**	**2434**	**1912**	**2066**
वित्तीय अनुपात	**2023-24**	**2022-23**	**2021-22**	**2020-21**	**2019-20**	**2018-19**	**2017-18**	**2016-17**	**2015-16**	**2014-15**
कार्यशील पूँजी अनुपात :										
चालू अनुपात (चालू परिसंपत्तियाँ / चालू देनदारियाँ)	0.89	0.97	1.01	0.94	0.91	0.89	0.87	0.73	0.69	0.66
उत्पादन के मूल्य की सूची (महीनों की संख्या)	2.15	2.10	1.23	0.98	0.99	1.06	1.27	1.09	1.04	1.96
विक्रय और सेवाओं के माह में देनदार (अग्रिम का निवल)	4.36	12.31	10.75	8.38	12.26	12.85	16.31	14.13	18.28	38.76
उत्पादन मूल्य पर प्रत्यक्ष लागत (सामग्री, स्थापना और संचार शुल्क)	93.55	85.00	77.38	80.91	77.23	82.70	72.76	79.63	82.75	69.76
इन्वेंट्री अनुपात को ऋण	1.03	0.80	0.63	0.61	0.59	0.70	0.75	1.11	1.69	1.71

इक्विटी (आरओई)/ शुद्ध मूल्य अनुपात पर वापसी	(0.28)	(0.15)	0.05	0.00	0.07	0.05	0.17	0.31	0.34	(0.39)
निवल लाभ मार्जिन (%)	-45.03%	-25.82%	6.47%	0.47%	7.16%	5.55%	15.50%	17.18%	19.96%	-51.69%
व्यापार प्राप्य कुलबिक्री अनुपात	0.63	0.57	0.71	0.86	0.83	0.66	0.64	0.65	0.51	0.28
इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	5.02	5.33	7.42	10.40	9.82	9.04	7.26	9.99	10.02	4.23
ब्याज कवरेज अनुपात	(0.53)	(1.03)	1.50	0.73	0.62	1.97	0.65	1.18	(0.74)	(0.69)
परिचालन लाभ मार्जिन(%)	-24.03%	-9.10%	6.66%	5.51%	7.60%	1.00%	5.94%	-3.93%	-15.86%	-36.61%
वित्तीय अनुपात	**2023-24**	**2022-23**	**2021-22**	**2020-21**	**2019-20**	**2018-19**	**2017-18**	**2016-17**	**2015-16**	**2014-15**
संवृद्धि अनुपात :										
उत्पादन मूल्य में वार्षिक संवृद्धि (%)	(13.32)	(24.02)	(20.68)	12.92	24.98	14.11	(6.00)	31.22	108.65	(25.52)
अन्य आंकड़े	**2023-24**	**2022-23**	**2021-22**	**2020-21**	**2019-20**	**2018-19**	**2017-18**	**2016-17**	**2015-16**	**2014-15**
कुल विक्रय संघटन										
बीएसएनएल / एमटीएनएल और अन्य संस्थान	388	196	282	237	309	974	1188	1083	592	239
अन्य	1240	1393	1796	2341	2094	920	515	528	661	381
कुल	**1628**	**1589**	**2077**	**2578**	**2403**	**1894**	**1703**	**1611**	**1253**	**620**
मूल्य वृद्धि	62	196	408	438	463	277	378	284	191	154
31 मार्च तक कार्मिकों की संख्या	1676	2094	2442	2876	3498	3520	3576	4052	5229	6177
प्रति कार्मिक मूल्य वृद्धि (₹)	326632	863088	1534081	1372767	1319464	777903	849502	609848	310363	226868
प्रति कार्मिक उत्पादन वृद्धि (₹)	6569627	6299284	7071394	7437840	5982215	4734098	3859465	3374636	2092671	848161

(कोष्ठक में प्रस्तुत आंकड़े ऋणात्मक आंकड़े है)

ऑकड़े – एक झलक

करोड़ रु. में

तुलनपत्र	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
(क) कंपनी स्वामित्व की संपत्तियाँ		
स्थाई परिसंपत्तियॉं	**3030**	3014
घटाएं : मूल्यह्रास	**298**	262
निवल ब्लाक	**2732**	2752
पूँजीगत चालू कार्य	**142**	139
गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	**116**	197
चालू परिसंपत्तियॉं, ऋण एवं अग्रिम	**6573**	6369
	9563	**9457**
(ख) कंपनी की देनदारियॉं		
गैर – चालू देनदारियाँ	**407**	527
चालू देनदारियाँ	**7406**	6590
	7813	**7117**
(ग) शेयरधारकों की निधि (क) – (ख)	**1750**	**2340**
निम्नलिखित द्वारा अधिशेष ::		
शेयर पूँजी	**961**	950
आरक्षित निधि तथा अधिशेष	**0**	107
भंडार और अधिशेष	**789**	1,283
	1,750	**2,340**

लाभ और हानि लेखा	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
(क) कंपनी अर्जन		
सेवाओं सहित विक्रय (जीएसटी सहित)	**1628**	1589
घटाएँ : जीएसटी	**(364)**	(193)
सेवाओं सहित विक्रय (जीएसटी के अलावा)	**1264**	1396
अन्य आय	**44**	53
प्रक्रियाधीन कार्य भंडार माल और विनिर्मित घटक में वृद्धि / (ह्रास)	**(25)**	33
	1,283	**1,482**
(ख) कंपनी का व्यय		
सामग्री	**1,159**	1,214
कर्मचारी लागत	**232**	229
मूल्यह्रास	**53**	50
वित्तपोषण व्यय	**241**	210
अन्य व्यय	**167**	139
	1,852	**1,842**
(ग) कर (क-ख) पूर्व लाभ/(हानि)	**(569)**	**(360)**
(घ) घटाएं : कराधान का प्रावधान	**0**	0
(ङ) कर के बाद लाभ	**(569)**	(360)
(च) अन्य व्यापक आय	**(21)**	(61)
(छ) अवधि के लिए कुल व्यापक आय (व्यापक लाभ/(हानि) और अवधि के लिए अन्य व्यापक आय)	**(590)**	**(421)**

ऑकड़े – एक झलक जारी...

निधियों के स्रोत और उपयोग	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
निधियों के स्रोत		
1. मूल्यह्रास	**53**	50
2. उधार में वृद्धि	**0**	324
3. कार्यशील पूँजी में कटौती	**633**	0
4. प्राप्त राजस्व अनुदान सहायता	**0**	0
5. प्राप्त पूँजीगत अनुदान सहायता	**0**	187
6. गैर-चालू देयताओं में वृद्धि	**0**	0
7. गैर मौजूदा परिसंपत्ति में कमी	**81**	40
8. क) कर पूर्व लाभ	**0**	0
ख) अन्य व्यापक आय	**-21**	-61
	746	**540**
निधियों के उपयोग		
1. करोपरांत हानि	**569**	360
2. उधार में कमी	**20**	0
3. कार्यशील पूँजी में वृद्धि	**0**	18
4. स्थाई परिसंपत्तियाँ	**37**	61
5. अन्य इक्विटी में परिवर्तन	**0**	0
6. प्रयुक्त पूँजीगत सहायता अनुदान	**0**	0
7. प्रयुक्त राजस्व सहायता अनुदान	**0**	0
8. गैर चालू देयताओं में कमी	**120**	101
9. गैर-मौजूदा परिसंपत्तियों में वृद्धि	**0**	0
	746	**540**

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यों,

आपका निदेशक मंडल आपके सम्मुख आपकी कंपनी ("कंपनी" अथवा "आईटीआई") के व्यवसाय परिचालनों के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (स्टेंडएलोन एवं समेकित), लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एवं एजी) की टिप्पणियों के साथ अपनी रिपोर्ट की प्रस्तुति कर रहे हैं।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा फरवरी 2014 में आईटीआई लिमिटेड के लिए अनुमोदित पुनरुद्धार पैकेज 4156.79 करोड़ रुपए की राशि (अनुदान सहायता के रूप में 1892.79 करोड़ रुपए और इक्विटी के रूप में 2264 करोड़ रुपए कैपेक्स फंड) का अनुमोदन, कंपनी की स्थिति को सुधारने में सहायक हुआ है। सम्पूर्ण अनुदान सहायता राशि 4156.79 करोड़ रुपए में से 1892.79 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुकी है। 2264 करोड़ रुपए में से आईटीआई को 1132.56 करोड़ रुपए का कैपेक्स फंड प्राप्त हुआ है।

कैपेक्स निधि का निवेश दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईसीटी उत्पादों, सेवाओं और समाधानों के क्षेत्र की उदयीमान प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से आईटीआई की विभिन्न यूनिटों में निर्माण अवसंरचना उन्नयन के लिए किया गया है। पुनरुद्धार पैकेज निधि के अंतर्गत स्थापित अत्याधुनिक अवसंरचना से भारत सरकार के "मेक इन इंडिया" मिशन की अनुरूपता के अनुसार घरेलू बाजार की मांग की पूर्ति के लिए निर्माणक्षमता में संवर्धन हुआ है। इन परियोजनाओं से आईटीआई को अपनी विनिर्माण ताकत फिर से हासिल करने में मदद की है।

वित्तीय निष्पादन:

स्टेंडएलोन निष्पादन :

पिछले वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कंपनी के निष्पादन (स्टेंडएलोन आधार) निम्नलिखित है:

रुपए करोड़ में

क्र.सं.	विवरण	2023-24	2022-23
1	सेवाओं सहित बिक्री	1628	1589
2	उत्पादन मूल्य	1603	1622
3	कर पूर्व (लाभ)/हानि	(569)	(360)
4	कर पूर्व (हानि)/लाभ	(569)	(360)
5	अन्य व्यापक आय	-21	-61
6	कुल व्यापक आय	(590)	(421)
7	वित्तीय व्यय	241	210
8	मूल्यह्रास	53	49
9	नियोजित पूंजी (निवल स्थिर परिसम्पतियां + कार्यशील पूंजी)	1899	2531
10	अनुसंधान एवं विकास व्यय	15	14

समेकित निष्पादन:

परिचालनों से समेकित राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 9% की बढ़ोतरी के साथ 1264 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1395 करोड़ रुपए) हो गया है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान (359.85) करोड़ रुपए के कर पश्चात लाभ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्त कर पश्चात लाभ (568.92) करोड़ रुपए है।

परिचालन निष्पादन:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी की टर्नओवर पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में हासिल 1588.60 करोड़ रुपए की तुलना में 1628.05 करोड़ रुपए है।

उत्पादन की प्रमुख विशेषताएं:

हमारी कंपनी 4जी रेडियो उपकरण तथा रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों और प्रणाली के लिए इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का अग्रणी प्रदाता है। हमारी अत्याधुनिक तकनीक और समाधान उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन स्थापित होंगे और यह इसे अगले स्तर पर ले जाएंगे।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपनी विभिन्न यूनिटों में रक्षा, लैपटॉप/स्मॉश पीसी, सोलर पैनल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, एचडीपीई, वाटर पाइप, 4जी आरएएन उपकरण, टेबलेट पीसी, ओएनटी, एफडीएमएस, टेलिफोन, स्मार्ट कार्ड आदि के लिए एनक्रिप्टर का निर्माण किया है।

आर्डर बुक की स्थिति:

कंपनी की आर्डर बुक की स्थिति 11871.25 करोड़ रुपए है। (सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट के लिए 11.53 करोड़ रुपए के एपीओ सहित).

कंपनी की महत्वपूर्ण उपलब्धियां:

- आईटीआई लिमिटेड को बीएसएनएल से 4जी रोलआउट के लिए 2421 करोड़ रुपए का क्रयादेश (पीओ) प्राप्त हुआ है । बीएसएनएल द्वारा पश्चिम क्षेत्र में रिजर्वेशन कोटा (आरक्यू) आर्डर के लिए क्रयादेश (पीओ) जारी किया गया है।
  - कार्य स्कोप में बीएसएनएल नेटवर्क के पश्चिमी क्षेत्र में 23,633 साइटों के लिए 4जी मोबाइल नेटवर्क की योजना, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग, एकीकरण और वार्षिक रखरखाव शामिल है।
- आईटीआई लिमिटेड, पालक्काड ने एवियोनिक्स पैकेज के प्रापण के लिए वीएसएससी के साथ प्रमुख औद्योगिक साझेदारी की थी। आईटीआई लिमिटेड, पालक्काड द्वारा निर्मित विभिन्न पैकेजों का उपयोग एलवीएम3 एम2 मिशन में सफलतापूर्वक किया गया है।

  पालक्काड संयंत्र की सहभागिता 14 **जुलाई** 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के प्रतिष्ठित चंद्रयान मिशन एलवीएम3-एम4 में थी। मिशन के लिए उपयोग में लाए गए कुल पैकेजों में से 55 पैकेज आईटीआई पालक्काड टीम द्वारा तैयार किए गए हैं।
- आईटीआई लिमिटेड, नैनी यूनिट ने मैसर्स पतंजलि रिन्यूएबल के साथ बीआरईडी सौर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- प्रधान मंत्री सूर्य गृह मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आईटीआई लिमिटेड, नैनी का पंजीकरण नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय (एमएनआरई) तथा उत्तर प्रदेश नवीन नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीएनईडीए) नेशनल पोर्ट योजना के लिए किया गया है।
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एएलएमएम (मॉडल एवं निर्माताओं की अनुमोदित सूची) में आईटीआई लिमिटेड, नैनी सूचीबद्ध है।
- आईटीआई लिमिटेड, नैनी द्वारा जुलाई 2026 तक की वैधता के साथ 40डब्ल्यूपी से 325डब्ल्यूपी तक के पॉली क्रिस्टलाइन सोलर मॉड्यूल्स के लिए अपने बीआईएस प्रमाणन का नवीकरण करवा लिया गया है।
- मनकापुर यूनिट ने टेबलेट एवं लैपटॉप प्रौद्योगिकी की प्रौद्योगिकी अंतरण साझेदारी के साथ टेबलेट पीसी के निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिए हैं।
- आईटीआई लिमिटेड, बेंगलूरू संयंत्र को बीएसएनएल की 4जी रोलआउट परियोजना के लिए मैसर्स तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड से 3164 ओडीसी (आउट डोर केबिनेट) के निर्माण एवं आपूर्ति के लिए 10 करोड़ रुपए मूल्य का आर्डर प्राप्त हुआ है तथा इस निर्माण एवं आपूर्ति बेंगलूरू एवं मनकापुर यूनिटों की ओर की जा रही है।

  आईटीआई लिमिटेड ने सी-डॉट प्रौद्योगिकी के साथ रेडियो एक्सेस नेटवर्क (आरएएन) का निर्माण पूरा कर लिया है। बीएसएनएल नेटवर्क में अवधारणा प्रमाण (प्रूफ ऑफ कंसेप्ट) के लिए अंबाला और फ़रीदाबाद साइटों पर बी28 और बी8 बैंड आरएएन उपकरण की आपूर्ति की गई है। अन्य बैंड 1, 41 तथा 3 में आरएएन के विनिर्माण की प्रक्रिया की जा रही है तथा यह सीडॉट द्वारा किए जाने वाले परीक्षण के विभिन्न चरणों में है।

  आईटीआई ने भारतीय रेल के आरएएन के अवधारणा प्रमाण (प्रूफ ऑफ कंसेप्ट) के लिए भी प्रतिभागिता की है।

  वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बेंगलूरू संयंत्र द्वारा पीओसी तथा बीईएल की अपेक्षाओं के अनुरूप आरएएन उपकरणों की आपूर्ति करके 63 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया था।

- इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस/ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्पैटिबिलिटी लैब टेलीकॉम टेस्टिंग सेंटर का भाग है जिसका निर्माण बाजार में लॉन्च किए गए टेलीकॉम उपकरणों की ईएमसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बेंगलूरु संयंत्र में किया गया है। यह प्रयोगशाला अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार दूरसंचार इंजीनियरिंग केन्द्र की उत्सर्जन और प्रतिरक्षा अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए औद्योगिक, वैज्ञानिक, चिकित्सा और आईटी उपकरणों का परीक्षण कर सकती है। रक्षा एवं वाणिज्य उपकरण के लिए एमआईएल-एसटीडी-461 का अनुसरण किया जाता है तथा इनका परीक्षण सीआईएसपीआर 11/22/15/32 के अनुसार किया जा सकता है।
- ईएमसी लैब का एनएबीएल नवीनीकरण ऑडिट सफलतापूर्वक पूरा हो गया है, साथ ही 125 परीक्षणों सहित इसका दायरा भी बढ़ा दिया गया है।

  इस प्रयोगशाला को अब नीचे उल्लिखित प्रक्रियाओं के लिए एमआईएल मानक -461 ई/एफ/जी परीक्षण प्रणाली में अपग्रेड किया गया है

  1. सीई101 (उत्सर्जन, पावर लीड, 30 हर्ट्ज से 10 किलोहर्ट्ज़ की प्रक्रिया)
  2. सीई102 (उत्सर्जन, पावर लीड, 10 किलोहर्ट्ज़ से 10 मेगाहर्ट्ज की प्रक्रिया)
  3. सीएस101 (संवेदनशीलता, पावर लीड, 30 हर्ट्ज से 150 किलोहर्ट्ज़ की प्रक्रिया)
  4. सीएस109 (संवेदनशीलता, स्ट्रक्चरल करेंट, 60 हर्ट्ज से 100 किलोहर्ट्ज़)
  5. आरई101 (रेडिएटिड उत्सर्जन, चुंबकीय क्षेत्र, 30 हर्ट्ज से 100 किलोहर्ट्ज़ की प्रक्रिया)
  6. आरई102 (रेडिएटिड उत्सर्जन, इलेक्ट्रिक क्षेत्र, 10 किलोहर्ट्ज़ से 18 गीगाहर्ट्ज़ की प्रक्रिया)
  7. आरएस101 (रेडिएटिड संवेदनशीलता, चुंबकीय क्षेत्र, 30 हर्ट्ज से 100 किलोहर्ट्ज़ की प्रक्रिया)
  8. सीएस114 (संवेदनशीलता, बल्क केबल इंजेक्शन, 10 किलोहर्ट्ज़ से 200 मेगाहर्ट्ज की प्रक्रिया)
  9. सीएस115 (संवेदनशीलता, बल्क केबल इंजेक्शन, इम्पल्स एक्साइटेशन की प्रक्रिया)
  10. सीएस116 (संवेदनशीलता, डैम्प्ड साइनसॉइडल ट्रांसिएंट, केबल एवं पावर लीड, 10 किलोहर्ट्ज़ से 100 मेगाहर्ट्ज की प्रक्रिया)

  रक्षा उपकरण परीक्षण के लिए ईएमसी प्रयोगशाला को एसआईटीएआर, बीईएल, एचएएल जैसे रक्षा संगठनों से उनके सिस्टम डेवलेपर्स के उद्देश्य के लिए आर्डर प्राप्त हुए हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त टर्नओवर का विवरण

रुपए करोड़ में

क्र.सं.	परियोजना / उत्पादन	2023-24 (जीएसटी सहित)	2022-23 (जीएसटी सहित)
1	एस्कॉन चरण IV	300.02	389.96
2	निगमित विपणन एवं एमएसपी	597.84	339.34
3	महानेट	49.25	313.00
4	टैनफिनेट	74.47	140.89
5	गुजनेट	87.57	79.56
6	बीएसएनएल 4जी रोलआउट	192.82	-
7	एनएफएस परियोजना	63.60	78.76
8	जीएसएम दक्षिण क्षेत्र एएमसी	45.11	62.52
9	3डी प्रिंटिंग, आधार आधारित व्यवसाय/मिनी पीसी/ कंपोनेंट स्क्रीनिंग / ई-गवर्नेंस परियोजनाएं /टेस्ट लैब/विश्वसनीयता प्रयोगशालाएँ/ई-सेवा/ कौशल विकास/ टेलीफोन/ जारी विनिर्माण/ स्मार्ट कार्ड/ स्मार्ट ऊर्जा मीटर/ ऊर्जा बचत/ बैटरी/जीएसएम फ्रेंचाइज़/बैंकिंग उत्पाद/ एनसीएम/एसएनवीएम/एसएनडीएम/बीटीएस/ एएमसी	35.12	42.75
10	डेटा सेंटर	26.36	22.97
11	एमएलएलएन/एसएसटीपी के लिए एएमसी	16.06	18.72
12	सोलर पैनल / सोलर स्ट्रीट लाइट	52.44	18.20
13	एयरटेल एफटीटीएच/एनएलडी रोलआउट	1.16	17.38
14	रक्षा व्यवसाय एवं एएमसी / एस्कॉन एएमसी	5.79	14.16
15	जीपॉन (ओएनटी,ओएलटी,एसपीवी एवं संस्थापन तथा कमीशनिंग और एएमसी)	17.41	12.32
16	एसएमपीएस एवं मरम्मत (एएमसी सहित)	0.53	9.34
17	यूएसओएफ	5.78	7.97
18	झारखंड, उड़ीसा में भारतनेट परियोजना के लिए टीपीए एवं सेटेलाइट	0.64	5.93
19	ओएफसी	32.52	5.06
20	एचडीपीई पाइप निर्माण/वॉटर पाइप	15.94	4.12
21	बीएसएनएल 4जी पीओसी/ एनोड-बी/एनजीएन एएमसी/ओसीबी एएमसी/ वाई-फाई हॉटस्पाट	6.83	4.00
22	भारतनेट ए एवं एन	0.77	1.65
	योग	**1628.05**	**1588.60**

शेयर पूंजी में परिवर्तन/शेयरों का निर्गम

वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, दिनांक 08 जनवरी 2013 के बीआईएफआर आदेश के अनुसरण में निदेशक मंडल द्वारा भारत सरकार से दिनांक 23 मार्च 2023 को प्राप्त पूंजी व्यय (कैपेक्स) के प्रति अधिमान्य आधार पर भारत के राष्ट्रपति को इक्विटी शेयर आवंटित किए थे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

इक्विटी शेयरों के आबंटन की तिथि	जारी इक्विटी शेयरों की संख्या	आबंटन मूल्य	कैपेक्स प्राप्ति (रुपए में)
11.05.2023	11309586	94.61 रुपए (10 रुपए के अंकित मूल्य तथा 84.61 रुपए के प्रीमियम पर)	107,00,00,000

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, चुकता इक्विटी शेयर पूंजी 9,60,88,69,380 रुपए की बढ़ोत्तरी हुई है।

विचाराधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने स्टॉक विकल्प अथवा स्वीट इक्विटी शेयर प्रदान नहीं किए हैं। 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार श्रीमती एस जेयंति, जिनके पास 50 इक्विटी शेयर हैं, के अलावा, कंपनी के किसी भी निदेशक के पास कंपनी का कोई शेयर नहीं है।

लाभांश

कंपनी को वर्ष 2023-24 के दौरान घाटा हुआ था तथा अभी भी पिछले वर्षों के संचयी घाटे हैं तथा इस विचार निदेशक मंडल वर्ष 2023-24 के लिए किसी लाभांश की अनुशंसा करने की स्थिति में नहीं हैं।

रिजर्व

कंपनी अभी भी संचित घाटे का वहन कर रही है, इसलिए सामान्य रिजर्व में किसी राशि का अंतरण नहीं किया गया है।

उत्पादन संयंत्रों और सेवा यूनिटों का परिचालन निष्पादन

बेंगलूरू यूनिट :

I. निष्पादन :

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बेंगलूरू यूनिट द्वारा 145.86 करोड़ रुपए की टर्नओवर प्राप्त की गई है। टर्नओवर में मुख्य रूप से विनिर्माण, विभिन्न सेवाएं और परियोजनाएं शामिल हैं।

II. प्रमुख विशेषताएं:

(i) एन्क्रिप्शन उत्पाद:

हमारे अनुसंधान एवं विकास द्वारा रक्षा संचार नेटवर्क और अन्य मंत्रालयों के लिए सीक्रेसी उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है तथा आईटीआई द्वारा काफी लम्बे समय इनका निर्माण, आपूर्ति एवं अनुरक्षण किया जा रहा है। आईटीआई इस क्षेत्र में अग्रणी है। पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल संचार प्रौद्योगिकी में हुए विकास के अनुरूप उत्पादों का विकास किया गया है। रक्षा के नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम, आर्मी स्टेटिक स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क (एस्कॉन) आदि जैसी अनेक एन्क्रिप्शन उत्पादों की अपेक्षाएं काफी अधिक हैं।

- ❖ बेंगलूरू संयंत्र द्वारा थलसेना, पूर्वी कमांड एवं पश्चिमी कमांड के लिए 3.38 करोड़ रुपए मूल्य की 39 ब्लक एन्क्रिप्शन यूनिटों का डिजाइन, निर्माण एवं आपूर्ति की गई है।
- ❖ रक्षा की एमसीईयू परियोजना के लिए सर्वर्स की आपूर्ति के प्रति 1.59 करोड़ रुपए का राजस्व उत्पन्न किया गया है।

(ii) टेलीफोन:

संयंत्र ने इसरो, अशोक लीलैंड, भारतीय नौसेना को 448 फील्ड टेलीफोन (5जी) और 1600 कॉलर आईडी फोन की आपूर्ति की है और 1.21 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है।

(iii) हाई-डेनसिटी पॉलिथिलिन (एचडीपीई)/पीएलबी डक्ट का विनिर्माण:

बेंगलूरू संयंत्र को 500 किलोमीटर की आपूर्ति की लिए अपना पहला एचडीपीई आर्डर मैसस एक्सेंट टैक्नोलॉजी से प्राप्त हुआ है। यूनिट द्वारा निर्धारित समयसीमा में निर्माण करके आपूर्ति कर दी गई है और 3.14 करोड़ रुपए का राजस्व उत्पन्न किया है। इसके अलावा, इकाई ने 836.35 किलोमीटर वॉटर पाइप का निर्माण और आपूर्ति की है और 17 लाख रुपए का राजस्व उत्पन्न किया है।

(iv) 3 डी प्रिंटिंग:

बेंगलूरू संयंत्र द्वारा 3डी प्रिंटिंग के लिए आंतरिक और बाहरी ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की जा रही है। सेटेलाइट स्टडी मॉडल, सेटेलाइट पीसीबी एसेम्बली के लिए मैकेनिकल इनक्लोजर्स के लिए आर्डर प्राप्त किए हैं तथा यूआरएससी, (इसरो-बेंगलूरू), वीएसएससी (इसरो-केरल), आईआईटी-कानपुर एवं अजय कंस्ट्रक्शन जैसे हमारे सम्मानित ग्राहकों को गगनयान परियोजना के लिए 3डी किटों की आपूर्ति भी की गई है।

- ❖ वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बाह्य ग्राहकों से कुल 41 लाख रुपए की राजस्व उत्पति हुई है।
- ❖ आंतरिक अनुसंधान एवं विकास उद्देश्य से 16.2 लाख (अनुमानित) रुपए मूल्य के कार्य निष्पादित किए गए हैं।

(v) 4जी विनिर्माण:

4जी आरआरयू/बीबीयू के लिए पिछले वर्ष संस्थापित 4जी विनिर्माण इंफ्रा अब परिचालनात्मक हो गई है।

(vi) रिलायबिल्टी इंजीनियरिंग लैब:

रिलायबिल्टी इंजीनियरिंग लैब विभिन्न पर्यावरण परीक्षण चेम्बरों से सुसज्जित है तथा यहां से आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ बाह्य ग्राहकों को भी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। यह प्रयोगशाला क्यूएम 333, जेएसएस 55555, एमआईएल मानक और ग्राहक परीक्षण अपेक्षाओं के अनुसार प्रत्येक प्रकार के पर्यावरण परीक्षण करने की सुविधा प्रदान कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लैब से कुल 1.87 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ।

(vii) दूरसंचार परीक्षण प्रयोगशाला (टीटीएल):

एनएबीएल से मान्यता प्राप्त ईएमआई/ईएमसी प्रयोगशाला दूरसंचार परीक्षण केंद्र का भाग है जिसकी बेंगलूरु संयंत्र में स्थापना बाजार में लॉन्च किए गए टेलीकॉम उपकरणों की ईएमसी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए की गई है। यह प्रयोगशाला अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार टीईसी की उत्सर्जन और प्रतिरक्षा अपेक्षाओं के लिए औद्योगिक, वैज्ञानिक, चिकित्सा और आईटी उपकरणों का परीक्षण कर सकती है। रक्षा के लिए एमआईएल-एसटीडी-461 का अनुसरण एवं वाणिज्यिक उपकरण का परीक्षण सीआईएसपीआर 11/22/15/32 के अनुसार किया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व सृजन लगभग 1.65 करोड़ रुपए है।.

(viii) रक्षा एएमसी और गैर एएमसी कार्ड मरम्मत:

बेंगलूरू संयंत्र सम्पूर्ण भारत में रक्षा क्षेत्र के ग्राहकों को आपूर्ति किए जाने वाले आनंद बीईयू एमके ।।, ईडीयू, एसटीएम 1 और एसटीएम 4 एन्क्रिप्शन उपकरण के लिए वार्षिक अनुरक्षण सेवाएं भी प्रदान करता है। वर्ष 2023-24 के लिए 47 लाख रुपए का राजस्व उत्पन्न किया।

(ix) मोबाइल संचार के लिए वैश्विक प्रणाली (जीएसएम) दक्षिण जोन एएमसी:

आईटीआई द्वारा बीएसएनएल दक्षिण जोन की 9एमएल जीएसएम उपकरण की बीएसएनएल जीएसएम परियोजना के लिए लगभग 2940 करोड़ रुपए मूल्य के बीएसएनएल दक्षिण जोन के विभिन्न सर्कलों नामत: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, चेन्नई, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु सर्कल में सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं तथा अनिवार्य एएमसी का निष्पादन किया गया है। अनिवार्य वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध के निष्पादन के पश्चात बीएसएनएल द्वारा 70 करोड़ रुपए की राशि से इसे दिसंबर, 2021 तक के लिए विस्तारित किया गया था तथा इसे आगे 65 करोड़ रुपए की राशि के साथ दिसंबर, 2022 तक के लिए विस्तारित किया गया था तथा इनका निष्पादन आईटीआई बेंगलूरू द्वारा सफलतापूर्वक कर लिया गया है। आईटीआई बेंगलूरू संयंत्र को बीएसएनएल के दक्षिण जोन सर्कल के संबंध में वर्ष 2023 के लिए 43 करोड़ रुपए मूल्य और वर्ष 2024 के लिए 45.11 करोड़ रुपए मूल्य का प्राप्त विस्तारित एएमसी का आदेश पुष्टि के साथ प्राप्त हुआ है।

(x) डाटा सेंटर और आईटी व्यवसाय:

डेटा केन्द्र एक भौतिक / आभासी अवसंरचना है जिसका उपयोग संगठन की सूचना प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं के उद्देश्य से कम्प्यूटर, सर्वरों, नेटवर्किंग, सिस्टम एवं कम्पोनेंट्स को सहेजने के लिए उद्यमों द्वारा किया जाता है तथा जिसमें क्लाइंट / सर्वर आर्किटेक्चार में ग्राहकों से संबंधित विशाल आकार का महत्वपूर्ण मिशन डेटा की स्टोरिंग, प्रोस्सेसिंग एवं सर्विंग की जाती है। इसके परिणामस्वरूप, किसी संगठन के लिए डेटा सेंटरों की सुरक्षा एवं विश्वसनीयता अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

आईटीआई का नया डेटा केन्द्रआईटीआई लिमिटेड की एक नवनिर्मित फेसिलिटी है। यह डेटा केन्द्र बेंगलूरू में स्थित कंपनी के परिसर में स्थित है। इसके द्वारा सभी सेक्टरों के लिए ग्राहक केन्द्रित सेवाएं प्रदान करने के उद्यम किए जा रहे हैं।

इस डेटा केन्द्र से वर्ष 2020-21 से विमानन, विश्वविद्यालयों, भारत के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बहुदेशीय कंपनियों एवं लघु उद्यमों को सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

सुविधा एवं सेवाएं:

आईटीआई द्वारा डिजिटल इंडिया पहल और भारत में स्थित सर्वरों से उत्पन्न होने वाले डेटा एवं वित्तीय संव्यवहारों का संग्रहण करने से संबंधित सरकार के निर्णय को विचार में बाजार में उत्पन्न हुई भारी मांग को देखते हुए विशाल स्तर पर डेटा केन्द्र का विस्तार किया है। आईटीआई डेटा केन्द्र 1,25,000 से भी अधिक विशाला वर्ग फुट क्षेत्र में उत्कृष्ट सुविधाओं एवं 937 रैक्स की हाउसिंग की क्षमता वाली नवयुग की प्रौद्योगिकी से सुसज्जित है तथा यहां से प्रत्येक प्रकार की डेटा केन्द्र सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

आईटीआई डेटा केन्द्र की रूपरेखा को-लोकेशन, प्रबंधित एवं क्लाउड सेवाओं जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के अनुरूप तैयार की गई है। यहां ईमेल, इंटरनेट, बैक अप सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। सिक्योरिटी आपरेशंस सेन्ड्रल (एसओसी) के प्रबंधन के अंतर्गत एसओसी-एस-ए-सर्विस सेवा आती है।

डीसी सेवा की प्रस्तुति की सूची नीचे परिभाषित हैं: -

(क) रैक स्पेस / को-लोकेशन सेवाएं / समर्पित होस्टिंग सेवाएं

(ख) प्रबंधित कोलोकेशन

(ग) प्रबंधित स्टोरेज सेवाएं, बैकअप सेवाएं, डेटाबेस प्रबंधन

(घ) सर्वर मॉनिटरिंग एवं प्रबंधन सेवाएं

(ङ) प्रबंधित टेप बैकअप सेवा

(च) नेटवर्क मॉनिटरिंग और प्रबंधन सेवाएं

(छ) रिमोट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंधन

(ज) क्लाउड सेवाएं

(झ) डीआर सेवाएं

(ण) ईमेल सेवाएं

(ट) एसओसी सेवाएं

यह 3 केवीए से 14 केवीए तक के प्रति रैक तक की बहु घनत्व पावर अपेक्षाओं की पूर्ति करने में सक्षम है। यह डेटा केन्द्र न केवल अन्य डेटा केन्द्रों की तुलना में सेवाओं की अपनी सम्पूर्ण रेंज के बलबूते बेहतर है अपितु इसकी अवसंरचना, प्रभावशीलता एवं पर्यावरण अनुकूल अग्निशमन सुविधाओं कारण उत्तम है और इसकी उच्च स्तरीय सुरक्षा, कैरियर न्यूट्रेलिटी, निर्बाध उपलब्ध पावर, नियंत्रित दुरूस्त पर्यावरण और साथ ही किसी डाउन टाइम के बिना उपलब्ध 24x7 समर्थन सेवाओं के कारण इसे अन्यों की तुलना में बढ़त प्राप्त है।

डेटा केन्द्र कैरियर न्यूट्रल है अर्थात यह अनेकों आईएसपी से जुड़ा हुआ है जिससे इंटरनेट कनेक्टिविटी की उच्च उपलब्धता सुनिश्चित होती है।

ग्राहकों को अपने कार्य करने के लिए बैठने की सुविधा, वर्कस्टेशन तथा केबिन एवं अनुरक्षण कर्मचारियों की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं तथा निष्पादन की मॉनीटरिंग के लिए एक एनओसी कक्ष स्थापित है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान डेटा केन्द्र से 26.36 करोड़ रुपए के राजस्व की उत्पति हुई है।

प्रमाणन:

आईटीआई का डेटा केन्द्र टीआईए – 942 टियर 3 प्रमाणित है तथा यहां अंतर्राष्ट्रीय मानकों यथा आईएसओ 9001, 20000, 27001, 27017 तथा 27018 जैसी सुरक्षा की अनेकों लेयर्स हैं। टियर 3 मानकों के अनुसार इसकी उपलब्धता 99.982% है, जो एक साथ अनुरक्षण किए जाने योग्य है जिससे डेटा केन्द्र के निष्पादन को किसी भी प्रकार से बाधित किए बिना पावर एवं कूलिंग सिस्टम के योजनागत अनुरक्षण कार्य किए जा सकते हैं।

इसे सूचना प्रौद्योगिकी परिचालनों के लिए सीएमएमआई स्तर 5 का प्रमाणन भी प्राप्त है। डेटा केन्द्र का सफलतापूर्वक आडिट कार्य इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सूचीबद्ध क्लाउड सेवा प्रदाता द्वारा IaaS, PaaS एवं SaaS जैसी क्लाउड सेवाएं सार्वजनिक, निजी एवं हाइब्रिड क्लाउड इंफ्रा के अंतर्गत प्रदान करने के लिए किया गया है। आईटीआई के पास सरकारी सेवाओं के उद्देश्य से महत्वपूर्ण एवं गोपनीय सेवा प्रदान करने के लिए गर्वनमेंट कम्यूनिटी क्लाउड जीसीसी सुविधा भी है।

(xi) सुरक्षा परिचालन केन्द्र (एसओसी):

सुविधा एवं सेवाएं:

आईटीआई में वाणिज्य, औद्योगिक, वैज्ञानिक, चिकित्सा, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी आदि जैसे विभिन्न सेक्टरों के ग्राहकों के लिए एक अत्याधुनिक सुरक्षा परिचालन केन्द्र (जिसे यहां आगे एसओसी के नाम से संदर्भित किया गया है) स्थापित है जहां से एसओसी एस-ए-सर्विस (जिसे यहां एसओसीएएएस के नाम से संदर्भित किया गया है) प्रदान की जाती हैं। एसओसीएएएस का उपयोग चौबिस घंटें साइबर खतरों की मॉनीटरिंग, उनसे बचाव, उनकी खोज एवं उनकी जांच तथा उनके प्रति प्रतिक्रिया के लिए प्रतिक्रिया के लिए किया जाता है। एसओसी सेवाओं का उपयोग संगठन की परिसम्पतियों, जिनमें उनकी बौद्धिक सम्पति, वैयक्तिक डेटा, व्यवसाय प्रणालियां एवं ब्रांड शुद्धता शामिल है, की मॉनीटरिंग एवं सुरक्षा के लिए किया जाता है। आईटीआई एसओसी समन्वित प्रयासों से एक केन्द्रित प्वांइट के रूप में साइबर हमलों से बचाव के लिए निगरानी, मूल्यांकन एवं रक्षण के कार्य करती है।

परिभाषित सेवाओं के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की सूची-

1. पहचान एवं एस्सेस प्रबंधन
2. नेक्स्ट जनरेशन फ़ायरवॉल
3 नेटवर्क एस्सेस कंट्रोल
4 एंड पॉइंट डिटेक्शन और रिस्पॉन्स
5 डेटा हानि से बचाव
6 ईमेल सुरक्षा
7 सुरक्षा सूचना एवं इवेंट प्रबंधन (एसआईईएम)
8 उपयोगकर्ता तथा यूनिट व्यवहार विश्लेषण (यूईबीए)
9 भेद्यता मूल्यांकन तथा परीक्षण

ग्राहकों को मॉनीटरिंग एवं निष्पादन के लिए बैठने की सुविधा, वर्कस्टेशन एवं केबिन परिचालन तथा अनुरक्षण के प्रदान किए जाते हैं।

एसओसी अथवा साइबर सुरक्षा से संबंधित परियोजनाएं:

आईटीआई अपने अन्य ग्राहकों के लिए उनके स्थान पर अथवा सम्पूर्ण भारत में विभिन्न क्षेत्र स्थलों पर विभिन्न एसओसी तथा/अथवा साइबर सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं का प्रबंधन भी करता है। परियोजना की प्रकृति/क्षेत्र विभिन्न नेटवर्क उपकरण, नेटवर्क बैकबोन कनेक्टिविटी, साइबर सुरक्षा उपकरण, डिवाइस/एचडब्ल्यू/एसडब्ल्यू, रिपोर्टिंग और संचालन का प्रबंधन करना है।

(xii) आईटीआई ई-सेवा

यह सीएससी योजना के अंतर्गत नागरिकों को 40 से अधिक ई-सेवाएं देने के लिए एक एकीकृत ई-सेवा प्लेटफार्म है।

सामाजिक आजीविका पर प्रभाव:

i. 500 से अधिक उद्यमियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आत्म निर्भरता के लिए रोजगार प्रदान करना।

ii. आईटीआई ई-सेवा कर्नाटक और यूपी राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में स्थापना के माध्यम से नागरिकों को घर-घर जाकर प्रत्येक ई-सेवा प्रदान करती है।

(xiii) कंपनी द्वारा की गई प्रमुख अनुसंधान एवं विकास पहल:

कंपनी की अनुसंधान एवं विकास विचारधारा अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य चुने हुए क्षेत्रों के उत्पादों/सेवाओं में अपनी श्रेष्ठता में संवर्धन करने की है। कंपनी का अनुसंधान एवं विकास अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मॉड्यूल के साथ निर्मित नए उत्पादों के विकास के लिए प्रयासरत है। ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करते हुए, कंपनी द्वारा विकसित उत्पाद अत्याधुनिक, प्रतिस्पर्धी और कॉर्पोरेट उच्चतम गुणवत्ता वाले हैं।

बेंगलूरू संयंत्र में स्थित अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) आंतिरक विनिर्माण के प्रोत्साहन के लिए संचार उपकरण डिजाइन उपकरण का विकास कर रहा है तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के साथ समान रूप से प्रगति कर रहा है। रक्षा बलों, गृह मंत्रालय, एनटीआरओ आदि के लिए संचार नेटवर्क की प्राप्ति के उद्देश्य से एन्क्रिप्शन सिस्टम के डिजाइन और विकास में अनुसंधान एवं विकास की प्रमुख शक्ति विभिन्न मीडिया पर 8 केबीपीएस से 10 जीबीपीएस डेटा दर और नेटवर्क समाधान के विकास में भी है। अनुसंधान एवं विकास टीम ट्रांसमिशन और टर्मिनल उत्पादों के क्षेत्र में संबद्ध उत्पादों का विकास करती है।

आरएंडडी की शक्ति अपनी दक्ष डिजाइन में निहित है जिसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के विकास में विशेषज्ञता हासिल है। डिजाइन एवं विकास के लिए आवश्यक

अवसंरचना आधुनिक परीक्षण उपकरणों, सॉफ्टवेयर डिजाइन टूल्स, सीएडी डिजाइन टूल्स, विश्वसनीय प्रयोगशाला, ईएमआई/ईएमसी परीक्षण प्रयोगशाला और दूरसंचार परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में उपलब्ध है।

प्रमुख अनुसंधान एवं विकास उत्पाद/सेवाएं निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए उपलब्ध हैं:

क) रक्षा, गृह मंत्रालय आदि के लिए एन्क्रिप्शन प्रणाली
ख) संचार नेटवर्क के लिए नेटवर्क समाधान
ग) बिजली आपूर्ति मॉड्यूल
घ) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम)
ङ) रेडियो सिस्टम
च) उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली
छ) वेंटीलेटर
ज) स्वामित्व प्राप्त एल्गोरिदम युक्त क्रिप्टो उत्पादों के लिए सीपीसी अनुमोदन प्राप्त करना

वित्तीय वर्ष 2023-24 में विकसित/उत्पादित सफल उत्पाद समाधान:

उत्पाद / सेवाएं:

क) मल्टी पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन
ख) डीआरडीओ द्वारा 1जीई आईपीई मूल्यांकन पूरा किया गया (आईबी-एमएचए के लिए)
ग) वेंटिलेटर (एसओएआर)
घ) टीईएसडी/एसईएसडी, 10/100 आईपीई, एनजीएन और डीसीएन परियोजना के फ्लेक्सी बीईयू के लिए अतिरिक्त एल्गोरिदम ।

एन्क्रिप्शन उत्पादों का ग्राहकों द्वारा सफलतापूर्वक फील्ड ट्रायल, परीक्षण और मूल्यांकन किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में की गई नई पहलें:

वर्ष 2023-24 में अनुसंधान एवं विकास द्वारा स्मार्ट एनर्जी मीटर, इंटीग्रेटेड टर्मिनल एंड सीक्रेसी डिवाइस, थलसेना के लिए फील्ड सिफर इक्विपमेंट एमके II, पूर्वी कमान (आर्मी) के लिए ई1 एन्क्रिप्टर जैसे नए उत्पादों का विकास प्रारंभ किया गया है तथा अनुसंधान एवं विकास द्वारा एमसीईयू आदि के लिए स्पेयर एल्गोरिदम के विकास की प्रक्रिया की जा रही है।

पालक्काड संयंत्र

I) निष्पादन:

वित्तीय वर्ष 2023-24 में पालक्काड संयंत्र द्वारा 42.12 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया गया है।

II) प्रमुख आकर्षण:

पालक्काड यूनिट सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर अग्रणी है तथा इसे केलट्रॉन, आईआईटी पालक्काड, विश्वविद्यालयों आदि जैसे ग्राहकों से सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर की आपूर्ति के रिपिट आदेश निरंतर प्राप्त हो रहे हैं । यह यूनिट विश्वविद्यालयों की परीक्षा प्रबंधन प्रणाली और अभिलेखों के डिजिटलीकरण जैसी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के कार्य कर रही है। यह अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ाते हुए इसरो के विभिन्न पीएसएलवी सी56, पीएसएलवी सी57, आदित्य एल1 जैसे प्रतिष्ठित मिशनों के लिए एवियोनिक्स पैकेज के निर्माण में अपना योगदान दे रही है। इसके अलावा कंपोनेंट्स की स्क्रीनिंग भी इस यूनिट द्वारा की गई है। इसने पीएसएलवी के लिए एचएएल-एल एंड टी कंर्सोटियम के लिए अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक पैकेज के ऑर्डर का निष्पादन भी प्रारंभ किया है। यूनिट द्वारा विभिन्न स्थानों पर पीएलबी एचडीपीई डक्ट की आपूर्ति के माध्यम से प्रतिष्ठित एस्कॉन परियोजना में भी योगदान दिया गया है।

(i) लैपटॉप:

माइक्रो पीसी सेगमेंट में आईटीआई स्माश ब्रांड को सफलतापूर्वक स्थापित करने के पश्चात आईटीआई पालक्काड ने अब आईटीआई स्मॉश ब्रांड के लैपटॉप के निर्माण के कार्य प्रारंभ कर दिए हैं। आईटीआई स्मॉश लैपटॉप की प्रशंसा केआईटीई (केरल स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन) जैसे प्रमुख ग्राहकों द्वारा की गई है। इन लैपटॉप के लिए सीई, एफसीसी, आरओएचएस, बीआईएस तथा बीईई जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन प्राप्त हैं, जिससे आईटीआई के पोर्टफोलियो में एक महत्वपूर्ण पृष्ठ जुड़ गए हैं।

बाजार विश्लेषण तथा उत्पाद विकास के लिए इंटेल कॉर्पोरेशन और साथ ही साथ ओईएम उत्पादों के उद्देश्य से माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ पीसी और लैपटॉप के लिए किए गए समझौता ज्ञापन (एमओयू) से इन उत्पादों को सुदृढ़ता प्राप्त हुई है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, यूनिट ने विभिन्न ग्राहकों को 354 लैपटॉप का निर्माण और आपूर्ति करके 1.3 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है।

(ii) स्मॉश पीसी:

प्रौद्योगिकी उन्नयन, नवयुग के प्रोस्सेसरों के समावेश के साथ आईटीआई के स्मॉश ब्रांडेड मिनी पीसी की बाजार उपस्थिति सुदृढ़ हो गई है। अपनी ऊर्जा दक्षता और छोटे फॉर्म फैक्टर के लिए विख्यात ये कॉम्पैक्ट कंप्यूटर स्मार्ट पावर स्टेशन युक्त हैं, जोएक हरित ऊर्जा समाधान है तथा यूपीएस का कार्य करता है तथा सौर एवं ग्रिड, दोनों स्रोतों से, बिजली की प्राप्ति करता है। यह अभिनव संयोजन न्यूनतम ग्रिड निर्भरता और महत्वपूर्ण ऊर्जा बचत प्रदान करता है। इसके अलावा, इन उपकरणों के लिए सीई, एफसीसी, आरओएचएस,बीआईएस एवं एनर्जी स्टार जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन हैं।

माइक्रो पीसी व्यवसाय का विस्तार कर्नाटक राज्य में भी हुआ है तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण विभाग / निदेशक सार्वजनिक अनुदेश (डीपीआई) के 17 जिलों में पीसी की आपूर्ति की गई है। केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (केएसईडीसी), केरल ई-हेल्थ, एअर इंडिया, एनआईसी, केरल वन विभाग, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, एनआईसी, कालीकट विश्वविद्यालय, कन्नूर विश्वविद्यालय एवं विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों सहित सम्मानित ग्राहकों का ध्यान इस उत्पाद की ओर आकर्षित हुआ है।

मिनी पीसी के अलावा, पालक्काड संयंत्र इस उत्पाद से जुड़े स्कूलों और विश्वविद्यालयों के लिए स्मार्ट क्लासरूम, एचसीआई (मानव-कंप्यूटर इंटरेक्शन) समाधान और विश्वविद्यालयों के लिए छात्र जीवनचक्र प्रबंधन प्रणालीटर्नकी जैसे समाधानों की एक कड़ी प्रदान करता है ।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आईटीआई पालक्काड यूनिट ने केरल में ई-हेल्थ परियोजना के अंतर्गत आईटीआई के 1760 स्मॉश माइक्रो पीसी सहित अस्पतालों के लिए हार्डवेयर उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग तथा अनुरक्षण के कार्यों के लिए केरल ई-हेल्थ निविदा की प्राप्ति की गई है जिसका मूल्य 8.72 करोड़ रुपए (समावेशी) है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, यूनिट ने विभिन्न ग्राहकों के लिए 647 मिनी पीसी का निर्माण और आपूर्ति करके 3.84 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है।

(iii) विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) व्यवसाय:

आईटीआई पालक्काड यूनिट विभिन्न प्रक्षेपण वाहनों के इलेक्ट्रॉनिक पैकेजों की प्राप्ति एवं इलेक्ट्रॉनिक घटकों/पैकेजों की स्क्रीनिंग के लिए वीएसएससी, तिरुवनंतपुरम के साथ सम्बद्ध है। यह सम्बद्धता वर्ष 2010 में अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए आईटीआई पालाक्काड में इलेक्ट्रॉनिक असेंबली के उद्देश्य से स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स फैब्रिकेशन सेंटर (एसईएफसी) की स्थापना के साथ स्थापित हुई थी तथा एक दशक में की गई अनेक विस्तृत गतिविधियों से इसका विस्तार हुआ था। इस केंद्र को लॉन्च वाहनों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक पैकेजों की प्राप्ति का अनुमोदन प्राप्त है जिसमें एसएमडी असेंबली और मैनुअल असेंबली, कॉनफॉर्मल कोटिंग, कार्ड स्तर परीक्षण, एकीकरण, एकीकरण परीक्षण, इन लाइन क्यूसी, घटकों की स्क्रीनिंग, परीक्षण और मूल्यांकन, असेंबली एवं मल्टी स्टैक जैसे परिचालन शामिल हैं। का टी एंड ई)। मदवार अर्हता प्रक्रियाओं की पूर्ति के लिए, वीएसएससी द्वारा निर्धारित सभी महत्वपूर्ण मापदंडों को पूरा करके प्रत्येक असेंबली/घटकों के लिए व्यक्तिगत रूप से अनुकूलित परीक्षण जिग्स, बर्न-इन बोर्ड, कंपन फिक्स्चर और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इन-हाउस विकसित किए जाते हैं। आईटीआई पालाक्काड आरएफ पैकेज असेंबली और परीक्षण के लिए वीएसएससी से मान्यता प्राप्त एकमात्र केंद्र है।

आईटीआई पालक्काड का इसरो की 3 यूनिटों नामत: वीएसएससी, लिक्विड प्रोप्लसन सिस्टम सेंटर (एलपीएसएससी) तथा मैकेनिज्म्स एंड व्हीकल इंटीग्रेशन टेस्टिंग (एमवीआईटी) के साथ व्यावसायिक सहकार्यता है तथा ये सभी यूनिटें तिरुवनंतपुरम में स्थित हैं और ये सभी इसरो के विभिन्न अंतरिक्ष अभियानों में उपयोग किए जाने वाले लॉन्च व्हीक्ल्स - पीएसएलवी, जीएसएलवी, जीएसएलवी मार्क III आदि के विनिर्माण, परीक्षण और एकीकरण के कार्य कर रही हैं। वर्ष 2010-11 से निरंतर आर्डर प्राप्त किए जाते हैं एवं निष्पादित किए जा रहे हैं।

हाल ही में हमारे सुविधा केन्द्र को इसरो की गगनयान मिशन परियोजना की स्क्रीनिंग और पैकेज प्राप्ति के लिए अर्हता प्राप्त हुई है, जिसके अंतर्गत पायलट मात्रा की स्क्रीनिंग / असेम्बिलंग के कार्य करके सफलतापूर्वक आपूर्ति की गई है। अधिक उपकरणों के लिए परीक्षण सुविधाओं का विकास करके कार्यक्रम के दायरे का निरंतर विस्तार किया जा रहा है।

इन सभी प्रक्रियाओं के लिए कार्यरत अधिकारी वीएसएससी द्वारा दिए गए अत्यधिक कड़े प्रशिक्षण और परीक्षणों के माध्यम से अर्हक हुए हैं। यह कार्य अनुबंध निर्माण स्वरूप में किया जाता है, जिसके सभी आवश्यक घटक वीएसएससी द्वारा निःशुल्क सामग्री (एफआईएम) के रूप में उपलब्ध कराए जाते हैं।

इस केंद्र से 1 लाख से अधिक इलेक्ट्रॉनिक घटकों की जांच की जाती है तथा आईटीआई द्वारा निर्मित 2500 से अधिक उड़ान पैकेजों का इसरो के विभिन्न प्रक्षेपण वाहनों - जीएसएलवी, पीएसएलवी और जीएसएलवी मार्क-III- में सफलतापूर्वक उपयोग किया जाता है, जिसमें 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया प्रतिष्ठित चंद्रयान मिशन एलवीएम3-एम4 भी शामिल है। मिशन में प्रयुक्त कुल पैकेजों में से, 55 पैकेज आईटीआई पालक्काड टीम द्वारा तैयार किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 2.50 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया है।

(iv) स्मार्ट बैंकिंग कार्ड:

आईटीआई पालक्काड संयंत्र में भुगतान कार्ड उद्योग (पीसीआई) के लिए तकनीकी विशिष्टताओं के अनुरूप अत्याधुनिक अवसंरचना स्थापित है। आईटीआई सार्वजनिक क्षेत्र का एकमात्र है जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) से रूपे चिप कार्ड के वैयक्तिकीकरण के लिए मान्यता प्राप्त है। अवसंरचना में स्मार्ट कार्ड असेंबली के लिए आधुनिक निर्माणउपकरण और मिलिंग और एम्बेडिंग, वैयक्तिकीकरण जैसी व्यवस्थाएं स्थापित हैं।

केरल के मोटर वाहन विभाग द्वारा राज्यव्यापी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पीवीसी पेट जी कार्ड (बिना चिप वाले) में ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्रों की छपाई के लिए कार्य आदेश जारी किया गया था जिसके अंतर्गत 24 लाख कार्ड की आपूर्ति करके 16.81 करोड़ रुपए की टर्नओवर हासिल की गई है।

(v) उच्च घनत्व पॉलीथीन (एचडीपीई) डक्ट विनिर्माण:

देश में ओएफसी के लिए ओएफसी और एचडीपीई कंडयूट्स की बढ़ती मांग की संभावना एवं सरकार द्वारा सभी गांवों के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने पर सरकार पर किए गए ध्यान केन्द्रण को विचार में आईटीआई पालाक्कड ने 8000 किलोमीटर की वार्षिक क्षमता वाली एचडीपीई मशीनरी की 2 लाइनें स्थापित की हैं। जबकि एचडीपीई पाइप प्लांट को 40/33 मिमी पीएलबी एचडीपीई डक्ट के निर्माण के लिए टीएसईसी प्राप्त हुआ है और इसने एस्कॉन परियोजना के लिए 2000 किलोमीटर से अधिक डक्ट की आवश्यकता को समय पर उच्चतम स्तर की गुणवत्ता के साथ पूरा किया है और भारतीय सेना से प्रशंसा प्राप्त की है। अपने उत्पाद पोर्टफोलियो में बढ़ोतरी के लिए, आईटीआई पालक्काड द्वारा जल परिवहन के लिए एचडीपीई पाइप का निर्माण भी शुरू कर दिया है, जिसका विस्तार आने वाले वर्षों में किया जाएगा।

(vi) प्रबंधित लीज्ड लाइन नेटवर्क (एमएलएलएन):

वर्ष 2002-03 से ही आईटीआई द्वारा बीएसएनएल/एमटीएनएल को नेटवर्क उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना, एकीकरण, कमीशनिंग, परिचालन एवं अनुरक्षण के लिए टर्नकी समाधानों के साथ साथ एमएलएलएन उत्पादों और सेवाओं की आपूर्ति की जा रही है। विद्यमान एमएलएलएन नेटवर्कों की स्थापना की गई है तथा इसका अनुरक्षण अब तक आईटीआई द्वारा किया जा रहा है। आईटीआई पालक्काड ने बीएसएनएल के लिए एमएलएलएन उपकरणों के वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (कार्ड मरम्मत और तकनीकी सहायता) का 16.06 करोड़ रुपए का आर्डर निष्पादित किया है।

(vii) अंडमान और निकोबार में भारतनेट चरण- I:

इस परियोजना के कार्यक्षेत्र में बीबीएनएल की भारतनेट चरण- I परियोजना के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्राम पंचायतों में डेटा कनेक्टिविटी के लिए फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की नेटवर्क डिजाइन और योजना, आपूर्ति, नियोजन एवं कमीशनिंग के कार्य शामिल हैं। आईटीआई पालाक्कड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 77 करोड़ रुपए की टर्नओवर की है।

(viii) 4जी विनिर्माण:

पालक्काड यूनिट में भी आरआरयू/बीबीयू विनिर्माण सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसकी वार्षिक क्षमता 12000 यूनिट है। मैसर्स तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड से अनुबंध विनिर्माण आर्डर शीघ्र ही प्राप्त होने की संभावना है।

मनकापुर संयंत्र

I) निष्पादन :

वित्तीय वर्ष 2023-24 में मनकापुर संयंत्र को 53.15 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्राप्त हुआ था।

II) प्रमुख आकर्षण:

(i) हाई-डेंसिटी पॉलीइथिलीन (एचडीपीई)/पीएलबी डक्ट विनिर्माण:

मनकापुर यूनिट द्वारा अनुबंध आधार पर वाटर पाइप्स/दूरसंचार डक्ट के निर्माण के लिए मैसर्स कटारिया प्लास्टिक प्राइवेट के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मैसर्स कटारिया के लिए वाटर पाइप तथा पीएलबी डक्ट 40/33 का निर्माण किया गया था तथा इनकी आपूर्ति भारतनेट और महानेट परियोजना के लिए एक्सेंट टेक्नोलॉजी सर्विसेज क्रयादेश के अंतर्गत की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एचडीपीई डक्ट/वाटर पाइप्स से कुल 12.24 करोड़ रुपए के राजस्व की उत्पति हुई है। .

(ii) 4जी विनिर्माण:

पिछले वर्ष स्थापित 4जी आरआरयू/बीबीयू की 4जी विनिर्माण अवसंरचना चालू हो गई है।

(iii) ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल (ओएनटी)-23:

मनकापुर इकाई ने सी-डॉट से प्राप्त ओएनटी 23 की आपूर्ति के आदेश के विरुद्ध रेलटेल को 40,000 की मात्रा के लिए आंशिक रूप से (1000) आपूर्ति की है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अर्जित राजस्व 1.85 करोड़ रुपए है।

(iv) ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल (ओएलटी)-4 पोर्ट:

मनकापुर इकाई द्वारा सामग्री का प्रापण किया है तथा बीएसएनएल से 5 वर्ष की एएमसी सेवाओं सहित 1500 नग की आपूर्ति के आदेश के अंतर्गत 4 ओएलटी का उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया है।

(v) तृतीय पक्षकार आडिट (टीपीए):

मनकापुर यूनिट ने झारखंड में झारखंड कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड, उड़ीसा में उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए भारत नेट की टीपीए प्रक्रियाओं के लिए तथा मणिपुर एवं त्रिपुरा में टीपीए – वीएसएटी के कार्यान्वयन प्रारंभ किए हैं। झारखंड और ओडिशा के कार्य पूरे हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 64 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है।

(vi) विविध उत्पाद:

मनकापुर यूनिट विविध उत्पादों का भी व्यवसाय कर रही है। आंतरिक रूप से विकसित एवं निर्मित किए जाने वाले उत्पादों में एनसीएम (नोट गिनने की मशीन), एसएनवीएम-फ्लोरा (सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन), एसएनडीएम-फौना (सेनेटरी नैपकिन डिस्पोजल मशीन), एफएमवीएम-कवच (फेस मास्क वेंडिंग मशीन) तथा

एफएमडीएम-सीओएनए (फेस मास्क डिस्पोजल मशीन) जैसे उत्पाद हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 23 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है।

(vii) कौशल विकास:

कौशल विकास केन्द्र (ईडीसी) द्वारा आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) के छात्रों के लिए कार्यक्षम (ऑन जॉब ट्रेनिंग) कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। कर्मचारी विकास केंद्र द्वारा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गोरखपुर के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर कंप्यूटर अवधारणाओं से संबंधित (सीसीसी) परीक्षा के पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 11 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है।

(viii) टैबलेट पीसी:

मनकापुर यूनिट द्वारा टैबलेट और लैपटॉप प्रौद्योगिकियों के लिए प्रौद्योगिकी अंतरण भागीदार व्हिस्टेल प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से टैबलेट पीसी का निर्माण प्रारंभ किया गया है।

(ix) ओडीसी (आउटडोर कैबिनेट):

यूनिट ने तेजस नेटवर्क लिमिटेड, बैंगलूरु द्वारा जारी क्रयादेश के प्रति ओडीसी का निर्माण प्रारंभ कर दिया है।

रायबरेली संयंत्र

I) निष्पादन:

वित्तीय वर्ष 2023-24 में रायबरेली संयंत्र का टर्नओवर 59.08 करोड़ रुपए है।

II) प्रमुख आकर्षण:

(i) ऑप्टिकल फाइबर केबल:

भारतीय ऑप्टिकल फाइबर केबल बाजार में संकर्षण की स्थिति व्याप्त है। यह विकास भारत सरकार द्वारा ओएफसी नेटवर्क अवसंरचना के विकास के लिए निरंतर किए जा रहे निवेश का प्रतिफल है। डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज, भारतनेट परियोजना आदि जैसी सरकार की पहलों के परिणामस्वरूप फाइबर-टू-द-होम (एफटीटीएच) कनेक्टिविटी का उपयोग बढ़ा है। इसके अलावा, भारत में डेटा केंद्रों की बढ़ती संख्या से इस विकास को और बढ़ावा मिलेगा। कंपनी 30,000 किलोमीटर प्रति वर्ष की स्थापित क्षमता के साथ ऑप्टिक फाइबर केबल की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए काफी प्रयास कर रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, रायबरेली संयंत्र ने एस्कॉन, टैनफिनेट परियोजना, रेलवे, के लिए 8000 किलोमीटर से अधिक का निर्माण और आपूर्ति की है, जैसा कि नीचे दर्शाएं गए है :

1. आईटीआई आरबी ने रक्षा एस्कॉन चरण IV परियोजना के लिए लगभग 3000 किलोमीटर 24एफ ओएफसी की आपूर्ति की है।
2. आईटीआई आरबी ने भारतीय रेलवे के विभिन्न जोनों के लिए लगभग 2800 किलोमीटर ओएफसी की आपूर्ति की है।
3. आईटीआई आरबी ने एमटीएनएल (मुंबई तथा दिल्ली) क्षेत्रों के 335 किलोमीटर 96 एफ ओएफसी आपूर्ति आर्डर की पूर्ति की है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 32.52 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया गया है।

(ii) गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क (जीपॉन):

गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क तकनीक के अंतर्गत अंत उपभोक्ताओं ट्रिपल प्ले सेवाओं (वॉयस, डेटा और वीडियो) का उत्कृष्ट मिश्रण प्राप्त होता है। रायबरेली संयंत्र में जीपॉन-ओएलटी और ओएनटी सिस्टम के लिए अत्याधुनिक निर्माणसुविधा है।

(iii) उच्च घनत्व पॉलीथीन (एचडीपीई) डक्ट विनिर्माण:

रायबरेली यूनिट 28,000 किलोमीटर की वार्षिक क्षमता के साथ एचडीपीई डक्ट्स के उत्पादन की उत्कृष्ट विनिर्माण अवसंरचना से सुसज्जित है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 39 लाख रुपए का राजस्व हासिल किया गया है।

(iv) स्विच्ड-मोड बिजली आपूर्ति (एसएमपीएस):

आईटीआई-आरबी में विभिन्न प्रकारों/रेटिंग प्रणालियों के लिए एसएमपीएस निर्माण की सुविधा स्थापित है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न बीएसएनएल सर्किलों की एएमसी के साथ साथ एस्कॉन रक्षा परियोजना के पीओसी कार्य के लिए एसएमपीएस सिस्टम और सहायता भी प्रदान की गई। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एएमसी कार्यों से 53 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है।

नैनी संयंत्र

I) निष्पादन:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान नैनी संयंत्र का कुल हासिल टर्नओवर 52.44 करोड़ रुपए है। टर्नओवर मुख्यतः विनिर्माण और सेवाओं प्राप्त है।

II) प्रमुख आकर्षण:

- ❖ नैनी प्लांट में 18 मेगावाट की वार्षिक क्षमता के साथ सोलर पैनल निर्माण के लिए अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधा स्थापित है।

(i) सोलर मॉड्यूल निर्माण:

आईटीआई नैनी प्लांट द्वारा मैसर्स पतंजलि से प्राप्त 6.85 करोड़ रुपए के 20000 ऑर्डर के प्रति 3.37 करोड़ रुपए मूल्य के 9823 120डब्ल्यू सोलर पीवी मॉड्यूल का निर्माण किया गया है।

आईटीआई लिमिटेड नैनी द्वारा 0.21 करोड़ रुपए के जीईएम अनुबंध के माध्यम से बीबीएनएल को 60डब्ल्यूपी के 1125 एसपीवी पैनल की सफलतापूर्वक आपूर्ति की गई है।

(ii) सोलर पॉवर प्लांट:

आईटीआई लिमिटेड नैनी ने एनटीपीसी, विंध्याचल में 150 किलोवाट ऑन-ग्रिड रूफटॉप सौर संयंत्र, एनटीपीसी, बोंगईगांव में 265 किलोवाट ऑन-ग्रिड रूफटॉप सौर संयंत्र तथा आईटीआई लिमिटेड कॉर्पोरेट कार्यालय में 100 किलोवाट रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र की आपूर्ति तथा स्थापना के कार्य सफलतापूर्वक निष्पादित किए हैं जिनका कुल मूल्य 1.47 करोड़ रुपए है।

(iii) एलईडी स्ट्रीट लाइट:

आईटीआई ने ब्रेडा परियोजना में 46.01 करोड़ रुपए मूल्य की 21620 सोलर स्ट्रीट लाइट प्रणाली की आपूर्ति और स्थापना के कार्यों का निष्पादन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

आईटीआई लिमिटेड नैनी को बीआरईडीए परियोजना के लिए बिहार सरकार से 8.58 करोड़ रुपए मूल्य की 2800 यूनिटों के लिए आशय पत्र (एलओआई) प्राप्त हुआ है।

आईटीआई लिमिटेड नैनी द्वारा मैसर्स उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूआरईडीए) परियोजना के अंतर्गत 12डब्ल्यू सौर स्ट्रीट लाइट सिस्टम के अंतर्गत 1.38 करोड़ रुपए मूल्य की 15392 यूनिटों की एएमसी की गई है।

(iv) सोलर गृह प्रकाश व्यवस्था:

आईटीआई लिमिटेड को मैसर्स उत्तर प्रदेश न्यू रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (यूपीएनईडीए) से उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न घरों में Li FePo4 बैटरी (जिसमें 5 एलईडी लाइट, एक डीसी सीलिंग फैन और मोबाइल चार्जिंग यूएसबी के साथ 25 वाट डीसी पावर प्लग शामिल है) के साथ 200 वाट के सौर पीवी पावर पैक की 200 यूनिटों के डिजाइन, आपूर्ति और स्थापना और कमीशनिंग के लिए 0.75 करोड़ रुपए मूल्य के, 5 वर्ष की व्यापक वारंटी के साथ, कार्य आदेश प्राप्त हुए हैं।

पीडीआई कर ली गई है तथा सामग्री की आपूर्ति के कार्य अग्रिम चरण में है।

श्रीनगर:

1) परियोजना का निष्पादन:

श्रीनगर यूनिट जम्मू-कश्मीर के दूरस्थ स्थलों में महत्वपूर्ण संचार नेटवर्क के सुचारू क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण के कार्य का सुनिश्चय कर रही है।

2) कौशल विकास केंद्र:

यह केंद्र ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने तथा ऑप्टिकल स्प्लिसिंग, डेटा एंट्री ऑपरेटर आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कश्मीर के युवाओं को कौशल प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह केन्द्र स्थानीय युवाओं के कौशल संवर्धन और क्षेत्र में रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

नेटवर्क सिस्टम यूनिट (एनएसयू)

क) भारतनैट परियोजना (चरण II)

1. गुजनेट परियोजना:

बीबीएनएल/जीएफजीएनएल द्वारा प्रारम्भ की गई भारतनेट चरण- II पैकेज ए "गुजनेट" परियोजना का गुजरात में कवर न की गई ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करने की आकांक्षा के साथ के लिए की गई थी जिसका निष्पादन आईटीआई लिमिटेड द्वारा 2019 के दौरान ओपन निविदा के माध्यम से अंतिम रूप दिए गए ओएसपी भागीदारों के सहयोग से किया जा रहा है।

परियोजना के प्रथम भाग में 12 जिलों/70 ब्लॉकों में विस्तारित 3 द्वीपों में 3925 ग्राम पंचायत शामिल की गई हैं। प्रत्येक द्वीप में गांधीनगर में जीएफजीएनएल राज्य डेटा केन्द्र के माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर केबल/डीडब्ल्यूडीएम/आरएफएमएस द्वारा सम्बद्ध जीपॉन नेटवर्क है, जिसमें ब्लॉक स्तर पर ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल (ओएलटी) एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल (ओएनटी) और एल2 स्विच हैं।

परियोजना के दूसरे भाग में 12 जिलों/70 ब्लॉकों में विस्तारित 3 द्वीपों में ऐड-ऑन ग्राम पंचायतों (336 ग्राम पंचायतों) के साथ 3925 ग्राम पंचायतों के परिचालन एवं अनुरक्षण कार्य शामिल किए गए हैं। आइलैंड-1 ओएंडएम की शुरूआत अक्टूबर 2020 में की गई थी। इसके अलावा, शेष ब्लॉकों का ओएंडएम दिसंबर-2020 से दिसंबर-2021 तक प्रगामी रूप से प्रारम्भ किया गया था। आईटीआई को 52 जीपी एपीओ तथा 5 जीपी स्कोप के लिए भी समान प्रकार के कार्य आदेश प्राप्त हुए हैं।

कुल 4279 ग्राम पंचायतों (3925 का प्रारंभिक कार्य क्षेत्र + 304 (336 एपीओ में से) + 45 (52 एपीओ में से) + 5 एपीओ) में से 4274 ग्राम पंचायतों (99.88%) में व्यवस्था स्थापित कर ली गई है। बीबीएनएल पोर्ट में एक ब्लॉक (लिमखेड़ा ब्लॉक) में जीआईएस लंबित है जो कि 3 एपीओ जीपी में टीएंडडी लंबित होने के कारण से है। लंबित कार्य 30-09-2024 तक पूरे कर लिए जाएंगे। 58 ग्राम पंचायतों के लिए मुख्य कार्य तथा एटी लंबित है तथा 336 एपीओ में 14 ग्राम पंचायतों के लिए एटी लंबित है।

2. महानेट परियोजना:

महाराष्ट्र राज्य में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के प्रावधान के लिए आईटीआई द्वारा एक टर्नकी परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस परियोजना में 20,329 किलोमीटर भूमिगत (यूजी) तथा 17,841 किलोमीटर एरियल (ओएच) ओएफसी बिछाना, आईपीएमपीएलएस (आईपी मल्टी-प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग) राउटर, स्विच्स, सौर उपकरण, माइक्रोवेव रेडियो, वाई-फाई हॉटस्पॉट तथा नेटवर्क ऑपरेटिंग केन्द्र (एनओसी) युक्त नेटवर्क की स्थापना, कमीशनिंग एवं अनुरक्षण के कार्य किए जाने शामिल है। दिनांक 31-03-2024 तक; 18,350 किलोमीटर के टीएंडडी कार्य और लगभग 14,843 किलोमीटर लंबाई में एरियल ओएफसी बिछाने के कार्य पूरे किए जा चुके हैं। इस परियोजना का कुल मूल्य जीएसटी सहित लगभग 2937 करोड़ रुपए है।

इसके अलावा, आईटीआई को महाराष्ट्र में महानेट-I (भारतनेट-II) परियोजना के पैकेज ए के लिए परिचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) के संबंध में दिनांक 23.08.2023 को कार्य आदेश प्राप्त हुआ है, पैकेज ए के लिए डब्ल्यूओ का कुल मूल्य 1 वर्ष की वारंटी सहित 3 वर्षों के लिए 267.90 करोड़ रुपए (जीएसटी के अलावा) है।

आईटीआई को महाराष्ट्र में महानेट-I (भारतनेट-II) परियोजना के लिए पैकेज सी के लिए परिचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) का कार्य आदेश दिनांक 18-08-2023 को प्राप्त हुआ था, परिचालन एवं अनुरक्षण कार्य आदेश के पैकेज सी का कुल मूल्य 188.25 करोड़ रुपए (जीएसटी के अलावा) है, ओ एंड एम की अवधि 3 वर्ष है जिसमें 1 वर्ष की वारंटी की अवधि शामिल है।

3. टैनफीनेट परियोजना:

आईटीआई तमिलनाडु राज्य में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए एक टर्नकी परियोजना का क्रियान्वयन कर रहा है। इस परियोजना में 1,924 किलोमीटर भूमिगत तथा 12,703 किलोमीटर एरियल (ओएच) ओएफसी बिछाने के कार्य किए जाने हैं। परियोजना का कुल मूल्य, परिचालन एवं अनुरक्षण सहित, लगभग 458.24 करोड़ रुपए है। अब तक, 1,407 किलोमीटर टी एंड डी कार्य तथा लगभग 10,055 किलोमीटर लंबाई के एरियल क्षेत्र में ओएफसी बिछाने के कार्य पूरे हो चुके हैं। वर्तमान में, इस परियोजना के लिए लगभग 229.5 करोड़ रुपए मूल्य के कुल आर्डर निष्पादित किए गए हैं। तमिलनाडु के दक्षिणी भाग के 10 जिलों में विस्तारित ग्राम पंचायतों तथा ब्लॉक एलआईटी यूपी का कार्य स्कोप 3103 ग्राम पंचायत तथा 109 ब्लॉक हैं जिनमें से 1500 ग्राम पंचायत तथा 109 ब्लॉक के कार्य पूरे हो चुके हैं। हमने 192.60 करोड़ रुपए के बिल जमा किए हैं जिसमें से 104.56 करोड़ रुपए का भुगतान प्राप्त हो गया है। हमें 235 ग्राम पंचायतों के लिए एटी प्रमाणपत्र भी मिल गया है तथा 3 ब्लॉकों को हमने परिचालन एवं अनुरक्षण में परिवर्तित किया है।

4. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह:

अंडमान और निकोबार के केंद्र शासित प्रदेशों में ओएफसी (भूमिगत) और जीपॉन नेटवर्क की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के साथ-साथ परिचालन एवं अनुरक्षण और साथ ही भारतनेट चरण- II परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आईटीआई को बीबीएनएल से 37.27 करोड़ रुपए का ऑर्डर हासिल हुआ है।

आईटीआई के कार्य स्कोप की कुल 68 ग्राम पंचायतें 7 ब्लॉकों के कार्य पूरे हो गए हैं। इस परियोजना के लिए कुल 28.34 करोड़ रुपए के ऑर्डर निष्पादित किए गए हैं जिसमें से अब तक 18.60 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है। परियोजना का कार्यान्वयन अब समाप्ति के चरण में है।

ख) भारतनेट चरण-1 जीपॉन आपूर्ति, संस्थापन एवं कमीशनिंग एवं एएमसी

आईटीआई को भारतनेट परियोजना के कार्यान्वयन के लिए बीबीएनएल/बीएसएनएल से 485 करोड़ रुपए मूल्य के 5 ऑर्डर प्राप्त हुए हैं, जिसमें जीपॉन उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग, 02 साल की वारंटी और 05 साल की एएमसी के कार्य किए जाने शामिल है।

संस्थापन एवं कमीशनिंग के 90% से अधिक कार्य पूरे हो गए हैं तथा 04 क्रयादेश एएमसी चरण में हैं। इस परियोजना के लिए एएमसी सेवाएं हमारे इन-हाउस इंजीनियरों द्वारा प्रदान की जा रही हैं। 31 मार्च 2024 तक, हमने 384 करोड़ रुपए मूल्य का आर्डर प्राप्त किया है।

ग) बीएसएनएल 4जी पश्चिम क्षेत्र: आरएएन की आपूर्ति तथा संस्थापन एवं कमीशनिंग

भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत घरेलू बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान रखकर दूरसंचार गियर सेगमेंट में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के उद्देश्य से स्वदेशी 4जी दूरसंचार उपकरणों की एक प्रतिष्ठित परियोजना के लिए बीएसएनएल का चयन किया है तथा इसकी प्रतिक्रया में आईटीआई को बीएसएनएल द्वारा 19-05-2023 के एपीओ के माध्यम से आरक्यू ऑर्डर जारी किया गया है, तथा इसके पश्चात जून/जुलाई 2023 में सर्कल के क्रयादेश प्राप्त हुए हैं।

टीसीएस के साथ एक कंसोर्टियम साझेदार के रूप में चरण I.X.2 के अंतर्गत आईटीआई द्वारा बीएसएनएल के पश्चिम ज़ोन के महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राज्यों एवं मुंबई एलएसए के लिए 4जी मोबाइल नेटवर्क के प्रावधान के लिए एक टर्नकी परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस परियोजना में पश्चिमी क्षेत्र में 23633 साइटों पर 4जी मोबाइल नेटवर्क की आरएफ योजना, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग, एकीकरण तथा वार्षिक अनुरक्षण के कार्य शामिल है। परियोजना का कुल मूल्य लगभग 2450 करोड़ रुपए है।

निविदा में दी गई डिलीवरी अनुसूची के अनुसार, बीएसएनएल के प्राथमिकता प्राप्त स्थलों/सूची के प्रति पश्चिम क्षेत्र के सभी 5 सर्किलों के लिए 479 रेडियो उपकरणों का पहला और दूसरा माइलस्टोन बैच संबंधित बीए को डिलीवर कर दिया गया है तथा 1415 रेडियो उपकरण की आपूर्ति संबंधित बीए को कर दी गई है तथा 116 के तीसरी बैच की आपूर्ति की गई है और आगे की आपूर्ति प्रक्रियाधीन है।

अब तक, आईटीआई ने 2066 की आपूर्ति एवं 2016 का संस्थापन, 1755 का एकीकरण किया है एवं 1689 को ऑन एयर किया गया है। इसके अलावा, आईटीआई ने बीएसएनएल को लगभग 200 करोड़ रुपए के बिल जारी किए हैं।

घ) रक्षा परियोजनाएं:

1. एस्कॉन चरण-IV

कंपनी ने सेना स्टेटिक स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क (एस्कॉन) चरण IV परियोजना के मेगा ऑर्डर के निष्पादन के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ 7,796.39 करोड़ रुपए (पूंजी व्यय एवं परिचालन व्यय) के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें दूरसंचार उपकरण, एनएमएस, मोबाइल नोड्स की स्थापना, कमीशनिंग तथा अनुरक्षण एवं विभिन्न स्थलों पर संपूर्ण अवसंरचना तैयार करने और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को रोल-आउट करने के लिए सिविल कार्य किए जाने शामिल हैं। नवंबर 2023 में अनुबंध मूल्य को संशोधित कर 8,280.36 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

नेटवर्क भाग में, परियोजना के अंतर्गत उत्तरी, उत्तरपूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में विस्तारित माइक्रोवेव रेडियो और उपग्रह के साथ एक आईपी-एमपीएलएस-आधारित संचार नेटवर्क को कवर करती है। इसके लिए कुल 62 मेगावाट रेडियो लिंक तथा 2 हब सहित 61 सैटेलाइट नोड्स हैं । नेटवर्क में कुल 256 स्टेटिक नोड्स, 10 जोनल केन्द्र और 2 केन्द्रीय जोनल केन्द्र हैं। इसके अलावा, संचार एवं पावर प्रणालियों के लिए 8X8 टाट्रा वाहनों पर 86 मोबाइल नोड्स लगे हैं। परियोजना का कार्यान्वयन तीन वर्षों में पूरा होना तथा इसके पश्चात दो वर्ष की वारंटी के साथ दस वर्षों के अनुरक्षण की अनिवार्यता है। परियोजना को दिसंबर 2025 तक थल सेना को सौंपे जाने के निर्धारण के साथ आईटीआई के अनुरोध पर परियोजना की समयसीमा संशोधित की गई है।

पीओसी क्रियाकलापों के लिए, दिल्ली में परीक्षण बेड स्थापित किया गया है। परीक्षण बेड में आईपीएमपीएलएस, माइक्रोवेव उपकरण, सैटेलाइट उपकरण, बिजली प्रणाली, यूएनएमएस और नेट सिंक्रोनाइजेशन हैं। आज तक, ओएफसी, माइक्रोवेव रेडियो, सैटेलाइट, बिजली प्रणाली, नेटवर्क सिंक्रोनाइजेशन और टेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए पीओसी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। आईपीएमपीएलएस राउटर का पीओसी परीक्षण परीक्षण प्रगति पर है और जून 2024 तक इसके पूरा होने की संभावना है। यूएनएमएस पीओसी परीक्षण परीक्षणों के पश्चात एकीकृत पीओसी किया जाएगा।

परियोजना के अंतर्गत ओएफसी, उपकरण नोड्स, माइक्रोवेव एवं सिविल निर्माण पर रोलआउट सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। अब तक 88 लिंक्स के लिए 166 ऑप्टिक्ल लिंक्स कार्य पूरे कर लिए गए हैं तथा 4488 किलोमीटर को कवर करने वाले एटी पर 86 लिंक्स पूरे कर लिए गए हैं। शेष लिंक का काम प्रगति पर है और अक्टूबर 2024 तक पूरा होने की संभावना है। सिविल निर्माण के अंतर्गत, कुल 183 भवन (17 नए भवन, 51 उन्नत भवन एवं 115 नई अवसंरचनाएं) हैं। 183 भवनों में से 97 भवनों के कार्य प्रगति पर है। 36 माइक्रोवेव टावरों में से 8 साइटों का कार्य प्रगति पर है।

उपकरण वितरण और नेटवर्क रोल-आउट सितंबर 2024 से प्रारंभ होगा तथा नोड स्तर की प्रक्रियाएं जून 2025 तक समाप्त हो जाएंगी। परियोजना में मुख्य रूप से उद्गम देश से संबंधित कारण से देरी हो रही है।

2. वायुसेना परियोजनाएं

क. जी2जी – एएफसीईएल 3जी डब्ल्यूसीडीएमए नेटवर्क का 4जी एलटीई/5जी एनएसए नेटवर्क में उन्नयन तथा विस्तार:

आईटीआई द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए एएफसीईएल 3जी डब्ल्यूसीडीएमए नेटवर्क का उन्नयन एवं विस्तार 4जी एलटीई/5जी एनएसए नेटवर्क में करने की 233.16 करोड़ रुपए की टर्नकी परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसमें 2 कोर मोबाइल स्विचिंग केन्द्र, 4 एक्सेस साइट्स और 469 eNodeB/gNodeB RAN साइट्स की स्थापना, कमीशनिंग और वारंटी शामिल है।

2 कोर (प्रयागराज और जयपुर) स्थलों तथा 4 एक्सेस (वडसर, बेंगलूरु, बरनाला, बागडोगरा) स्थलों पर पावर इंफ्रा का संस्थापन एवं कमीशनिंग, 4 जी और 5 जी एनएसए कोर यूजर प्लेन तथा कंट्रोल प्लेन के लिए क्लाउड सेटअप तथा नेटवर्क के लिए सुरक्षा समाधान एवं नेटवर्क की निगरानी के लिए वीडियो वॉल शामिल हैं।

भारत भर में 167 भौगोलिक स्थानों पर कुल 469 आरएएन स्थापित किए जाने हैं। 148 साइटें विद्यमान साइटें हैं, टावरों को ईनोडबी (4 जी) तथा जीनोड बी (5 जी) में अपग्रेड किया जाना अपेक्षित है, 102 साइटों का उन्नयन केवल ईनोडबी (4 जी) में किया जाना है। 45 साइटें नई बनाई गई साइटें हैं जहां टावर की नींव और संपूर्ण अवसंरचना के लिए सिविल, बिजली कार्य किए जाने हैं। 100 ईनॉड बी (4जी) साइट्स इन बिल्डिंग सल्यूशन (आईबीएस) में है और 74 ईनॉड बी (4जी) साइट्स डिजीटल मोबाइल रिले रेडियो (डीएमआरआर) वाहन हैं तथा ये 7000 एमएचजैड फ्रिक्वेंसी पर परिचालन करती हैं।

इस परियोजना में आरएएन साइट को बैकहॉल नेटवर्क से क्नेक्ट करने के लिए सहायक उपकरणों सहित 200 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल की आपूर्ति और बिछाए जाने के कार्य शामिल है।

वर्तमान में, आई एवं सी दोनों कोर लोकेशन और चार एक्सेस लोकेशन पर संस्थापन एवं कमीशनिंग पूरी हो चुकी है तथा 4जी एवं 5जी सेवाओं का परीक्षण करके क्लाउड सेटअप कर लिया गया है। सुरक्षा समाधान प्रगति पर है तथा एएफएनईटी टीम के साथ नीति कार्यान्वयन कार्य किए जा रहे हैं। कोर और एक्सेस लोकेशन पर एटी के कार्य प्रगति पर है।

अब तक, 469 ईनोडबी/जीनोडबी में से 270 आरएएन साइट्स स्थापित की जा चुकी हैं एवं 229 आरएएन साइट्स ऑन एयर हैं। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की आरएएन साइट्स की एटी की जा रही है।

ख. एफसीआई (आईएएफ-1) परियोजना: परिचालन एप्लीकेशन प्रणाली का उन्नयन

भारतीय वायुसेना के लिए आईटीआई द्वारा परिचालन एप्लीकेशन प्रणाली के उन्नयन की एक टर्नकी परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसमें 05 (पांच) स्थानों (दिल्ली, मुंबई, बेंगलूरु, प्रयागराज तथा शिलांग) पर डेटा सेंटरों का उन्नयन हाइपर-कन्वर्ज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर (एचसीआई) तकनीक के साथ किया जाना है। इस परियोजना का मूल्य 02 (दो) साल की वारंटी के साथ 269.41 करोड़ रुपए है।

परियोजना पूरी हो गई है तथा दिनांक 01-10-2023 से इसे गो-लाइव घोषित कर दिया गया है। दिनांक 01-10-2023 से यह परियोजना से वारंटी चरण में है।

3. एनएफएस परियोजना

नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम (एनएफएस) एक समर्पित संचार नेटवर्क है। इस नेटवर्क की स्थापना नागरिक उपयोग के लिए रक्षा द्वारा खाली किए जाने वाले एयरवेव्स (स्पेक्ट्रम) के प्रति दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा रक्षा बलों के लिए की जा रही है ।

यह (एनएफएस) मेगा नेटवर्क अत्याधुनिक ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) तकनीक के साथ परिनियोजित किया जाएगा तथा यह ऑप्टिकल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ बनेगा और रक्षा क्षेत्र के लिए अत्यधिक लोचक एवं विश्वसनीय संचार मीडिया के कार्य करेगा। कार्य सम्पन्न होने के पश्चात थलसेना, नौसेना एवं वायु सेना के लिए अत्याधुनिक समर्पित ओएफसी नेटवर्क से बेहतर वॉयस एवं डेटा संचार हो सकेगा जिससे मातृभूमि की सुरक्षा प्रबल बनेगी।

यह नेटवर्क अत्यधिक लचीला है और विशेष रूप से यह राष्ट्रव्यापी ऑप्टिकल की बैकबोन है जिसमें कुल 57,015 किमी को कवर करने वाले ओएफसी मार्ग है। नेटवर्क 414 रक्षा स्थलों तथा एस्सेस नेटवर्क (यथा, 219 थलसेना स्टेशन, 33 नौसेना स्टेशन तथा 162 वायु सेना स्टेशन) परस्पर सम्बद्ध करेगा। पीआईसीजी की उत्पति रक्षा मंत्रालय की ओर से इस परियोजना की योजना, परिचालन एवं अनुरक्षण आवश्यकताओं के लिए की गई है।

रक्षा की एनएफएस परियोजना लगभग 57,015 किलोमीटर ओएफसी मार्ग की है जिसे सात पैकेजों (ए,बी,सी,डी,ई,एफ तथा जी) में विभाजित किया गया है। बीएसएनएल, जो भारत की रक्षा एनएफएस (नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम) ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी है, ने सभी सात

पैकेजों के लिए क्रयादेश दिए हैं। सात पैकेजों में से, बीएसएनएल ने पैकेज-एफ और पैकेज-जी के लिए आईटीआई लिमिटेड को क्रयादेश जारी किए हैं। आईटीआई लिमिटेड रायबरेली को पैकेज-जी आवंटित किया गया है। इस पैकेज के लिए, आईटीआई लिमिटेड पर बीएसएनएल क्रयादेश मूल्य 1267.30 करोड़ रुपए (सामग्री + सेवाएँ) + 550.56 करोड़ रुपए (नेटवर्क बिछाए जाने के बाद अनुरक्षण के लिए 7 वर्ष की एएमसी) है, जिसके अंतर्गत 7518 किलोमीटर ओएफसी बिछाई जानी शामिल है।

पीकेजी-एफ : आईटीआई लिमिटेड मनकापुर को पैकेज-एफ आवंटित किया गया है। इस पैकेज के लिए, आईटीआई लिमिटेड के लिए बीएसएनएल के क्रयादेश का मूल्य 915.75 करोड़ रुपए (सामग्री + सेवाएं + बहाली सेवाएं) + 322.47 करोड़ (नेटवर्क अनुरक्षण के लिए 7 वर्ष की एएमसी) है, जिसमें 102 लिंक के लिए 5791 किलोमीटर ओएफसी बिछाना शामिल है। पैकेज-एफ में 102 लिंक में से 98 लिंक चालू हैं तथा चालू वित्त वर्ष 23-24 के दौरान पैकेज एफ के लिए टर्नओवर 14.7190 करोड़ रुपए है और इस वित्त वर्ष में बुक किया गया बिल न किया गया टर्नओवर 21.4615 करोड़ रुपए है।

पीकेजी-जी: आज तक 110 लिंक में से 103 लिंक का निष्पादन पूरा हो चुका है, तथा वित्त वर्ष 23-24 (जीएसटी सहित) के दौरान पैकेज जी की टर्नओवर 24.75 करोड़ रुपए है।

ङ) एयरटेल एनएलडी उड़ीसा:

एयरटेल से आईटीआई को 824 किलोमीटर तक एनएलडी बैकबोन के लिए ओएफसी बिछाने, ट्रेंचिंग और खुदाई कार्य के लिए 26.73 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्राप्त हुआ है। सभी कार्य सफलतापूर्वक निष्पादित कर लिए गए हैं और 738.94 किलोमीटर के लिए एटी सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया है। 23.68 करोड़ रुपए की बिलिंग की गई है। शेष किलोमीटर के लिए एटी कार्य प्रगति पर है।

च) यूएसओएफ परियोजना:

आईटीआई लिमिटेड ई-बैंड और 4जी/एलटीई-आधारित समाधानों के उपयोग से स्वदेशी में विकसित तकनीक के निष्पादन के उद्देश्य से यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) के अंतर्गत भारतनेट के उपयोग के लिए कर्नाटक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पायलट परियोजना चला रहा है। इस पायलट प्रोजेक्ट का उद्देश्य निजी क्षेत्र, शैक्षणिक और अनुसंधान वर्ग के लिए निजी सेक्टर के नवोपायों एवं रणनीति से प्राप्त लाभों का दोहन तथा भारतनेट के उपयोग से नागरिकों को बेहतर उपयोग और बेहतर सेवा का वितरण करना है। आईटीआई को यूएसओएफ से 39.84 करोड़ रुपए (जीएसटी के अलावा) का कार्य आदेश मिला है।

विपणन सेवाएं एवं परियोजनाएं (एमएसपी)

निगमित विपणन की वर्ष 2023-24 की कुल टर्नओवर 597.06 करोड़ रुपए थी।

एमएसपी वार टर्नओवर का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

एमएसपी दिल्ली तथा चंडीगढ़

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान हासिल कुल निष्पादन 80.34 करोड़ रुपए है।

प्रमुख परियोजनाएं:

- एकीकृत विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली – गुवाहाटी विश्वविद्यालय, 8.89 करोड़ रुपए
- ई-निविदा, 8.72 करोड़ रुपए
- एकीकृत विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली (आईयूएमएस)- सीआरएसयू जिन्द, 4.47 करोड़ रुपए
- एन्टी डीडीओएस – बीएसएनएल, 4.64 करोड़ रुपए
- राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, 3.39 करोड़ रुपए
- आईयूएसएम – गुरूग्राम यूनिवर्सिटी, 3.32 करोड़ रुपए
- आईयूएसएम – मॉ शकुम्बरी यूनिवर्सिटी, 2.99 करोड़ रुपए
- आईयूएमएस – एमएसएम एचपीयू, 2.12 करोड़ रुपए
- लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (अध्ययन प्रबंधन प्रणाली) 5.1 करोड़ रुपए
- आईटीआई डेटा सेन्टर में हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के साथ डीआर स्थल की स्थापना, 2.18 करोड़ रुपए
- डेटा सेन्टर में महत्वपूर्ण हार्डवेयर की स्थापना, 1.25 करोड़ रुपए

एमएसपी लखनऊ

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल हासिल निष्पादन : 62.99 करोड़ रुपए:

प्रमुख परियोजनाएं:

- कम्बल, छाता एवं सेनिटरी नेपकिन की आपूर्ति – यूकेबीओसीडब्ल्यू, 30 करोड़ रुपए
- कामगारों के पंजीकरण के लिए कामगार सुविधा केन्द्र की स्थापना एवं क्रियाशीलता के लिए हार्डवेयर / साफ्टवेयर की आपूर्ति, 9.60 करोड़ रुपए
- ई-श्रम पोर्टल के अंतर्गत पंजीकृत असंगठित कामगारों का सत्यापन, 7 करोड़ रुपए
- यूएलबी कानपुर के लिए जीआईएस आधारित मैप एवं सम्पति सर्वेक्षण तथा सूचना प्रणाली का संवर्धन, 5.65 करोड़ रुपए
- उच्च न्यायालय एएलबी-चरण-II, 2.98 करोड़ रुपए
- वन विकास निगम प्रबंधन प्रणाली, 2.40 करोड़ रुपए
- फायरवाल – आईआईटी पटना, 2.70 करोड़ रुपए

एमएसपी हैदराबाद

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त कुल निष्पादन : 2.06 करोड़ रुपए

प्रमुख परियोजनाएं:

- सीसीएमएस बॉक्स की आपूर्ति, स्थापना एवं कमीशनिंग – एनर्जी एफिशियेंसी सर्विसेज लिमिटेड, 0.74 करोड़ रुपए
- बीबीएनएमएस – बीएसएनएल – 0.55 करोड़ रुपए
- कॉल सेन्टर सर्विस – आंध्र प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण, 0.32 करोड़ रुपए

एमएसपी मुम्बई

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान हासिल कुल निष्पादन : 289.05 करोड़ रुपए

प्रमुख परियोजनाएं:

- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन – 102.74 करोड़ रुपए
- विद्यालयों के लिए चारदीवारी – महाराष्ट्र सरकार, 94.45 करोड़ रुपए
- सुविधा प्रबंधन प्रणाली – महा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेल्फेयर बोर्ड, 30.83 करोड़ रुपए
- एलईडी डिस्पले एवं सीसीटीवी – गुजरात इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, 28.14 करोड़ रुपए
- एसआईटीसी, बाह्य विविध सिविल कार्यों के साथ आईटी क्नेक्टिविटी की प्रोग्रामिंग – बीएमसी, 11 करोड़ रुपए
- जियो फेंसिंग ठाणे एवं नागपुर – 6.18 करोड़ रुपए
- पीएसीएस – नाबार्ड का कम्प्यूटराइजेशन, 4.45 करोड़ रुपए
- एचडीपीई डक्ट – एक्सेंट टैक सर्विसेज लिमिटेड, 3.7 करोड़ रुपए
- साइबर प्रयोगशाला – महाराष्ट्र स्टेट स्किल्स यूनिवर्सिटी, 3.6 करोड़ रुपए

एमएसपी, कोलकाता

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किया गया कुल निष्पादन : 37.13 करोड़ रुपए

प्रमुख परियोजनाएं:

- मिजोरम सरकार के लिए आईएफएमआई समाधान का डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण, 8.79 करोड़ रुपए

- ❖ स्मार्ट (स्वास्थ्य) कार्ड्स – 6.45 करोड़ रुपए
- ❖ भर्ती परीक्षा (ओएमआर) – ओडिशा फायर एंड एमर्जेंसी सर्विस– 4 करोड़ रुपए
- ❖ भर्ती परीक्षा (ओएमआर) – ओडिशा पुलिस, 4.20 करोड़ रुपए
- ❖ आईपी आधारित सीसीटीवी निगरानी – आईओसीएल नार्थ ईस्ट (पूर्वोत्तर), 3.33 करोड़ रुपए
- ❖ जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली – मध्य प्रदेश राज्य चुनाव, 2.93 करोड़ रुपए
- ❖ विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन – बी एन मंडल यूनिवर्सिटी, माधेपुरा, 1.77 करोड़ रुपए
- ❖ वीएसएटी टर्मिनल की स्थापना – 1.65 करोड़ रुपए
- ❖ यूएलबी चुनाव की वेब कास्टिंग – 1.33 करोड़ रुपए

एमएसपी चेन्नै

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान हासिल कुल निष्पादन : 12.44 करोड़ रुपए

प्रमुख परियोजनाएं:

- ❖ वीएसएस वर्क्स – दक्षिण रेलवे चेन्नै, 5.3 करोड़ रुपए
- ❖ आईटी आपूर्ति एवं समाधान – तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, 2.56 करोड़ रुपए
- ❖ बैंकों के लिए आधार सेवाएं – 2.14 करोड़ रुपए
- ❖ एसएमपीएस मरम्मत – बीएसएनएल एसएसए 0.72 करोड़ रुपए
- ❖ आईबीएस सेवाएं – वोडाफोन तथा एयरटेल, 0.46 करोड़ रुपए

एमएसपी बेंगलूरु

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल निष्पादन : 113.04 करोड़ रुपए

प्रमुख परियोजनाएं:

- ❖ विडियो कांफ्रेंसिंग – ओडिशा कम्प्युटर एप्पलीकेशन सेन्टर, 91.2 करोड़ रुपए
- ❖ बीएनजी आरपीओपी चरण I – बीएसएनएल, 5.4 करोड़ रुपए
- ❖ आईटीएमएस चरण I तथा II, ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 3.81 करोड़ रुपए
- ❖ आईटीएमएस चरण III – ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 2.67 करोड़ रुपए
- ❖ ओएफसी बिछाना, 1,2 तथा 3 – दक्षिण रेलवे, 3.53 करोड़ रुपए
- ❖ ई-निविदा, 2.5 करोड़ रुपए
- ❖ ओएफसी कार्य – टीपीसीओडीएल, 1.44 करोड़ रुपए

कॉर्पोरेट विपणन द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान किए गए प्रयास:

1. ईवीएम, ई-नॉड-बी, 4जी आरएएन के लिए उद्यम समाधान जैसे आईटीआई उत्पादों के लिए संभावित ग्राहकों को प्रस्तुत प्रस्ताव
2. अनुसंधान एवं विकास की सहायता से 11 राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालयों में ईवीएम के लिए डेमो प्रस्तुत किए तथा निवेदित दरें प्रस्तुत कीं।
3. एलटीई 4जी आरएएन के ट्रॉयल के संबंध में आरडीएसओ की रूचि अभिव्यक्ति (ईओआई) में प्रतिभागिता की तथा आरडीएसओ से एससीआर के 500 आरकेएम में 4जी एलटीई-आर प्रणालियों (लगभग 33 केएम प्रत्येक के दो खंड) के ट्रॉयल के लिए ईनॉडबी प्रस्ताव की प्राप्ति की । एक खंड का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है।
4. संबंधित एमएसपी एवं यूनिटों के लिए निविदा सर्चिंग एवं निविदाओं का आबंटन
5. विभिन्न वर्गों में लगभग 100 विक्रेताओं को पैनलबद्ध किया गया है।
6. प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता:
   - क. कंवर्जेस इंडिया एक्सपो 2024, दिल्ली
   - ख. बेंगलूरु टैक सम्मिट 2023
   - ग. इंडिया मोबाइल कांग्रेस, 2023, दिल्ली
   - घ. इंटरनेशनल टेलीकॉम एक्सपो, 2023, दिल्ली
   - ङ. ब्रॉडबैंड पब्लिक प्रोटेक्शन एंड डिजास्टर रिलिफ (ब्रॉडबैंड लोक सुरक्षा एवं आपदा सहायता) के विषय पर आयोजित सम्मेलन सह प्रदर्शनी , (बीबी-पीपीडीआर), 2024, दिल्ली
   - च. भारत टेलीकॉम एक्सपो 2024, दिल्ली
7. वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से निम्नलिखित परियोजनाओं / उत्पादों के संबंध में सभी एमएसपी के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया था:
   - एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली, वाहन ट्रैकिंग प्रणाली, सीसीटीवी निगरानी, स्मार्ट कक्षा, वर्चुअल प्रयोगशाला, एलईडी डिस्पले प्रणाली, एसडीडब्ल्यूएएन, सामुद्रिक बंदरगाहों के लिए नेटवर्किंग एवं परिधि सुरक्षा

समझौता ज्ञापन (एमओयू) रेटिंग

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी की रेटिंग 25.50 के समग्र स्कोर के साथ "खराब" आंकी गई है। 28 जून 2023 को आयोजित अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की बैठक में आईएमसी ने आईटीआई लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से छूट दिए जाने की सिफारिश की है।

भविष्य के प्रति अभिमुखता

कंपनी द्वारा टर्नओवर में बढ़ोतरी तथा पुनरूद्धार योजना के कार्यान्वयन के लिए अनेक पहल की गई हैं / परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं।

एसडी-डब्ल्यूएएन (सॉफ्टवेयर डिफाइन्ड वाइड एरिया नेटवर्क) समाधान

वर्ष 2022 से 2032 तक सॉफ्टवेयर-डिफाइन्ड वाइड एरिया नेटवर्क बाजार 31.6% की सीएजीआर रिकार्ड करने के लिए तैयार है। सॉफ्टवेयर-डिफाइन्ड वाइड एरिया नेटवर्क बाजार में वर्ष 2022 से वर्ष 2032 तक 3.4 बिलियन अमेरिकी डालर तक 53.8 बिलियन अमेरिकी की प्राप्ति की संभावनाएं व्याप्त है। मोबिलिटी सेवाओं की बढ़ती मांग सहित एसडी-डब्ल्यूएएन के साथ ओपीईएक्स को कम करने पर दिए जा रहे अधिक जो सॉफ्टवेयर-डिफाइन्ड वाइड एरिया नेटवर्क (एसडी-डब्ल्यूएएन) बाजार की अत्यधिक वृद्धि की संभावना है।

आईटीआई द्वारा एसडीडब्ल्यूएएन उत्पादों तथा समाधानों के निर्माण के लिए उपयुक्त भागीदार के चयन की प्रक्रिया की जा रही है। भागीदार से आईटीआई को उत्पादन लाइनों की स्थापना, डिजाइन, निर्माण और ग्राहकों के लिए एसडीडब्ल्यूएएन समाधानों का परीक्षण करने के लिए सहायता प्राप्त होगी । आईटीआई में पूर्ण एसडी-डब्ल्यूएएन समाधान के विनिर्माण तथा समाधान की अवसंरचना की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए का पूंजीगत निवेश किया जाना प्रस्तावित है।

5जी परीक्षण प्रयोगशाला

आईटीआई के बेंगलूरु संयंत्र में 5जी निजी नेटवर्क समाधान के कार्यान्वयन के लिए आईटीआई ने अपने प्रौद्योगिकी भागीदारों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। आईटीआई द्वारा 5जी कोर एवं प्रमुख उत्पादों का अनुकूलता परीक्षण एकीकृत करने के लिए बेंगलूरु के अपने अनुसंधान एवं विकास विभाग में 5जी परीक्षण प्रयोगशाला के कार्यान्वयन की प्रक्रिया की जा रही है। इससे निजी 5जी परिनियोजन में आईटीआई के लिए 5जी प्रणाली एकीकरण कौशल में वृद्धि होगी और नए ग्राहकों को निजी 5जी प्रयोगशाला का प्रदर्शन भी होगा। इसी तरह के उपयोग के मामले और परीक्षण सेटअप सरकारी संस्थानों के लिए भी नए व्यावसायिक अवसरों के रूप में तैनात किए जा सकते हैं। आईटीआई अपने भागीदार के सहयोग से एक साथ मिलकर इन अवसरों की खोज कर रहा है। 5जी प्रयोगशाला की स्थापना का उपयोग आईओटी, ड्रोन, वीडियो एनालिटिक्स, एआर/वीआर, रोबोटिक्स कॉन्फ़िगरेशन तथा 5जी तकनीक पर आधारित परिचालनों की प्रस्तुति के लिए किया जाएगा।

आईटीआई में 5जी परीक्षण प्रयोगशाला की इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश प्रस्तावित है।

स्मार्ट एनर्जी मीटर

विविधीकरण की अपनी रणनीति के अंतर्गत आईटीआई ने स्मार्ट एनर्जी मीटर निर्माण क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किए हैं जिसके अंतर्गत पुराने एनर्जी मीटरों के स्थान पर स्मार्ट एनर्जी मीटरों का प्रतिस्थापन किया जाना है। ये मीटर ऊर्जा खपत रिकार्ड करते हैं तथा इनमें डेटा संग्रहण एवं इनमें आवश्यकता पड़ने पर पुन: डेटा प्राप्ति की सुविधा है। मीटर तथा केन्द्रीय सिस्टम के बीच ये मीटर दो तरफा संचार करते हैं। आईटीआई लिमिटेड ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के आदेश के प्रति उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा डिस्कॉम के लिए आईएस 16444 तकनीकी विनिर्देशों की अनुरूपता वाले 91000 स्मार्ट एनर्जी मीटर की आपूर्ति की है। सिंगल

फेज स्मार्ट एनर्जी मीटर को आईएस 16444 तकनीकी विनिर्देशों की अनुरूपता का टाइप अनुमोदन तथा बीआईएस प्रमाणन प्राप्त हुआ है। आईटीआई पालक्काड संयंत्र में स्मार्ट एनर्जी मीटर के केलिब्रेशन और परीक्षण के लिए थोक विनिर्माण अवसंरचना एवं संबंधित सुविधाएं हैं। स्मार्ट एनर्जी मीटर की केलिब्रेशन प्रयोगशाला के लिए आईएसओ 17025: 2017 मानकों की अनुरूपता की मान्यता प्राप्त हुई है।

आईटीआई की अनुसंधान एवं विकास यूनिट ने 3जी/4जी/एनबी-आईओटी संचार मॉड्यूल के साथ सिंगल फेज स्मार्ट एनर्जी मीटर विकसित किया है, जिसमें टैम्परिंग और जालसाजी का पता लगाने की क्षमता है। आईटीआई स्मार्ट एनर्जी मीटर के प्रोटोटाइप का विकास हो चुका है तथा परीक्षण किए जा रहे हैं। आईटीआई द्वारा बाजार की भारी मांग की पूर्ति के लिए और अधिक प्रौद्योगिकी भागीदारों को जोड़ने की प्रक्रिया की जा रही है।

मल्टीपोस्ट ईवीएम का निर्माण:

आईटीआई द्वारा एसईसी/टीईसी के विनिर्देशों तथा राज्य चुनाव आयुक्तों (एसईसी) की स्थायी समिति द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुरूप मल्टीपोस्ट (एस3-ईवीएम) का विकास किया गया है। मल्टीपोस्ट ईवीएम का उपयोग ग्राम पंचायत, नगर निगम अथवा किसी भी संस्थान के स्थानीय निकाय चुनाव निष्पक्ष रूप से करवाने के लिए कर सकते हैं। एसईसी द्वारा आईटीआई को राज्य चुनाव आयोग की आवश्यकताओं के आधार पर ईवीएम की आपूर्ति के लिए प्राधिकृत किया गया है। 13 राज्य चुनाव आयोगों के लिए मल्टीपोस्ट ईवीएम के डेमो प्रस्तुति की प्रक्रिया पूरी हो गई है तथा शेष राज्य चुनाव आयोगों के संबंध में डेमो प्रक्रिया की जा रही है। राज्य चुनाव आयोग, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को निवेदित दरें (कोटेशन) प्रस्तुत की गई हैं। यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है तथा यह विचाराधीन एक राष्ट्र एक चुनाव एजेंडे के लिए भी विचार में ली जा सकती है।

डिजिटल मोबाइल रेडियो का विनिर्माण (डीएमआर)

प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत आईटीआई द्वारा वीएचएफ एवं यूएचएफ बैंड में डिजीटल मोबाइल रेडिया का विकास किया गया है। इन रेडियो का विकास मोटोरोला/केनवुड रेडियो सेट के अतिरिक्त बेस स्टेशन और रिपीटर स्टेशनों के साथ किया गया है तथा वर्तमान में आयात किए जा रहे हैं। सशस्त्र बलों, सीएपीएफ, रेलवे तथा सरकारी एजेंसियों के अन्य अनेक संस्थानों द्वारा इन डिजीटल रेडियो का व्यापक उपयोग किया जाएगा। रेडियो सेट में सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग के लिए आवश्यक एसएजी स्वीकृत ग्रेड 4 भी होगा। भारतीय रेलवे के लिए आईटीआई ने वीएचएफ डिजीटल मोबाइल रेडियो हैंड हेल्ड का डेमो पूरा कर लिया है तथा ग्राहक द्वारा व्यक्त प्रेक्षण के अनुसार उन्नयन कार्य प्रगति पर है।

500 मेगावाट मोनो क्रिस्टलीय (पीईआरसी) सौर मॉड्यूल विनिर्माण सुविधा का कार्यान्वयन

सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना स्वदेशी सौर पीवी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने की है। वर्ष 2020 में, भारत ने उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल में गीगा वाट स्केल की विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के उद्देश्य से 'उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के राष्ट्रीय कार्यक्रम' को अंगीकार किया था। मिशन का उद्देश्य भारत में उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के विनिर्माण को बढ़ावा देकर अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में आयात निर्भरता कम करना है।

पिछले पांच वर्षों में, भारत ने सौर विनिर्माण में काफी अच्छी प्रगति की है। सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता 2016 में 5.8 गीगावाट से काफी अधिक बढ़कर दिसंबर 2022 में लगभग 39 गीगावाट हो गई है तथा यह संभावना है कि वर्ष 2026 तक आगे और बढ़कर यह 110 गीगावाट हो जाएगी।

उच्च दक्षता एवं न्यून बिजली क्षरण के लाभ के परिणामस्वरूप मोनो पीईआरसी सौर सेल प्रौद्योगिकी से निर्मित मोनो क्रिस्टलीय सौर मॉड्यूल का व्यापक उपयोग सौर परियोजनाओं, आवासीय उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, पीईआरसी सौर पैनलों का उपयोग नियमित छत फोटो-वोल्टाइक, ईवी सौर छत चार्जर एवं सौर शेड के रूप में तथा एकीकृत फोटो-वोल्टाइक (बीआईपीवी), वाटर सरफेस बिजली स्टेशन एवं अन्य अनेक के संबंध में भी किया जा सकता है।

आईटीआई द्वारा 500 मेगावाट सौर मॉड्यूल इन-हाउस विनिर्माण सुविधा का कार्यान्वयन उच्च दक्षता वाले मोनो क्रिस्टलीय सौर सेल के साथ करने की योजना बनाई जा रही है जिसके लिए वर्ष 2024-25 में 80 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।

4जी आरएएन विनिर्माण

आईटीआई लिमिटेड को पश्चिम क्षेत्र के रिजर्वेशन कोटा (आरक्यू) आर्डर के अंतर्गत बीएसएनएल से 4जी रोलआउट के लिए 2421.49 करोड़ रुपए का क्रयादेश (पीओ) प्राप्त हुआ है। कार्य स्कोप में बीएसएनएल नेटवर्क के पश्चिम क्षेत्र में 23,633 स्थलों के लिए 4जी मोबाइल नेटवर्क की योजना, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग, एकीकरण तथा वार्षिक अनुरक्षण के कार्य किए जाने हैं। आईटीआई ने 4जी एवं भविष्य के प्रौद्योगिकी उत्पादों का विनिर्माण करने के लिए अपनी अवसंरचना का उन्नयन किया है। वर्तमान में आईटीआई द्वारा बीएसएनएल रिजर्वेशन कोट ऑर्डर के अंतर्गति आपूर्ति के लिए रिमोट रेडियो यूनिट (आरआरयू), बीबीयू (बेस बैंड यूनिट) तथा ओडीसी (आउटडोर केबिनेट) के निर्माण की प्रक्रिया की जा रही है।

इसके अलावा, आईटीआई द्वारा बीएसएनएल नेटवर्क के लिए तैयार किए जाने वाले 4जी एलटीई आरएएन के विनिर्माण के उद्देश्य से सी-डॉट के साथ प्रौद्योगिकी अंतरण की व्यवस्था भी की गई है। आईटीआई को बीएसएनएल से स्वदेशी 4जी और 5जी आरएएन के तकनीकी परीक्षणों के लिए क्रयादेश प्राप्त हुआ है। जुलाई 2024 तक पीओसी के कार्य पूरा होने की संभावना है। आईटीआई द्वारा रेलवे, सिकंदराबाद के लिए भी बैंड 28 4जी आरएएन के लिए पीओसी की प्रक्रिया की जा रही है तथा यह प्रगति पर है। 4जी आरएएन के निर्यात के अवसरों का भी अंवेषण आईटीआई द्वारा किया जा रहा है।

मल्टी सर्विस प्लेटफॉर्म (एमएसपी)/सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर (एसओसी):

आईटीआई ने बेंगलूरु में स्थित आईटीआई डेटा सेंटर में मल्टी सर्विस प्लेटफॉर्म/सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर (एसओसी) की स्थापना के उद्देश्य से टाटा कम्युनिकेशंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विभिन्न ग्राहकों को उनकी नेटवर्क सुरक्षा अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न आईटी और सुरक्षा सेवाएं जैसे पहचान एक्सेस प्रबंधन, ईमेल सुरक्षा, डेटा हानि रोकथाम, डिस्ट्रीब्यूटिड डिनायल ऑफ सर्विस (डीडीओएस) के शमन, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, एंडपॉइंट प्रोटेक्शन, डिटेक्शन एंड रेमेडिएशन, एसआईईएम (सिक्योरिटी इंसिडेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट) तथा थ्रेट इंटेलिजेंस एंड एडवाइजरी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। मल्टीसर्विस प्लेटफॉर्म/सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर (एसओसी) का कार्यान्वयन पूरा हो चुका है तथा यह ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार है। आईटीआई को दिनांक 11.01.2023 को बीएसएनएल से एसईसीएएस समाधान प्रदाता के रूप में राष्ट्रीय स्तर के सिस्टम इंटीग्रेटर के पैनल का पत्र प्राप्त हुआ है।

कंपनी द्वारा की गई प्रमुख अनुसंधान एवं विकास पहल:

इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार के क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकों के साथ विनिर्माण और तालमेल के लिए बेंगलूरु संयंत्र में स्थित अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) द्वारा संचार उपकरण के डिजाइन एवं विकास की प्रक्रिया की जा रही है। अनुसंधान एवं विकास का प्रमुख शक्ति बल संचार नेटवर्क की सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन सिस्टम के डिजाइन एवं विकास के साथ साथ नेटवर्क समाधान और ईवीएम, डीएमआर, एसईएम आदि जैसे अन्य विविध उत्पादों के विकास क्षेत्र में भी है। डिजाइन एवं विकास में सहायता के लिए आवश्यक अवसंरचना परीक्षण उपकरण, सॉफ्टवेयर डिजाइन टूल्स, सीएडी डिजाइन टूल्स, विश्वसनीयता (रिलायबिलिटी) प्रयोगशाला, ईएमआई/ईएमसी परीक्षण प्रयोगशाला और दूरसंचार परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में उपलब्ध है।

अनुसंधान एवं विकास द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित परियोजनाओं के विकास/ उन्नयन/ प्रारंभिक फील्ड परीक्षण/ प्रशिक्षण से संबंधित कार्य किए गए थे।

2023-24 के दौरान प्रारंभ की गई परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:

- पीएमओ-डीसीएन, वायु सेना, पूर्वी कमान, आईटीबीपी, आईबी-गृह मंत्रालय आदि जैसे रक्षा और अर्धसैनिक बलों के लिए एन्क्रिप्शन प्रणाली। (जारी)
- संचार नेटवर्क के लिए नेटवर्क समाधान; एनएफएस एवं एस्कॉन पी4 (जारी)
- एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम का विकास। (अतिरिक्त एल्गोरिदम विकसित किए जा रहे हैं)
- स्वामित्व वाले एल्गोरिदम के साथ क्रिप्टो उत्पादों के लिए सीपीसी अनुमोदन की प्राप्ति करना (जारी)
- रक्षा को आपूर्ति की गई लिगेसी सिक्रेसी उत्पादों तथा निष्पादित नेटवर्क के लिए सपोर्ट (जारी)
- बिजली आपूर्ति मॉड्यूल का डिजाइन एवं विकास (जारी)
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) (प्रोटोटाइप विकास पूरा हो चुका है तथा भारत के 13 राज्यों के राज्य चुनाव आयुक्तों के सम्मुख डेमो किया जा चुका है । ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार इसमें सुधार किए जाने हैं)।
- डिजिटल मोबाइल रेडियो (डीएमआर) प्रणाली (वीएचएफ/यूएचएफ हैंडहेल्ड, बेस स्टेशन और रिपीटर के साथ-साथ एनएमएस प्रोटोटाइप का विकास तथा फाइन ट्यूनिंग प्रक्रिया की जा रही है)
- स्मार्ट एनर्जी मीटर (एसईएम) (प्रोटोटाइप विकास पूरा हो चुका है तथा परीक्षण किए जा रहे हैं)

- एकीकृत टीईएसडी (टीईएसडी का उन्नयन) (प्रोटोटाइप विकास अंतिम चरण में है)
- वीएचपी (बहुमुखी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म) (प्रोटोटाइप विकास प्रगति पर है)
- थलसेना के लिए एफसीई (फील्ड सिफर उपकरण) एमके II (प्रोटोटाइप विकास प्रगति पर है)
- पूर्वी कमान (थलसेना) के लिए ई1 एन्क्रिप्टर (उपकरण की आपूर्ति की गई है तथा एसएजी के साथ एल्गोरिदम का मूल्यांकन किया जा रहा है)
- एचएफ मैन-पैक (एसडीआर) की शुरुआत (प्रारंभिक अध्ययन चरण)।
- पीएमओ-डीसीएन की अपेक्षा के अनुसार एनक्रिप्शन प्रणाली एनजीएन/फ्लैक्सी ईडीयू-आईपी के डिजाइन एवं विकास के कार्य प्रारम्भ किए गए हैं।

स्मॉश पीसी तथा लैपटॉप:

आईटीआई के स्मॉश ब्रांड के मिनी पीसी में अद्यन प्रोस्सेसर को शामिल करके प्रौद्योगिकी उन्नयन करने से बाजार पकड़ मजबूत हुई है। छोटे आकार के ये कम्प्यूटर ऊर्जा कौशल के लिए जाने जाते हैं तथा इनमें स्मार्ट पावर स्टेशन होता है जो यूपीएस के कार्य करता है। इसके लिए सौर एवं ग्रिड से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। नवोपाय युक्त यह मिश्रण ग्रिड से प्राप्त होने वाली बिजली का उपयोग कम करता है और इससे ऊर्जा की काफी बचत होती है। इसके अलावा, इन डिवायसों के लिए सीई,एफसीसी,आरओएचएस, बीआई एवं एनर्जी स्टार जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन प्राप्त हैं।

मिनी पीसी के अलावा, पालक्काड संयंत्र इस उत्पाद से संबंधित अनेक टर्नकी समाधान प्रदान कर रहा है जिनमें स्कूलों और विश्वविद्यालयों के लिए स्मार्ट कक्षा, एचसीआई (मानव-कंप्यूटर अन्योन्यक्रियाएं) समाधान और विश्वविद्यालयों के लिए छात्र जीवनचक्र प्रबंधन प्रणाली।

आईटीआई ने लैपटाप के निर्माण तथा विपणन के क्षेत्र में उद्यम करके जीईएम पोर्टल पर आईटीआईबी14एलआई5/आईटीआईबी15एलआई5 नामक दो मॉडल होस्ट किए हैं। ये दोनों मॉडल बीआईएस, आरओएचएस, सीई, बीईई तथा एफसीसी से विधिवत प्रमाणन प्राप्त हैं।

आईटीआई लिमिटेड, पालक्काड इकाई को केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन (केआईटीई), केरल स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (केएसईडीसी) तथा अन्यों से 9500 से अधिक आईटीआई निर्मित लैपटॉप की आपूर्ति के लिए क्रयादेश प्राप्त हुए हैं।

डेटा सेंटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसाय:

आईटीआई बेंगलूरु यूनिट ने 1000 रैक की और अधिक क्षमता के साथ अपने डेटा सेन्टर का विस्तार किया है। आईटीआई डेटा सेन्टर इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में क्लाउड सेवा प्रदात्ता के रूप में पैनलबद्ध है तथा सरकारी कम्युनिटी क्लाउड (जीसीसी) (केज्ड सेवाओं), सार्वजनिक क्लाउड एवं निजी क्लाउड सहित मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) द्वारा ऑडिट किया गया है। डेटा सेन्टर की फेसिल्टी के लिए टियर III प्रमाणन यथा एएनएसआई/टीआई-942-बी प्रमाणन प्राप्त है। टीआईए-942 प्रमाणन कार्यक्रम के अंतर्गत विचार में लिए जाने वाले डेटा केन्द्रों का प्रमाणन विश्व भर में स्वीकृत एएनएसआई/टीआईए-942 मानक की अपेक्षाओं के अनुरूप होता है जिससे वे ग्राहकों तथा स्टेकधारकों बेहतर आश्वासन प्रदान कर पाते हैं। आईटीआई डेटा सेंटर के लिए सीएमएमआई लेवल 3 प्रमाणन, विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आईएसओ 20000-1:2011, आईएसओ 27001:2013, आईएसओ 27017: 2015 एवं आईएसओ 27018:2019 जैसे प्रमाणन प्राप्त हैं।

आईटीआई डेटा सेंटर में हाई डेनसिटी होस्टिंग सेवाओं, क्लाउड सेवाओं, प्रबंधित सुरक्षा सेवाओं, ऑन डिमांड सेवाओं, व्यावसायिक सेवाओं, सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी) और प्रबंधित सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं सहित सेवा पोर्टफोलियो की विस्तृत सीरिज प्रदान करने की क्षमता है।

दूरसंचार परीक्षण प्रयोगशाला:

दूरसंचार विभाग द्वारा दूरसंचार उपकरण (एमटीसीटीई) के अनिवार्य परीक्षण एवं प्रमाणन के संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में सभी दूरसंचार उपकरणों का भारत में बिक्री, आयात अथवा उपयोग से पूर्व अनिवार्य परीक्षण एवं प्रमाणन अनिवार्य है।

आईटीआई की ईएमसी प्रयोगशाला को पहली बार दिनांक 27.08.2021 को एनएबीएल द्वारा मान्यता प्रदान की गई है जो 26.8.2023 तक मान्य है। ईएमसी प्रयोगशाला का उन्नयन एमआईएल 461 ई/एफ/जी मानकों के अनुसार एमआईएल परीक्षण के लिए किया गया है जिससे इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में और अधिक व्यवसाय प्राप्त होने की संभावना है।

टीईसी दिल्ली से दिनांक 16.12.2024 तक मान्य सीएबी (अनुकूलता मूल्यांकन निकाय) की प्राप्ति दिनांक 17-12-2021 को होने के परिणामस्वरूप आईटीआई ईएमआई/ईएमसी प्रयोगशाला के स्तर का पदनामन तदनुसार किया गया है।

स्टार्ट-अप हब:

आईटीआई सदैव से ही राष्ट्र निर्माण एवं भारत सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन में अग्रणी रहा है। भारत सरकार के स्टार्ट-अप इंडिया मिशन में अपना योगदान देने के विजन का अनुसरण करके देश में स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के लिए आईटीआई द्वारा आईटीआई बेंगलूरु संयंत्र में चरणबद्ध स्वरूप में 1000 सीट क्षमता वाले स्टार्ट-अप हब स्थापित करने की प्रक्रिया की जा रही है। स्टार्ट-अप हब स्थापित करने का आईटीआई का विजन स्टार्ट-अप्स को एक ही छत के नीचे उपलब्ध रेपिड प्रोटो-टाइपिंग सुविधाओं के उपयोग से अपने नवोपायों को त्वरित रूप से पायलट उत्पादों के रूप में परिवर्तित करने में सहयोग प्रदान करना है। हमारा उद्देश्य सफल उत्पादों का आंतरिक उत्पादन करना एवं उनका विपणन करना है। समर्पित कॉर्पोरेट हब मीटिंग रूम, डेमो रूम, अत्यधिक सुरक्षित वाई-फाई क्नेक्टिविटी जैसी समर्पित सेवाओं से युक्त 168 सीट वाला स्टार्ट-अप हब कार्यशील है।

राजकोष में योगदान

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी द्वारा शुल्कों एवं करों के प्रति राजकोष में 140.26 करोड़ रुपए का योगदान दिया गया है।

सार्वजनिक जमा

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी द्वारा कोई जमा स्वीकार नहीं किए गए हैं। कुल 0.23 करोड़ रुपए के जमा भुगतान के लिए परिपक्व हुए हैं, परन्तु नियत तिथियों पर इनका दावा नहीं किया गया।

क्रेडिट रेटिंग

संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान यूनिट द्वारा प्राप्त प्रत्येक क्रेडिट रेटिंग एवं उसमें किए गए किसी संशोधन तथा यूनिट की सभी ऋण लिखतों अथवा किसी सावधि जमा के किसी कार्यक्रम अथवा सूचीबद्ध यूनिट की किसी योजना अथवा प्रस्तावना का विवरण, जिसमें भारत में या विदेश में निधियों का जुटाव शामिल हैं:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने बैंकों से प्राप्त कार्यशील पूंजी सुविधाओं के संबंध में निम्नलिखित क्रेडिट रेटिंग प्राप्त हुई थी:

एजेंसी का नाम	रेटिंग	कार्यशील पूंजी सीमा	रेटिंग की तिथि
आईसीआरए लिमिटेड	[आईसीआरए] बीबीबी5-: दीर्घकालिक [आईसीआरए] ए3 : अल्पकालिक	4469.50	10.03.2022
आईसीआरए लिमिटेड	[आईसीआरए] बीबीबी-: दीर्घकालिक [आईसीआरए] ए3 : अल्पकालिक	4469.50	15.05.2023
आईसीआरए लिमिटेड	[आईसीआरए] डी : दीर्घकालिक [आईसीआरए] डी : अल्पकालिक	4469.50	06.12.2023
आईसीआरए लिमिटेड	[आईसीआरए] बीबी-: दीर्घकालिक [आईसीआरए] ए4 : अल्पकालिक	4280.53	24.05.2024
एक्यूट रेटिंग एंड रिसर्च लिमिटेड	एक्यूट बीबीबी+ : दीर्घकालिक	2445.00	08.09.2022
	एक्यूट ए2 : अल्पकालिक	2024.50	
एक्यूट रेटिंग एंड रिसर्च लिमिटेड	एक्यूट बीबीबी : दीर्घकालिक	2445.00	08.06.2023
	एक्यूट ए3+ : अल्पकालिक	2024.50	
एक्यूट रेटिंग एंड रिसर्च लिमिटेड	एक्यूट सी : दीर्घकालिक	2325.00	04.12.2023
	एक्यूट डी : दीर्घकालिक	120.00	
	एक्यूट ए4 : अल्पकालिक	2024.50	
ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	बीडब्ल्यूआर बीबीबी+ : दीर्घकालिक	2445.00	03.03.2023
	बीडब्लयूआर ए2 : अल्पकालिक	2024.50	
ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	बीडब्ल्यूआर बीबी+ : दीर्घकालिक	2445.00	24.08.2023
	बीडब्ल्यूआर ए4+ : अल्पकालिक	2024.50	
ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	बीडब्ल्यूआर डी : दीर्घकालिक	2445.00	12.12.2023
	बीडब्ल्यूआर डी : अल्पकालिक	2024.50	

संयुक्त उद्यम

इंडिया सैटकॉम लिमिटेड (आईएसएल)

आईएसएल क्रिस टेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और आईटीआई का संयुक्त उद्यम है। क्रिस टेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड की आईएसएल में 51% इक्विटी भागीदारी है और शेष इक्विटी आईटीआई के पास है।

आईएसएल ने अपनी अचल संपत्ति को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के रूप में विकसित करने के लिए एक संयुक्त विकास समझौता किया है। इस परियोजना "सिलिकॉन फॉरेस्ट" का मास्टर प्लान पेई कॉब फ्रीड एंड पार्टनर्स द्वारा डिज़ाइन किया गया है, जो यूएसए के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं और इसे "आईजीबीसी कोर एंड शेल गोल्ड सर्टिफिकेशन" की रेटिंग प्राप्त करने के लिए आवश्यक विनिर्देशों के साथ डिज़ाइन किया गया है, जो एक ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग है जो पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए अनेक संवहनीय व्यवहार एवं समाधानों का संयोजन प्रस्तुत करती है। कर्नाटक सरकार, पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, बीईएससीओएम, बीडब्ल्यूएसएसबी, एचएएल और बीएसएनएल ने इस परियोजना के लिए स्वीकृति प्रदान की है। योजना की स्वीकृति के पश्चात यह परियोजना प्रारम्भ हो जाएगी।

इसके अलावा, आईएसएल ने एआई चालित साफ्टवेयर सहायता एवं एआई आधारित जालसाजी न्यूनीकरण माड्यूल्स..... आदि से अपने सॉफ्टवेयर "SatPAY" का विकास किया है, जिससे बड़े उद्यमों को ऑनलाइन भुगतान की सुविधा होगी। सक्षम प्राधिकारियों से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने के बाद, इसे विभिन्न सरकारी विभागों को उनकी ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया के लिए इसे "SaaS" मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

इन सभी परियोजनाओं से लगभग 1000 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे तथा 25,000 सॉफ्टवेयर व्यावसायिकों के लिए अवसंरचना तैयार होगी।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, आईएसएल ने कुल 2.02 करोड़ रुपए की आय हासिल की थी तथा वर्ष के दौरान प्राप्त लाभ 20.03 लाख रुपए था। 5 वर्ष की अवधि में आईएसएल की कुल संपत्ति 1,500 करोड़ रुपए से अधिक बढ़ने की सम्भावना है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की कोई कंपनी की सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी नहीं बनी है तथा न ही कोई ऐसी कंपनी बंद हुई है।

संयुक्त उद्यम कंपनी के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताएं फॉर्म एओसी-1 में इस रिपोर्ट के साथ **अनुलग्नक** -1 के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

गुणवत्ता

आईटीआई लिमिटेड गुणवत्ता के प्रति सदैव प्रतिबद्ध है तथा हमारा यह मानना है कि कि गुणवत्ता के अंतर्गत सभी क्रियाकलाप शामिल हैं।

अपनी स्थापना के प्रारम्भ काल से ही गुणवत्ता के महत्व को संज्ञान में लेकर कंपनी ने अनेक गुणवत्ता प्रक्रियाएं एवं व्यवहारों की शुरूआत की है तथा पिछले कुछ वर्षों में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों और साथ अपेक्षित अवसंरचना की स्थापना की है।

कंपनी की सभी विनिर्माण यूनिटें आईएसओ आधारित गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों अर्थात आईएसओ 9001, 10002, टीएल 9000 एवं आईएसओ 14001 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित हैं।

कंपनी द्वारा पर्यावरण परीक्षण कक्ष, उच्चतर ऊंचाई वाली परीक्षण सुविधाओं, बम्प एवं कंपनी परीक्षण सुविधाओं, इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपकरणों के लिए केलिब्रेशन सुविधाओं, ईएमआई/ईएमसी परीक्षण सुविधाओं आदि जैसी अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाओं की स्थापना के माध्यम से अपेक्षित अवसंरचना का निर्माण किया गया है। उत्पाद की विश्वसनीयता के संवर्धन के लिए उच्चतर त्वरित उपयोज्यता काल परीक्षण (एचएएलटी), उच्चतर त्वरित तनाव (स्ट्रैस) परीक्षण की स्थापना की गई है। लगभग दो प्रयोगशालाएं एनएबीएल से मान्यता प्राप्त हैं।

गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता के विभिन्न घटकों के लिए अपेक्षित क्षमता का निर्माण कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष आईएसओ के अंतर्गत आयोजित क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान करके किया गया है।

किए गए प्रयासों से कंपनी को अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त हो रहे हैं, जिनसे हमारी प्रक्रियाओं में सुधार, लागत में कमी और लाभप्रदता में सुधार, ग्राहक संतुष्टि में बढ़ोतरी एवं साख, विश्वास एवं प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त हुआ है। इस अवसंरचना के साथ-साथ कंपनी में अपेक्षित आवश्यक क्षमता एवं गुणवत्ता के प्रति अत्यधिक उच्च स्तर की जागरूकता के साथ हम भविष्य में किसी मोर्चे पर किसी प्रकार की चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं। कंपनी सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता संरक्षण की सभी विधियों एवं प्रक्रियाओं का पालन निरंतर कर रही है।

स्मार्ट एनर्जी मीटर के आईएस/आईईसी 17025:2017 के अनुपालन के लिए एनएबीएल की मान्यता प्रयोगशाला आईडी सी-1509 प्रमाणपत्र संख्या सीसी-3210 डेस्कटॉप निगरानी ऑडिट दिनांक 18.3.2024 को किया गया था जिसकी वैधता 9.3.2025 तक के लिए बढ़ाई गई है।

स्मार्ट एनर्जी मीटर के संबंध में आईएस16444:2015 के अनुपालन के लिए बीआईएस प्रमाणन पार्ट1 लाइसेंस संख्या सीएम/एल- 6400092212 दिनांक 1.12.2024 तक के लिए नवीकृत है।

आईएसओ आधारित गुंणवता प्रबंधन प्रणालियों यथा आईएसओ 9001 एवं आईएसओ 14001 पर्यावरण प्रबंधन के लिए आईटीआई बीजीपी प्रमाणन।

आईएसओ 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली:

गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली क्यूएमएस 9001-2015 पुनः प्रमाणन ऑडिट दिनांक 9, 10 तथा 11 नवंबर 2023 को बीजीपी में किया गया था जिसका संशोधित कार्य क्षेत्र नीचे दिया गया है।

कार्य क्षेत्र: "ट्रांसमिशन उपकरणों, स्विचिंग उत्पादों, एस्सेस उत्पादों, कम्प्यूटर अनुरक्षण, कम्प्यूटर नेटवर्किंग डिजाइन, विकास तथा / अथवा विनिर्माण, आपूर्ति स्थापना, कमीशनिंग एवं सर्विसिंग।

टर्मिनल उपकरण, पीसीबी, पीएलबी एचडीपीई डक्ट का डिजाइन, विकास तथा / अथवा सरफेस माउंट डिवाइस असेंबली का विनिर्माण एवं आपूर्ति"

आईएसओ 14001:2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली:

पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001:2015 का दूसरा निगरानी ऑडिट दिनांक 26 तथा 27 दिसंबर 2023 को बेंगलूरु प्लांट में आयोजित किया गया था। ऑडिट का निष्पादन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ है।

टीएसईसी (बीएसएनएल के क्यूए द्वारा जारी तकनीकी विशिष्टता मूल्यांकन प्रमाणपत्र)

- आईएसएम बैंड में रेडियो मॉडेम (टाइप ए और टाइप बी),
- स्थायी रूप से लुब्रिकेटिड एचडीपीई टेलीकॉम डक्ट्स
- कार्यकारी टेलीफोन प्रणाली (ईटीएस-04),
- ऑप्टिकल फाइबर केबल (विभिन्न प्रकार)
- फाइबर वितरण प्रबंधन प्रणाली
- क्लिप और दो तरफा स्पीकर सुविधा के साथ इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन उपकरण (टाइप ए)

बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) प्रमाणन के लिए

- स्मार्ट एनर्जी मीटर
- क्रिस्टलाइन सिलिकॉन फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल
- स्मॉश पीसी।
- लैपटॉप

"सौर पीवी मॉड्यूल" **के लिए आईईसी (इंटरनेशनल इलेक्ट्रो-टैक्नीकल कमीशन) प्रमाण पत्र ।**

स्थायी रूप से लुब्रिकेटेड एचडीपीई टेलीकॉम डक्ट्स **के लिए टीईसी (टेलीकम्यूनिकेश इंजीनियरिंग सेंटर) टाइप अनुमोदन प्रमाण पत्र।**

पालक्काड प्लांट में स्मार्ट कार्ड विनिर्माण अवसंरचना **के संबंध में रुपे कार्ड विनिर्माण और वैयक्तिकिकरण के लिए एनपीसीआई प्रमाणन।**

एनएबीएल प्रमाण पत्र

- बेंगलूरु संयत्र में ईएमआई/ईएमसी लैब
- पालक्काड संयंत्र में स्मार्ट एनर्जी मीटर कैलिब्रेशन प्रयोगशाला

वीएसएससी (विक्रम साराबाई अंतरिक्ष केंद्र, त्रिवेंद्रम) कंपोनेंट स्क्रीनिंग, परीक्षण और मूल्यांकन, असेंबली और उड़ान पैकेज के परीक्षण के लिए प्रमाणन।

जनशक्ति

कंपनी प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल करने में अपने मानव संसाधनों के महत्व एवं उनके योगदान का सम्मान करती है। अपने कर्मचारियों की उत्पादकता में सुधार एवं उनके कौशल तथा उनकी क्षमताओं का उन्नयन कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है। कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए नए तथा रणनीतिक क्षेत्रों तथा कार्यशालाओं में प्रशिक्षण के आयोजन किए जाते हैं। मानव संसाधन टीम भावना का विकास करने, कर्मचारियों का सशक्तिकरण करने एवं विभिन्न गतिविधियों में उनकी भागीदारी होने को प्रथम कार्रवाई के रूप में महत्व देता है। मानव संसाधन के सभी प्रयास व्यवसाय की प्राथमिकताओं से संगत हैं तथा इनका उद्देश्य अद्यतन प्रौद्योगिकी के साथ सुचारू रूप से आगे बढ़ना है।

कर्मचारी जनशिक्त

- समाप्त वित्तीय वर्ष 23-24 यानि 31 मार्च, 2024 को कर्मचारियों की संख्या 1676 थी जिसमें से 369 महिला कर्मचारी थीं।
- 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति के 283 कर्मचारी, अनुसूचित जनजाति के 45 और अन्य पिछड़े वर्ग के 362 कर्मचारी कार्यरत थे।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 8 कर्मचारियों की सेवाएं कार्यकाल/अनुबंध के आधार पर तथा 9 सलाहकारों की भर्ती की गई है।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में कंपनी की वेतनसूची में बेंचमार्क दिव्यांग वर्ग में 16 कर्मचारी तथा भूतपूर्व सैनिक वर्ग 15 कर्मचारी कार्यरत थे।

औद्योगिक संबंध

कंपनी में स्वस्थ नियोक्ता-कर्मचारी संबंध की उत्पति एवं उसे बनाए रखने की गौरवशाली परंपरा है। कंपनी में औद्योगिक संबंध परिदृश्य पूरे वर्ष सौहार्दपूर्ण रहा। कर्मचारी संघ और अधिकारी संघ ने सुचारू कार्य प्रवाह सुनिश्चित करने में अपना सहयोग और समर्थन दिया और कंपनी के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता की।

कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का निवारण

कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके अध्याधीन नियमों के अंतर्गत महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम के लिए कंपनी ने अपनी सभी यूनिटों में लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निवारण के उद्देश्य से आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) का गठन किया है। सभी कर्मचारी (स्थायी, संविदात्मक, अस्थायी, प्रशिक्षु) इस नीति के अंतर्गत आते हैं। कंपनी लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित सांविधिक प्रावधानों का समेकन किया तथा वर्ष के दौरान अधिनियम के अंतर्गत कोई मामला/शिकायत प्रस्तुत नहीं हुई है।

कर्मचारियों की क्षमताओं और योग्यताओं का विकास

आईटीआई लिमिटेड अपने कर्मचारियों के विकास के उद्देश्य से उनके कौशल एवं क्षमताओं का उत्तोलन करके उन्हें भविष्य में उत्पन्न होने वाली प्रत्येक प्रकार की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए तैयार करता है।

मानव संसाधन विकास:

i) प्रशिक्षण एवं विकास:

आज के वैश्वीकरण के युग में प्रौद्योगिकी का विकास तेजी से हो रहा है, इसलिए संगठन के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान हासिल करना महत्वपूर्ण है। सामने आने वाली बाधाओं को पूरा करने और दूर करने के लिए, नई प्रतिभाओं को तैयार करने, मौजूदा प्रतिभाओं में संवर्धन करने तथा क्षमता को बढ़ाने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। व्यवसाय की सफलता प्रशिक्षित कार्यबल पर निर्भर करती है। कौशल और ज्ञान कंपनी के विकास और स्थिरता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं।

वर्तमान में संगठन के सम्मुख प्रशिक्षित और अनुभवी श्रमिकों के अपघर्षण के परिणामस्वरूप उत्पन्न कुशल कामगारों की कमी है। मानव संसाधन कर्मचारी विकास विभाग सावधानीपूर्वक प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों का व्यवस्थापन करता है, कठिन परिस्थितियों और कौशल के आवश्यक सेट न होने के कारण उत्पन्न होने वाली खामियों को सुधारना/उस पर नियंत्रण कर पाना संभव है। आईटीआई लिमिटेड ने एक रणनीति का कार्यान्वयन किया है जिसमें व्यवस्थित एवं आवश्यकता आधारित योजना दृष्टिकोण के माध्यम से कर्मचारियों के प्रशिक्षण, विकास और क्षमता निर्माण को प्राथमिकता दिया गया है तथा जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण अपेक्षाओं की पहचान करना, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का निर्माण एवं अनुकूलन आदि जैसी प्रक्रियाएं शामिल है।

आईटीआई लिमिटेड का मूलभूत मूल्य लर्निंग है। वर्तमान और भविष्य की भूमिकाओं के लिए क्षमता निर्माण की आवश्यकता पहचान कर आईटीआई लिमिटेड ने सभी संयंत्रों (अर्थात, बेंगलूरु, पालक्काड, मनकापुर, रायबरेली और नैनी) में कर्मचारी विकास केंद्र (ईडीसी) सहित व्यापक प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित की हैं। जब प्रौद्योगिकी, व्यावसायिक कौशल और नेतृत्व की बात आती है तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट हमारे कर्मचारियों को भविष्य के लिए तैयार करने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। इसलिए लर्निंग एक मूलभूत आवश्यकता है। प्रशिक्षण वितरण स्वरूप में प्रौद्योगिकी चालित प्लेटफार्मो पर बल देकर कक्षा, ऑनलाइन (वेब आधारित और वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग), ई-लर्निंग की प्रक्रियाएं की जाती हैं।

कंपनी के व्यावसायिक उद्देश्यों, कर्मचारी-केंद्रित तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल विकास, ग्राहक संबंधों एवं गुणवत्ता पर प्रमुख ध्यान केन्द्रण के साथ कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग(डीपीई), राष्ट्रीय रक्षा संपदा प्रबंधन संस्थान। (एनआईडीईएम), नीति अनुसंधान, नवाचार और राष्ट्रीय दूरसंचार संस्थान (एनटीआईपीआरआईटी), दूरसंचार विभाग(डीओटी), लोक उद्यम चयन बोर्ड(पीईएसबी), राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान(एनआईसीएफ), केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), सेंटर फॉर डेवेलपमेंट टेलीमेटिक्स (सी-डॉट), आदि जैसी दूरसंचार प्रौद्योगिकियों में उभरते रुझानों में कौशल संवर्धन को अंगीकार करने की प्रतिबद्धता जताई है। मानव संसाधन लर्निंग मध्यवर्तन एवं कर्मचारी विकास गतिविधियों में भी इससे तेजी आई है।

कर्मचारियों को नई तकनीक/सामान्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जैसे 4जी, ईआरपी, साइबर स्वच्छता और सुरक्षा, क्षमता निर्माण, स्व प्रबंधन, प्रेरणा और नेतृत्व विकास, आरक्षण नियम और भर्ती नीति, कर्मचारी कल्याण/जागरूकता कार्यक्रम, सरकारी ई-विपणन (जेम), अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि जैसे क्षेत्रों में कौशल/ज्ञान बढ़ोतरी के लिए नियमित पहुंच मिलती है।

कर्मचारियों की क्षमताओं, ज्ञान, दृष्टिकोण और नई प्रौद्योगिकीयों के विकास एवं उनकी क्षमताओं में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से 166 आईटीआई अधिकारियों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी संगठनों और निजी संस्थानों द्वारा आयोजित बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के लिए नामांकित किया गया है। ये कोचिंग कार्यक्रम लोगों को परिवर्तन के प्रबंधन की क्षमता, उनके नवोन्वेष एवं विधियों, गंभीर विचार की उनकी क्षमता तथा उच्च निष्पादक कार्यस्थल संस्कृति का निर्माण करने के सकारात्मक दृष्टिकोण के विकास में सहायक हैं।

संक्षेप में, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कर्मचारी विकास-प्रशिक्षण के संबंध में कार्य-निष्पादन निम्नानुसार है:

विवरण	प्रशिक्षण (आईएच/ ईएन)		योग
	आंतरिक (आईएच)	बाह्य (ईएन)	
कार्यक्रमों की संख्या	32	35	67
प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	872	166	1038
प्राप्त श्रम दिन प्रशिक्षण	892	178	1070
प्रशिक्षित पुरूष कर्मचारी	531	123	654
प्रशिक्षित महिला कर्मचारी	341	43	384
प्रशिक्षित अजा / अजजा कर्मचारी	169	35	204

टिप्पणी : आईएच -आंतरिक, ईएन: बाह्य नामांकन

उपरोक्त के अलावा, संचार मंत्रालय द्वारा वैयक्तिक अधिकारियों को, उनके क्षमता-निर्माण के प्रयासों में, मार्गदर्शन करने के लिए एक ऑनलाइन शिक्षण मंच का विकास किया गया है। यह ऑनलाइन लर्निंग, योग्यता प्रबंधन, कैरियर प्रबंधन, चर्चा और नेटवर्किंग के लिए पांच कार्यात्मक केंद्रों का सम्मिश्रण है।

आईटीआई के कर्मचारियों ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण के आईजीओटी (आई गोट) पोर्टल (कर्मयोगी भारत) के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर अपने ज्ञान और कौशल को बेहतर बनाने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 1745 (अद्वितीय 267) अधिकारियों ने दो या अधिक प्रशिक्षण पूरे कर लिए हैं।

प्रतिभा विकास:

कर्मचारियों की प्रतिभा एवं उन्हें उनके वैयक्तिक और व्यावसायिक विकास लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से आईटीआई लिमिटेड में न केवल अपने उत्पाद बल्कि वैयक्तिक समग्र विकास की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। सदैव से ही हमारी यह अवमानना है कि वैश्विक स्तर पर अधिक प्रौद्योगिकी और नवाचार की ओर रुझान को ध्यान में रखकर व्यापक प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रमों के माध्यम से अपने कर्मचारियों का अवलम्बर अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

जैसे-जैसे हम अधिक अनुभव प्राप्त करते हैं वैसे वैसे ज्ञान एवं कौशल का संवर्धन होता है। कौशल, किसी कार्य का निर्वाह संतोषजनक स्वरूप में करने की क्षमता है। जब कर्मचारियों को अपने कार्यों के निर्वाह के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त होते हैं तो उनका निष्पादन बढ़ जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम से कर्मचारियों के कौशल का विकास किया जा सकता है। जब भी नई तकनीक, प्रक्रियाएं या सिस्टम प्रभावी होते हैं, तो कौशल प्रशिक्षण का उपयोग कर्मचारियों को फिर से शिक्षित करने और फिर से प्रशिक्षित करने के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा, कर्मचारी विकास पहल कर्मचारियों को उनके व्यावसायिक विकास में सहायक हो सकती है।

ii) कौशल विकास और क्षमता निर्माण:

कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र सरकार द्वारा रोजगार के उभरते या संभावित क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर बेरोजगार लोगों अथवा स्कूल छोड़ने वाले लोगों की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए शुरू की गई एक पहल है। किसी छात्र/ व्यक्तियों के समग्र विकास में कौशल विकास महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत विकास और कौशल से न केवल अवसर बढ़ते हैं अपितु इससे व्यक्ति सशक्त भी बनेगा। संचार जैसे कौशल छात्रों/प्रशिक्षुओं के समग्र विकास में काफी मदद करते हैं। कौशल विकास प्रशिक्षण से रोजगार के अवसरों में वृद्धि, कैरियर विकास की संभावनाओं में वृद्धि, वैयक्तिक विकास, स्थानीय उद्योग के ज्ञान और समझ में वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होते हैं।

'स्किल इंडिया' फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंतर्गत आईटीआई ने आईटीआई के छह प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रारम्भ किए हैं। सभी केंद्र प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं तथा विभिन्न की जॉब भूमिकाओं के लिए एनएसडीसी में एसोसिएट सदस्यता प्राप्त हैं। कंपनी न केवल यूनिटों (यथा बेंगलूरू संयंत्र, पालक्काड संयंत्र, रायबरेली संयंत्र, मनकापुर संयंत्र, नैनी संयंत्र और श्रीनगर संयंत्र) में स्थित अपने मानव संसाधन – कर्मचारी विकास केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करके अपने कर्मचारियों के कौशल सेट का विकास किया जा रहा है, अपितु इंटर्नशिप/प्रोजेक्ट प्रशिक्षण आदि के माध्यम से युवा मस्तिष्कों को व्यावसायिक ट्रेडों में प्रशिक्षित और शिक्षित भी किया जाता है।

कंपनी विभिन्न मॉड्यूल में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने में सक्रिय रूप से क्रियाशील है। हरियाणा कौशल विकास मिशन (एचएसडीएम) परियोजना की सूर्या योजना के अंतर्गत 370 छात्रों ने विभिन्न मॉड्यूल पर कौशल विकास प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।

उपरोक्त के अलावा, आईटीआई प्रशिक्षु अधिनियम/राष्ट्रीय प्रशिक्षु संवर्धन योजना (एनएपीएस) के अंतर्गत विभिन्न ट्रेडों में ग्रेजुएट इंजीनियरों, डिप्लोमा (तकनीशियनों) और आईटीआई ट्रेड अपरेंटिस को भी शामिल कर रहा है और प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, क्षमता निर्माण के अंतर्गत, कंपनी इंजीनियरिंग/प्रबंधन के छात्रों को उनकी इंटर्नशिप, परियोजना और आईटीआई/औद्योगिक दौरा को अपनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रशिक्षित/क्षमता निर्माण/कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने वाले प्रतिभागियों की संख्या।

क्र.सं	कौशल विकास/क्षमता विकास	प्रतिभागियों की संख्या
1	एचएसडीएम परियोजना की सूर्या योजना के अंतर्गत ब्यूटी थेरेपिस्ट	120
2	एचएसडीएम परियोजना की सूर्या योजना के अंतर्गत सहायक सजावटी चित्रकार	100
3	एचएसडीएम परियोजना की सूर्या योजना के अंतर्गत फोटोग्राफी निदेशक	90
4	एचएसडीएम परियोजना की सूर्या योजना के अंतर्गत कंसाइनमेंट ट्रैकिंग कार्यकारी।	30
5	एचएसडीएम परियोजना की सूर्या योजना के अंतर्गत इन्वेंटरी क्लर्क	30
6	आईटीआई ट्रेड प्रशिक्षु	62
7	डिप्लोमा / तकनीशियन प्रशिक्षु	14
8	स्नातक / इंजीनियर प्रशिक्षु	9
9	इन-प्लांट प्रशिक्षण (आईटीआईएल मॉड्यूल)	446
10	परियोजना प्रशिक्षण (आईटीआईएल माड्यूल)	78
11	औद्योगिक दौरा (आईटीआईएल माड्यूल)	1163
12	आईटीआई / विशिष्ट औद्योगिक प्रशिक्षण (आईटीआईएल मॉड्यूल) को अपनाना	151
	योग	2293

राजभाषा अधिनियम, 1963 के अंतर्गत अनुपालन

सभी यूनिटों/विपणन सेवाएं और परियोजना ("एमएसपी") द्वारा राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रयास को और अधिक प्रभावी बनाएं रखने के लिए विभिन्न स्तरों पर जाँच बिन्दु स्थापित किए गए हैं जिन पर प्रत्येक यूनिट/एमएसपी में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति नज़र रखती है।

निगमित कार्यालय सहित अधीनस्थ यूनिटों/विपणन सेवाएं और परियोजना में राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा, निगमित कार्यालय में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) द्वारा समय-समय पर की जाती है।

नैनी, रायबरेली, मनकापुर, नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद और निगमित कार्यालय जैसी यूनिटों/विपणन सेवाएं और परियोजनाओं में 80% से अधिक कर्मचारी वर्ग द्वारा हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने के कारण इन यूनिटों/विपणन सेवाएं और परियोजनाओं को राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 10(2) और (4) के अंतर्गत भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किया जा चुका है।

आईटीआई लिमिटेड, निगमित कार्यालय द्वारा संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली तथा उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, बेंगलूरु को नियमित रूप से तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजी जा रही है। हम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति(उपक्रम), बेंगलूरु के सचिव को अर्धवार्षिक रिपोर्ट तथा संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली को वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट भी भेजी जा रही है। तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के पश्चात उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दक्षिण), बेंगलूरु द्वारा निगमित कार्यालय को विगत एक वर्षों से प्रशंसनीय पत्र प्राप्त हो रहें हैं।

दिनांक 13.07.2023 को संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप-समिति नई दिल्ली, डॉ. रीता बहुगुणा जोशी एवं समिति के सभी सदस्यों ने आईटीआई लिमिटेड, पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय, बेंगलूरु राजभाषा विभाग का राजभाषा कार्यान्वयन नीति से संबंधित निरीक्षण किया गया।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम),बेंगलूरु के तत्वावधान में एचएएल, प्रबंधन अकादमी,बेंगलूरु में दिनांक 16.08.2023 को आयोजित अर्धवार्षिक बैठक के दौरान, वर्ष 2022-23 के लिए राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग एवं कार्यान्वयन की दिशा में आईटीआई लिमिटेड, पंजीकृत और निगमित कार्यालय को प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।

दिनांक 08.12.2023 को श्री अनिर्बान कुमार विश्वास, उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दक्षिण), बेंगलूरु ने आईटीआई लिमिटेड, पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय, बेंगलूरु राजभाषा विभाग का राजभाषा कार्यान्वयन नीति से संबंधित निरीक्षण किया गया।

कर्मचारियों में राजभाषा के ज्ञान को बढ़ाने के लिए आंतरिक/बाह्य संकाय के सहयोग से आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। इसके अलावा, कर्मचारियों को हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा और पारंगत परीक्षा में भाग लेने हेतु भी प्रोत्साहित किया जाता है, जिसके लिए योग्य कर्मचारियों को वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जाता है।

वर्ष 2023-24 में सभी इकाईयों/विपणन सेवाएं और परियोजनाओं में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया और पखवाड़े के दौरान कार्मिकों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। कंपनी की वेबसाइट को नियमित रूप से द्विभाषी (अर्थात हिंदी और अंग्रेजी) में अद्यतन किया जाता है।

सतर्कता

आईटीआई लिमिटेड का सतर्कता विभाग सिस्टम में व्याप्त न्यूनताओं, यदि कोई हों, की पहचान करने एवं निवारक सतर्कता, दंडात्मक सतर्कता और निगरानी पर ध्यान केंद्रित करता है तथा उनकी पुनरावृति को रोकने के लिए सिस्टम को सुचारू बनाने के लिए प्रबंधन का ध्यान आकर्षित करता है। आईटीआई प्रबंधन, डाक, ईमेल, ऑनलाइन पोर्टल, सीवीसी तथा दूरसंचार विभाग के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की जांच की जाती है तथा उनका तार्किक निष्कर्ष किया जाता है। सतर्कता विभाग द्वारा 30 अक्टूबर 2023 से 5 नवंबर 2023 के दौरान सभी विनिर्माण इकाइयों, एमएसपी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों, आरओ, एनएस यूनिट, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं कॉर्पोरेट कार्यालय में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया था। सभी आईटीआई प्रतिष्ठानों में बैनर, पोस्टर आदि जैसे विभिन्न माध्यमों से पीआईडीपीआई शिकायतों के बारे में गहन जागरूकता अभियान आयोजित किया गया था।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार, भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों में आईटीआई के 11 अधिकारियों के लिए विभिन्न विषयों जैसे प्रापण, नैतिकता तथा गवर्नेंस, भर्ती, पदोन्नति और स्थानांतरण, साइबर स्वच्छता और सुरक्षा और प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षकों के लिए आईओ/पीओ प्रशिक्षण पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसके अलावा, प्रशिक्षकों ने बेंगलूरु परिसर, आईटीआई के दिल्ली कार्यालय और रायबरेली इकाई में इन महत्वपूर्ण विषयों पर आईटीआई के 200 से अधिक उपस्थित लोगों को प्रशिक्षण दिया था।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2023 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह के समापन दिवस के अवसर पर बेंगलूरु परिसर में शपथ ग्रहण समारोह, निबंध/कविता/प्रश्नोत्तरी/स्लोगन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी।

आईटीआई विद्या मंदिर और आईटीआई केंद्रीय विद्यालय, दूरवाणी नगर, बेंगलूरु और उच्च प्राथमिक विद्यालय, चाका ब्लॉक, नैनी में शपथ ग्रहण, निबंध लेखन, पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता और वॉकथॉन जैसी आउटरीच गतिविधियां भी आयोजित की गईं थी।

1) प्रणाली सुधार

निवारक सतर्कता और शिकायतों और निगरानी की जांच के आधार पर किए गए प्रणाली सुधारों का विवरण नीचे दिया गया है:

क) भूमि अभिलेख

सतर्कता द्वारा आईटीआई के स्वामित्व वाली प्रत्येक भूमि के भूमि रिकार्ड का डिजिटलीकरण किया गया है जिससे भूमि रिकार्ड के साथ-साथ उसके अद्यतन उपयोग की स्थिति को पूरा करने में सुविधा हुई। विभिन्न संयंत्रों को बाजार दरों में पट्टे पर देने तथा अतिक्रमण हटाकर राजस्व संवर्धन के प्रति जागरूकता की उत्पति की गई है।

ख) लागत में कमी के उपाय

i. **ओएफसी** - सतर्कता पहल के आधार पर, ओएफसी विनिर्माण के लिए कच्चे माल की लागत में 17% की कमी की गई है।

ii. **बिजली संरक्षण** - बिजली की खपत के प्रति जागरूकता की उत्पति करके कम करने के उपाय पर सतर्कता द्वारा प्रकाश डाला गया और इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है।

iii. सभी श्रम अनुबंधों के सारांश का संकलन करके आउटसोर्सिंग की लागत को कम करने और अनुकूलित करने के लिए प्रबंधन का ध्यान आकर्षित किया गया है।

ग) भर्ती एवं पदोन्नति

अधिसूचना और चयन प्रक्रिया से संबंधित कमियों की ओर ध्यान दिया गया है तथा संवेदनशील भर्तियों में कमियों की पुनरावृत्ति से बचाव के लिए परामर्श दिए गए हैं।

घ) कारखानों की सुरक्षा

विभिन्न स्थलों पर आई टी आई लिमिटेड की फैक्ट्रियों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई है और कमियों का विवरण और उन्हें सुधारने के लिए दिशा-निर्देश प्रबंधन को प्रस्तुत किए गए हैं।

ङ) परियोजनाओं के निष्पादन के लिए कार्य अनुबंध

विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत निष्पादित किए जा रहे अनुबंधों में पाई गई कमियों/विसंगतियों को दूर करने के लिए, पूर्व निविदा, निविदा चरण, निविदा मूल्यांकन और पोस्ट निविदा निष्पादन को शामिल करके विस्तृत परामर्श जारी किया गया है।

च) प्रौद्योगिकी का उत्तोलन

प्रबंधन के साथ सतर्कता समीक्षा के अंतर्गत ई भुगतान, ई निविदा, जीईएम के माध्यम से प्रापण और ईआरपी के कार्यान्वयन को नियमित समीक्षा मदों को शामिल किया गया था और इससे संबंधित महत्वपूर्ण सुधार हासिल किए गए थे।

ज) कालातीत सामग्री और संयंत्र एवं मशीनरी का निपटान

पिछले दो दशकों में एकत्रित अप्रचलित / अनुपयोगी सामग्रियों और संयंत्र और मशीनरी के विशाल संचय की विस्तृत समीक्षा की गई है और अपेक्षित निपटान प्रक्रियाधीन है। इस प्रक्रिया से न केवल निपटान राजस्व की उत्पति होगी अपितु मालसूचियों के अनुरक्षण का व्यय भी कम और यूनिट में वैकल्पिक उपयोग के लिए स्थल भी उपलब्ध हो सकेगा।

स्क्रैप निपटान प्रक्रिया की लगातार समीक्षा की गई और पाई गई कमियों को अनुपालन के लिए उजागर किया गया है।

2) सतर्कता शिकायतों की मॉनीटरिंग का विवरण

सतर्कता विभाग द्वारा संगठन में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की जाती है जांच की अपेक्षा वाली शिकायतों पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार विधिवत कार्रवाई की जाती है। वर्ष के दौरान आईटीआई लिमिटेड में प्राप्त एवं संसाधित की गई सतर्कता शिकायतों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

सतर्कता शिकायतों की स्थिति - 2023-24

अथशेष	2023-24 के दौरान प्राप्त	कुल	निपटाए	शिकायतों की प्रकृति के साथ लंबित मामले
4	7	11	6	5 (अनुबंध-1) (मा.सं.-4)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई) का कार्यान्वयन

आईटीआई लिमिटेड में सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त सभी अनुरोधों पर कॉर्पोरेट कार्यालय/इकाइयों द्वारा प्रक्रिया के लिए एक तंत्रव्यवस्था स्थापित है। आईटीआई लिमिटेड की सभी इकाइयों और क्षेत्रीय कार्यालयों में जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) नियुक्त किए गए हैं तथा कॉर्पोरेट कार्यालय में सहायक जन सूचना अधिकारी (एपीआईओ), केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) आरटीआई आवेदन, क्रियाकलापों से संबंधित अन्य पारदर्शिता एवं प्रथम अपील, यदि कोई हो, के लिए तैनात किए गए हैं। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) पोर्टल पर तथा कंपनी की वेबसाइट पर त्रैमासिक ऑनलाइन आरटीआई विवरण अपलोड किए जाते हैं। आवेदकों द्वारा सीआईसी को द्वितीय अपील के रूप में संदर्भित सभी मामलों को सफलतापूर्वक संबोधित किया गया है और सीआईसी के निर्णयों का पूरी तरह से अनुपालन किया गया है। आईटीआई आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ आरटीआई आवेदनों पर कार्रवाई एवं उत्तर दिए जाने की प्रक्रियाएं कर रहा है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आरटीआई के अंतर्गत 459 आवेदन प्राप्त हुए हैं। पिछले वर्षों से अग्रेषित 20 आरटीआई आवेदनों सहित 477 आरटीआई आवेदनों के प्रति सूचना प्रस्तुत की

गई थी। आरटीआई के अंतर्गत 30 आवेदन अन्य पीए द्वारा स्थानांतरित किए गए थे। सूचना प्राप्ति के आकांक्षी आवेदकों की सुविधा के उद्देश्य से आरटीआई आवेदनों की आनलाइन प्राप्ति सूचना आयोग ("सीआईसी") के आरटीआई पोर्टल पर की जाती है। दिए गए कुल 477 उत्तरों के लिए 76 मामलों में अपेक्षित सूचना आनलाइन प्राप्त आवेदनों के प्रति प्रस्तुत की गई थी। सीआईसी पोर्टल तथा कंपनी की वेबसाइट पर तिमाही ऑनलाइन आरटीआई विवरण अपलोड किए गए थे। केन्द्रीय सूचना आयोग को द्वितीय अपील के रूप में संदर्भित सभी मामलों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया है तथा केन्द्रीय सूचना आयोग के निर्णयों का पूरी तरह से अनुपालन किया गया है।

लेखापरीक्षा

- **सांविधिक लेखापरीक्षा**

  भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा मैसर्स बी के रामाध्यानी एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बेंगलूरु को वर्ष 2023-24 के लिए बेंगलूरु संयंत्र, एनएस यूनिट, कॉर्पोरेट कार्यालय, 8 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा लेखों के समेकन के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया है। निदेशक मंडल द्वारा स्टेंडएलोन के लिए 700000 + जीएसटी, समेकन के लिए 100000 + जीएसटी तथा 8 क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए 600000 + जीएसटी का पारिश्रमिक नियत किया गया है। तिमाही वित्तीय परिणामों के प्रमाणन के लिए तय किया गया शुल्क स्टैंडअलोन और समेकित के लिए 100000 + जीएसटी है।

  इसके अलावा, ऊपरी खर्चों की प्रतिपूर्ति भी वास्तविक व्यय के अनुसार की जानी है। वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी को प्रदान की गई अन्य सेवाओं के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को प्रमाणन शुल्क के प्रति कुल 0.25 लाख रुपए का भुगतान किया गया है।

- **लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट**

  वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक लेखों के संबंध में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत लेखों के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के उत्तर इस रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में संलग्न किए गए हैं।

  वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार कोई जालसाजी की घटना घटित नहीं हुई है।

- **शाखा लेखापरीक्षक**

  भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के विभिन्न संयंत्रों के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की निम्नलिखित फर्मों को शाखा लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था।

क्र.सं	यूनिट	फर्म का नाम
1.	रायबरेली	मेसर्स मेहरोत्रा कपूर और टंडन, रायबरेली
2.	नैनी	मेसर्स अमित ओएम एंड कंपनी,इलाहाबाद
3	मनकापुर	मेसर्स एस. के. एसोसिएट्स, फैजाबाद
4.	पालक्काड	मेसर्स बलराम और नंदकुमार पालक्काड
5	श्रीनगर	मेसर्स एएचएम एंड कंपनी, श्रीनगर

  रायबरेली के लिए शाखा लेखा परीक्षक का शुल्क 100000 रुपए + जीएसटी, नैनी और पालक्काड के लिए 80000 रुपए+ जीएसटी प्रत्येक के लिए, मनकापुर के लिए 70000 रुपए + जीएसटी और श्रीनगर के लिए 20000 रुपए + जीएसटी निर्धारित है।

  उपरोक्त के अतिरिक्त, तिमाही वित्तीय परिणामों के लिए शाखा लेखा परीक्षकों के लिए प्रमाणन शुल्क निम्नानुसार है:

यूनिट	राशि रुपये में
नैनी	12000+जीएसटी लागू
रायबरेली	21000+जीएसटी लागू
मनकापुर	16000+जीएसटी लागू
पालक्काड	18000+जीएसटी लागू

- **लागत लेखा परीक्षक**

  मैसर्स जीएनवी एंड एसोसिएट्स, बेंगलूरु को वर्ष 2023-24 के लिए बेंगलूरु और पालक्काड में स्थित यूनिटों की लागत लेखा परीक्षा तथा समग्र कंपनी की रिपोर्ट के समेकन के लिए प्रमुख लागत लेखा परीक्षक के नियुक्त किया गया है।

  मैसर्स अमन मालवीय एंड एसोसिएट्स, लखनऊ को नैनी, रायबरेली, मनकापुर तथा श्रीनगर में स्थित यूनिटों की लागत लेखा परीक्षा के लिए शाखा लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया।

  लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 28.09.2023 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में की गई थी तथा शेयरधारकों के अनुमोदन से लागू जीएसटी सहित 316000 रुपए के पारिश्रमिक की पुष्टि की गई थी। वर्ष 2022-23 के लिए लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत की गई है।

  कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट नियमों के अनुसरण में कंपनी अपने लागत रिकार्डों का अनुरक्षण किया गया है।

- **सचिवीय लेखा परीक्षक**

  निदेशक मंडल ने वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखा परीक्षा के लिए श्री के एन नागेश राव, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, की नियुक्ति की थी। सचिवीय लेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने, **अनुबंध-2** में संलग्न सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित टिप्पणियों के अलावा, अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन किया है। सचिवीय लेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर निदेशकों की रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में संलग्न है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

आईटीआई लिमिटेड के आंतरिक नियंत्रण कंपनी के आकार तथा परिचालनों की प्रकृति के अनुरूप हैं।

इनका अभिकल्प विश्वसनीय वित्तीय एवं परिचालनात्मक सूचना को रिकॉर्ड करने, लागू सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार अनुपालन करने, अनधिकृत उपयोग से परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने, उचित प्राधिकरण के साथ लेनदेन निष्पादित करने तथा कॉर्पोरेट नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के संबंध में उचित आश्वासन की प्राप्ति के लिए किया गया है। आईटीआई लिमिटेड में संगठनात्मक संसाधनों को प्रतिबद्ध करने वाले दायित्वों के अनुरूप प्राधिकरण सीमाओं के साथ शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए विधिवत परिभाषित प्रतिनिधिमंडल है। लेखा परीक्षा समिति द्वारा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए शाखा लेखा परीक्षकों सहित आंतरिक एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ समय-समय पर अन्योन्यक्रियाएं की जाती है।

सभी प्रक्रियाओं और नियंत्रणों को सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करने के प्रयास अनवरत जारी हैं। आईटीआई लिमिटेड प्रबंधन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2024 तक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता, **अनुलग्नक-ख** में किए गए प्रेक्षणों के अलावा, का आकलन किया गया था।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

आईटीआई अपने सीएसआर पहलों के माध्यम से अपने व्यवसाय के आसपास और उससे भी आगे के समुदायों के प्रति प्रतिबद्ध है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ नकारात्मक होने के कारण वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी को सीएसआर प्रक्रियाओं के लिए कोई भी राशि व्यय अपेक्षित नहीं थी। तथापि, कंपनी ने सीएसआर प्रक्रियाओं पर 2.00 लाख रुपए का व्यय सशस्त्र सेना ध्वज दिवस कोष (एफएफडीएफ) के कल्याण कार्य के लिए किया गया था। इस कोष की स्थापना वृद्ध, विधवाओं एवं उनके आश्रितों के कल्याण के लिए की गई थी।

सीएसआर समिति के गठन सहित सीएसआर प्रक्रियाओं की रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट के **अनुलग्नक**-3 में संलग्न है।

सीएसआर नीति, परियोजनाओं और कार्यक्रमों का विवरण कंपनी की वेबसाइट **https://www.itiltd.in/csr** पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

आईटीआई लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है तथा तदनुसार निदेशकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक कंपनी के संबंध में लागू नहीं है तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना के माध्यम से उनके निष्पादन के मूल्यांकन से भी छूट दी गई है।

07 अगस्त 2024 की स्थिति के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल में नौ निदेशक हैं, जिनमें से चार पूर्णकालिक निदेशक (अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित), दो सरकारी निदेशक और तीन गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) हैं।

स्वतंत्र निदेशक

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों की न तो कोई नियुक्ति नहीं हुई है तथा न ही कोई नियुक्ति समाप्त हुई है।

कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों से स्वतंत्रता प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है, जिसमें यह पुष्टि की गई है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) के प्रावधानों के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं। स्वतंत्र निदेशकों ने पुष्टि की है कि वे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत इंडियन इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट (आईआईसीए) द्वारा अनुरक्षण किए जा रहे डेटाबेस में पंजीकृत हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के प्रावधानों के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के नियम और शर्तें कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट की गई हैं। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों के अंतर्गत रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं।

विचाराधीन वर्ष के दौरान, 11 नवंबर 2023 को स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक आयोजित की गई जिसमें सभी स्वतंत्र निदेशक उपस्थित थे ।

सरकारी निदेशक

सरकारी निदेशकों के संबंध में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

1) लेफ्टिनेंट जनरल एम उन्नीकृष्णन नायर 15 सितंबर, 2023 से कंपनी के सरकारी निदेशक नहीं हैं।

2) श्री आर शाक्य, 09 जनवरी, 2024 से सरकारी निदेशक नहीं हैं।

3) लेफ्टिनेंट जनरल कंवर विनोद कुमार को 20 अक्टूबर, 2023 से सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

4) श्री मुकेश मंगल को 10 जनवरी, 2024 से सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

कार्यात्मक निदेशक

कार्यात्मक निदेशकों में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

1) श्रीमती एस जेयंति की नियुक्ति दिनांक 19 मई, 2023 से निदेशक उत्पादन के पद पर हुई है।

2) श्रीमती आर वसंती, महाप्रबंधक (परिचालन) द्वारा दिनांक 19 मई 2023 से निदेशक उत्पादन के पद का अतिरिक्त पदभार त्याग दिया गया है।

3) श्री राकेश चंद्र तिवारी दिनांक 30 नवंबर, 2023 से निदेशक (विपणन) नहीं हैं।

4) श्री राजेश राय, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को दिनांक 1 दिसम्बर, 2023 से 29 फरवरी, 2024 की 3 माह की अवधि अथवा नियमित अधिकारी की नियुक्ति होने तक अथवा आगामी आदेश जारी किए जाने तक, जो भी पहले हो, के लिए निदेशक विपणन के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

5) श्री रमण बाबू सी वी की नियुक्ति दिनांक 25 जनवरी, 2024 से निदेशक विपणन के पद पर हुई थी। तदनुसार, श्री राजेश राय, जिनके पास निदेशक विपणन के अतिरिक्त पद के प्रभार का धारण था, द्वारा दिनांक 25 जनवरी, 2024 से यह पद त्याग दिया है।

6) निदेशक मंडल अपने उन निदेशकों द्वारा दिए गए सराहनीय योगदान और मार्गदर्शन के प्रति हृदय से आभार व्यक्त है, जिनका कार्यकाल वर्ष के दौरान समाप्त हुआ है।

श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक वित्त, आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा अपनी अर्हता के कारण उन्होंने स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत किया है।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कार्यात्मक निदेशकों के अलावा, मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं कंपनी सचिव कंपनी के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के पद पर बने रहेंगे।

कंपनी की कंपनी सचिव एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिक श्रीमती शालिनी घटक द्वारा दिनांक 17 जून, 2024 से कंपनी की सेवाओं से त्यागपत्र दिया गया है।

निदेशक मंडल की बैठकों का विवरण

विचाराधीन वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की 6 (छः) बैठकें आयोजित की गईं थी, कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट में प्रत्येक निदेशक द्वारा भाग लेने वाली बैठकों का विवरण दिया गया है।

लेखापरीक्षा समिति की संरचना

31 मार्च 2023, के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति में 4 (चार) सदस्य शामिल थे, जिनमें से 3 (तीन) स्वतंत्र निदेशक थे और 1 (एक) एक कार्यात्मक निदेशक था। वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति की 04 (चार) बैठकें आयोजित की गईं थी, जिनका विवरण कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट में दिया गया है।

वर्ष के दौरान ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जिसके अनुसार निदेशक मंडल द्वारा लेखापरीक्षा समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार नहीं किया गया हो।

निदेशक मंडल, इसकी समितियों एवं वैयक्तिक निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन तथा निदेशकों के चयन एवं नियुक्ति तथा उनके पारिश्रमिक की नीति

आईटीआई लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है तथा इसे स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन से छूट प्राप्त है। इसके अलावा, भारत सरकार, जो नियुक्ति प्राधिकारी है, को मानदंड निर्धारित करने और नियुक्ति/पुनः नियुक्ति के समय स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए प्रक्रियाओं की अपनी व्यवस्था है।

एक सरकारी कंपनी होने के कारण, नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित मानदंड भारत सरकार द्वारा तैयार किए जाते हैं।

जोखिम प्रबंधन

कंपनी में शासन, जोखिम प्रबंधन एवं अनुपालन (जीआरसी) के अंतर्गत कार्यान्वित उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) संरचना आईएसओ 31000:2018 तथा आईईसी 31010:2019 द्वारा कवर किए गए जोखिम प्रबंधन से संबंधित वैश्विक सर्वोत्तम व्यवहारों पर आधारित है तथा इस व्यवस्था से कंपनी अपने सामान्य व्यवसाय परिचालनों का पूर्ण रूप से एकीकरण जोखिम प्रबंधन से करने में सक्षम हुई है।

कंपनी की ईआरएम नीति रूपरेखा एक संरचित प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- सभी बाहरी और आंतरिक जोखिम-कारकों की पहचान करना
- संगठन के व्यवसाय और वित्तीय लक्ष्यों पर इन जोखिमों के प्रभाव का आकलन करना
- संज्ञान में लिए गए जोखिम-कारकों को वरीयता देना
- इन जोखिमों के उपचार के लिए विभिन्न विकल्प खोजना
- जोखिमों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण और निगरानी तंत्रव्यवस्था का कार्यान्वयन करना
- ईआरएम एक सतत एवं गतिशील प्रक्रिया है जिसके लिए परिवर्तनशील परिस्थितियों में पुनरावृत्ति एवं अनुकूलन की आवश्यकता होती है। कंपनी का ईआरएम मैनुअल पूर्ण रूप से एक संरचित रूपरेखा है जिसमें शासन टीम की चार परतें हैं
- स्तर-1: यूआरएमसी (यूनिट स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति)
- स्तर-2: ईआरएमएससी (ईआरएम कार्यवाहक समिति)
- स्तर-3: ईआरएमजीसी (उद्यम जोखिम प्रबंधन शासी समिति) अथवा आरएमसी (जोखिम प्रबंधन समिति)
- स्तर–4: निदेशक मंडल स्तर पर उद्यम जोखिम प्रबंधन

ये समितियाँ अनुमोदित ईआरएम प्रक्रिया, ईआरएम शासन संरचना, संबंधित स्टेकधारकों की भूमिका एवं जिम्मेदारियों, जोखिम रजिस्टरों के निर्माण, कंपनी की सभी यूनिटों में ईआरएम के परिचालन में अपना निरंतर योगदान प्रदान करके सभी यूनिटों में नीति कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए उत्तरदायी हैं।

ईआरएम रूपरेखा की स्थापना एवं अनुरक्षण से कंपनी के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रभावी निर्णय लेने की प्रक्रिया सुगम हो गई है। कंपनी द्वारा अनुरक्षण किए गए जोखिम रजिस्टर में कॉर्पोरेट के संबंध में संज्ञान में लिए स्टैंडएलोन जोखिमों के साथ-साथ यूनिटों के महत्वपूर्ण जोखिम भी शामिल किए गए हैं जिससे कॉर्पोरेट का ध्यान आकर्षित होता है तथा कार्य बल समिति द्वारा इनकी नियमित प्रस्तुति एवं समीक्षा की जाती है।

सभी यूनिटें ईआरएम जोखिम रजिस्टर की प्रस्तुति ईआरएम कार्यवाहक समिति (ईआरएमएससी) को करती हैं तथा इसे अद्यतन रखा जाता है। नीति परिचालन के अंतर्गत ईआरएमएससी द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 2023, 20 अक्टूबर, 2023, 07 नवंबर 2023, 18 दिसंबर 2023, 08 जनवरी 2024, 09 फरवरी 2024 तथा 12 मार्च 2024 को सभी यूनिटों (यूआरएमएससी) के साथ के साथ मासिक जोखिम प्रबंधन समीक्षा बैठकें आयोजित की हैं तथा दिनांक 26 जुलाई 2023, 22 जनवरी 2024 को आयोजित जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक तथा दिनांक 11 अगस्त 2023, 13 फरवरी 2024 को निदेशक मंडल की बैठक में प्रस्तावित उच्च प्राथमिकता वाले जोखिम और शमन योजनाओं की समीक्षा की गई है।

ईआरएम मैनुअल में किए गए उल्लेख के अनुसार, जोखिम प्रबंधन गतिविधियाँ नियमित व्यावसायिक परिचालन के अंतर्गत निरंतर आधार पर की जाती हैं।

व्हिसल ब्लोअर नीति/ सतर्कता तंत्रव्यवस्था व्यवस्था

विनियम 2015 में कर्मचारियों का बचाव उत्पीड़न से करने के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से "व्हिसल ब्लोअर नीति" का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। इसके अलावा सेबी (अतरंग व्यापार निषेध) विनियम, 2015 में भी कंपनी से व्हिसल ब्लोअर नीति का निर्माण करने तथा कर्मचारियों को इस नीति के प्रति जागरूक करने की अपेक्षा की गई है जिससे कि वे अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के प्रकट होने की घटनाओं की रिपोर्ट कर सकें।

सतर्कता तंत्रव्यवस्था व्यवस्था/व्हिसल ब्लोअर नीति के उद्देश्य:

1) सतर्कता तंत्रव्यवस्था / व्हिसल ब्लोअर नीति का उद्देश्य अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदेहास्पद जालसाजी अथवा आचार संहिता के उल्लंघन अथवा अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना अथवा नीतियों अथवा नियामक अपेक्षाओं के प्रकट होने की घटनाओं से संबंधित सरोकार की रिपोर्ट करने के लिए एक चैनल प्रदान करना है।

2) निदेशकों और कर्मचारियों को तंत्रव्यवस्था का लाभ उठाने के लिए उत्पीड़न के प्रति पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करना।

3) यूपीएसआई के लीक होने अथवा यूपीएसआई के लीक होने की संदिग्ध स्थिति में जांच प्रारम्भ करना तथा सक्षम प्राधिकारी को तुरंत इसकी सूचना देना।

इसमें ऐसी किसी भी अनैतिक और अनुचित अथवा कदाचार तथा घटनाओं के प्रकटीकरण किए जाने अपेक्षित हैं जो घटित हो चुकी हैं / जिनके घटित होने की आशंका है। व्हिसल ब्लोअर की भूमिका विश्वसनीय जानकारी के साथ कंपनी को रिपोर्ट करने की है। व्हिसल ब्लोअर नीति के अंतर्गत तथ्यों की जांच के लिए जांचकर्ता अथवा अंवेषक के कार्य किए जाने अपेक्षित नहीं है तथा न ही व्हिसल ब्लोअर के अंतर्गत किन्हीं जांच प्रक्रियाओं में प्रतिभागिता, यदि जांचकर्ता द्वारा अनुरोध नहीं किया गया है, किए जाने का अधिकार प्राप्त होता है।

कर्मचारियों का विवरण

सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों के अनुपालन से छूट प्राप्त है। इसलिए, इससे संबंधित विवरण निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है।

व्यावसायिक उत्तरदेयता और वहनीयता रिपोर्ट तथा प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

सूचीबद्धता विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट में "प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट" तथा व्यवसाय उत्तरदेयता और वहनीयता रिपोर्ट के लिए भिन्न खंड क्रमश: **अनुलग्नक**-4 के रूप में शामिल किए गए हैं तथा ये निदेशक रिपोर्ट का भाग हैं।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

कॉरपोरेट शासन पर सूचीबद्धता विनियमों तथा लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **अनुबंध**-5 के रूप में संलग्न है।

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

सूचीबद्धता विनियमों और सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट शासन शर्तों के अनुपालन पर कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट निदेशक रिपोर्ट का भाग है। प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा जारी कॉर्पोरेट शासन की उक्त शर्तों का अनुपालन करने का प्रमाण पत्र भी निदेशक रिपोर्ट का भाग है।

वार्षिक विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, वार्षिक विवरण कंपनी की वेबसाइट https://www.itiltd.in/annual_general_meeting पर उपलब्ध है।

संबंधित पक्षकार संव्यवहार

वर्ष 2023-24 के दौरान प्रविष्टि किए गए सभी सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार व्यवसाय के सामान्य क्रम में थे और आर्म लैंथ के आधार पर किए गए हैं।

कंपनी द्वारा सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार के संबंध में एक नीति का निर्माण किया है जो कंपनी की वेबसाइट https://www.itiltd.in/codes_and_polices पर उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) के अंतर्गत आवश्यक सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार का प्रकटीकरण की प्रस्तुति फॉर्म एओसी2 में करने की अपेक्षा कंपनी के लिए लागू नहीं है। सदस्य वित्तीय विवरण के लिए नोट संख्या 32 से संदर्भ प्राप्त कर सकते हैं जिसमें इंड एएस 24 के अनुसरण में सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार के प्रकटीकरण दिए गए हैं।

वित्तीय वर्ष के समापन की तिथि और रिपोर्ट की तिथि के अंतराल के दौरान वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले सामग्रीगत परिवर्तन

वित्तीय वर्ष 2023-24 की समाप्ति के बाद इस रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुई हैं।

विनियामक अथवा न्यायालय आदेश : शून्य

निदेशकों का उत्तरदेयता विवरण

निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि

(क) 31 मार्च, 2024 को समाप्ति वार्षिक वित्तीय विवरण को तैयार करने में सामग्री प्रस्थान संबंधी समुचित व्याख्या के साथ लागू लेखाकरण मानकों का अनुसरण किया गया है।

(ख) सतत ढंग से ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन एवं इन्हें लागू किया गया है तथा युक्तियुक्त एवं बौद्धिक निर्णय और प्राक्कलन इस प्रकार किए गए है कि 31 मार्च 2024 को कंपनी के कार्य की स्थित तथा उस तारीख को कंपनी के लाभ की सही एवं स्पष्ट दृष्टि करा सकें।

(ग) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखा एवं अन्य अतियमितताओं को रोकने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखाकरण दस्तावेजों के रखरखाव हेतु यथोचित एवं पर्याप्त ध्यान दिया गया है।

(घ) चालू संबंधों के आधार पर वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

(ङ) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण समुचित स्थान – पर था और वित्तीय नियंत्रण यथोचित था और इसका संचालन प्रभावी ढंग से हुआ ; तथा

(च) अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली, लागू नियमों के सभी प्रावधानों के अनुरूप थी और ऐसी प्रणाली यथोचित थी और इसका संचालन प्रभावी ढंग से हुआ।

ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अंतर्गत कवर किए गए ऋण, गारंटी और निवेश से संबंधित कोई संव्यवहार नहीं किया गया है।

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अनुपालन की स्थिति

मेसर्स रीकैप वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एनसीएलटी, बेंगलूरू में केस नंबर सीपी/98/बीबी/2023 आईटीआई लिमिटेड के प्रति कॉर्पोरेट ऋणशोधन समाधान प्रक्रिया के लिए आईबीस की धारा 9 के अंतर्गत एक याचिका दायर की गई है। इस मामले की सुनवाई 09.09.2024 को हुई थी।

वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 में कॉर्पोरेट ऋणशोधन समाधान प्रक्रिया के लिए मेसर्स ईगल सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स फुजियामा द्वारा मामला दायर करने का उल्लेख किया गया है, जो कि अब 06.07.2023 और 30.04.2024 को वापस ले लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया था।

एकमुश्त निपटान के तौर पर किए गए मूल्यांकन तथा बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के मूल्यांकन के मध्य का विवरण तथा उससे संबंधित कारण

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एकमुश्त निपटान का कोई मामला नहीं है।

मनोरंजन व्यय और विदेश यात्रा

मनोरंजन पर 14.55 लाख रुपए (पिछले वर्ष 1.56 लाख रूपए) व्यय किए गए थे। वर्ष के दौरान कंपनी के अधिकारियों द्वारा आधिकारिक विदेश दौरे पर किया गया व्यय शून्य था।

नागरिक चार्टर

कर्मचारियों, ग्राहकों, विक्रेताओं, निवेशकों, सहयोगियों/संयुक्त उद्यम साझेदारों, प्रतिस्पर्धियों, मीडिया और सरकार तथा समाज/समुदाय में विस्तारित। नागरिकों को आईटीआई लिमिटेड (आईटीआई) के किसी भी स्टेकधारक के रूप में निहित किया गया है। सिटीजन चार्टर नए विधिक अधिकारों की उत्पति नहीं होती है, अपितु इससे नागरिकों को उनके विद्यमान अधिकारों की जानकारी प्राप्त होती है।

आईटीआई ने सिटीजन चार्टर की रूपरेखा में इसका कार्यक्षेत्र शामिल करके कंपनी, नागरिकों के प्रति कंपनी के दायित्वों एवं नागरिकों के प्रति प्रबंधन की प्रतिबद्धता के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान की है। इसमें शिकायत निवारण तंत्रव्यवस्था और नागरिक सेवा वितरण की जानकारी का भी समावेश है।

इस चार्टर में विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और कुशल सेवाएं प्रदान करने की संगठन की क्षमता दर्शाई गई है। इस चार्टर का उद्देश्य स्टेकधारकों की संतुष्टि के अनुरूप उत्पादों और सेवाओं में निरंतर सुधार करना है।

नागरिक चार्टर के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

1) अपने व्यावसायिक परिचालनों की पारदर्शिता एवं स्पष्टता की प्रस्तुति करना।

2) अपनी सभी प्रक्रियाओं में नागरिक केंद्रित फोकस के सुनिश्चय के साथ सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना।

3) सर्वसाधारण को संगठन की ऐसी अनिवार्यताओं से अवगत कराना कि वे किस प्रकार संगठन के प्राधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं, ऐसी सेवाओं की प्राप्ति के अपेक्षाएं क्या हैं तथा कैसे वे अपनी किसी विशिष्ट शिकायत / समस्या के मामले में समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा आय और व्यय

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा आय और व्यय से संबंधित विवरण **अनुलग्नक 6** में प्रस्तुत है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से संबंधित प्रापण नीति आदेश 2012

किए गए संशोधनों के साथ पठित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की प्रापण नीति आदेश 2012 का अनुसरण कंपनी की सभी यूनिटों में किया जा रहा है। इसके अनुसरण के लिए कंपनी ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विक्रेताओं को सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विक्रेताओं से 69.59 करोड़ रुपए का प्रापण किया है, जो इसके कुल क्रय मूल्य का 26.3% है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में आगे बढ़ते हुए, कंपनी सूक्ष्म एवं लघु उद्यम प्रापण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का पालन कर रही है, अपने कुल 95.06 करोड़ रुपए के वार्षिक क्रय का 4% का प्रापण इन विक्रेताओं के माध्यम से किया गया है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से किए गए क्रय मूल्य में लगभग 36% की बढ़ोतरी है। तथापि, क्रय प्रतिशत में काफी कमी आई है, जिसका मुख्य कारण समझौता ज्ञापनों से क्रय प्रक्रियाएं हैं। इस प्रतिशत गिरावट के बावजूद भी क्रय मूल्य में हुई समग्र वृद्धि सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विक्रेताओं के साथ उनके विकास और वृद्धि में योगदान देने वाले अपने जुड़ाव के संवर्धन में कंपनी की निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

आभारोक्ति

निदेशक मंडल अपने सभी ग्राहकों, विक्रेताओं, निवेशकों, बैंकरों से वर्ष के दौरान अनवरत सहयोग के लिए अपना आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल भारत सरकार, विशेषत: संचार मंत्रालय एवं रक्षा मंत्रालय और साथ ही विभिन्न राज्य सरकारों, विनियामकों तथा सांविधिक प्राधिकरणों से प्राप्त समर्थन के लिए भी आभार व्यक्त करना चाहता है तथा भविष्य में भी उनसे इसी प्रकार सहयोग प्राप्त होने की कामना करता है। निदेशक मंडल बैंकों, निवेशकों, सदस्यों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, सांविधिक लेखापरीक्षकों, सचिवीय लेखापरीक्षकों, लागत लेखापरीक्षकों, आंतरिक लेखापरीक्षकों आदि सहित अपने सभी स्टेकधारकों द्वारा प्रदान किए गए अनवरत सहयोग के धन्यवाद प्रस्तुत करता है। हमारे सभी कर्मचारियों द्वारा दिया गया योगदान अमूल्य है और इसके प्रति आपका निदेशक मंडल अत्यंत आभारी है।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

राजेश राय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 10052045

स्थान : बेंगलूरू
तिथि : 12 अगस्त, 2024

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का परिशिष्ट

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में किए गए प्रेक्षणों के संबंध में कंपनी के उत्तर

<table>
<tr><th>मद संख्या</th><th>सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रेक्षण</th><th>कंपनी की टिप्पणियां</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>पूंजी कार्य प्रगति पर (सी.डब्ल्यू.आई.पी).
31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार पूंजी कार्य प्रगति पर में नीचे उल्लिखित वे परिसम्पतियां शामिल हैं जो हमारी जानकारी के अनुसार उपयोग में लाई जा रही हैं परन्तु कुछ दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण जिनके प्रति स्पष्टता नहीं है। संबंधित दस्तावेजों के साथ हम इनके वहन मूल्य / कालक्रम डेटा एवं स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों में मूल्यह्रास की स्वीकृति न किए जाने के प्रभाव का मान्यकरण नहीं कर पा रहे हैं।
<table>
<tr><th>परिसम्पति का मूल्यह्रास</th><th>31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार वहन मूल्य (रुपए लाख में)</th></tr>
<tr><td>नया डेटा सेन्टर</td><td>2,669.45</td></tr>
<tr><td>अन्य पूंजी कार्य प्रगति पर</td><td>3,923.39</td></tr>
<tr><td>एनआईएफटी भवन (संदर्भ नोट स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों का नोट 2)</td><td>6,582.06</td></tr>
</table></td><td>आरबीएल यूनिट से संबंधित सीडब्ल्यूआईपी (पूंजी कार्य प्रगति पर) स्थानीय प्राधिकरणों से एनओसी प्राप्त न होने जैसी कुछ तकनीकी औपचारिकताओं के कारण लंबित हैं, जिसके संबंध में अपेक्षित प्रक्रिया की जा रही है।
बेंगलूरू यूनिट द्वारा संस्थापन प्रमाणपत्रों की व्यवस्था के माध्यम से सीडब्ल्यूआईपी के पूंजीयन पर वर्तमान में प्रक्रिया की जा रही है। पहली तिमाही [वित्तीय वर्ष 2024-25] के दौरान सीडब्ल्यूआईपी के प्रमुख भाग का पूंजीयन कर लिया गया है तथा यह प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक पूरी किए जाने का लक्ष्य है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>संभावित क्रेडिट हानि (ईसीएल)
कंपनी द्वारा चालू परिसम्पतियां – वित्तीय परिसम्पतियों के अंतर्गत शामिल निम्नलिखित मदों के संबंध में क्रेडिट हानियों, जिनकी वसूली संदेहास्पद है, के लिए प्रावधान नहीं किए गए हैं:
क) सी-डॉट से पट्टे पर दिए गए परिसरों के प्रति 2005-06 से 2010-11 की अवधि के लिए वसूलीय 5,847.90 लाख रुपए
ख) आईटीआई, एचसीएल तथा एल्काटेल के मध्य हुए करार के आधार पर एचसीएल इंफोसिस्टम लिमिटेड से वसूलीय 1,690.20 लाख रुपए की राशि जो मुआवजे के प्रति मनकापुर यूनिट द्वारा अधिक व्यय की गई है।
ग) हिमाचल फ्यूचरीस्टिक कम्युनिकेशंस लिमिटेड से निर्णित हर्जाने के प्रति वसूलीय 1,049.41 लाख रुपए की राशि
घ) माइंडएरे से साखपत्र के नकदीकरण के प्रति वसूलीय 1,023.00 लाख रुपए की राशि
ङ) दक्षिण पश्चिम रेलवे से भूमि की बिक्री के प्रति 2,908.02 लाख रुपए की वसूलीय राशि</td><td>क) यह मामला एएमआरसीडी (सीपीएसई विवाद के समाधान की प्रशासनिक तंत्रव्यवस्था) प्रक्रिया के माध्यम से दिनांक 1.7.2024 के कार्यालय ज्ञापन संदर्भ 5-31/एआरबी-आईटीआई-सीडॉट/ 2023-टीआर के अनुसरण में सचिवों की समिति (सीओएस) के निदेशों द्वारा सुलझ गया है। निर्णय के अनुसार 24.46 एकड़ भूमि का कब्जा सी-डॉट के पास वर्ष 2004 से था तथा यह आईटीआई द्वारा सी-डॉट को 200 करोड़ रुपए के निवल प्रतिफल पर अंतरित किया जाना है जिसका भुगतान सी-डॉट द्वारा आईटीआई को आईटीआई एवं सी-डॉट के मध्य प्रत्येक प्राप्य एवं देय के प्रति अंतिम निपटान के रूप में चुकता किया जाना है। इस प्रकार, इस मामले का समाधान हो गया है।
ख) यह 2एम, 3एम एवं 9एम बीएसएनएल परियोजना तथा 1एम एमटीएनएल परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित है तथा इसके संबंध में वर्ष 2006 में एक मास्टर करार (एमओयू) तथा अनुवर्ती आवर्धन किए गए थे। निर्णित हर्जाने (एलडी), भुगतान तथा कुछ कार्यों को अधूरा छोड़ देने के कारण पार्टियों के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ था तथा एचसीएल द्वारा दिसम्बर 2017 में विवाचन क्लॉस की प्रार्थना की गई थी। इस मामले में आईटीआई लिमिटेड द्वारा भी संशोधित प्रतिदावा दायर किया गया है। यह मामला न्यायाधीन है तथा ऐसी स्थिति में प्रावधान किया जाना संभव नहीं है।
ग) मैसर्स आईटीआई लिमिटेड तथा मैसर्स हिमाचल फ्यूचरीस्टिक कम्यूनिकेशंस लिमिटेड (एचएफसीएल) के मध्य इंटीग्रेटिड फिक्स्ड वायरलैस टेलीफोन (आईएफडब्ल्यूटी) सेटों की आपूर्ति के लिए अनुबंध किया गया था तथा पार्टियों के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ था जिसके लिए मैसर्स एचएफसीएल द्वारा विवाचन क्लॉस की प्रार्थना की गई थी। मूलभूत वितर्क की सुनवाई अभी नहीं हुई है तथा सुनवाई की पिछली तिथि 24.5.2024 थी जो स्थगित कर दी गई थी, सुनवाई की अगली तिथि 4.9.2024 है। ऐसी स्थिति में कंपनी के मतानुसार इस चरण में प्रावधान किए जाने अपेक्षित नहीं हैं।
घ) आपराधिक शिकायत:
पुलिस रिपोर्ट – बी रिपोर्ट के अनुसार आगे जांच किए जाने की आवश्यकता नहीं है।
सिविल मुकदमे के लिए
न्यायालय द्वारा दोनों पार्टियों को मध्यस्थता के निदेश दिए गए हैं जिसके प्रति आईटीआई मध्यस्थता के प्रत्येक सत्र में उपस्थित हुई थी। प्रतिपक्ष तथापि उपस्थित नहीं हुआ था जिसके कारण मध्यस्थता प्रक्रिया को असफल मान लिया गया था। कंपनी ने इसके संबंध में सिविल मुकदमा दाखिल किया है।
मैसर्स माइंड एरे के मामले की न्यायिक सुनवाई की पिछली तिथि 4.4.2023 को सुनवाई हुई थी जिसमें न्यायालय ने प्रतिपक्ष के काउंसिल को आगे तर्क प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया था तथा यह मामला आगे की क्रॉस जांच के लिए दिनांक 16.5.2023 के लिए अनुसूचित किया गया था। सुनवाई की अगली तिथि 13.9.2024 है।
ङ) दिनांक 2.3.2020 के पत्र संदर्भ संख्या क्यू/सीआर/839/2018-19 के अनुसार कर्नाटक सरकार द्वारा स्वीकृत दक्षिण पश्चिम रेलवे द्वारा अधिग्रहित भूमि के मुआवजे की राशि 2908.01 लाख रुपए है। इस प्रकार, आईटीआई ने वर्ष 2020-21 के दौरान लेखा बहियों में आय की स्वीकृति तदनुसार की गई थी। बाद में, एसएलएओ से एक पत्र (दिनांक 14.3.2023 का संदर्भ संख्या एलए क्यू/सीआर/21/2022-23) प्राप्त हुआ जिसके अनुसार एसएलएओ द्वारा 1172.16 लाख रुपए की राशि का एकतरफा संशोधित मुआवजे का प्रस्ताव दिया गया था जिसे आईटीआई लिमिटेड द्वारा दिनांक 8.5.2023 (संदर्भ आईटीआई/बीजीपी/एचआर/2021/8009) के माध्यम से अस्वीकार कर दिया गया था तथा 29.2.2020 के दौरान निर्धारित मूल मुआवजे की राशि 2908.01 लाख को ही बनाए रखने का अनुरोध किया गया था। इसके पश्चात, आईटीआई ने दिनांक 18.4.2024 के पत्र संदर्भ संख्या आईटीआई/सीआरपी/एचआर/ एएम/2024 के माध्यम से आईटीआई लिमिटेड को 2908.01 लाख रुपए की राशि का भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया था। यह मामला दक्षिण पश्चिम रेलवे के सम्मुख विचाराधीन है तथा यह संभावना है कि इसका समाधान वित्तीय 2024-25 के दौरान हो जाएगा।</td></tr>
</table>

	च) दावे एवं व्यय शीर्ष के अंतर्गत शामिल 344.48 लाख रुपए (ब्यौरा उपलब्ध नहीं) की राशि तदनुसार, यदि क्रेडिट हानियों के प्रावधान कंपनी द्वारा किए गए होते तो वर्ष के दौरान हानि उच्चतर होती तथा 12,863.01 लाख रुपए की राशि की निवल चालू परिसम्पतियां न्यून होती।	च) दावे सही हैं तथा अपेक्षित अनुपालन के लिए ब्यौरे एवं विवरण दिए जाने की अपेक्षा को नोट कर लिया गया है। उपर्युक्त तथ्यों को विचार में लेते हुए, कंपनी का यह मत है कि इस चरण में क्रेडिट हानियों के लिए प्रावधान किए जाने अपेक्षित नहीं हैं।

सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा किए गए प्रेक्षण के उत्तर

सचिवीय लेखापरीक्षक का प्रेक्षण	कंपनी के स्पष्टीकरण
31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार कंपनी ने कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों की कुल संख्या में से स्वतंत्र निदेशकों की संख्या 50% से कम होने के कारण सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(ख) तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए कॉर्पोरेट शासन के दिशानिर्देश 2010 का अनुपालन नहीं किया है।	यह कंपनी संचार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी है तथा लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी श्रेणियों के निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। कंपनी ने समय-समय पर सेबी विनियमों के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षाओं के संबंध में संचार मंत्रालय को सूचित किया है।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

राजेश राय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 10052045

स्थान : बेंगलूरू
तिथि : 12 अगस्त, 2024

अनुलग्नक - 1

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक

फार्म एओसी - 1

संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताएं वाले वक्तव्य
भाग "अ" : सहायक – लागू नहीं ;भाग "ब" : सहयोगी और संयुक्त उद्यम
संयुक्त उद्यम से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के उपबंधों के अनुसार विवरण

क्र.सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	इंडिया सत्काम लिमिटेड
1	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र तिथि	31.03.2024
2	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा संयुक्त उद्यम कंपनी में धारित अंशभाग	16,21,800 इक्विटी शेयर 10/- रुपए प्रत्येक
3	संयुक्त उद्यम/एसोसिएट्स में किए गए निवेश की राशि	40.55 लाख रुपए
4	धारिता का %	49.06%
5	वर्णन करें कि महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे है	पूर्ण चुकता पूंजी के 49.06% तक इक्विटी में निवेश
6	संयुक्त उद्यम कंपनी का समेकन न किए जाने के कारण	लागू नहीं
7	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता से सम्बद्ध निवल सम्पति	3528.40 लाख रुपए
8	वर्ष के दौरान लाभ / हानि	
	i) समेकन के लिए विचार में लिया गया	जी, हां, 14.13 लाख रुपए
	ii) समेकन के लिए विचार में नहीं लिया गया	शून्य

हमारे समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार
कृते बी के रामध्यानी एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकर
फ़र्म पंजीकरण नं. 002878एस/एस200021

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

वासुकी एच एस
साझेदार
एम.सं. 212013

शालिनी घटक
कंपनी सचिव
सीएस नं. ए43488

राजीव श्रीवास्तव
निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन : 08921307

राजेश राय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 10052045

स्थान : बेंगलूरू
तिथि : 28.05.2024

अनुलग्नक - 2

के एन नागेश राव ,
बी.काम., डीएसपी, डीईई, डीबीए, एलएलबी, एफसीएस, एफसीएमए
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव

"सुमुखा"
22,5वां कॉस, प्रथम चरण, गृहलक्ष्मी कॉलोनी, बसवेश्वर नगर
बेंगलूरु 560079
टेलीफोन नं.: 9845050333, 08023234353
ई-मेल : nageshknn@gmail.com

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (नियुक्ति एवं प्रबंधन कार्मिकों के पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में}

सेवा में, सदस्यगण, आईटीआई लिमिटेड

1) हमने आईटीआई लिमिटेड, सीआईएन : एल32202केए1950जीओआई000640 (एतदद्वारा कंपनी के नाम से संदर्भित) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों एवं उत्तम निगमित व्यवहारों का अनुपालन किए जाने के लिए सचिवीय लेखापरीक्षण किया है। सचिवीय लेखापरीक्षा का आयोजन ऐसी विधि से किया गया है जिससे हमें अपने मत की अभिव्यक्ति के लिए कॉर्पोरेट आचरण / सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन के लिए औचित्यपरक आधार की प्राप्ति हो सके।

2) कंपनी की बहियों, प्रपत्रों, कार्यवृत्त बुक्स, फार्मों एवं फाइल की गई विवरणियों तथा कंपनी में अनुरक्षित अन्य रिकार्ड के सत्यापन तथा कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों एवं प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान प्रदान की गई सूचना के आधार पर, तथा इसके साथ अनुलग्नक के रूप में संलग्न एक अलग पत्र की शर्त पर, हम एतद्द्वारा यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारे मतानुसार, कंपनी ने, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान एतद् सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन नीचे की गई रिपोर्टिंग की शर्त पर विधिवत रूप से किया गया है तथा कंपनी में निदेशक मंडल प्रक्रियाओं एवं अपेक्षित अनुपालन तंत्रव्यवस्था स्थापित है।

3) हमने निम्नलिखित के प्रावधानों के अंतर्गत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में कंपनी की बहियों, प्रपत्रों, कार्यवृत्त बुक्स, फार्मों एवं फाइल की गई विवरणियों तथा कंपनी में अनुरक्षित अन्य रिकार्ड की जांच की हैः-

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं उसके अध्याधीन निर्मित नियम;

(ख) प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियम;

(ग) डिपोजिटरी अधिनियम, 1996 तथा उसके अध्याधीन विनियम एवं उप-नियम;

(घ) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियम एवं विनियम जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश , ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्यिक ऋण के लिए विस्तारित हैं;

(ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम एवं दिशानिर्देश :-

i. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011 (एसएएसटी) । तथापि ये विनियम एसएएसटी के आईटीआई लिमिटेड (औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा पुनर्वास योजना के अंतर्गत संस्वीकृत कंपनी) को एसएएसटी के अंतर्गत वर्ष के दौरान सरकार को किए गए अधिमान आबंटन के प्रति अनुपालन से छूट प्राप्त है। (अधिक विवरण के लिए नीचे पैराग्राफ 8.2 देखें)

ii. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार प्रतिबंध) विनियम, 2015;

iii. सेबी (अतरंग व्यापार प्रतिबंध) विनियम, 2015 के विनियम 3(5) तथा 3(6) की अपेक्षा के अनुसार कंपनी द्वारा अप्रकाशित मूल्य संवेदी, ऐसे व्यक्तियों के नाम जिनके साथ सूचना का सहभाजन किया गया है तथा ऐसे व्यक्तियों के नाम जिनके साथ विनियमों के अंतर्गत सूचना सहभाजित की गई है, उनके पर्मानेंट एकाउंट नम्बर अथवा उनकी पहचान स्थापित करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति जैसी सूचना से युक्त संरचित डिजिट डिजिटल डेटाबेस (एसडीडी) का अनुरक्षण किया गया है। ऐसे डेटाबेस का अनुरक्षण बाह्य स्रोतण के माध्यम से नहीं किया जाता है तथा यह अनुरक्षण पर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों के साथ आंतरिक रूप से किया जा रहा है तथा इस डेटाबेस के प्रति किसी प्रकार की टैम्परिंग न होने के सुनिश्चय के लिए टाइम स्टैम्पिंग एवं ऑडिट ट्रेल जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। संरचित डिजिटल डेटाबेस को निर्धारित समयावधि के लिए संरक्षित किया गया है।

iv. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गमन (इश्यू) एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018:

v. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना एवं कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) दिशानिर्देश, 1999; / भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 [उक्त लेखापरीक्षा अवधि के लिए लागू नहीं]

vi. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008 ; तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2021 [उक्त लेखापरीक्षा अवधि के लिए लागू नहीं]

vii. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993; कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत ग्राहकों से संव्यवहार के लिए;

viii. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2021; वर्ष के दौरान शेयरों को असूचीबद्ध नहीं किया गया है।

ix. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) विनियम 1998; वर्ष के दौरान क्रय द्वारा वापस नहीं लिया गया है; तथा

x. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार एवं सहभागी) विनियम, 2018

(च) भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957

(छ) पेटेंट अधिनियम, 1970

(ज) व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

(झ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए लोक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कॉर्पोरेट शासन दिशानिर्देश, 2010

(ञ) निवेश एवं लोक सम्पति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश – सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में यथालागू

4) मैंने कंपनी द्वारा बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ किए गए सूचीबद्धता अनुबंध एवं सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुपालन की भी जांच की है।

5) मैंने निदेशक मंडल की बैठकों तथा आम सभा के संबंध में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेट्रीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवीय मानकों के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है।

6) मैंने कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे लागू वित्तीय कानूनों के अनुपालन की जांच नहीं की है, क्योंकि यह सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा अन्य पदनामित व्यावसायिकों द्वारा की जानी है।

7) विचाराधीन अवधि के दौरान कंपनी ने, पैराग्राफ 9 में उल्लिखित अर्हता की शर्त पर, ऊपर उल्लिखित कंपनी अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों आदि का अनुपालन किया है।

8) पैराग्राफ 9 में उल्लिखित अर्हता की शर्त पर, मैं आगे यह रिपोर्ट करता हूं कि :

8.1) यह कि:

(क) कंपनी के निदेशक मंडल का गठन, गैर कार्यकारी निदेशकों एवं स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन सहित, विधिवत किया गया है। निदेशक मंडल के गठन में किए जाने वाले परिवर्तन विचाराधीन अवधि के दौरान अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किए गए हैं।

(ख) कंपनी ने सदस्यों एवं निदेशकों की बैठकों के आयोजन एवं व्यवस्थापन के लिए निदेशक मंडल प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है; कंपनी ने सदस्यों की महासभा की प्रक्रियाओं, निदेशक मंडल तथा निदेशकों की समिति की बैठकों के कार्यवृत्त; ई-वोटिंग द्वारा पारित संकल्पों, यदि कोई हों, को रिकार्ड करने के लिए यथोचित बहियों का अनुरक्षण किया है तथा इन्हें महासभा की कार्यवृत्त बहियों में रिकार्ड किया जाता है।

(ग) सभी निदेशकों को निदेशक मंडल की बैठकों की अनुसूची, एवं कार्यसूची के विस्तृत नोटों के साथ पर्याप्त नोटिस अग्रिम तौर पर सात दिन पूर्व, अल्प सूचना के माध्यम से आयोजित बैठकों के अलावा, भेजा गया है तथा बैठक के आयोजन से पूर्व एवं बैठक में अर्थपूर्ण प्रतिभागिता के उद्देश्य से कार्यसूची की मदों के संबंध में अग्रेतर सूचना एवं स्पष्टीकरण मांगने एवं प्राप्त करने के लिए व्यवस्था स्थापित की गई है। बैठकों में अधिकांश निर्णयों का निर्धारण सदस्यों के विचार प्राप्त करके एवं रिकार्ड करके, यदि कोई हों, बैठक के कार्यवृत्त में शामिल किया गया है।

(घ) कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व शासित प्रावधानों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है।

(ङ) कंपनी के आकार एवं इसके परिचालनों के अनुरूप निगरानी तथा लागू कानूनों, नियमों, विनियम एवं दिशानिर्देशों के अनुपालन का सुनिश्चय करने के उद्देश्य से पर्याप्त प्रक्रियाएं एवं प्रणालियां स्थापित हैं। तथापि, कंपनी अपनी सांविधिक देयताओं की पूर्ति नहीं कर रही है तथा इसके द्वारा केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 एवं इसके अध्याधीन निर्मित्त नियमों के अनुसरण में आवधिक जीएसटी विवरण की प्रस्तुति देर से की जा रही है।

8.2) वर्ष के दौरान कंपनी ने औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड (बीआईएफआर) के दिनांक 8 जनवरी, 2013 के आदेश के अनुसरण में प्राप्त कैपेक्स (पूंजी व्यय) के प्रति अधिमान आधार पर भारत के राष्ट्रपति को 10 रुपए मूल्य प्रतिशेयर के 1,13,09,586 इक्विटी शेयरों का आबंटन 84.61 रुपए प्रति शेयर के प्रीमियम के साथ 107 करोड़ रुपए के कुल मूल्य पर किया है। प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियमावली, 1957 के नियम 19क के अंतर्गत उक्त शेयरों का आबंटन अधिमान आधार (उक्त बीआईएफआर आदेश के अनुसरण में पूर्व वर्षों में जारी शेयरों के साथ) पर किए जाने पर कंपनी से प्रदत्त पूंजी की 10 प्रतिशत की न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता का अनुरक्षण किए जाने की अपेक्षा है। इन अपेक्षाओं की पूर्ति तथा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल के दिनांक 20 जुलाई, 2016 के निर्देशों के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी के प्रोमोटर, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 27,36,405 इक्विटी शेयरों (107 करोड़ रुपए मूल्य के उक्त इक्विटी का अधिमान आबंटन किए जाने के पश्चात) का अंतरण राष्ट्रीय विशेष निवेश निधि में किया गया है। जबकि, प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियमावली, 1957 के नियम 19क (22 अगस्त, 2014 से प्रभावी) के अनुसार कंपनी से अपनी न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता 10% के स्थान पर बढ़ाकर 25% किए जाने की अपेक्षा की गई है। तथापि, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने दिनांक 6 जुलाई, 2022 के पत्र संख्या एफ सं. 1/14/2018-पीएम (पार्ट) के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र की सूचीबद्ध कम्पनियों के संबंध में 1 अगस्त, 2024 अपनी शेयरधारिता बढ़ाकर कम से कम 25% किए जाने की अनुमति दी गई है।

8.3) 8.3 ऊपर उप-पैराग्राफ 8.2 (क) में उल्लिखित आबंटन के अलावा, निम्नलिखित के संबंध में कोई स्थिति नहीं है :

i. शेयरों अथवा लाभांशों अथवा स्वैट इक्विटी का सार्वजनिक, अधिमान आबंटन
ii. प्रतिभूतियों का शोधन अथवा क्रय द्वारा वापस लेना;
iii. कंपनी द्वारा 2013 की धारा 180 के अनुसरण में सदस्यों द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय
iv. विलय, समामेलन, पुनर्संरचना आदि
v. विदेशी तकनीकी सहकार्यता।

9) अर्हता :

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार कंपनी ने सेबी (सूचीबद्धता दायितव एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश, 2010 का अनुपालन, कंपनी के निदेशक मंडल का कुल सदस्य बल 50% से कम होने के परिणामस्वरूप, नहीं किया है।

स्थान : बेंगलूरू
दिनांक : 13 जून, 2024
यूडीआईएन संख्या एफ003000एफ000567322
पीयर रिव्यू यूनिक आईडी सं. I2014केआर1122000

के एन नागेश राव
प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव
एफसीएस 3000 सीपी 12861

नोट: यह रिपोर्ट हमारी समतिथि के अनुलग्नक 'क' के रूप में संलग्न पत्र के साथ पढ़ी जानी है तथा यह इस रिपोर्ट का अंतरंग भाग है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

सेवा में, सदस्यगण, आईटीआई लिमिटेड ,

1) यह समतिथि की हमारी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ पठित है।

2) सचिवीय रिकार्ड के अनुरक्षण तथा कॉर्पोरेट एवं अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के अनुपालन का दायित्व कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। मेरा दायित्व इन सचिवीय रिकार्डों की हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर अपने मत की अभिव्यक्ति करना है।

3) मैंने सचिवीय रिकार्डों की शुद्धता के संबंध में औचित्यपरक आश्वासन की प्राप्ति के लिए यथोचित व्यवहारों एवं प्रक्रियाओं का उपयोग किया है। सचिवीय रिकार्डों में प्रस्तुत तथ्यों के सही होने का परीक्षण आधार पर सत्यापन किया गया था। मेरा ऐसा मानना है कि मेरे द्वारा अनुसरण की गई प्रक्रियाएं एवं व्यवहार मेरे मत की अभिव्यक्ति का उचित आधार है।

4) कंपनी के वित्तीय रिकार्डों एवं लेखा बहियों का सत्यापन मैंने नहीं किया है।

5) जब कभी आवश्यकता प्रतीत हुई है तो मैंने प्रबंधन से कानूनों, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं के घटित होने इत्यादि के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं।

6) कॉर्पोरेट एवं अन्य लागू कानूनों, नियमों एवं विनियमों, मानकों के प्रावधानों का दायित्व प्रबंधन का है। मेरे द्वारा की गई जांच परीक्षण आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक ही सीमित है।

7) यह सचिवीय रिपोर्ट कंपनी की किसी प्रकार की भावी व्यवहार्यता का न तो प्रमाणन करती है तथा न ही यह प्रबंधन द्वारा कंपनी के लिए किए जाने वाले क्रियाकलापों की कार्य कुशलता अथवा प्रभाव्यता के संबंध में किसी प्रकार का आश्वासन है।

स्थान : बेंगलूरू
दिनांक : 13 जून, 2024
यूडीआईएन संख्या एफ003000एफ000567322
पीयर रिव्यू यूनिक आईडी सं. I2014केआर1122000

के एन नागेश राव
प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव
एफसीएस 3000 सीपी 12861

अनुलग्नक - 3

वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट

1) कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

आईटीआई लिमिटेड (आईटीआई) भारत को दूरसंचार, इलेक्ट्रानिक्स एवं आईसीटी उत्पादों, सेवाओं एवं समाधानों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के अपने विज़न के साथ कार्यशील है, यह एक ऐसा कायाकल्प होगा जिसमें जीवन में बेहतरी लाई जा सकेगी तथा सीएसआर पहलों के माध्यम से आर्थिक स्थिति, पर्यावरण एवं समाज कल्याण के सरोकारों में परिवर्तन संभव हो सकेगा।

क) सीएसआर परियोजनाओं के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे:

(क) सीएसआर गतिविधियों को आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय गतिविधियों का निर्वाह ऐसे संवहनीय स्वरूप में किया जाएगा जो पारदर्शी एवं नैतिक हों।

(ख) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) एवं संवहनीयता की अवधारणा का एकीकरण कंपनी के प्रधान मूल्यों के साथ करना।

(ग) कर्मचारियों में प्रत्येक स्तर पर सीएसआर एवं संवहनीयता के भाव का समावेश करना तथा कंपनी की प्रत्येक गतिविधियों, प्रक्रियाओं, परिचालनों तथा संव्यवहारों में इसे रमा देना।

(घ) यथोचित समझे गए अथवा समय समय पर निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किए जाने वाले अन्य ऐसे मामलों पर प्रक्रियाएं करना जो कंपनी और कंपनी के अन्य स्टेकधारकों के सर्वश्रेष्ठ हित में हों।

ख) आईटीआई लिमिटेड की सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों का संक्षिप्त वर्णन:

कंपनी द्वारा भूतपूर्व सैनिकों, सैनिकों की विधवाओं एवं उनके आश्रितों के कल्याणार्थ स्थापित सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (एएफएफडीएफ) में योगदान दिया गया है।

2) सीएसआर बैठकों में सीएसआर समिति के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है :

क्र.सं	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशक पदधारिता	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों में उपस्थिति
1	श्री राकेश चन्द्र तिवारी	निदेशक – विपणन एवं सीएसआर समिति के अध्यक्ष। 31.11.2023 से सीएसआर समिति के अध्यक्ष नहीं	1	1
2	श्रीमती ममता पलारिया	स्वतंत्र निदेशक, दिनांक 1.12.2023 से सीएसआर समिति की अध्यक्ष	1	1
3	श्री राजीव श्रीवास्तव	निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी, सीएसआर समिति के सदस्य	1	1
4	श्रीमती एस जेयंति	निदेशक उत्पादन, दिनांक 1.12.2023 से सीएसआर समिति की सदस्य	0	0

3) वेबसाइट का वह लिंक जहां सीएसआर समिति के गठन, सीएसआर नीति तथा सीएसआर परियोजनाओं का विवरण दिया गया है: **https://www.itiltd.in/management_team**
https://www.itiltd.in/csr

4) निष्पादित सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन : **लागू नहीं**

5) कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में समंजन के लिए उपलब्ध राशि का विवरण तथा वित्तीय वर्ष में समंजन के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो : **शून्य**

6) धारा 135(5) के अंतर्गत कंपनी का औसत निवल लाभ: **-14770.22 लाख**

7) (क) धारा 135(5) के अंतर्गत कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत : **-295.40 लाख**

(ख) पिछली वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं अथवा गतिविधियों अथवा कार्यक्रमों में से उत्पन्न अतिरेक: **शून्य**

(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान समंजन के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो: **शून्य**

(घ) वित्तीय वर्ष के कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख- 7ग): **-295.40 लाख+0-0= -295.40 लाख**

8) (क) वित्तीय वर्ष में व्यय की गई अथवा व्यय न की गई सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कुल राशि (लाख में) 2023-24	अव्ययित राशि (रुपए में)				
	धारा 135(6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरण की गई कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अंतर्गत अनुसूची VII में निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरण की गई राशि		
	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
2.00 लाख	-	-	-	-	-

(ख) वित्तीय वर्ष में जारी परियोजनाओं के प्रति व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण : शून्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची की मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना का स्थल		परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आबंटित राशि (रुपए में)	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपए में)	धारा 135(6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरण की गई राशि (रुपए में)	कार्यान्वयन का माध्यम डायरेक्ट (हां / नहीं)	कार्यान्वयन का माध्यम कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(ग) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जारी परियोजनाओं के अलावा व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची की मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना पर व्यय की गई राशि (रुपए में)	कार्यान्वयन का माध्यम डायरेक्ट (हां / नहीं)	कार्यान्वयन का माध्यम कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.	सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष (एएफएफडीएफ) में योगदान।	मद संख्या VI की अनुसूची VII सशस्त्र सेना के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लाभार्थ उपाय।	पैन इंडिया			2,00,000.00	हां	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, नई दिल्ली	
योग						**2,00,000.00**			

(घ) प्रशासनिक ऊपरी व्यय के लिए व्यय की गई राशि : शून्य

(ङ) प्रभाव मूल्यांकन, यदि लागू है, के लिए व्यय की गई राशि : शून्य

(च) वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ङ) : 2.00 लाख रुपए

(छ) समंजन के लिए अतिरेक राशि, यदि कोई हो : शून्य

क्र.सं.	विवरण	राशि (रुपए लाख में)
(i)	धारा 135 के उप नियम (5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ	-295.40 लाख
(ii)	वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	2.00 लाख
(iii)	वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई अधिक राशि [(ii)-(i)]	2.00 लाख
(iv)	पिछले वित्तीय वर्ष की सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से उत्पन्न शेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वर्षों में समंजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	2.00 लाख

9) (क) पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों में अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के अनुसरण में सीएसआर खाते में अंतरण की गई कुल अव्ययित राशि (रुपए में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपए में)	धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय के लिए शेष राशि (रूपए में)
				निधि का नाम	राशि (रुपए में)	अंतरण की तिथि	
1.	वित्तीय वर्ष 2022-23	-	-	-	-	-	-
2.	वित्तीय वर्ष 2021-22	-	-	प्रधान मंत्री केयर निधि	11,46,045.40	29.09.2022	-
3.	वित्तीय वर्ष 2020-21	-	-	प्रधान मंत्री केयर निधि	64,00,000.00	28.03.2022	-

(ख) वित्तीय वर्ष की जारी परियोजनाओं के प्रति व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण: **शून्य**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र. सं.	परियोजना पहचान संख्या	परियोजना का नाम	किस वर्ष में परियोजना प्रारम्भ की गई	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित कुल राशि (रुपए में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्यय की गई राशि (रुपए में)	वित्तीय रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में व्यय की गई संचयी राशि (रुपए में)	परियोजना की स्थिति पूर्ण / जारी
-	-	-	-	-	-	-	-	-

10) वित्तीय वर्ष के सीएसआर व्यय के माध्यम से पूंजी परिसम्पतियों का सृजन अथवा अधिग्रहण किए जाने के मामले में सृजित अथवा अधिग्रहित परिसम्पति का विवरण प्रस्तुत करें (परिसम्पति वार विवरण)

क) परिसम्पति का सृजन अथवा अधिग्रहण करने की तिथि: **लागू नहीं**

ख) पूंजी परिम्पति के सृजन अथवा अधिग्रहण के लिए व्यय की गई सीएसआर राशि**: लागू नहीं**
लाभग्राही इकाई / सार्वजनिक प्राधिकरण / पंजीकृत स्वामी का विवरण जिसके नाम से पूंजी परिसम्पति पंजीकृत है, उनका पता इत्यादि: **लागू नहीं**

ग) सृजित अथवा अधिग्रहित पूंजी परिसम्पति का विवरण प्रस्तुत करें (पूंजी परिसम्पति के पूर्ण पते एवं स्थल सहित): **लागू नहीं**

11) यदि कंपनी ने धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसरण में औसत निवल लाभ के दो प्रतिशत का व्यय नहीं किया है तो उसके कारण बताएं: **वित्तीय वर्ष 2023-24 के मामले में लागू नहीं**

हस्ताक्षर/- (मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक)	हस्ताक्षर/- (सीएसआर समिति के अध्यक्ष)	हस्ताक्षर/- [अधिनियम की धारा 380 की धारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत निर्दिष्ट व्यक्ति)] (यदि लागू है)

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

राजेश राय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 10052045

स्थान: बेंगलूरू
तिथि : 12 अगस्त, 2024

अनुलग्नक - 4

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता रिपोर्ट

भाग क : सामान्य प्रकटीकरण

I) सूचीबद्ध इकाई का विवरण

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
1	**सूचीबद्ध कंपनी की कार्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)**	एल32202केए1950जीओआई000640
2	**सूचीबद्ध कंपनी का नाम :**	आईटीआई लिमिटेड
3	**निगमन वर्ष :**	1950
4	**पंजीकृत कार्यालय पता :**	आईटीआई भवन, दूरवाणी नगर, बेंगलूरू – 560 016
5	**निगमित पता :**	आईटीआई भवन, दूरवाणी नगर, बेंगलूरू – 560 016
6	**ईमेल :**	cosecy_crp@itiltd.co.in
7	**टेलीफोन:**	+91 (080) 2561 4466
8	**वेबसाइट:**	https://www.itiltd.in/
9	**रिपोर्टिंग का वित्तीय वर्ष**	वित्तीय वर्ष 2023-24
10	**स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के नाम, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।**	(i) बीएसई लिमिटेड (ii) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
11	**चुकता पूंजी**	Rs. 9,49,57,73,520/-
12	**उस व्यक्ति का नाम एवं सम्पर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट से संबंधित किसी जानकारी के लिए सम्पर्क किया जा सकता है।**	राजीव श्रीवास्तव निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकरी टेलीफोन नं: +91 (080) 2561 7486, ईमेल: cosecy_crp@itiltd.co.in
13	**रिपोर्टिंग बाउंड्री- क्या इस रिपोर्ट के अंतर्गत स्टैंडएलोन आधार (यथा केवल कंपनी के संबंध में) पर प्रकटीकरण दिए गए हैं अथवा समेकित आधार (यथा कंपनी एवं इसकी सभी इकाईयां के लिए एक साथ, जो समेकित वित्तीय विवरणों का भाग हैं) पर।**	स्टेंडएलोन आधार

II) उत्पाद / सेवाएं

14. व्यापार क्रियाकलापों का विवरण (टर्नओवर के 90% लेखांकन के लिए):

क्र.सं	मुख्य क्रियाकलाप का विवरण	व्यवसाय क्रियाकलाप का विवरण	कंपनी की % टर्नओवर
1	विनिर्माण	दूरसंचार एवं सम्बद्ध उत्पादों का विनिर्माण	5.44
2	सेवा	दूरसंचार एवं सम्बद्ध उत्पादों की मरम्मत एवं अनुरक्षण	45.99
3	परियोजनाएं	टर्नकी परियोजनाओं का कार्यान्वयन	48.58

15. कंपनी द्वारा बिक्री किए जाने वाले उत्पादन / सेवाएं (टर्नओवर के 90% लेखांकन के लिए):

क्र.स	उत्पाद / सेवाएं	एनआईसी कोड	कुल % टर्नओवर योगदान
1	टेलीफोन; अन्य संचार उपकरण; फाइबर आप्टिक केबल्स आदि का विनिर्माण	26302; 26309; 27310	5.44
2	संचार उपकरण; दूरसंचार नेटवर्क की मरम्मत एवं अनुरक्षण	95120; 95111; 61102	45.99
3	टर्नकी परियोजनाओं एवं अन्य दूरसंचार क्रियाकलाप	42202; 43213; 61900	48.58

III) परिचालन

16. स्थलों की कुल संख्या जहां कंपनी के संयंत्र तथा/अथवा परिचालन/कार्यालय स्थित हैं:

स्थल	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	योग
राष्ट्रीय	विनिर्माण संयंत्र -06 नेटवर्क सिस्टम यूनिट-01	कॉर्पोरेट कार्यालय : 1; एमएसपी-08	16
अंतर्राष्ट्रीय	शून्य		

17. कंपनी द्वारा सेवा प्रदान किए जा रहे बाजार:

क) स्थलों की संख्या

स्थल	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	सम्पूर्ण भारत
अंतर्राष्ट्रीय (देशों की संख्या)	शून्य

ख) इकाई के कुल व्यवसाय में निर्यात का प्रतिशत के रूप में योगदान क्या है?: शून्य

ग) ग्राहकों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी:

विभिन्न उत्पादों, सेवाओं और टर्नकी उत्पादों की आपूर्ति के लिए आईटीआई के ग्राहक निम्नलिखित हैं।

- थलसेना, नौसेना, भारतीय वायु सेना तथा गृह मंत्रालय
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यथा बीएसएनएल (भारत संचार निगम लिमिटेड), एमटीएनएल (महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, बीबीएनएल (भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क), ईईएसएल (एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड), सी-डॉट (सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स), बीईएल (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स), एनटीपीसी (नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन),
- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के संगठन यथा ओपीटीसीएल (ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड), टैनफिनेट (तमिलनाडु फाइबरनेट कॉरपोरेशन लिमिटेड), एमआईटीसीएल (महाराष्ट्र इंफोर्मेशन टैक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड), जेसीएनएल (झारखंड कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड), जीएफजीएनएल (गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड)। केएसईडीसी (कर्नाटक स्टेट एजुकेशनल डेवलपमेंट काउंसिल), केआईटीई (केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन), यूआरईडीए (उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी), ब्रेडा (बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी), यूपीएनईडीए (उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी)
- डाक विभाग, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, रेलवे
- बैंक, स्कूल, विश्वविद्यालय, अस्पताल, टीसीएस, तेजस नेटवर्क, आरआईआईएल (रूरल इंफ्राटेल इंटरनेशनल लिमिटेड), एक्सेंट, केलट्रॉन, वोडाफोन एवं एयरटेल जैसे निजी ग्राहक

IV) कर्मचारी

18. वित्तीय वर्ष के अंत में विवरण:

क) कर्मचारी एवं कामगार (दिव्यांगजन सहित):

क्र.सं	विवरण	योग (क)	पुरूष		महिला	
			सं.(ख)	% (ख / क)	सं. (ग)	% (ग/क)
कर्मचारी						
1.	स्थायी (घ)	817	643	78.70%	174	21.30%
2.	स्थायी के अलावा अन्य (ङ)	396	298	75.25%	98	24.75%
3.	**कुल कर्मचारी (घ + ङ)**	**1213**	**941**	**77.58%**	**272**	**22.42%**
कामगार						
4.	स्थायी (च)	179	169	94.41%	10	5.59%
5.	स्थायी के अलावा अन्य (छ)	284	196	69.01%	88	30.99%
6.	**कुल कामगार (च + छ)**	**463**	**365**	**78.83%**	**98**	**21.17%**

ख) दिव्यांगजन कर्मचारी एवं कामगार:

क्र.सं	विवरण	योग (क)	पुरूष		महिला	
			सं.(ख	% (ख / क)	सं. (ग)	% (ग/क)
कर्मचारी						
1.	स्थायी (घ)	10	8	80.00%	2	20.00%
2.	स्थायी के अलावा अन्य (ङ)	3	3	100.00%	0	0.00%
3.	**कुल दिव्यांगजन कर्मचारी (घ + ङ)**	**13**	**11**	**84.62%**	**2**	**15.38%**
कामगार						
4.	स्थायी (च)	1	1	100.00%	0	0.00%
5.	स्थायी के अलावा अन्य (छ)	2	1	50.00%	1	50.00%
6.	**कुल दिव्यांगजन कामगार (च+ छ)**	**3**	**2**	**66.67%**	**1**	**33.33%**

19. महिलाओं की भागीदारी/समावेशन/प्रतिनिधित्व

विवरण	योग (क)	महिलाओं की संख्या एवं प्रतिशत	
		सं. (ख)	% (ख/क)
निदेशक मंडल	9	2	22.22%
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	4	2	50.00%

20. स्थायी कर्मचारियों और कामगारों की टर्नओवर दर (% में)

	वित्तीय वर्ष 2023-24 (चालू वित्तीय वर्ष में टर्नओवर दर)			वित्तीय वर्ष 2022-23 (चालू वित्तीय वर्ष में टर्नओवर दर)			वित्तीय वर्ष 2021-22 (पिछले वित्तीय वर्ष से पूर्व वर्ष की टर्नओवर दर)		
	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	643	174	817	299	27	326	304	23	327
स्थायी कामगार	169	10	179	46	6	52	72	4	76

V) धारक, सहायक एवं संम्बद्ध कंपनियाँ (संयुक्त उद्यम सहित)

21. (क) धारक/सहायक/सम्बद्ध कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के नाम

क्र.सं.	धारक/सहायक/सम्बद्ध कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के नाम (क)	क्या यह धारक/सहायक / सम्बद्ध कंपनी/ संयुक्त उद्यम है	सूचीबद्ध कंपनी द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम क में दर्शाई गई इकाई सूचीबद्ध इकाई के व्यावसायिक उत्तरदेयता पहल में भाग लेती है? (हां नहीं)
1	इंडिया सैटकॉम लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	49%	नहीं

VI) सीएसआर विवरण

22. (i) क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है (हां/ नहीं): हां

(ii) टर्नओवर (रुपए में) : 1,26,363.22/- लाख रुपए

(iii) निवल सम्पति (रुपए में) : 1,74,946.44/- लाख रुपए

VII) पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

23. उत्तरदेयी व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अंतर्गत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) से संबंधित शिकायतें/शिकायतें:

समूह के स्टेकधारक जिनसे शिकायत प्राप्त हुई है	क्या शिकायत निवारण तंत्रव्यवस्था स्थापित है (हां/ नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति का वेब-लिंक प्रदान करें)	वित्त वर्ष 2023-24 चालू वित्तीय वर्ष			वित्त वर्ष 2022-23 पिछला वित्तीय वर्ष		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	हां[1]	शून्य	शून्य	शून्य	169	शून्य	शून्य
शेयरधारक	हां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कर्मचारी एवं कामगार	हां[2]	5	1	शून्य	2	2	शून्य
ग्राहक	हां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
मूल्य श्रृंखला भागीदार	हां[3]	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1) कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत एवं पेंशन, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के अंतर्गत केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) **https://pgportal.gov.in/**

2) आईटीआई द्वारा रक्षा परियोजनाओं तथा डेटा सेन्टर सेवाएं प्रदान की जाती हैं, तदनुसार किया जाने वाला प्रत्येक प्रकार का संचार ग्राहक की अपेक्षाओं के अनुसार गोपनीय विधि से किया जाता है। इस कारण से शिकायत उत्पति के लिए कोई वेबलिंक नहीं है। तथापि, कंपनी को ईमेल भेजकर भागीदार अपनी शिकायतें सीधे दर्ज करवा सकते हैं।

24. इकाई के महत्वपूर्ण उत्तरदेयी व्यावसायिक व्यवहार से संबंधित मामलों का संक्षिप्त विवरण।

कृपया ऐसे पर्यावरणीय एवं सामाजिक मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण उत्तरदेयी व्यवसाय व्यवहार के मामले सूचित करें जिनमें आपके व्यवसाय के लिए जोखिम अथवा कोई अवसर उपलब्ध है, ऐसा निर्धारण करने का औचित्य, जोखिम को अनुकूलित करने अथवा न्यून करने एवं इससे संबंधित वित्तीय निहितार्थ से संबंधित जानकारी नीचे दिए गए प्रारूप में करें।

क्र. सं.	संज्ञान में लिया गया सामग्रीगत मामला	यह बताएं कि क्या जोखिम है अथवा अवसर है (जोखिम/अवसर)	जोखिम/अवसर की पहचान का औचित्य	जोखिम के मामले में अनुकूलन अथवा न्यून करने के लिए अपनाया गया दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव सूचित करें)
1	पर्यावरणीय फुटप्रिंट – जल प्रबंधन	जोखिम	जल की कमी से कंपनी के परिचालन एवं कंपनी का व्यवसाय बाधित हो सकता है। कंपनी एचडीपीई केबलों का विनिर्माण करती है जिसके लिए जल खपत की मात्रा काफी अधिक है।	कर्मचारियों को जल बचत की विधियां सुझाना, कैम्प्स में जल का अधिक इष्टतम उपयोग, वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट जल की रिसाइकलिंग	नकारात्मक
2	हरित सौर ऊर्जा	अवसर	कंपनी द्वारा अपनी सभी यूनिटों में कुल 5.66 मेगावाट क्षमता युक्त सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं जिनसे 25% की बचत संभव होगी। इसके अलावा कंपनी जीपॉन परियोजनाओं, बीबीएनएल, पतंजलि एवं विभिन्न अन्य ग्राहकों को 73000 सौर पैनलों की आपूर्ति भी कर रही है; उत्तर प्रदेश सरकार को 15000 सौर स्ट्रीट लाइटों की आपूर्ति की गई है। कंपनी वर्तमान में बिहार राज्य की ब्रेडा (बीआरईडीए) परियोजना के लिए 62000 सौर स्ट्रीट लाइटों की आपूर्ति की परियोजना पर कार्य कर रही है।	शून्	सकारात्मक

खंड ख : प्रबंधन एवं प्रक्रिया प्रकटीकरण

यह खंड एनजीआरबीसी सिद्धांतों एवं प्रमुख तत्वों को अंगीकार करने की दिशा में व्यवसायों अपनी संरचनाएं, नीतियां एवं प्रक्रियाओं की रूपरेखा की प्रस्तुति में सहायता प्रदान करने के लिए है।

प्रकटीकरण प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
नीति एवं प्रबंधन प्रक्रियाएं									
1. क. क्या कंपनी की कोई ऐसी नीति/नीतियां हैं जिसमें एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत एवं उसके मूल तत्व शामिल हों (हां / नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	-	हां	हां
ख. क्या नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है? (हां / नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	-	हां	हां
ग. नीतियों का वेबलिंक, यदि उपलब्ध हैं : **https://www.itiltd.in/**									
2. क्या कंपनी की नीतियों को प्रक्रियाओं में अंतरित किया गया है (हां / नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	-	हां	हां
3. क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके वैल्यु चेन साझेदारों के लिए भी विस्तारित हैं (हां / नहीं)	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	-	हां	हां

*आईटीआई लिमिटेड अपने लाभ के लिए सार्वजनिक एवं विनियामक नीतियों की प्रभाव्यता की हिमायत नहीं करती है, अत: किसी नीति का निर्माण नहीं किया गया है। अपेक्षा होने पर कंपनी व्यापार उद्योग तथा इंडस्ट्री चेम्बर्स तथा एसोसिएशनों एवं अन्य सामूहिक मंचों के माध्यम से सक्षम प्राधिकरण से सम्पर्क कर सकती है।

4. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संहिताओं / प्रमाणपत्रों /लेबलों / मानकों (यथा वन स्टिवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेन फोरेस्ट एलायंस, न्यासी) मानक (यथा एसए 8000, ओएचएसएएस, आईएसओ, बीआईएस) हैं, जो आपकी कंपनी ने अंगीकार किए हों तथा प्रत्येक सिद्धांत के अनुकूल हों।	• कॉर्पोरेट शासन के लिए कंपनी सेबी विनियमों तथा लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों एवं अन्यों का अनुसरण नैतिक, पारदर्शी एवं उत्तरदेयी व्यवसाय व्यवहार के सुनिश्चय के लिए करती है। • आईटीआई की यूनिट आईएसओ 14001-2015 ; आईएसओ 9001:2015; आईएसओ10002:2018 के लिए प्रमाणित हैं। • हमारे ग्राहकों के मानकों के सुनिश्चय के लिए आईटीआई के उत्पाद यथालागू बीआईएस;टीईसी;टीएसईसी; आरडीएसओ;एनपीसीआई के लिए प्रमाणित हैं। • आईटीआई के कुछ उत्पादन ट्रेड मार्क पंजीकृत हैं। • आईटीआई ईएमसी परीक्षण प्रयोगशालाएं एनएबीएल से मान्यता प्राप्त हैं।
5. कंपनी द्वारा परिभाषित समयसीमा के साथ निर्धारित की गई कोई विशिष्ट प्रतिबद्धता, ध्येय तथा लक्ष्य, यदि कोई हों।	अनवरत उन्नयन तथा प्रमाणपत्रों का समय पर यथाअपेक्षित प्रमाणन किया जाता है।
6. विशिष्ट प्रतिबद्धता, ध्येय तथा लक्ष्य के संबंध में कंपनी का निष्पादन तथा यदि पूर्ण नहीं हुए हैं , तो उसके कारणों का उल्लेख करें।	लागू नहीं क्योंकि कंपनी द्वारा नीति / मैनुअल / प्रमाणपत्रों का यथालागू उन्नयन / नवीकरण समय पर किया जाता है।

शासी व्यवस्था, नेतृत्व एवं चौकसी

7. **व्यवसाय उत्तरदेयता रिपोर्ट की प्रस्तुति के लिए उत्तरदेयी निदेशक द्वारा प्रस्तुति जिसमें ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का विवरण हो (इस प्रकटीकरण की प्रस्तुति के संबंध में सूचीबद्ध इकाई में लोचकता हो)**

कंपनी के पांच मूल्यों में से एक मूल्य "हम अपने व्यवसायों में पर्यावरण और सामाजिक सिद्धांतों का एकीकरण इस सुनिश्चय के लिए करेंगें कि हम जो भी उत्पति करें वह वापस स्टेकधारकों को ही प्राप्त हो" हमारी कंपनी ने वैल्यू चेन, संयंत्र परिचालन एवं उत्पादन के साथ साथ संवहनीयता के हमारे प्रयासों से तालमेल बनाकर रखा है। एक दूरसंचार कंपनी होने के नाते आईटीआई

लिमिटेड का पर्यावरण संरक्षण की प्रक्रियाओं के माध्यम से समाज के लिए संवहनीय भविष्य का निर्माण करना है। उत्पन्न होने वाले प्रत्येक उत्सर्जन एवं अपशिष्ट की निगरानी प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा किए जाने वाले निर्धारण के अनुसार की जाती है। अपनी लक्षित स्वास्थ्य सेवा, रोजगार संवर्धन के लिए कौशल विकास तथा स्व-रोजगार, शिक्षा, स्वच्छता, पेयजल, नदी कायाकल्प, पर्यावरण संवहनीयता तथा खेल विकास जैसे मुद्दो का समाधान सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से करके कंपनी सामाजिक आर्थिक कायाकल्प में सक्रिय योगदान दे रही है।

पर्यावरण परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं के निवारण के लिए कंपनी प्रभावी ऊर्जा प्रबंधन उपायों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अंगीकार करके अपना योगदान दे रही है। ऊर्जा कुशल चिलर्स, प्रकाश प्रबंधन प्रणाली, भवन प्रबंधन प्रणाली एवं दिन के प्रकाश के सेवन जैसी ऊर्जा-बचत पहलों को अपनाया गया है। ऊर्जा उत्पति एवं कैप्टिव खपत के लिए सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के लिए प्रोत्साहन है। कंपनी ने नेट जीरो ग्रिड ऊर्जा के चरण की प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाया है। इसके अलावा यूनिटों में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत निर्मित नियमों की सामान्य प्रक्रियाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के निपटान के लिए अपशिष्ट निपटान समिति का गठन किया गया है। औद्योगिक अपशिष्ट का निपटान सामान्य निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।

इसके अलावा, कंपनी ईएसजी सिद्धांतों से संबंधित ऊर्जा ऑडिट, सुरक्षा ऑडिट, गुणवत्ता ऑडिट, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली ऑडिट जैसे विभिन्न ऑडिट के दायरे में भी आती है, जो कंपनी के लिए ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा इनपुट की मात्रा, ऊर्जा लागत और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए उत्कृष्ट कार्रवाई का निर्धारण करने में सहायक है।

संवहनीय व्यवसाय व्यवहारों को अंगीकार किए जाने की सबसे बड़ी बाधा सभी यूनिटों तथा एमएसपी कार्यालयों में ईएसजी सिद्धांतों को शामिल किए जाने की है। तथापि, कंपनी विभिन्न कार्यक्रमों एवं पहलों के नियमित परिचालन के माध्यम से ईएसजी सिद्धांतों के प्रति जागरूकता की उत्पति के प्रयास कर रही है।

आईटीआई, सार्वजनिक क्षेत्र का एक ऐसा उपक्रम है, जिसके निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है तथा इनके अनुपालन के लिए अधिनियम /नियम/विनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर रिक्त को भरने के संबंध में कंपनी का कोई नियंत्रण नहीं है।

8.	**व्यवसाय उत्तरदेयता नीति (नीतियों) के कार्यान्वयन एवं चौकसी के लिए उत्तरदेयी उच्चतर प्राधिकारी का विवरण.**	**श्री राजेश राय** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, डीआईएल: 10052045
9.	क्या कंपनी में संवहनीयता से संबंधित मामलों पर निर्णय निर्धारण के लिए निदेशक मंडल / निदेशक स्तरीय कोई विशिष्ट समिति है? (हां/नहीं) यदि हां, तो विवरण प्रस्तुत करें।	संवहनीयता से संबंधित मामलों पर निर्णय निर्धारण के लिए श्री राजेश राय, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक उत्तरदेयी हैं।

10. **कंपनी द्वारा की गई एनजीआरबीसी की समीक्षा से संबंधित विवरण:**

समीक्षा के विषय	**कृपया बताएं कि क्या निदेशक मंडल / निदेशक मंडल की समिति / किसी अन्य समिति द्वारा कोई समीक्षा की गई थी।**	**आवृत्ति (वार्षिक / अर्द्ध-वार्षिक/ तिमाही/ अन्य कोई, कृपया स्पष्ट करें)**
	पी 1 **पी 2** **पी 3** **पी 4** **पी 5** **पी 6** **पी 7** **पी 8** **पी 9**	**पी 1** **पी 2** **पी 3** **पी 4** **पी 5** **पी 6** **पी 7** **पी 8** **पी 9**
उपर्युक्त नीतियों के प्रति निष्पादन तथा अनुवर्ती कार्रवाई	कंपनी की सभी नीतियों की समीक्षा नियमित आधार पर अथवा आवश्यकता आधार पर विभाग प्रमुखों / संबंधित समितियों द्वारा की जाती है तथा इन्हें अपेक्षानुसार निदेशक मंडल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया में इन नीतियों की प्रभावकारिता की भी समीक्षा होती है तथा कार्यान्वित की जाने वाली नीतियों एवं प्रक्रियाओं में आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं।	
सिद्धांत से संबंधित किसी सांविधिक अपेक्षा के उल्लंघन तथा किसी उल्लंघन में सुधार के प्रति की गई कार्रवाई	निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित सेबी (एलओडीआर) विनियमों के अंतर्गत निदेशक मंडल के गठन के अलावा अनुपालन किया गया है। यह कंपनी केन्द्र सरकार का सार्वजनिक उपक्रम है तथा निदेशकों की नियुक्ति संबंधित मंत्रालय / विभाग द्वारा की जाती है। यह मामला संचार मंत्रालय रिक्त पदों की पूर्ति के लिए संदर्भित किया गया है तथा यह कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय / लोक उद्यम विभाग में विचाराधीन है।	जब कभी अपेक्षा होती है।

11. क्या कंपनी ने किसी बाह्य एजेंसी से अपनी नीतियों की कार्यशीलता का कोई स्वतंत्र निरूपण / मूल्यांकन करवाया है? (हां / नहीं) यदि हां, तो एजेंसी का नाम बताएं।	**पी 1**	**पी 2**	**पी 3**	**पी 4**	**पी 5**	**पी 6**	**पी 7**	**पी 8**	**पी 9**
	कंपनी के प्रति सांविधिक लेखापरीक्षा, सी एवं एजी लेखापरीक्षा, लागत लेखापरीक्षा, सचिवीय लेखापरीक्षा, ऊर्जा ऑडिट, सुरक्षा ऑडिट, गुणवत्ता ऑडिट, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली ऑडिट आदि जैसे विभिन्न ऑडिट किए जाते हैं। इन ऑडिटों से से विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य नीतियों के अनुपालन का सुनिश्चय होता है।							

12. यदि उपर्युक्त प्रश्न (1) का उत्तर "नहीं" है अर्थात सभी सिद्धांत नीति के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, तो उसके कारण सूचित करें :

प्रश्न	**पी 1**	**पी 2**	**पी 3**	**पी 4**	**पी 5**	**पी 6**	**पी 7**	**पी 8**	**पी 9**
कंपनी ने सिद्धांत को अपने व्यवसाय के लिए सामग्रीगत नहीं माना है (हां / नहीं)	लागू नहीं								
कंपनी की स्थिति ऐसी नहीं है कि यह विशिष्ट सिद्धांत से संबंधित नीतियों का स्वयं निर्माण तथा नीतियों का कार्यान्वयन कर सके। (हां / नहीं)									
कंपनी के पास इस कार्य के लिए वित्तीय अथवा/ जनशक्ति के संसाधन नहीं हैं। (हां / नहीं)									
यह अगले वित्तीय वर्ष में कार्य के लिए योजनागत है। (हां / नहीं)									
अन्य कोई कारण (कृपया ब्यौरा दें)									

खंड ग: सिद्धांत वार निष्पादन प्रकटीकरण

यह खंड का उद्देश्य इकाईओं को प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ सिद्धांतों और मूल तत्वों के लिए किए गए निष्पादन की प्रस्तुति के लिए है। इसमें मांगी गई जानकारी को "अनिवार्य" और "नेतृत्व" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक इकाई से ऐसे अनिवार्य सूचकों का प्रकटीकरण किए जाने की अपेक्षा की गई है जो इस रिपोर्ट की प्रस्तुति के लिए अनिवार्य हैं, इकाई द्वारा प्रकटीकरण किए जाने वाले प्रबंधन सूचक स्वैच्छिक हैं जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से उत्तरदेयी होने की अपनी आकांक्षा में उच्च स्तर तक प्रगति करने की इच्छा रखते हैं।

ङ निष्पादन प्रकटीकरण

सिद्धांत 1 : व्यवसाय व्यवहार एवं परिचालन सत्यनिष्ठा एवं उत्तरदेयता, पारदर्शिता के साथ किए जाने चाहिए।

1) वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों से प्राप्त प्रतिशत कवरेज:

घटक	आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण में शामिल विषय/सिद्धांत और उनका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों का प्रतिशत
निदेशक मंडल	2	कार्यात्मक निदेशकों के लिए अनुकूलन कार्यक्रम (पूर्णकालिक) – सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशकों के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न (प्रतिषेध, प्रतितोष एवं निवारण) अधिनियम, 2013 – पीओएसएच	40%
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)	---	---	---
निदेशक मंडल एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के अलावा अन्य कर्मचारी	64*	ईआरपी प्रशिक्षण, 4जी प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, स्व-प्रबंधन, प्रेरणा एवं नेतृत्व विकास, एड्स से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम, हिन्दी प्रशिक्षण तथा टाइपिंग, हिन्दी टाइपिंग, महिला स्व-रक्षा, स्वस्थता सत्र, पीओएसएच के विषय पर कार्यशाला, भर्ती नीति एवं आरक्षण नियमावली, अनुशासनिक प्रक्रियाएं, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से सम्पदा प्रबंधन, 6 जीएचजैड तथा वाई-फाई एस्सेस की लाइसेंसिंग समाप्त करना, दूरसंचार सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी एवं इसकी उपयोज्यताएं, आईटीयू की संरचना एवं मूलभूत जानकारी, सीसीएस आचरण नियमावली, भारतनेट का सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, साइबर स्वच्छता एवं सुरक्षा, सोशल मीडिया एवं गवर्नेंस आदि	38.82%
कामगार	1**	विद्युत सुरक्षा	22.46%

नोट:

* निदेशक मंडल की बैठकों के अलावा, कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न (प्रतिषेध, प्रतितोष एवं निवारण) अधिनियम 2013 – पीओएसएच प्रशिक्षण में कर्मचारियों तथा कामगारों ने भी प्रतिभागिता की थी।

** कर्मचारियों के साथ साथ कामगारों ने अधिकांश प्रशिक्षणों एवं जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया था।

2. निम्नलिखित प्रारूप में वित्तीय वर्ष में विनियामकों/विधि प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों को (इकाई द्वारा अथवा निदेशकों/प्रमुख प्रबंधन कार्मिक द्वारा) भुगतान किया गया अर्थदंड/शास्ति/दंड/न्याय निर्णय/कंपाउंडिंग शुल्क/निपटान राशि का विवरण (नोट: इकाई द्वारा सेबी (सूचीबद्धता अपेक्षाएं एवं प्रकटीकरण दायित्व) विनियम, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट और इकाई की वेबसाइट पर प्रदर्शित वस्तुपरकता के आधार पर प्रकटीकरण किया जाना है):

मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	विनियामक / प्रवर्तन एजेंसियों / न्यायिक संस्थानों का नाम	राशि (रुपए)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या कोई अपील दायर की गई है (हां/नहीं)
शास्ति / अर्थदंड	शून्य				
समझौता					
समझौता शुल्क					

गैर – मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम	राशि (रुपए)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या कोई अपील दायर की गई है (हां/नहीं)
कैद होना	शून्य				
सज़ा					

3. ऊपर प्रश्न 2 में प्रकट की गई घटनाओं में से मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई के प्रति अपील किए जाने के मामलों में अपील / आधिमत संशोधन – **शून्य**

मामले का विवरण	विनियामक / प्रर्वतन एजेंसी / न्याय संस्थान के नाम

4. क्या इकाई में भ्रष्टाचार रोधक अथवा रिश्वत रोधी नीति है? यदि हां, तो संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत करें और यदि उपलब्ध हो, तो पॉलिसी का वेब-लिंक दें।

कंपनी में भ्रष्टाचार रोधी नीति के अंतर्गत व्हीसल ब्लोअर नीति (सचेतक नीति) कार्यशील है। व्हीसल ब्लोअर नीति अनाचरण युक्त व्यवहारों, वास्तविक अथवा संदेहास्पद जालसाजियों अथवा आचरण संहिता के उल्लंघनों के वास्तविक सरोकारों को सूचित करने के चैनल उपलब्ध करवाने के लिए लक्ष्यबद्ध है।

नीति का वेबलिंग नीचे दिया गया है :
https://www.itiltd.in/Vigilance/Corp%20HR%20Policy%20Circular%20No%20557%20dated%2003%2004%202021-revised.pdf

5. ऐसे निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोप में अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है: **शून्य**

	वित्त वर्ष 2023-24 (चालू वित्तीय वर्ष)	**वित्त वर्ष 2022-23 (पिछला वित्तीय वर्ष)**
निदेशक	**शून्य**	**शून्य**
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक		
कर्मचारी		
कामगार		

6. हित संघर्ष से संबंधित शिकायतों का विवरण: **शून्य**

	वित्त वर्ष 2023-24 (चालू वित्तीय वर्ष)	**वित्त वर्ष 2022-23 (पिछला वित्तीय वर्ष)**
निदेशकों के हित संघर्ष के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के हित संघर्ष के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य

7. भ्रष्टाचार एवं हित संघर्ष के मामलों पर विनियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा शास्ति/अर्थ दंड के संबंध में की गई अथवा प्रक्रियाधीन किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करें। : **शून्य**

सिद्धांत 2 : व्यापार के लिए ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धि करवाई जानी चाहिए जो संवहनीय एवं सुरक्षित हों

अनिवार्य सूचक

1. इकाई द्वारा उत्पादों एवं प्रक्रियाओं में पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव में सुधार के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में किए गए अनुसंधान एवं विकास तथा पूंजी व्यय (कैपेक्स) निवेश तथा इकाई द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास तथा पूंजी व्यय निवेश का क्रमश: प्रतिशत

	चालू वित्तीय वर्ष	**पिछला वित्तीय वर्ष**	**पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण**
अनुसंधान एवं विकास	शून्य	शून्य	आईटीआई के अनुसंधान विकास उत्पाद सुरक्षित संचार के लिए प्रयुक्त होते हैं तथा इनका विकास एवं प्रमाणन ग्राहक की विशिष्टताओं के अनुसार होता है, अत: कोई विशिष्ट इनपुट नहीं है

2. क. क्या इकाई में संवहनीय स्रोतन के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं? (हां नहीं) – हां
ख. यदि हां, तो कितने प्रतिशत इनपुट संवहनीय रूप से प्राप्त किए गए थे?

100%, कंपनी द्वारा कच्चे माल का स्रोतण लागू विभिन्न मानकों / प्रमाणनों के अनुसरण में किया जा रहा है।

3. (क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (ख) ई-कचरा (ग) खतरनाक अपशिष्ट और (घ) अन्य अपशिष्ट के लिए अपने उत्पादों को पुन: उपयोग, रिसाइकलिंग तथा उपयोज्यता काल निपटान के संबंध में सुरक्षित रूप से पुन: प्राप्ति की प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

कंपनी में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित अधिकृत रिसाइक्लर्स के माध्यम से अपने उत्पादों/उपकरणों की निर्माण प्रक्रिया से निकलने वाले कचरे को वितरित करने के लिए एक संरचित तंत्रव्यवस्था है। धातु अपशिष्ट, अपशिष्ट तेल, सॉल्वैंट्स और तांबा युक्त अस्वीकृत को पुनर्चक्रण और पुनर्प्राप्ति के लिए रिसाइक्लर्स को अधिकृत करने के लिए (100%) भेजा जाता है। कागज और प्लास्टिक रिसाइक्लर्स को दे दिया जाता है।

इसके अलावा, विनिर्माण संयंत्रों में कारखाने और टाउनशिप से अपशिष्ट जल के प्रभावी रिसाइकलिंग के लिए जल उपचार किया जाता है।

प्रदूषण को रोकने के लिए विनिर्माण प्रक्रिया में स्वच्छ प्रौद्योगिकी की अवधारणा व्यवहार में लाई जाती है। आईटीआई का ध्यान स्रोत पर ही प्रदूषण की रोकथाम करना है। इस दिशा में, मौजूदा प्रक्रियाओं में कई सुधार और संशोधन शामिल किए गए हैं। पीसीबी निर्माण और धातु परिष्करण प्रक्रियाओं में कुछ खतरनाक पदार्थों के प्रतिबंध (आरओएचएस) के अनुरूप कई प्रक्रियाओं को पेश किया गया है।

अतिरिक्त पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों का कार्यान्वयन किया गया है , जैसे कम धुआं हैलोजन केबल, कम वीओसी धातु फिनिश (पॉलीयुरेथेन), साइनाइड मुक्त चांदी, जस्ता और तांबा चढ़ाना, और त्रिसंयोजक क्रोमियम-आधारित क्रोमेट रूपांतरण कोटिंग।

आईटीआई द्वारा 5600 किलोवाट का ग्रिड इंटरएक्टिव रूफटाप सोलर पीवी पावर संयंत्र स्थापित किया है।.

4. क्या विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) इकाई के कार्यों पर लागू है। (हां/नहीं)। यदि हां, तो क्या कचरा संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके संबंध में क्या उपाय किए गए हैं।

लागू नहीं

सिद्धांत 3 : व्यापार में सभी कर्मचारियों एवं वैल्यु चेन के कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

अनिवार्य सूचक											
1) क. कर्मचारियों की सुख सुविधा के लिए किए गए उपायों का विवरण:											
वर्ग (अधिकारी)	योग	कवर किए गए कर्मचारियों का %									
		समूह जीवन बीमा		कल्याणकारी लाभ		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		सं. (ख)	% (ख)/(क)	सं. (ग)	% (ग)/(क)	सं. (घ)	% (घ/क)	सं. ङ	सं. (ङ /क)	सं. (ङ)	% (च)/ (क)
स्थायी कर्मचारी											
पुरूष	643	643	100%	643	100%	-	-	-	-	643	100%
महिला	174	174	100%	174	100%	174	100%	-	-	174	100%
योग	**817**	**817**	**100%**	**817**	**100%**	**174**	**26.8%**	**-**	**-**	**817**	**100%**
स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य											
पुरूष	298	298	100%	298	100%	-	-	-	-	298	100%
महिला	98	98	100%	98	100%	98	100%	-	-	98	100%
योग	**396**	**396**	**100%**	**396**	**100%**	**98**	**25%**	**-**	**-**	**396**	**100%**
ख. कामगारों की सुख सुविधा के लिए किए गए उपायों का विवरण:											
वर्ग (गैर-अधिकारी)	योग	कवर किए गए कर्मचारियों का %									
		समूह जीवन बीमा		कल्याणकारी लाभ		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		सं. (ख)	% (ख)/ (क)	सं. (ग)	% (ग)/(क)	सं. (घ)	% (घ/क)	सं. ङ	सं. (ङ /क)	सं. (ङ)	% (च)/ (क)
स्थाई कर्मचारी											
पुरूष	169	169	100%	169	100%	-	-	-	-	169	100%
महिला	10	10	100%	10	100%	10	100%	-	-	10	100%
योग	**179**	**179**	**100%**	**179**	**100%**	**10**	**5.6%**	**-**	**-**	**179**	**100%**
स्थाई कर्मचारियों के अलावा अन्य											
पुरूष	196	196	100%	196	100%	-	-	-	-	196	100%
महिला	88	88	100%	88	100%	88	100%	-	-	88	100%
योग	**284**	**284**	**100%**	**284**	**100%**	**88**	**31%**	**-**	**-**	**284**	**100%**

2) **चालू वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष में सेवानिवृत्ति लाभ का विवरण।**

वर्ग	वित्तीय वर्ष 2023 - 24			वित्तीय वर्ष 2022 - 23		
लाभ	कुल कर्मचारियों के प्रति कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या का प्रतिशत	कुल कामगारों के प्रति कवर किए गए कामगारों की संख्या का प्रतिशत	कटौती की गई और प्राधिकारी को जमा की गई (हां/नहीं/ लागू नहीं)	कुल कर्मचारियों के प्रति कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या का प्रतिशत	कुल कामगारों के प्रति कवर किए गए कामगारों की संख्या का प्रतिशत	कटौती की गई और प्राधिकारी को जमा की गई (हां/नहीं/ लागू नहीं)
भ.निधि	72%	28%	लागू नहीं	30.40%	23.20%	लागू नहीं
उपदान	72%	28%	लागू नहीं	30.40%	23.20%	लागू नहीं
कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य (पीएल नकदीकरण)	72%	28%	लागू नहीं	30.40%	23.20%	लागू नहीं

3) कार्यस्थलों तक पहुंच

क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार परिसर/कार्यालय दिव्यांगजनों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या कंपनी द्वारा इस संबंध में कोई व्यवस्था की जा रही है?:

उत्तर: हां

4) क्या इकाई में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत समान अवसर नीति कार्यशील है? यदि हां, नीति का वेबलिंक प्रस्तुत करें।

उत्तर: दिव्यांगजन अधिकार लागू अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित हैं।

5) पितृत्व अवकाश का उपयोग करने वाले स्थाई कर्मचारियों एवं कामगारों की कार्य पर वापसी एवं धारण दर क्या है?

उत्तर:

लिंग	स्थाई कर्मचारी		स्थाई कामगार	
	कार्य पर वापसी दर	धारण दर	कार्य पर वापसी दर	धारण दर
पुरूष	100%	100%	100%	100%
महिला	100%	100%	100%	100%
योग	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

6) क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों तथा कामगारों से शिकायतें प्राप्त करने और उनके निवारण की कोई तंत्रव्यवस्था है ? यदि हां, तो तंत्रव्यवस्था का संक्षिप्त विवरण दें।

उत्तर: कंपनी की शिकायत निवारण नीति के अनुसार सभी कर्मचारी अपनी संबंधित यूनिट में मौजूद शिकायत निवारण समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं । एक कॉर्पोरेट नीति परिपत्र जारी किया गया है जिसके अनुसार कर्मचारी यूनियनों / अधिकारी एसोसिएशन से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए अपनी शिकायतें प्रत्येक माह के दूसरे एवं चौथे शुक्रवार वे अपने सुझाव या शिकायतें कार्यालय परिसर में रखी सुझाव पेटी में डाल सकते हैं तथा शिकायतों का निवारण प्रत्येक माह के पहले एवं तीसरे शुक्रवार को किया जाता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (प्रतिषेध, प्रतितोष एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत महिला कर्मचारी अपनी शिकायतें पीओएसएच अधिनियम के अंतर्गत गठित आंतरिक शिकायत समिति को रिपोर्ट कर सकती हैं।.

7) सूचीबद्ध इकाईयों में कर्मचारियों तथा कामगारों की मान्यता प्राप्त एसोसिएशन अथवा यूनियनों में सदस्यता:

वर्ग	वित्तीय वर्ष 2023-24 चालू वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2022-23 पिछला वित्तीय वर्ष		
	संबंधित वर्ग के कर्मचारियों / कामगारों की कुल संख्या (क)	संबंधित वर्ग के उन कर्मचारियों / कामगारों की कुल संख्या जो एसोसिएशन / यूनियन के अंतर्गत हैं	%(ख/क)	संबंधित वर्ग के कर्मचारियों / कामगारों की कुल संख्या (क)	संबंधित वर्ग के उन कर्मचारियों / कामगारों की कुल संख्या जो एसोसिएशन / यूनियन के अंतर्गत हैं	%(ख/क)
कुल स्थाई कर्मचारी	817	817	100%	1072	1072	100%
पुरूष	643	643	100%	875	875	100%
महिला	174	174	100%	197	197	100%
कुल स्थाई कर्मचारी	179	179	100%	245	245	100%
पुरूष	169	169	100%	221	221	100%
महिला	10	10	100%	24	24	100%
नोट: सभी नियमित कर्मचारी एवं अधिकारी आईटीआई एम्प्लाइज यूनियन तथा आईटीआई आफिसर्स यूनियन में क्रमश: सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं।						

8) कर्मचारियों एवं कामगारों को दिये गये प्रशिक्षण का विवरण:

वर्ग	वित्तीय वर्ष 2023-24 चालू वित्तीय वर्ष					वित्तीय वर्ष 2022-23 पिछला वित्तीय वर्ष				
	कुल (क)	स्वास्थ्य और सुरक्षा/कल्याण उपाय		कौशल उन्नयन		कुल (घ)	स्वास्थ्य और सुरक्षा/कल्याण उपाय		कौशल उन्नयन	
		सं.(ख)	%(ख)/(क)	सं.(ग)	% (ग)/(क)		सं.(ङ)	%(ङ/घ)	सं.(च)	%(च/घ)
कर्मचारी										
पुरूष	941	84	8.93	279	29.65	598	37	6.19	561	93.81
महिला	272	31	11.40	135	49.63	175	15	8.57	160	91.43
योग	**1213**	**115**	**9.48**	**414**	**34.13**	**773**	**52**	**6.73**	**721**	**93.27**
कामगार										
पुरूष	365	16	4.38	31	8.49	84	20	23.81	64	76.19
महिला	98	14	14.29	57	58.16	34	0	0.00	34	100.00
योग	**463**	**30**	**6.48**	**88**	**19.01**	**118**	**20**	**16.95**	**98**	**83.05**

9) कर्मचारियों के निष्पादन एवं आजीविका विकास की समीक्षा का विवरण:

विवरण	31.03.2024 को स्थिति			31.03.2023 को स्थिति		
	योग (क)	सं. (ख)	% (ख)/(क)	योग (ग)	सं.(घ)	% (घ/ग)
कर्मचारी						
पुरूष	1011	1011	100%	1283	1283	100%
महिला	286	286	100%	308	308	100%
योग	**1297**	**1297**	**100%**	**1591**	**1591**	**100%**
कामगार						
पुरूष	393	393	100%	477	477	100%
महिला	106	106	100%	109	109	100%
योग	**499**	**499**	**100%**	**586**	**586**	**100%**

10) स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

क. क्या इकाई द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन किया गया है? (हां नहीं)। यदि हां, तो ऐसी प्रणाली की कवरेज क्या है?

जी, हां। कर्मचारियों के इष्टतम स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा नियमों के अनुसार सभी आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल शामिल किए गए हैं।

ख. इकाई द्वारा कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने तथा जोखिमों का नियमित एवं गैर-नियमित आधार पर आकलन करने के लिए उपयोग में लाई गई प्रक्रियाएं क्या हैं?

यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित जांच एवं निगरानी की जाती है कि क्या उच्च सुरक्षा प्रबंधन मानक स्थापित किए गए हैं अथवा नहीं हैं।

ग. क्या कंपनी में कार्य संबंधित खतरों के बारे में कामगार रिपोर्टिंग तथा ऐसे जोखिमों को दूर करने की प्रक्रियाएं हैं (हां/नहीं)।

हां

घ. क्या कंपनी के कर्मचारियों / कामगारों के लिए गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हैं? (हां नहीं)।

हां

11) नीचे दिए गए प्रारूप में सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण:

सुरक्षा घटना/संख्या	वर्ग	वित्त वर्ष 2023-24 चालू वित्तीय वर्ष	वित्त वर्ष 2022-23 पिछला वित्तीय वर्ष
लॉस्ट टाइम इंजरी (चोट) आवृत्ति दर (एलटीआईएफआर) (प्रति एक मिलियन व्यक्ति कार्य घंटे)	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार		
योग रिकॉर्ड करने योग्य कार्य-संबंधी चोटें	कर्मचारी		
	कामगार		
मृतकों की संख्या	कर्मचारी		
	कामगार		
उच्च परिणामी कार्य-संबंधी चोट या खराब स्वास्थ्य (मृत्यु के अलावा)	कर्मचारी		
	कामगार		

12. इकाई द्वारा सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का वर्णन करें।

- कार्य निर्देश और सुरक्षित कार्य पद्धतियां तैयार की गई हैं तथा इनकी उपलब्धता सुगम है।
- सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए समय-समय पर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

13. कर्मचारियों तथा कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

वर्ग	वित्त वर्ष 2023-24 (चालू वित्तीय वर्ष)			वित्त वर्ष 2022-23 (पिछला वित्तीय वर्ष)		
	वर्ष के दौरान प्रस्तुत	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान प्रस्तुत	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
कार्य स्थितियां	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
स्वास्थ्य और सुरक्षा	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं

14. वर्ष से संबंधित मूल्यांकन:

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका (इकाई अथवा सांविधिक प्राधिकरणों अथवा तीसरे पक्ष द्वारा) मूल्यांकन किया गया था
स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवहार	100%
कार्य स्थितियां	100%

15. सुरक्षा-संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा व्यवहारों एवं कामकाजी परिस्थितियों के मूल्यांकन से उत्पन्न महत्वपूर्ण जोखिमों / सरोकारों के समाधान के लिए की गई अथवा की जा रही किसी भी सुधार कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करें।

आईटीआई लिमिटेड में, विभिन्न ऑडिटिंग और निरीक्षण प्रक्रियाओं के माध्यम से खतरों और जोखिमों की पहचान की जाती है। नियंत्रण प्रक्रिया के अनुसार महत्वपूर्ण स्वास्थ्य और सुरक्षा खतरों को कम करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाइयां की जाती हैं।

सिद्धांत 4: व्यापार में प्रत्येक के हितों का सम्मान होना चाहिए तथा यह प्रत्येक स्टेकधारक के प्रति प्रतिक्रियात्मक होना चाहिए।

अनिवार्य सूचक

1) इकाई के प्रमुख स्टेकधारक समूहों की पहचान की प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

प्रमुख स्टेकधारक व्यक्ति, संगठन, पार्टियां या संस्थाएं हैं जिनसे हमारा व्यवसाय प्रभावित होता है, मूल्य संवर्धन अथवा मूल्य श्रृंखला के महत्वपूर्ण तत्व हैं। विक्रेता, ग्राहक, कर्मचारी, समुदाय और शेयरधारक हमारे कुछ प्रमुख स्टेकधारक हैं।

2) आपकी इकाई के लिए महत्वपूर्ण के रूप में पहचान किए गए स्टेकधारक समूहों की सूची बनाएं तथा यह बताएं कि प्रत्येक स्टेकधारक समूह के साथ कार्य व्यवसाय की आवृत्ति क्या है।

स्टेकधारक समूह	क्या कमजोर एवं वंचित समूह के रूप में पहचान की गई है (हां/नहीं)	संचार चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	कार्य व्यवसाय की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/ तिमाही /अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	ऐसे कार्य व्यवसाय के दौरान उठाए गए प्रमुख विषय एवं सरोकार सहित कार्य व्यवसाय का उद्देश्य और दायरा
समुदाय	नहीं	ईमेल, पत्र, सीएसआर पहल	आनगोइंग / आवश्यकता आधारित	जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्थानीय समुदाय के साथ जुड़ना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण देना
शेयरधारक	नहीं	ईमेल, समाचार पत्र, विज्ञापन, स्टाक एक्सचेंज, वेबसाइट, वर्चुअल बैठकें	आनगोइंग	शेयरधारकों के साथ बैठक तथा शिकायत निवारण
कर्मचारी एवं कामगार	नहीं	इंटरानेट, ईमेल, एसएमएस, वर्चुअल बैठकें, वैयक्तिक बैठक, आंतरिक प्रसंग, सूचना पट्टा	आनगोइंग	व्यापार सूचना, अध्ययन एवं विकास तथा मानव संसाधन नीतियों एवं व्यवहारों से संबंधित संचार,
ग्राहक	नहीं	ईमेल, पत्र, बैठकें	आनगोइंग	विक्रेताओं के साथ कांक्लेव का आयोजन, विभिन्न प्रर्दशनियों के माध्यम उत्पादों का प्रदर्शन
वैल्यु चेन भागीदार	नहीं	ईमेल, वेबसाइट	आनगोइंग / आवश्यकता आधारित	वेबसाइट पर निविदाएं जारी की जाती हैं। एमएसई विक्रेताओं के हित में प्रापण योजना प्रतिभागिता के लिए उपलब्ध ओपन निविदा।
विनियामक प्राधिकरण	नहीं	अनुसूचित बैठकें, उद्योग फोरम के साथ नियमित सम्पर्क	आनगोइंग	चर्चा एवं विनियमन के इनपुट व्यवसाय आचार व्यवहार

सिद्धांत 5 : व्यापार के अंतर्गत मानवाधिकारों को सम्मान दिया जाना चाहिए और इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

अनिवार्य सूचक

1) जिन कर्मचारियों और कामगारों को निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार मानवाधिकार से संबंधित मामलों एवं कंपनी की नीति (नीतियों) के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:

वर्ग	वित्त वर्ष 2023-24 चालू वित्तीय वर्ष			वित्त वर्ष 2022-23 पिछला वित्तीय वर्ष		
	योग (क)	कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या (ख)	% (ख)/क	योग (ग)	कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या (घ)	% (घ/ग)
कर्मचारी						
स्थाई	817	74	9.06	1487	124	8.34
स्थाई के अलावा अन्य	396	71	17.93	45	0	0
योग कर्मचारी	**1213**	**145**	**11.95**	**1532**	**124**	**8.09**
कामगार						
स्थाई	179	0	0.00	392	12	3.06
स्थाई के अलावा अन्य	284	18	6.34	194	1	0.52
योग कामगार	**463**	**18**	**3.89**	**586**	**13**	**2.22**

2) निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारियों और कामगारों को चुकता की गई न्यूनतम मजदूरी का विवरण:

वर्ग	चालू वित्त वर्ष 2023-24					पिछला वित्त वर्ष 2022-23				
	योग (क)	न्यूनतम वेतन के बराबर (ख)		न्यूनतम वेतन से अधिक (ग)		योग (घ)	न्यूनतम वेतन के बराबर (ङ)		न्यूनतम वेतन के बराबर(च)	
		सं. (ख)	% (ख)/(क)	सं. (ग)	% (ग)/ (क)		सं. (ङ)	% (ङ / घ)	सं. (च)	% (च/घ)
कर्मचारी										
स्थाई	**817**	**शून्य**	**शून्य**	**817**	**100%**	**1072**	**शून्य**	**शून्य**	**1072**	**100%**
पुरूष	643	**शून्य**	**शून्य**	643	**100%**	875	**शून्य**	**शून्य**	875	**100%**
महिला	174	**शून्य**	**शून्य**	174	**100%**	197	**शून्य**	**शून्य**	197	**100%**
स्थाई के अलावा अन्य	**396**	**शून्य**	**शून्य**	**390**	**98%**	**454**	**38**	**8.37%**	**416**	**92%**
पुरूष	298	**शून्य**	**शून्य**	292	**98%**	341	36	**10.56%**	305	**89%**
महिला	98	**शून्य**	**शून्य**	98	**100%**	113	2	**1.77%**	111	**98%**
कामगार										
स्थाई	179	**शून्य**	**शून्य**	179	**100%**	245	**शून्य**	**शून्य**	245	**100%**
पुरूष	169	**शून्य**	**शून्य**	169	**100%**	221	**शून्य**	**शून्य**	221	**100%**
महिला	10	**शून्य**	**शून्य**	10	**100%**	24	शून्य	**शून्य**	24	**100%**
स्थाई के अलावा अन्य	**284**	**164**	**57.75%**	**120**	**42%**	**347**	**194**	**55.9%**	**153**	**44.1%**
पुरूष	196	112	**57.14%**	84	**43%**	248	136	**54.8%**	112	**45.2%**
महिला	88	52	**59.09%**	36	**41%**	99	58	**58.6%**	41	**41.4%**

3) निम्नलिखित प्रारूप में पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण:

	पुरूष		महिला	
	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी
निदेशक मंडल *	3	1554572	2	104078
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक**	3	1554572	3	104078
निदेशक मंडल एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के अलावा अन्य कर्मचारी	938	65816	270	65816
कामगार	365	29864	98	29864

* 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार चार कार्यात्मक निदेशकों में एक महिला निदेशक हैं।

** 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार पांच प्रमुख प्रबंधन कार्मिक हैं। तथापि, इसमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के पदधारक कार्यात्मक निदेशकों एवं कंपनी सचिव तथा उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है जो अधिवार्षिता / त्यागपत्र के कारण अब निदेशक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक नहीं हैं।

4) क्या व्यवसाय के कारण अथवा परिणामस्वरूप उत्पन्न मानवाधिकार प्रभावों अथवा मामलों के निवारण के लिए उत्तरदायी कोई केन्द्र बिन्दु (व्यक्ति / समिति) आपके पास है?: नहीं।

5) मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण की विद्यमान आंतरिक तंत्रव्यवस्था का वर्णन करें।: नहीं

6) निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारियों और कामगारों द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायतों की संख्या:

वर्ग	2023-24 चालू वित्त वर्ष			2022-23 पिछला वित्त वर्ष		
	वर्ष के दौरान प्रस्तुत	वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान प्रस्तुत	वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित	टिप्पणियां
लैंगिक उत्पीड़न	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
कार्यस्थल पर पक्षपात	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
बाल श्रम	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
बलात श्रम/ अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
वेतन	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
मानवाधिकार से संबंधित अन्य मुद्दे	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-

7) पक्षपात और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता पर हो सकने वाले प्रतिकूल परिणामों की रोकथाम के लिए तंत्रव्यवस्था।

कंपनी में व्हिसल ब्लोअर नीति, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम नीति जैसी विभिन्न नीतियां हैं जो शिकायतकर्ता का बचाव भेदभाव अथवा उत्पीड़न के लिए अनुपालन फ़ाइल किए जाने के मामले में प्रतिकूल परिणामों से करती है।

8) क्या मानवाधिकार अपेक्षाएं आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का भाग हैं? (हां नहीं)

जी, हां। कंपनी की नीति के अनुसार मानवाधिकारों का ध्यान रखा जाता है। नियमित और अनुबंध कर्मचारियों के लिए काम के घंटे 8 घंटे तक सीमित हैं। मौलिक अधिकारों को सरकारी नीतियों के अनुरूप होने का सुनिश्चय किया जाता है।

9) वर्ष के दौरान मूल्यांकन:

वर्ष के दौरान मूल्यांकन	उन कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया (कंपनी अथवा सांविधिक प्राधिकरणों अथवा तीसरे पक्ष द्वारा)
बाल श्रम	शून्य
बलात/अनैच्छिक श्रम	शून्य
लैंगिक उत्पीड़न	शून्य
कार्यस्थल पर पक्षपात	शून्य

10) उपरोक्त प्रश्न 9 में मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/सरोकारों के निवारण के लिए की गई अथवा की जा रही सुधारात्मक कार्रवाईयों का विवरण प्रस्तुत करें।

शून्य

सिद्धांत 6: व्यापार के अंतर्गत पर्यावरण के सम्मान, संरक्षण एवं पुन: बहाली के प्रयास किए जाने चाहिए।

अनिवार्य सूचक

1) निम्नलिखित प्रारूप में योग ऊर्जा खपत (गीगा जूल अथवा मल्टीप्लस में) तथा ऊर्जा गहनता का विवरण:

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2023-24 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2022-23 (पिछला वित्तीय वर्ष)
योग बिजली खपत (क)	115841896596.00 केजे	115068786135.66 केजे
योग ईंधन खपत (ख)	597234571.89 केजे	314289212 केजे
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (ग) (सौर + पवन)	7948842616.80 केजे	3175859160 केजे
योग ऊर्जा खपत (क+ख+ग)	124387973784.69 केजे	118558934507.84 केजे
प्रति रूपए टर्नओवर के प्रति ऊर्जा गहनता (योग ऊर्जा खपत / रुपए में टर्नओवर	7.64 केजे/रुपए	7.46 केजे/रुपए

नोट: कृपया यह बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्य निर्धारण/आश्वासन किया गया है? यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम:

2) 2.क्या कंपनी की कोई भारत सरकार की निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के अंतर्गत नामोर्दिष्ट उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में निर्धारित की गई साइट/सुविधाएं हैं? क्या कंपनी की कोई भारत सरकार की निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के अंतर्गत नामोर्दिष्ट उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में निर्धारित की गई साइट/सुविधाएं हैं? यदि हां, तो कृपया बताएं कि क्या पीएटी योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य हासिल किए गए हैं।: शून्य

3) कृपया जल के संबंध में निम्नलिखित प्रकटीकरणों के विवरण प्रस्तुत करें :-

मापदंड	वित्त वर्ष 2023-24 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2022-23 (पिछला वित्तीय वर्ष)
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	322897	352885
(ii) भूजल	689379	688579
(iii) तृतीय पक्ष जल	58875	23760
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल	शून्य	शून्य
(v) अन्य	शून्य	97.2
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)	1071151	1065321.2
जल की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	1071151	1065321.2
प्रति रुपए टर्नओवर में जल गहनता (जल खपत /टर्नओवर)	0.00006579 केजे/रुपए	0.00006864 केजे/रुपए

नोट: कृपया यह बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्य निर्धारण/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं :

4) क्या इकाई ने शून्य तरल निर्वहन के लिए किसी तंत्रव्यवस्था का कार्यान्वयन किया है? यदि हां, तो इसकी कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रस्तुत करें।: शून्य

5) कृपया निम्नलिखित प्रारूप में इकाई द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रस्तुत करें:

मापदंड	कृपया यूनिट का उल्लेख करें	वित्त वर्ष 2023-24 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2022-23 (पिछला वित्तीय वर्ष)
एनओ x	एमजी/एनएम3	56.37	63.92
एसओ x	एमजी/एनएम3	54.7	71.01
पार्टिकुलेट मैटर (पीएम)	एमजी/एनएम3	126.22	111.26
अनवरत जैविक प्रदूषक (पीओपी)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अस्थिर जैविक यौगिक (वीओसी)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
खतरनाक वायु प्रदूषक (एचएपी)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य – कृपया उल्लेख करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

नोट: कृपया यह बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्य निर्धारण/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो कृपया बाह्य एजेंसी का नाम सूचित करें।

6) कृपया निम्नलिखित प्रारूप में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी गहनता का विवरण प्रदान करें:

मापदंड	इकाई	वित्त वर्ष 2023-24 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2022-23 (पिछला वित्तीय वर्ष)
योग स्कोप 1 उत्सर्जन (जीएचजी x सीओ2, सीएच4, एन2O, एचएफसी, पीएफसी,एसएफ6, एनएफ3, यदि उपलब्ध है, का ब्यौरा)	सीओ2 के समतुल्य मीट्रिक टन	शून्य	शून्य
योग स्कोप 2 उत्सर्जन (जीएचजी x सीओ2, सीएच4, एन2O, एचएफसी, पीएफसी,एसएफ6, एनएफ3, यदि उपलब्ध है, का ब्यौरा)	सीओ2 के समतुल्य मीट्रिक टन	शून्य	शून्य
प्रति रुपए टर्नओवर में योग स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन गहनता	मीट्रिक टन / रुपए	शून्य	शून्य

नोट: कृपया यह बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्य निर्धारण/आश्वासन किया गया है? यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम:

7) क्या इकाई के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां तो विवरण प्रस्तुत करें।

आईटीआई ने 18 मेगावाटपी की वार्षिक क्षमता के साथ सौर पैनल विनिर्माण के लिए विनिर्माण सुविधा स्थापित की है। आईटीआई को जुलाई-2026 तक के लिए 40डब्ल्यूपी से 325डब्ल्यूपी की वैधता वाले पॉली क्रिस्टलीय सौर मॉड्यूल के लिए बीआईएस प्रमाणन प्राप्त हुआ है।

आईटीआई ने पावर-इन जीपीओएन ओएनटी/वाईफाई एस्सेस उपकरण के लिए बीबीएनएल/बीएसएनएल को 47000 एसपीवी सिस्टम और महा आईटी परियोजना एवं बीएसएनएल टेलीकॉम टावर्स की 71 बीटीएस साइट के सोलराइजेशन के लिए 20000 एसपीवी सिस्टम की आपूर्ति की थी।

आईटीआई ने उत्तराखंड में 15350 सौर एलईडी स्मार्ट स्ट्रीट सौर लाइटें लगाई हैं और बिहार में 62000 स्मार्ट एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाने का कार्य प्रगति पर है।

ऑन ग्रिड यूटिलिटी स्केल सौर सिस्टम के अंतर्गत आईटीआई ने कैप्टिव उपयोग के लिए आईटीआई की विभिन्न यूनिटों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए 325डब्ल्यूपी के 18,955 सौर पैनल (5.66 मेगावाट) का निर्माण और आपूर्ति की थी, जीईएम अनुबंध के माध्यम से बीबीएनएल को 60डब्ल्यूपी SPV पैनल के 5625, 150 किलोवाट, मैसर्स पतंजलि को 120डब्ल्यूपी के 20000 सौर पैनलों की आपूर्ति से संबंधित प्रक्रियाएं की जा रही हैं, अन्य ग्राहकों को 1000 सौर पैनल आपूर्ति किए गए हैं, तिब्बतन यूनिवर्सिटी, वाराणसी के लिए ग्रिड कनेक्टेड सौर परियोजना, एनएएसी, बेंगलूरु के लिए 225 किलोवाट ग्रिड कनेक्टेड सौर परियोजना और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के लिए 100 किलोवाट ग्रिड कनेक्टेड रूफटाप सोलर परियोजना के कार्य किए गए हैं।

आईटीआई ने आरटीओ, जयपुर तथा एपीएस, झाँसी के लिए बैटरी बैकअप के साथ 10 किलोवाट ऑफ ग्रिड सौर प्रोजेक्ट (आवासीय छत सौर प्रणाली) भी निष्पादित किया था।

आईटीआई आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य के अनुरूप नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में व्यवसाय कर रहा है, जिसका उद्देश्य भारत में सौर पीवी विनिर्माण के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है, जो कार्बन उत्सर्जन को उत्तरोत्तर कम करना है।

8) अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कंपनी द्वारा किए गए कार्य से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:

मापदंड	वित्त वर्ष 2023-24 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2022-23 (पिछला वित्तीय वर्ष)
कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक कचरा (क)	5.215	120.57
ई-कचरा (ख)	1.305	49.471
जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (ग)	0.323	0.071
निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट (घ)	72	60
बैटरी अपशिष्ट (ङ)	14.34	शून्य
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (च)	शून्य	शून्य

अन्य खतरनाक अपशिष्ट. कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। (छ)	19.8	14.69
उत्पन्न अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट (ज)। कृपया स्पष्ट करें, यदि कोई हो (किसी सम्मिश्रण यथा क्षेत्र से सम्बद्ध सामग्रियों का विवरण)	12	44.35
योग (क+ख + ग + घ+ ङ + च + छ + ज)	99.968	289.152
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए,रिसाइकलिंग, पुन: उपयोग अथवा अन्य पुनर्प्राप्ति प्रक्रियाओं के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल कचरा (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) रिसाइकिल्ड	शून्य	2.5
(ii) पुनः उपयोज्य	शून्य	शून्य
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति प्रक्रियाएं	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	2.5
प्रत्येक श्रेणी के लिए उत्पन्न अपशिष्ट, निपटान विधि के अनुसार निपटान किया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) भस्म विधि से	0.8	0.859
(ii) लैंडफिलिंग	0.936	10.936
(iii) अन्य निपटान परिचालन	शून्य	शून्य
कुल	1.736	11.795

नोट: कृपया यह बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्य निर्धारण/आश्वासन किया गया है? यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम :

9) आपके प्रतिष्ठानों में अपनाए गए अपशिष्ट प्रबंधन व्यवहारों का संक्षिप्त वर्णन करें। आपकी कंपनी द्वारा अपने उत्पादों एवं प्रक्रियाओं में खतरनाक एवं विषाणु रसायनों का उपयोग कम करने के लिए अंगीकार की गई नीतियों का वर्णन करें तथा ऐसे अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए उपयोग किए जा रहे व्यवहारों के बारे में बताएं।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत निर्मित नियमों के दायरे में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट के निपटान के लिए यूनिट में अपशिष्ट निपटान समिति का गठन किया गया है। औद्योगिक अपशिष्ट का निपटान सामान्य निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। खतरनाक अपशिष्ट/रसायन केआईएल (केरल एनवायरो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) को सौंप दिए जाते हैं, जो केरल राज्य में उद्योगों से उत्पन्न खतरनाक कचरे के उपचार और निपटान के लिए खतरनाक कचरे पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी समिति के निर्देश पर स्थापित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है। ई-अपशिष्ट का निपटान प्रतिस्पर्धी निविदा के माध्यम से केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है।

10) यदि कंपनी के परिचालन/कार्यालय पर्यावरणीय अनुमोदन/अनुमति की अपेक्षा वाले इकोलॉजिकल संवेदी क्षेत्रों (यथा राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन जोन आदि) में/आस-पास स्थित हैं, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रस्तुत करें:

क्र.सं.	परिचालनों / कार्यालयों के स्थान	परिचालन का प्रकार	क्या पर्यावरणीय अनुमोदन/क्लीयरेंस की शर्तों का पालन किया जा रहा है? (हां/नहीं) यदि नहीं, तो उसके कारण और यदि कोई हो तो सुधारात्मक कार्रवाई की गई।
1.	शून्य	शून्य	शून्य
2.	शून्य	शून्य	शून्य

11) कंपनी की परियोजनाओं के संबंध में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लागू कानूनों के आधार पर किए गए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन का विवरण:

परियोजना का नाम तथा संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना संख्या	तिथि	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया है (हां / नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में सूचित (हां/नहीं)	संबंधित वेब लिंक
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

12) क्या कंपनी भारत में लागू जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और इसके अंतर्गत नियमों जैसे पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है, (हां/नहीं) यदि नहीं, तो निम्नलिखित प्रारूप में सभी गैर-अनुपालनों का विवरण प्रस्तुत करें:

हां। कंपनी भारत में लागू पर्यावरण कानून/ नियमों/ विनियमों दिशानिर्देशों का 100% अनुपालन करती है।

सिद्धांत 7: सार्वजनिक एवं विनियामक नीति को प्रभावित करने वाले व्यवसाय उत्तरदेयी एवं पारदर्शी स्वरूप में किए जाने चाहिए।

1) क. व्यापार और उद्योग चैंबरों/संघों के साथ संबद्धता की संख्या

ख. शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग चैंबरों/संघों की सूची प्रस्तुत करें (ऐसे निकाय के योग सदस्यों के आधार पर) जिनमें कंपनी सदस्य है / सम्बद्ध है।

क्र.सं.	व्यापार और उद्योग चैंबरों/संघों का नाम	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों तक पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1	ब्राडबैंड इंडिया फोरम (बीआईएफ)	राष्ट्रीय
2	इंडिया इलेक्ट्रोनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन (आईईएसए)	राष्ट्रीय
3	टेलीकॉम इक्वीपमेंट एंड सर्विसेस एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (टीईपीसी)	राष्ट्रीय
4	स्टैंडिंग कमेटी आफ पब्लिक एंटरप्राइज (स्कोप)	राष्ट्रीय
5	नेशनल सेफ्टी काउंसिल	राष्ट्रीय
6	इलेक्ट्रोनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आफ इंडिया	राष्ट्रीय
7	फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री	राज्य

2) विनियामक प्राधिकरण के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई अथवा की जा रही उपचार कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करें।: शून्य

नेतृत्व सूचक

1) कंपनी द्वारा समर्थन की गई सार्वजनिक नीति की स्थिति का विवरण : शून्य

क्र.सं.	समर्थन की गई सार्वजनिक नीति	ऐसे समर्थन के लिए उपयोग में लाई गई विधि	क्या सूचना पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है (हाँ/नहीं)	निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा किए जाने की आवृत्ति (वार्षिक / अर्द्धवार्षिक / तिमाही/ अन्य, कृपया स्पष्ट करें)	वैब लिंक, यदि उपलब्ध हो

सिद्धांत 8: व्यापार के अंतर्गत समावेशी विकास एवं न्यायोचित विकास का समर्थन होना चाहिए।

अनिवार्य सूचक

1) चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण।

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तिथि	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया है (हां / नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन पर सूचित (हां/ नहीं)	संबंधित वेब लिंक
लागू कानूनों के अनुसार, कंपनी द्वारा की जारी किसी भी परियोजना के संबंध में एसआईए लागू नहीं है।					

2) निम्नलिखित प्रारूप में उन परियोजनाओं की जानकारी प्रदान करें जिनके लिए आपकी इकाई द्वारा चल रहे पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) का कार्य किया जा रहा है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम जिसके लिए आर एंड आर जारी है	राज्य	ज़िला	परियोजना प्रभावित परिवारों की संख्या (पीएएफ)	आर एंड आर के अंतर्गत कवर पीएएफ का %	वित्त वर्ष में पीएएफ को भुगतान की गई राशि (भारतीय रुपए में)
लागू नहीं क्योंकि किसी भी परियोजना में कंपनी द्वारा पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन नहीं किया गया है।						

3) स्थानीय समुदाय की शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने की तंत्रव्यवस्था का वर्णन करें।:
सार्वजनिक शिकायत पोर्टल https://pgportal.gov.in/Home/LodgeGrievance के माध्यम से शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं।

4) आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के आधार पर योग इनपुट में से इनपुट):

	वित्त वर्ष 2023-24 चालू वित्तीय वर्ष	वित्त वर्ष 2022-23 पिछला वित्तीय वर्ष
एमएसएमई/छोटे उत्पादकों से सीधे प्राप्त	3.69 %	26.26 %
जिले में से तथा पड़ोसी जिलों से प्राप्त	NA	NA

सिद्धांत 9: व्यापार के अंतर्गत अपने ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं महत्व देने के साथ उनसे उत्तरदायी स्वरूप में व्यवहार किया जाना चाहिए।

अनिवार्य सूचक

1) उपभोक्ता शिकायतों एवं फीडबैक की प्राप्ति एवं प्रतिक्रिया के लिए स्थापित तंत्रव्यवस्था का वर्णन करें।

ग्राहक सेवा केंद्र आईटीआई पालाक्कड यूनिट के साथ-साथ बेंगलूरु में नेटवर्क सेवा यूनिटों में भी परिचालनात्मक है। इन केंद्रों से 24*7 ग्राहक शिकायत सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

2) सभी उत्पादों/सेवाओं के टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/सेवाओं की टर्नओवर, जिनके निम्नलिखित के बारे में सूचना होती है:

	योग टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक मानदंड	लगभग 3.00 % (सौर पैनल, स्मॉश पीसी, सेनिटरी नेपकिन वेंडिंग मशीन की बिक्री से टर्नओवर)
सुरक्षित एवं उत्तरदेयी उपयोग	
रिसाइकलिंग तथा / अथवा सुरक्षित निपटान	

3) निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2023-24 (चालू वित्तीय वर्ष)		**टिप्पणियां**	**वित्त वर्ष 2022-23 (पिछला वित्तीय वर्ष)**		**टिप्पणियां**
	वर्ष के दौरान प्राप्त	**वर्ष के अंत में लंबित समाधान**		**वर्ष के दौरान प्राप्त**	**वर्ष के अंत में लंबित समाधान**	
डेटा प्राइवेसी	शून्य	लागू नहीं		शून्य	लागू नहीं	
विज्ञापन	शून्य	लागू नहीं		शून्य	लागू नहीं	
साइबर सुरक्षा	शून्य	लागू नहीं		शून्य	लागू नहीं	
अनिवार्य सेवाओं की आपूर्ति	शून्य	लागू नहीं		शून्य	लागू नहीं	
प्रतिबंधित व्यवसाय व्यवहार	शून्य	लागू नहीं		शून्य	लागू नहीं	
अनुचित व्यवसाय व्यवहार	शून्य	लागू नहीं		शून्य	लागू नहीं	
अन्य	शून्य	लागू नहीं		शून्य	लागू नहीं	

4) सुरक्षा कारणों से उत्पाद वापस मंगाए जाने की घटनाओं का विवरण:

	संख्या	**वापस मंगवाने का कारण**
स्वैच्छिक रूप से मंगाए गए	शून्य	
जबरन मंगाए गए	शून्य	

5) क्या इकाई के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों की कोई रूपरेखा/नीति है? (हां/नहीं) यदि है, तो नीति का वेबलिंक प्रदान करें।

जी, हां, आईटीआई के पास आईटी सुरक्षा नीति है जो सूचना सुरक्षा में खामियों के कारण उत्पन्न होने वाले व्यावसायिक जोखिम को कम करने के लिए सुरक्षा उपायों के अनुप्रयोग को निर्धारित करती है। इसे कॉर्पोरेट जानकारी की सुरक्षा और परिसंपत्तियों की गोपनीयता, अखंडता, उपलब्धता और मूल्य को संरक्षित करने और सेवाओं की निरंतर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आईटीआई ने संपूर्ण संगठन में सभी कर्मचारियों द्वारा पालन की जाने वाली आईटी सुरक्षा नीतियों को तैयार और लागू किया है।.

6) विज्ञापन तथा अनिवार्य सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित मुद्दों ,उत्पाद वापसी की घटनाओं की पुनरावृत्ति; पर की गई अथवा की जा रही सुधार कार्रवाई; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकारियों द्वारा जुर्माना/कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करें: शून्य

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त्

राजेश राय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 10052045

स्थल : बेंगलूरू
दिनांक : 12 अगस्त, 2024

अनुलग्नक - 5

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

I) दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग संरचना

अप्रैल, 2024 की स्थिति के अनुसार भारत अपने 1.091 बिलियन अंशदाता बेस (वायरलैस + वायरलाइन अंशदाता) के साथ विश्व का दूसरा सबसे विशाल दूरसंचार उद्योग है। भारत में कुल टेली-घनत्व 85.76% है, जिसमें से काफी सीमा तक प्रयुक्त न किए गए ग्रामीण बाजार का टेली-घनत्व 59.44% है और इसकी तुलना में शहरी बाजार का टेली-घनत्व 133.42% है। सितंबर 2023 के अंत तक, इंटरनेट ग्राहकों की कुल संख्या बढ़कर 918.19 मिलियन (नैरोबैंड + ब्रॉडबैंड अंशदाता) हो गई थी, जिसमें से 40.91% इंटरनेट ग्राहक ग्रामीण क्षेत्रों के थे। मार्च, 2014 में प्रति वायरलैस अंशदाता की डेटा उपयोग की औसत मासिक खपत 61.66 एमबी से बढ़कर मार्च, 2023 में 17.36 जीबी हो गई है।

पिछले कुछ वर्षों में उद्योग में हुई तीव्र वृद्धि मुख्यत: किफायती टैरिफ, व्यापक उपलब्धता, मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) की शुरूआत, 3जी तथा 4जी कवरेज का विस्तार करना, अंशदाताओं के बदलते उपभोग पैटर्न, भारत की घरेलू दूरसंचार विनिर्माण क्षमता को सुदृढ़ बनाने की दिशा में सरकार द्वारा की गई पहलें तथा अनुकूल विनियामक परिवेश से प्रेरित है।

भारत सरकार द्वारा केंद्रीय बजट 2023 के अंतर्गत अवसरों, व्यवसाय माडलों, एवं रोजगारों की संभावनाओं की नई रेंज का दोहन करने के उद्देश्य से इंजीनियरिंग संस्थानों में 5जी सेवाओं के उपयोग से एप्लीकेशंस के लिए एक सौ प्रयोगशालाओं की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई थी। आईटीआई के बेंगलूरू में स्थित अनुसंधान एवं विकास विभाग, जहां 5जी के मूलभूत एवं उत्कृष्ट उत्पादों का एकीकरण क्षमता परीक्षण के लिए 5जी रेडियो के साथ किया जा सकता है, में अपने भागीदार के साथ सहकार्यता के साथ कार्यान्वित किए जाने की प्रक्रिया की जा रही है। ऐसा करने से निजी 5जी परिनियोजनों में आईटीआई के लिए प्रणाली एकीकरण कौशल में जहां बढ़ोतरी होगी वहीं इससे नए ग्राहकों को निजी 5जी प्रयोगशाला का आकर्षण भी प्रस्तुत किया जा सकेगा।

दूरसंचार विभाग द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर दिसम्बर, 2024 तक के लिए ग्रामों के लिए 100% ब्रॉडबैंड क्नेक्टिविटी, टावरों के लिए 70% फाइबराइजेशन, 50 एमबीपीएस की औसत ब्रॉडबैंड स्पीड तथा लाख किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर रोलआउट किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। मार्च, 2014 में 61 मिलियन से 1414% प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ मार्च, 2024 में ब्रॉडबैंड क्नेकशन 924.07 मिलियन हो गए हैं। इसके लिए बीएसएनएल द्वारा यूएसओएफ की ओर से डिजाइन, बिल्ड, ओपरेट एवं मेंटेन (डीबीओएम – डिजाइन, निर्माण, परिचालन और अनुरक्षण) मॉडल के अनुसार भारतनेट के मिडिल माइल नेटवर्क के विकास के लिए प्रस्ताव अनुरोध जारी किया गया है। आईटीआई द्वारा इस भविष्योन्मुखी निविदा में अपना योगदान दिए जाने की प्रक्रिया की जा रही है। आईटीआई द्वारा अपने ओएफसी, एचडीपीई, पावर सप्लाई आदि जैसे स्व-निर्मित उत्पादों की आपूर्ति इस टर्नकी परियोजना के लिए की जा सकती है जिससे आईटीआई के लाभ अंशभाग में बढ़ोतरी हो सकेगी।

आईटीआई बीएसएनएल नेटवर्क के लिए 4जी एलटीई आरएएन के विनिर्माण में सक्रिय रूप से काम कर रही है। आईटीआई ने बीएसएनएल पश्चिमी क्षेत्र के लिए 1000 से अधिक 4जी ईएनओडीईबी भेजे हैं। आईटीआई सीडॉट से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से 4जी आरएएन का भी निर्माण कर रही है। हम 4जी एलटीई के लिए निर्यात के अवसर भी तलाश रहे हैं। भारतीय रेलवे का लक्ष्य 5 वर्षों में 44,000 किलोमीटर तक कवच (ट्रेन टक्कर परिहार प्रणाली) प्रणाली को लागू करना है। आईटीआई अपनी घरेलू निर्मित अवसंरचना प्रणालियों जैसे 4जी एलटीई और ओएफसी आदि के साथ इस प्रणाली का हिस्सा बनने की योजना बना रही है।

सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक 280 जीडब्ल्यू की संस्थापित सौर क्षमता ऊर्जा उत्पति का लक्ष्य रखा गया है। भारत की ऊर्जा को नवीकरणीय स्रोतों से परिवर्तित किए जाने को बल प्रदान करने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सौर फोटोवोल्टियक (पीवी) माड्यूल्स के लिए 19,500 करोड़ का निर्धारण किया गया है। आईटीआई अपनी सौर माड्यूल विनिर्माण क्षमता को 18 एमडब्ल्यूपी से बढ़ाकर 500 एमडब्ल्यूपी तक विस्तारित करने की योजना बना रहा है। आईटीआई की नैनी यूनिट ध्यानकेन्द्रित अभिमुखता के साथ सौर व्यवसाय के लक्ष्य की अपेक्षाओं पर अपनी नजर टिकाकर अपनी बाजार पहुंच में विस्तार करने तथा भारत में स्थानीय सप्लाई चेन के पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण से अधिक नौकरियों एवं अधिक राजस्व प्राप्ति की दिशा में कार्य कर रही है।

सरकार ने रक्षा सेवाओं के ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क के लिए 21.58 बिलियन रुपए तथा पूर्वोत्तर राज्यों में दूरसंचार परियोजनाओं के लिए 7.16 बिलियन रुपए का निर्धारण किया है। रेलवे, भारतनेट तथा रक्षा परियोजना तथा 5जी परियोजनाओं की विशाल मांग को ध्यान में रखकर आईटीआई द्वारा बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए ऑप्टिकल फाइबर विनिर्माण क्षमता का विस्तार करने की योजना बनाई जा रही है।

अपने बेहतर प्रयासों के बावजूद भी आईटीआई के सम्मुख प्रतिबद्ध आपूर्ति समय-सीमा के अनुसार भारतीय एवं विदेशी स्रोतों, दोनों, से सेमीकंडक्टर तथा आईसी दोनों के लिए कंपोनेंट्स, माड्यूल्स, एसेम्बलियों आदि आपूर्ति न होने के कारण अपने कुछ उत्पादों एवं प्रणालियों की आपूर्ति समयानुसार करने से जुड़ी कठिनाईयां व्याप्त हैं। ओएनटी, ओएलटी 4जी आरएएन का विनिर्माण विश्व में सेमीकंडक्टर कमी के कारण से प्रभावित हुआ है। सरकार के स्तर पर बैठकों का आयोजन किया गया था तथा लॉजिस्टिक देरियों को कम करने के लिए चिप निर्माताओं के साथ बैठकें भी आयोजित की गई थी।

तथापि, आईटीआई द्वारा सी-डॉट जैसे अपने प्रौद्योगिकी के साथ समन्वय करके स्रोतण / पुन:डिजाइन जैसे आवश्यक वैकल्पिक उपायों पर कार्रवाई की जा रही है तथा प्रापण के समय को न्यून करने के लिए सेमीकंडक्टर की कमी / प्रापण देरी का प्रबंधन किया जा रहा है।

II) अवसर तथा जोखिम

अवसर:

दूरसंचार, रक्षा इलेक्ट्रानिक्स, औद्योगिक, आईटी एवं बीए तथा ऑटोमोबाइल जैसे विद्यमान क्षेत्रों के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों, 5जी, ड्रोन, चिकित्सा प्रौद्योगिकी, कृषि प्रौद्योगिकी, आईओटी, सेटेलाइट ब्रॉडबैंड, रक्षा, अंतरिक्ष एवं पावर इलेक्ट्रोनिक्स तथा अन्य अनेक अस्त-व्यस्त प्रौद्योगिकियों के उद्भव के साथ बाजार सेगमेंट तीव्रतर नवोपाय करने में जुटा हुआ है। वैश्विक कम्पनियों के लिए भारत का उद्भव अब नवोपाय प्रेरित अनुसंधान एवं विकास गंतव्य के रूप में हो रहा है।

सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान में स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है तथा इसका लक्ष्य डिजिटल संचार प्रौद्योगिकियों में निर्दिष्ट उत्पाद खंडों के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम का कार्यान्वयन करना है। ईएमएस बाजार में हुई वृद्धि से डिजाइन-आधारित विनिर्माण के लिए अवसर उत्पन्न हुआ है, जिसे पीएलआई जैसी योजनाओं के अंतर्गत प्रोत्साहन के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी वर्ष 2018 की अधिसूचना में, मेक इन इंडिया उत्पादों को प्राथमिकता प्रदान करके सार्वजनिक प्रापण का अनुपालन करने तथा इलेक्ट्रानिक संचार संचार से जुड़े उत्पादों और सेवाओं के प्रापण में स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को वरीयता देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। इस नीति और दिशानिर्देश से अनेक अवसरों की उत्पति होगी जिससे दूरसंचार उत्पाद तथा सेवा क्षेत्रों में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

4जी एलटीई संचार, रक्षा इलेक्ट्रानिक्स, सौर ऊर्जा संयंत्र तथा चिकित्सा इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्रों में व्यवसाय के लिए बाजार में अनेक अवसर व्याप्त हैं। आईटीआई द्वारा विविध प्रकार के इलेक्ट्रानिक्स तथा संचार उपकरणों के उत्पादन के लिए अनेकों स्टार्ट-अप्स तथा विख्यात प्रौद्योगिकी भागीदारों के साथ सहकार्यता की गई है।

5जी वैश्विक बाजार विस्तार के पथ पर अग्रसर है तथा वर्ष 2026 तक इसके आर्डर 2.6 ट्रिलियन अमेरिकी डालर तक के हो जाएंगे। सौर फिल्मों तथा बैटरी प्रौद्योगिकियों के परिपक्व होने से सौर संयंत्र भविष्य में थर्मल पावर संयंत्रों की जगह ले लेंगे। दूरसंचार में विशेष रूप से आरएएन के लिए छोटी क्षमता वाले पावर संयंत्र का उपयोग बढ़ता रहेगा। आईटीआई के लिए घरेलू विकसित पावर आपूर्तियों तथा इन्वर्टर बाजार फायदेमंद व्यवसाय है। उच्च क्षमता बैकहॉल्स के लिए ई एवं वी बैंड रेडिया का उपयोग होगा तथा इसका उपयोग वहां भी होगा जहां ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाया जाना संभव नहीं है। पहले अवधारणा प्रमाण (पीओसी) के प्रति अभिमुखता और उसके पश्चात प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए आगे बढ़ना आईटीआई के लिए सफल उत्पाद अधिग्रहण में परिणत होगा।

भारत में स्थानीय मांग तथा स्थानीय आपूर्ति में व्याप्त असमानता, जो आयात पर देश की अत्यधिक निर्भरता का कारक है, को इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर डिवीजनों के विनिर्माण इंडेक्स को तेजी से आगे बढ़ाने की संभावना माना गया है।

आईटीआई के सम्मुख व्याप्त अवसर निम्नानुसार हैं:

1. सरकार द्वारा दूरसंचार एवं इलेक्ट्रानिक उपकरणों के निर्माण के लिए मेक-इन-इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से दिया गया बल।
2. नई लॉन्च की गई 5G सेवाओं के उपयोग से स्मार्ट क्लासरूम, शुद्ध खेती, कुशल परिवहन प्रणाली एवं स्वास्थ्य सेवाओं जैसे अनुप्रयोगों का विकास करने के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित करने की सरकार की योजना
3. देश में वृद्धिशील दूरसंचार, रक्षा एवं सुरक्षा आवश्यकताएं
4. बीएसएनएल 4जी नेटवर्क के उत्पादन विनिर्माण तथा सेवा कार्यान्वयन
5. एस्कॉन चरण-IV परियोजना कार्यान्वयन
6. भारत को अपना विनिर्माण आधार बनाने के प्रति विश्व में अग्रणी डिज़ाइन हाउसों का बढ़ता हुआ ध्यानाकर्षण।
7. सौर, इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार की नीति
8. भारतीय उद्योगों के लिए अंतरिक्ष इलेक्ट्रानिक्स बाजार का प्रारम्भ
9. बीएसएनएल रेलवे, रक्षा नेटवर्क का आधुनिकीकरण
10. स्मार्ट सिटी, ऊर्जा भंडारण उत्पाद, डेटा सेंटर, नेटवर्क एवं साइबर सुरक्षा, सौर आधारित बिजली संयंत्र, रक्षा बाजार आदि जैसे क्षेत्रों का बढ़ता बाजार
11. सरकार की पीएलआई योजना तथा स्वदेशीकरण को बढ़ावा

जोखिम:

वर्तमान में, भारतीय इलेक्ट्रानिक्स उद्योग का वर्णन एक ऐसे अत्यधिक प्रतिस्पर्धी उद्योग के रूप् में किया जाता है, जिसमें तीव्र गति से प्रौद्योगिकी परिवर्तन हो रहे हैं तथा मूल उपकरण निर्माताओं द्वारा इसमें बड़े निवेश किए जा रहे हैं तथा जिसके टीएसपी थोड़े से समय काल में पुराने हो जाते हैं।

कंपनी ने परिवर्तनशील व्यवसाय वातावरण में निम्नलिखित जोखिमों को संज्ञान में लिया है:

1. उत्पाद नवोपाय की गति उच्च बनी हुई है।
2. न्यून पूंजी आधार तथा कार्यशील पूंजी विशाल अपेक्षाएं।
3. विद्यमान नेटवर्क तत्व अनुपयोगी होना तथा प्रौद्योगिकी में तीव्र गति से हो रहा परिवर्तन।
4. सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण जटिल प्रक्रियाएं एवं अनुपालन से छोटे निजी उद्यमों के साथ प्रतिस्पर्धा में कठिनाई।
5. निजी क्षेत्र के पक्ष में नीतिगत हस्तक्षेप।
6. कुछ महत्वपूर्ण और अस्वीकृत प्रौद्योगिकियों की सोर्सिंग में कठिनाई।
7. भारतीय निजी उद्योग तथा दूरसंचार क्षेत्र में मूल उपकरण निर्माताओं तथा उनके संयुक्त उद्यमों से प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी।

III) शक्तियां एवं अशक्तियां:

शक्तियां:

1. इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माण तथा राष्ट्रीय नेटवर्क के निर्माण के लिए दूरसंचार टर्नकी समाधान प्रदान के लिए प्राप्त दशकों का अनुभव
2. दूरसंचार / इलेक्ट्रोनिक उत्पादों की सम्पूर्ण रेंज के विनिर्माण की उत्कृष्ट अवसंरचना
3. कौशल प्राप्त कार्यबल एवं सुदृढ़ कार्य अनुभव के साथ समृद्ध सुदृढ़ आंतरिक अनुसंधान एवं विकास।
4. रक्षा स्थापनाओं के लिए टर्नकी आधार पर रणनीतिक दूरसंचार नेटवर्क अवसंरचना के नियोजन एवं अनुरक्षण का अनुभव
5. भारतनेट जैसी विशाल परियोजनाओं का आद्योपांत निष्पादन करने की क्षमता
6. आईटीआई टियर-3 डेटा केन्द्र से विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करने के लिए साइबर सुरक्षा अवसंरचना
7. दूरसंचार विभाग की दूरसंचार उपकरण का अनिवार्य परीक्षण एवं प्रमाणन (एमटीसीटीई) नियमावली के अंतर्गत दूरसंचार उपकरण के परीक्षण के लिए दूरसंचार परीक्षण प्रयोगशाला
8. सम्पूर्ण भारत (बेंगलूरू, पालक्काड, रायबरेली, मनकापुर, नैनी तथा श्रीनगर) में व्याप्तता एवं देशव्यापी बेंगलूरू, चेन्नै, हैदराबाद, दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, लखनऊ तथा भुवनेश्वर 8 क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से सुदृढ़ बाजार उपस्थिति तथा अन्य अनेक सम्बद्ध क्षेत्र कार्यालय
9. 4जी आरएएन के स्वदेशी विनिर्माण के लिए क्षमता संवर्धन
10. देश के दुर्गम क्षेत्रों में कार्य के लिए आंतरिक परियाजना निष्पादन क्षमता
11. सुदृढ़ उत्पाद विपणन टीम के साथ उत्पादों की वृहद रेंज
12. बेहतर ग्राहक आधार / सुदृढ़ संबंध

अशक्तियां:

1. न्यून दूरसंचार आर्डर वाल्युम पर निर्भरता
2. बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण कम लाभ
3. कंपोनेंट प्रापण में लगने वाला अधिक समय
4. सीमित बौद्धिक सम्पदा (आईपी) के कारण विकास अवरोधित होना
5. व्यवसाय मॉडल का परिवर्तन डीबीओएम (डिजाइन, बिल्ड, ऑपरेट एवं मेंटेन (डिजाइन, निर्माण, परिचालन एवं अनुरक्षण) में परिवर्तित होने / आस्थगित भुगतान के कारण उच्चतर कार्यशील पूंजी अपेक्षा
6. संबंधित मंत्रालय अथवा समान कार्य करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से नामांकन आधार पर आर्डर्स की प्राप्ति का न्यून वाल्युम

IV) भविष्य के प्रति दृष्टिकोण

कंपनी द्वारा टर्नओवर में बढ़ोतरी तथा पुनरूद्धार योजना के कार्यान्वयन के लिए अनेकों पहल की गई हैं / परियोजनाओं पर कार्य किया गया है।

क) एसडी-डब्ल्यूएएन (सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क) समाधान

सॉफ्टवेयर-डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क बाजार 2022 से 2032 के लिए 31.6% की सीएजीआर की प्राप्ति के लिए मुस्तैदी से आगे बढ़ रहा है। सॉफ्टवेयर-डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क बाजार 2022 में 3.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 2032 तक 53.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। मोबिलिटी सेवाओं की बढ़ती हुई मांग और साथ ही एसडी-डब्ल्यूएएन के साथ ओपीईएक्स को कम करने की दिशा में उद्यमों का ध्यान आकर्षित होने से सॉफ्टवेयर-डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क (एसडी-डब्ल्यूएएन) बाजार की वृद्धि काफी अधिक होने की संभावना है।

आईटीआई द्वारा एसडीडब्ल्यूएएन उत्पादों और समाधानों के निर्माण के लिए एक उपयुक्त भागीदार के चयन की प्रक्रिया की जा रही है। भागीदार से आईटीआई को ग्राहकों के लिए एसडीडब्ल्यूएएन समाधानों के डिजाइन, निर्माण और परीक्षण के लिए उत्पादन लाइनें स्थापित करने में सहायता प्राप्ति की अपेक्षा होगी। आईटीआई द्वारा पूर्ण एसडी-डब्ल्यूएएन समाधान के विनिर्माण और समाधान अवसंरचना की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया जाना प्रस्तावित है।

ख) 5जी परीक्षण प्रयोगशाला

आईटीआई ने आईटीआई बेंगलूरु संयंत्र में 5जी प्राइवेट नेटवर्क समाधानों के कार्यान्वयन के लिए अपने प्रौद्योगिकी भागीदारों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। आईटीआई बेंगलूरू में स्थित अपने अनुसंधान एवं विकास विभाग में 5जी टेस्ट लैब के कार्यान्वयन की प्रक्रिया कर रहा है, जिसके अंतर्गत 5जी कोर एवं कोर उत्पादों की अनुकूलता के परीक्षण के लिए 5जी रेडियो के साथ एकीकृत किया जा सकता है। इससे निजी 5जी के विस्तार कार्यों में आईटीआई के 5जी सिस्टम एकीकरण कौशल में संवर्धन हो सकेगा तथा यह नए ग्राहकों के लिए निजी 5जी प्रयोगशाला का एक आकर्षण बिन्दू भी बन सकेगी। इसी तरह के उपयोग के मामले तथा परीक्षण सेटअप सरकारी संस्थानों के लिए नए व्यावसायिक अवसरों के रूप में भी उपयोग में लाए जा सकते हैं। आईटीआई अपने भागीदारों के सहयोग से ऐसे अवसरों की खोज संयुक्त रूप से कर सकेगा। 5जी प्रयोगशाला सेटअप का उपयोग आईओटी, ड्रोन, वीडियो एनालिटिक्स, एआर/वीआर, रोबोटिक्स कॉन्फ़िगरेशन एवं 5जी तकनीक पर आधारित परिचालनों के उपयोग के लिए किया जा सकेगा।

आईटीआई में 5जी की परीक्षण प्रयोगशाला अवसंरचना की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपये का पूंजीगत निवेश प्रस्तावित है।

ग) स्मार्ट एनर्जी मीटर

विविधीकरण की अपनी रणनीति के अंतर्गत आईटीआई ने स्मार्ट एनर्जी मीटर निर्माण क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किए हैं जिसके अंतर्गत पुराने एनर्जी मीटरों के स्थान पर स्मार्ट एनर्जी मीटरों का प्रतिस्थापन किया जाना है। ये मीटर ऊर्जा खपत रिकार्ड करते हैं तथा इनमें डेटा संग्रहण एवं इनमें आवश्यकता पड़ने पर पुन: डेटा प्राप्ति की सुविधा है। मीटर तथा केन्द्रीय सिस्टम के बीच ये मीटर दो तरफा संचार करते हैं। आईटीआई लिमिटेड ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के आदेश के प्रति उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा डिस्कॉम के लिए आईएस 16444 तकनीकी विनिर्देशों की अनुरूपता वाले 91000 स्मार्ट एनर्जी मीटर की आपूर्ति की है। सिंगल फेज स्मार्ट एनर्जी मीटर को आईएस 16444 तकनीकी विनिर्देशों की अनुरूपता का टाइप अनुमोदन तथा बीआईएस प्रमाणन प्राप्त हुआ है। आईटीआई पालक्काड संयंत्र में स्मार्ट एनर्जी मीटर के केलिब्रेशन और परीक्षण के लिए थोक विनिर्माण अवसंरचना एवं संबंधित सुविधाएं हैं। स्मार्ट एनर्जी मीटर की केलिब्रेशन प्रयोगशाला के लिए आईएसओ 17025: 2017 मानकों की अनुरूपता की मान्यता प्राप्त हुई है।

आईटीआई की अनुसंधान एवं विकास यूनिट द्वारा किसी प्रकार छेड़छाड़ अथवा धोखाधड़ी का पता लगाने की क्षमता वाले 3जी/4जी/एनबी-आईओटी संचार मॉड्यूल के साथ सिंगल फेज स्मार्ट एनर्जी मीटर का विकास किया गया है। आईटीआई स्मार्ट एनर्जी मीटर के लिए प्रोटोटाइप का विकास पूरा हो चुका है तथा परीक्षण किए जा रहे हैं। आईटीआई बाजार की भारी मांग की पूर्ति के लिए और अधिक प्रौद्योगिकी भागीदारों को अपने साथ जोड़ने की प्रक्रिया कर रहा है।

घ) मल्टीपोस्ट ईवीएम का निर्माण:

आईटीआई द्वारा एसईसी/टीईसी के विनिर्देशों तथा राज्य चुनाव आयुक्तों (एसईसी) की स्थायी समिति द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुरूप मल्टीपोस्ट (एस3-ईवीएम) का विकास किया गया है। मल्टीपोस्ट ईवीएम का उपयोग ग्राम पंचायत, नगर निगम अथवा किसी भी संस्थान के स्थानीय निकाय चुनाव निष्पक्ष रूप से करवाने के लिए कर सकते हैं। एसईसी द्वारा आईटीआई को राज्य चुनाव आयोग की आवश्यकताओं के आधार पर ईवीएम की आपूर्ति के लिए प्राधिकृत किया गया है। 13 राज्य चुनाव आयोगों के लिए मल्टीपोस्ट ईवीएम के डेमो प्रस्तुति की प्रक्रिया पूरी हो गई है तथा शेष राज्य चुनाव आयोगों के संबंध में डेमो प्रक्रिया की जा रही है। राज्य चुनाव आयोग, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को निवेदित दरें (कोटेशन) प्रस्तुत की गई हैं। यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है तथा यह विचाराधीन एक राष्ट्र एक चुनाव एजेंडे के लिए भी विचार में ली जा सकती है।

ङ) डिजिटल मोबाइल रेडियो(डीएमआर) का विनिर्माण ।

प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत आईटीआई द्वारा वीएचएफ एवं यूएचएफ बैंड में डिजीटल मोबाइल रेडिया का विकास किया गया है। इन रेडियो का विकास मोटोरोला/केनवुड रेडियो सेट के अतिरिक्त बेस स्टेशन और रिपीटर स्टेशनों के साथ किया गया है तथा वर्तमान में आयात किए जा रहे हैं। सशस्त्र बलों, सीएपीएफ, रेलवे तथा सरकारी एजेंसियों के अन्य अनेक संस्थानों द्वारा इन डिजीटल रेडियो का व्यापक उपयोग किया जाएगा। रेडियो सेट में सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग के लिए आवश्यक एसएजी स्वीकृत ग्रेड 4 भी होगा। भारतीय रेलवे के लिए आईटीआई ने वीएचएफ डिजीटल मोबाइल रेडियो हैंड हेल्ड का डेमो पूरा कर लिया है तथा ग्राहक द्वारा व्यक्त प्रेक्षण के अनुसार उन्नयन कार्य प्रगति पर है।

च) 500 मेगावाट मोनो क्रिस्टलीय (पीईआरसी) सौर मॉड्यूल विनिर्माण सुविधा का कार्यान्वयन

सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना स्वदेशी सौर पीवी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने की है। वर्ष 2020 में, भारत ने उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल में गीगा वाट स्केल की विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के उद्देश्य से 'उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के राष्ट्रीय कार्यक्रम' को अंगीकार किया था। मिशन का उद्देश्य भारत में उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के विनिर्माण को बढ़ावा देकर अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में आयात निर्भरता कम करना है।

पिछले पांच वर्षों में, भारत ने सौर विनिर्माण में काफी अच्छी प्रगति की है। सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता 2016 में 5.8 गीगावाट से काफी अधिक बढ़कर दिसंबर 2022 में लगभग 39 गीगावाट हो गई है तथा यह संभावना है कि वर्ष 2026 तक आगे और बढ़कर यह 110 गीगावाट हो जाएगी।

उच्च दक्षता एवं न्यून बिजली क्षरण के लाभ के परिणामस्वरूप मोनो पीईआरसी सौर सेल प्रौद्योगिकी से निर्मित मोनो क्रिस्टलीय सौर मॉड्यूल का व्यापक उपयोग सौर परियोजनाओं, आवासीय उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, पीईआरसी सौर पैनलों का उपयोग नियमित छत फोटो-वोल्टाइक, ईवी सौर छत चार्जर एवं सौर शेड के रूप में तथा एकीकृत फोटो-वोल्टाइक (बीआईपीवी), वाटर सरफेस बिजली स्टेशन एवं अन्य अनेक के संबंध में भी किया जा सकता है।

आईटीआई द्वारा 500 मेगावाट सौर मॉड्यूल इन-हाउस विनिर्माण सुविधा का कार्यान्वयन उच्च दक्षता वाले मोनो क्रिस्टलीय सौर सेल के साथ करने की योजना बनाई जा रही है जिसके लिए वर्ष 2024-25 में 80 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।

छ) 4जी आरएएन विनिर्माण

आईटीआई लिमिटेड को पश्चिम क्षेत्र के रिजर्वेशन कोटा (आरक्यू) आर्डर के अंतर्गत बीएसएनएल से 4जी रोलआउट के लिए 2421.49 करोड़ रुपए का क्रयादेश (पीओ) प्राप्त हुआ है। कार्य स्कोप में बीएसएनएल नेटवर्क के पश्चिम क्षेत्र में 23,633 स्थलों के लिए 4जी मोबाइल नेटवर्क की योजना, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग, एकीकरण तथा वार्षिक अनुरक्षण के कार्य किए जाने हैं। आईटीआई ने 4जी एवं भविष्य के प्रौद्योगिकी उत्पादों का विनिर्माण करने के लिए अपनी अवसंरचना का उन्नयन किया है। वर्तमान में आईटीआई द्वारा बीएसएनएल रिजर्वेशन कोट ऑर्डर के अंतर्गति आपूर्ति के लिए रिमोट रेडियो यूनिट (आरआरयू), बीबीयू (बेस बैंड यूनिट) तथा ओडीसी (आउटडोर केबिनेट) के निर्माण की प्रक्रिया की जा रही है।

इसके अलावा, आईटीआई द्वारा बीएसएनएल नेटवर्क के लिए तैयार किए जाने वाले 4जी एलटीई आरएएन के विनिर्माण के उद्देश्य से सी-डॉट के साथ प्रौद्योगिकी अंतरण की व्यवस्था भी की गई है। आईटीआई को बीएसएनएल से स्वदेशी 4जी और 5जी आरएएन के तकनीकी परीक्षणों के लिए क्रयादेश प्राप्त हुआ है। जुलाई 2024 तक पीओसी के कार्य पूरा होने की संभावना है। आईटीआई द्वारा रेलवे, सिकंदराबाद के लिए भी बैंड 28 4जी आरएएन के लिए पीओसी की प्रक्रिया की जा रही है तथा यह प्रगति पर है। 4जी आरएएन के निर्यात के अवसरों का भी अंवेषण आईटीआई द्वारा किया जा रहा है।.

ज) मल्टी सर्विस प्लेटफॉर्म (एमएसपी)/सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर (एसओसी):

आईटीआई ने बेंगलूरु में स्थित आईटीआई डेटा सेंटर में मल्टी सर्विस प्लेटफॉर्म/ सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर (एसओसी) की स्थापना के उद्देश्य से टाटा कम्युनिकेशंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विभिन्न ग्राहकों को उनकी नेटवर्क सुरक्षा अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न आईटी और सुरक्षा सेवाएं जैसे पहचान एक्सेस प्रबंधन, ईमेल सुरक्षा, डेटा हानि रोकथाम, डिस्ट्रीब्यूटिड डिनायल ऑफ सर्विस (डीडीओएस) के शमन, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, एंडपॉइंट प्रोटेक्शन, डिटेक्शन एंड रेमेडिएशन, एसआईईएम (सिक्योरिटी इंसिडेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट) तथा थ्रेट इंटेलिजेंस एंड एडवाइजरी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। मल्टीसर्विस प्लेटफॉर्म/सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर (एसओसी) का कार्यान्वयन पूरा हो चुका है तथा यह ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार है। आईटीआई को दिनांक 11.01.2023 को बीएसएनएल से एसईसीएएस समाधान प्रदाता के रूप में राष्ट्रीय स्तर के सिस्टम इंटीग्रेटर के पैनल का पत्र प्राप्त हुआ है।

V) जोखिम प्रबंधन:

कंपनी में शासन, जोखिम प्रबंधन एवं अनुपालन (जीआरसी) के अंतर्गत कार्यान्वित उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) संरचना आईएसओ 31000:2018 तथा आईईसी 31010:2019 द्वारा कवर किए गए जोखिम प्रबंधन से संबंधित वैश्विक सर्वोत्तम व्यवहारों पर आधारित है तथा इस व्यवस्था से कंपनी अपने सामान्य व्यवसाय परिचालनों का पूर्ण रूप से एकीकरण जोखिम प्रबंधन से करने में सक्षम हुई है।

कंपनी की ईआरएम नीति रूपरेखा एक संरचित प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- सभी बाहरी और आंतरिक जोखिम-कारकों की पहचान करना
- संगठन के व्यवसाय और वित्तीय लक्ष्यों पर इन जोखिमों के प्रभाव का आकलन करना
- संज्ञान में लिए गए जोखिम-कारकों को वरीयता देना
- इन जोखिमों के उपचार के लिए विभिन्न विकल्प खोजना
- जोखिमों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण और निगरानी तंत्रव्यवस्था का कार्यान्वयन करना

ईआरएम एक सतत एवं गतिशील प्रक्रिया है जिसके लिए परिवर्तनशील परिस्थितियों में पुनरावृत्ति एवं अनुकूलन की आवश्यकता होती है। कंपनी का ईआरएम मैनुअल पूर्ण रूप से एक संरचित रूपरेखा है जिसमें शासन टीम की चार परतें हैं

- स्तर-1: यूआरएमसी (यूनिट स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति)
- स्तर-2: ईआरएमएससी (ईआरएम कार्यवाहक समिति)
- स्तर-3: ईआरएमजीसी (उद्यम जोखिम प्रबंधन शासी समिति) अथवा आरएमसी (जोखिम प्रबंधन समिति)
- स्तर–4: निदेशक मंडल स्तर पर उद्यम जोखिम प्रबंधन

ये समितियाँ अनुमोदित ईआरएम प्रक्रिया, ईआरएम शासन संरचना, संबंधित स्टेकधारकों की भूमिका एवं जिम्मेदारियों, जोखिम रजिस्टरों के निर्माण, कंपनी की सभी यूनिटों में ईआरएम के परिचालन में अपना निरंतर योगदान प्रदान करके सभी यूनिटों में नीति कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए उत्तरदायी हैं।

ईआरएम रूपरेखा की स्थापना एवं अनुरक्षण से कंपनी के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रभावी निर्णय लेने की प्रक्रिया सुगम हो गई है। कंपनी द्वारा अनुरक्षण किए गए जोखिम रजिस्टर में कॉर्पोरेट के संबंध में संज्ञान में लिए स्टैंडएलोन जोखिमों के साथ-साथ यूनिटों के महत्वपूर्ण जोखिम भी शामिल किए गए हैं जिससे कॉर्पोरेट का ध्यान आकर्षित होता है तथा कार्य बल समिति द्वारा इनकी नियमित प्रस्तुति एवं समीक्षा की जाती है।

सभी यूनिटें ईआरएम जोखिम रजिस्टर की प्रस्तुति ईआरएम कार्यवाहक समिति(ईआरएमएससी) को करती है तथा इसे अद्यतन रखा जाता है। नीति परिचालन के अंतर्गत ईआरएमएससी द्वारा दिनांक 25 अप्रेल 2023, 20 अक्टूबर 2023, 7 नवंबर 2023, 18 दिसंबर 2023, 8 जनवरी 2024, 9 फरवरी 2024 तथा 12 मार्च 2024 को सभी यूनिटों (यूआरएमएससी) के साथ मासिक जोखिम प्रबंधन समीक्षा बैठकें आयोजित की है तथा 26 जुलाई 2023, 22 जनवरी 2024 को आयोजित जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक तथा दिनांक 11 अगस्त 2023, 13 फरवरी 2024 को निदेशक मंडल की बैठक में प्रस्तावित उच्च प्राथमिकता वाले जोखिम और शमन योजनाओं की समीक्षा की गई ।

ईआरएम मैनुअल में किए गए उल्लेख के अनुसार, जोखिम प्रबंधन गतिविधियॉं नियमित व्यावसायिक परिचालन के अंतर्गत निरंतर आधार पर की जाती है ।

VI) मानव संसाधन

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार आपकी कंपनी में पिछले वर्ष कार्यरत 2094 कर्मचारियों की तुलना में 1676 कर्मचारी कार्यरत हैं। मानव संसाधन / औद्योगिक फ्रंट पर हुए सामग्रीगत विकास से संबंधित विस्तृत जानकारी निदेशक रिपोर्ट में दी गई है।

VII) आंतरिक नियंत्रण उपाय

आईटीआई लिमिटेड ने अपनी आंतरिक नियंत्रण की वर्तमान प्रणालियों को सरेखित किया है और इसका उद्देश्य संगठन प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है । आंतरिक नियंत्रण प्रणालियॉं पर्याप्त है और प्रभावी ढ़ंग से कार्य कर रही है । प्रबंधन चर्चा एवं विशलेषण रिपोर्ट में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विस्तृत टिप्पणी दी गई है ।

VIII) वित्तीय निष्पादन

पिछले वर्ष में 1589 करोड़ रुपए की तुलना में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष में कंपनी ने 1628 करोड़ रुपए की टर्नओवर हासिल की है। परिचालन निष्पादन से संबंधित वित्तीय निष्पादन की विस्तृत जानकारी निदेशक रिपोर्ट में दी गई है। .

IX) प्रमुख वित्तीय अनुपातों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विवरण

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23	भिन्नता के कारण
1.	देनदार टर्नओवर	0.63	0.57	प्राप्ति में सुधार के कारण
2.	मालसूची टर्नओवर	5.02	5.33	उत्पादन हेतु उपयोग में लाए जाने वाले औसत इन्वेंट्री में वृद्धि के कारण
3.	ब्याज कवरेज अनुपात	(0.53)	(1.03)	चालू वर्ष के दौरान ब्याज लागत में वृद्धि और ईबीआईटीडीए में कमी के कारण
4.	चालू अनुपात	0.89	0.97	चालू देयता में वृद्धि के कारण कुछ दीर्घकालिक ऋण का पुनर्भुगतान होना है
5.	ऋण इक्विटी अनुपात	1.03	0.80	इक्विटी में कमी के कारण
6.	परिचालन लाभ मार्जिन %	(24.03)	(9.10)	राजस्व एवं परिचालन मार्जिन में कमी के कारण
7.	निवल लाभ मार्जिन %	(45.03)	(25.82)	राजस्व और योगदान/मार्जिन में कमी के कारण

पिछले निकटतम वित्तीय वर्ष की तुलना में निवल सम्पति पर प्राप्त प्रतिफल के बारे में विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ किसी प्रकार के परिवर्तन का विवरण

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में निवल सम्पति के प्रतिफल में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान घाटे के कारण अनुपात नकारात्मक हुआ है।

X) पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण:

कंपनी की यूनिटें विभिन्न स्थलों यथा बेंगलूरू, मनकापुर, रायबरेली, नैनी, पालक्काड तथा श्रीनगर में विस्तारित हैं। यूनिटों में पर्यावरण का संरक्षण एवं प्रबंधन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम) 1974, खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हैंडलिंग एवं ट्रांसबाउंडरी हथालन) नियमावली, 2016, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 आदि जैसे विभिन्न अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत शासित हैं। सभी यूनिटों द्वारा लागू अधिनियम एवं नियमों का अनुपालन किया जा रहा है।

XI) प्रौद्योगिकी संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा रक्षण :

इससे संबंधित सूचना का प्रकटीकरण निदेशक मंडल की रिपोर्ट में किया गया है।

XII) सचेतक विवरण

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण में आपकी कंपनी के लक्ष्यों, अनुमानों एवं प्रत्याशाओं के संबंध में प्रस्तुत विवरण लागू प्रतिभूति कानूनों एवं विनियमों के अर्थ के दायरे में 'प्रगतिशील विवरण' हो सकते हैं। ऐसी अभिव्यक्ति से वास्तविक परिणाम सामग्रीगत रूप से भिन्न हो सकते हैं। कंपनी के निष्पादन में जिन महत्वपूर्ण कारकों से भिन्नता हो सकती है उनमें मांग / आपूर्ति को प्रभावित करने वाली आर्थिक स्थितियां, जिसमें उस घरेलू बाजार की मूल्य स्थितियां शामिल हैं जहां आपकी कंपनी अपने परिचालन करती है, सरकारी विनियमों, कर कानूनों, संविधियों में होने वाले परिवर्तन तथा अन्य संबंधित मामले शामिल हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

राजेश राय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 10052045

स्थल : बेंगलूरू
दिनांक : 12 अगस्त, 2024

अनुलग्नक - 6

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवचूषण, विदेशी मुद्रा एवं और व्यय

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा

क) ऊर्जा संरक्षण:

क) ऊर्जा संरक्षण के लिए किए गए उपाय तथा उनके प्रभाव :

कंपनी के परिचालनों में ऊर्जा की खपत कम होती है। तथापि, जहां कहीं संभव हुआ है ऊर्जा संरक्षण के उपाय किए गए हैं। आशोधित परिचालन विधियों एवं अन्य माध्यमों के उपयोग से ऊर्जा संरक्षण एवं इष्टतम उपयोग के उपाय जारी रखे जाएंगे।

- फैक्टरी क्षेत्र में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना
- पुराने उपकरणों के स्थान पर ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग इनमें उल्लेखनीय है।

ख) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग तथा ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश के माध्यम से कंपनी द्वारा किए गए उपाय

ऊर्जा संरक्षण के अपने अनवरत प्रयासों के अंतर्गत आईटीआई द्वारा अपनी सभी उत्पादन यूनिटों, कॉर्पोरेट कार्यालय एवं एमएसपी-लखनऊ में अपनी कैप्टिव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 5600 केडब्ल्यू सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है।

ख) प्रौद्योगिकी अवचूषण:

(i) प्रौद्योगिकी अवचूषण की दिशा में किए गए प्रयास

(क) नेटग्रिड हेतु 1जीई आई एनक्रिप्टर के लिए सीएआई डीआरडीओ के साथ संयुक्त विकास

(ख) रक्षा हेतु इसरो-आरएस के साथ आईआरएनएसएस-आरएस रिसीवर के लिए संयुक्त विकास

(ग) डीईबीईएल, डीआरडीओ से प्रौद्योगिकी अंतरण के साथ पोर्टेबल वेंटीलेटर (एसओएआर) का विकास

(घ) सीएआई डीआरडीओ के साथ वीएचपी (वर्सटाइल हार्डवेयर प्लेटफार्म) के लिए संयुक्त विकास

(ii) अनुसंधान एवं विकास के विशिष्ट क्षेत्र

(क) नए रक्षा और गैर-रक्षा नेटवर्क के लिए गोपनीयता उत्पादों का डिजाइन और विकास

(ख) विद्युत आपूर्ति इकाइयों का डिजाइन और विकास

(ग) एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम का विकास

(घ) रक्षा के लिए आपूर्ति किए गए विरासती गोपनीयता उत्पादों और क्रियान्वित नेटवर्कों के लिए समर्थन

(ङ) मौजूदा उत्पादों का मूल्य संवर्धन

(च) नेटवर्क और सुरक्षा समाधान डिज़ाइन प्रदान करें

(iii) उत्पाद सुधार, लागत में कटौती, उत्पाद विकास अथवा आयात प्रतिस्थापन जैसे प्राप्त लाभ

निम्नलिखित अनुसंधान एवं विकास उत्पादों को साकार रूप दिया गया है जिससे कंपनी की टर्नओवर में 10 करोड़ रुपए से अधिक बढ़ोतरी हुई है।

(क) एनक्रिप्शन उत्पाद - टीईएसडी, एसईएसडी, आनंद बीईयू एमके॥

(ख) फील्ड टेलीफोन

(ग) एस्कॉन चरण IV के लिए तकनीकी सहायता : अवधारणा प्रमाण (पीओसी)

(iv) आयातित प्रौद्योगिकी

वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से गणना करके पिछले तीन वर्षों में आयातित : शून्य

(V) योजना एवं कार्यवाही

निम्नलिखित उत्पाद विकासाधीन हैं

1. पूर्वी कमान (सेना) के लिए ई1 बीईयू
2. एकीकृत टीईएसडी
3. एस.डी.आर. (सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो)
4. रक्षा और वाणिज्यिक उपयोग के लिए आईआरएनएसएस रिसीवर
5. उच्च क्षमता रेडियो रिले
6. मल्टी पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन
7. एस्कॉन चरण-IV गोपनीयता के लिए एमसीईयू
8. डिजिटल मोबाइल रेडियो

(vi) अनुसंधान एवं विकास

क)	पूंजी	5.11 करोड़ रुपए
ख)	राजस्व	15.33 करोड़ रुपए
	योग	**20.44 करोड़ रुपए**

कुल टर्नओवर की तुलना में कुल अनुसंधान एवं विकास व्यय (उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर के अलावा) 1.66 % और 1.25 % (कर सहित कारोबार)

ग. विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय:

(क) निर्यात से संबंधित गतिविधियां, निर्यात में बढ़ोतरी के लिए की गई पहलें, नए निर्यात बाजारों के विकास के लिए उत्पाद एवं सेवाएं तथा निर्यात योजनाएं : शून्य

(ख) विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय का योग

आय : शून्य

व्यय : 7.64 करोड़

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्

राजेश राय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 10052045

स्थल : बेंगलूरू
दिनांक : 12 अगस्त, 2024

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक

कॉर्पोरेट शासन की रिपोर्ट

लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट शासन के दिशानिर्देशों (डीपीई दिशानिर्देश) के साथ पठित यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसरण में कॉर्पोरेट शासन के मानदंडों का कंपनी द्वारा किए गए अनुपालन का विवरण नीचे दिया गया है:

1) हमारे कॉर्पोरेट शासन सिद्धांत

कंपनी के कॉर्पोरेट शासन फ्रेमवर्क एवं तत्व विचार की स्पष्ट झलक कंपनी की कॉर्पोरेट संस्कृति, कंपनी की नीतियों, मूल्यों एवं स्टेकधारकों से सम्बद्धता में दिखाई देते है जो समस्त संगठन में निरंतर संचालित होती है। कंपनी उत्तम कॉर्पोरेट शासन में विश्वास रखती है जो कि दीर्घकालिक कॉर्पोरेट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तथा स्टेकधारक मूल्यों में संवर्धन के लिए आवश्यक है। एक उत्तम कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में कंपनी ने अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं में कार्य कुशल एवं आचरण युक्त व्यवहार के लिए सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, पारदर्शिता, उत्तरदेयता की कॉर्पोरेट संस्कृति को काफी महत्व दिया है।

हमारे कॉर्पोरेट शासन को कंपनी की आचार संहिता और आचार नीति, कॉर्पोरेट शासन दिशानिर्देशों, नीतियों और समिति चार्टरों के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त होती है। निदेशक मंडल और प्रबंधन प्रक्रियाएं, लेखा परीक्षा एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कॉर्पोरेट शासन के सिद्धांतों की छवि स्पष्ट दिखाई देती है।

2) निदेशक मंडल

(क) निदेशक मंडल संरचना:

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, आईटीआई के निदेशक मंडल में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित 4 पूर्णकालिक निदेशकों (कार्यपालक) से प्रतिनिधित्वप्राप्त 9 निदेशक, 2 अंशकालिक (पदेन) निदेशक (सरकारी निदेशक) तथा 3 अंशकालिक (गैर सरकारी) निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) (एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित) थे।

स्वतंत्र निदेशकों की संख्या अपर्याप्त होने के कारण निदेशक मंडल की संरचना सूचीबद्धता विनियमों एवं लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं है। कंपनी में स्वतंत्र निदेशकों की पर्याप्त संख्या नहीं है। तदनुसार, कंपनी ने सांविधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र निदेशकों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति के लिए प्रशासनिक मंत्रालय से अनुरोध किए हैं।.

(ख) निदेशकों की श्रेणी और उपस्थिति:

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित विवरण और समान तिथि के अनुसार अन्य निदेशक पदधारिता एवं निदेशक मंडल की समितियों में सदस्यता / अध्यक्ष पद का धारण, वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में, पिछली वार्षिक आम सभा में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति से संबंधित विवरण नीचे प्रस्तुत है:

निदेशक का नाम तथा निदेशक पहचान संख्या	पदनाम	निदेशक मंडल की कुल बैठकें		पिछली वार्षिक आम सभा में उपस्थिति	अन्य सार्वजनिक कम्पनियों में धारित निदेशक पद	अन्य समितियों में सदस्यता धारिता	
		निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक द्वारा कार्यकाल के दौरान उपस्थिति			सदस्य के रूप में	अध्यक्ष के रूप में
कार्यकारी निदेशक							
श्री राजेश राय डीआईएन: 10052045	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	6	6	हां	1	0	0
श्री राजीव श्रीवास्तव डीआईएन: 08921307	निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी	6	6	हां	1	2	1
श्रीमती एस जेयंति [1] डीआईएन: 10059174	निदेशक उत्पादन / निदेशक मानव संसाधन (अतिरिक्त प्रभार)	6	6	हां	शून्य	4	0
श्रीमती आर वसंती [2] डीआईएन: 10059129	निदेशक उत्पादन (अतिरिक्त प्रभार)	1	1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री राकेश चंद्र तिवारी [3] डीआईएन: 08953397	निदेशक विपणन	4	4	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री रामना बाबू सी वी [4] डीआईएन: 10478320	निदेशक विपणन	2	2	लागू नहीं	शून्य	1	0
गैर – कार्यकारी निदेशक – अंश कालिक निदेशक							
लेफ्टिनेंट जनरल एम उन्नीकृष्णन नायर एवीएसएम, एसएम डीआईएन: 09826740	सरकारी निदेशक	3	2	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री आर शक्या [6] डीआईएन: 09800172	सरकारी निदेशक	4	4	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
लेफ्टिनेंट जनरल कंवर विनोद कुमार [7] डीआईएन: 10366028	सरकारी निदेशक	3	3	लागू नहीं	शून्य	0	0
श्री मुकेश मंगल [8] डीडीजी (एआई एवं डीआईयू) डीआईएन: 10460089	सरकारी निदेशक	2	2	लागू नहीं	शून्य	1	शून्य

निदेशक का नाम तथा निदेशक पहचान संख्या	पदनाम	निदेशक मंडल की कुल बैठकें		पिछली वार्षिक आम सभा में उपस्थिति	अन्य सार्वजनिक कम्पनियों में धारित निदेशक पद	अन्य समितियों में सदस्यता धारिता	
		निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक द्वारा कार्यकाल के दौरान उपस्थिति			सदस्य के रूप में	अध्यक्ष के रूप में
डा. राजा नायक [9] डीआईएन: 06451006	स्वतंत्र निदेशक	6	6	हां	शून्य	3	1
श्री बिल्लेश्वर सिन्हा [10] डीआईएन: 09393543	स्वतंत्र निदेशक	6	6	हां	शून्य	1	1
श्रीमती ममता पालरिया[11] डीआईएन: 07749007	स्वतंत्र निदेशक	6	6	हां	शून्य	1	2

नोट:

1) श्रीमती एस जेयंति की नियुक्ति दिनांक 19 मई, 2023 से निदेशक उत्पादन के पद पर की गई है।
2) श्रीमती आर वसंती, महाप्रबंधक (परिचालन) ने दिनांक 19 मई , 2023 से निदेशक उत्पादन के पद का अतिरिक्त प्रभार त्याग दिया है।
3) श्री राकेश चन्द्र तिवारी दिनांक 30 नवम्बर, 2023 से निदेशक (विपणन) नहीं हैं। श्री राजेश राय, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को निदेशक विपणन के पद का अतिरिक्त प्रभार 1 दिसम्बर, 2023 से 29 फरवरी, 2024 तक की 3 माह की अवधि अथवा नियमित अधिकारी की नियुक्ति अथवा आगामी आदेशों तक के लिए सौंपा गया था।
4) श्री रमण बाबू सीवी दिनांक 25 जनवरी, 2024 से निदेशक विपणन नियुक्त किए गए थे। तदनुसार, श्री राजेश राय, जिन्होंने निदेशक विपणन के अतिरिक्त प्रभार का धारण किया था, ने दिनांक 25 जनवरी, 2024 से पद का त्याग कर दिया है।
5) लेफ्टिनेंट जनरल एम उन्नीकृष्णन दिनांक 15 सितम्बर, 2023 से कंपनी में सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक नहीं हैं।
6) श्री आर शक्या दिनांक 9 जनवरी, 2024 से कंपनी में सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक नहीं हैं।
7) लेफ्टिनेंट जनरल कंवर विनोद कुमार को दिनांक 20 अक्तूबर, 2023 से निदेशक नियुक्त किया गया है।
8) श्री मुकेश मंगल को दिनांक 10 जनवरी, 2024 से निदेशक नियुक्त किया गया है।
9) श्री राजा नायक, स्वतंत्र निदेशक को स्टेकधारक संबंध समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं।
10) श्री बिल्लेश्वर सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं।
11) श्रीमती ममता पालरिया, स्वतंत्र निदेशक को लेखा परीक्षा समिति तथा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
12) लेखापरीक्षा समिति तथा स्टेकधारक समिति की अध्यक्षता / सदस्यता मान्य होने की स्थिति में होगी

नोट:

- कोई भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधन कार्मिक परस्पर संबंधित नहीं हैं तथा न ही निदेशकों के मध्य किसी प्रकार परस्पर सम्बद्धता है।
- प्राप्त घोषणाओं के अनुसार किसी भी गैर-कार्यकारी निदेशक के पास कंपनी के इक्विटी शेयरों का धारण नहीं है।
- निदेशकों का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध अथवा संव्यवहार (पारिश्रमिक के अलावा जिसमें पात्रता के अनुसार सीटिंग फीस भी शामिल है)
- 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार कोई भी निदेशक किसी सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक मंडल का सदस्य नहीं है।
- किसी भी निदेशक के पास ऐसी सभी कम्पनियों की 10 से अधिक समितियों में सदस्यता प्राप्त है तथा न ही 5 से अधिक समितियों वे अध्यक्ष के कार्य देख रहे हैं।
- अन्य स्थलों पर निवास करने वाले निदेशकों को बैठकों में भाग लेने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा भी प्रदान की जाती है।
- निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के संबंध में लागू सभी कानूनी रिपोर्टों के अनुपालन की आवधिक समीक्षा की जाती है।

ग) निदेशक मंडल के प्रमुख कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताएं:

एक सरकारी कंपनी होने के नाते निदेशक मंडल के निदेशकों यथा कार्यात्मक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक एवं स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा निदेशक के प्रत्येक वर्ग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। निदेशक मंडल में कंपनी के व्यवसाय से संबंधित प्रभावी योगदान के लिए अपेक्षित निदेशकों के कौशल, विशेषता तथा क्षमता निदेशकों के चयन की सरकार की प्रक्रिया का अभिन्न भाग है। इसके संबंध में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार निदेशक में अपेक्षित किसी प्रमुख कौशल / विशेषज्ञता / क्षमता को संज्ञान में नहीं लिया गया है।

घ) स्वतंत्र निदेशक:

i. निदेशक मंडल के स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 150(1) के अंतर्गत की गई अधिसूचना के अनुसार इंडियन इंस्टीट्यूट आफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान) में अपना पंजीकरण करवा लिया है।

ii. वर्ष के दौरान किसी भी निदेशक ने कंपनी से त्यागपत्र नहीं दिया है।

iii. **निदेशकों के अनुकूलन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम**

कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किए गए अनुकूलन कार्यक्रम का विवरण कंपनी की वेबसाइट

https://www.itiltd.in/Investor%20information/2022/Familiraisation%20programme-Independent%20Directors_updated_18_07_2022.pdf में दिया गया है।

iv. **स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक :**

स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक का आयोजन दिनांक 23 नवम्बर, 2023 को हुआ था, जिसमें स्वतंत्र निदेशकों द्वारा कंपनी प्रबंधन वं निदेशक मंडल के मध्य सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, प्रमात्रा एवं समयबद्धता का मूल्यांकन किया गया था।

v. **स्वतंत्रता की घोषणा:**

कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा के माध्यम से इस आशय की पुष्टि की गई है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सूचीबद्धता विनियमों के अंतर्गत स्वतंत्रता के मापदंडों की पूर्ति करते हैं तथा वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा अनुरक्षित निदेशकों के डेटा बैंक में पंजीकृत हैं। निदेशक मंडल के मतानुसार यह माना गया है कि स्वतंत्र निदेशक सूचीबद्धता विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति करते हैं तथा वे प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

ङ निदेशक मंडल की बैठकों की तिथि:

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की 6 बैठकों का आयोजन निम्नलिखित तिथियों को किया गया था :

11 मई 2023	29 मई, 2023	11 अगस्त, 2023
9 नवम्बर, 2023	13 फरवरी, 2024	21 मार्च, 2024

3) निदेशक मंडल की समितियां:

क. लेखापरीक्षा समिति:

लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ शर्तों तथा संरचना अध्यधीन नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177, सूचीबद्धता विनियमों एवं लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुपालन में है।

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षा समिति में तीन स्वतंत्र निदेशक हैं जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

i. श्रीमती ममता पालरिया, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष
ii. श्रीमती एस जेयंति, कार्यपालक निदेशक, सदस्य
iii. डा. राजा नायक, स्वतंत्र निदेशक, सदस्य और
iv. श्री बिल्लेश्वर सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक, सदस्य

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 4 बैठकों का आयोजन दिनांक 29 मई, 2023, 11 अगस्त, 2023, 9 नवम्बर, 2023 तथा 13 फरवरी, 2024 को किया गया था।

विचाराधीन अवधि के दौरान समिति की सदस्यता में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार परिवर्तन हुए हैं :

श्री राकेश चन्द्र तिवारी, निदेशक विपणन की अधिवार्षिता 30.11.2023 को पूरी हुई है तथा अब वे समिति के सदस्य नहीं हैं।

दिनांक 1.12.2023 से श्रीमती एस जेयंति, निदेशक उत्पादन एवं निदेशक मानव संसाधन (अतिरिक्त प्रभार) को समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया गया था।

लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है।

सदस्य का नाम	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	निदेशक के कार्यकाल के दौरान बैठक में उपस्थिति
श्रीमती ममता पालरिया	4	4
श्रीमती एस जेयंति	1	1
डा राजा नायक	4	4
श्री बिल्लेश्वर सिन्हा	4	4
श्री राकेश चन्द्र तिवारी [1]	3	3

1 श्री राकेश चन्द्र तिवारी दिनांक 30 नवम्बर 2023 से सदस्य नहीं हैं।

2 श्रीमती एस जेयंति को दिनांक 1 दिसम्बर, 2023 को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

निदेशक वित्त तथा मुख्य वित्त अधिकारी समिति के स्थाई सदस्य हैं तथा कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं।

ख. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संदर्भ शर्तों तथा संरचना अध्यधीन नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178, सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 19 (सरकारी कंपनियों को प्रदत्त छूट के अलावा) के अनुपालन में है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति, नियुक्ति के नियम तथा शर्तें भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार हैं।

समिति की संदर्भ शर्तों तथा संरचना अध्यधीन नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 सूचीबद्धता विनियमों के अनुसरण में वरिष्ठ प्रबंधन तक विस्तार के लिए सीमित अर्थात निदेशक मंडल से स्तर नीचे तक तथा निष्पादन संबंधित वेतन के लिए लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसरण में है।

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना निम्नानुसार है:

i. श्री बिल्लेश्वर सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष
ii. श्रीमती ममता पालरिया, स्वतंत्र निदेशक, सदस्य
iii. डा. राजा नायक, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य, तथा
iv. श्री मुकेश मंगल, सरकार द्वारा नामित निदेशक – सदस्य

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठक दिनांक 8 अगस्त, 2023 को आयोजित की गई थी।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के सदस्य के कार्यकाल में हुए परिवर्तन का विवरण, यदि कोई हो, वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या तथा उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

सदस्य का नाम	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	निदेशक के कार्यकाल के दौरान बैठक में उपस्थिति
श्री बिल्लेश्वर सिन्हा	1	1
श्रीमती ममता पालरिया	1	1
श्री आर शक्या [1]	1	1
डा. राजा नायक	1	1
श्री मुकेश मंगल [2]	0	0

1. श्री आर शक्या दिनांक 9 जनवरी, 2024 से सरकार द्वारा नामित निदेशक नहीं हैं।
2. श्री मुकेश मंगल को दिनांक 10 जनवरी, 2024 से सरकार द्वारा नामित निदेशक नियुक्त किया गया है।

13) निदेशकों का पारिश्रमिक

(i) पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक

पूर्णकालिक निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान चुकता किए गए पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:

(राशि रुपए में)

निदेशक का नाम	पदनाम	वेतन	अनुलाभ	भविष्य निधि अंशदान	योग
श्री राजेश राय	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	34,98,423	2,02,553	2,95,657	39,96,633
श्री आर एम अग्रवाल	पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	-	-	-	-
श्री राजीव श्रीवास्तव	निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	23,32,885	2,75,171	2,79,513	28,87,569
श्री वेंकेटश्वलु	पूर्व निदेशक	-	-	-	-
श्री राकेश चन्द्र तिवारी	पूर्व निदेशक विपणन	29,55,760	3,60,550	2,11,259	35,27,569
श्रीमती शनमुगा प्रिया	पूर्व कंपनी सचिव	-	-	-	-
श्रीमती आर वसंती	पूर्व निदेशक	2,97,097	-	33,416	3,30,513
श्रीमती एस जेयंति	निदेशक उत्पादन एवं अपर निदेशक मानव संसाधन अतिरिक्त प्रभार	23,25,647	-	2,62,025	25,87,672
श्रीमती शालिनी घटक (06.07.2023 से)	पूर्व कंपनी सचिव	7,56,829	-	83,848	8,40,677
सी वी रामण बाबू	निदेशक विपणन	7,61,514	-	59,816	8,21,330

नोट:

- श्रीमती एस जेयंति की नियुक्ति दिनांक 19 मई, 2023 से निदेशक उत्पादन के पद पर की गई है।
- श्रीमती आर वसंती, महाप्रबंधक (परिचालन) ने दिनांक 19 मई , 2023 से निदेशक उत्पादन के पद का अतिरिक्त प्रभार त्याग दिया है।
- श्री राकेश चन्द्र तिवारी दिनांक 30 नवम्बर, 2023 से निदेशक (विपणन) नहीं हैं। श्री राजेश राय, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को निदेशक विपणन के पद का अतिरिक्त प्रभार 1 दिसम्बर, 2023 से 29 फरवरी, 2024 तक की 3 माह की अवधि अथवा नियमित अधिकारी की नियुक्ति अथवा आगामी आदेशों तक के लिए सौंपा गया था।
- श्री रमण बाबू सीवी दिनांक 25 जनवरी, 2024 से निदेशक विपणन नियुक्त किए गए थे। तदनुसार, श्री राजेश राय, जिन्होंने निदेशक विपणन के अतिरिक्त प्रभार का धारण किया था, ने दिनांक 25 जनवरी, 2024 से पद का त्याग कर दिया है।

नोट:

क. उपर्युक्त निदेशकों के लिए सेवा अनुबंध / नोटिस अवधि / पृथ्थककरण शुल्क आदि सरकार द्वारा की गई नियुक्ति के उपबंधों के अनुसार है।

ख. वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशकों को कोई बोनस / कमीशन चुकता नहीं की गई थी तथा न ही स्टॉक विकल्प दिया गया था।

ग. विचाराधीन वर्ष के दौरान कार्यकारी निदेशकों को निष्पादन संबंधित वेतन चुकता नहीं किया गया है।

(ii) अंशकालिक सरकारी निदेशकों को प्रतिपूर्ति

सरकारी निदेशकों को कोई पारिश्रमिक, सीटिंग शुल्क आदि का भुगतान नहीं किया गया है।

(iii) स्वतंत्र निदेशकों को प्रतिपूर्ति

स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल तथा संबंधित समिति की बैठकों में उपस्थिति के लिए प्रति बैठक 10,000/- रुपए के भुगतान के अलावा कोई पारिश्रमिक चुकता नहीं किया जाता है। वर्ष 2023-24 के दौरान चुकता किए गए सीटिंग शुल्क का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान बोर्ड और समिति की बैठक में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशक को सीटिंग फीस के भुगतान का विवरण।

(राशि) रुपए में

स्वतंत्र निदेशक का नाम	निदेशक मंडल की बैठक	लेखा परीक्षा समिति	सीएसआर	एनआरसी	एसआरसी	आरएमसी	स्वतंत्र निदेशक	कुल
श्रीमती ममता पालरिया	60,000	40,000	10,000	10,000	-	-	10,000	**1,30,000**
श्री बिल्लेश्वर सिन्हा	60,000	40,000	-	10,000	-	-	10,000	**1,20,000**
डा. राजा नायक	60000	40,000	-	10,000	10,000	20,000	10,000	**1,50,000**

(i) वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशक को सीटिंग फीस के भुगतान का विवरण।

(राशि) रुपए में

निदेशक का नाम	11.05.2023	29.05.2023	11.08.2023	09.11.2023	13.02.2024	21.03.2024	कुल
श्रीमती ममता पालरिया	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	**60,000**
श्री बिल्लेश्वर सिन्हा	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	**60,000**
डा. राजा नायक	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	**60,000**

(ii) वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठक में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशक को सीटिंग फीस के भुगतान का विवरण।

(राशि) रुपए में

निदेशक का नाम	29.05.2023	11.08.2023	09.11.2023	13.02.2024	कुल
श्रीमती ममता पालरिया	10,000	10,000	10,000	10,000	**40,000**
श्री बिल्लेश्वर सिन्हा	10,000	10,000	10,000	10,000	**40,000**
डा. राजा नायक	10,000	10,000	10,000	10,000	**40,000**

(iii) वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशक को सीटिंग फीस के भुगतान का विवरण।

(राशि) रुपए में

निदेशक का नाम	11.08.2023	कुल
श्रीमती ममता पालरिया	10,000	**10,000**
श्री बिल्लेश्वर सिन्हा	10,000	**10,000**
डा. राजा नायक	10,000	**10,000**

(iv) वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान हितधारक संबंध समिति की बैठक में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशक को सीटिंग फीस के भुगतान का विवरण।

(राशि) रुपए में

निदेशक का नाम	29.03.2024	कुल
डा. राजा नायक	10,000	10,000

(v) वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशक को सीटिंग फीस के भुगतान का विवरण।

(राशि) रुपए में

निदेशक का नाम	11.08.2023	कुल
श्रीमती ममता पालरिया	10,000	10,000

(vi) वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशक को सीटिंग फीस के भुगतान का विवरण।

(राशि) रुपए में

निदेशक का नाम	26.07.2023	22.01.2024	कुल
डा. राजा नायक	10,000	10,000	20,000

(vii) वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान स्वतंत्र निदेशक की बैठक में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशक को सीटिंग फीस के भुगतान का विवरण।

(राशि) रुपए में

निदेशक का नाम	09.11.2023	कुल
श्रीमती ममता पालरिया	10,000	10,000
श्री बिल्लेश्वर सिन्हा	10,000	10,000
डा. राजा नायक	10,000	10,000

(iv) निदेशक मंडल के स्तर से एक स्तर नीचे के वरिष्ठ प्रबंधन का पारिश्रमिक, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव सहित उनकी नियुक्ति अथवा सेवा समाप्ति, सूचीबद्धता विनियमों की अनुसूची (II) के भाग क (ङ) में की गई निर्दिष्टि कंपनी अधिनियम, 2013, सूचीबद्धता विनियमों तथा लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों द्वारा शासित हैं तथा समय-समय पर इसकी रिपोर्टिंग निदेशक मंडल को की जाती है।

(v) आईटीआई लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है, अत: निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों सहित) के निष्पादन का मूल्यांकन नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा नहीं किया गया है। निदेशकों की नियुक्ति, मूल्यांकन और शर्तों से संबंधित शक्तियां भारत सरकार को प्राप्त हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत सरकारी कंपनियों के लिए ऐसे निष्पादन मूल्यांकन से छूट दी गई है।

(vi) कंपनी सचिव नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सचिव हैं।

ग) स्टेकधारक संबंध समिति

स्टेकधारक संबंध समिति ('एसआरसी') शेयरधारकों के हितों के विभिन्न पहलुओं की देखरेख के लिए है। समिति शेयरधारकों के हितों की सेवा एवं संरक्षण का सुनिश्चय करती है। शेयरधारकों के साथ सौहार्दपूर्ण निवेशक संबंध अनुरक्षित करती है तथा निवेशकों की शिकायतों की समीक्षा एवं निवारण की तंत्रव्यवस्था की देखरेख करती है। समिति रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के निष्पादन तथा कंपनी द्वारा की गई कार्रवाईयों की समीक्षा करती है।

एसआरसी के संदर्भ की शर्तें और संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के अनुसार है।

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार स्टेकधारक संबंध समिति की सदस्यता निम्नानुसार थी:

i. डा. राजा नायक, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष ;

ii. श्री राजीव श्रीवास्तव निदेशक वित्त -सदस्य ; एवं

iii. श्रीमती एस जेयंति, निदेशक उत्पादन एवं निदेशक मानव संसाधन (अतिरिक्त प्रभार) सदस्य

कंपनी सचिव कंपनी के अनुपालन अधिकारी हैं।

31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान स्टेकधारक संबंध समिति की बैठक दिनांक 29 मार्च, 2024 को आयोजित की गई थी जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे

स्टेकधारक संबंध समिति के किसी सदस्य के कार्यकाल में हुए परिवर्तन का विवरण, यदि कोई हो, वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या तथा उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

सदस्य का नाम	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	निदेशक के कार्यकाल के दौरान बैठक में उपस्थिति
डा. राजा नायक	1	1
श्री राजीव श्रीवास्तव	1	1
श्री राकेश चन्द्र तिवारी [1]	0	0
श्रीमती एस जेयंति [2]	1	1

1 श्री राकेश चन्द्र तिवारी दिनांक 30 नवम्बर 2023 से सदस्य नहीं हैं।

2 श्रीमती एस जेयंति को दिनांक 1 दिसम्बर, 2023 को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

स्टेकधारकों / निवेशकों से प्राप्त शिकायतों / शंकाओं / प्रश्नों पर कंपनी द्वारा औचित्यपरक समयावधि में प्रक्रिया करने के प्रयास किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी को स्टेकधारकों से शून्य शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

निवेशक संबंध कक्ष :

निवेशकों और विश्लेषकों द्वारा अक्सर मांगी जाने वाली जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.itiltd.in पर 'निवेशक' पृष्ठ के अंतर्गत उपलब्ध है। वेबसाइट वित्तीय विवरणों, निवेशक से संबंधित घटनाओं और प्रस्तुतियों, वार्षिक रिपोर्ट, शेयरधारिता पैटर्न के साथ-साथ मीडिया विज्ञप्तियों और कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट आदि पर अपडेट प्रदान करती है।

घ) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

निदेशक मंडल द्वारा सीएसआर नीति के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों की अनुशंसा, निगरानी एवं प्रशासित करने तथा निष्पादन/कार्यान्वयन की देखरेख के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का गठन किया गया है। सीएसआर समिति के संदर्भ की शर्तें और संरचना अध्याधीन नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में निर्दिष्ट हैं।

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की सदस्यता निम्नानुसार थी:

i. श्रीमती ममता पालरिया, स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष;

ii. श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक वित्त – सदस्य; तथा

iii. श्रीमती एस जेयंति, निदेशक उत्पादन एवं निदेशक मानव संसाधन (अतिरिक्त प्रभार) – सदस्य

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की बैठक दिनांक 11 अगस्त, 2023 को आयोजित की गई थी जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के किसी सदस्य के कार्यकाल में हुए परिवर्तन का विवरण, यदि कोई हो, वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या तथा उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

सदस्य का नाम	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	निदेशक के कार्यकाल के दौरान बैठक में उपस्थिति
श्री राजीव श्रीवास्तव	1	1
श्रीमती ममता पालरिया	1	1
श्री राकेश चन्द्र तिवारी [1]	1	1
श्रीमती एस जेयंति [2]	0	0

1 श्री राकेश चन्द्र तिवारी दिनांक 30 नवम्बर 2023 से सदस्य नहीं हैं।

2 श्रीमती एस जेयंति को दिनांक 1 दिसम्बर, 2023 को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाइट पर **https://www.itiltd.in/csr** लिंक के उपयोग से देखी जा सकती है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षा के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष की सीएसआर रिपोर्ट निदेशक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

ङ) जोखिम प्रबंधन समिति

कंपनी द्वारा जोखिम मूल्यांकन एवं प्रक्रियाओं को न्यून करने के उद्देश्य से जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। जोखिम प्रबंधन समिति की संदर्भ शर्तों की निर्दिष्टि सूचीबद्धता विनियमों में की गई है।

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार जोखिम प्रबंधन की संरचना निम्नानुसार है:

i. श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक वित्त – अध्यक्ष

ii. श्री राजा नायक, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य

iii. श्री रमण बाबू सी वी, निदेशक विपणन – सदस्य

iv. श्रीमती एस जेयंति, निदेशक उत्पादन एवं निदेशक मानव संसाधन (अतिरिक्त प्रभार) – सदस्य

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक दिनांक 26 अगस्त, 2023 तथा 22 जनवरी, 2024 को आयोजित की गई थी जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे।

जोखिम प्रबंधन समिति के किसी सदस्य के कार्यकाल में हुए परिवर्तन का विवरण, यदि कोई हो, वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या तथा उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

सदस्य का नाम	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	निदेशक के कार्यकाल के दौरान बैठक में उपस्थिति
श्री राजीव श्रीवास्तव	2	2
श्री राकेश चन्द्र तिवारी[1]	2	1
डा. राजा नायक	2	2
श्रीमती आर वसंती	2	1
श्रीमती एस जेयंति	2	1
श्री रमण बाबू	0	0

1 दिनांक 30.11.2023 से समिति के सदस्य नहीं हैं।

4) आम सभा का आयोजन

क. पिछले तीन वर्षों में आयोजित वार्षिक आम सभा के विवरण :

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक आम सभा की तिथि, समय, स्थल, पारित विशेष संकल्प का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	तिथि तथा समय	स्थल	पारित विशेष संकल्प
2020-21	10 नवम्बर 2021 को प्रात: 11.30 बजे		नहीं
2021-22	28 सितम्बर, 2022 को प्रात: 11.30 बजे		• डा. राजा नायक (डीआईएन: 06451006) की कंपनी में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति • श्री बिल्लेश्वर सिन्हा (डीआईएन: 09393543) की कंपनी में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति • श्रीमती ममता पालरिहया (डीआईएन: 07749007) की कंपनी में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति
2022-23	28 सितम्बर, 2023 को प्रात: 11.30 बजे		नहीं

ख. असाधारण आम सभा :

वर्ष 2023-24 के दौरान शेयरधारकों की कोई असाधारण आम बैठक आयोजित नहीं की गई है।

ग. डाक मतपत्र :

विचाराधीन वर्ष के दौरान डाक मतपत्र के माध्यम से कोई संकल्प पारित नहीं किया गया है। डाक मतपत्र के माध्यम से किन्हीं मामलों पर शेयरधारकों से अनुमोदन के लिए अपेक्षित मामलों के निर्णय अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त किए जाएंगे।

5) संचार का माध्यम

तिमाही / वार्षिक परिणाम :

लेखापरीक्षित/अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की घोषणा सूचीबद्धता विनियमों में निर्धारित समय के अनुसार की गई है। परिणाम बिजनेस स्टैंडर्ड/फाइनेंशियल

एक्सप्रेस (अंग्रेजी में), संजीवनी (कन्नड़ में) और दक्षिण भारत राष्ट्रमत (हिंदी में) जैसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं। वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट- **https://www.itiltd.in/newspaperpublications** पर भी उपलब्ध हैं ।

समाचार जारी करना, प्रस्तुति आदि:

कंपनी द्वारा महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट निर्णयों / क्रियाकलापों के बारे में समाचार जारी किए जाते हैं तथा इन्हें अपनी वेबसाइट पर जारी किया जाता है तथा आवश्यकता होने पर स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाता है।

वेबसाइट :

कंपनी की वेबसाइट **www.itiltd.in** पर अलग से निवेशकों के लिए एक समर्पित खंड हैं जिसमें शेयरधाकरों से संबंधित सूचना उपलब्ध होती है। पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट, शेयरधारित पैटर्न, कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट, स्टॉक एक्सचेंजों के सम्मुख किए गए सभी प्रकटीकरण आदि वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

निवेशक सेवा कक्ष

शेयरधारकों की शिकायतों / प्रश्नों से संबंधित प्रक्रिया कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय तथा इंटीग्रेटिड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के बेंगलूरू स्थित कार्यालय द्वारा किया जाता है।

निवेशक अपने प्रश्न / शिकायतें मेल के माध्यम से **cosecy_crp@itiltd.co.in** तथा **irg@integrated.in** को भेज सकते हैं।

एससीओआरईएस (सेबी शिकायत निवारण प्रणाली)

सेबी द्वारा एससीओआरईएस नामक एक केंद्रीकृत वेब-आधारित शिकायत निवारण प्रणाली उपलब्ध करवाई गई है, जिसके माध्यम से निवेशक अपनी शिकायत के लिए किसी कंपनी के खिलाफ शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं। कंपनी एससीओआरईएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त मामलों के समाधान के लिए एससीओआरईएस में पंजीकृत भी है।

स्टॉक एक्सचेंजों में विवाद समाधान तंत्र की उपलब्धता:

सेबी ने 30 मई 2022 को जारी परिपत्र के माध्यम से मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है, जिसके अनुसार कंपनी के शेयरधारक/निवेशक और रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के बीच विवाद की स्थिति में, एससीओआरईएस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों सहित समाधान शिकायतों के लिए सभी कार्रवाई समाप्त होने के बाद विवाद को समाधान के लिए स्टॉक एक्सचेंज को भेजा जा सकता है। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज में विवाद समाधान तंत्र की उपलब्धता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 27 जनवरी 2023 को एक और परिपत्र जारी किया। उक्त परिपत्र के अनुसरण में, आरटीए ने भौतिक शेयरधारकों को इस बारे में सूचना भेजी है तथा उस पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सेबी को सौंपी गई है।

सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों/इश्यू रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंटों (आरटीए) के विरुद्ध स्टॉक एक्सचेंजों में विवाद समाधान तंत्र की उपलब्धता के बारे में जागरूकता पैदा करने के संबंध में दिनांक 27.01.2023 को परिपत्र जारी किया था।

सेबी ने दिनांक 31 जुलाई 2023 के परिपत्र के माध्यम से एक और परिपत्र जारी किया, जिसके अनुसार भारतीय प्रतिभूति बाजार में मौजूदा विवाद समाधान तंत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए, सामान्य ऑनलाइन विवाद समाधान ("ओडीआर") पोर्टल शुरू किया गया।

ओडीआर पोर्टल सूचीबद्ध इकाई तथा उसके निवेशक के बीच प्रतिभूति बाजार में सूचीबद्ध इकाई की गतिविधियों से उत्पन्न या उससे संबंधित सभी दावों, मतभेदों या विवादों के लिए शुरू किया गया है, जिन्हें सेबी द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार मध्यस्थता और/या सुलह और/या मध्यस्थता सहित ओडीआर पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

तदनुसार, कंपनी ने स्मार्ट ओडीआर पोर्टल पर पंजीकरण कराया है और 31 मार्च, 2024 तक निवेशकों से ओडीआर पोर्टल के तहत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

शेयरधारकों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे कंपनी या आरटीए के साथ किसी भी विवाद के मामले में स्टॉक एक्सचेंजों के विवाद समाधान तंत्र की सुविधा का लाभ उठाएं।

स्मार्ट ओडीआर पोर्टल का वेब-लिंक कंपनी की वेबसाइट पर भी दिया गया है।

हरित पहल - इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेजों से संबंधित प्रक्रिया

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियमों में इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में सभी दस्तावेजों का कागजमुक्त संचार करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अलावा, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय तथा सेबी द्वारा भी शेयरधारकों के साथ प्रत्येक संचार इलेक्ट्रानिक स्वरूप में करने की अनुमति दी गई है। इसके अनुपालन में कंपनी ने वार्षिक रिपोर्ट सहित सूचना का प्रेषण उन शेयरधारकों को ईमेल के माध्यम से किए जाने के व्यवहार को अंगीकार किया है जिनके ईमेल पते पंजीकृत रिकार्ड में उपलब्ध हैं।

6) आचार संहिता

कंपनी द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता अंगीकार की गई है, जिसका वितरण प्रत्येक संबंधित को किया गया है और यह कंपनी की वेबसाइट **https://www.itiltd.in/codes_and_policies** पर भी जारी की जाती है। कंपनी के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने सेबी सूचीबद्धता नियमों के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आचार संहिता के प्रावधानों के अनुपालन की पुष्टि की है और कोई भी ऐसा भौतिक वित्तीय या वाणिज्यिक लेनदेन नहीं किया है, जो कंपनी के हितों के साथ साथ हित संघर्ष का कारण बन सके। इस आशय की घोषणा, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित, इस रिपोर्ट के **अनुबंध-ख** में संलग्न है।

7) अंतरंग व्यापार प्रतिबंध संहिता

कंपनी द्वारा आईटीआई की सिक्योरिटज में संव्यवहार के संबंध में सेबी (अंतरंग व्यापार प्रतिषेध) विनियम, 2015 के अनुसरण में "नामोर्दिष्ट व्यक्तियों एवं नामोर्दिष्ट व्यक्तियों के निकटतम संबंधियों द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन, निगरानी एवं रिपोर्टिंग तथा निष्पक्ष प्रकटीकरण (अंतरंग व्यापार संहिता) से संबंधित आईटीआई संहिता" स्थापित की गई है।

अंतरंग व्यापार प्रतिषेध संहिता का उद्देश्य अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना (यूपीएसआई) पर आधारित कंपनी के शेयरों की खरीद/बिक्री को रोकथाम करना है। अंतरंग व्यापार प्रतिषेध संहिता के अंतर्गत, कोई आंतरिक व्यक्ति (संबंधित व्यक्ति अथवा जिसको यूपीएसआई का धारण प्राप्त है) अथवा उसकी ओर से अथवा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, यूपीएसआई के धारण के समय कंपनी के शेयरों के संव्यवहार के लिए प्रतिबंधित है। इसके अलावा, नामोर्दिष्ट व्यक्तियों को ट्रेडिंग विन्डो बंद होने की अवधि के दौरान कंपनी की सिक्योरिटिज में ट्रेडिंग करने की अनुमति भी नहीं है। निदिष्ट सीमा से अधिक कंपनी की सिक्योरिटिज में संव्यवहार के लिए अनुपालन अधिकारी से अनुमति प्राप्त की जानी अपेक्षित है।

सभी नोमोर्दिष्ट व्यक्तियों से अंतरंग व्यापार प्रतिषेध संहिता में की गई परिभाषा के अनुसार संबंधित जानकारी का प्रकटीकरण किया जाना अपेक्षित है। कंपनी की अंतरंग व्यापार प्रतिषेध संहिता कंपनी की वेबसाइट **https://www.itiltd.in/codes_and_policies** पर उपलब्ध है ।

ट्रेडिंग विंडो

अनुपालन अधिकारी द्वारा समय समय 'अंतरंग व्यक्तियों' को कंपनी की सिक्योरिटिज में संव्यवहार के लिए ट्रेडिंग विन्डो बंद की जानकारी दी जाती है। कंपनी की सिक्योरिटिज में संव्यवहार के लिए अंतरंग व्यक्तियों के लिए प्रत्येक तिमाही के अंत से तिमाही परिणामों की प्रस्तुति स्टॉक एक्सचेंजों को किए जाने के पश्चात से ट्रेडिंग विन्डो 48 घंटे बंद रखी जाती है। इसके संबंध में प्रत्येक संचार स्टॉक एक्सचेंजों, अंतरंग व्यक्तियों को मेल के माध्यम से भेजा जाता है तथा कंपनी की वेबसाइट **https://www.itiltd.in/noc_of_trading_window** पर भी सूचना अपलोड की जाती है।

8) . लाभांश वितरण नीति

कंपनी ने लाभांश वितरण नीति अंगीकार की है, इसका निर्माण मुख्यत: कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है तथा निवेश एवं सार्वजानिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, सेबी एवं अन्य द्वारा जारी यथा लागू सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उद्यमों के पूंजी की पुनर्संरचना से संबंधित दिशानिर्देशों को भी विचार में लिया गया है। इस नीति किसी भी विनियामक प्राधिकरण तथा/अथवा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर ज़ारी किए गए संशोधनों, यदि कोई हो, को कवर किया गया माना जाएगा।

इस नीति में कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश के वितरण तथा / अथवा संवहनीय विकास के लिए आय का धारण करने पर विचार एवं निर्धारण की सामान्य रूपरेखा शामिल की गई है।

यह नीति कंपनी की वेबसाइट **https://www.itiltd.in/codes_and_policies** पर उपलब्ध है।

9) मुख्य कार्यकारी अधिकारी / मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा अनुपालन प्रमाणपत्र

सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 17(8) के उपबंधों के अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणों तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों से संबंधित अनुपालन प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-ग** में संलग्न है।

10) प्रकटीकरण

(क) विचाराधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी ऐसी संबंधित पार्टी के साथ कोई अनुबंध, व्यवस्थाएं तथा संव्यवहार नहीं किए हैं जो आर्म्स लैंथ आधार पर अथवा व्यवसाय के सामान्य क्रम में नहीं हैं। सामग्रीगत रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी संव्यवहार नहीं किए गए हैं जिनसे मुख्यत: कंपनी के हितों के प्रति किसी प्रकार के हित संघर्ष की संभावना हो। संबंधित पार्टी संव्यवहार नीति कंपनी की वेबसाइट **https://www.itiltd.in/codes_and_policies.** पर उपलब्ध है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उल्लंघन / गुण दोष व्याख्या /दंड

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने, निम्नलिखित के अलावा, सूचीबद्धता विनियमों और लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है:

सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 17 **के प्रावधानों का उल्लंघन:**

- कंपनी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) से निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन न करने अर्थात निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या पर्याप्त न होने के संबंध में नोटिस प्राप्त हुए थे जिसके लिए आर्थिक दंड लगाया था।

- कंपनी द्वारा सूचीबद्धता विनियमों में निर्धारित कॉर्पोरेट शासन मानदंडों के अनुपालन के सुनिश्चय के लिए नियमित रूप से संचार मंत्रालय को निवेदन किए गए हैं।

- 1 अक्तूबर, 2022 से 16 दिसम्बर, 2022 के दौरान निदेशक मंडल में 3 स्वतंत्र निदेशक सहित 6 निदेशक थे तथा यह सूचीबद्धता विनियमों का अनुपालन है। तदनुसार, स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा 30 सितम्बर, 2022 तक सूचीबद्धता विनियमों का अनुपालन न करने के संबंध में लगाए गए 1,02,23,520 रुपए के अर्थदंड के प्रति कंपनी ने दिनांक 30 नवम्बर, 2023 को आवेदन प्रस्तुत किया था।

- 1,02,23,520 रुपए के अर्थदंड से छूट दिए जाने के आवेदन की प्रतिक्रिया में कंपनी को एनएसई से दिनांक 1 मार्च, 2023 का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें 30 सितम्बर, 2022 के अर्थदंड से छूट प्रदान किए जाने के अनुरोध को स्वीकार किए जाने का उल्लेख है।

- समान सूचीबद्ध इकाईयों के मामले में एक्सचेंजों द्वारा आवेदनों पर छूट प्रदान किए जाने की प्रक्रिया से संबंधित एनएसई एवं बीएसई के दिनांक 31.3.2022 के परिपत्र के अनुसार एनएसई द्वारा लिया जाने वाला निर्णय ऐसी सभी अन्य एक्सचेंजों के लिए मान्य होगा जिन्होंने समान उल्लंघन के लिए कम्पनियों पर अर्थदंड प्रत्यारोपित किए हैं।

- तथापि, निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या अपर्याप्त होने के कारण 31.12.2023 एवं 31.3.2024 की यथास्थिति के अनुसार सूचीबद्धता विनियमों के प्रति फिर से उल्लंघन हुआ है। इसके संबंध में स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा उल्लंघन के कारण से जुर्माना लगाया गया है। कंपनी नियमित रूप से स्टॉक एक्सचेजों के सम्मुख प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रही है कि एक सरकारी कंपनी होने के कारण से निदेशकों को नियुक्त करने की शक्तियां भारत सरकार के पास हैं।

- पूंजी बाजार से संबंधित किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा कंपनी पर किसी दंड का प्रत्यारोपण अथवा गुणदोष व्याख्या नहीं की गई है।

ग) सचेतक नीति / चौकसी तंत्रव्यवस्था

कंपनी द्वारा निदेशकों एवं कर्मचारियों के लिए अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदिग्ध जालसाजी, अथवा संहिता के उल्लंघन से संबंधित अपने सरोकार रिपोर्ट करने के लिए एक तंत्रव्यवस्था स्थापित की है। इस तंत्रव्यवस्था का उपयोग करने वाले कर्मचारियों के प्रति होने वाले उत्पीड़न से बचाव के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों का भी प्रावधान किया गया है, और लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधे पहुंच की अनुमति प्रदान की गई है। वर्ष के दौरान, किसी भी व्यक्ति को लेखापरीक्षा समिति में प्रवेश से वंचित नहीं किया गया था। सचेतक नीति हमारी वेबसाइट **https://www.itiltd.in/vigilance** . पर उपलब्ध है।

घ) अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन

कंपनी ने सूचीबद्धता विनियमों में निर्दिष्ट सभी कॉर्पोरेट शासन की अनिवार्य अपेक्षाओं कॉर्पोरेट शासन प्रमाण पत्र एवं सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में प्रेक्षण किए गए उल्लंघनों के अलावा, का अनुपालन किया है। सचिवीय लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों के उत्तर में उल्लंघन के कारण अलग से प्रस्तुत किए गए हैं।

ङ) गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं को अंगीकार करना

i. गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के लिए एक कार्यालय के अनुरक्षण और संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति की अपेक्षा कंपनी पर लागू नहीं होती क्योंकि कंपनी में एक कार्यकारी अध्यक्ष होता है।

ii. कंपनी के वित्तीय परिणामों का प्रकाशन बिजनेस स्टैंडर्ड / फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), संजीवनी (कन्नड़) और दक्षिण भारत राष्ट्रमत (हिंदी) जैसे प्रमुख समाचार पत्रों में किया जाता है। सेबी (सूचीबद्धता विनियम) की अपेक्षा के अनुसार कंपनी के परिणामों में महत्वपूर्ण घटनाओं एवं कार्यक्रमों की सूचना तत्काल स्टॉक एक्सचेंजों की जाती तथा इसे कंपनी की वेबसाइट **https://www.itiltd.in** पर भी शेयरधारकों एवं अन्य निवेशकों की जानकारी के लिए अपलोड किया जाता है। इस प्रकार वित्तीय परिणामों का प्रेषण वैयक्तिक रूप से शेयरधारकों को नहीं किया जाता है।

iii. समेकित वित्तीय विवरण का प्रकटीकरण संशोधित लेखापरीक्षा मत के साथ किया जाता है।

iv. आवधिक रिपोर्टों से युक्त आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों में महत्वपूर्ण निष्कर्ष, यदि कोई हों, शामिल होते हैं और उनकी लेखापरीक्षा समिति द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है। आंतरिक लेखा परीक्षक के प्रमुख सीधे अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष को रिपोर्ट करते हैं और लेखा परीक्षा समिति की बैठक में स्थायी आमंत्रित है।

च) वस्तु मूल्य जोखिम अथवा विदेशी विनिमय जोखिम तथा हेजिंग प्रक्रियाएं:

फारवर्ड कंट्रेक्ट जैसे डेरियेटिव के माध्यम से विदेशी मुद्रा जोखिमों का बचाव किया जा रहा है।

छ) कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न से संबंधित प्रकटीकरण :

कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण निदेशक रिपोर्ट में किया गया है।

ज) अधिमानी आवंटन के माध्यम से उत्पन्न की गई निधियों के उपयोग का विवरण

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार पैकेज के एक भाग के रूप में कंपनी को प्रशासनिक मंत्रालय से बजट निर्धारण के रूप कैपेक्स की प्राप्ति हुई है, जिसके प्रति भारत के राष्ट्रपति को अधिमान आधार पर इक्विटी शेयर आवंटित किए गए हैं। कैपेक्स की प्राप्ति के प्रति भारत के राष्ट्रपति को जारी किए गए इक्विटी शेयरों का विवरण नीचे दिया गया है:

- 31 मार्च 2022 को कैपेक्स के प्रति 71.56 करोड़ रुपए का कैपेक्स प्राप्त हुआ था जिसके प्रति दिनांक 25 मई 2022 को 86.00 रुपए प्रति शेयर की दर से 83,21,279 इक्विटी शेयर जारी किए गए थे।
- 6 अगस्त 2022 को कैपेक्स के लिए 80 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, जिसके प्रति दिनांक 28 सितंबर 2022 को 103.45 रुपए प्रति शेयर की दर से 77,33,204 इक्विटी शेयर जारी किए गए थे।
- 23 मार्च 2023 को कैपेक्स के लिए 107 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, जिसके प्रति 93.40 रुपए प्रति शेयर की दर से 1,13,09,586 इक्विटी शेयर जारी किए गए थे।
- कैपेक्स उपयोग की पखवाड़ा रिपोर्ट संचार मंत्रालय, प्रशासनिक मंत्रालय को भेजी जा रही है।

छ) प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव की सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट और प्रमाण पत्र

प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है तथा इस रिपोर्ट के अनुलग्नक – क में संलग्न किया गया है कि 31.03.2023 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार कंपनी का कोई भी निदेशक, कंपनी के निदेशक के पद पर नियुक्ति अथवा निदेशक का पद जारी रखने के लिए विवर्जित नहीं किया गया है अथवा अयोग्य नहीं पाया गया है।

झ) समितियों की अनुशंसाएं:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल समितियों की अनिवार्य अपेक्षाओं से संबंधित सभी सिफारिशों को स्वीकार किया है।

ञ) सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान किए गए शुल्क का विवरण

वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी को प्रदान की गई सभी सेवाओं के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को जीएसटी के अलावा 15,00,000 रुपए का कुल भुगतान किया गया था।

ट) लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट शासन दिशानिर्देश

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान तथा पिछले 3 वर्षों के दौरान भी राष्ट्रपति निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

विचाराधीन वर्ष के दौरान तथा पिछले वर्ष के प्रशासनिक, कार्यालयीन एवं वित्तीय व्ययों का विवरण वार्षिक लेखों के नोट संख्या 28 तथा 30 में दिया गया है।

11) सामान्य शेयरधारक सूचना

क) वित्तीय वर्ष 2024 में वार्षिक सामान्य बैठक:

दिनांक : 27 सितंबर, 2024

समय : प्रात: 11.30 बजे

स्थल : कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 5 मई, 2020 के परिपत्र के अनुसरण में कंपनी द्वारा बैठकों का आयोजन वीडियो कांफ्रेंस / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से किया जा रहा है तथा तदनुसार वार्षिक सामान्य बैठक के लिए स्थल की अपेक्षा नहीं है। इससे संबंधित विवरण के लिए कृपया इस वार्षिक सामान्य बैठक का नोटिस देखें।

सूचीबद्धता विनियमों तथा सचिवीय मानक 2 की अपेक्षा के अनुसार इस वार्षिक सामान्य बैठक में नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति की अपेक्षा वाले निदेशकों का विवरण वार्षिक सामान्य बैठक के नोटिस में दिया गया है।

ख) वित्तीय कैलेंडर:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय परिणामों की घोषणा का संभावित कैलेंडर नीचे दिया गया है:

को समाप्त तिमाही के लिए तिमाही परिणामों को अंगीकार करना	निदेशक मंडल की बैठक के आयोजन की संभावित तिथि
30.06.2024 (सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के साथ)	14.08.2024 को अथवा पूर्व
30.09.2024 (सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के साथ)	14.11.2024 को अथवा पूर्व
31.12.2024 (सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के साथ)	14.02.2025 को अथवा पूर्व
31.03.2025 (लेखापरीक्षित)	30.05.2025 को अथवा पूर्व

ग) स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता तथा सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान

कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:

नाम तथा पता	टेलीफोन / फैक्स / ई-मेल आईडी/ वेबसाइट आईडी	ट्रेडिंग सिम्बल
बीएसई लिमिटेड (बीएसई) फिरोज जीजाभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट मुम्बई - 400 001	टेलीफोन:022-22721233/4 फैक्स: 022-22721919 ईमेल :**bsehelp@bseindia.com** वेबसाइट: **www.bseindia.com**	523610
नेशनल स्टॉक एक्सचेज ऑफ इंडिया (एनएसई) लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व), मुम्बई - 400 051	टेलीफोन: 022-26598100-8114 फैक्स: 022-26598120 ई-मेल: **ignse@nse.co.in** वेबसाइट: **www.nseindia.com**	आईटीआई

कंपनी द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बीएसई तथा एनएसई को सूचीबद्धता शुल्क चुकता कर दिया गया है।

घ) कस्टोडियन शुल्क

कंपनी की इक्विटी, जिसका कोड आईएनई248ए01017 है, के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 का कस्टोडियन शुल्क एनएसडीएल तथा सीडीएसएल को चुकता कर दिया गया है।

ङ) बाजार मूल्य डेटा

प्रत्येक माह के दौरान बीएसई तथा एनएसई पर कंपनी के शेयरों को उच्च / न्यून बाजार मूल्यों का विवरण नीचे दिया गया है:

माह	बीएसई (प्रति शेयर रुपए)			एनएसई (प्रति शेयर रुपए)		
	उच्च मूल्य	न्यून मूल्य	वाल्युम (रुपए लाख में)	उच्च मूल्य	न्यून मूल्य	वाल्युम (रुपए लाख में)
अप्रैल-23	99.50	89.60	6.23	99.60	90.00	898.68
मई-23	113.55	95.05	29.45	113.70	94.95	281.87
जून-23	116.05	105.05	12.06	116.00	105.00	282.42
जुलाई-23	114.25	106.30	7.59	114.35	106.40	242.75
अगस्त-23	125.75	109.25	26.35	125.50	108.85	111.29
सितंबर-23	213.30	118.80	301.60	213.30	118.75	1265.10
अक्तूबर-23	337.00	184.30	463.07	337.50	184.20	1500.59
नवंबर-23	292.30	251.00	90.30	292.30	245.00	299.44
दिसम्बर-23	325.10	265.85	240.19	325.00	265.20	815.79
जनवरी-24	384.35	301.65	304.32	384.30	301.55	1631.00
फरवरी-24	366.00	265.35	138.21	366.00	265.45	267.24
मार्च-24	302.10	227.00	105.22	302.40	226.55	252.05

च) बीएसई सेन्सेक्स जैसे बड़े आधार वाले इंडिक्स की तुलना में कंपनी के शेयरों का निष्पादन

छ) बहियां बंद किए जाने की तिथि

कंपनी का सदस्यता रजिस्टर तथा शेयर अंतरण रजिस्टर दिनांक 21 सितम्बर, 2024 से 27 सितम्बर, 2024 (दोनों दिन सहित) बंद रखा जाएगा।

ज) रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट

कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर एजेंट सेबी के पंजीकृत वर्ग के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) इंटीग्रेटिड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड है।

पता : 30, रमण रेजिडेंसी, फोर्थ क्रॉस, संपिगे रोड
मल्लेश्वरम, बेंगलूरू 560003,

फोन नम्बर : 080-23460815-818

फैक्स : 080-23460819

ई-मेल : irg@integratedindia.in

झ) शेयर अंतरण प्रणाली

यथासंशोधित सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 40 के अनुसरण में कंपनी भौतिक रूप में धारण की गई सिक्योरिटिज से संबंधित नए अंतरण 1 अप्रैल, 2019 से केवल डीमेट स्वरूप में ही किए जा सकते है। शेयरों का धारण भौतिक स्वरूप में करने वाले सदस्यों से यह अनुरोध है कि वे अपनी होल्डिंग को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित करवाने पर विचार करें। इक्विटी शेयरों का अंतरण इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में ही किया जाता है जिसमें कंपनी का कोई योगदान नहीं होता है। सिक्योरिटिज के अंतरण / ट्रांसमिशन का संक्षेप निदेशक मंडल की बैठकों में प्रस्तुत किया जाता है।

सूचीबद्धता विनियम 2015 के विनियम 40(10) के अनुसरण में कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को शेयर अंतरण प्रक्रियाओं का विधिवत अनुपालन करने, सेबी (डिपोजिटरिज एवं पार्टिसिपेंट्स) विनियम, 2018 के अनुसरण में डीमेट किए गए शेयरों के प्रमाणपत्र भेजे जाते हैं।

इसके अलावा, स्टॉक एक्सचेंजों को शेयर पूंजी ऑडिट की समाधान रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है जिसमें कंपनी की प्रदत्त पूंजी भौतिक स्वरूप के शेयरों तथा एनएसडीएल एवं सीडीएसएल के साथ डीमेट किए गए शेयरों की कुल संख्या के अनुरूप होने की पुष्टि की जाती है तथा इसे तिमाही आधार पर निदेशक मंडल के सम्मुख भी प्रस्तुत किया जाता है।

ञ) 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता:

i. 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार वर्गवार शेयरधारिता

क्र. सं.	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	योग का %
1.	प्रोमोटर – भारत के राष्ट्रपति	1	864485747	89.97
2.	प्रोमोटर ग्रुप– कर्नाटक राज्य के	1	312500	0.03
3.	**संस्थानिक:**			
	म्यूचुअल फंड	16	204353	0.02
	एफआईआईएस	23	1073301	0.11
	वित्तीय संस्थान / बैंक	16	31695	0.00
	बीमा कम्पनियां	2	2539	0.00
	भा.रि.बैं के साथ पंजीकृत एनबीएफसी	2	7751	0.00
4.	**केन्द्र सरकार:** राष्ट्रीय विशेष निवेश निधि (एसएनआईएफ)	1	75869381	7.90
5.	**गैर-संस्थानिक:**			
	वैयक्तिक	99294	17809765	1.85
	एनआरआई	635	358749	0.04
	निकाय कॉर्पोरेट	295	656092	0.07
	क्लीयरिंग सदस्य	17	5966	0.00
	एलएलपी	16	67078	0.01
	ट्रस्ट्स	2	2021	0.00
	योग	**100321**	**960886938**	**100.00**

ii. 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का प्रतिशत

क्र.सं.	विवरण	धारक	धारकों का %	धारिता	धारिता का %
1	1-500	94471	94.17	7761824	0.81
2	501-1000	3381	3.37	2709758	0.28
3	1001-2000	1428	1.42	2147943	0.22
4	2001-3000	374	0.37	953064	0.10
5	3001-4000	182	0.18	648833	0.07
6	4001-5000	155	0.15	735510	0.08
7	5001-10000	202	0.20	1472364	0.15
8	10001 & above	128	0.13	944457642	98.29
	योग	**100321**	**100.00**	**960886938**	**100.00**

iii. **शेयरों का डीमेट तथा चलनिधि**

कंपनी के शेयर दोनों डिपोजिटरिज यथा नेशनल सिक्योरिटिज लिमिटेड ('एनएसडीएल') 95,04,95,694 शेयर तथा सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') 98,02,540 द्वारा डीमेट स्वरूप में स्वीकार्य हैं। भौतिक स्वरूप में 5,88,704 इक्विटी शेयरों का धारण है।

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार कंपनी का शेयरधारिता आधार 1,00,321 है।.

कंपनी के कुल शेयरों का 99.94% धारण एनएसडीएल तथा सीडीएसएल के साथ निवेशकों द्वारा डीमेट स्वरूप में किया गया है।

कंपनी के शेयर इंटरनेशनल सिक्योरिटिज आइडेंटिफिकेशन नम्बर (आईएसआईएन)–आईएनई248ए01017 के साथ ट्रेड किए जाते हैं।

ट) बकाया जीडीआर / एडीआर वारंट अथवा अन्य किसी कंवर्टिबल इंस्ट्रूमेंट की तिथि जिनसे इक्विटी पर प्रभाव की संभावना हो

कंपनी द्वारा कोई जीडीआर / एडीआर / वारंट अथवा कंवर्टिबल इंस्ट्रूमेंटर जारी नहीं किया गया है तथा तदनुसार इससे इक्विटी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है।

ठ) संयंत्र स्थल

आईटीआई लिमिटेड द्वारा कर्नाटक राज्य में बेंगलूरू, केरल राज्य में पालक्काड, उत्तर प्रदेश राज्य में रायबरेली, नैनी तथा मनकापुर यूनिटों तथा जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में श्रीनगर में अपनी निर्माण यूनिटें स्थापित की गई हैं।

ड) कंपनी के साथ पत्र व्यवहार का पता

शेयरधारक / निवेश अपना पत्रव्यवहार कंपनी सचिव, आईटीआई लिमिटेड, आईटीआई भवन, दूरवाणी नगर, बेंगलूर – 560016 कर्नाटक, भारत को संबोधित कर सकते हैं।

ढ) डीमेट सस्पेंस खाते / दावा न किए गए सस्पेंस खाते के संबंध में प्रकटीकरण:

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार कंपनी के दावा न किए गए कोई शेयर डीमेट सस्पेंस खाते / दावा न किए गए सस्पेंस खाते में अंतरण के लिए लंबित नहीं हैं।

ण) निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ):

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार नियमावली के साथ पठित कंपनी अधिनियम,2013 के प्रावधानों के उपबंधों के अनुसार आईईपीएफ में अंतरण के लिए कोई राशि अपेक्षित नहीं है।

त) ऐसी फर्मों / कम्पनियों को ऋण तथा अग्रिम तथा ऋण के स्वरूप का नाम एवं राशि सहित प्रकटीकरण जिनमें निदेशकों के हित हैं:

ऐसी फर्मों / कम्पनियों को कोई ऋण तथा / अग्रिम नहीं दिया गया है जिनमें निदेशकों के हित हैं।

12) प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा जारी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा प्रमाणपत्र

कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, सूचीबद्धता विनियमों, लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों, सेबी विनियमों तथा अन्य लागू कानूनों के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव श्री के एन नागेश राव द्वारा की गई थी। सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट भाग है।

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए श्री डी वेंकटेश्वरलु, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा जारी वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित समय में स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत की गई थी।

सूचीबद्धता विनियमों के अंतर्गत कॉर्पोरेट शासन की निर्धारित शर्तों के अनुपालन की पुष्टि के लिए प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव श्री डी वेंकटेश्वरलू द्वारा जारी प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-घ** में संलग्न है।

13) अनुपालन

आपकी कंपनी तिमाही समाप्ति से क्रमशः 15 और 21 दिनों के भीतर संचार मंत्रालय और स्टॉक एक्सचेंजों को निर्धारित प्रारूप में कॉर्पोरेट शासन की अपेक्षाओं के अनुपालन की त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

14) लोक उद्यम विभाग द्वारा प्रदत्त ग्रेडिंग

आपकी कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट शासन के अनुपालन की ग्रेडिंग रिपोर्ट संचार मंत्रालय को तिमाही आधार पर प्रस्तुत की जाती है। ग्रेडिंग रिपोर्ट के अनुसार आपकी कंपनी को वर्ष 2023-24 के लिए 'उत्कृष्ट' रेटिंग के साथ 95.56% का कम्पोजिट स्कोर प्रदान किया गया है।

राजेश राय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 10052045

स्थल : बेंगलूरू
दिनांक : 12 अगस्त, 2024

अनुलग्नक - क

निदेशकों का गैर - अनर्हता प्रमाण पत्र

(सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015) के विनियम 34(3) तथा अनुसूची V पैरा ग खंड (10)(i) के अनुसरण में)

सेवा में,
आईटीआई लिमिटेड के सदस्यगण,
(सीआईएन: एल32202**केए**1950**जीओआई**000640)
आईटीआई भवन, दूरवाणीनगर,
बेंगलूरु - 560 016

मैंने, आईटीआई लिमिटेड के निदेशकों (जैसा तालिका ए में सूचीबद्ध है), जिसका सीआईएल: एल32202केए1950जीओआई000640 है तथा पंजीकृत कार्यालय आईटीआई भवन, दूरवाणी नगर, बेंगलूरु - 560 016 (एतद्वारा 'कंपनी' के नाम से संदर्भित) है, के संबंध में मेरे सम्मुख, कंपनी द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूबीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V पैरा ग उप खंड 10(i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अंतर्गत यह प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से, प्रस्तुत संबंध रजिस्टरों, रिकार्डों, फार्मों, विवरणियों एवं प्रकटीकरण की जांच की है।

मेरी मतानुसार एवं मुझे कंपनी तथा इसके अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा किए गए निम्नलिखित सत्यापन के अनुसार:

(i) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध दस्तावेज़;
(ii) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति का सत्यापन;
(iii) निदेशकों (जैसा तालिका ए में सूचीबद्ध है) द्वारा कंपनी को प्रदान किए गए प्रकटीकरण; तथा
(iv) बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की प्रतिबंध सूची

मैं, एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल (जैसा तालिका ए में सूचीबद्ध है) का कोई भी निदेशक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय अथवा अन्य किसी सांवधिक प्राधिकरण द्वारा, 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के निदेशक के पद पर नियुक्त होने अथवा नियुक्त रहने से रोका अथवा अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

तालिका : ए

क्र.सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	कंपनी में नियुक्ति की तिथि
1.	श्री राजीव श्रीवास्तव	08921307	15/10/2020
2.	श्री राकेश चन्द्र तिवारी[6]	08953397	07/01/2021
3.	श्रीमती ममता पलारिया	07749007	10/11/2021
4.	श्री बिलेश्वर सिन्हा	09393543	10/11/2021
5.	डॉ. राजा नायक	06451006	10/11/2021
6.	श्री राधाचरण शक्या[7]	09800172	23/11/2022
7.	लैफ्टिनेंट जनरल माधवन उन्नीकृष्णन नायर[2]	09826740	16/12/2022
8.	श्री राजेश राय	10052045	21/02/2023
9.	श्रीमती सेतुरामन जेयंति[4]	10059174	28/02/2023
10.	श्रीमती आर वसंती[1]	10059129	28/02/2023
11.	श्री राजेश राय[3]	10052045	21/02/2023
12.	श्री कंवर विनोद कुमार[5]	10366028	20/10/2023
13.	श्री मुकेश मंगल[8]	10460089	10/01/2024
14.	श्री वेंकट रमण बाबू चुंदरु[9]	10478320	25/01/2024

1) निदेशक (विपणन) के पद का कार्यकाल 19 मई, 2023 को समाप्त हुआ है
2) दिनांक 15 सितंबर, 2023 से कंपनी के नामित निदेशक नहीं हैं
3) दिनांक 28 सितंबर,2023 से कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त
4) दिनांक 28 सितंबर 2023 से निदेशक (उत्पादन) के रूप में नियुक्त किया गया और निदेशक (मानव संसाधन) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया
5) दिनांक 20 अक्टूबर 2023 से कंपनी के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त
6) दिनांक 30 नवंबर 2023 से कंपनी के निदेशक (विपणन) नहीं हैं
7) दिनांक 9 जनवरी 2024 से कंपनी के नामित निदेशक नहीं हैं
8) दिनांक 10 जनवरी 2024 से कंपनी के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त
9) दिनांक 25 जनवरी 2024 से निदेशक (विपणन) के रुप में नियुक्त
10) निदेशक मंडल में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति / निरंतरता की अर्हता का सुनिश्चय कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा दायित्व हमारे द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर अपने मत की अभिव्यक्ति करना है।

यह प्रमाण पत्र न तो कंपनी के संबंध में भविष्य के प्रति किसी प्रकार की व्यवहार्यता और न ही यह प्रबंधन द्वारा कंपनी के लिए किए गए कार्यों के कौशल अथवा प्रभावोत्पति का कोई आश्वासन है।

D. VENKATESWARLU FCS : 8554 CP No. : 7773 Company Secretary

डी. वेंकटेश्वरलू
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव
एफसीएस संख्या 8554 :: सी.पी. संख्या 7773
यूडीआईएन: 8554एफ000651295
पीआर नं. : 1617/2021

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 2 जुलाई 2024

अनुलग्नक - ख

घोषणा

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के सम्बद्ध प्रावधानों के अनुसरण में निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त्

राजेश राय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 10052045

स्थल : बेंगलूरू
दिनांक : 12 अगस्त, 2024

अनुलग्नक - ग

मुख्य कार्यकारी अधिकारी /मुख्य वित्त अधिकारी प्रमाणन

(सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015और कॉर्पोरेट शासन से सम्बद्ध लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसरण में)

सेवा में,

निदेशक मंडल, आईटीआई लिमिटेड

हमने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आईटीआई लिमिटेड के तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखों एवं उसकी सभी अनुसूचियों तथा लेखांकन नोटों तथा साथ ही नकदी प्रवाह विवरणों और निदेशक रिपोर्ट की समीक्षा की है तथा हमारी जानकारी एवं हमारे विश्वास के अनुसार हम यह सूचित करते हैं कि :

(क) (i) इन विवरणों में सामग्रीगत रूप से कोई असत्य विवरण नहीं दिया गया है अथवा किसी ऐसे सामग्रीगत तथ्य का विलोपन नहीं किया गया है जो भ्रामक हो सकता

(ख) (ii) प्रस्तुत विवरण कंपनी के कार्यों की सत्य एवं स्वच्छ की प्रस्तुति करते हैं तथा ये विद्यमान लेखांकन मानकों, लागू कानूनों एवं विनियमों के अनुपालन के अनुरूप हैं।

(ग) हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान ऐसे कोई संव्यवहार नहीं किए हैं जो जालसाजी पूर्ण हों, गैर-कानूनी अथवा कंपनी की आचार संहिता के उल्लंघन में हों।

(घ) हम वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों की स्थापना एवं अनुरक्षण के उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं। हमने कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है तथा आंतरिक नियंत्रणों के अभिकल्प अथवा परिचालन से संबंधित न्यूनताएं, यदि कोई हों, तथा ऐसी न्यूनताओं को दूर करने के लिए किए गए अथवा किए जाने के लिए प्रस्तावित उपायों का प्रकटीकरण हमने लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति के सम्मुख किया है।

(ङ) हमने, कंपनी के संबंध में यथालागू प्रकटीकरण कंपनी के लेखापरीक्षकों तथा कंपनी के निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति के सम्मुख किए हैं

- इस रिपोर्ट में शामिल वर्ष के दौरान आंतरिक नियंत्रणों में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन
- वर्ष के दौरान लेखांकन नीति नीतियों में किए गए परिवर्तन, यदि कोई हों, तथा जिनका प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों के नोट्स में किया गया है।
- हमें ज्ञात किसी महत्वपूर्ण जाल की घटनाएं, जिनमें प्रबंधन अथवा अन्य ऐसे कर्मचारियों की संलिप्तता है जिनकी कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है।

राजीव श्रीवास्तव
निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी

राजेश राय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूरू
दिनांक : 12 अगस्त, 2023

अनुलग्नक - घ

कॉर्पोरेट शासन का प्रमाण पत्र

सेवा में,

आईटीआई लिमिटेड के सदस्य

मैंने, डी. वेंकटेश्वरलु, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए, विनियम 17 से 27 तथा विनियम 46(2) के खंड (ख) से (i) तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ('सेबी सूचीबद्धता दायित्व') की अनुसूची V के पैराग्राफ ग,घ तथा ङ और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा उल्लिखित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशा-निर्देशों के अनुसार आईटीआई लिमिटेड (सीआईएन: एल32202केए1950जीओआई000640) ('कंपनी') द्वारा कॉर्पोरेट शासन की अनुपालन स्थिति की जांच की है।

मैं, यह उल्लेख करता हूँ कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन तथा कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के निर्माण का दायित्व कंपनी प्रबंधन का है।

प्रबंधन के उत्तरदायित्व :

कॉर्पोरेट शासन के उत्तरदायित्वों के अनुपालन का दायित्व कंपनी प्रबंधन का है। इस उत्तरदायित्व में आंतरिक नियंत्रणों के अभिकल्प, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण तथा ऐसी प्रक्रियाओं के निर्माण के दायित्व शामिल हैं जिनसे सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अंतर्गत कॉर्पोरेट शासन के उपबंधों के अनुपालन का सुनिश्चय होता हो।

लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व :

क. हमारी जांच, कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट शासन के उपबंधों के अनुपालन के सुनिश्चय के लिए अंगीकार की गई प्रक्रियाओं एवं उनके कार्यान्वयन की जांच तक सीमित है। यह न तो कंपनी के वित्तीय विवरणों की किसी प्रकार की लेखापरीक्षा है तथा न ही किसी मत अभिव्यक्ति है।

ख. हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के अनुपालन के मूल्यांकन के उद्देश्य से सचिवीय रिकार्डों एवं अन्य दस्तावेजों के गहन सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

ग. कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिए गए विवरण का सत्यापन दस्तावेजी प्रमाणों तथा कंपनी प्रबंधन द्वारा हमें उपलब्ध करवाए गए समर्थित दस्तावेजों के आधार पर किया गया है।

घ. कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के बारे में हमारी जांच का निर्वाह, सेबी के अंतर्गत कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रमाणन के उद्देश्य से, भारतीय कंपनी प्रबंधन संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी संदर्भों के अनुसार किया गया है।

मत :

हमारे मतानुसार, तथा हमें प्रदान की गई सूचना तथा हमारे द्वारा की गई संबंधित दस्तावेजों की जांच एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम यह सत्यापित करते हैं कि कंपनी ने, निम्नलिखित के अलावा, सेबी (एलओडीआर) एवं लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है :

- निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या कम से कम आधी होने की अपेक्षा से संबंधित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 17(1) (ख) तथा सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उद्यम,, 2010 से संबंधित कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश।

मैं, आगे यह भी रिपोर्ट करता हूं कि उक्त अनुपालन न तो कंपनी के संबंध में भविष्य के प्रति किसी प्रकार की व्यवहार्यता और न ही यह प्रबंधन द्वारा कंपनी के लिए किए गए कार्यों के कौशल अथवा प्रभावोत्पति का कोई आश्वासन है।

यह प्रमाणपत्र मात्र सेबी (एलओडीआर) तथा लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुपालन के उद्देश्य से जारी किया गया है तथा किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा अथवा किसी भी अन्य उद्देश्य से इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

D. VENKATESWARLU FCS : 8554 CP No. : 7773 Company Secretary

डी. वेंकटेश्वरलू
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव
एफसीएस : 8554 :: सी.पी. संख्या 7773
यूडीआईएन: एफ 008554एफ000651295
पीआर नं. : 1617/2021

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 02 जुलाई, 2024

टिप्पणी

टिप्पणी

आयोजन

श्री सतेंद्र कुमार जैन, वरिष्ठ उप महानिदेशक (एसयू), दूरसंचार विभाग ने आईटीआई लिमिटेड का दौरा किया।

श्री सतेंद्र कुमार जैन, वरिष्ठ उप महानिदेशक (एसयू), दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार ने 15 अप्रैल, 2023 को आईटीआई लिमिटेड का दौरा किया। दौरे के दौरान, श्री सतेंद्र कुमार जैन को एसएमटी लाइन, 4जी हैंगर, पीसीबी, एचडीपीई डक्ट, दूरसंचार परीक्षण प्रयोगशाला, 3डी प्रिंटिंग, अनुसंधान एवं विकास केंद्र, डेटा सेंटर और स्टार्टअप हब स्थित बेंगलूरु प्लांट की सुविधाओं का अवलोकन कराया गया।

श्री सतेंद्र कुमार जैन ने आईटीआई निगमित कार्यालय का भी दौरा किया। इस अवसर पर, आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक श्री राजेश राय ने निदेशक (वित्त) श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक (विपणन) श्री राकेश चंद्र तिवारी, निदेशक-मानव संसाधन (अतिरिक्त प्रभार) श्रीमती एस जेयंति, निदेशक-उत्पादन (अतिरिक्त प्रभार) श्रीमती वसंती आर और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में चालू परियोजनाओं की प्रगति पर प्रकाश डाला।

आईटीआई लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक डॉ. राजा नायक, श्रीमती ममता पलारिया और श्री बिल्लेश्वर सिन्हा ने आईटीआई रायबरेली संयंत्र और आईटीआई मनकापुर संयंत्र का दौरा किया।

आईटीआई लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक डॉ राजा नायक, श्रीमती ममता पलारिया और श्री बिल्लेश्वर सिन्हा ने अप्रैल 2023 के महीने के दौरान आईटीआई रायबरेली प्लांट और आईटीआई मनकापुर प्लांट का दौरा किया। आईटीआई रायबरेली संयंत्र के दौरे के दौरान, उन्हें ओएफसी विनिर्माण संयंत्र में संयंत्र की सुविधाओं का अवलोकन कराया गया तथा उन्होंने संयंत्र में चालू परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने आईटीआई मनकापुर प्लांट का भी दौरा किया। उन्हें एचडीपीई डक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में प्लांट की सुविधाओं के बारे में बताया गया और प्लांट की चालू परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

श्रीमती एस जेयंति ने आईटीआई लिमिटेड में निदेशक (उत्पादन) का पदभार ग्रहण किया।

श्रीमती एस जेयंति 28 फरवरी, 2023 को निदेशक-मानव संसाधन (अतिरिक्त प्रभार) के रुप में बोर्ड में शामिल हुई और इसके पश्चात् 19 मई, 2023 को निदेशक-उत्पादन का कार्यभार ग्रहण किया।

आईटीआई लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया।

आईटीआई लिमिटेड ने 21 जून, 2023 को आईटीआई बेंगलूरु प्लांट में 'वसुधैव कुटुम्बकम के लिए योग' थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 9वां संस्करण मनाया। आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक श्री राजेश राय ने निदेशक (वित्त) श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक (विपणन) श्री राकेश चंद्र तिवारी, महाप्रबंधक-बी एवं आरएंडडी श्री टी एस सुधाकर, आईटीआई बेंगलूरु प्लांट के इकाई प्रमुख, वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारियों ने इस अवसर पर उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। भारती योग केंद्र की योग शिक्षिका सुश्री अनुपमा यतिराज ने योग के लाभों पर प्रकाश डाला और योग आसनों का प्रदर्शन किया। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री राजेश राय, निदेशक(वित्त), श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक (विपणन), श्री आर सी तिवारी, बेंगलूरु प्लांट, निगमित कार्यालय और एनएस यूनिट के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी योग सत्र में शामिल थे।

टीआरएआई अधिकारियों की टीम आईटीआई लिमिटेड का दौरा किया।

भारतीय दूरसंचार नियामक (टीआरएआई) के अधिकारियों की टीम, अध्यक्ष डॉ. पी डी वाघेला, सचिव, श्री वी. रघुनंदन, सलाहकार, श्री ब्रजेंद्र कुमार एवं एसआरओ श्री के मुरलीधर ने 24 जून, 2023 को आईटीआई लिमिटेड का दौरा किया। आईटीआई लिमिटेड निगमित कार्यालय के दौरे के दौरान, आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री राजेश राय ने निदेशक (वित्त) श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक (विपणन) श्री राकेश चंद्र तिवारी, निदेशक (उत्पादन) एवं निदेशक-मानव संसाधन (अतिरिक्त प्रभार), श्रीमती एस जेयंति, महाप्रबंधक-बी और अनुसंधान एवं विकास और बेंगलूरु पलांट के इकाई प्रमुख श्री टी एस सुधाकर, एवं वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में कंपनी का अवलोकन प्रस्तुत किया।

डॉ. पी. डी. वाघेला, श्री वी. रघुनंदन, श्री ब्रजेंद्र कुमार और श्री के. मुरलीधर ने भी आईटीआई बेंगलूरु प्लांट का दौरा किया। टीआरएआई अधिकारियों की टीम ने आईटीआई बेंगलूरु प्लांट के दौरे के दौरान प्लांट में एसएमटी लाइन, 4जी हैंगर, ईवीएम हैंगर, टेलीकॉम टेस्टिंग लैब, आरएंडडी सेंटर और स्टार्टअप हब की सुविधाओं को देखा।

श्री अजय कुमार साहू, सदस्य (सेवाएं), डीसीसी ने आईटीआई लिमिटेड का दौरा किया।

श्री अजय कुमार साहू, सदस्य (सेवाएं), डीसीसी ने श्री मुकेश मंगल, उप महानिदेशक (एसए-II) डीओटी, संचार मंत्रालय, भारत सरकार के साथ 9 अगस्त, 2023 को आईटीआई लिमिटेड का दौरा किया। आईटीआई बेंगलूरु प्लांट के इकाई प्रमुख, महाप्रबंधक-बी श्रीमती वसंती आर ने आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री राजेश राय, निदेशक (वित्त) श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक (विपणन) श्री राकेश चंद्र तिवारी, निदेशक (उत्पादन) एवं निदेशक-मानव संसाधन (अतिरिक्त प्रभार) श्रीमती एस जेयंति, कार्यकारी निदेशक (टीडी) श्रीमती इला बहादुर और आईटीआई बेंगलूरु प्लांट के वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थित में अधिकारियों का स्वागत किया। दौरे के दौरान, श्री अजय कुमार साहू और श्री मुकेश मंगल को प्लांट में 4जी हैंगर, एसएमटी लाइन, एचडीपीई प्लांट, टेलीकॉम टेस्टिंग लैब, अनुसंधान एवं विकास सेंटर, डेटा सेंटर और स्टार्टअप हब की सुविधाओं का अवलोकन कराया गया। श्री अजय कुमार साहू ने आईटीआई प्रबंधन अधिकारियों के साथ चर्चा भी की।

श्री अजय कुमार साहू, सदस्य (सेवाएँ) और श्री मुकेश मंगल, उप महानिदेशक (एसए-II) ने निगमित कार्यालय का भी दौरा किया। आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री राजेश राय ने निदेशक (वित्त), श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक (विपणन), श्री राकेश चंद्र तिवारी, निदेशक (उत्पादन) एवं निदेशक (मानव संसाधन) अतिरिक्त प्रभार, श्रीमती एस जेयंति, मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री बी. काशिविश्वनाथन, कार्यकारी निदेशक (टीडी), श्रीमती इला बहादुर, महाप्रबंधक-बेंगलूरु एवं आईटीआई बेंगलूरु प्लांट के इकाई प्रमुख

श्रीमती वसंती आर और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में कंपनी का अवलोकन प्रस्तुत किया। श्री राजेश राय ने चालू परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की।

आईटीआई लिमिटेड ने 77वाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया।

आईटीआई लिमिटेड ने 15 अगस्त, 2023 को निगमित कार्यालय में पूरे उत्साह और देशभक्ति के साथ राष्ट्र का 77वाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया। आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री राजेश राय ने निगमित कार्यालय, बेंगलूरु में श्री राकेश चंद्र तिवारी, निदेशक (विपणन), श्रीमती एस जेयंति, निदेशक (उत्पादन) एवं निदेशक-मानव संसाधन (अतिरिक्त प्रभार) वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी, कर्मचारी संघ एवं अधिकारी संघ के प्रतिनिधि एवं परिवार के सदस्यों और आईटीआई स्कूल के बच्चों की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर के निरीक्षण पश्चात् राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज फहराया एवं झंडे को सलामी देते हुए राष्ट्रगीत गया।

चंद्रयान – 3 प्रक्षेपन में आईटीआई लिमिटेड की अहम भूमिका के लिए इसरों ने सराहना की।

श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी) से 14 जुलाई, 2023 को लॉन्च किए गए चंद्रयाना-3 (एलवीएम3-एम4) के सफल प्रक्षेपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए 'विश्वसनीय साझेदार' के रूप में इसरो (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) ने आईटीआई लिमिटेड की सराहना की।

भारत के तीसरे चंद्रमा मिशन, चंद्रयान-3 का मार्क-3 (एलवीएम3) रॉकेट पर पूर्णत: सफल प्रक्षेपण हुआ। इस प्रतिष्ठित मिशन के उड़ान वाहन में इसरो के कड़े उच्चतम गुणवत्ता मानकों का पालन करते हुए आईटीआई लिमिटेड पालक्काड संयंत्र द्वारा निर्मित 55 पैकेज थे।

दूरसंचार विभाग (डीओटी), संचार मंत्रालय, भारत सरकार ने भी चंद्रयान-3 (एलवीएम3-एम4) के सफल प्रक्षेपण में आईटीआई लिमिटेड के योगदान की सराहना की।

आईटीआई लिमिटेड ने जी20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस सम्मेलन में भाग लिया ।

आईटीआई लिमिटेड ने 17 से 19 अगस्त, 2023 के दौरान बेंगलूरु पैलेस, बेंगलूरु में आयोजित जी-20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन के दौरान, आईटीआई लिमिटेड ने जी20 डीआईए एक्सपो में स्वदेशी दूरसंचार समाधानों के अपने स्पेक्ट्रम का प्रदर्शन किया।

आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री राजेश राय ने आईटीआई स्टॉल का दौरा करते हुए प्रतिनिधियों और आगंतुकों के साथ चर्चा की। जी-20 डिजिटल नवाचार गठबंधन का उद्देश्य उन नवोन्मेषकों को पहचानना और उनका समर्थन करना है जिनके पास विभिन्न विश्व अर्थव्यवस्थाओं के लिए डिजिटल समाधान हैं।

आईटीआई लिमिटेड ने 'इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023' में हिस्सा लिया

देश के सबसे बड़े दूरसंचार उद्योग कार्यक्रम 'इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023' का 7वें संस्करण 27 से 29 अक्टूबर, 2023 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) के सहयोग से दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा आयोजित किया गया था। आईएमसी 2023 का थीम 'ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन' था और इसने 6जी, 5जी नेटवर्क में प्रगति, दूरसंचार में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए. आई.) के बढ़ते उपयोग, एज कंप्यूटिंग और इंडिया स्टैक से संबंधित विकास को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया।

आईटीआई लिमिटेड ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्टॉल नंबर 4.120, हॉल 4 में आईएमसी 2023 प्रदर्शनी में भाग लिया। आईटीआई लिमिटेड ने कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत', 'मेक इन इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' पहल के तहत रक्षा के लिए एन्क्रिप्टर, ओएफसी, एचडीपीई डक्ट, सोलर पैनल, 4जी आरएएन के दूरसंचार उत्पाद पोर्टफोलियो, जीपॉन, डेटा सेंटर, ईवीएम, स्मार्ट ऊर्जा मीटर, लैपटॉप और स्मैश पीसी जैसे उत्पादों और सेवाओं की अपनी स्पेक्ट्रम का प्रदर्शन किया। संचार राज्य मंत्री श्री देवुसिंह चौहान और डीसीसी के अध्यक्ष एवं सचिव (दूरसंचार) डॉ. नीरज मित्तल, आईएएस ने आईटीआई स्टॉल का दौरा किया और उन्होंने प्रदर्शनी में प्रदर्शित उत्पादों की झलक देखी।

आईटीआई लिमिटेड ने राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया

आईटीआई लिमिटेड ने 'भारत के लौह पुरुष' सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर निगमित कार्याल और अपने पूरे विनिर्माण संयंत्रों/इकाईयों में दिनांक 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र के एकीकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सरदार पटेल के सम्मान में यह दिन मनाया गया। इस अवसर पर देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए वास्तविक और संभावित खतरों का सामना करने और देश के विकास के लिए सामुदायिक निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे राष्ट्र की अंतर्निहित शक्ति और लचीलेपन की पुष्टि करने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। निगमित कार्यालय में कर्मचारियों को निदेशक (विपणन), श्री राकेश चंद्र तिवारी, निदेशक (उत्पादन) एवं अतिरिक्त प्रभार निदेशक (मानव संसाधन), श्रीमती एस जेयंति तथा अपर महाप्रबंधक- परिसंपत्ति प्रबंधन, श्री हरतीश एच ए द्वारा क्रमश: हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ में कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई।

एयर वाइस मार्शल देवेन्द्र श्रीवास्तव, सहायक वायुसेनाध्यक्ष परिचालन (संचार एवं आईटी) ने आईटीआई लिमिटेड का दौरा किया

एयर वाइस मार्शल देवेंद्र श्रीवास्तव, सहायक वायुसेनाध्यक्ष संचालन (संचार एवं आईटी), वायु मुख्यालय (वायु भवन), नई दिल्ली ने 19 दिसंबर, 2023 को आईटीआई लिमिटेड का दौरा किया। एयर वाइस मार्शल देवेन्द्र श्रीवास्तव ने आईटीआई लिमिटेड बेंगलूरु प्लांट का दौरा किया और प्लांट की 4जी हैंगर, एसएमटी लाइन, पीसीबी, फैब्रिकेशन शॉप और अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं का निरीक्षण किया।

एयर वाइस मार्शल देवेन्द्र श्रीवास्तव ने आईटीआई लिमिटेड निगमित कार्यालय का भी दौरा किया। उन्होंने आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री राजेश राय के साथ विचार-विमर्श किया और भारतीय वायु सेना (आईएएफ) की चालू संचार परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

श्री आलोक कुमार, आईएएस (सेवानिवृत्त), राज्य चुनाव आयुक्त, असम राज्य चुनाव आयोग ने आईटीआई लिमिटेड बेंगलूरु प्लांट का दौरा किया

श्री आलोक कुमार, आईएएस (सेवानिवृत्त), राज्य चुनाव आयुक्त, असम राज्य चुनाव आयोग ने 15 दिसंबर, 2023 को आईटीआई लिमिटेड बेंगलूरु प्लांट का दौरा किया। श्री आलोक कुमार का स्वागत निदेशक (उत्पादन) एवं निदेशक (मानव संसाधन) अतिरिक्त प्रभार श्रीमती एस जेयंति, कार्यकारी निदेशक (टी एवं बीडी) श्रीमती इला बहादुर एवं महाप्रबंधक-बी, इकाई प्रमुख, आईटीआई लिमिटेड बेंगलूरु प्लांट, की श्रीमती आर वसंती ने किया। उन्होंने कंपनी की चालू परियोजनाओं पर आईटीआई प्रबंधन अधिकारियों के साथ चर्चा की।

इस दौरे के दौरान श्री आलोक कुमार को संयंत्र की एसएमटी लाइन, 4जी हैंगर, पीसीबी, फैब्रिकेशन शॉप, डाटा सेंटर, अनुसंधान एवं विकास तथा ईवीएम लैब की सुविधाओं का अवलोकन कराया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और उसकी कार्यप्रणाली के बारे में लाइव प्रदर्शन भी किया गया।

टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स टीम ने आईटीआई लिमिटेड बेंगलूरु प्लांट का दौरा किया

अधिकारियों की टीम, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रमुख फाउंड्री, असेंबली और परीक्षण डॉ. चरण गुरुमूर्ति, प्रमुख प्रौद्योगिकी विकास, पैकेज और डिजाइन, श्री मोहम्मद नौफुल और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के प्रमुख पार्टनर इनेबलमेंट, श्री वेंकटेश प्रसाद ने 21 दिसंबर, 2023 को आईटीआई लिमिटेड बेंगलूरु प्लांट का दौरा किया। वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री राजेश राय, निदेशक (उत्पादन) और निदेशक-मानव संसाधन (अतिरिक्त प्रभार), श्रीमती एस जेयंति और आईटीआई लिमिटेड बेंगलूरु प्लांट की इकाई प्रमुख, महाप्रबंधक-बी श्रीमती आर वसंती ने अधिकारियों का स्वागत किया। दौरे के दौरान, अधिकारियों को 4जी हैंगर, एसएमटी लाइन, 3डी प्रिंटिंग, दूरसंचार परीक्षण प्रयोगशाला, पीसीबी, फैब्रिकेशन एवं मोल्डिंग, अनुसंधान एवं विकास, डाटा सेंटर और स्टार्टअप हब जैसी संयंत्र की सुविधाओं का अवलोकन कराया गया। इस अवसर पर आईटीआई प्रबंधन अधिकारियों द्वारा 4जी परियोजना पर भी अधिकारियों के साथ चर्चा की गई।

श्री सौरभ गुप्ता, सीजीएम (क्यूए एंड आई) ने आईटीआई लिमिटेड का दौरा किया

बीएसएनएल गुणवत्ता आश्वासन एवं निरीक्षण सर्किल, बीएसएनएल, बेंगलूरु के सीजीएम (क्यूए एंड आई) श्री सौरभ गुप्ता ने 29 दिसंबर, 2023 को आईटीआई लिमिटेड का दौरा किया। आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री राजेश राय ने निदेशक (उत्पादन) एवं निदेशक-मानव संसाधन (अतिरिक्त प्रभार), श्रीमती एस जेयंति और आईटीआई लिमिटेड बेंगलूरु प्लांट की इकाई प्रमुख, महाप्रबंधक-बी, श्रीमती आर वसंती तथा वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में उनका स्वागत किया। श्री सौरभ गुप्ता ने आईटीआई प्रबंधन अधिकारियों के साथ चालू 4जी परियोजना पर चर्चा की।

श्री सौरभ गुप्ता ने आईटीआई लिमिटेड बेंगलूरु प्लांट का भी दौरा किया और प्लांट की 4जी हैंगर, एसएमटी लाइन, पीसीबी, फैब्रिकेशन शॉप, दूरसंचार परीक्षण प्रयोगशाला, डाटा सेंटर, अनुसंधान एवं विकास तथा ईवीएम लैब जैसी सुविधाओं का निरीक्षण किया।

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2023-24) का 5 जनवरी से 9 जनवरी, 2024 तक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, बेंगलूरु और गोवा का अध्ययन दौरा

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी (2023-24) स्थायी समिति की, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बेंगलूरु और गोवा की अध्ययन दौरा 5 जनवरी से 9 जनवरी, 2024 तक आयोजित की गई थी। अध्ययन दौरा के हिस्से के रूप में, श्री प्रतापराव जाधव की अध्यक्षता में संसद की स्थायी समिति के सदस्यों ने 8 जनवरी, 2024 को बेंगलूरु का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने भारत सरकार के संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के उप महानिदेशक (एनटी) श्री दीनदयाल तोसनीवाल और आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री राजेश राय, निदेशक (वित्त) श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक (उत्पादन) और निदेशक –मानव संसाधन (अतिरिक्त प्रभार), श्रीमती एस जेयंति, वरिष्ठ अधिकारियों और डॉ. राजकुमार उपाध्याय, सीईओ, सी-डॉट के साथ ताज बेंगलूरु, देवनहल्ली, बेंगलूरु में 'उभरती प्रौद्योगिकियों, संस्थाओं और प्रथाओं की चुनौतियों की अंतर-क्षेत्रीय समीक्षा' विषय पर चर्चा की।

श्री सी वी रमण बाबू ने आईटीआई लिमिटेड के निदेशक विपणन के रूप में कार्यभार संभाला

श्री सी. वी. रमण बाबू ने 25 जनवरी, 2024 से आईटीआई लिमिटेड के निदेशक विपणन के रुप में कार्यभार संभाल। श्री सी. वी. रमण बाबू भारतीय दूरसंचार सेवा (आईटीएस) 1990 बैच के हैं। उन्होंने आंध्र विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में स्नातक की डिग्री और द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (टेरी), नई दिल्ली से सार्वजनिक नीति और सतत विकास में डिप्लोमा किया है। अत्यधिक प्रेरित और परिणाम उन्मुख व्यक्ति जिसके पास परियोजना योजना, निष्पादन, स्थापना और कमीशनिंग और विभिन्न दूरसंचार नेटवर्क के संचालन में 30 से अधिक वर्षों का समृद्ध अनुभव है।

आईटीआई लिमिटेड ने देश का 75वां गणतंत्र दिवस मनाया

आईटीआई लिमिटेड ने 26 जनवरी, 2024 को अपने सभी विनिर्माण संयंत्रों/इकाइयों में बड़े उत्साह और जोश के साथ देश का 75वां गणतंत्र दिवस मनाया। आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री राजेश राय और निदेशक (विपणन), श्री सी. वी. रमण बाबू ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समारोह में भाग लिया। आईटीआई लिमिटेड के निदेशक (वित्त), श्री राजीव श्रीवास्तव ने निदेशक (उत्पादन), और निदेशक-मानव संसाधन (अतिरिक्त प्रभार), श्री एस जेयंति वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी, कर्मचारी संघ एवं अधिकारी संघ के प्रतिनिधि एवं परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर के निरीक्षण पश्चात् राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज फहराया एवं झंडे को सलामी देते हुए राष्ट्रगीत गया।

इस अवसर पर आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एंव प्रबंध निदेशक, श्री राजेश राय ने सभा को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी हार्दिक बधाई दी। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देनेवाले उन सभी शहीदों तथा विश्व के सबसे संप्रभु लोकतंत्र, भारतीय संविधान की स्थापना करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री राय ने कंपनी के प्रदर्शन, चालू परियोजनओं की स्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने सभी कर्मचारियों से वर्ष 2023-24 हेतु चुनौतियों को पूरा करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु आदेशों का निष्पदित करने का आग्रह किया, जिससे राष्ट्र निर्माण में योगदान हो सके।

डॉ. नीरज मित्तल, आईएएस, अध्यक्ष डीसीसी और सचिव (टी) ने आईटीआई लिमिटेड का दौरा किया

डॉ. नीरज मित्तल, आईएएस, अध्यक्ष डीसीसी और सचिव (टी) के साथ श्री रवि ए रॉबर्ट जेराई, डीडीजी (एसआरआई), श्री एस एस गलगल, डीडीजी (प्रौद्योगिकी), कर्नाटक एलएसए, दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार और डॉ. राजकुमार उपाध्याय, सीईओ, सी-डॉट ने 8 मार्च, 2024 को आईटीआई लिमिटेड का दौरा किया। डॉ. नीरज मित्तल और अधिकारियों को आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री राजेश राय, कार्यात्मक निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वागत किया। दौरे के दौरान, 4जी विनिर्माण हैंगर का उद्घाटन डॉ. नीरज मित्तल द्वारा आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एंव प्रबंध निदेशक, श्री राजेश राय, निदेशक (वित्त), श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक (उत्पादन) और निदेशक-मानव संसाधन (अतिरिक्त प्रभार), श्रीमती एस जेयंति, निदेशक (विपणन),श्री सी वी रमण बाबू, महाप्रबंधक-बी, आईटीआई लिमिटेड बेंगलूरु प्लांट के इकाई प्रमुख और आईटीआई लिमिटेड बेंगलूरु प्लांट के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया।

डॉ. नीरज मित्तल, डॉ. राजकुमार उपाध्याय, श्री रवि ए रॉबर्ट जेरार्ड और श्री एस एस गलगल जैसे अधिकारियों को एसएमटी लाइन, फैब्रिकेशन और मोल्डिंग, पाउडर कोटिंग, ईएमसी लैब, आर एंड डी, डेटा सेंटर और स्टार्टअप हब में संयंत्र की सुविधाओं का दौरा कराया गया।

डॉ. नीरज मित्तल, डॉ. राजकुमार उपाध्याय, श्री रवि ए. रॉबर्ट जेरार्ड और श्री एस. एस. गलगल ने भी आईटीआई लिमिटेड निगमित कार्यालय का दौरा किया। डॉ. नीरज मित्तल ने कंपनी के प्रबंधन अधिकारियों के साथ चर्चा की।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के हिस्से के रूप में, 08 मार्च, 2024 को संगठन की महिला कर्मचारियों को आईटीआई लिमिटेड बेंगलूरु प्लांट में डीसीसी के अध्यक्ष और सचिव (टी) डॉ. नीरज मित्तल, आईएएस और आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री राजेश राय ने संबोधित किया।

आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री राजेश राय ने कंपनी का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। उनकी यात्रा के दौरान कंपनी के प्रदर्शन पर प्रस्तुति भी दी गई।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

आईटीआई लिमिटेड स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम - भारओएस के साथ डिजिटल इंडिया की सुरक्षा का नेतृत्व करेगा।

स्वतंत्रता के बाद देश की पहली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी और प्रमुख दूरसंचार विनिर्माण कंपनी आईटीआई लिमिटेड ने 15 फरवरी, 2024 को भारओएस-सक्षम डिजिटल उपकरणों और सेवाओं के निर्माण और सुविधा प्रदान करने के लिए जेएंडके ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हैं। इस सहयोग का उद्देश्य डिजिटल इंडिया के डिजिटल सुरक्षा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए मोबाइल, राउटर, टैबलेट और अन्य सहित भारओएस-सक्षम डिजिटल उपकरणों का निर्माण और प्रदान करना है। भारओएस उपयोगकर्ताओं को उनके डिजिटल इंटरैक्शन की इंटीग्रिटी सुनिश्चित करते हुए भरोसेमंद वातावरण उपलब्ध कराता है। इस साझेदारी के साथ, आईटीआई लिमिटेड डेटा सुरक्षा और उपयोगकर्ता गोपनीयता को प्राथमिकता देते हुए भारत के डिजिटल परिदृश्य को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

आईटीआई लिमिटेड ने भारत में 5जी प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए लेखा वायरलेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, निरल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और इंस्टा आईसीटी सॉल्यूशन के साथ साझेदारी की है।

स्वतंत्रता के बाद देश की पहली सार्वजनिक उपक्रम और प्रमुख दूरसंचार विनिर्माण कंपनी आईटीआई लिमिटेड ने उद्यम के लिए संपूर्ण निजी 5जी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और प्रबंधित करने यानि योजना, डिजाइन, तैनाती, कार्यान्वयन आदि के लिए लेखा वायरलेस, निरल नेटवर्क और इंस्टाआईसीटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। आईटीआई लिमिटेड ने भारत में 5जी तकनीक को अपनाने के उद्देश्य से लेखा वायरलेस, निरल नेटवर्क और इंस्टाआईसीटी समाधान के साथ एक रणनीतिक सहयोग को औपचारिक रूप दिया है और 15 फरवरी, 2024 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन(एमओयू) दूरसंचार क्षेत्र में इन संस्थाओं के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी की शुरूआत का प्रतीक है। एमओयू की शर्तों के अंतर्गत, कंपनी 5जी प्राइवेट (कैप्टिव और नॉन-कैप्टिव) नेटवर्क सॉल्यूशंस को लागू करने के लिए लेखा वायरलेस, निरल नेटवर्क और इंस्टा आईसीटी सॉल्यूशन के साथ सहयोग करेगा। यह सहयोग भारत में दूरसंचार बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के वास्ते प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री राजेश राय ने लेखा वायरलेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और निदेशक श्री रामू टी एस के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान करते हुए।

आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री राजेश राय ने निरल नेटवर्क्स के निदेशक और सीईओ श्री अभिजीत चौधरी और इंस्टा आईसीटी सॉल्यूशंस के सीईओ श्री यशवंत शिंदे, लेखा वायरलेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और निदेशक के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान करते हुए।

एकल वित्तीय विवरण

सामग्री लेखांकन नीतियाँ

कॉर्पोरेट जानकारी

भारत की पहली सार्वजनिक क्षेत्र इकाई (पीएसयू) - आईटीआई लिमिटेड की स्थापना 1948 में हुई थी। तब से, दूरसंचार के क्षेत्र में एक अग्रणी उद्यम के रूप में, इसने वर्तमान राष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्क का 50% योगदान दिया है। नवोन्मेष विनिर्माण सुविधाओं के साथ छह स्थानों और विपणन/सेवा आउटलेट के देशव्यापी नेटवर्क में फैले हुए, कंपनी दूरसंचार उत्पादों की पूरी श्रृंखला और स्विचिंग, ट्रांसमिशन, एक्सेस और अभिदाता परिसर उपकरण के पूरे विस्तार को कवर करने वाले सकल समाधान प्रदान करती है।

आईटीआई वर्ष 2005-06 में अपने मानकापुर और रायबरेली संयंत्रों में मोबाइल उपकरण निर्माण सुविधाओं के उद्घाटन के साथ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल (जीएसएम) प्रौद्योगिकी के विश्व स्तरीय विक्रेताओं के लीग में शामिल हो गया। इसने देश में स्वदेशी मोबाइल उपकरण उत्पादन के एक नए युग में शुरुआत की। ये दोनों सुविधाएं घरेलू और निर्यात बाजार दोनों के लिए सालाना नौ मिलियन से अधिक लाइनों की आपूर्ति करती हैं।

1) तैयारी का आधार

भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार जैसा कि यहां बताया गया है, उन्हें छोड़कर, वित्तीय विवरणों को, लेखांकन के संचय आधार पर, तैयार किए जाते हैं और प्रस्तुत किए जाते हैं। जीएएपी में अनिवार्य भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 4 को पढ़ें) लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान शामिल हैं, जिन्हें लगातार लागू किया गया है, सिवाय इसके कि एक नया लेखा मानक प्रारंभ में अपनाया गया है या मौजूदा लेखा मानक में संशोधन के लिए अब तक लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता है।

मापन का आधार :

निम्नलिखित संपत्तियों और देनदारियों, जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है, को छोड़कर वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया गया है :

क. व्युत्पन्न वित्तीय साधन, यदि कोई हो

ख. वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा गया है

ग. परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य पर परिभाषित लाभ संपत्ति/(देयता) योजना संपत्तियों के कम उचित मूल्य मान्यता प्राप्त है।

2) अनुमानों का उपयोग

भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन को वित्तीय विवरणों की तारीख को प्रकट संपत्तियों, देनदारियों, राजस्व, व्यय और आकस्मिक देनदारियों की प्रकटीकरण की रिपोर्ट की गई राशि तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और व्यय पर रिपोर्ट की गई राशि में प्रबंधन को प्राक्कलनों और अनुमानों पर विचार करने की अपेक्षा होती है। हालांकि इस प्रकार के अनुमान सभी उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए एक उचित और विवेकी आधार पर किए जाते हैं, वास्तविक परिणाम अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और इस तरह के अंतर उस अवधि में मान्यता प्राप्त हैं जिसमें परिणाम निर्धारित किए जाते हैं।

3) कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किया जाता है, जो कंपनी की कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा है और प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा है जिसमें इकाई संचालित होती है। भारतीय रुपए में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी शेयर और प्रति शेयर डेटा को छोड़कर निकटतम लाखों में पूर्णांक की गई है।

4) राजस्व मान्यता

कंपनी ग्राहकों के साथ किए गए अनुबंधों के प्रति प्राप्त राजस्व की स्वीकृति तब करती है जब ग्राहक को प्रतिबद्ध माल अथवा सेवा के अंतरण का दायित्व पूरा हो जाता है। राजस्व की स्वीकृति निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के अनुसार निर्धारित संव्यवहार मूल्य पर की जाती है। परिसम्पत्ति (माल अथवा सेवा) का अंतरण ग्राहक को किए जाने के समय निष्पादन दायित्व पूर्ण होते हैं तथा अन्य मामलों में निष्पादन दायित्व किसी समय बिन्दु पर पूर्ण होते हैं। समय के साथ पूर्ण होने वाले निष्पादन दायित्व के प्रति राजस्व स्वीकृति निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की प्रगति का मापन करके की जाती है। प्रगति का मापन व्यय की गई वास्तविक लागत के अनुपात के अनुसार निष्पादन दायित्व से सम्बद्ध अनुमानित लागत पर किया जाता है।

क. माल की बिक्री

माल की बिक्री से राजस्व को प्राप्त या प्राप्त करने योग्य, रिटर्न के शुद्ध, व्यापार छूट और वॉल्यूम छूट के उचित मूल्य पर विचार करते हुए मापा जाता है। जब महत्वपूर्ण जोखिम और स्वामित्व के पुरस्कार को बिक्री समझौते की शर्तों के अनुसार ग्राहक को स्थानांतरित कर दिया गया है, न ही निरंतर प्रबंधन भागीदारी और माल पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखा जाता है, विचार की वसूली संभव है, और लागत की लागत और राजस्व विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, तब राजस्व को मान्यता दी जाती है। जोखिम समझौते के अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक शर्तें के आधार पर जोखिम और पुरस्कारों के हस्तांतरण का समय मूल्यांकन किया जाता है।

ख. पूर्व-संकर्म अनुबंध

जब आवश्यक माल पूर्व निरीक्षण और स्वीकृति के बाद अनुबंध के लिए बिना शर्त रूप से विनियमित होते हैं, यदि आवश्यक हो।

ग. एफ़ओआर अनुबंध

एफ़ओआर अनुबंध के मामले में, जब बिक्री पूर्व निर्धारित और स्वीकृति के बाद खरीददार को अंतरण के लिए वाहक को माल सौंप दिया जाता है और एफ़ओआर गंतव्य स्थान के अनुबंध के मामले में, यदि लेखांकन अवधि के अंदर गंतव्य तक पहुंचने वाले माल की उचित अपेक्षा होने पर बिक्री की मान्यता दी जाती है।

घ. बिल और होल्ड बिक्री

बिल-और-होल्ड लेनदेन के लिए, जब ग्राहक शीर्षक लेता है तो राजस्व पहचाना जाता है, बशर्ते कि :

i. यह संभव है कि वितरण किया जाएगा;

ii. जब बिक्री की मान्यता दी जाती है, तब खरीददार को मद को तैयार कर, पहचानकर और सुपुर्दगी की जाती है;

iii. खरीददार विशेष रूप से आस्थगित सुपुर्दगी निर्देशों को स्वीकार करता है; सामान्य भुगतान शर्तें लागू होती हैं।

ङ. सेवाएँ एवं निर्माण अनुबंध

समय-एवं-सामग्री तथा यूनिट के कार्य आधारित अनुबंधों पर राजस्व की स्वीकृति सम्बद्ध सेवाओं का निष्पादन होने पर की जाती है। नियत मूल्य अनुरक्षण राजस्व की स्वीकृति आनुपातिक रूप से या तो सीधी रेखा आधार पर दर निर्धारण के लिए तब की जाती है जब सेवाओं का निष्पादन अनिश्चित संख्या की किन्हीं पुनरावृति क्रियाओं से किसी निर्दिष्ट अवधि में पूरा कर लिया गया हो अथवा आनुपातिक रूप में कार्य पूर्णता के प्रतिशत की विधि से तब की जाती है जब ग्राहक को प्रदान की गई सेवाओं के लाभों का पैटर्न तथा अनुबंध की अवधि पर कंपनी की लागतें अनुबंध के लिए पर्याप्त नहीं होती हैं क्योंकि सेवाओं का स्वरूप सामान्यत: भिन्न प्रकार का होता है तथा यह पुनरावृतीय नहीं होता है। निष्पादन दायित्व की पूर्ति समय के साथ साथ किए जाने वाले अन्य नियत मूल्य, नियत काल के अनुबंधों की राजस्व स्वीकृति, कार्य की पूर्णता के प्रतिशत की विधि से, की जाती है। इनपुट एवं उत्पादकता में प्रत्यक्ष सम्बद्धता होने के विचार से विस्तारित प्रयासों अथवा लागतों का उपयोग कार्य की पूर्ति की प्रगति के निर्धारण के लिए किया जाता है। कार्य की पूर्णता की प्रगति का मापन अनुमानित लागतों अथवा प्रयासों के संबंध में (निष्पादित कार्य के अनुसार) अब तक व्यय की गई लागतों अथवा के अनुपात के अनुसार किया जाता है। संव्यवहार मूल्य के अनुमानों तथा कुल लागतों अथवा प्रयासों की अनुबंध की अवधि के दौरान अनवरत निगरानी की जाती है तथा इनकी स्वीकृति अवधि के दौरान तब की जाती है जब इनके अनुमान परिवर्तित होते हैं अथवा अनुमान संशोधित होते हैं। राजस्व तथा अनुमानित कुल लागतों अथवा प्रयास अनुबंध की प्रगति के अनुसार संशोधित किए जाने की शर्त पर होते हैं। जब यह संभाव्य होता है कुल राजस्व के प्रति कार्य की पूर्ति के लिए अनुबंध लागतों में वृद्धि होगी तो कार्य पूर्णता की संभावित हानि को तत्काल व्यय के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

कुछ अनुबंधों में विभिन्न निष्पादन दायित्व शामिल होते हैं जैसे कि सिस्टम्स, उपकरण इत्यादि की आपूर्ति इत्यादि तथा अनुरक्षण सेवाएं। अनुरक्षण सेवाओं के संबंध में महत्व को संज्ञान में लिया जाता है तथा उसका लेखांकन एक पृथक निष्पादन दायित्व के रूप मे किया जाता है। जहां अनुबंधों में विभिन्न निष्पादन दायित्व होते हैं वहां संव्यवहार मूल्य को स्टैंडएलोन विक्रय मूल्यों के आधार पर प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए निर्धारण किए जाते हैं। जहां इनकी प्रत्यक्ष संबद्धता प्रत्यक्ष रूप में स्पष्ट नहीं होती है तो संभावित लागत जमा मार्जिन के आधार पर उनके अनुमान लगाए जाते हैं।

अन्य नियत मूल्य अनुबंधों के लिए राजस्व की स्वीकृति संव्यवहार के अनुसार रिपोर्टिंग तिथि को कार्य पूर्णता के चरण के अनुपात में की जाती है। कार्य पूर्णता के चरण का मूल्यांकन कार्य निष्पादन के संदर्भ में होता है। यदि किसी प्राप्य प्रतिफल की वसूली के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता होती है अथवा यदि व्यय की गई अथवा व्यय की जाने वाली लागतों का मापन विश्वसनीयता के साथ नहीं किया जा सकता है तो राजस्व की स्वीकृति नहीं की जाती है।

च. ब्याज आय

ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग कर मान्यता दी जाती है।

छ. लाभांश

जब लाभांश प्राप्त करने हेतु कंपनी का अधिकार स्थापित किया जाता है तो लाभांश आय को मान्यता दी जाती है।

ज. किराए से आय

जब तक किराये में वृद्धि अपेक्षित मुद्रास्फीति या अन्यथा उचित (उचित मूल्य) के अनुरूप नहीं होती है, परिचालनीय पट्टे से उत्पन्न होने वाली किराये के आय लीज अवधि के दौरान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर होते हैं।

झ. शुल्क वापसी

दावों को प्रमुखता देने के संबंध में निर्यात पर शुल्क वापसी का दावा किया जाता है।

ट. अन्य आय

अन्य आय जिसे विशेष रूप से ऊपर वर्णित नहीं है, को अर्जन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

5) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, प्रगतिशील पूंजी कार्य

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को ऐतिहासिक लागत पर संचित अवमूल्यन और क्षति नुकसान, यदि कोई हो, के घाटे पर दर्शाये गए हैं। लागत में खरीद मूल्य और पीपीई को अपने अभिप्रेत उपयोग के लिए कामकाजी स्थिति में लाने की कोई भी जिम्मेदार लागत शामिल है। पीपीई के अधिग्रहण से संबंधित उधार और अन्य जिम्मेदार लागत, जो इसके अभिप्रेत उपयोग के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त समय लेती है, को भी इस अवधि तक संबंधित सीमा तक भी शामिल किया गया है जब तक कि इस तरह के पीपीई उपयोग करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। या तो निपटान पर या इस तरह के उपयोग से सेवानिवृत्त होने पर वित्तीय विवरणों से पीपीई को हटा दिया जाता है। जब संयंत्र और उपकरण के महत्वपूर्ण पुर्जों को अंतराल पर प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होती है, तो उन्हें अलग घटक के रूप में मान्यता दी जाती है।

उपहार के रूप में या मुफ्त में प्राप्त संपत्तियों को उचित मूल्य पर दर्शाई जाती हैं, जिसे अधिग्रहण या प्राप्ति के समय कम संचित मूल्यह्रास और क्षति नुकसान के घाटे पर अन्य इक्विटी में जमा किया जाता है।

प्रगतिशील पूंजी कार्य

तुलनपत्र की तिथि पर संस्थापन या निर्माणाधीन संपत्तियों को प्रगतिशील पूंजी कार्य के रूप में दर्शाई जाती है।

निर्माण अवधि से संबंधित आय, जैसे ठेकेदारों से प्राप्त अग्रिम से ब्याज, निविदा दस्तावेजों की बिक्री इत्यादि, को निर्माण के दौरान व्यय के विरुद्ध समाप्त किया जाता है।

पट्टेधारित भूमि के विकास पर व्यय को भूमि विकास व्यय के रूप में पूंजीकृत किया गया है और पट्टे की अवधि या उपयोगी, जीवनकाल जो भी कम है, पर अमूर्त किया गया है।

6) अमूर्त संपत्तियां, विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां

क. आंतरिक उपयोग के लिए अधिग्रहित सॉफ़्टवेयर (जो संबंधित हार्डवेयर का एक अभिन्न हिस्सा नहीं है) की लागत और इसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण भविष्य के आर्थिक लाभ को, उपयोग के लिए तैयार हो जाने पर अमूर्त संपत्ति के रूप में पहचाने जाते हैं। अमूर्त संपत्ति, जो तुलनपत्र की तिथि पर उनके अभिप्रेत उपयोग के लिए तैयार नहीं है, को "विकास के तहत अमूर्त संपत्ति" के रूप में वर्गीकृत की जाती है।

ख. जहाँ भी योग्य हो, विकासशील कार्य की लागत को उनके पूरा होने पर अमूर्त संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है।

ग. जहाँ भी योग्य हो, प्रगति के तहत विकास कार्यों की लागत को "विकास के तहत अमूर्त संपत्ति" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।.

घ. ले जाने वाली राशि में विकास परियोजना (ओं) की ओर बाहरी एजेंसियों को कंपनी द्वारा वित्त पोषित राशि और कंपनी द्वारा भौतिक लागत, कर्मचारी लागत और अन्य प्रत्यक्ष व्यय की ओर किए गए व्यय शामिल है।

7) अनुसंधान और विकास व्यय:

अनुसंधान व्यय लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। उत्पादों की विकास लागत को लाभ और हानि विवरण पर भी दर्शाया जाता है जब तक कि उत्पाद की तकनीकी व्यवहार्यता स्थापित नहीं की जाती है, इस मामले में इस तरह के व्यय

को पूंजीकृत किया जाता है। अनुसंधान और विकास में उपयोग की जाने वाली मूर्त संपत्तियाँ पूंजीकृत हैं।

अन्य विकास गतिविधि की ओर किए गए व्यय, जहाँ नए या बेहतर उत्पादों या प्रक्रियाओं के विकास के लिए शोध परिणाम या अन्य ज्ञान लागू किया गया है, और यदि भारतीय लेखा मानक 38 में निर्दिष्ट मान्यता मानदंडों को पूरा किया जाता है, को अमूर्त संपत्ति के रूप में पहचाना जाता है और जब विकसित उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रयोग करने योग्य है, कंपनी के पास विकास को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं और बाद में अमूर्त संपत्ति का उपयोग या बिक्री की जाती है, और उत्पाद या प्रक्रिया भविष्य के आर्थिक लाभ उत्पन्न करने की संभावना है।

8) गैर-वित्तीय संपत्तियों का नुक़सान

प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि के अंत में, अगर आंतरिक/बाहरी कारकों के आधार पर हानि का कोई संकेत होने हेतु संपत्तियों की ले जानेवाली राशि की समीक्षा की जाती है। यदि अनुमानित वसूली योग्य राशि ले जाने वाली राशि से कम पाई जाती है, तो क्षति नुकसान की मान्यता दी जाती है और संपत्तियां वसूली योग्य राशि पर लिखी जाती हैं।

9) मूल्यह्रास/परिशोधन

संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर मूल्यह्रास की गणना सीधी रेखा के आधार पर की जाती है।

वर्ष के दौरान निश्चित परिसंपत्तियों को जोड़ और हटाने पर मूल्यह्रास को यथानुपात आधार पर निम्नानुसार प्रदान किया जाता है:

क. महीने के 15वें दिन या उससे पहले की गई संपत्तियों के अतिरिक्त महीने के लिए मूल्यह्रास पूरी तरह से माना जाता है जबकि महीने के 15वें दिन के बाद कमीशन की गई परिसंपत्तियों के अतिरिक्त महीने के लिए कोई मूल्यह्रास माना नहीं जाता है।

ख. महीने के 15वें दिन या उससे पहले बेचे गए, अयोग्य, क्षतिग्रस्त या नष्ट संपत्तियों के संबंध में, हटाने के महीने के लिए कोई मूल्यह्रास माना नहीं जाता है, जबकि महीने के 15वें दिन के बाद बेचे गए, अयोग्य, क्षतिग्रस्त या नष्ट संपत्तियों के लिए हटाने के महीने के लिए पूर्ण रूप में तरह से माना जाता है।

ग. परिसंपत्ति के एक हिस्से की लागत संपत्ति की कुल लागत के लिए महत्वपूर्ण है और उस हिस्से का उपयोगी जीवन शेष संपत्ति के उपयोगी जीवन से अलग है, तो उस महत्वपूर्ण भाग के उपयोगी जीवन को अलग-अलग निर्धारित किया जाता है और इसके अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा विधि पर ह्रास की जाती है।

घ. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवन और संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मूल्यह्रास के तरीकों की समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो, तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

परिशोधन

अमूर्त संपत्तियों को उनके संबंधित व्यक्तिगत अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर, उस तारीख, जब वे उपयोग के लिए उपलब्ध हैं, से अलग किए जाते हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिशोधन विधियों और उपयोगी जीवन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

अवमूल्यन संपत्तियों के मामले में जो संशोधित किए गए हैं, पुनर्मूल्यांकित राशि पर सीधी रेखा विधि पर मूल्यह्रास की गणना की जाती है। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार, पुनर्मूल्यांकन के कारण बढ़ती अवमूल्यन सामान्य रिजर्व को क्रेडिट के रूप में कम किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का निपटान

शुरुआत में मान्यता दी गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु और किसी भी महत्वपूर्ण भाग को उनके निपटान पर या इसके उपयोग या निपटान से भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है, तो उनके निपटान पर विमान्यता की जाती है। परिसंपत्ति की विमान्यता पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि (निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की ले जाने वाली राशि के बीच अंतर के रूप में गणना की जाती है) को परिसंपत्ति को विमान्यता किए जाने पर लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

	विवरण	(वर्ष)
क.	(क) भवन (कारखाने की इमारतों के अलावा)	60
	(ख) कारखाने की इमारत	30
	(ग) पूरी तरह से अस्थायी निर्माण	3
	(घ) प्लिंथ क्षेत्र में प्रत्येक इकाई के लिए आवास निर्माण 80 वर्गमीटर से अधिक नहीं है।	30
ख.	फर्नीचर और फिटिंग	10
ग.	संयंत्र और मशीनरी	
	(क) सामान्य दर (डबल शिफ्ट आधार पर)	15
	(ख) विशिष्ट दर : - सर्वर और नेटवर्क	6
	(ग) कंप्यूटर सहित डेटा प्रोसेसिंग मशीन	3
घ.	सड़क और कांपैंड वाल	10
ङ	कार्यालय मशीनरी और उपकरण	5
च.	वाहन	8
छ.	5,000/- रुपये से कम की लागत वाली परिसंपत्तियाँ 100 प्रतिशत की कमी	
	हालांकि, 50,000/- रुपये और उससे अधिक की मूल लागत वाले परिसंपत्तियों के संबंध में, पुस्तकों में 5/- रुपये की अवशिष्ट शेष राशि बरकरार रखी गई है।	

10) पट्टे

प्रारम्भिक तिथि पर ही किसी पट्टे को वित्तीय या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

पट्टेदार के रूप में कंपनी

वित्तीय पट्टे को उचित मूल्य के नीचे पूंजीकृत किया जाता है और पट्टे के शुरू होने पर न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य होता है। वित्त प्रभार को लाभ और हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है। एक पट्टे वाली संपत्ति को संपत्ति या लीज अवधि के उपयोगी जीवन, जो भी कम हो, पर मूल्यह्रास किया जाता है।

पट्टा प्रारंभ की तिथि को कंपनी द्वारा उपयोग अधिकार परिसम्पति (आरओयू) तथा 12 माह अथवा कम (अल्प-कालिक पट्टे) अवधि के पट्टे एवं न्यून मूल्य पट्टे के अलावा पट्टा युक्त सभी पट्टा व्यवस्थाओं, जिनमें कंपनी पट्टेदार है, के लिए अनुवर्ती पट्टा दायित्व की स्वीकृति दी जाती है। इन अल्प कालिक एवं न्यून मूल्य की परिसम्पतियों के लिए कंपनी पट्टा भुगतानों की स्वीकृति, पट्टे के काल के लिए सीधी रेखा आधार पर, परिचालन व्यय के रूप में करती है। पट्टा देयता का प्रारंभिक मापन भावी पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य की परिशोधन लागत पर किया जाता है। पट्टे की अंतर्निहित ब्याज की दर के उपयोग से अथवा यदि इनका निर्धारण तत्काल नहीं हो पाता है तो इन पट्टों के क्षेत्र की आवृत्ति ऋण दरों के उपयोग से पट्टा भुगतान बट्टा किए जाते हैं। यदि कंपनी इनके विस्तार अथवा समापन विकल्प का उपयोग करने अथवा न करने के मूल्यांकन के प्रति बदलाव करती है तो पट्टा दायित्वों का पुन:मापन उपयोग अधिकार की परिसम्पति से सम्बद्ध अनुवर्ती समायोजन करके किया जाता है ।

उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों का प्रारंभिक मापन लागत पर किया जाता है जिसमें पट्टा दायित्व की प्रारंभिक राशि का समायोजन पट्टे के प्रारंभ होने के समय अथवा पूर्व चुकता किए गए किन्हीं पट्टा भुगतानों जमा किसी प्रकार के पट्टा प्रोत्साहनों को घटाकर व्यय की गई प्रत्यक्ष लागतों को घटाकर किया जाता है। संचित मूल्यह्रास तथा अक्षमता क्षतियों को घटाकर लागत पर इनके अनुवर्ती मापन किए जाते हैं। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों का मूल्यह्रास प्रारंभ तिथि से पट्टे के शेष काल तथा अंतर्निहित उपयोज्यता काल के लिए सीधी रेखा आधार पर किया जाता है। प्रतिलब्धता के लिए उपयोग अधिकार की परिसम्पतियों का मूल्यांकन तब किया जाता है जब परिस्थितियों अथवा परिवर्तनों के परिणामस्वरूप ऐसे संकेत प्रतीत हों कि उनकी वहन राशियों की वसूली नहीं की जा सकेगी।

पट्टादाता के रूप में कंपनी

ऑपरेटिंग लीज आय को सीधी रेखा के आधार पर लीज अवधि पर मान्यता प्राप्त होती है, सिवाय इसके कि जब वृद्धि सामान्य मुद्रास्फीति या अन्यथा उचित हो। आकस्मिक किराए, अगर कोई है, तो उसे अर्जित अवधि में राजस्व के रूप में पहचाने जाते हैं।

11) उधार लागत

उधार लागत सीधे उस संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए जिम्मेदार है जो आवश्यक उद्देश्य या बिक्री के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त समय लेती है, संपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत होती है।

सामान्य उधार लागत को पूंजीकरण दर लागू करके परिसंपत्तियों को अर्हता प्राप्त करने के लिए पूंजीकृत किया जाता है, जो उस उधार के लिए विशिष्ट उधार के अलावा बकाया सामान्य उधार के लिए उधार लेने वाली लागतों का भारित औसत होता है। अन्य सभी उधार लेने की लागत उस अवधि में व्यय होती है जिसमें वे संभावित हैं। उधार लागत में ब्याज और अन्य लागतें शामिल होती हैं जो एक इकाई निधि के उधार के संबंध में होती है, साथ ही साथ उधार लागत में समायोजन के रूप में माना जाता है।

12) सरकारी अनुदान

सरकार से प्राप्त अनुदान को उचित मूल्य पर मापा जाता है और शुरुआत में आस्थगित आय के रूप में पहचाना जाता है।

स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के कारण आस्थगित आय के तहत पड़ी राशि को संबंधित परिसंपत्तियों पर लगाए गए मूल्यह्रास के अनुपात में अधिग्रहण के लिए उपयोग किए जाने वाले सरकारी अनुदान के लिए जिम्मेदार सीमा तक लाभ और हानि विवरण के क्रेडिट में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

राजस्व व्यय के कारण आस्थगित आय के तहत निलंबित राशि को वित्त पोषण के अनुपात में किए गए व्यय की सीमा तक लाभ और हानि विवरण में हस्तांतरित किया जाता है, जो स्वीकृत अनुदान तक ही सीमित स्वीकृत लागत तक सीमित होता है।

13) संयुक्त उद्यम और एसोशिएट में निवेश

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों में संयुक्त उद्यम और एसोशिएट में कंपनी की भागीदारी को लागत पर दर्शाया गया है, बल्कि समेकित वित्तीय विवरणों में इक्विटी विधि के तहत दर्शाया गया है।

14) मालसूचियाँ

विनिर्माण/उत्पादन गतिविधियों के लिए अप्रचलन के बाद, यदि कोई हो, खरीदी गई कच्ची सामग्रियों, घटकों और भंडार को कम लागत और निवल प्राप्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। वर्ष के अंत में भारित औसत दर पर लागत की गणना की जाती है। जहां भी वही सामान खरीदे जाते हैं, विनिर्माण लागत आमतौर पर अपनाई जाती है।

उप साधन और फैब्रिकेटर के साथ कच्चे माल और उत्पादन भंडार को उनके जारी किए जाने पर कम कीमत पर मूल्यांकित किए जाते हैं और अप्रचलन प्रदान करने के बाद, यदि कोई हो, निवल निष्पाद्य मूल्य पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

स्टॉक और स्टॉक-इन-ट्रेड में निर्मित मदों को, अप्रचलन प्रदान करने के बाद, यदि कोई हो, ब्याज शुल्क, प्रशासन ओवरहेड्स और बिक्री ओवरहेड्स और निवल प्राप्य मूल्य पर छोड़कर कम लागत पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

मूल्यवान धातु स्क्रैप को वर्ष के अंत में शुद्ध वास्तविक मूल्य पर बही खाते में लाया जाता है।

15) चालू कार्य

क. प्रक्रियाशील कार्य (उत्पादन) के मूल्य को, अप्रचलन प्रदान करने के बाद, यदि कोई हो, ब्याज शुल्क, प्रशासन और बिक्री ओवरहेड्स को छोड़कर और निवल अचल मूल्य पर भौतिक रूप से सत्यापित मात्रा के आधार पर मूल्यांकित है ।

ख. प्रक्रियाशील कार्य (संस्थापन) के मूल्य को, अप्रचलन प्रदान करने के बाद, यदि कोई हो, कार्य आदेशों और निवल प्राप्य मूल्य में दर्ज की गई लागत के कम मूल्य पर मूल्यांकित है।

16) औज़ार और गेज

विशेष उद्देश्य के औजारों और जुडनारों पर व्यय शुरू में लागत पर पूंजीकृत है और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, व्यवस्थित आधार पर उत्पादन पर परिशोधित हैं।

फुटकर औजारों को जारी करते समय राजस्व पर प्रभारित किए जाते हैं।

17) वित्तीय संपत्तियां (प्राप्य व्यापार और अन्य प्राप्य)

प्राप्तियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर पहचानी जाती हैं, जो ज्यादातर मामलों में मामूली मूल्य का अनुमान लगाती है। यदि संपत्ति को बाद में क्षति पहुँचने की कोई संकेत है, तो क्षति के लिए भी समीक्षा की जाती है।

18) त्रुटिय और अनुमान

यदि भारतीय लेखा मानकों में बदलाव के कारण परिवर्तन की आवश्यकता है या यदि परिवर्तन वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को अधिक प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है, तो कंपनी अपनी लेखांकन नीतियों को संशोधित करती है।

लेखांकन अनुमान में बदलाव के परिणामस्वरूप मान्यता प्राप्त संपत्तियों या देनदारियों या लाभ या हानि विवरण के लिए परिवर्तन की अवधि में परिवर्तनों की संभावना है।

त्रुटियों की खोज और परिणामों की तुलनात्मक रूप से पुनरीक्षण में परिणामों को पुन: निरीक्षण में परिणाम, देनदारियों और इक्विटी की पहली पूर्व अवधि की इक्विटी की तुलना में त्रुटि की खोज की जाती है। प्रस्तुत की गई पूर्व अवधि के प्रारम्भिक शेष भी पुनः घोषित किए जाते हैं।

19) आय कर

आयकर में वर्तमान और आस्थगित आयकर शामिल हैं।

वर्तमान आयकर

कराधान प्राधिकारियों को देय या से वसूल योग्य राशि को भुगतान की जाने वाली राशि पर मापा जाता है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर की दरें और कर कानून वे हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित होते हैं। इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित वर्तमान कर इक्विटी में मान्यता प्राप्त है और लाभ और हानि के विवरण में नहीं।

आस्थगित कर

संपत्ति और देनदारियों के कर आधार और रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए उनकी ले जाने वाली रकम के बीच अस्थायी अंतर पर तुलनपत्र विधि का उपयोग करके आस्थगित कर प्रावधान किया जाता है।

आस्थगित कर संपत्ति सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतर के लिए पहचानी जाती है, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और किसी भी अप्रयुक्त कर घाटे को आगे बढ़ाते हैं, इस हद तक कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सके।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की राशि को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक कम हो जाती है कि अब यह संभव नहीं है कि आस्थगित कर संपत्ति के सभी या हिस्से को उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

20) वारंटी दायित्व

ग्राहकों को बेचे गए उपकरणों के संबंध में संविदात्मक दायित्व के लिए वारंटी दायित्व वार्षिक तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर माना जाता है।

21) विदेशी मुद्राएं

विदेशी मुद्राओं में लेन-देन को प्रारम्भ में कंपनी द्वारा अपनी संबंधित मुद्रा विनिमय दर पर लेनदेन की तारीख को पहली बार मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त होने पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक संपत्तियों और देनदारियों का अनुवाद रिपोर्टिंग तिथि पर कार्यात्मक मुद्रा विनिमय दर पर किया जाता है।

निपटारे या मौद्रिक वस्तुओं के अंतरण पर उत्पन्न अंतर लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त हैं।

गैर-मौद्रिक वस्तुओं को विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापा जाता है, प्रारंभिक लेनदेन की तारीखों पर कार्यात्मक मुद्रा विनिमय दर का उपयोग करके अंतरित किया जाता है।

22) कर्मचारी हितलाभ

क. अल्पावधि कर्मचारी लाभ को वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में गैर-छूट प्राप्त राशि पर एक व्यय के रूप में पहचाने जाते हैं जिसमें संबंधित सेवा प्रदान की जाती है।

ख. रोज़गार के उपरांत के लाभ जैसे उपदान और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ जैसे विशेषाधिकार छुट्टी, बीमार छुट्टी और एलएलटीसी को वर्ष के लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिस वर्ष में कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हैं। व्यय आकलन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित देय राशि के वर्तमान मूल्य पर मान्यता प्राप्त है।

ग. बीमांकिक लाभ और हानि तथा योजना संपत्तियों (ब्याज को छोड़कर) का विवरण और परिसंपत्ति की अधिकतम सीमा का प्रभाव (यदि कोई हो, ब्याज को छोड़कर) को अन्य व्यापक आय (ओआईसी) में तुरंत मान्यता दी जाती है। निवल परिभाषित देयता (परिसंपत्तियों) पर निवल ब्याज व्यय (आय) की गणना निवल दर देकर (परिसंपत्ति) को वर्ष के दौरान योगदान और लाभ भुगतान के परिणामस्वरूप किसी भी बदलाव को ध्यान में रखते हुए निवल परिभाषित देयता (परिसंपत्ति) को मापने के बाद वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, गणना दर लागू करने के द्वारा की जाती है। निवल ब्याज व्यय और परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित अन्य खर्च लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त हैं।

घ. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) से संबंधित व्यय को घटनाओं के संबंधित वर्ष में लिखा गया है।

ड़. कंपनी के पात्र कर्मचारियों को परिभाषित अंशदायी योजना के अंतर्गत भविष्य निधि के लाभ प्रदान किए जाते हैं । पात्र कर्मचारी तथा कंपनी, दोनों, भविष्य निधि योजना में संबंधित कर्मचारी के वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत के अनुसार मासिक अंशदान करती हैं। कंपनी यह अशंदान आईटीआई कर्मचारी भविष्य निधि न्यास को सौंपती है। विनियमों के अनुसार सरकार द्वारा शासित पेंशन निधि में अंशदान का भाग जमा करवाने के पश्चात न्यास शेष निधियों का निवेश संबंधित विनियमों के अंतर्गत अनुमत्त विशिष्ट निर्दिष्ट उपकरणों मे करता है। न्यास द्वारा लाभग्राहियों को चुकता किए जाने वाले वार्षिक ब्याज की दर का निर्धारण सरकार करती है।

23) प्रावधान और आकस्मिक देयताएं

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब पिछले कार्यक्रम के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, यह संभव है कि आर्थिक लाभों को जोड़नेवाले संसाधनों का बहिर्वाह दायित्व को सुलझाने के लिए आवश्यक होगा और एक विश्वसनीय अनुमान दायित्व की राशि से किया जा सकता है। जब कंपनी को कुछ या सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति की उम्मीद है, उदाहरणार्थ, एक बीमा अनुबंध के तहत, प्रतिपूर्ति एक अलग संपत्ति के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन केवल प्रतिपूर्ति लगभग निश्चित हो। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय किसी भी निवल प्रतिपूर्ति के लाभ और हानि विवरण में प्रस्तुत किया जाता है।

यदि पैसे के समय मूल्य का प्रभाव महत्त्वपूर्ण है, प्रावधानों को वर्तमान पूर्व कर दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो दर्शाती है, जब उचित हो, देयता के लिए विशिष्ट जोखिम होता है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में पहचाना जाता है।

आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि, आकस्मिक देनदारियां जब तक कि आर्थिक लाभों को शामिल करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ और आकस्मिक संपत्तियां जहां आर्थिक लाभ की आमद संभावित है, नोटों में प्रकट की जाती हैं।

भारयुक्त अनुबंध

जब संविदा से कंपनी द्वारा प्राप्त होनेवाले अपेक्षित लाभ संविदा के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत से कम होते हैं तब निर्माण अनुबंधों के अलावा अन्य कई अनुबंधों के लिए प्रावधान किया जाता है।

प्रावधान को अनुबंध समाप्त होने की उम्मीद की निवल लागत के नीचे के वर्तमान मूल्य और अनुबंध के साथ जारी रखने की उम्मीद की निवल लागत से मापा जाता है।

प्रावधान स्थापित होने से पहले, कंपनी उस अनुबंध से जुड़ी संपत्तियों पर किसी भी क्षति नुकसान को पहचानती है।

24) उचित मूल्य मापन

कंपनी प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर उचित मूल्य पर अपने वित्तीय विवरणों में डेरिवेटिव्स और अन्य वस्तुओं जैसे कुछ वित्तीय उपकरणों को मापती है।

सभी संपत्तियों और देनदारियों के लिए जो उचित मूल्यों को वित्तीय विवरणों में मापा या खुलासा किया गया है, वे उचित मूल्य माप के आधार पर उचित मूल्य पदानुक्रम के अधीन वर्गीकृत होते हैं जो कि उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है :

स्तर 1 – समान संपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्घृत मूल्य (असमायोजित)

स्तर 2 – उद्घृत कीमतों के अलावा इनपुट्स जिसे स्तर 1 के अधीन शामिल किया गया है, जो संपत्ति या देयता के लिए, या तो सीधे (यानी कीमतों के रूप में) या परोक्ष रूप से (यानी कीमतों से व्युत्पन्न) विचारणीय हैं।

स्तर 3 – संपत्तियों या देनदारियों के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा (अप्रचलित इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

उचित मूल्य प्रकटीकरण के प्रयोजनों के लिए, कंपनी ने संपत्ति या देयता के प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों और उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और देनदारियों के वर्ग निर्धारित किए हैं।

25) निवेश सम्पत्ति

निवेश संपत्तियों को शुरुआत में लागत पर मापा जाता है, जिसमें लेनदेन लागत भी शामिल है। प्रारंभिक मान्यता के अनुक्रम में, निवेश संपत्तियों को कम संचित मूल्यह्रास और संचित क्षति नुकसान, यदि कोई हो, पर उल्लेख किया जाता है।

26) वित्तीय साधन

क. प्रारंभिक मान्यता और मापन

सभी वित्तीय संपत्तियों को प्रारम्भ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में लाभ और हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया गया है, वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार लेनदेन लागत संपत्ति की लागत में शामिल है।

ख. अनुवर्ती मापन

अनुवर्ती मापन के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय संपत्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है :

i. अमूर्त लागत पर ऋण साधन,

ii. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन (एफवीटीओसीआई),

iii. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन, डेरिवेटिव और इक्विटी साधन (एफवीटीपीएल),

iv. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा इक्विटी साधन [सहयोगियों में निवेश के अलावा जो लागत पर किया जाता है] (एफवीटीओसीआई)।

विमान्यता

वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्ति के हिस्से को तब मान्यता दी जाती है जब परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

एम्बेडेड डेरिवेटिव

एम्बेडेड डेरिवेटिव, यदि आवश्यक हो, होस्ट अनुबंध से अलग किया गया है और उचित मूल्य पर मापा जाता है।

27) आगे अनुबंध

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों को संभालने के लिए आगे मुद्रा अनुबंध जैसे डेरिवेटिव वित्तीय उपकरणों का उपयोग करती है। इस तरह के डेरिवेटिव वित्तीय साधनों को प्रारम्भ में उचित मूल्य पर पहचाना जाता है जिस पर एक डेरिवेटिव अनुबंध दर्ज किया जाता है और बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है। जब उचित मूल्य सकारात्मक होता है तब डेरिवेटिव वित्तीय संपत्ति के रूप में ले जाते हैं और उचित देनदार होने पर वित्तीय देनदारियों के रूप में ले जाते हैं।

28) नकद और नकद समतुल्य

नकद में मौजूदा नकद और मांग जमा शामिल है। नकद समतुल्य तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक अत्यावधिक तरल निवेशह है, जो नकदी की ज्ञात मात्रा में आसानी से परिवर्तनीय है एवं मूल्य में परिवर्तन के तुच्छ जोखिम के अधीन है।

तुलनपत्र पर मौजूदा देनदारियों में उधार के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट, यदि कोई हो, को दिखाया गया है।

29) वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कंपनी माप के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है और क्रेडिट जोखिम के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि की पहचान करती है।

क. सरकार/सरकारी विभागों/सरकारी कंपनियों से कालवर्जित देय को आम तौर पर ऐसी वित्तीय संपत्ति के क्रेडिट जोखिम में वृद्धि के रूप में नहीं माना जाता है।

ख. जहां कानूनी कार्यवाही में बकाया राशि विवादित होती है, अगर कंपनी के विरुद्ध कोई निर्णय दिया जाता है तो भी प्रावधान किया जाता है, भले ही इसे उच्च प्राधिकारियों/अदालतों को अपील पर लिया जाता है।

ग. मामला-दर-मामले के आधार पर विशिष्ट समयावधि के लिए बकाया देय के मामले में।

अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त ईसीएल क्षति नुकसान भत्ता (या उलटा) को लाभ और हानि विवरण में व्यय/(आय) के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह राशि लाभ और हानि विवरण में क्षति लाभ में या हानि के रूप में प्रतिबिंबित करती है।

30) वित्तीय देयताएँ

क. प्रारम्भिक मान्यता और मापन

वित्तीय देयताओं को प्रारंभिक रूप से उपयुक्त, ऋण, उधार, देनदार या डेरिवेटिव के रूप में लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है।

ऋण, उधार और देय, लेनदेन लागत का निवल कहा जाता है जो सीधे जिम्मेदार होते हैं ।

ख. बाद के मापन

वित्तीय देनदारियों का मापन उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

i. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियां।

ii. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर नामित वित्तीय देनदारियां शामिल हैं। इस संवर्ग में कंपनी द्वारा प्रवेश किए गए डेरिवेटिव वित्तीय साधन भी शामिल हैं, जो भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा परिभाषित हेज रिश्तों में हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित नहीं हैं। पृथक एम्बेडेड डेरिवेटिव को व्यापार के लिए भी वर्गीकृत किया जाता है जब तक उन्हें प्रभावी हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित नहीं किया जाता है।

व्यापार के लिए धारित देनदारियों पर लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त है।

ग. ऋण और उधार

प्रारंभिक मान्यता के बाद, प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का उपयोग करके ब्याज-रहित ऋण और उधार को बाद में लागत में मापा जाता है। जब देनदारियों को ईआईआर अमूर्तकरण प्रक्रिया के माध्यम से मान्यता प्राप्त होती है लाभ और हानि को लाभ या हानि के रूप में में पहचानी जाती है।

वित्तीय देनदारी के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त होने पर वित्तीय देयता की विमान्यता की जाती है।

घ. व्यापार और अन्य देनदारियाँ

चाहे आपूर्तिकर्ता द्वारा बिल किया गया हो या नहीं, देयताओं को भविष्य में प्राप्त की जानेवाली माल और सेवाओं के लिए भुगतान की जानेवाली राशि के रूप में मान्यता दी जाती है।

31) वित्तीय उपकरण का पुन:वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों के वर्गीकरण को निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों, जो इक्विटी उपकरण और वित्तीय देनदारियां हैं, के लिए कोई पुन:वर्गीकरण नहीं किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो ऋण साधन हैं, पुन:वर्गीकरण केवल तभी किया जाता है जब उन संपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यावसायिक मॉडल में कोई बदलाव हो। अगर कंपनी वित्तीय संपत्तियों को पुन: वर्गीकृत करती है, तो यह भावी रूप से पुन: वर्गीकरण लागू करती है।

32) वित्तीय उपकरणों की ऑफसेटिंग

यदि मान्यता प्राप्त राशि को ऑफ सेट करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकारी है और निवल आधार निपटाने का इरादा है, तो वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को ऑफ सेट किया जाता है और परिसंपत्तियों का एहसास करने तथा देनदारियों को एक साथ व्यवस्थित करने के लिए निवल का तुलन पत्र में दर्शाया जाता है।

33) इक्विटी शेयरधारकों को नकद लाभांश और गैर-नकद वितरण

कंपनी इक्विटी धारकों को नकद या गैर-नकदी वितरण करने की देयता को मान्यता देती है, जब वितरण अधिकृत होता है और वितरण अब कंपनी के विवेकानुसार नहीं होता है।

34) प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर की मूल अर्जन की गणना अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के आधार पर इक्विटी शेयरधारकों के लिए जिम्मेदार अवधि के लिए निवल लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर कम किया हुआ अर्जन की गणना के उद्देश्य के लिए, इक्विटी शेयरधारकों के लिए जिम्मेदार अवधि के लिए निवल लाभ या हानि और उस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी कम किए गए संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

35) रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएँ

समायोजित घटनाएँ ऐसी हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूद स्थितियों के आगे प्रमाण करती हैं। इस मुद्दे के लिए प्राधिकरण से पहले वित्तीय विवरणों को इस तरह की घटनाओं के लिए समायोजित किया जाता है।

गैर-समायोजन घटनाएँ ऐसी हैं, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक उठनेवाली स्थिति के संकेतक हैं। रिपोर्टिंग की तारीख के बाद गैर-समायोजन घटनाओं का हिसाब नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें प्रकट किया गया है।

हमारे समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार
कृते **बी के रामध्यानी एंड कंपनी एलएलपी**
सनदी लेखाकर
फ़र्म पंजीकरण नं. 002878एस/एस200021

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

वासुकी एच एस	**शालिनी घटक**	**राजीव श्रीवास्तव**	**राजेश राय**
साझेदार	कंपनी सचिव	निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एम.सं. 212013	सीएस नं. ए43488	डीआईएन : 08921307	डीआईएन : 10052045

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक :28.05.2024

31.03.2024 के अनुसार एकल तुलन पत्र

लाख रुपए में

विवरण	नोट सं.	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
I) <u>परिसंपत्तियाँ</u>					
(1) गैर-चालू परिसंपत्तियाँ					
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	1	**266379.48**		268408.07	
(ख) प्रगतिशील पूंजी कार्य	2	**14228.25**		13863.12	
(ग) निवेश संपत्ति	3	**6817.57**		6827.78	
(घ) साख		**0.00**		0.00	
(ङ) अन्य अमूर्त परिसंत्तियाँ		**0.00**		0.00	
(च) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ		**0.00**		0.00	
(छ) बेरर संयंत्रों को छोड़कर जैविक परिसंपत्तियाँ		**0.00**		0.00	
(ज) वित्तीस परिसंपत्तियाँ					
(i) निवेश	4(क)	**40.55**		40.55	
(ii) प्राप्य व्यापार	4(ख)	**11528.53**		19646.74	
(iii) ऋण	4(ग)	**0.00**		0.00	
(iv) अन्य	4(घ)	**3.00**		3.00	
(झ) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)		**0.00**		0.00	
(ञ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	5	**0.52**	**298997.90**	0.52	308789.79
(2) चालू परिसंपत्तियाँ					
(क) माल सूचियाँ	6	**22220.13**		24975.23	
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
(i) निवेश		**0.00**		0.00	
(ii) प्राप्य व्यापार	7	**244081.25**		242927.83	
(iii) नकद एवं नकद समतुल्य	8(क)	**10526.11**		935.78	
(iv) ऊपर (iii) के इतर बैंक शेष	8(ख)	**72715.91**		20548.13	
(v) ऋण	9(क)	**79957.52**		73302.93	
(vi) अन्य	9(ख)	**218180.01**		257975.43	
(ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (निवल)		**0.00**		0.00	
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	10	**9638.68**	**657319.61**	16207.31	636872.64
कुल			**956317.51**		**945662.45**
II) <u>इक्विटी और देयताएँ</u>					
इक्विटी					
(क) इक्विटी शेयर पूँजी	11	**96088.69**		94957.74	
(ख) अन्य इक्विटी	12	**78857.76**	**174946.44**	139015.31	233973.05
देयताएँ					
(1) गैर-चालू देयताएँ					
(क) अप्रयुक्त सरकारी अनुदान	13	**4496.42**		4501.06	
(ख) वित्तीय देयताएँ					
(i) उधार	14(क)	**12000.00**		18000.00	
(iक) पट्टे देनदारियां	14(ख)	**42.99**		59.66	
(ii) व्यापार देनदारियाँ	14(ग)				
(क) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के कुल बकाया, तथा		**0.00**		0.00	

31.03.2024 के अनुसार एकल तुलन पत्र जारी...

लाख रुपए में

	(ख) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के कुल बकाया		**10912.05**		17399.02	
	(iii) अन्य	14(घ)	**7933.30**		7631.29	
	(ग) प्रावधान	15	**5363.28**		5141.35	
	(घ) आस्थगित कर देयताएँ(निवल)		**0.00**		0.00	
	(ङ) अन्य गैर-चालू देयताएँ	16	**0.00**	**40748.04**	0.00	52732.38
(1)	चालू देयताएँ					
	(क) वित्तीय देयताएँ					
	(i) उधार	17(क)	**167545.86**		169583.52	
	(i क) पट्टे देनदारियाँ	17(ख)	**16.67**		15.01	
	(ii) व्यापार देनदारियाँ	17(ग)				
	(क) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के कुल बकाया, तथा		**8398.42**		12895.01	
	(ख) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के कुल बकाया		**147348.25**		124773.18	
	(iii) अन्य	18	**200980.12**		229026.90	
	(ख) अन्य चालू देयताएँ	19	**200637.71**		103221.54	
	(ग)) प्रावधान	20	**15696.00**		19441.86	
	(घ) वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ	21	**0.00**	**740623.03**	0.00	658957.02
	कुल			**956317.51**		**945662.45**

टिप्पणी : सामग्री लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है ।

हमारे समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार
कृते **बी के रामध्यानी एंड कंपनी एलएलपी**
सनदी लेखाकर
फ़र्म पंजीकरण नं. 002878एस/एस200021

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

वासुकी एच एस	**शालिनी घटक**	**राजीव श्रीवास्तव**	**राजेश राय**
साझेदार	कंपनी सचिव	निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एम.सं. 212013	सीएस नं. ए43488	डीआईएन : 08921307	डीआईएन : 10052045

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक :28.05.2024

इक्विटी में एकल परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

लाख रुपए में

विवरण	2023-24	2022-23
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**94,957.74**	**93,352.29**
पूर्वावधि चूकों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
चालू रिपोर्टिंग वर्ष के प्रारंभ में पुनर्लिखित शेष	-	-
चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	1,130.96	1,605.45
वर्ष के अंत में शेष	**96,088.70**	**94,957.74**

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	शेयर आवेदन राशि निलंबित आबंटन	आरक्षित और अधिशेष						अधिशेष का पुनर्मूल्यांकन	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	कुल
		पूंजी आरक्षित	प्रतिभूति प्रीमियम	अन्य व्यापक आय-डीबीपी का पुनर्मापन	अन्य रिजर्व	सामान्य रिजर्व	धारित आय			
01.04.2023 तक शेष राशि	**10,700.00**	**305,827.30**	**35,230.29**	**2,680.34**	**-**	**235,316.61**	**-450,739.20**	**-**	**-**	**139,015.30**
कोई अन्य समायोजन							-1.35			
लेखांकन नीति / पूर्वावधि चूकों में परिवर्तन										-
चालू रिपोर्टिंग वर्ष के प्रारंभ में पुनर्लिखित शेष	**10,700.00**	**305,827.30**	**35,230.29**	**2,680.34**	**-**	**235,316.61**	**-450,740.55**	**-**	**-**	**139,015.30**
चालू वर्ष में कुल व्यापक आय				-2,120.51						-2,120.51
लाभांश										
धारित आय में अंतरण							-56,906.15			-56,906.15
अन्य कोई परिवर्तन	-10,700.00		9,569.04							-1,130.96
वर्ष के दौरान प्राप्त पूंजी अनुदान *	-									-
31.03.2024 तक शेष राशि	**-**	**305,827.30**	**44,799.33**	**559.83**	**-**	**235,316.61**	**-507,646.68**	**-**	**-**	**78,857.76**
01.04.2022 तक शेष राशि	**7,156.30**	**305,827.30**	**21,679.44**	**8,759.38**	**0.00**	**235,316.61**	**-414,729.56**	**-**	**-**	**164,009.48**
लेखांकन नीति / पूर्वावधि चूकों में परिवर्तन *							-			-
चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनर्लिखित शेष	**7,156.30**	**305,827.30**	**21,679.44**	**8,759.38**	**-**	**235,316.61**	**-414,729.56**	**-**	**-**	**164,009.48**
चालू वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय				-6,079.04						-6,079.04
लाभांश										
धारित आय में अंतरण							-36,009.64			-36,009.64
वर्ष के दौरान प्राप्त पूंजीगत अनुदान*	10,700.00									10,700.00
अन्य कोई परिवर्तन	-7,156.30		13,550.85							6,394.55
31.03.2023 तक शेष राशि	**10,700.00**	**305,827.30**	**35,230.29**	**2,680.34**	**-**	**235,316.61**	**-450,739.20**	**-**	**-**	**139,015.30**

*** नोट**

रूग्न औद्योगिक कंपनी अधिनियम (एसआईसीए), 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी को रूग्न कंपनी घोषित किए जाने के पश्चात आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा फरवरी, 2014 में आईटीआई लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए अनुमोदित योजना के अंतर्गत 415679 लाख रुपए की वित्तीय सहायता का अनुमोदन दिया गया था। इस पुनरूद्धार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 10700 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की प्राप्ति हुई थी जिसके प्रति कंपनी द्वारा दिनांक 11.5.2023 को भारत के राष्ट्रपति के नाम 10/- रुपए अंकित मूल्य प्रत्येक के प्रति शेयर 94.61 रुपए की दर से 11309586 जारी किए गए हैं।

टिप्पणी : सामग्री लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है ।

हमारे समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार
कृते **बी के रामध्यानी एंड कंपनी एलएलपी**
सनदी लेखाकर
फ़र्म पंजीकरण नं. 002878एस/एस200021

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

वासुकी एच एस	**शालिनी घटक**	**राजीव श्रीवास्तव**	**राजेश राय**
साझेदार	कंपनी सचिव	निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एम.सं. 212013	सीएस नं. ए43488	डीआईएन : 08921307	डीआईएन : 10052045

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक :28.05.2024

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का एकल विवरण

लाख रुपए में

विवरण	नोट सं.	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
I) आय					
I. संचालन से राजस्व	22	**126363.22**		139544.51	
II. अन्य आय	23	**4449.79**		5254.88	
III. कुल राजस्व (I+II)			**130813.01**		**144799.38**
IV) व्यय :					
खपत सामग्री की लागत	24	**8372.89**		16441.53	
व्यापार में स्टॉक की खरीद	25 (क)	**35636.55**		27337.18	
संस्थापन एवं अनुरक्षण प्रभार	25 (ख)	**71839.34**		77664.74	
निर्मित माल, प्रगतिशील कार्य और व्यापार में स्टॉक की मालसूचियों में परिवर्तन	26	**2525.62**		(3322.78)	
कर्मचारी हितलाभ व्यय	27	**23179.60**		22887.13	
वित्तीय लागत	28	**24138.84**		20958.40	
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	29	**5312.25**		4949.84	
अन्य व्यय	30	**16714.07**		13892.97	
IV. कुल व्यय			**187719.15**		180809.03
V. असाधारण मद एवं कर के पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)			**(56906.15)**		(36009.64)
VI. असाधारण मद					
(i) आय			**0.00**		0.00
(ii) व्यय			**0.00**		0.00
VII. कर से पूर्व लाभ/(हानि) (V + VI)			**(56906.15)**		(36009.64)
VIII. कर संबंधी खर्च :					
(1) चालू कर			**0.00**		0.00
(2) आस्थगित कर			**0.00**		0.00
IX. वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (VII-VIII)			**(56906.15)**		(36009.64)
X. अन्य व्यापक आय					
क. (i) मद जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं होंगे					
परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मापन			**(2120.51)**		(6079.04)
अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी साधन के उचित मूल्य में परिवर्तन			**0.00**		0.00
(ii) आय कर उन वस्तुओं से संबंधित है जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			**0.00**		0.00
ख. (i) मद जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत होंगे			**0.00**		0.00
(ii) आय कर उन वस्तुओं से संबंधित है जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			**0.00**		0.00
XI. वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (IX+X) (वर्ष के लिए लाभ/(हानि) और कुल व्यापक आय शामिल है)			**(59026.65)**		(42088.67)
XII. प्रति शेयर इक्विटी अर्जन (सतत संचालन के लिए) :					
मूल एवं कम किया हुआ (अंकित मूल्य प्रति रु. 10/-) :			**(5.93)**		(3.81)
शेयरों की भारित औसत संख्या			**959620017**		944488639

टिप्पणी : सामग्री लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है

हमारे समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार
कृते बी के रामध्यानी एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकर
फ़र्म पंजीकरण नं. 002878एस/एस200021

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

वासुकी एच एस	**शालिनी घटक**	**राजीव श्रीवास्तव**	**राजेश राय**
साझेदार	कंपनी सचिव	निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एम.सं. 212013	सीएस नं. ए43488	डीआईएन : 08921307	डीआईएन : 10052045

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक :28.05.2024

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए एकल नकद प्रवाह विवरण

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
(क)प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह:				
कर से पूर्व निवल लाभ/(हानि)		**(56906.15)**		(36009.64)
निम्नलिखित के लिए समायोजन :				
मूल्यहास	**5312.25**		4949.84	
वित्तपोषण व्यय	**24138.84**		20958.40	
निवेश के विक्रय से लाभ	**0.00**		0.00	
प्राप्त ब्याज/लाभांश	**(291.66)**		(541.27)	
परिसंपत्तियों के विक्रय से हानि	**114.83**		0.00	
परिसंपत्तियों के विक्रय से लाभ	**(48.11)**		(1628.83)	
सहायता अनुदान से अंतरण	**0.00**		250.94	
सहायता अनुदान से अंतरण	**0.00**		0.00	
अन्य व्यापक आय	**(2120.51)**		(6079.04)	
गैर नकद व्यय	**1541.94**	**28647.58**	2660.62	20570.67
कार्यशील पूँजी परिवर्तन के पूर्व प्रचालन नकद (हानि)		**(28258.57)**		**(15438.97)**
निम्नलिखित के लिए समायोजन:				
व्यापार और अन्य प्राप्य	**45587.86**		3297.07	
मालसूचियाँ	**2299.57**		(5635.69)	
व्यापार देय	**77739.04**		(11600.84)	
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर	**0.00**	**125626.47**	0.00	(13939.46)
संचालन से उत्पन्न नकद		**97367.90**		**(29378.43)**
प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकद प्रवाह (क)		**97367.90**		**(29378.43)**
(ख) निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह :				
स्थाई परिसंपत्तियों सहित क्रय:				
पूँजीगत चालू कार्य	**(3756.69)**		(6069.97)	
स्थाई परिसंपत्तियों का विक्रय	**48.11**		1628.83	
निवेश	**0.00**		0.00	
प्राप्त ब्याज	**291.66**		541.27	
अन्य बैंक शेषों की परिपक्वता/जमा से प्राप्त आय	**(52167.79)**		8545.12	
प्राप्त लाभांश	**0.00**	**(55584.71)**	0.00	**4645.25**
निवेश क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकद (ख)		**(55584.71)**		**4645.25**
(ग) वित्त पोषण क्रियाकलापों से नकद प्रवाह:				
अल्पकालिक उधार से प्राप्त आय	**(8052.67)**		26370.79	
शेयर आवेदन के पैसे	**0.00**		10700.00	
कैपेक्स अनुदान प्राप्त हुआ और शेयर आवंटित किए गए	**0.00**		8000.00	
अधिशेष के साथ समायोजन	**(1.35)**		0.00	
प्राप्त सहायता अनुदान	**0.00**		0.00	
वित्तीय व्यय	**(24138.84)**	**(32192.86)**	(20958.40)	**24112.39**
वित्त पोषण क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकद (ग)		**(32192.86)**		**24112.39**
नकद और समतुल्य में निवल वृद्धि (क+ख+ग)		**9590.34**		**(620.78)**
नगद और नगद समतुल्य की अथशेष		**935.78**		**1556.54**
नगद और नकद समतुल्य की अंतिम शेष		**10526.11**		**935.76**

टिप्पणी : सामग्री लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है

हमारे समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार

कृते बी के रामध्यानी एंड कंपनी एलएलपी

सनदी लेखाकर

फ़र्म पंजीकरण नं. 002878एस/एस200021

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

वासुकी एच एस	**शालिनी घटक**	**राजीव श्रीवास्तव**	**राजेश राय**
साझेदार	कंपनी सचिव	निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एम.सं. 212013	सीएस नं. ए43488	डीआईएन : 08921307	डीआईएन : 10052045

स्थान : बेंगलूरु

दिनांक :28.05.2024

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

टिप्पणी संख्या 1

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

लाख रु. में

वित्तीय वर्ष 2023-24

विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यह्रास					31.03.2024 को शुद्ध वहन मूल्य
	सकल राशि 01.04.2023	वृद्धि	विलोप	पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि (शुल्क पुनर्मूल्यांकन कुल शुद्ध वहन राशि का 10% से अधिक है)	समायोजन	कुल 31.03.2024	संचित मूल्य-ह्रास 01.04.2023	अवधि के लिए	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2024	
भूमि:												
-पूर्व स्वामित्व*	220,890.09	-	-	-	-	220,890.09	-	-	-	-	-	220,890.09
-पट्टाधृति****	777.13	-	-	-	-	777.13	1.89	0.27	-	-	2.16	774.97
पट्टे पर दी गई परिसंपति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भूमि विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भवन**	14,958.31	55.32	-	-	-10.12	15,003.51	5,105.64	703.54	-	-1.35	5,807.83	9,195.68
संयत्र एवं यंत्र***	50,714.07	1,880.15	1,670.98	-	-	50,923.24	18,283.50	3,846.38	1,670.96	-	20,458.92	30,464.32
अन्य उपकरण	6,195.47	1,246.31	6.92	-	-	7,434.86	2,156.27	628.37	3.69	-	2,780.95	4,653.91
कार्यालय मशीन एवं उपस्कर	555.78	67.83	0.79	-	3.58	626.40	347.14	72.93	0.79	3.59	422.87	203.53
उपस्कर जुड़नार एवं पुर्जे	114.70	14.58	-	-	-	129.28	60.45	10.19	-	-	70.64	58.64
वाहन	175.80	-	3.34	-	-	172.46	103.99	16.58	3.34	-	117.23	55.23
विद्युत प्रतिष्ठापन	29.49	21.31	-	-	-	50.80	-	3.39	-	-	3.39	47.41
उपयोग का अधिकार(कार लीज)	102.03	-	-	-	-	102.03	45.92	20.41	-	-	66.33	35.70
कुल	**294,512.87**	**3,285.50**	**1,682.03**	-	**-6.54**	**296,109.80**	**26,104.80**	**5,302.06**	**1,678.78**	**2.24**	**29,730.32**	**266,379.48**

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

टिप्पणी संख्या 1

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

लाख रु. में

वित्तीय वर्ष 2022-23

विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यह्रास					31.03.2023 को शुद्ध वहन मूल्य
	सकल राशि 01.04.2022	वृद्धि	विलोप	पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि (शुल्क पुनर्मूल्यांकन कुल शुद्ध वहन राशि का 10% से अधिक है)	समायोजन	कुल 31.03.2023	संचित मूल्यह्रास 01.04.2022	अवधि के लिए	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2023	
भूमि :												
-पूर्व स्वामित्व*	220,957.17	-	67.08	-	-	220,890.09	-	-	-	-	-	220,890.09
-पट्टाधृति****	777.13	-	-	-	-	777.13	1.62	0.27	-	-	1.89	775.24
पट्टे पर दी गई परिसंपति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भूमि विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भवन**	14,706.58	251.73	-	-	-	14,958.31	4,400.43	705.21	-	-	5,105.64	9,852.67
संयत्र एवं यंत्र***	44,848.89	5,925.54	60.36	-	-	50,714.07	14,649.31	3,694.17	59.98	-	18,283.50	32,430.57
अन्य उपकरण	5,263.96	946.12	14.61	-	-	6,195.47	1,735.50	435.38	14.61	-	2,156.27	4,039.20
कार्यालय मशीन एवं उपस्कर	409.94	147.33	1.49	-	-	555.78	293.66	54.75	1.27	-	347.14	208.65
उपस्कर जुड़नार एवं पुर्जे	106.74	7.96	-	-	-	114.70	51.09	9.36	-	-	60.45	54.25
वाहन	148.06	27.74	-	-	-	175.80	87.75	16.24	-	-	103.99	71.81
विद्युत प्रतिष्ठापन	29.49	-	-	-	-	29.49	-	-	-	-	-	29.49
उपयोग का अधिकार(कार लीज)	102.03	-	-	-	-	102.03	25.51	20.41	-	-	45.92	56.11
कुल	**287,349.99**	**7,306.42**	**143.54**	-	-	**294,512.87**	**21,244.87**	**4,935.79**	**75.86**	-	**26,104.81**	**268,408.07**

टिप्पणी :

1. कर्नाटक सरकार के पक्ष में 400डी और 624ई टाइप क्वार्टरों के लिए इमदादी औद्योगिक आवास योजना की शर्तें के अनुसार प्राप्त सब्सीडी पर 7 लाख रुपये का प्रभार है।
2. फैक्ट्री भवन पट्टा भूमि पर है, जिसकी माप 30 कनाल्स है, पट्टा अवधि बढ़ाने के कार्य जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ प्रक्रियाधीन है।
3. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और कंपनी की अन्य संपत्तियों के शीर्षक पर विभिन्न उधारदाताओं के पक्ष में 357694 लाख रुपये की कुल राशि का शुल्क है क्योंकि इन संपत्तियों को देनदारियों के लिए सुरक्षा के रूप में गिरवी रखा जाता है।
4. शीर्षक विलेखों की अनुपलब्धता:
   बेंगलूरु :- के आर पुरम में आईटीआई लिमिटेड के पास 435 एकड़ जमीन है । इसमें से, कंपनी के पास लगभग 375 एकड़ क्षेत्र के लिए मालिकाना हक है । शेष क्षेत्र के लिए, भूमि के उपयोग के लिए कंपनी के पास केवल अधिकारों का रिकॉर्ड मौजूद है और कंपनी के पास उचित स्वामित्व विलेख नहीं हैं ।
   मनकापुर :- निजी मालिकों से खरीदी गई 191.03 एकड़ भूमि में से 41.77 एकड़ भूमि का मालिकाना हक प्रबंधन के पास उपलब्ध नहीं है ।
   नैनी :- वर्ष 1969 में आईटीआई कॉम्प्लेक्स (174.69 एकड़) की भूमि जिला औद्योगिक अधिकारी को सौंपी गई थी । इस भूमि का स्वामित्व विलेख अभी भी मैसर्स आईटीआई लिमिटेड के नाम पर स्थानांतरित नहीं किया गया है ।
   पालक्काड :- कंपनी के पास 77 एकड़ भूमि के संबंध में स्वामित्व/पट्टा विलेख संपत्तियां हैं, जिन्हें केरल सरकार द्वारा फिर से शुरू किया गया है और शीर्ष अदालत के समक्ष निर्णय के अधीन है ।
5. कंपनी द्वारा भूमि (फ्रीहोल्ड / पट्टाधारित) रिकार्ड का समाधान सिविल इंजीनियरिंग विभाग में धारित रिकार्डों के साथ किए जाने की प्रक्रिया की जा रही है। रिकार्डों में यथोचित संबद्धता के लिए एक कोडिंग / क्रॉस संदर्भ प्रणाली के विकास की प्रक्रिया की जा रही है।
6. कंपनी द्वारा अपनी सभी यूनिटों / कॉर्पोरेट कार्यालय के संबंधित परिसम्पति रजिस्टरों के अनुसार सकल ब्लॉक एवं मूल्यह्रास ब्लॉक विवरण के मिलान / पुन:आकलन किए जाने की प्रक्रिया की जा रही है तथा वर्तमान ऐसी विभिन्न परिसम्पतियों के सकल ब्लॉक / मूल्यह्रास ब्लॉक का विवरण तैयार कर लिया गया है जिसका ह्रासित मूल्य शून्य था।
7. राजस्व प्राधिकरणों से सम्पति कर के देय भुगतान के प्रति मांग नोटिस प्राप्त न होने के कारण कंपनी द्वारा सम्पति कर का निर्धारण करने तथा भुगतान करने की प्रक्रिया की जा रही है।

आईटीआई लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उपक्रम)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

टिप्पणी संख्या. 3

निवेश सम्पत्ति

लाख रु. में

वित्तीय वर्ष 2023-24

विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यह्रास					31.03.2024 को शुद्ध वहन मूल्य
	सकल राशि 01.04.2023	वृद्धि	विलोप	पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि (शुल्क पुनर्मूल्यांकन कुल शुद्ध वहन राशि का 10% से अधिक है)	समायोजन	कुल 31.03.2024	संचित मूल्यह्रास 01.04.2023	अवधि के लिए	विलोप	समयोजन	कुल 31.03.2024	
भूमि	6,497.55	-	-	-	-	6,497.55	-	-	-	-	-	6,497.55
भवन	382.35	-	-	-	-	382.35	52.12	10.21	-	-	62.33	320.02
कुल	**6,879.90**	-	-	-	-	**6,879.90**	**52.12**	**10.21**	-	-	**62.33**	**6,817.57**

निवेश सम्पत्ति — वित्तीय वर्ष 2022-23

विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यह्रास					31.03.2023 को शुद्ध वहन मूल्य
	सकल राशि 01.04.2022	वृद्धि	विलोप	पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि (शुल्क पुनर्मूल्यांकन कुल शुद्ध वहन राशि का 10% से अधिक है)	समायोजन	कुल 31.03.2023	संचित मूल्यह्रास 01.04.2022	अवधि के लिए	विलोप	समयोजन	कुल 31.03.2023	
भूमि	6,497.55	-	-	-	-	6,497.55	-	-	-	-	-	6,497.55
भवन	382.35	-	-	-	-	382.35	41.90	10.22	-	-	52.12	330.23
कुल	**6,879.90**	-	-	-	-	**6,879.90**	**41.90**	**10.22**	-	-	**52.12**	**6,827.78**

टिप्पणी :

i) (क) दूरसंचार विभाग को 03.10.1983 को 99 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दी गई 4653.75 वर्गमीटर भूमि ।
(ख) भूमि के संबंध में (बेंगलूरु और मनकापुर के कुछ भूभागों को छोड़कर) औपचारिक हस्तांतर-पत्र/पट्टा विलेख संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निष्पादित किया गया है ।
(ग) दूरसंचार विभाग को 10.07.1991 से 99 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दी गई 1256.86 वर्गमीटर भूमि ।
(घ) मार्च, 1994 से 3 एकड़ भूमि राज्य सरकार को 99 वर्ष की अवधि के लिए मिनि विधान सौधा के निमार्ण के लिए पट्टे पर दिया गया है।

ii) 1.83 एकड़ भूमि, दक्षिणी रेल्वें को पट्टे पर दी गई है तथा 0.286 एकड़ भूमि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) को पट्टे पर दी गई है।

iii) (क) बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज के पास 0.5733 एकड़ जमीन है।
(ख) एचपीसीएल पेट्रोल बंक, आईटीआई कालोनी के पास 0.2222 एकड़ जमीन है।
(ग) एचपीसीएल पेट्रोल बंक, ओल्ड मद्रास रोड, के.आर.पुरम के पास 0.3025 एकड़ जमीन है।
(घ) ईपीएफओ, एफ-28 भवन, के पास 0.6069 एकड़ जमीन है।
(ङ) थंबी एविएशन (हैलीपैड-ईसी प्लांट) के पास 0.9182 एकड़ जमीन है।
(च) एम्बसी सर्विसस् प्राईवेट लिमिटेड के पास भूमि और भवन की क्रमशः 0.776 एकड़ और 6300 वर्ग मीटर का जमीन है।

iv) कंपनी विभिन्न निवेश संपत्तियों के उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए पंजीकृत मूल्य को शामिल करने की प्रक्रिया में है और इसलिए इस जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सका ।

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
टिप्पणी संख्या 2				
पूंजीगत चालू कार्य				
लागत पर पूंजीगत चालू कार्य	**7131.82**		7075.28	
घटाएं: प्रावधान	**0.00**		0.00	
कुल		**7131.82**		7075.28
ठेकेदारों के पास सामग्री	**0.00**		28.93	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		28.93	
कुल		**0.00**		0.00
लागत पर मशीनरी				
मार्गस्थ	**7.41**		7.93	
स्वीकृति/अधिष्ठापन प्रतीक्षित	**7095.02**		6786.44	
	7102.43		6794.38	
घटाएं : प्रावधान	**6.00**		6.53	
कुल		**7096.43**		6787.84
कुल योग		**14228.25**		**13863.12**

पूंजी कार्य प्रगति पर काल प्रभाव अनुसूची

विवरण	**1 वर्ष से कम**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**31.03.2024 को**
परियोजनाएं प्रगति पर	463.00	901.06	831.13	11235.00	13430.19
अस्थाई रूप से निलंबित परियोजनाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ट्रांजिट में स्वीकृति/संस्थापन के लिए प्रतीक्षित मशीनरी का लागत मूल्य	357.70	433.77	0.00	6.59	798.06
कुल	**820.70**	**1334.83**	**831.13**	**11241.59**	**14228.25**
विवरण	**1 वर्ष से कम**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**31.03.2023 को**
परियोजनाएं प्रगति पर	166.75	160.27	0.00	6593.48	6920.50
अस्थाई रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	0.00	0.00	0.00
ट्रांजिट में स्वीकृति/संस्थापन के लिए प्रतीक्षित मशीनरी का लागत मूल्य	1,733.05	1,329.07	2234.16	1646.34	6942.62
कुल	**1899.80**	**1489.34**	**2234.16**	**8239.82**	**13863.12**

पंजी कार्य प्रगति पर के लिए, जिनकी कार्य पूर्णता अतिदेय है अथवा इसकी लागत इसकी मूल योजना की तुलना में बढ़ गई है*
सीडब्ल्यूआईपी कार्य पूर्णता अनूसूची

परियोजना का नाम	**1 वर्ष से कम**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**
1- एनआईएफटी	0.00	0.00	0.00	6582.06
2	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6582.06**

परियोजना का नाम	**1 वर्ष से कम**	**1-2 वर्ष**	**2-3 years**	**3 वर्ष से अधिक**
1- एनआईएफटी	0.00	0.00	0.00	6582.06
2	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6582.06**

नोट: कंपनी को एनआईएफटी भवन के निर्माण के कार्य सौंपे गए थे जिसके लिए मैसर्स टीसीआईएल, (भारत सरकार का उपक्रम) की सेवाएं पीएमसी के रूप में प्राप्त की गई थी तथा सम्पूर्ण निर्माण कार्य टीसीआईएल को सौंप दिया गया था। 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार समग्र भवन का निर्माण कर लिया गया था तथा इसे एनआईएफटी को सौंप दिया गया था परन्तु टीसीआईएल द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण से कुछ दस्तावेज प्राप्त न होने के कारण कार्य पूर्णता का प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया था। कंपनी ने यह मामला प्राथमिकता के आधार पर समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्रव्यवस्था के सम्मुख प्रस्तुत किया है। 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार, कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र एवं अन्य दस्तावेजों की प्राप्ति लंबित होने तथा उक्त मामल का समाधान न होने के कारण से एनआईएफटी भवन को पूंजी कार्य प्रगति पर के रूप में दर्शाया गया है।

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
टिप्पणी सं. 4(क)				
अप्रचलित वित्तीय परिसंपत्ति – निवेश				
इक्विटी यंत्रों में निवेश				
लागत पर पूर्ण प्रदत्तश (अनुदत्त)	**40.55**		40.55	
इंडिया सेटकॉम लिमिटेड के पूर्ण प्रदत्त 10 रु. प्रति शेयर के 16,21,800 इक्विटी शेयर ।				
कुल		**40.55**		**40.55**
भारतीय लेखा मानक 27 के अनुसार अलग वित्तीय विवरण, संयुक्त उद्यमों में निवेश एकल वित्तीय विवरणों के लागत पर किया जा रहा है ।				
नोट संख्या 4 (ख)				
गैर चालू वित्तीय परिसम्पतियां - व्यापार प्राप्य				
व्यापार प्राप्य अच्छा समझा गया - प्रतिभूत	**0.00**		0.00	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		0.00
व्यापार प्राप्य अच्छा समझा गया - अप्रतिभूत	**11528.53**		**19646.74**	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे स्वीकृति	**0.00**		0.00	
कुल		**11528.53**		**19646.74**
व्यापार प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है	**0.00**		0.00	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे स्वीकृति	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**
व्यापार प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	**0.00**		0.00	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे स्वीकृति	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**
कुल योग		**11528.53**		**19646.74**

व्यापार प्राप्त काल प्रभाव अनुसूची	**भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया**					
विवरण	**6 माह से कम**	**6 माह - 1 वर्ष**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**31.03.2024 को**
(i) गैर-विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा समझा गया	0.00	0.00	1440.54	5318.09	4769.90	11528.53
(ii) गैर विवादित व्यापार प्राप्य – जिसका क्रेडिट जोखिम बढ़ गया है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) गैर विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट, जो क्षीण है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा समझा गया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(v) विवादित व्यापार प्राप्य – जिसका क्रेडिट काफी जोखिम बढ़ गया है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट, जो क्षीण है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**	**1440.54**	**5318.09**	**4769.90**	**11528.53**

व्यापार प्राप्त काल प्रभाव अनुसूची						
विवरण	**भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया**					
	6 माह से कम	**6 माह - 1 वर्ष**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**31.03.2023 को**
(i) गैर-विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा समझा गया	0.00	0.00	1440.54	15535.04	2671.16	19646.74
(ii) गैर विवादित व्यापार प्राप्य – जिसका क्रेडिट जोखिम बढ़ गया है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) गैर विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट, जो क्षीण है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा समझा गया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(v) विवादित व्यापार प्राप्य – जिसका क्रेडिट काफी जोखिम बढ़ गया है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट, जो क्षीण है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**	**1440.54**	**15535.04**	**2671.16**	**19646.74**

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
नोट संख्या 4(ग)				
गैर चालू वित्तीय परिसम्पतियां - ऋण				
ऋण प्राप्य अच्छा समझा गया - प्रतिभूत				
ऋण एवं अग्रिम	**0.00**		0.00	
अन्य	**0.00**		0.00	
	0.00		0.00	
घटाएं - प्रावधान	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**
ऋण प्राप्य अच्छा समझा गया - अप्रतिभूत				
ऋण एवं अग्रिम	**0.00**		0.00	
जमा	**0.00**		0.00	
सम्बद्ध पार्टियों को ऋण एवं अग्रिम	**0.00**		0.00	
अन्य	**0.00**		0.00	
	0.00		0.00	
घटाएं - प्रावधान	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**
ऋण प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है	**0.00**		0.00	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**
ऋण प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	**0.00**		0.00	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**
कुल योग		**0.00**		**0.00**

विवरण	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
टिप्पणी सं. 4(घ)				
अप्रचलित वित्तीय परिसंपत्ति – अन्य				
अन्य वित्तीय परिसंपत्ति				
(i) सुरक्षा जमा	**0.00**		0.00	
(ii) 12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि	**3.00**		3.00	
(iii) अन्य	**0.00**		0.00	
कुल योग		**3.00**		**3.00**

विवरण	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
टिप्पणी सं. 5				
अन्य अप्रचलित वित्तीय परिसंपत्ति				
(i) अग्रिम पूंजी	**1.62**		1.62	
घटाएं : प्रावधान	**1.10**		1.10	
कुल		**0.52**		**0.52**
(ii) पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम				
सीमांत राशि	**0.00**		0.00	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**
(iii) अन्य	**0.00**		0.00	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**
कुल योग		**0.52**		**0.52**

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
टिप्पणी सं. 6				
माल सूचियाँ				
क) कच्चा माल और उत्पादन भंडार	**10166.15**		8041.77	
घटाएं : अप्रचलन के लिए प्रावधान	**1797.40**		1754.22	
		8368.75		6287.55
ख) विक्रेताओं द्वारा आयोजित फैब्रिकेशन संविदा के प्रति जारी सामग्री	**96.91**		96.91	
घटाएं : प्रावधान	**95.47**		95.47	
		1.44		1.44
ग) गैर-उत्पादन भंडार	**1049.02**		949.10	
घटाएं : अप्रचलन के लिए प्रावधान	**237.41**		237.41	
		811.61		711.69
घ) प्रक्रियाधीन कार्य उत्पादन	**5940.16**		5626.31	
घटाएं : प्रावधान	**575.42**		606.76	
		5364.74		5019.55
ङ) प्रक्रियाधीन कार्य-स्थापना	**16.08**		0.00	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
		16.08		0.00
च) विर्निमित घटक	**4411.22**		4914.19	
घटाएं : प्रावधान	**226.62**		40.13	
		4184.60		4874.06
छ) तैयार माल				
भंडार माल	**4068.77**		6580.92	
घटाएं : प्रावधान	**1018.46**		1019.56	
		3050.31		5561.36
ज) स्टॉक समाधान लेखा	**19.47**		19.47	
घटाएं : प्रावधान	**10.33**		10.33	
		9.14		9.14
झ) निरीक्षण / स्वीकृति हेतु लंबित माल		**384.88**		1141.60
ञ) मार्गस्थ सामग्री अग्रिम				
प्राप्त समझी गई	**28.58**		493.99	
संदिग्ध समझी गई	**238.76**		238.76	
	267.34		732.75	
घटाएं : प्रावधान	**238.76**		238.76	
		28.58		493.99
ट) प्राप्त सामग्री और देय मार्गस्थ अग्रिम		**0.00**		874.86
ठ) औज़ार और गेज		**0.00**		0.00
कुल योग		**22220.13**		**24975.23**

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
टिप्पणी सं. 7				
चालू वित्तीय परिसम्पतियां - व्यापार प्राप्य				
व्यापार प्राप्य अच्छा समझा गया - प्रतिभूत	**0.00**		0.00	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे स्वीकृति	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		0.00
व्यापार प्राप्य अच्छा समझा गया - अप्रतिभूत				
- गुजनेट	**5012.39**		6419.28	
- गुजनेट के अलावा	**239641.93**		236508.55	
	244654.32		242927.83	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे स्वीकृति	**573.07**		0.00	
कुल		**244081.25**		242927.83
व्यापार प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है	**5914.16**		7070.95	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे स्वीकृति	**5914.16**		7070.95	
कुल		**0.00**		0.00
व्यापार प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	**570.62**		580.68	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे स्वीकृति	**570.62**		580.68	
कुल		**0.00**		0.00
कुल योग		**244081.25**		**242927.83**

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कंपनी में प्राप्य मूल्यों को अपेक्षित साख हानि मॉडल का इस्तेमाल करके हानि परीक्षण में दिया जाना चाहिए। भारतीय लेखा मानक 109 व्यापार प्राप्तियों पर अपेक्षित साख हानि को मापने के दौरान वास्तविक समयोचित के उपयोग की अनुमति देता है, और कहा जाता है कि प्रावधान मैट्रिक्स समयोचित के लिए उदाहरण है। अधिकांश व्यापार प्राप्तियां सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं से उत्पन्न होती हैं, जो उच्च जोखिम के संपर्क में नहीं हैं, कंपनी मामले की समीक्षा और बोर्ड द्वारा अनुमोदित मामले के आधार पर विशिष्ट प्रावधान कर रही है। जबकि, अन्य ग्राहकों के लिए, प्रावधान मामले के आधार पर अपेक्षित साख हानि मॉडल का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

व्यापार प्राप्त काल प्रभाव अनुसूची

विवरण	6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2024 को
(i) गैर-विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा समझा गया	42199.72	18099.63	23552.09	25249.54	117820.71	226921.69
(ii) गैर विवादित व्यापार प्राप्य – जिसका क्रेडिट जोखिम बढ़ गया है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) गैर विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट, जो क्षीण है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा समझा गया	0.00	0.00	0.00	0.00	17732.63	17732.63
(v) विवादित व्यापार प्राप्य – जिसका क्रेडिट काफी जोखिम बढ़ गया है	0.00	0.00	0.00	0.00	5914.16	5914.16
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट, जो क्षीण है	0.00	0.00	0.00	0.00	570.62	570.62
कुल	**42199.72**	**18099.63**	**23552.09**	**25249.54**	**142038.12**	**251139.10**
घटाएं : अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	0.00	0.00	0.00	0.00	7057.85	7057.85
कुल	**42199.72**	**18099.63**	**23552.09**	**25249.54**	**134980.27**	**244081.25**

व्यापार प्राप्त काल प्रभाव अनुसूची

विवरण	6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2023 को
(i) गैर-विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा समझा गया	32713.80	10856.19	32345.44	32116.04	117494.54	225526.01
(ii) गैर विवादित व्यापार प्राप्य – जिसका क्रेडिट जोखिम बढ़ गया है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) गैर विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट, जो क्षीण है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा समझा गया	0.00	0.00	0.00	0.00	17401.81	17401.81
(v) विवादित व्यापार प्राप्य – जिसका क्रेडिट काफी जोखिम बढ़ गया है	0.00	0.00	0.00	0.00	7070.95	7070.95
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट, जो क्षीण है	0.00	0.00	0.00	0.00	580.68	580.68
कुल	**32713.80**	**10856.19**	**32345.44**	**32116.04**	**142547.98**	**250579.46**
घटाएं : अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	0.00	0.00	0.00	0.00	7651.63	7651.63
कुल	**32713.80**	**10856.19**	**32345.44**	**32116.04**	**134896.35**	**242927.83**

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
टिप्पणी सं. 8 (क)				
चालू वित्तीयाँ परिसंपत्तियाँ – रोकड और रोकड समकक्ष				
क) मार्गस्थ रोकड़	**0.00**		0.00	
ख) उपलब्ध रोकड़	**2.30**		3.56	
ग) चेक और उपलब्ध स्टैंप	**0.42**		0.46	
घ) बैंकों के पास शेष राशि :				
- चालू खाते में	**10523.39**		931.76	
कुल		**10526.11**		935.78
टिप्पणी सं. 8(ख)				
चालू वित्तीयाँ परिसंपत्तियाँ – उपयुक्त को छोड़कर बैंक में शेष राशि				
बैंकों के पास शेष राशि :				
- एस्क्रो खाते पर	**18028.10**		16240.59	
- चालू खाते में (प्रशिक्षुओं)	**410.61**		424.46	
लाभांश बकाया	**0.00**		0.00	
एलसी मार्जिन धन	**0.00**		0.00	
बचत खाते में (प्रशिक्षुओं की प्रतिभूति जमा)	**0.00**		0.00	
अंशंकालिक जमा (मार्जिन धन)	**181.77**		173.07	
चालू खाते में (मार्जिन धन)	**0.00**		0.00	
सावधि जमा खाता पर – 3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम परिपक्वता	**54095.43**		3710.01	
अन्य	**0.00**		0.00	
कुल		**72715.91**		20548.13
टिप्पणी सं. 9 (क)				
चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ – ऋण				
वसूली योग्य नकद या वस्तु के रूप में या करने के लिए प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए सुरक्षित अग्रिम				
वाहन	**0.00**		0.00	
गृह भवन	**0.00**		0.00	
अन्य जमा	**1068.17**		1147.76	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
कुल		**1068.17**		1147.76
प्राप्य मूल्य पर नकद वसूलीय गैर प्रतिभूत अग्रिम				
अग्रिम वसूलीय - अच्छा समझा गया	**54808.02**		27744.09	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
		54808.02		27744.09
ऋण प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है	**536.60**		536.60	
घटाएं : प्रावधान	**536.60**		536.60	
		(0.00)		0.00
ऋण प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	**0.00**		0.00	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
		0.00		0.00
कुल		**54808.02**		27744.09

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
दावे एवं व्यय वसूलीय - अंतर्देशीय				
अच्छा समझा गया	**21961.58**		41428.03	
घटाएं : प्रावधान	**1060.97**		0.00	
		20900.61		41428.03
ऋण प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है	**1770.82**		992.29	
घटाएं : प्रावधान	**1770.82**		992.29	
		0.00		0.00
ऋण प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	**10.32**		10.32	
घटाएं : प्रावधान	**10.32**		10.32	
		0.00		0.00
कुल		**20900.61**		**41428.03**
दावे एवं व्यय वसूलीय - विदेश				
अच्छा समझा गया	**1.25**		6.10	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
		1.25		6.10
ऋण प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है	**1204.32**		1204.32	
घटाएं : प्रावधान	**1204.32**		1204.32	
		0.00		(0.00)
ऋण प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	**0.00**		0.00	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
		0.00		0.00
कुल		**1.25**		**6.10**
सिविल निर्माण / पूंजी माल के लिए अग्रिम				
अच्छा समझा गया	**0.00**		0.00	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
		0.00		0.00
ऋण प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है	**0.00**		0.00	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
		0.00		0.00
ऋण प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	**0.00**		0.00	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
		0.00		0.00
कुल		**0.00**		**0.00**
वाहन अग्रिम	**0.00**		0.00	
संबंधित पार्टियों को ऋण एवं अग्रिम	**0.00**		0.00	
अन्य जमा	**3600.94**		3387.01	
घटाएं : प्रावधान	**421.47**		421.47	
	3179.47		2965.54	
अल्पावधि जमा पर ब्याज अर्जित नहीं	**0.00**		11.42	
कुल		**3179.47**		**2976.96**
कुल योग		**79957.52**		**73302.93**

(क) इसमें 1690.20 लाख रुपए जो कि मेसर्स एचसीएल इंफोसिस्टम लिमिटेड से आईटीआई, एचसीएल और एल्काटेल के बीच समझौता के तहत क्षतिपूर्ति के रूप में वसूली करने योग्य है, का समावेश है। क्योंकि यह राशि आईटीआई लिमिटेड, मनकापुर द्वारा अधिक व्यय कर दी गई है।

(ख) दावा वसूली – भूमि में – 1049.41 लाख रुपये मेसर्स हिमाचल फ्यूचूरिस्टिक कम्यूनिकेशन से परिसमापन हर्जाना के अंतर्गत देय है । कंपनी ने कानूनी मामला दायर किया है जो उच्च न्यायालय, दिल्ली के समक्ष लंबित है और सुनवाई 04.09.2024 को होगा।

(ग) 31.03.2011 अवधि की समाप्त तक पट्टे पर दिए गए परिसर हेतु 5847.90 लाख रुपए किराए पर प्राप्त हुए है और उसी परिसर के लिए 31.03.2011 के बाद की अवधि के लिए कोई किराये की आय प्राप्ति की अनिश्चितता के कारण संचित आधार पर मान्यता प्राप्त नहीं है।

घ) दावा प्राप्य में मैसर्स माइंडएरे से साख पत्र के नकदीकरण के प्रति 1023.00 लाख रुपए शामिल हैं।

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
टिप्पणी सं. 9(ख)				
चालू वित्तीय परिसंपत्तियां अन्य				
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) सुरक्षा जमा		**498.56**		35.61
(ii) असंबद्ध राजस्व				
सरकार				
- गुजनेट	**5365.13**		5307.00	
- अन्य	**212102.50**		252548.00	
गैर सरकारी	**0.00**	**217467.63**	0.00	257855.00
(iii) अन्य		**213.82**		84.82
कुल		**218180.01**		**257975.43**

अन्य वित्तीय परिसम्पतियों में 217467.63 लाख रुपए का यूबीआर का वह राजस्व शामिल है जिसकी स्वीकृति पिछले कुछ वर्षों में निष्पादित कार्य के आधार पर की गई है तथा जिसकी बिलिंग अनुबंध शर्तों की पूर्ति होने पर की जानी है।

टिप्पणी सं. 10				
अन्य मौजूदा परिसंपत्तियाँ				
कर और शुल्क निवेश	**9379.36**		14827.89	
सीमा शुल्क विभाग के पास जमा	**0.00**		942.30	
अग्रिम कर का भुगतान (धनवापसी का निवल)	**0.00**		0.00	
उत्पाद शुल्क अधिकारी के पास जमा	**259.32**		437.12	
डब्ल्यूसीटी वसूली योग्य	**0.00**		0.00	
कुल		**9638.68**		16207.31
टिप्पणी सं. 11				
I. इक्विटी शेयर पूंजी				
(क) प्राधिकृत				
2,80,00,00, 000 इक्विटी शेयर जिसमें से प्रत्येक 10/- रू. का है	**280000.00**		280000.00	
(ख) निर्गमित				
96,08,86,938 इक्विटी शेयर जिसमें से प्रत्येक 10/- रू. का है (पिछले वर्ष 949577352 इक्विटी शेयर जिसमें से प्रत्येक 10/- रू. का है)	**96088.69**		94957.74	
(ग) अभिदत्त एवं पूर्णरूप से अप्रदत्त				
96,08,86,938 इक्विटी शेयर जिसमें से प्रत्येक 10/- रू. का है (पिछले वर्ष 949577352 इक्विटी शेयर जिसमें से प्रत्येक 10/- रू. का है)	**96088.69**		94957.74	
(घ) अभिदत्त एवं पूर्णरूप से अप्रदत्त नहीं	**0.00**		0.00	
(ड़) सममूल्य प्रति शेयर	**10.00**		10.00	
(च) अदत्त मॉग	**0.00**		0.00	
(छ) जब्त शेयर			0.00	
(ज) प्रारंभ में और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया शेयरों की संख्या का पुनर्मूल्यांकन।				

विवरण	31.03.2024 को शेयरों की संख्या		31.03.2023 को शेयरों की संख्या	
शेयरों की संख्या बकाया अथ शेष		**949577352**		933522869
जोड़िए : वर्ष के दौरान निर्गम*		**11309586**		16054483
घटाए : वर्ष के दौरान वापसी क्रय नीति/जब्ती		**0**		0
शेयरों की बकाया संख्या अंत शेष		**960886938**		949577352

* भारत के राष्ट्रपति को कंपनी द्वारा दिनांक 11.05.2023 को 94.61 रुपए प्रति शेयर की दर से 10700 लाख रुपये के पूंजीगत अनुदान के प्रति 11309586 इक्विटी शेयर आवंटित किए गए हैं।

(झ) अधिकारों एवं अधिमानो एवं उपरोक्त वर्ग के शेयर के साथ प्रतिबंध संलग्न

- इक्विटी शेयर के प्रत्येक धारक को प्रति शेयर एक वोट देने का अधिकार
- कंपनी के परिनिर्धारण होने की दशा में, अधिमान्य राशि का वितरण होने के बाद, इक्विटी शेयर धारकों को कंपनी की शेष परिसंपत्तियों का वितरण उनके द्वारा लिए गए इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा ।

(ञ) शेयरधारकों की सूची जिन्होने 5% से ज्यादा शेयर लिया है।			
नाम	**रखे गए शेयरों की संख्या**		**रखे गए शेयरों की संख्या**
1. भारत के राष्ट्रपति	**864485747**		855912566
2. विशेष राष्ट्रपति निवेश कोष	**75869381**		73132976
(ट) पिछले पाँच वर्षों के दौरान:			
i) नकद प्राप्त किए बिना आबंटित शेयरों की कुल संख्या	**0.00**		0.00
ii) अधिलाभ शेयरों के माध्यम से पूरी तरह से भुगतान के रूप में आबंटित शेयरों की कुल संख्या	**0.00**		0.00
iii) वापस खरीदे गए शेयरों की कुल संख्या एवं वर्ग	**0.00**		0.00
	31.03.2024 को		**31.03.2023 को**
II) प्राथमिकता शेयर : **क) अधिकृत** 70000000 वरीयता शेयर प्रत्येक 100 रुपए के	**70000**		70000

(ठ) प्रमोटर की शेयरधारिता	**31.03.2024 को रखे गए शेयरों**		
प्रवर्तक का नाम	**शेयरों की संख्या**	**कुल शेयरों का %**	**31.03.2024 के समाप्त अवधि के दौरान % परिवर्तन**
1. भारत के राष्ट्रपति	864485747	89.97	1.00
2. कर्नाटक सरकार	312500	0.03	0.00

लाख रुपए में

विवरण	**31.03.2024 को**		**31.03.2023 को**	
टिप्पणी सं. 12				
अन्य इक्विटी				
1) आरक्षित पूंजी				
i) उपहार स्वरुप दी गई नि:शुल्क भूमि				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	**25.30**		25.30	
वृद्धि	**0.00**		0.00	
कुल	**25.30**		25.30	
कटौती	**0.00**		0.00	
इति शेष		**25.30**		**25.30**
ii) सहायता अनुदान पूँजी				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**305802.00**		305802.00	
सहायता अनुदान से अंतरण (पूँजी)	**0.00**		0.00	
इति शेष		**305802.00**		305802.00
कुल आरक्षित पूंजी		**305827.30**		**305827.30**
2) प्रतिभूति बीमा-किस्त आरक्षिति				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	**35230.29**		21679.44	
वृद्धि	**9569.04**		13550.85	
कुल	**44799.33**		35230.29	
कटौती : एफपीओ मुद्दे व्यय*	**0.00**		0.00	
इति शेष		**44799.33**		**35230.29**
3) पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति				
i) पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति –भूमि				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	**0.00**		0.00	
घटाएं - भूमि की बिक्री पर उत्क्रमण	**0.00**		0.00	
इति शेष		**0.00**		**0.00**
ii) पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति –भवन				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	**0.00**		0.00	
घटाएं – सामान्य संशय पर अंतरण	**0.00**		0.00	
इति शेष		**0.00**		**0.00**
कुल पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति		**0.00**		**0.00**

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
4) प्रतिधारित आय				
i) सामान्य आरक्षिति :				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	**235316.61**		235316.61	
पूर्व अवधि समायोजन	**0.00**		0.00	
जोड़े : बांड मोचनीय आरक्षिति से अंतरण (विभाग)	**0.00**		0.00	
घटाएं – लाभ-हानि में अंतरण	**0.00**		0.00	
घटाएं - अधिशेष के लिए अंतरण	**0.00**		0.00	
इति शेष		**235316.61**		**235316.61**
ii) अचल संपत्ति की बिक्री पर लाभ				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	**0.00**		0.00	
घटाएं - अधिशेष के लिए अंतरण	**0.00**		0.00	
इति शेष		**0.00**		**0.00**
iii) तकनीकी जानकारी की बिक्री				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**3.50**		3.50	
घटाएं - लाभ-हानि में अंतरण	**0.00**		0.00	
इति शेष		**3.50**		**3.50**
iv) औद्योगिक आवास सब्सिडी				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**6.79**		6.79	
घटाएं - लाभ-हानि में अंतरण	**0.00**		0.00	
इति शेष		**6.79**		**6.79**
v) निवेशीय भत्ता आरक्षिति				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**0.00**		0.00	
घटाएं - सामान्य आरक्षिति में अंतरण	**0.00**		0.00	
इति शेष		**0.00**		**0.00**
vi) अधिशेष				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**(450749.48)**		(414739.85)	
जोड़े: वर्ष के दौरान लाभ/हानि	**(56906.15)**		(36009.63)	
जोड़े: सामान्य आरक्षित से अंतरण	**0.00**		0.00	
जोड़े: अचल संपत्तियों की बिक्री के हानि पर लाभ से अंतरण	**0.00**		0.00	
कुल	**(507655.62)**		**(450749.48)**	
घटाएं : विनियोग	**1.35**		0.00	
घटाएं-लाभ और हानि खाते से कम अंतरण(वर्ष के लिए हानि)	**0.00**		0.00	
इति शेष		**(507656.97)**		**(450749.48)**
कुल – प्रतिधारित कमाई		**(272330.07)**		**(215422.59)**
5) शेयर अनुप्रयोग में लंबित आबंटित धन राशि		**0.00**		10700.00
6) अन्य व्यापक आय				
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन (बीमांकिक लाभ)				
अथशेष	**2680.34**		8759.38	
वर्ष के दौरान परिवर्तन	**(2120.51)**		(6079.04)	
इति शेष		**559.83**		**2680.34**
कुल योग – अन्य इक्विटी		**78857.76**		**139015.31**

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
टिप्पणी सं. 13				
अप्रचलित देनदारियाँ				
सरकारी अनुदान का अनुपयोग :				
i) उपहार स्वरुप दी गई नि:शुल्क उपस्कर				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	**0.00**		0.00	
घटाएं - लाभ-हानि में अंतरण	**0.00**		0.00	
इति शेष		**0.00**		**0.00**
ii) सहायता अनुदान (पूंजीगत)				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**4.64**		4.64	
जोड़े : इस वर्ष की प्राप्तियॉं	**0.00**		0.00	
कुल	**4.64**		**4.64**	
घटाएं : सहायता अनुदान राजस्व में अंतरण:पूंजीगत आरक्षिति	**0.00**		0.00	
घटाएं : लाभ हानि लेखा में अंतरण	**4.64**		0.00	
इति शेष		**0.00**		**4.64**
iii) सहायता अनुदान(राजस्व)				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**4496.42**		4245.48	
जोड़े : इस वर्ष की प्राप्तियाँ*	**0.00**		0.00	
कुल	**4496.42**		4245.48	
घटाएं : लाभ/हानि लेखे में अंतरण	**0.00**		(250.94)	
इति शेष		**4496.42**		**4496.42**
कुल योग		**4496.42**		**4501.06**
टिप्पणी सं. 14(क)				
अप्रचलित वित्तीय देनदारियाँ – उधार				
I उधार – सुरक्षित				
(क) बांड	**0.00**		0.00	
(ख) सावधि ऋण				
(i) बैंक द्वारा	**0.00**		0.00	
(ii) अन्य द्वारा	**0.00**		0.00	
(ग) आस्थगित भुगतान देयता	**0.00**		0.00	
(घ) जमा	**0.00**		0.00	
(ङ) संबंधित पक्ष द्वारा ऋण	**0.00**		0.00	
(च) यौगिक वित्तीय लिखतों का दायित्व घटक	**0.00**		0.00	
(छ) अन्य ऋण	**0.00**		0.00	
II उधार – असुरक्षित				
(क) बांड	**0.00**		0.00	
(ख) सावधि ऋण				
(i) बैंक द्वारा	**0.00**		0.00	
(ii) अन्य द्वारा	**0.00**		0.00	
भारत सरकार से ऋण*	**12000.00**		18000.00	
उपार्जित और उपरोक्त पर देय ब्याज	**0.00**		0.00	
(ग) आस्थगित भुगतान देयता	**0.00**		0.00	
(घ) जमा	**0.00**		0.00	
(ङ) संबंधित पक्ष द्वारा ऋण	**0.00**		0.00	
(च) यौगिक वित्तीय लिखतों का दायित्व घटक	**0.00**		0.00	
(छ) अन्य ऋण	**0.00**		0.00	
		12000.00		**18000.00**
कुल योग		**12000.00**		**18000.00**

कंपनी को वर्ष 2014-15 के दौरान दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार से कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए 30,000 लाख रुपए का साफ्ट ऋण प्राप्त हुआ, कंपनी द्वारा जिसका भुगतान, दो वर्ष के स्थगन काल के पश्चात लाभ अर्जन प्रारंभ होने के पश्चात, पांच वर्ष में किया जाना है। दूरसंचार विभाग के दिनांक 29.04.2022 तथा 24.03.2023 के पत्रों के अनुसार कंपनी को वित्तीय वर्ष 2022-23 से साफ्ट ऋण का पुनर्भुगतान करने के लिए कहा गया है तथा भुगतान न किए जाने की स्थिति में स्वीकृत उपबंधों के अनुसार जुर्माना ब्याज लगाया जाना है। तदनुसार, कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रति जुर्माना ब्याज के लिए 148.56 लाख रुपए के प्रावधान किए हैं। तथापि, कंपनी द्वारा साफ्ट ऋण को अनुदान सहायता के रूप में परिवर्तित किए का अनुरोध इस तथ्य के आधार पर किया गया है, जो कि विचाराधीन है, कि कंपनी को साफ्ट ऋण की अदायगी पुनरूद्धार योजना की कार्यान्वयन अवधि में कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए की गई थी तथा कंपनी की पुनरूद्धार योजना अभी जारी है तथा यह अभी बीआईएफआर से बाहर नहीं आई तथा इसे घाटे हो रहे हैं।

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
टिप्पणी सं. 14(ख)				
अचल वित्तीय देयता – पट्टे देयता				
वित्त पट्टे देयताएं	**42.99**		59.66	
परिचालन पट्टे देयताएं	**0.00**		0.00	
कुल योग		**42.99**		**59.66**
टिप्पणी सं. 14(ग)				
चालू वित्तीय देयताएँ – व्यापार प्राप्तियाँ				
वस्तुओं के संभरण के लिए				
- गुजनेट				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**0.00**		0.00	
- अन्य	**10912.05**		17399.02	
- गुजनेट के अलावा				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**0.00**		0.00	
- अन्य	**0.00**		0.00	
कुल		**10912.05**		**17399.02**
व्ययों और सेवाओं के लिए				
- गुजनेट				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**0.00**		0.00	
- अन्य	**0.00**		0.00	
- गुजनेट के अलावा				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**0.00**		0.00	
- अन्य	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**
अन्य देयताओं के लिए				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**0.00**		0.00	
- अन्य	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**
विवादित देय राशि				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**0.00**		0.00	
- अन्य	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**
कुल योग		**10912.05**		**17399.02**

व्यापार प्राप्य काल प्रभाव अनुसूची

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**31.03.2024 को**
(i) एमएसएमई	1218.77	3034.49	2220.26	4438.53	10912.05
(ii) अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) विवादित बकाया-एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादित बकाया-अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**1218.77**	**3034.49**	**2220.26**	**4438.53**	**10912.05**

व्यापार प्राप्य काल प्रभाव अनुसूची

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**31.03.2023 को**
(i) एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) अन्य	882.38	4181.57	2015.59	10319.48	17399.02
(iii) विवादित बकाया-एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादित बकाया-अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**882.38**	**4181.57**	**2015.59**	**10319.48**	**17399.02**

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
टिप्पणी सं. 14(घ)				
अचल वित्तीय देयता –अन्य				
प्राप्त प्रतिभूति जमा	**7933.30**		7631.29	
कुल योग		**7933.30**		**7631.29**
टिप्पणी सं. 15				
अचल प्रावधान का विवरण				
(i) कर्मचारियों के लाभ के लिए				
विशेषाधिकृत अवकाश के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**5111.65**		4572.04	
घटाएं : निगमित से अंतरण	**0.00**		0.00	
जोड़े : वर्ष के लिए प्रावधान	**229.99**		539.61	
घटाएं : अदायगी	**20.08**		0.00	
कुल		**5321.56**		**5111.65**
रुग्णावकाश के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**29.71**		47.23	
घटाएं : निगमित से अंतरण	**0.00**		0.00	
जोड़े : वर्ष के लिए प्रावधान का उत्क्रमण	**12.01**		(17.52)	
घटाएं : अदायगी	**0.00**		0.00	
कुल		**41.72**		**29.71**
(ii) अन्य		**0.00**		**0.00**
कुल योग		**5363.28**		**5141.35**
टिप्पणी सं. 16				
अन्य गैर-चालू देयताएँ				
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
कुल योग		**0.00**		**0.00**
टिप्पणी सं. 17(क)				
चालू वित्तीय देयताएँ – ऋण				
I ऋण - प्रतिभूत				
क) मांग पर पुनर्भुगतान किए जाने वाले ऋण				
(i) बैंकों से	**149526.45**		157561.05	
(ii)अन्यों से	**19.41**		22.47	
(ख) सम्बद्ध पार्टियों से ऋण	**0.00**		0.00	
(ग) जमा	**0.00**		0.00	
(घ) दीर्घकालिक ऋणों की चालू परिपक्वता	**0.00**		0.00	
(ङ) अन्य	**0.00**		0.00	
कुल		**149545.86**		**157583.52**
II ऋण - अप्रतिभूत				
(क) मांग पर पुनर्भुगतान किए जाने वाले ऋण				
(i) बैंकों से	**0.00**		0.00	
(ii)अन्यों से	**0.00**		0.00	
(ख) सम्बद्ध पार्टियों से ऋण	**0.00**		0.00	
(ग) जमा	**0.00**		0.00	
(घ) दीर्घकालिक ऋणों की चालू परिपक्वता	**18000.00**		12000.00	
(ङ) अन्य	**0.00**		0.00	
कुल		**18000.00**		**12000.00**
कुल योग		**167545.86**		**169583.52**

भारतीय स्टेट बैंक तथा बैंकों के संघ के अन्य सदस्यों से कंपनी के प्रत्येक प्रकार के स्टॉक, प्राप्यों आदि तथा अचल परिसम्पतियों सहित चालू परिसम्पतियों को दृष्टि बंधक करके कैश क्रेडिट प्राप्त किया गया था। इस सुविधा के लिए ब्याज की दर माह की एमसीएलआर से 2.75% अधिक है।

31.3.2024 की स्थिति के अनुसार जमा, जो प्राप्य हैं तथा धनवापसी के लिए दावा नहीं किए गए हैं, को चालू देयताओं में दर्शाया गया है।

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
टिप्पणी सं. 17(ख)				
चालू वित्तीय देयताएँ – पट्टे देयताएँ				
वित्त पट्टे देयताएँ	**16.67**		15.01	
प्रचालन पट्टे देयताएँ	**0.00**		0.00	
कुल योग		**16.67**		**15.01**
टिप्पणी सं. 17(ग)				
चालू वित्तीय देयताएँ-व्यापार प्राप्तियाँ				
वस्तुओं के संभरण के लिए				
- गुजनेट				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**0.00**		0.00	
- अन्य	**7275.61**		5767.42	
- गुजनेट के अलावा				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**8398.42**		12895.01	
- अन्य	**126407.77**		111152.25	
- संदिग्ध लेनदारों के लिए प्रावधान	**0.00**		0.00	
कुल		**142081.80**		**129814.68**
व्यय और सेवाओं के लिए				
- गुजनेट				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**0.00**		0.00	
- अन्य	**0.00**		489.77	
- गुजनेट के अलावा				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**0.00**		0.00	
- अन्य	**10928.35**		3537.07	
कुल		**10928.35**		**4026.84**
अन्य देयताओं के लिए				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**0.00**		0.00	
- अन्य	**2736.52**		3826.67	
कुल		**2736.52**		**3826.67**
विवादित बकाया				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**0.00**		0.00	
- अन्य	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**
कुल योग		**155746.67**		**137668.19**

व्यापार प्राप्य काल प्रभाव अनुसूची

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**31.03.2024 को**
(i) एमएसएमई	2811.62	1600.33	1892.24	2094.24	8398.42
(ii) अन्य	66600.77	41133.07	4248.17	19332.78	131314.79
(iii)विवादित बकाया-एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादित बकाया-अन्य	0.00	0.00	0.00	16033.45	16033.45
कुल	**69412.39**	**42733.39**	**6140.42**	**37460.47**	**155746.67**
विवरण	**भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया**				
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**31.03.2023 को**
(i) एमएसएमई	3859.89	2799.52	2273.09	3962.52	12895.01
(ii) अन्य	28104.90	18378.17	22839.33	39049.94	108372.34
(iii)विवादित बकाया-एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादित बकाया-अन्य	0.00	0.00	0.00	16400.82	16400.82
कुल	**31964.79**	**21177.69**	**25112.42**	**59413.28**	**137668.19**

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सूची, जिनके प्रति कंपनी को ब्याज सहित कोई राशि बकाया है। कंपनी एमएसएमई विक्रेताओं की पूरी सूची तैयार करने की प्रक्रिया में है।

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
अनुलग्नक के अनुसार				
सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय/भुगतान का खुलासा उस सीमा तक करना, जिस सीमा तक कंपनी द्वारा ऐसे उद्यमों की पहचान की जाती है।				
(क) समाप्त अवधि के लिए न चुकाया हुआ मूल राशि का बकाया है।	**8398.42**		12895.01	
(ख) समाप्त अवधि के लिए न चुकाया हुआ ब्याज बकाया है।	**55.24**		68.25	
(ग) अवधि के दौरान नियुक्ति दिन से परे भुगतान किया गया ब्याज और मूलधन की राशि।	**0.00**		0.00	
(घ) भुगतान में देरी के कारण हेतु ब्याज राशि की शेष और देय (जो नियुक्ति अवधि के दौरान से परे भुगतान की गई) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत ब्याज को छोड़कर।	**0.00**		0.00	
(ङ) समाप्त अवधि के लिए न चुकाया हुआ अर्जित ब्याज की राशि शेष।	**0.00**		0.00	
(च) आगामी वर्षों में शेष बकाया एवं देय ब्याज की राशि (उस तिथि तक जब, एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौतियोग्य व्यय की अस्वीकृति के उद्देश्य से, उपर्युक्तानुसार देय ब्याज का वास्तविक भुगतान लघु उद्यमों को किया गया है)	**0.00**		0.00	
टिप्पणी सं. 18				
चालू वित्तीय देयताएँ – अन्य				
बिल न चुकाया देय				
सरकार				
- गुजनेट	**4545.19**		5011.06	
- गुजनेट के अलावा	**121398.68**		140547.18	
गैर सरकार	**0.00**		0.00	
उधार पर नहीं बकाया किन्तु प्रोदभूत ब्याज	**3004.76**		2556.20	
उधार पर बकाया एवं प्रोदभूत ब्याज	**0.00**		0.00	
अप्रदत परिपक्व जमा एवं उन पर प्रोदभूत ब्याज	**0.00**		0.00	
अप्रदत परिपक्व डिवेंचर एवं उन पर प्रोदभूत ब्याज	**0.00**		0.00	
दावा न किए गए लाभांश	**0.00**		0.00	
व्यय एवं सेवा कर के लिए	**9251.14**		11485.08	
अन्य देयता के लिए	**20447.44**		26675.34	
अन्य देय	**834.96**		660.60	
देय वेतन	**4209.35**		2747.87	
रॉयल्टी देय	**1007.54**		1007.54	
वेतन संशोधन बकाया	**1006.06**		1006.28	
ठेकेदारों से जमा	**7818.80**		7263.30	
विविध देनदारियाँ	**27456.20**		30066.45	
अधिमान शेयर*	**0.00**		0.00	
कुल		**200980.12**		**229026.90**
टिप्पणी सं. 19				
अन्य चालू देयताएँ				
अग्रिम में आय प्राप्त	**11.22**		2.66	
शुल्क और कर	**4105.84**		3628.85	
ग्राहकों से अग्रिम	**196520.65**		99590.03	
कुल		**200637.71**		**103221.54**

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
टिप्पणी सं. 20				
चालू प्रावधान				
कराधन के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**0.00**		0.00	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रावधान	**0.00**		0.00	
घटाएं : पूर्व वर्ष के लिए प्रावधान का समायोजन	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**
उपदान के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**16605.23**		13226.54	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रावधान	**2903.81**		4397.69	
घटाएं : उपदान न्यास में अंतरण	**5990.00**		1534.99	
जोड़े : उपदान न्यास से अंतरण	**5715.10**		2724.78	
जोड़े : निगमित से अंतरण	**0.00**		0.00	
घटाएं : भुगतान	**5627.39**		2208.78	
कुल		**13606.75**		**16605.23**
अर्जित अवकाश के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**2664.53**		1992.69	
घटाएं: निगम को अंतरण	**0.00**		0.00	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रावधान	**2089.96**		3443.48	
घटाएं : भुगतान	**2820.21**		2771.66	
कुल		**1934.28**		**2664.52**
रूग्णावकाश के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**1.53**		2.50	
जोड़े : वर्ष के लिए प्रावधान	**0.32**		(0.97)	
घटाएं : अदायगी	**0.00**		0.00	
कुल		**1.85**		**1.52**
लंबी दूरी के लिए रियायती यात्रा भत्ता				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**170.57**		177.16	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रावधान का उत्क्रमण	**9.40**		57.76	
घटाएं : भुगतान	**26.85**		64.35	
कुल		**153.12**		**170.58**
कुल योग		**15696.00**		**19441.86**
टिप्पणी सं. 21				
चालू कर देनदारियाँ				
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
टिप्पणी संख्या 22				
परिचालन से राजस्व				
i) उत्पादों की बिक्री (जीएसटी का निवल)				
तैयार माल की बिक्री	**5103.65**		5944.54	
व्यापार माल की बिक्री	**38669.62**		16198.06	
कुल		**43773.27**		22142.60
ii) सेवाओं की बिक्री		**82589.95**		117399.93
iii) अन्य प्रचालन राजस्व :				
क) स्क्रैप की बिक्री	**0.00**		1.98	
ख) डीएलआरसी परियोजना से आय	**0.00**		0.00	
ग) गैर-प्रतिस्पर्धा शूल्क	**0.00**		0.00	
घ) सहायता-राजस्व में अनुदान	**0.00**	**0.00**	0.00	1.98
कुल		**126363.22**		**139544.51**

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
मुख्य शीर्षक अंतर्गत बिक्री				
1. मिनी पीडीओ	**0.09**		1.21	
2. इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग उपस्कर/एसएमपीएस/एसएसटीपी	**0.00**		750.64	
3. एमएलएलएन	**0.00**		0.00	
4. इन्वर्टर ट्रॉली	**0.26**		0.00	
5. एनसीएम	**3.97**		0.00	
6. टेलीफोन	**102.50**		18.47	
7. जी-पॉन	**0.00**		0.10	
8. जॉब वार्क	**0.00**		0.00	
9. सोलर पैनल	**337.44**		122.29	
10. एसएमपीएस	**0.00**		0.00	
11. 4 जी रेडियों	**0.00**		0.00	
12. जीएसएम फ्रेंचाइजी	**0.00**		0.00	
13. एनजीएन	**0.00**		0.00	
14. एनएफएस	**501.96**		595.18	
15. एस्कॉन	**0.00**		0.00	
16. रक्षा	**316.40**		399.88	
17. स्मार्ट ऊर्जा मीटर	**0.00**		(1155.62)	
18. बीबीडब्ल्यूटी	**0.00**		0.00	
19. एचडीपीई पाइप	**903.29**		251.97	
20. ओएफसी	**2756.19**		1139.08	
21. महानेट	**935.22**		412.79	
22. वाईफाई हॉटस्पॉट	**0.00**		0.00	
23. गुजनेट	**0.00**		0.00	
24. बीएनजी	**0.00**		0.00	
25. डीडीओएस	**0.00**		0.00	
26. मिनी पीसी विनिर्माण/टैब पीसी	**398.26**		3548.92	
27. सीसीएमएस	**0.00**		0.00	
28. जीएसएम पश्चिम क्षेत्र	**0.00**		0.00	
29. ओएनटी/ओएलटी	**157.08**		0.00	
30. एसएसटीपी	**0.00**		0.00	
31. एसटीएम	**0.00**		0.00	
32. एसईएम(एनईटी)	**0.00**		0.00	
33. मोबाइल शोरूम	**7.59**		52.77	
34. एमसीईयू	**135.00**		0.00	
35. वाईफ़ाई एस्सेस पाईंट	**0.00**		2.50	
36. आईपी इन्क्रीपटर एमएचए	**0.00**		0.00	
37. सौर एलईडी स्ट्रीट लाईट	**4199.16**		1378.86	
38. फेस शील्ड/ सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन	**0.67**		20.21	
39. स्मार्ट पार्सल डिलीवरी सिस्टम	**0.00**		0.00	
40. घटक स्क्रीनिंग वीएसएससी	**0.00**		0.00	
41. स्मार्ट कार्ड	**0.00**		31.52	
42. वेंटीलेटर / मेडिकल डिवाइस	**0.00**		0.00	
43. यूएसओएफ भारत नेट प्रोजेक्ट	**0.00**		0.00	
44. टैनफिनेट	**0.00**		0.00	
45. आईएएफ डाटा सेंटर का उन्नयन	**0.00**		0.00	
46. आईएएफ 4जी एलटीई	**1440.53**		10066.92	
47. एस्कॉन चरण IV	**0.00**		0.00	
48. ऐयरटेल एफटीटीएच रोल आउट	**0.00**		0.00	
49. भारतनेट अंडामान और निकोबार	**0.00**		0.00	
50. एफएमएस-एमसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी	**0.00**		215.64	
51. सीसीटीवी	**333.29**		0.00	
52. पीओएलईएस	**0.00**		597.81	
53. इंस्टालेशन ट्रेडिंग ओएमसी	**43.97**		0.00	
54. 3 डी प्रिंटिग	**34.92**		23.25	
55. अनुबंध विनिर्माण	**26.23**		6.45	
56. आईटी कंप्यूटर सहायक उपकरण	**3697.72**		1168.98	
57. अन्य राज्य सरकार	**442.31**		1814.15	
58. अन्य	**26999.22**		678.64	
कुल		**43773.27**		**22142.60**

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
मुख्य शीर्ष के अंतर्गत सेवाएँ से लाभ				
1. एसएसटीपी एएमसी	**14.94**		56.21	
2. टेलीकॉम टेस्टिंग एव लैब	**140.14**		76.28	
3. स्मार्ट पार्सल सर्वीसेस	**0.00**		0.00	
4. डाटा सेंटर	**3241.49**		2616.94	
5. कौशल विकास	**23.89**		31.49	
6. एसडब्ल्यूएएन	**0.00**		0.00	
7. जीएसएम	**4293.14**		5519.78	
7 क. जीएसएम एएमसी (जीएसटी टर्नओवर)	**0.00**		121.40	
8. एनएफएस	**4247.31**		6654.22	
9. जी-पॉन आई एंड सी	**1322.23**		1054.57	
10. एस्कॉन एएमसी	**0.00**		665.04	
11.रक्षा एएमसी	**39.48**		85.94	
12. एनजीएन एएमसी	**213.74**		321.87	
13. बीबीडब्ल्यूटी	**0.00**		0.00	
14. महानेट बिल रहित	**0.00**		24829.19	
14 क. महानेट (जीएसटी टर्नओवर)	**2037.86**		0.00	
15. वाई-फाई हॉटस्पॉट	**311.41**		0.00	
16. गुजनेट	**7478.78**		6655.23	
17. बीएनजी	**479.24**		482.90	
18. डीडीओएस	**345.57**		450.11	
19. एमएलएलएन एएमसी	**1346.06**		1571.27	
20. सीसीएमएस एएमसी	**73.95**		77.77	
21. ई-निविदा	**444.37**		1648.16	
22. एफएमएस-एमसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी	**2613.00**		2619.88	
23. एसएमपीएस	**186.57**		81.07	
24. यूएसओएफ भारत नेट प्रोजेक्ट	**489.96**		675.31	
25. जीएसएम पश्चिम क्षेत्र	**0.00**		0.00	
26. वाईफ़ाई एस्सेस पाईंट	**0.00**		0.00	
27. एसडब्ल्यूएम-आईसीटी- अपशिष्ट प्रबंधन	**8707.00**		324.54	
28. आईएएफ डाटा सेंटर का उन्नयन	**0.00**		0.00	
29. जियो फेंसिंग प्रोजेक्ट	**689.42**		243.08	
30. घटक स्क्रीनिंग वीएसएससी	**0.00**		667.11	
31. आईटी-वेब पोर्टल	**0.00**		412.50	
32. ओएमसी एएमसी	**397.53**		320.77	
33. टैनफिनेट	**5794.29**		12803.43	
34. आईएएफ 4जी एलटीई	**0.00**		0.00	
35. फाइबर नेटवर्क	**0.23**		0.00	
36. रेलवे	**625.53**		138.71	
37. एनएमएस	**55.31**		55.31	
38. ई-गवर्नेंस/ई-सेवा	**2.05**		0.00	
39. ओसीबी एएमसी	**0.00**		7.18	
40. टीपीए	**54.30**		502.76	
41. आधार बिजनेस/एसएएएस	**313.78**		4.98	
42. विश्वसनीयता प्रयोगशाला	**158.55**		161.91	
43. ऐयरटेल एफटीटीएच रोलआउट	**48.97**		1539.97	
44. भारतनेट अंडामान और निकोबार	**0.00**		0.00	
45. सीसीटीवी सर्वीसेस	**2609.09**		947.82	
46. सर्वेक्षण कार्य	**0.00**		0.00	
47. एस्कॉन फेज़ – IV	**15033.72**		37648.34	
48. एसएएएस	**262.94**		171.90	
49. अनुबंध विनिर्माण	**712.52**		111.74	
50. एमएलएलएन आईएंडसी	**0.00**		4.87	
51. अन्य एएमसी	**5231.37**		4960.58	
52. अन्य	**12550.22**		77.80	
कुल		**82589.95**		**117399.93**

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
विदेशी मुद्रा में आय				
माल के निर्यात का एफओबी के आधार पर गणना	**0.00**		0.00	
रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी, व्यावसायिक और परामर्श शुल्क	**0.00**		0.00	
ब्याज और लाभांश	**0.00**		0.00	
सेवाएँ	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**
कंपनी द्वारा रक्षा मंत्रालय के साथ दिनांक 01.10.2020 को 8,280.36 करोड़ रुपए मूल्य का आर्मी स्टेटिक कम्यूनिकेशन नेटवर्क (एस्कॉन) चरण IV के निष्पादन के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अंतर्गत, विभिन्न स्थलों पर सम्पूर्ण अवसंरचना तथा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का रोल आउट उपलब्ध करवाने के लिए टेलीकॉम उपकरण, एनएमएस, मोबाइल नॉड्स का संस्थापन कमीशनिंग एवं अनुरक्षण तथा सिविल कार्य किए जाने हैं। इस परियोजना को तीन वर्ष में पूरा किया जाना है तथा इसके पश्चात दो वर्ष की वारंटी सहित दस वर्षों के लिए अनिवार्य अनुरक्षण किया जाना है। अवधारणा प्रमाण [पीओसी] की क्रियाओं के अंतर्गत भारतीय सेना के थल सेना मुख्या 5 सिग्नल परिसरों में टैस्ट बैड स्थापित किया गया है। पीओसी की प्रक्रिया के लिए थल सेना की सहायता आईटीआई तथा ओईएम टीम कर रही हैं। पीओसी की प्रक्रिया की जा रही है तथा इसमें हो रही प्रमुख देरी उद्गम देश के एक मामले के कारण से है जिसका समाधान अब हो गया है तथा पीओसी की प्रक्रिया 30.6.2024 तक पूरी होने की संभावना है। परियोजना की समयावधि संशोधित करके दिसंबर, 2025 कर दी गई है।				
टिप्पणी संख्या : 23				
अन्य आय				
क) आय पर ब्याज				
i) अंतर कार्यालय अग्रिम पर ब्याज	**0.00**		0.00	
ii) ब्याज – अन्य	**291.66**		541.27	
कुल		**291.66**		**541.27**
ख) गैर-व्यापार निवेश से लाभांश		**0.00**		0.00
ग) निवेश के बिक्री से निवल लाभ / हानि		**0.00**		0.00
घ) अन्य गैर-प्रचालन आय (ऐसी आय के कारण निवल खर्च)				
i) परिसंपत्ति के बिक्री से लाभ	**48.11**		89.66	
घटाएं : पूँजीगत खाते का आरक्षण	**0.00**		0.00	
कुल	**48.11**		**89.66**	
ii) कमीशन	**0.00**		0.00	
iii) किराया	**2340.29**		1806.11	
iv) पट्टे का किराया	**334.91**		309.15	
v) परिवाहन प्रभार	**0.00**		0.00	
vi) रद्दी की बिक्री	**548.35**		675.56	
vii) जल प्रभार / विद्युत प्रभार	**5.45**		5.21	
viii) जब्त बैंक गारंटी	**0.00**		16.10	
ix) अतिरिक्त वापस लिया हुआ प्रावधान	**4.95**		0.00	
x) वीआरएस की प्रतिपूर्ति	**0.00**		0.00	
xi) गैर जरूरत देनदारियों की वापसी	**302.30**		3.80	
xii) परिनिर्धारित हानि की छूट	**37.53**		0.00	
xiii) श्रीनगर की हानि की क्षतिपूर्ति	**0.00**		0.00	
xiv) ब्याज प्रभार पर छूट	**0.00**		0.00	
xv) अनुदान सहायता से स्थानांतरण	**0.00**		0.00	
xvi) राजस्व अनुदान सहायता – वीआरएस	**0.00**		0.00	
xvii) राजस्व अनुदान सहायता	**0.00**		0.00	
xviii) पूंजीगत सहायता अनुदान से स्थानांतरण	**0.00**		0.00	
xix) एसडब्ल्यूआर/एनएचएआई द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा	**0.00**		1539.17	
xx) विविध आय	**531.60**		268.84	
कुल (i से xx)		**4153.49**		**4713.61**
ङ) निवेश का कैरिंग वैल्यू के लिए समायोजन (प्रतिलेखन)		**0.00**		0.00
च) पिछले साल से संबंधित अनुदान		**0.00**		0.00
छ) विदेशी मुद्रा अनुवाद और लेन-देन पर निवल लाभ / हानि (वित्तीय लागत के रूप में माने जाने के अलावा)		**4.64**		0.00
कुल योग		**4449.79**		**5254.88**
कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) ने बेंगलूरु मेट्रो रेल परियोजना के लिए कुल 1606.24 लाख रुपए के मुआवजे पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी, बेंगलूरु में कंपनी की 738 वर्ग मीटर भूमि का अधिग्रहण किया है। कंपनी ने अपने वर्ष 2022-23 के लेखों में 1539.17 लाख रुपए की आय (मुआवजा - 1606.24 लाख रुपए घटा भूमि की लागत 67.07 लाख रुपए) का लेखांकन किया है। इसके अलावा, चूंकि उक्त भूखंड भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाले बैंकरों के संघ के पास कार्यशील पूंजी के वित्तीय के प्रति समर्थक प्रतिभूति के रूप में बंधक था अत: कंपनी द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के सम्मुख अपने दिनांक 06.04.2022 के पत्र के माध्यम से पूर्व काल में इलेक्ट्रॉनिक सिटी, बेंगलूरू में स्थित भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा बीएमआरसीएल द्वारा किए जाने के बारे में प्रकटीकरण करके भूमि की स्थिति की ब्यौरा दिया है तथा कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) द्वारा बेंगलूरु मेट्रो रेल परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई 738 वर्गमीटर की भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाणपत्र की मांग की है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से इसके संबंध में कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है।				
कंपनी को के.आर.पुरम, बेंगलूरु में 1320 वर्गमीटर भूमि की बिक्री के लिए दक्षिण पश्चिम रेलवे (एसडब्ल्यूआर) से प्राप्त होने वाली मुआवजा राशि 2908.01 लाख रुपए है। कंपनी ने विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एसएलएओ), बेंगलूरु द्वारा निर्धारित दर के अनुसार वर्ष 2020-21 के लेखों में मुआवजा राशि का लेखांकन किया है। इसके अलावा, दक्षिण पश्चिम रेलवे की दिनांक 15.03.2023 की आयोजित बैठक में उप-पंजीयक के.आर. पुरम द्वारा उपरोक्त भूमि का दिशानिर्देश मूल्य 1172.16 लाख रुपए होना बताया गया है, जिसकी सूचना दिनांक 14.03.2023 के पत्र के माध्यम से दी गई है। तथापि, कंपनी द्वारा अपने दिनांक 08.05.2023 के पत्र संख्या आईटीआई/बीजीपी/एचआर/2021/8009 के माध्यम से दक्षिण पश्चिम रेलवे के दिनांक 14.03.2023 के पत्र में प्रस्तावित दर के प्रति अपनी अस्वीकृति सूचित की गई है तथा इसके संबंध में यह मामला उचित प्राधिकरण के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया गया है।				

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
टिप्पणी संख्या 24				
प्रयुक्त सामग्री की लागत				
आरंभिक स्टॉक	**7869.03**		8293.69	
जोड़े : पुनरीक्षण के कारण पूर्व अवधि समायोजन	**0.00**		0.00	
क्रय / स्थानांतरण	**11321.78**		16534.65	
स्थापना और अनुरक्षण के लिए सामग्री	**0.00**		0.00	
कुल		**19190.81**		**24828.34**
घटाएं :				
अंतिम स्टॉक	**10213.00**		8138.69	
राजस्व एवं अन्य को निर्गम	**604.92**		248.12	
सामग्री अन्य यूनिटों में स्थानांतरण	**(0.00)**		(0.00)	
कुल		**10817.92**		**8386.81**
जोड़ / भंडार से संबंधित भंडार अप्रत्यक्ष व्यय		**0.00**		0.00
उपभोग		**8372.89**		**16441.53**
मुख्य शीर्षक जिनके अंतर्गत कच्चे माल का खपत होता है विवरण				
विवरण				
1. इलेक्ट्रॉनिक माल और घटक	**7016.58**		14734.40	
2. एमएनआईसी	**0.16**		12.23	
कुल		**7016.74**		**14746.63**
सीआईएफ आधार पर आयातित वस्तुओं का मूल्य				
कच्चे माल और उत्पादन भंडार		**375.23**		349.64
घटक और अतिरिक्त पुर्जे		**0.00**		171.62
मार्गस्थ सामग्री		**0.00**		0.00
पूँजीगत माल		**0.00**		0.00
कुल		**375.23**		**521.25**
आयातित कच्चे माल का मूल्य, भंडार और अतिरिक्त पुर्जों की खपत और स्वदेशी वस्तुओं की खपत और कुल खपत में प्रत्येक की प्रतिशतता				
विवरण	**मार्च , 2024**	**%**	**मार्च,2023**	**%**
आयातित	**375.23**	**4.48**	521.25	3.17
स्वदेशी	**7997.66**	**95.52**	15920.27	96.83
कुल	**8372.89**	**100.00**	16441.53	100.00
टिप्पणी संख्या 25 (क)				
व्यापार में स्टॉक की खरीद				
मुख्य शीर्षक के तहत खरीदे गए सामान				
विवरण				
1. मिनी पीडीओ	**0.00**		0.00	
2. इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग उपस्कर/एसएमपीएस/एसएसटीपी	**0.00**		0.00	
3. एमएलएलएन	**0.00**		0.00	
4. इन्वर्टर ट्रॉली	**0.00**		0.00	
5. एनसीएम	**0.00**		0.00	
6. टेलीफोन	**0.00**		0.00	
7. जी-पॉन	**0.00**		0.00	
8. जॉब वार्क	**0.00**		0.00	
9. सोलर पैनल	**0.00**		0.00	
10. एसएमपीएस	**0.00**		0.00	
11.4 जी रेडियों	**0.00**		0.00	
12. जीएसएम फ्रेंचाइजी	**0.00**		0.00	

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
13. एनजीएन	**0.00**		0.00	
14. एनएफएस	**483.14**		572.86	
15. एस्कॉन	**0.00**		0.00	
16. रक्षा	**0.00**		0.00	
17. स्मार्ट ऊर्जा मीटर	**0.00**		0.00	
18. बीबीडब्ल्यूटी	**0.00**		0.00	
19. एचडीपीई पाइप	**0.00**		0.00	
20. ओएफसी	**0.00**		657.60	
21. महानेट	**907.16**		400.41	
22. वाईफाई हॉटस्पॉट	**0.00**		0.00	
23. गुजनेट	**0.00**		396.14	
24. बीएनजी	**0.00**		0.00	
25. डीडीओएस	**0.00**		0.00	
26. मिनी पीसी विनिर्माण/टैब पीसी	**0.00**		0.00	
27. सीसीएमएस	**0.00**		0.00	
28. जीएसएम पश्चिम क्षेत्र	**0.00**		0.00	
29. ओएनटी/ओएलटी	**0.00**		0.00	
30. एसएसटीपी	**0.00**		0.00	
31. एसटीएम	**0.00**		0.00	
32. एसईएम(एनईटी)	**0.00**		0.00	
33. मोबाइल शोरूम	**6.68**		40.89	
34. एमसीईयू	**0.00**		0.00	
35. वाईफ़ाई एस्सेस पाईंट	**0.00**		0.00	
36. आईपी इन्क्रीपटर एमएचए	**0.00**		0.00	
37. सोलर एलईडी स्ट्रीट लाईट	**4195.44**		0.00	
38. फेस शील्ड/ सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन	**0.00**		3.59	
39. स्मार्ट पार्सल डिलीवरी सिस्टम	**0.00**		0.00	
40. घटक स्क्रीनिंग वीएसएससी	**0.00**		0.00	
41. स्मार्ट कार्ड	**0.00**		0.00	
42. वेंटीलेटर / मेडिकल डिवाइस	**0.00**		0.00	
43. यूएसओएफ भारत नेट प्रोजेक्ट	**0.00**		13.39	
44. टैनफिनेट	**0.00**		7259.73	
45. आईएएफ डाटा सेंटर का उन्नयन	**0.00**		0.00	
46. आईएएफ 4जी एलटीई	**1481.13**		9158.71	
47. एस्कॉन चरण IV	**0.00**		4759.19	
48. ऐयरटेल एफटीटीएच रोल आउट	**0.00**		0.00	
49. भारतनेट अंडामान और निकोबार	**0.00**		0.00	
50. एफएमएस-एमसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी	**0.00**		202.70	
51. सीसीटीवी	**306.63**		0.00	
52. पीओएलईएस	**0.00**		553.53	
53. इंस्टालेशन ट्रेडिंग ओएमसी	**40.23**		0.00	
54. 3 डी प्रिंटिग	**0.00**		0.00	
55. अनुबंध विनिर्माण	**0.00**		0.00	
56. आईटी कंप्यूटर सहायक उपकरण	**3626.60**		1080.02	
57. अन्य राज्य सरकार	**408.42**		1669.02	
58. अन्य	**24181.12**		569.41	
कुल		**35636.55**		**27337.18**

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
टिप्पणी संख्या 25 (ख)				
स्थापना और रखरखाव शुल्क				
मुख्य शीर्ष के अंतर्गत सेवा व्यय :				
1. एसएसटीपी एएमसी	**7.56**		11.75	
2. टेलीकॉम टेस्टिंग एव लैब	**0.00**		0.00	
3. स्मार्ट पार्सल सर्वीसेस	**0.00**		0.00	
4. डाटा सेंटर	**2421.89**		2091.81	
5. कौशल विकास	**20.76**		27.71	
6. एसडब्ल्यूएएन	**0.00**		0.00	
7. जीएसएम	**4057.02**		5216.19	
7क. जीएसएम एएमसी (जीएसटी टर्नओवर)	**0.00**		0.00	
8. एनएफएस	**3209.78**		6388.00	
9. जी-पॉन आई एंड सी	**607.76**		513.26	
10. एस्कॉन एएमसी	**0.00**		594.21	
11. रक्षा एएमसी	**0.00**		0.00	
12. एनजीएन एएमसी	**207.32**		312.22	
13. बीबीडब्ल्यूटी	**0.00**		0.00	
14. महानेट बिल रहित	**0.00**		24084.32	
14क. महानेट (जीएसटी टर्नओवर)	**1976.72**		0.00	
15. वाई-फाई हॉटस्पॉट	**294.28**		0.00	
16. गुजनेट	**4939.03**		4344.63	
17. बीएनजी	**383.23**		383.23	
18. डीडीओएस	**326.56**		425.35	
19. एमएलएलएन एएमसी	**606.53**		435.08	
20. सीसीएमएस एएमसी	**68.04**		71.55	
21. ई-निविदा	**334.34**		1235.29	
22. एफएमएस-एमसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी	**2456.26**		2462.69	
23. एसएमपीएस	**150.18**		60.71	
24. यूएसओएफ भारत नेट प्रोजेक्ट	**458.31**		482.13	
25. जीएसएम पश्चिम क्षेत्र	**0.00**		0.00	
26. वाईफ़ाई एस्सेस पाईंट	**0.00**		0.00	
27. एसडब्ल्यूएम-आईसीटी- अपशिष्ट प्रबंधन	**8006.00**		298.58	
28. आईएएफ डाटा सेंटर का उन्नयन	**0.00**		0.00	
29. जियो फेंसिंग प्रोजेक्ट	**634.26**		222.51	
30. घटक स्क्रीनिंग वीएसएससी	**0.00**		613.75	
31. आईटी-वेब पोर्टल	**0.00**		377.44	
32. ओएमसी एएमसी	**364.81**		294.09	
33. टैनफिनेट	**4305.35**		2034.73	
34. आईएएफ 4जी एलटीई	**0.00**		0.00	
35. फाइबर नेटवर्क	**0.21**		0.00	
36. रेलवे	**514.25**		126.69	
37. एनएमएस	**51.16**		51.16	
38. ई-गवर्नेंस/ई-सेवा	**1.85**		0.00	
39. ओसीबी एएमसी	**0.00**		0.00	
40. टीपीए	**0.00**		0.00	
41. आधार बिजनेस/एसएएएस	**286.47**		4.58	
42. विश्वसनीयता प्रयोगशाला	**0.00**		0.00	
43. ऐयरटेल एफटीटीएच रोलआउट	**156.80**		1077.18	
44. भारतनेट अंडामान और निकोबार	**27.71**		0.00	
45. सीसीटीवी सर्वीसेस	**2403.39**		876.54	
46. सर्वेक्षण कार्य	**0.00**		0.00	
47. एस्कॉन फेज़ – IV	**14809.53**		17709.90	
48. एसएएएस	**176.10**		123.18	
49. अनुबंध विनिर्माण	**82.68**		0.00	
50. एमएलएलएन आईएंडसी	**0.00**		4.38	
51. अन्य एएमसी	**4995.77**		4404.84	
52. अन्य	**12497.43**		305.08	
कुल		**71839.34**		**77664.74**

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
टिप्पणी संख्या 26				
तैयार माल की वस्तु सूची में परिवर्तन, प्रक्रियाधीन कार्य और व्यापार में स्टॉक				
प्रक्रियाधीन कार्य में वृद्धि / (ह्रास)				
प्रक्रियाधीन – उत्पादन :				
इति शेष	**5940.16**		5594.97	
घटाएं : अथ शेष	**5594.97**		6902.72	
कुल	**345.19**		**(1307.75)**	
जोड़े : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	**0.00**		0.00	
घटाएं : मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप	**0.00**		0.00	
कुल		**345.19**		**(1307.75)**
प्रक्रियाधीन कार्य – संस्थापन :				
इति शेष	**0.00**		0.00	
घटाएं : अथ शेष	**0.00**		0.00	
कुल	**0.00**		**0.00**	
जोड़े : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	**0.00**		0.00	
घटाएं : मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**
विनिर्मित घटकों में वृद्धि / (ह्रास)				
इति शेष	**4403.41**		4900.12	
घटाएं : अथ शेष	**4900.12**		4270.98	
कुल	**(496.71)**		**629.13**	
जोड़े : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	**0.00**		0.00	
घटाएं : मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप	**0.00**		0.00	
कुल		**(496.71)**		**629.13**
प्रक्रियाधीन कार्य – संस्थापन :				
इति शेष	**0.00**		0.00	
घटाएं : अथ शेष	**0.00**		0.00	
कुल	**0.00**		**0.00**	
जोड़े : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	**0.00**		0.00	
घटाएं : मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप/ संस्थापन में प्रभाव	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**
स्टॉक-इन-ट्रेड में वृद्धि / (ह्रास)				
व्यापार में स्टॉक:				
इति शेष	**3958.84**		6431.14	
घटाएं : अथ शेष	**6431.14**		2429.75	
कुल	**(2472.30)**		**4001.40**	
जोड़े : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	**98.20**		0.00	
घटाएं : मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप	**0.00**		0.00	
कुल		**(2374.10)**		**4001.40**
रद्दी का स्टॉक				
इति शेष	**0.00**		0.00	
घटाएं : अथ शेष	**0.00**		0.00	
जोड़े : पूर्व अवधि समायोजन	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**
कुल योग		**(2525.62)**		**3322.78**

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
टिप्पणी संख्या 27				
कर्मचारी हित पर व्यय				
i) वेतन और मजदूरी :				
वेतन और मजदूरी	**16724.09**		17162.32	
घटाएं : अन्य राजस्व लेखा	**0.00**		0.00	
कुल	**16724.09**		**17162.32**	
बोनस	**15.32**		5.38	
वेतन संशोधन बकाया भुगतान	**0.00**		0.00	
प्रोत्साहन	**7.45**		10.55	
कुल		**16746.86**		**17178.25**
ii) भविष्य निधि और अन्य निधियों को कंपनी का अंशदान :				
भविष्य निधि और पेंशन निधि	**1918.56**		1881.52	
कर्मचारी राज्य बीमा	**11.22**		18.94	
उपदान न्यास निधि	**1640.31**		1433.52	
छुट्टी वेतन - पीएल	**1470.48**		843.78	
रुग्ण अवकास	**4.78**		5.96	
जमा बद्ध बीमा / ग्रुप बीमा	**18.32**		22.26	
कुल		**5063.67**		**4205.98**
iii) कर्मकार और कर्मचारी कल्याण व्यय				
कल्याण व्यय – कैंटीन	**308.69**		300.24	
कल्याण व्यय – शिक्षा	**3.68**		3.73	
चिकित्सा व्यय	**479.79**		546.76	
एलटीसी / एलएलटीसी	**9.40**		57.76	
वर्दी	**0.18**		1.84	
अन्य	**567.90**		341.63	
कुल		**1369.64**		**1251.96**
iv) स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति योजना				
वीआरएस भुगतान		**(0.58)**		250.94
v) बीमांकिक लाभ/(हानि)		**0.00**		0.00
कुल योग		**23179.60**		**22887.13**
संबंधित पार्टी लेनदेन				
प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों - वेतन और परिलब्धियाँ				
नाम		**मार्च, 2024**		**मार्च, 2023**
श्री राजेश राय – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक		**39.97**		4.12
श्री आर एम अग्रवाल – पूर्व, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक		**0.00**		8.87
श्री राजीव श्रीवास्तव – निदेशक-वित्त		**28.88**		24.22
श्री रमण बाबू – निदेशक- विपणन		**8.21**		0.00
श्री राकेश चंद्र तिवारी – पूर्व- निदेशक विपणन		**35.28**		45.98
श्रीमती एस जेयंति-निदेशक (उत्पादन)/ (मानव संसाधन – अतिरिक्त प्रभार)		**25.88**		2.04
श्री वेंकटेश्वरलू – पूर्व, निदेशक (उत्पादन)		**0.00**		42.07
श्रीमती आर वसंती- पूर्व, निदेशक(उत्पादन) – अतिरिक्त प्रभार		**3.31**		2.04
श्रीमती शालिनी घटक-कंपनी सचिव- 06.07.2023 से प्रभावी		**8.41**		0.00
श्रीमती शनमुगा प्रिया – पूर्व, कंपनी सचिव		**0.00**		16.20

भारतीय लेखाकरण मानक 19 के अंतर्गत प्रकटीकरण रिपोर्ट

परिभाषित लाभ योजना

ट्रस्ट द्वारा कर्मचारियों की उपदान निधि योजना परिभाषित लाभ योजना है । दायित्व का वर्तमान मूल्य बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है । अवकाश नकदीकरण का दायित्व को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है जो कि अपव्ययी है । (लाख रुपए में) लाख रुपए में

		उपदान		विशेषाधिकार अवकाश		रुग्न अवकाश	
I परिणाम का सारांश							
क्र.सं.	**परिसंपत्ति / देयता**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	**13,645**	16,729	**7,169**	7,776	**44**	31
ख)	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**126**	124	**0**	0	**0**	0
ग)	प्रावधान के रूप में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल संपत्ति / (देयता)	**-13,519**	-16,605	**-7,169**	-7,776	**-44**	-31
II बीमांकिक और जनसांख्यिकीय धारणा							
क्र.सं.	**विवरण**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**
क)	छूट दर	**7.21**	7.18	**7.21**	7.18	**7.21**	7.18
ख)	भविष्य में वेतन वृद्धि	**5.36**	2.75	**5.36**	2.75	**5.36**	2.75
ग)	उम्र के संघर्षण	**6.90**	12.35	**6.90**	12.35	**6.90**	12.35
III योजना दायित्व							
	समाप्त तिथि	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**
क)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**13,645**	16,729	**7,169**	7,776	**44**	31
IV सेवा लागत							
क्र.सं.	**विवरण**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**
क)	वर्तमान सेवा लागत	**448**	526	**637**	537	**3**	3
ख)	पिछली सेवा लागत में कटौती लाभ / हानि शामिल	**0**	0	**0**	0	**0**	0
ग)	गैर दिनचर्या निपटान पर लाभ या हानि	**0**	0	**0**	0	**0**	0
घ)	कुल सेवा लागत	**448**	526	**637**	537	**3**	3
V निवल ब्याज लागत							
क्र.सं.	**विवरण**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**
क)	परिभाषित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	**1201**	1030	**558**	450	**2**	3
ख)	योजना परिसंपत्ति पर ब्याज आय	**9**	122	**0**	0	**0**	0
ग)	निवल ब्याज लागत (आय)	**1192**	907	**558**	450	**2**	3
VI लाभ दायित्व में परिवर्तन							
क्र.सं.	**विवरण**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**
क)	अवधि की प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**16729**	15007	**7776**	6565	**31**	50
ख)	अधिग्रहण समायोजन	**0**	0	**0**	0	**0**	0
ग)	ब्याज लागत	**1201**	1030	**558**	450	**2**	3
घ)	सेवा लागत	**448**	526	**637**	537	**3**	3
ङ)	पिछली सेवा लागत में कटौती लाभ / हानि शामिल	**0**	0	**0**	0	**0**	0
च)	लाभ का भुगतान	**-6010**	-2725	**-2652**	-2915	**0**	0
छ)	दायितत्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	**1277**	2891	**849**	3139	**8**	-24
ज)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**13645**	16729	**7169**	7776	**44**	31

भारतीय लेखाकरण मानक 19 के अंतर्गत प्रकटीकरण रिपोर्ट (जारी)...

		उपदान		विशेषाधिकार अवकाश		रुग्न अवकाश	
VII दायित्व पर वास्तविक लाभ / हानि का विभाजन							
क्र.सं.	**विवरण**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**
क)	जनसांख्यिकीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	**-207**	568	**-147**	349	**-1**	2
ख)	वित्तीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि	**494**	112	**505**	111	**3**	0
ग)	अनुभव समायोजन होने पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	**990**	2211	**491**	2679	**6**	-27
VIII परिसंपत्ति योजना पर बीमांकिक लाभ/हानि							
क्र.सं.	**विवरण**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**
क)	अपेक्षित ब्याज आय	**9**	122	**0**	0	**0**	0
ख)	योजना संपत्ति पर वास्तविक आय	**22**	49	**0**	0	**0**	0
ग)	वर्ष के संपत्ति पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	**13**	-73	**0**	0	**0**	0
IX तुलन पत्र और संबंधित विश्लेषण							
क्र.सं.	**विवरण**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**
क)	अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**13,645**	16,729	**7,169**	7,776	**44**	31
ख)	योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	**126**	124	**0**	0	**0**	0
ग)	तुलन पत्र में अपव्यी दायित्व / प्रावधान	**-13,519**	-16,605	**-7,169**	-7,776	**-44**	-31
X आय विवरण में मान्यता प्राप्त राशि							
क्र.सं.	**विवरण**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**
क)	कुल सेवा लागत	**448**	526	**637**	537	**3**	3
ख)	निवल ब्याज लागत	**1,192**	907	**558**	450	**2**	3
ग)	अवधि में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ) / हानि	**0**	0	**849**	3,139	**8**	-24
घ)	आय विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	**1,640**	1,434	**2,045**	4,127	**12**	-19
XI अन्य व्यापक आय (ओसीआई)							
क्र.सं.	**विवरण**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**
क)	निवल संचयी न पहचाना गया लाभ/(हानि) खोलना	**0**	0	**0**	0	**0**	0
ख)	पीबीओ पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	**-1,277**	-2,891	**0**	0	**0**	0
ग)	परिसंपत्ति पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	**13**	-73	**0**	0	**0**	0
घ)	वर्ष में न पहचाना गया बीमांकिक लाभ/(हानि)	**-1,264**	-2,964	**0**	0	**0**	0
XII परिसंपत्ति योजना में परिवर्तन							
क्र.सं.	**विवरण**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**
क)	अवधि की शुरुआत में योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	**124**	1781	**0**	0	**0**	0
ख)	योजना संपत्ति पर वास्तविक वापसी	**22**	49	**0**	0	**0**	0
ग)	नियोक्ता योगदान	**5,990**	1019	**0**	0	**0**	0
घ)	लाभ का भुगतान	**-6,010**	-2,725	**0**	0	**0**	0
ङ)	अवधि के अंत में योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	**126**	124	**0**	0	**0**	0

भारतीय लेखाकरण मानक 19 के अंतर्गत प्रकटीकरण रिपोर्ट (जारी)...

	उपदान		विशेषाधिकार अवकाश		रुग्न अवकाश	

XIII योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियाँ (कुल योजना परिसंपत्तियों का प्रतिशत)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
क)	भारत सरकार की प्रतिभूतियों	**0**	0	**0**	0	**0**	0
ख)	राज्य सरकार की प्रतिभूतियों	**0**	0	**0**	0	**0**	0
ग)	उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड	**0**	0	**0**	0	**0**	0
घ)	सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	**0**	0	**0**	0	**0**	0
ङ)	परिसंपत्ति	**0**	0	**0**	0	**0**	0
च)	बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित धन	**100%**	100%	**0**	0	**0**	0
छ)	बैंक शेष	**0**	0	**0**	0	**0**	0
	कुल	**100%**	100%				

XIV निवल परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन योजना

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
क)	अवधि की शुरुआत में निवल परिभाषित लाभ देयता	**16,605**	13,227	**7,776**	6,565	**31**	50
ख)	अधिग्रहण समायोजन	**0**	0	**0**	0	**0**	0
ग)	कुल सेवा लागत	**448**	526	**637**	537	**3**	3
घ)	निवल ब्याज लागत (आय)	**1,192**	907	**558**	450	**2**	3
ङ)	पुनः माप	**1,264**	2,964	**849**	3,139	**8**	-24
	खोलने में अंतर	**0**	0	**0**	0	**0**	0
च)	निधि के लिए योगदान का भुगतान	**-5,990**	-1,019	**-2,652**	-2,915	**0**	0
छ)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान लाभ	**0**	0	**0**	0	**0**	0
ज)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता	**13,519**	16,605	**7,169**	7,776	**44**	31

XV चालू और गैर-चालू वर्ष के अंत में पीबीओ का विभाजन

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
क)	चालू देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	**4300**	5972	**1,931**	2,665	**2**	2
ख)	गैर-चालू देयता (एक वर्ष से अधिक की देय राशि)	**9345**	10758	**5238**	5112	**42**	30
	वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	**13,645**	16,729	**7,169**	7,776	**44**	31

XVI अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित योगदान

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
क)	सेवा लागत	**504**	517	**561**	427	**42**	14
ख)	निवल ब्याज लागत	**975**	1192	**517**	558	**3**	2
ग)	अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित व्यय	**1478**	1,709	**1,078**	985	**46**	16

XVII परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता विश्लेषण।

क)	वेतन वृद्धि में परिवर्तन का असर	31.03.2024	31.03.2024	31.03.2024
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**13,645**	**7,169**	**44**
क)	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	**-161**	**-117**	**-1**
ख)	0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	**167**	**123**	**1**

ख)	वेतन वृद्धि में परिवर्तन का असर			
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**13,645**	**7,169**	**44**
क)	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	**111**	**124**	**1**
ख)	0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	**-111**	**-120**	**-1**

भारतीय लेखाकरण मानक 19 के अंतर्गत प्रकटीकरण रिपोर्ट (जारी)...

XVIII परिभाषित लाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफ़ाइल।

क्र.सं.	वर्ष	राशि	राशि	राशि
क)	0 से 1 वर्ष	4,300	1,931	2
ख)	1 से 2 वर्ष	3,169	1,570	21
ग)	2 से 3 वर्ष	2,344	1,179	9
घ)	3 से 4 वर्ष	1,324	726	5
ङ)	4 से 5 वर्ष	895	527	2
च)	5 से 6 वर्ष	414	254	1
छ)	6 साल बाद	1,199	982	4

XIX परिणाम का सारांश

		छुट्टी यात्रा रियायत	
क्र.सं.	**परिसंपत्ति / दायित्व**	**31.03.2024**	**31.03.2023**
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	**152**	171
ख)	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**0**	0
ग)	प्रावधान के रूप में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल परिसंपत्तियाँ / (दायित्व)	**-152**	-171

XX बीमांकिक एवं जनसांख्यिकीय धारणाएँ

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024	31.03.2023
क)	छूट दर	**7.21**	7.18
ख)	भविष्य में वेतन वृद्धि	**5.36**	2.75
ग)	उम्र के संघर्षण	**6.90**	12.35

XXI बीमांकिक मूल्य

	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**152**	171

XXII कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची III के अनुसार वर्ष के अंत में पीबीओ का विभाजन

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024	31.03.2023
क)	चालू देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	**43**	64
ख)	गैर-चालू देयता (एक वर्ष से अधिक की देय राशि)	**109**	107
ग)	वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	**152**	171

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
टिप्पणी संख्या 28				
वित्तपोषण लागत				
i) व्याज व्यय :				
नकद ऋण	**17514.15**		14422.22	
सार्वजनिक जमा	**0.00**		0.00	
बांड	**0.00**		0.00	
अवधि ऋण	**0.00**		0.00	
अन्य*	**3030.54**		3720.67	
ii) बैंक प्रभार	**3594.15**		2785.67	
iii) सरकारी गारंटी शुल्क	**0.00**		0.00	
iv) बांड / ऋण जारी करने में व्यय	**0.00**		0.00	
v) विदेशी मुद्रा अनुवाद और लेनदेन से निवल लाभ/हानि	**0.00**		29.85	
कुल		**24138.84**		**20958.40**
**पीएफ से ट्रस्ट में विलंबित भुगतान पर ब्याज सहित अन्य ब्याज व्यय।				
टिप्पणी संख्या 29				
मूल्यह्रास और ऋणमुक्ति व्यय :				
स्थाई परिसंपत्ति	**5312.25**		4946.02	
औजर और गेज	**0.00**		3.82	
कुल	**5312.25**		**4949.84**	
घटाएं : पूनर्मूल्यांकन आरक्षित से स्थानांतरण	**0.00**		0.00	
निवल मूल्यह्रास		**5312.25**		**4949.84**
टिप्पणी संख्या 30				
अन्य व्यय				
डीआरई बट्टे खाते में डाले गए		**0.00**		0.00
वीआरएस व्यय		**0.00**		0.00
विनिर्माण व्यय :				
भंडार और पुर्जों की खपत		**23.87**		9.57
पावर और लाइट		**1831.81**		1849.09
जल प्रभार		**348.00**		333.66
उत्पाद शुल्क		**0.00**		0.00
रखरखाव और मरम्मत :				
i) प्लांट मशीनरी और उपस्कर	**135.83**		270.71	
ii) वाहन	**27.97**		88.84	
iii) भवन	**1134.81**		877.03	
iv) अन्य उपस्कर	**202.35**	**1500.96**	158.29	1394.87
लागत और औजारों पर व्यय		**0.00**		0.00
प्रयोगात्मक कार्य और प्रशिक्षण पर व्यय		**6.83**		6.78
लघु उपस्कर और कार्य पर व्यय		**3.70**		0.75
रॉयल्टी		**0.00**		884.61
आग के कारण स्टॉक का नुकसान		**0.00**		88.25
स्क्रैप और निस्तारण		**0.00**		0.00
फैक्ट्री व्यय		**1105.84**		926.29

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
टीओटी प्रभार				
i) तकनीकी सहायता	**0.00**		0.00	
ii) तकनीकी जानकारी शूल्क	**0.00**		0.00	
iii) प्रलेखन प्रभार	**0.00**		0.00	
iv) प्रशिक्षण सहायता	**0.00**		0.00	
v) अन्य	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
परिनिर्धारित नुकसानी		**5478.15**		1246.75
विलंब शुल्क		**0.00**		0.67
विदेशी मुद्रा अनुवाद और संचालन में निवल लाभ / हानि (वित्त लागत के रूप में माने जाने के अलावा)		**0.00**		0.00
कुल विनिर्माण व्यय		**10299.18**		**6741.28**
प्रशासनिक व्यय :				
किराया	**130.50**		154.69	
दर और कर	**873.66**		1056.47	
बीमा	**111.91**		129.75	
यात्रा व्यय				
अंतर्देशीय	**420.91**		562.09	
विदेशी	**0.00**		0.00	
डाक, टेलीग्राम, टेलेक्स व्यय	**25.46**		25.61	
टेलीफोन और ट्रंक-कॉल देय	**63.67**		44.24	
लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक				
लेखापरीक्षा शुल्क	**22.01**		27.04	
कराधान मामले के लिए	**3.30**		1.50	
कंपनी कानून मामलों के लिए	**0.00**		0.00	
प्रबंधन सेवाओं के लिए	**0.00**		0.00	
प्रतिपूर्ति व्यय के लिए	**1.20**		1.18	
अन्य सेवाओं के लिए	**3.35**		1.33	
कानूनी शुल्क	**178.51**		135.76	
अन्य व्यावसायिक शुल्क	**186.94**		264.36	
सीआईएसएफ / निजी सुरक्षा व्यय	**1121.86**		1002.28	
मुद्रण और स्टेशनरी और नकल प्रभार	**47.26**		64.94	
परिवहन व्यय	**293.18**		291.40	
समाचार पत्र, पत्रिका और पत्र-पत्रिकाएं	**9.68**		14.70	
यंत्रीकृत लेखा व्यय	**0.11**		2.40	
पट्टा शुल्क	**0.00**		0.00	
लाइसेंस शुल्क / खण्ड प्रभार	**1.72**		2.40	
सीएसआर व्यय	**2.00**		16.64	
अनुवर्ती सार्वजनिक अधिकारी (एफपीओ) पर व्यय	**0.00**		0.00	
कार्यालय व्यय	**629.85**		580.43	
आरएम स्टोर्स के अप्रचलन के लिए प्रावधान	**453.26**		0.00	
अप्रचलित आरएम और प्रोडक्शन स्टोर को बट्टे खाते में डाले गए	**2.28**		0.00	
प्रक्रियादीन पूंजीगत कार्य को बट्टे खाते में डालने का प्रावधान	**0.00**		0.00	
देनदार / अग्रिम के लिए प्रावधान	**150.64**		2639.38	
अशोध्य ऋण को बट्टे खाते में डाले गए	**271.56**		0.78	

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
दावे एवं व्यय बंद प्रभारी	**664.20**		20.47	
परिसंपत्तियों की बिक्री के कारण हानि	**112.20**		0.00	
जुर्माना और विलंब शुल्क	**71.44**		17.35	
वहन राशि निवेश का समायोजन	**0.00**		0.00	
निवेशों की बिक्री पर निवल घाटा	**2.63**		0.00	
कुल प्रशासन व्यय		**5855.29**		**7057.17**
<u>ग. विक्रय व्यय</u>				
विक्रय एजेंसी कमीशन	**23.31**		4.11	
विज्ञापन व्यय	**9.23**		16.98	
प्रदर्शनी और प्रचार व्यय	**26.98**		9.64	
पैकिंग व्यय	**1.10**		6.70	
अग्रेषण व्यय	**510.93**		53.68	
प्रदत्त छूट	**0.00**		0.00	
आश्वस्ति व्यय	**0.01**		0.00	
विक्रय बढ़ोतरी व्यय	**0.03**		0.00	
मनोरंजन व्यय	**(14.55)**		1.56	
निविदा प्रपत्र की लागत	**2.56**		1.84	
कुल विक्रय व्यय		**559.60**		**94.51**
कुल अन्य व्यय		**16714.07**		**13892.97**
बैक-टू-बैक व्यवस्था होने की दशा में, परिनिर्धारित नुकसान की गणना निवल आधार पर की जाएगी।				
<u>विदेशी मुद्रा में व्यय :</u>				
रॉयलटी	**0.00**		0.00	
जानकारी	**0.00**		0.00	
वृत्तिक / परामर्श शुल्क	**0.00**		0.00	
ब्याज	**0.00**		0.00	
अन्य	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (जारी)...

अतिरिक्त प्रकटीकरण

विवरण

टिप्पणी संख्या 31

1 **निगमित सूचना :**

आईटीआई लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसका निगमन कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत हुआ था। कंपनी का मूल व्यवसाय दूरसंचार उपकरणों का विनिर्माण, बिक्री एवं सर्विसिंग तथा इन्टरनेट प्रोटोकोल (आईपी)/मल्टी प्रोटोकोल लेबल स्विचिंग लेबल स्विचिंग (एमपीएलएस) प्रौद्योगिकी, ऑप्टिकल फाइबर केवल (ओएफसी), माइक्रोवेव रेडियो तथा सेटेलाइट चैनलों के उपयोग से संचार नेटवर्क अवसंरचना का निर्माण करना है। इसके अलावा कंपनी टर्नकी अनुबंधों / समाधान के कार्य तथा ग्राहक की आवश्यकता के अनुरूप समर्थन सेवाएं भी प्रदान करती है।

2 16500 लाख रुपये की राशि 2014-2015 के दौरान वेतन संशोधन बकाया राशि दूरसंचार विभाग(डीओटी), भारत सरकार से प्राप्त हुआ है। 15493.72 लाख रुपये का भुगतान वेतन संशोधन बकाया राशि के रुप में और शेष राशि 1006.06 लाख रुपये का मौजूदा देनदारियों के तहत रखा गया है।

3 लेनदारों, देनदारों के खातों में शेयर राशियाँ, ग्राहकों से अग्रिम, कुछ बैंक खाते, वसूली योग्य दावे, ऋण और अग्रिम, फैब्रिकेटरों, उप-ठेकेदार / अन्य के पास सामग्री, मार्गस्थ सामग्री, जमा राशियों, ऋण, जीएसटी, जमा और अन्य देनदारियों जो पुष्टि / समाधान के अधीन हैं। हालांकि प्रबंधन की राय में, यदि सामान्य व्यवसाय के दौरान महसूस किया गया हो, व्यापार प्राप्तियाँ, मौजूदा संपत्ति, ऋण और अग्रिम के रूप में व्यक्त किए गए है।

4 प्रबंधन के मतानुसार, निष्पादन की जा रही, पर्याप्त लाभ वाली 1192700 लाख रुपए की विद्यमान ऑर्डर बुक के उच्चतर मूल्य, अगले 12 महीनों में अनुबंध के लक्ष्यों की पूर्ति करके 217468 लाख रुपए के बिल न किए गए राजस्व को बिल किए गए राजस्व / प्राप्ति में परिवर्तित किए जाने की प्रबल संभावना, बिल किए गए बकायों की वसूली, वसूली प्रक्रियाओं में तेजी लाना, भारत सरकार से प्राप्त हो रही निरंतर सहायता के साथ साथ कंसोर्टियम बैंकों से कार्यशील पूंजी ऋण की पर्याप्त स्वीकृति गोइंग कंसर्न आधार पर लेखांकन किए जाने का पर्याप्त आधार है।

5 कंपनी मुख्य रूप से विनिर्माण, व्यापार और दूरसंचार उपकरणों की सर्विसिंग के कारोबार और सहायक सेवाओं के प्रतिपादन के व्यवसाय में लगी हुई है और अलग से रिपोर्ट करने योग्य कोई खंड नहीं है। कंपनी को मुख्य रूप से एक ही भौगोलिक क्षेत्र के रूप में माना जाता है, जो भारत में काम कर रही है। कंपनी रक्षा परियोजनाओं में भी लगी हुई है। भारतीय लेखांकन मानक ('इंडएस 108) के भावार्थ के अनुसार कंपनी का निदेशक मंडल, सामूहिक रूप से, कंपनी का 'मुख्य परिचालन निर्णय निर्धारक' अथवा 'सीओडीएम' है। कंपनी द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि इंडएएस 108 के भावार्थ में रिपोर्ट किए जाने योग्य ऐसा कोई परिचालनात्मक घटक नहीं हैं जिसकी राजस्व स्वीकृति समान प्रकार के अनुबंधों से की गई हो। इसके अलावा, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अपनी दिनांक 23.02.2018 की अधिसूचना के माध्यम से रक्षा उत्पादन करने वाली कंपनियों को घटक रिपोर्टिंग की अपेक्षाओं से छूट प्रदान की गई है। कंपनी का यह मत है कि कंपनी कुछ रक्षा परियोजनाओं का निष्पादन कर रही है तथा इस प्रकार यह छूट कंपनी के संबंध में लागू है तथा तदनुसार लागू लेखांकन मानक के अंतर्गत अपेक्षित सूचना की प्रस्तुति नहीं की गई है।

6 **क) संबंधित पार्टी प्रकटीकरणों पर लेखाकरण मानक (इंड एएस)24 के अनुसार इंडिया सेटकॉम लि.(आईएसएल) – इन संयुक्त उद्यम कंपनियों के साथ निम्न लेन-देन किए गए।**

लाख रुपए में

	31.03.2024	31.03.2023
माल सेवाओं का खरीद	-	-
माल सेवाओं का विक्रय	-	-
बकाया रकम :		
- संबंधित पार्टी से देय	-	-
- संबंधित पार्टी को देय	-	-
संबंधित पार्टी से संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	-	-
वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि	-	-
ख) कुंजी प्रबंधन कर्मियों को प्रतिपूर्ति भुगतान किया गया। (इंड एएस-24 यथा अपेक्षित)		
श्री राजेश राय-अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**39.97**	4.12
श्री आर एम अग्रवाल – पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	-	8.87
श्री राजीव श्रीवास्तव – निदेशक-वित्त	**28.88**	24.22
श्री रमण बाबू – निदेशक विपणन	**8.21**	-
श्री राकेश चंद्र तिवारी-पूर्व-निदेशक विपणन	**35.28**	45.98
श्रीमती एस जेयंति – निदेशक (उत्पादन) (अतिरिक्त प्रभार-मानव संसाधन)	**25.88**	2.04
श्री वेंकटेश्वरलू – पूर्व-निदेशक (उत्पादन)	-	42.07
श्रीमती आर वसंती- पूर्व निदेशक (उत्पादन) अतिरिक्त प्रभार	**3.31**	2.04
श्रीमती शालिनी घटक-कंपनी सचिव 06.07.2023 से प्रभावी	**8.41**	-
श्रीमती शनमुगा प्रिया – पूर्व, कंपनी सचिव	-	16.20

7

आय प्रति शेयर (प्रचालन जारी रखने के लिए):	**31.03.2024**	31.03.2023
कर पूर्व लाभ	**-56906.15**	-36009.64
(-) अधिमान लाभांश	**0.00**	0.00
लाभांश कर	**0.00**	0.00
इक्विटी शेयरधारकों को उपलब्ध लाभ	**-56906.15**	-36009.64
वर्ष के प्रारंभ में शेयरों की संख्या	**949577352**	933522869
वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या	**960886938**	949577352
अवधि के दौरान शेयरों का भारित औसत संख्या	**959620017**	944488639
आय प्रति इक्विटी शेयर (प्रचालन जारी रखने के लिए) बेसिक और तनुकृत (रु. में)	**-5.93**	-3.81

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (जारी)...

8 चूँकि कंपनी की पर्याप्त भावी कर योग्य आय की कोई यथार्थ अवधारणा नहीं है, भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस)-12 के अंतर्गत अनवशोषित मूल्यह्रास और कंपनी के अग्रेषित हानि पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों को नहीं लिया जा रहा है।

9 **संयुक्त उद्यम:**

इंड एएस 28 के अनुसार संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग:

(क) इंडिया सैटकॉम लिमिटेड सं.2, काडुगोडी इंडस्ट्रियल एरिया, व्हाईट फिल्ड, बेंगलूरु-560067 कर्नाटक-भारत	**31.03.2024**	31.03.2023
कंपनी की इक्विटी भागीदारी	**49.06%**	49.06%
संयुक्त उद्यम के निगमीकरण का स्थान-जे.वी, भारत		

10 क) पूँजी खाते में निष्पादन के लिए शेष संविदाओं की प्राक्कलित राशि जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिम का निवल) **1,001.84** 2,033.31

ख) अन्य संविदाओं के संबंध में प्रतिबद्धता नहीं दी गई। - -

11 **आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं**

(क) कंपनियों के खिलाफ दावों को कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	**31.03.2024**	31.03.2023
- बकाया साखपत्र एवं गारंटी	**191,074.42**	132,149.64
- बकाया कर		
----- मुक़दमे		
----------प्रत्यक्ष कर मामले	**691.72**	691.72
----------अप्रत्यक्ष कर मामले	**21,242.07**	13,371.38
-----अन्य कर बकाया		
----------प्रत्यक्ष कर मामले	**212.31**	177.51
----------अप्रत्यक्ष कर मामले	**5,634.01**	5,915.37
- अन्य दावे – मुक़दमे	**27,821.35**	27,718.38
- अन्य दावे – अन्य	**54.80**	18.20

i) कंपनी के प्रति किए दावों की स्वीकृति ऋण के रूप में नहीं की गई है, जिसमें मैसर्स अल्फ़ियन कॉर्पोरेशन द्वारा दावा की गई 17075.79 लाख रुपए की राशि शामिल है, कंपनी को जीपॉन से संबंधित बैक-टू-बैक आधारित अनुबंध के प्रति बीएसएनएल से वसूली करनी है।

ii) कंपनी को बीबीएमपी से वर्ष 2008-09 से 2023-24 तक के लिए 7938.21 लाख रुपए की संपत्ति कर की मांग प्राप्त हुई है, जिसे एकमुश्त निपटान के रूप में जमा किया जाना है। तथापि, कंपनी ने बीबीएमपी से इस आधार पर मांग राशि में संशोधन किए जाने की अपील की है, कि यह कंपनी बीआईएफआर की पुनरुद्धार योजना के अंतर्गत एक रूग्न उद्योग है तथा यह छूट प्राप्त करने की पात्र है।

(iii) कंपनी को बीएसई/एनएसई से स्वतंत्र निदेशकों/महिला निदेशकों की पर्याप्त संख्या न होने के कारण 54.80 लाख रुपये की राशि के जुर्माने का नोटिस प्राप्त हुआ है। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में गैर-अनुपालन का कारण के साथ बीएसई/एनएसई को अनुरोध किए जाने के परिणामस्वरुप वित्तीय वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही तक जुर्माना समाप्त कर दिया गया है। कंपनी का विश्वास है कि अनुवर्ती दंड भी इसी प्रकार समाप्त किए जाएंगे। तदनुसार, इन दंडों के प्रति किसी प्रकार के प्रावधान नहीं किए गए हैं।

(iv) दावे की राशि में एचएफसीएल द्वारा निर्णित हर्जाने के प्रति दावा की गई 1193.88 लाख रुपये का दावा तथा विवाचक द्वारा की गई पुष्टि शामिल है। तथापि, कंपनी ने उक्त दावे के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दायर की है।

(v) कंपनी के प्रति किए गए दावों में ईईएसएल निविदा के अंतर्गत आरईसीएपी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीसीएमएस बॉक्स उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में दायर की गई याचिका की देय तिथि से दावा की गई राशि के शेष 615.13 लाख रुपए का दावा भी शामिल है।

vi.) वित्तीय संकट के कारण, भविष्य निधि में अंशदान सहित कुछ सांविधिक देयताओं के भुगतान में देरी हुई है। इसके प्रति देय ब्याज / जुर्माने की वास्तविक ज्ञात न किए जा सकने के कारण कंपनी द्वारा अनुमान के आधार पर देरी पर ब्याज के प्रति अनुमानित आधार पर प्रावधान किए गए हैं।

vii) कंपनी ने अनुमानित आधार पर पिछले वर्ष के लिए सी/डी फॉर्म जमा नहीं करने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय बिक्री कर देयता के लिए 5634.01 लाख रूपये (पिछले वर्ष 5,915.37 लाख रुपये) की आकस्मिक देयता का खुलासा किया है । वास्तविक दायित्व वैधानिक रूप के संग्रह और प्रस्तुत करने और कर निर्धारण के समय लागू कर दर को अपनाने के आधार पर भिन्न हो सकते हैं।

viii) सभी अतिदेय सांविधिक देनदारियों (निर्विवाद सहित) के बकाया और दंड पर संबंधित अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन और निर्धारित किया जा सकता है।

ix) सी-डॉट से पट्टे पर लिए गए परिसर के देय किराए के रूप में लंबे समय से प्राप्य पर्याप्त बकाया (जो रॉयल्टी राशि से अधिक है) को ध्यान में रखते हुए सी-डॉट को देय रॉयल्टी पर देय ब्याज के प्रावधान नहीं किए गए हैं। ब्याज राशि ज्ञात नहीं की जा सकी है।

<u>ख) अन्य मुक़दमें :</u>

i) परिसमाप्त क्षति के कारण दावा वसूली- भूमि में 1049.41 लाख रूपये मेसर्स हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस से देय है। कंपनी ने कानूनी मामला दायर किया है जो दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है।

ii) ब्रुहत बेंगलूरु महानगर पालिका का (बीबीएमपी) ने आईटीआई की अनुमति के बिना आईटीआई भूमि कृष्णाराजपुरम में सड़क का निर्माण, कर्नाटक हाइकोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद किया गया जिसका उपयोग आम जनता द्वारा किया जाता है।

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (जारी)...

आईटीआई लिमिटेड द्वारा मैसर्स माइंड ऐरे सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के प्रति कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए दिनांक 18.5.2022 को मैजिस्ट्रेट सिविल न्यायालय के सम्मुख एक शिकायत दर्ज की गई है। यह मामला नगर वाणिज्य न्यायालय, बेंगलुरू के अध्याधीन है।

आईटीआई लिमिटेड द्वारा इंफोस पार्क को एलईडी स्ट्रीट लाइटों की आपूर्ति की गई थी, जिसका भुगतान अभी प्राप्त नहीं हुआ है। आईटीआई द्वारा मैसर्स इंफोस पार्क के खिलाफ बैंक की ओर से भुगतान के लिए चेक नकार दिए जाने का एक मामला दर्ज किया गया है।

कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 5 एकड़ भूमि का उपयोग कर रहा है तथा इसके लिए कोई पट्टा करार नहीं किया गया है।

12. पूर्व वर्षों के प्रतिलेखित दायित्वों में 302.30 लाख रुपए नैनी इकाई, 45.58 लाख रुपए एवं क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई 249.83 लाख रुपए और क्षेत्रीय कार्यालय मुबंई 6.88 लाख रुपए (पिछले वर्ष 3.80 लाख रुपए जिसमें नैनी इकाई के 2.86 लाख रुपए, क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलूरु प्लांट के 0.94 लाख रुपए) शामिल हैं।

13 **प्रयुक्त आयातित कच्चे माल, भंडार और अतिरिक्त पूर्जों का मूल्य तथा प्रयुक्त देशी सामग्री का मूल्य प्रत्येक की प्रतिशतता।**

	31.03.2024	31.03.2023
आयातित	**375.23**	521.25
देशी	**7,997.66**	15,920.27
कुल	**8,372.89**	**16,441.53**

14 रूग्न उद्योग कंपनी अधिनियम (एसआईसीए), 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कंपनी एक रूग्न कंपनी है तथा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के सम्मुख कंपनी को संदर्भित किए जाने के पश्चात वर्तमान में यह पुनरूद्धार योजना के अंतर्गत आती है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा पुनरूद्धार योजना के अंतर्गत कंपनी के पुनरूद्धार के लिए फरवरी 2014 में अनुमोदित 415679 लाख रुपए की वित्तीय सहायता का अनुमोदन दिया गया है।

15 स्वीकृत वित्तीय सहायता के एक भाग के रूप में, वित्तीय वर्ष 2022-23 तक पूंजी अनुदान के रूप में 113256 लाख रुपए तथा राजस्व अनुदान के रूप में 189279 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है। बीआईएफआर के दिनांक 08.01.2013 के आदेश के अनुसरण में विभिन्न तिथियों पर प्राप्त पूंजी अनुदान के प्रति आवंटन की तिथि से तीन माह पूर्व के प्रचलित बाजार मूल्य अथवा औसत शेयर मूल्य, जो भी कम हो, के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को शेयर आवंटित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बीआईएफआर पुनरुद्धार योजना के अंतर्गत कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुए हैं।

कुल पूंजी अनुदान में से, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 18700 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई। इसमें से 8,000.00 लाख रुपए की अनुदान राशि के प्रति भारत के राष्ट्रपति को दिनांक 28.09.2022 को 103.45 रुपए प्रति शेयर (प्रत्येक 10 रुपए प्रति शेयर 93.45 रुपए के प्रीमियम पर पूरी तरह से चुकता) की दर से 77,33,204 शेयर तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दिनांक 11.05.2023 को 10700.00 लाख रुपए मूल्य के 11309586 इक्विटी शेयर 94.61 रुपए की दर से आवंटित किए गए। तुलन पत्र की तिथि तक प्राप्त कुछ वित्तीय सहायता की राशि 302535 लाख रुपए है।

16 12.15 एकड़ भूमी में से जो बेंगलूरु मैट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन, बीएमटीसी को पट्टे के रुप में देना है 12.15 एकड़ भूमी जो पहले से ही बीएमटीसी के कब्जे में है, भारत सरकार के पट्टे के नियमों व शर्तानुसार अनुमोदन देना है। पट्टे को पहचानित कर किराए को शर्तो के अनुसार अंतिम रुप दिया जाएगा। 285 लाख रुपए पूर्व में बीएमटीसी से प्राप्त हो चुकी है जिसको जमा किया गया है।

17 ईएसआईसी के साथ पट्टा समझौता जुलाई 2016 के महीने में समाप्त हो गया है और पट्टे का नवीकरण समझौते नहीं किया गया है, क्योंकि संशोधित पट्टा किराया ईएसआईसी के साथ फैसला नहीं किया गया है। इसके अलावा, कंपनी उन सभी पट्टा समझौतों की पहचान, समीक्षा और नवीनीकरण की प्रक्रिया में है, जो समाप्त हो चुके हैं, जहाँ कंपनी पट्टादाता है।

18 **सीआईएफ आधार पर आयात का मूल्य**

	31.03.2024	31.03.2023
कच्चा माल और उत्पादन भंडार	**375.23**	349.64
घटक तथा अतिरिक्त पुर्जे	-	171.62
मार्गस्थ सामग्री	-	-
पूँजीगत माल	-	-
कुल	**375.23**	**521.26**

19 सी-डॉट, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय से 2005-06 से 2010-11 तक 5847.90 लाख रुपये अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है। उगाही/वसूली के अनिश्चितता के चलते, सकल किराया राजस्व की पहचान जिसकी कुल रकम 12679.92 लाख रुपये है जो प्रोद्भवन आधार पर वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए है, आस्थगित किया गया है और इंड एएस के अनुरूप है।

जून 1990 तक दक्षिणी रेलवे द्वारा अपनी सुविधाओं तक पहुंच मार्ग के रूप में उपयोग की जाने वाली 1.83 एकड़ भूमि के किराए का भुगतान, बिना किसी लिखित पट्टा करार के, चुकता किया जा रहा था। तथापि, एप्रोच रोड का उपयोग जनता एवं स्थानीय क्षेत्र निवासियों द्वारा किए जाने के कारण दक्षिण रेलवे किराए का भुगतान करना बंद कर दिया था। वर्तमान में इस भूमि का उपयोग जनता द्वारा राइट आफ वे के रूप में किया जा रहा है।

वित्तीय विवरणों के नोट 1 तथा नोट 3 में किए गए प्रकटीकरण के अनुसार नीचे उल्लिखित के अलावा सम्पतियों के हक विलेख कंपनी के नाम पर धारित हैं:

(i) पालाक्काड में स्थित 19470 लाख रुपए मूल्य (वहन मूल्य) की 77 एकड़ माप की भूमि का पुन: ग्रहण केरल सरकार द्वारा कर लिया गया है तथा यह मामला उच्चतर न्यायालय के सम्मुख न्यायाधीन है। तुलन पत्र में दर्शाई भूमि के मूल्य में केरल सरकार द्वारा पुन: ग्रहण की गई भूमि का मूल्य शामिल है जो उच्चतर न्यायालय में न्याय के लिए लंबित है।

(ii) आईटीआई कॉम्प्लेक्स में 174.69 एकड़ माप की 9282 लाख रुपए के मूल्य (वहन मूल्य) की भूमि जिला औद्योगिक अधिकारी द्वारा वर्ष 1969 में नैनी यूनिट को सौंप दी गई थी जो कंपनी के नाम से नहीं है।

(iii) उद्योग विभाग, रायबरेली द्वारा दिनांक 12.11.1973 को गांव बेलापुर, छजलापुर एवं मालिकमाऊ ऐयमा, रायबरेली में दिनांक 9.1.1973 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 10574(1). एसएचए.यू/18.II.666/बीएचए-72 के माध्यम अंतरित की गई 11620 लाख रुपए (लगभग) मूल्य की 196.37 एकड़ भूमि (फैक्टरी क्षेत्र) के शीर्ष के अंतरण का मामला आईटीआई लिमिटेड की ओर से भूमि अधिग्रहण के समय भू स्वामियों को चुकता किए गए भुगतान के प्रमाण की प्रस्तुत न किए जाने के कारण लंबित है।

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (जारी)...

20 मैसर्स कार्वी डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड तथा मैसर्स टेल्वा सिस्टम्स से 2144 लाख रुपये की राशि लम्बे समय से प्राप्य है। कंपनी द्वारा इस मामले में बट्टा नामे का कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि विक्रेताओं (बैक-एंड पार्टनर्स) से समान राशि की अनुरूपी देयता देय है जो कि इस राशि की वसूली होने पर ही की जाएगी। प्राप्य एवं देय राशि के मध्य भिन्नता की 242 लाख रुपए की राशि के लिए प्रावधान किए गए हैं।

21 प्रोमोटरों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों तथा संबद्ध पार्टियों (कंपनी अधिनियम, 2013 में की गई परिभाषा के अनुसार) ऋण अथवा अग्रिम के रूप में किसी भी प्रकार के ऐसे ऋण प्रदान नहीं किए गए है जो पृथक अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से (क) मांग पर देय हैं अथवा (ख) निर्दिष्ट किन्हीं शर्तों अथवा पुनर्भुगतान की अवधि में देय हैं।

22 कंपनी द्वारा अथवा कंपनी के प्रति बेनामी संव्यवहार (प्रतिबंध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) एवं उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत न तो कोई प्रक्रिया की गई है अथवा न ही कोई प्रक्रिया लंबित है।

23 कंपनी ने बैंकों से अपनी चालू परिसम्पतियों की प्रतिभूति के आधार पर ऋण प्राप्त किए हैं। कंपनी द्वारा बैंकों को फाइल किया गया स्टॉक एवं देनदार विवरण लेखा बहियों के अनुरूप है।

24 किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान अथवा किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

25 प्रबंधन के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत स्ट्रक ऑफ कंपनियों के साथ प्रतिभूतियों में निवेश, प्राप्यों, देयों, स्ट्रक ऑफ कंपनी द्वारा धारित शेयरों एवं अन्य बकाया शेषों के संबंध में किसी प्रकार के संव्यवहार नहीं किए हैं।

26 कंपनी के प्रति ऐसे कोई चार्जिस अथवा चार्जिस की संतुष्टि नहीं है जो सांविधिक अवधि के पश्चात अभी आरओसी में पंजीकृत नहीं की गई है।

27 कंपनी ने ऐसी काई योजना व्यवस्था नहीं की है जिससेचालू अथवा पूर्व वित्तीय वर्ष में लेखांकन प्रभावित होता हो।

28 कंपनी ने लेखा बहियों में रिकार्ड न किए ऐसे कोई संव्यवहार नहीं किए हैं जो आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण के लिए वर्ष के दौरान त्याग दिए गए हों अथवा जिनका प्रकटीकरण किया गया हो।

29 कंपनी के क्रिप्टो अथवा वर्चुअल मुद्रा में चालू अथवा पूर्व वर्ष के दौरान न तो कोई ट्रेड किया है और न ही निवेश किया है।

30 कंपनी द्वारा बैंको अथवा वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋणों का उपयोग उन उद्देश्यों से किया जा रहा है जिस उद्देश्य के लिए आवेदन दिया गया था।

31

अनुपातों की गणना के लिए प्रयुक्त अनुपात और सूत्र निम्नानुसार है	अंश-गणक	भाजक	31.03.2024	31.03.2023	% Variance	भिन्नता के कारण > 25%
(क) चालू अनुपात	चालू संपत्तियाँ	चालू देयताएँ	0.89	0.97	-8.17%	
(ख) नामे इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	1.03	0.80	28.75%	इक्विटी में कमी के कारण
(ग) नामे सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय	ऋण सेवा	-1.15	-0.85	35.29%	ब्याज लागत में कमी उधार की अदायगी और ईबी आईटीडीए में कमी के कारण
(घ) इक्विटी पर प्रतिफल	करों के बाद निवल लाभ - वरीयता लाभांश (यदि कोई हो)	औसत शेयरधारकों की इक्विटी	-0.28	-0.15	90.36%	घाटे में वृद्धि और इक्विटी में कमी के कारण
(ङ) मालसूची टर्नओवर अनुपात	बेचे गए माल या बिक्री की लागत	औसत सूची	5.02	5.33	-5.82%	
(च) व्यवसाय प्राप्य टर्नओवर अनुपात	निवल ऋण बिक्री	औसत प्राप्य खाते	0.63	0.57	10.53%	
(छ) व्यवसाय देय टर्नओवर अनुपात	निवल ऋण बिक्री	औसत व्यापार देयताएं	0.87	0.83	4.82%	
(ज) निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात	निवल बिक्री	कार्यशील पूंजी	-1.52	-6.31	-75.98%	कार्यशील पूंजी में कमी के कारण
(झ) निवल लाभ अनुपात	निवल लाभ	निवल बिक्री	-45.03%	-25.82%	74.40%	राजस्व और योगदान / मार्जिन में कमी के कारण
(ञ) नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	ब्याज और करों से पहले की कमाई	नियोजित पूंजी	-0.17	-0.06	170.50%	ईबीआईटी और नियोजित पूंजी में कमी के कारण

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (जारी)...

32 **सीएसआर गतिविधियों का विवरण**

	31.03.2024	31.03.2023
(i) वर्ष के दौरान कंपनी से व्यय के लिए अपेक्षित राशि	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii) व्यय की गई राशि	2.00	5.00
(iii) वर्ष के अंत में न्यूनता *	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv) पिछले वर्ष की कुल न्यूनता	शून्य	शून्य
(v) न्यूनता का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं
(vi) सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति	सशस्त्र बल ध्वज निधि (एएफएफडीएफ)	सशस्त्र बल ध्वज निधि (एएफएफडीएफ)
कंपनी ने अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत निर्दिष्ट शर्तों को पूरा कर लिया है तथा यह धारा 135 एवं कंपनी नियमावली, 2014 के प्रावधानों के प्रावधानों के अनुपालन के प्रति उत्तरदायी है परन्तु कोई लाभ अर्जित न होने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 135 लागू नहीं है।		

33 आईटीआई लिमिटेड, एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण, कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार के आदेश द्वारा की जाती है। महिला स्वतंत्र निदेशकों सहित स्वतंत्र निदेशकों की अपर्याप्त संख्या के कारण निदेशक मंडल की संरचना सेबी लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। तथापि, कंपनी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में महिला स्वतंत्र निदेशकों सहित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का प्रस्ताव प्रशासनिक मंत्रालय के पास प्रक्रियाधीन है।

34 एनआईएफटी के साथ नवबंर, 2018 माह में किया गया अनुबंध कालातीत हो गया है तथा इसके लिए संबंधित मंत्रालय से अनुमोदन प्रतीक्षित है। कंपनी ने यह सूचित किया है कि यह मामला प्राथमिक आधार पर समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्रव्यवस्था के सम्मुख संदर्भित किया गया है।

35 31.03.2024 को समाप्त वर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण अनुवर्ती घटनाओं का यथोचित प्रकटीकरण / प्रस्तुति / स्वीकृति वित्तीय विवरणों में की गई है। वर्ष 2024-25 के दौरान, निदेशकों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात तथा इस रिपोर्ट की प्रस्तुति किए जाने तक ऐसे किसी मामले अथवा परिस्थितियों की जानकारी नहीं थी जिनसे कंपनी की वित्तीय स्थिति तथा इसके परिचालनों के परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता हो तथा जिनसे संबंधित कार्रवाई वित्तीय विवरणों में न की गई हो।

36 कंपनी का नियंत्रण माननीय राष्ट्रपति, भारत सरकार तथा अन्य नामितों के पास है। इसे ध्यान में रखते हुए यह कंपनी, "इंडएएस 24 (संबंधित पार्टी प्रकटीकरण)" में दी गई परिभाषा के अनुसार 'सरकार से संबंधित इकाई' (भारत सरकार के संबंध में) है अथवा एक ऐसी इकाई है जिसका नियंत्रण, संयुक्त नियंत्रण अथवा प्रभुत्व सरकार के पास है।

37 वर्ष के दौरान क्षमता हानि के कोई संकेत नहीं देखे गए हैं। तुलन पत्र की तिथि को वहन राशि की समीक्षा भी की गई थी तथा वर्ष के दौरान परिसम्पतियों में किसी प्रकार की क्षमता हानि प्रतीत नहीं हुई थी । (पिछले वर्ष : शून्य)

38 क) वर्ष के दौरान बीएसएनएल और रक्षा, जिनके साथ वर्ष के दौरान कंपनी के महत्वपूर्ण लेखा प्राप्य / देय हैं, के शेष की पुष्टि की प्रक्रिया की गई है तथा ओपन मदों के पुन:समाधान विवरण पर विधिवत हस्ताक्षर किए जाने के संबंध में परस्पर सहमति / बातचीत की जा रही हे। इस बातचीत / परस्पर सहमति के पूर्ण होने के पश्चात आवश्यक प्रविष्टियों का समावेश कर लिया जाएगा।

ख) कंपनी के साथ संव्यवहार करने वाली अन्य पार्टियों से शेष की पुष्टि अभी पूरी तरह से प्राप्त हुई है। शेष की पुष्टि प्राप्त होने तथा उससे संबंधित समाधान होने के पश्चात आवश्यक प्रविष्टियों का समावेश कर लिया जाएगा।

39 वित्तीय विवरणों के निर्माण के अंतर्गत लेखांकन अनुमान लगाए जाने अपेक्षित होते हैं जो वास्तविक परिणामों से काफी भिन्न हो सकते हैं। कंपनी की लेखांकन नीतियों के उपयोग के दौरान प्रबंधन को भी अपने अनुमानों का उपयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। इस नोट में उन क्षेत्रों, जिसमें उच्चतर डिग्री अथवा जटिलता वाले अनुमान लगाए जाने अपेक्षित होते हैं, तथा उन मदों, जिनमें सामग्रीगत समायोजन लगाए जाने की आवश्यकता, उनके अनुमान एवं पूर्वानुमान मूल मूल्यांकन से भिन्न होने के कारण अधिक होती है, का संक्षित विवरण दिया गया है।

क) परिभाषित हितलाभ दायित्व के अनुमान

परिभाषित हितलाभ दायित्व के अनुमान के कुछ महत्वपूर्ण बीमांकिक पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। अनुमानों एवं पूर्वानुमानों का मूल्यांकन आवधिक रूप में किया जाता है। ये ऐतिहासिक अनुभव एवं अन्य कारकों पर आधारित होते हैं जिनमें ऐसी भावी घटनाओं से संबंधित प्रत्याशाएं शामिल होती हैं जिनसे कंपनी पर वित्तीय प्रभाव होना संभव हो सकता है तथा जो परिस्थितियों के अनुसार औचित्यपरक मानी जाती हैं।

ख) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का उपयोज्यता काल -

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का अनुमानित उपयोज्यता काल कंपनी की लेखांकन नीति पर आधारित है।

ग) प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

प्रावधानों और आकस्मिकताओं की पहचान के लिए किए जाने वाले मूल्यांकन इंडएएस 37 "प्रावधानों, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसम्पतियां" के अंतर्गत लगाए गए हैं। आकस्मिक घटनाआं के होने की संभावना का मूल्यांकन के लिए प्रबंधन द्वारा संभावित हानि के जोखिम की संभाव्यता के लिए उत्तम पूर्वानुमान लगाए जाने अपेक्षित होते हैं। अप्रत्याशित विकास से यदि परिस्थितियों में परिवर्तन होता है तो ऐसी संभावनाओं में परिवर्तन हो सकता है।

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (जारी)...

40 श्रेणियों के आधार पर वित्तीय साधनों का वहन मूल्य इस प्रकार है: (लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ/देयताएँ	31 मार्च 2024 तक ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ/ देयताएँ	31 मार्च 2024 तक परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियाँ :			
निवेश	0.00	0.00	41
व्यापार प्राप्तियाँ	0.00	0.00	255,610
ऋण	0.00	0.00	79,958
नकद और नकद समकक्ष	0.00	0.00	10,526
अन्य बैंक शेष	0.00	0.00	72,716
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	0.00	0.00	218,183
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**0.00**	**0.00**	**637,033**
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			-
उधार	0.00	0.00	179,546
देय व्यापार	0.00	0.00	166,659
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	0.00	0.00	208,913
कुल वित्तीय देनदारियाँ	**0.00**	**0.00**	**555,118**

विवरण	31 मार्च 2024 तक एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ/देयताएँ	31 मार्च 2024 तक ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ/ देयताएँ	31 मार्च 2024 तक परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियाँ :			
निवेश	0.00	0.00	41
व्यापार प्राप्तियाँ	0.00	0.00	262,575
ऋण	0.00	0.00	73,303
नकद और नकद समकक्ष	0.00	0.00	936
अन्य बैंक शेष	0.00	0.00	20,548
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	0.00	0.00	257,978
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**0.00**	**0.00**	**615,380**
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
उधार	0.00	0.00	187,584
देय व्यापार	0.00	0.00	155,067
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	0.00	0.00	236,658
कुल वित्तीय देनदारियाँ	**0.00**	**0.00**	**579,309**

41 **क) स्तर 1** - इस वर्गीकरण के अंतर्गत वित्तीय लिखतों का मापन सक्रिया बाजारों में प्रयुक्त उद्धृत मूल्यों (गैर-समायोजित) के उपयोग से किया जाना शामिल है।

ख) स्तर 2 - इस वर्गीकरण में स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों के अलावा इनपुट के उपयोग से मापन की गई वित्तीय लिखतें शामिल हैं, जो परिसम्पति अथवा देयता, प्रत्यक्ष (यथा मूल्य के रूप में) अथवा अप्रत्यक्ष (मूल्यों से उत्पन्न), के लिए ध्यान दिए जाने योग्य हैं।

ग) स्तर 3 - इस वर्गीकरण में इनपुट के उपयोग से मापन किए गए वे वित्तीय लिखतें शामिल हैं जो सुस्पष्ट बाजार डेटा (अस्पष्ट इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

42

विवरण	स्तर-1	स्तर-2	स्तर-3
31 मार्च 2024 को	शून्य		
उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय देनदारियाँ:			
कुल			
31 मार्च 2023 को	शून्य		
उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय देनदारियाँ:			
कुल			

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (जारी)...

43 वित्तीय विवरणों पर सामग्रीगत प्रभाव उपलब्ध न होने की स्थिति में वित्तीय लिखतों की परिशोधन लागत को उनके वहन मूल्य के समान ही माना जाता है। दीर्घकालिक सुरक्षा जमा के मामले में वित्तीय विवरणों पर कोई सामग्रीगत प्रभाव न होने के कारण डिस्काउंटिंग नहीं की जाती है।

44 कंपनी द्वारा, विदेशी इकाईयों ("मध्यस्थों") सहित, किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा इकाई (इकाईयों), को किसी निधि का अग्रिम अथवा ऋण अथवा उनमें निवेश (ऋण निधियों अथवा शेयर प्रीमियम अथवा अन्य अन्य स्रोतों अथवा निधियों के स्वरूप में), इस निर्धारण के साथ, लिखित अथवा अन्य स्वरूप में, नहीं किया गया है कि मध्यस्थ द्वारा कंपनी ("अंतिम लाभग्राही") अथवा कंपनी की ओर से किसी भी प्रकार से, संज्ञान में लिए गए अन्य व्यक्तियों अथवा इकाईयों को, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऋण दिया जाएगा अथवा उनमें निवेश किया जाएगा अथवा अंतिम लाभग्राही की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा समान प्रकार की सुविधा प्रदान की जाएगी।

45 कंपनी द्वारा, विदेशी इकाईयों ("मध्यस्थों") सहित, किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा इकाई (इकाईयों), से इस निर्धारण के साथ किसी निधि की प्राप्ति, लिखित अथवा अन्य स्वरूप में, नहीं हुई है कि कंपनी द्वारा निधियन पार्टी ("अंतिम लाभग्राही") की ओर से, किसी भी प्रकार से संज्ञान में लिए गए अन्य व्यक्तियों अथवा इकाईयों को, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऋण दिया जाएगा अथवा उनमें निवेश किया जाएगा अथवा अंतिम लाभग्राही की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा समान प्रकार की सुविधा प्रदान की जाएगी।

46 वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई लाभांश घोषित अथवा चुकता नहीं किया गया है।

47 कंपनी द्वारा अपनी लेखा बहियों के साथ 26एएस / एआईएस / टीआईएस फार्म का समाधान किए जाने की प्रक्रिया की जा रही है। समाधान पूरा होने के पश्चात लेखा बहियों में प्रविष्टियां, यदि कोई हों, की जाएगीं।

48 कंपनी द्वारा दिनांक 24.03.2021 की अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट अनुसूची III के संशोधनों के अनुसार प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित डेटा का समेकन / संग्रहण करने की प्रक्रिया की जा रही है। कार्य पूरा के होने के पश्चात डेटा / प्रकटीकरण प्रस्तुत किए जाएंगे।

49 क) इंड एएस वित्तीय विवरणों सभी राशियों का प्रकटीकरण तथा उनकी प्रस्तुति, यदि कहीं अन्यथा उल्लेख नहीं है, निकटतम लाख रुपए में राउंड ऑफ करके की गई है।

ख) जहां कहीं आवश्यकता हुई है वहां तुलना किए जाने के उद्देश्य से पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुन:समूहन / पुन: प्रस्तुति की गई है।

ग) दिनांक 01.04.2016 से अनुसूची III(डिवीजन II) की अपेक्षा के अनुसार परिसम्पतियों एवं देयताओं के चालू वर्ष के आंकड़ों का समूहन, चालू तथा गैर-चालू के अंतर्गत, वित्तीय तथा गैर-वित्तीय परिसम्पतियों के रूप में किया गया है।

घ) निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण जारी किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

50 अपनी पूंजी के प्रबंधन के दौरान कंपनियों का उद्देश्य गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रहने की अपनी क्षमता की रक्षा करना है जिससे कि शेयरधारकों के लिए प्रतिफल एवं अन्य स्टेकधारकों लाभ प्राप्त होने जारी रह सकें तथा अन्य हितधारकों के लिए लाभ प्रदान करना जारी रख सके तथा ऋण एवं इक्विटी के लिए उपयुक्त पूंजी संरचना को बरकरार रखा जा सके। निदेशक मंडल (बीओडी) का प्रारंभिक दायित्व अपने निवेशकों, ऋणदाताओं एवं बाजार विश्वास को बरकरार रखने तथा व्यवसाय के संवहनीय भावी विकास के लिए निधियों के उपयोग का विवेकी प्रबंधन करना तथा वित्तीय बाजारों में उपलब्ध अवसरों से स्रोतण के माध्यम से सुदृढ़ पूंजी आधार का अनुरक्षण करना एवं पूंजी लागतों को न्यून करना है। कंपनी की नीति कंपनी के सभी विद्यमान एवं संभावित जोखिमों को कम करने, शेयरधारक, विक्रेता और बाजार के विश्वास को बरकरार रखकर कंपनी की उन्नति एवं विकास की संवहनीयता का पोषण करने की है। कंपनी, कंपनी के जोखिम प्रोफाइल को प्रभावित किए बिना, स्वतंत्रता, सुरक्षा, साथ ही उच्च वित्तीय लोचकता के सुनिश्चय के लिए एक सुदृढ़ इक्विटी आधार को बनाए रखने की ओर ध्यान केन्द्रित कर रही है। पूंजी संरचना के अनुरक्षण अथवा समायोजन के उद्देश्य से कंपनी द्वारा यथासंभव आवश्यक उपाय किए जाएंगे।कंपनी ने दीर्घकालिक ऋण इक्विटी अनुपात की मॉनीटरिंग की है जो निम्नानुसार है :

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
दीर्घकालिक ऋण (दीर्घकालिक ऋणों की चालू परिपक्वता सहित)	**12000.00**	18000.00
इक्विटी (पूंजी रिजर्व सहित)	**174946.44**	233973.05
इक्विटी अनुपात के प्रति दीर्घकालिक ऋण	**0.07**	0.08

51 **वित्तीय जोखिम कारक :**

कंपनी के क्रियाकलापों से कंपनी के सम्मुख बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम एवं नकदी जोखिम जैसे अनेक वित्तीय जोखिम व्याप्त होते हैं। कंपनी का प्रमुख ध्यान वित्तीय बाजारों की अस्थितरता के पूर्वानुमानों की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करना तथा अपने वित्तीय निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली संभावनाओं को न्यूनतम करना है।

जोखिम	जोखिम के कारक	मापन	प्रबंधन
बाजार जोखिम – ब्याज दर	परिवर्तनीय दरों पर अल्पकालिक ऋण	संवेदी विश्लेषण	कंपनी ने सभी ऋण प्रतिस्पर्धी ब्याज पर प्राप्त किए हैं। हेजिंग के उद्देय से कंपनी ने कोई डेरिवेटिव नहीं लिया गया है।
क्रेडिट जोखिम	नकदी एवं नकदी समतुल्य तथा व्यापार प्राप्य	कालक्रम विश्लेषण	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बैंक जमा का विविधिकरण। कंपनी के प्रमुख प्राप्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से हैं।
नकदी जोखिम	ऋण एवं अन्य देयताएं	नकदी प्रवाह में उतार चढ़ाव के पूर्वानुमान	पर्याप्त नकदी एवं नकदी समतुल्यों का अनुरक्षण

क) बाजार जोखिम :

i) ब्याज दर जोखिम - कंपनी द्वारा ऋण की प्राप्ति परिवर्तनीय ब्याज दरों पर की गई है। इस प्रकार कंपनी के सम्मुख ब्याज दर में परिवर्तन का जोखिम है। कंपनी के ऋणों का मूल्य वर्ग भारतीय रुपए मुद्रा है।

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
परिवर्तनीय ऋण दर	149526.45	157561.05
निश्चित ऋण दर	30000.00	30000.00
योग ऋण	**179526.45**	**187561.05**

ii) संवेदनशीलता - ब्याज दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप ऋणों के प्रति उच्चतर / कम लागत के प्रति लाभ अथवा हानि संवेदी हैं।
नीचे दी गई तालिका में लाभ अथवा हानि पर ब्याज दरों में होने वाली बढ़ोतरी / कमी के प्रभाव का सार दिया गया है

कर पूर्व लाभ पर प्रभाव		
विवरण	**31.03.2024 को**	**31.03.2023 को**
ब्याज दर – 50 बीएससी प्वांइट की वृद्धि	-7,47.63	-7,87.81
ब्याज दर – 50 बीएससी प्वांइट की वृद्धि	7,47.63	7,87.81

ख) क्रेडिट जोखिम - क्रेडिट जोखिम का अभिप्राय काउंटर पार्टी द्वारा अपने दायित्व में चूक किया जाना तथा उसके परिणामस्वरूप वित्तीय हानि होना है। रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार क्रेडिट जोखिम की अधिकतम व्याप्तता व्यापार प्राप्यों से हैं। तदनुसार, नीचे दिए गए पैराग्राफ में व्यापार प्राप्यों का मूल्यांकन अन्य सभी वित्तीय परिसम्पतियों से अलग किया गया है।

(i) व्यापार प्राप्यों पर क्रेडिट जोखिम - व्यापार प्राप्य मुख्यत: अप्रतिभूत होते हैं तथा इनकी उत्पति ग्राहकों से प्राप्त होने वाले राजस्व से होती हैं। प्रमुख व्यापार प्राप्यों की प्राप्ति अनुबंधों के निष्पादन से होती है। कंपनी द्वारा किए गए वसूली विश्लेषण के आधार पर इन्हें अच्छा माना गया है।

कंपनी के प्रमुख ग्राहक, दायित्वों का निर्वाह करने के प्रति सक्षम, केन्द्र /राज्य सरकार की उपयोज्यताएं हैं तथा तदनुसार चूक का जोखिम नगण्य है। इसके अलावा, स्थापित भुगतान सुरक्षा तंत्रव्यवस्था एवं ऐतिहासिक भुगतान व्यवहार के आधार पर प्रबंधन का ऐसा मानना है कि देय तिथि से 30 दिन के प्राप्यों की पूर्ण प्राप्ति की जा सकती है। उपरोक्त कारकों तथा लागू विनियमों को विचार मे लेते हुए, प्रारंभिक स्वीकृति तथा उसके पश्चात प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को व्यापार प्राप्यों के प्रति क्रेडिट जोखिम निरंतर नगण्य है।

(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रति क्रेडिट जोखिम - कंपनी का ऐसा मानना है कि ऐसी वित्तीय परिसम्पतियां, जिनमें अक्षमता हानि नहीं है, तथा विचाराधीन रिपोर्टिंग तिथियों के तहत लंबित नहीं है वे अच्छी क्रेडिट गुणवत्ता की है। अपनी वित्तीय परिसम्पतियों से सम्बद्ध क्रेडिट जोखिमों को कवर करने के लिए कंपनी ने कोई आनुशंगिक अथवा अन्य संवर्धन नहीं किए हैं। इसके अलावा, नकदी एवं नकदी समतुल्यों का धारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में किया गया है तथा इनमें कोई महत्वपूर्ण क्रेडिट जोखिम नहीं है।

ग) नकदी जोखिम

नकदी के संबंध में कंपनी के प्रमुख स्रोत नकदी एवं नकदी समतुल्य हैं जो परिचालनों से उत्पन्न होते हैं। कंपनी अपनी नकदी की आवश्यकताओं का प्रबंधन नकदी प्रवाह की निरंतर निगरानी के माध्यम से करती है तथा नकदी एवं नकदी समतुल्यों का पर्याप्त अनुरक्षण करती है। किसी प्रकार की न्यूनता ज्ञात करने के लिए निवल नकदी अपेक्षाओं की तुलना उपलब्ध नकदी से की जाती है। अल्पकालिक नकदी की अपेक्षाओं के अंतर्गत मुख्यत: व्यापार देय, दीर्घकालिक ऋणों की चालू परिपक्वता आदि होती है जो प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को व्यवसाय के सामान्य क्रम से उत्पन्न होती है। कंपनी अपनी अल्पकालिक नकदी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नकदी एवं नकदी समतुल्यों के पर्याप्त शेष का अनुरक्षण करती है। अपनी दीर्घकालिक नकदी अपेक्षाओं के मूल्यांकन के लिए कंपनी आवधिक आधार पर मूल्यांकन करती है तथा आंतरिक उत्पतियों के माध्यम से उनका प्रबंधन करती है।

52 वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बेंगलूरू संयंत्र, एन.एस. यूनिट तथा आरओ कोलकाता के संबंध में विभिन्न विक्रेताओं को बिलों का भुगतान करने के प्रति 115.56 लाख रुपए के गैर- प्रावधान किए गए थे। यह पुष्टि की जाती है कि समान राशि के प्रावधान / भुगतान का लेखांकन वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विधिवत कर लिया गया है।.

53 इंडएएस 115 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी हुआ है। इस मानक का प्रमुख सिद्धांत यह है कि इकाई द्वारा प्रतिबद्ध माल एवं सेवाओं का अंतरण ग्राहक को उस राशि पर करके राजस्व की स्वीकृति करनी है जिसकी प्राप्ति की अपेक्षा की पात्रता इकाई को ऐसे माल एवं सेवाओं का अंतरण किए जाने के प्रति है।

हमारे समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार
कृते बी के रामध्यानी एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकर
फ़र्म पंजीकरण नं. 002878एस/एस200021

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

वासुकी एच एस	**शालिनी घटक**	**राजीव श्रीवास्तव**	**राजेश राय**
साझेदार	कंपनी सचिव	निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एम.सं. 212013	सीएस नं. ए43488	डीआईएन : 08921307	डीआईएन : 10052045

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक :28.05.2024

अनुबंध – 1

31.03.2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए संबंधित पार्टी लेनदेन (एकल) का प्रकटीकरण

32. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

क) एसोशिएट/संयुक्त उद्यम

उद्यम का नाम	व्यवसाय का स्थान	कंपनी द्वारा धारित स्वामित्व हित		गैर-नियंत्रण हितों द्वारा धारित स्वामित्व हित		प्रमुख गतिविधियां
		31.03.2024 को	31.03.2023 को	31.03.2024 को	31.03.2023 को	
इंडिया सैटकॉम लिमिटेड	इंडिया	49.06%	49.06%	50.94%	50.94%	वीसैट विनिर्माण एवं सर्वीसिंग

ख) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का विवरण :

लाख रु. में

निदेशकों / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के नाम	31.03.2024 को सामाप्त तिमाही के लिए	31.03.2024 को सामाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को सामाप्त वर्ष के लिए
श्री राजेश राय – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	10.12	39.97	4.12
श्री राजीव श्रीवास्तव – निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकरी	7.34	28.88	24.22
श्री सी वी रमण बाबू, निदेशक (विपणन)	8.21	8.21	
श्रीमती एस जेयंति – निदेशक (उत्पादन) 20.05.2023 से प्रभावी और निदेशक–मानव संसाधन-अतिरिक्त प्रभार	6.83	25.88	2.04
श्रीमती आर वसंती-निदेशक (उत्पादन) अतिरिक्त प्रभार 19.05.2023 तक*	-	3.31	2.04
श्रीमती शालिनी घटक-कंपनी सचिव (06.07.2023 से प्रभावी)*	2.89	8.41	-
श्री आर एम अग्रवाल – पूर्व - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	-	-	8.87
श्री राकेश चंद्र तिवारी – पूर्व निदेशक (विपणन)	-	35.28	45.98
श्री डी वेंकटेश्वरूलू – पूर्व – निदेशक (उत्पादन)	-	-	42.07
श्री शशिप्रकाश गुप्ता – पूर्व – निदेशक (मानव संसाधन)			
श्रीमती शनमुगा प्रिया – पूर्व - कंपनी सचिव	-	-	16.20
डॉ राजा नायक-स्वतंत्र निदेशक	0.50	1.50	1.80
श्री श्री बिलेश्वर सिन्हा – स्वतंत्र निदेशक	0.30	1.20	1.30
श्रीमती ममता पलारिया – स्वतंत्र निदेशक	0.30	1.30	1.80

* वर्ष का अंश

ग) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के इतर संबंधित परतियों के साथ लेनदेन निम्नानुसार है (पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में दर्शित है) :

विवरण	एसोशिएट/संयुक्त उद्यम
	इंडिया सेटकॉम लिमिटेड
माल का क्रय	शून्य
माल की बिक्री	
सेवाएँ प्रदान करना	
प्राप्त सेवाएँ	
प्राप्त किराया (लीज़)	
ब्याज आय	
निवेश पर लाभांश आय	
31.03.2024 पर बकाया ऋण (ब्याज सहित)	
31.03.2024 पर बकाया व्यापार देनदारियाँ	
31.03.2024 पर बकाया प्राप्य व्यापार	
31.03.2024 पर इक्विटी में निवेश	40.55 लाख रु. (40.55 लाख)
31.03.2024पर बकाया कराया के लिए अग्रिम	शून्य

घ) संबंधित पार्टियों के साथ निपटाए गए सभी लेनदेन सरल रूप में पहुँच के आधार पर है।

ङ)	सभी बकाया शेष राशि (ऋण के अलावा) असुरक्षित हैं और अगले 6 महीनों के अंदर नकद में प्रतिदेय है। ऋण के बकाया शेष राशि के लिए नीचे टिप्पणी (ज) का संदर्भ लें।
च)	**संबंधित पार्टियों को ऋण**
	शून्य
छ)	**कर्मचारियों की प्रतिनियुक्त सहित प्रबंध अनुबंध:-**
	शून्य
	'सरकार एवं सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेन :- जैसा कि आईटीआई संचार मंत्रालय (एमओसी) के नियंत्रणाधीन एक सरकारी संस्था है, सरकार एवं सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेन के संबंध में भारतीय लेखा मानक 24 के अधीन अपेक्षित अनुसार कंपनी ने विवरणात्मक प्रकटीकरण का प्रावधान किया है।
ज)	भारतीय लेखा मानक 24 के अधीन अपेक्षित अनुसार, व्यक्तिगत रूप में महत्वपूर्ण लेनदेन नीचे दिये जाते हैं : - 1. शेयरों की पुनर्खरीद। 2. जारी बोनस। 3. प्रदत्त लाभांश।

2023-24 सुख-सुविधाओं पर पूंजीगत व्यय

करोड़ रु. में

विवरण	लागत पर सकल निरुद्ध					मूल्यह्रास					निवल ब्लॉक	
	31.03.2023 तक	इस वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बेची/रद्द परिसंपत्तियाँ	अंतरण तथा समायोजन	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक	इस वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान बेची/रद्द परिसंपत्तियाँ	अंतरण तथा समायोजन	31.03.2024 तक	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
	1	2	3	4	5=1+2-3-4	6	7	8	9	10= 6+7-8-9	11= 5-10	12
टाउनशीप	1104.34	0.02	0.00	0.00	1104.36	110.90	0.50	0.00	0.00	111.40	992.96	993.44
परिवहन	7.27	0.00	0.00	0.00	7.27	6.65	0.15	0.03	0.00	6.77	0.50	0.62
चिकित्सा	8.37	0.00	0.00	0.00	8.37	3.69	0.06	0.00	0.00	3.75	4.62	4.68
कैंटीन	6.16	0.00	0.00	0.00	6.16	3.42	0.10	0.00	0.00	3.52	2.64	2.74
स्कूल, क्लब, आडिटोरियम, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलाप	12.85	0.00	0.00	0.00	12.85	5.64	0.09	0.00	0.00	5.73	7.12	7.21
सब्जी की खेती और उद्यान आदि	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02	0.02
कुल	**1139.04**	**0.02**	**0.00**	**0.00**	**1139.06**	**130.33**	**0.90**	**0.03**	**0.00**	**131.20**	**1007.86**	**1008.71**

2023-24 सुख-सुविधाओं पर राजस्व व्यय

विवरण	**टाउनशिप**	**परिवहन**	**चिकित्सा**	**कैंटीन**	**स्कूल, क्लब ऑडिटोरियम, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलाप**	**सब्जी की खेती और उद्यान आदि**	**2023-24**	**2022-23**
वेतन और भत्ते	6.18	1.09	2.63	0.64	0.03	0.00	**10.57**	**12.82**
वर्दी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.03**
अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.05**
आपूर्ति एवं अन्य सेवाएँ	0.06	0.00	3.15	2.92	0.00	0.00	**6.13**	**5.52**
ऊर्जा, बिजली और जल	2.64	0.00	0.10	0.04	0.01	0.00	**2.79**	**3.36**
परिवहन प्रभार	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	**1.50**	**1.64**
किराया, दर, कर और बिमा	0.11	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.14**	**0.18**
अनुरक्षण एवं मरम्मत	2.76	0.25	0.11	0.01	0.01	0.46	**3.60**	**2.92**
मूल्यह्रास – भवन	0.35	0.01	0.02	0.04	0.06	0.00	**0.48**	**0.63**
मूल्यह्रास- संयंत्र मशीनरी उपस्कर और वाहन	0.13	0.15	0.04	0.00	0.01	0.00	**0.33**	**0.36**
सामान्य उपरिव्यय	0.02	0.01	0.80	0.00	0.00	0.00	**0.83**	**0.62**
	12.25	**3.04**	**6.85**	**3.65**	**0.12**	**0.46**	**26.37**	**28.13**
घटाएँ :								
वसूली/समायोजन								
किराया	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**11.21**	**17.48**
ऊर्जा, बिजली और जल	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.92**	**0.85**
परिवहन प्रभार	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.02**	**0.05**
प्रति व्यक्ति शुल्क और अन्य वसूली	0.00	0.00	0.01	0.06	0.00	0.00	**0.07**	**0.11**
विक्रय राशियाँ	0.00	0.03	0.00	0.15	0.00	0.00	**0.18**	**0.15**
अप्रत्यक्ष व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
टाउनशिप, चिकित्सा और कार्यालय प्रयोग के लिए विनिधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
	12.13	**0.05**	**0.01**	**0.21**	**0.00**	**0.00**	**12.40**	**18.64**
निवल व्यय	0.12	2.99	6.84	3.44	0.12	0.46	**13.97**	**9.49**
पूंजीगत परिव्यय पर ब्याज कल्पित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.48**
कुल व्यय	**0.12**	**2.99**	**6.84**	**3.44**	**0.12**	**0.46**	**13.97**	**9.97**
पिछला वर्ष	**-3.82**	**3.64**	**6.83**	**2.66**	**0.47**	**0.19**	**9.97**	**9.97**

एकल स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में, आईटीआई लिमिटेड के सदस्यगण,

भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसरण में आईटीआई लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों की रिपोर्ट

भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसरण में कंपनी के वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित एकल वित्तीय विवरणों की हमारे द्वारा लेखापरीक्षित एवं निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 28 मई, 2024 को अनुमोदित एवं हमारे द्वारा समतिथि को रिपोर्ट की गई रिपोर्ट, भारत को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के उपबंधों के अनुसरण में की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान की गई टिप्पणियों के आलोक में, संशोधित की गई है। तदनुसार, यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 28 मई, 2024 की हमारी पूर्व लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अधिक्रमण करती है। दिनांक 28 मई, 2024 को जारी हमारी मूल लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि के पश्चात घटित घटनाओं के प्रति हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं पूर्णत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किए गए प्रेक्षणों तक ही सीमित हैं।

मत का प्रकटीकरण

हमारी सेवाएं आईटीआई लिमिटेड ('कंपनी') के लिए 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के तुलनपत्र, एकल लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह विवरण, इक्विटी परिवर्तन विवरण युक्त भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार निर्मित संलग्न स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार संक्षेप तथा अन्य स्पष्टकारी सूचना (एतद्वारा स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण 'एसएफएस' के नाम से संदर्भित) की लेखापरीक्षा के लिए प्राप्त की गई थीं।

हम कंपनी के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों पर अपने किसी मत की अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हैं। ऐसा हमारी रिपोर्ट के 'मत प्रकटीकरण के आधार' में वर्णित उन मामलों के प्रभाव के कारण है जिनके संबंध में हम इन एकल वित्तीय विवरणों पर अपने लेखापरीक्षा मत की अभिव्यक्ति के आधार की प्रस्तुति के लिए पर्याप्त एवं यथोचित लेखापरीक्षा प्रमाण एकत्र नहीं कर पाए हैं।

मत के प्रकटीकरण का आधार

1) निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 29 मई, 2023 को अनुमोदित 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के कंपनी के एकल वित्तीय विवरण की रिपोर्टिंग पूर्व लेखापरीक्षक मैसर्स जीआरएसएम एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा समतिथि की रिपोर्ट के माध्यम से की गई थी। इस रिपोर्ट के माध्यम से, उन्होंने उक्त एकल वित्तीय विवरण के 'अर्हक मत के आधार' भाग में वर्णित मामलों के महत्व के कारण अपने मत की अर्हता तथा एकल वित्तीय विवरणों एवं उक्त वित्तीय वर्ष से संबंधित मदों के प्रभाव का परिमाण निर्धारित करने / उनका पता लगाने की अपनी असमर्थता की अभिव्यक्ति की थी। उनकी अर्हता तथा प्रेक्षणों का प्रभाव चालू वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों पर जारी रह सकता है। प्रबंधन की ओर से हमें चालू वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों से संबंधित इन मदों के प्रभाव की अर्हता हमें उपलब्ध नहीं करवाई गई है तथा तदनुसार, हम इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं।

2) इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी एसए 510 – प्रारंभिक लेखापरीक्षा कार्य – प्रारंभ शेष के संदर्भ में, हमने 31 मार्च, 2024 तक एकल वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई परिसम्पतियों एवं देयताओं की कुछ मदों के विवरण एवं उनकी वर्तमान स्थिति का विवरण मांगा था। प्रबंधन द्वारा हमें 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार उक्त तुलन पत्र में से अग्रेषित क्रमशः 3,563.55 लाख रुपए और 10,652.02 लाख रुपए के संचयी नामे तथा क्रेडिट शेष एवं क्रमश: समान खाते में दर्शाए गए 3,690.45 लाख रुपए और 15,500.23 लाख रुपए के नामे एवं क्रेडिट शेष का अपेक्षित ब्रेकअप एवं उनकी वर्तमान स्थिति की प्रस्तुति नहीं की गई थी। इन खातों का सारांश इस रिपोर्ट के अनुलग्नक – घ में प्रस्तुत है।

3) यथोचित कोडिंग / क्रॉस -रेफ्रेंस प्रणाली (एकल वित्तीय विवरणों के नोट 1 में संदर्भित) न होने के कारण कंपनी द्वारा भूमि (फ्रीहोल्ड/लीजहोल्ड) रिकार्ड तथा सिविल इंजीनियरिंग विभाग ('सिविल') द्वारा अनुरक्षित विस्तृत रिकार्ड की सह-सम्बद्धता नहीं की जा सकी है। संज्ञान में आए दस्तावेजों की सभी विसंगतियां एवं अन्य मामले सिविल द्वारा अनुरक्षित रिकार्ड पर आधारित हैं। सदस्यों का ध्यान हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैराग्राफ 1(सी) में वर्णित मामलों की ओर आकर्षित किया जाता है जिनके संबंध में कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जानी अपेक्षित है तथा जिनके संबंध में हमने ऐसी भूमि की विस्तृत पहचान न कर पाने की अपनी असमर्थता व्यक्त की है जो कंपनी के नाम नहीं है। कंपनी के नाम से हक विलेख होने से संबंधित अन्य अनेकों विसंगतियां हैं।

4) एकल वित्तीय विवरणों के नोट 1 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें भूमि एवं भवनों से संबंधित देय सम्पति की स्वीकृति या तो अनुमानों के आधार पर किए जाने अथवा राजस्व प्राधिकरणों से मांग प्राप्त न होने / अथवा सिविल में उपलब्ध परिसम्पति रिकार्ड के अनुसार भूमि लंबित अपेडेशन / समाधान के कारण निर्धारण न किए जाने का उल्लेख है। यथोचित रिकार्ड प्राप्त न होने के कारण से स्वीकृत प्रावधानों की पर्याप्तता / पूर्णता / शुद्धता, स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों पर होने वाले प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सका है।

5) कंपनी के स्वामित्व वाली / पट्टे पर प्राप्त भूमि एवं भवनों (बिक्री / पट्टा विलेख, उनकी स्थिति, सम्पति के उपयोग के उद्देश्य, सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) एवं निवेश सम्पति (आईपी) में किए जाने वाले वर्गीकरण, उनसे संबंधित परिशोधन किए जाने अथवा न किए जाने की अपेक्षा, उनसे उत्पन्न आय आदि) का अपेक्षित विवरण हमें प्रस्तुत नहीं किया गया था। 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार ऐसी परिसम्पतियों की मूल लागत तथा उनका ह्रासित मूल्य क्रमश: 7,657.03 लाख रुपए तथा 7,592.54 लाख रुपए है। कंपनी द्वारा भूमि एवं भवनों की कुछ मदों पर 334.91 लाख रुपए की आय स्वीकृत की गई है तथापि उनसे संबंधित पट्टा समाप्त हो गया है और हमारी जानकारी के अनुसार इसका नवीकरण अभी नहीं हुआ है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान इंडएएस 40 – निवेश सम्पति के अनुसार कंपनी द्वारा निवेश सम्पति के उचित मूल्य, उनके उचित मूल्य के निर्धारण के आधार, ऐसी परिसम्पतियों से उत्पन्न किराया आय एवं किराया आय उत्पन्न करने वाली निवेश परिसम्पतियों के प्रत्यक्ष परिचालन व्यय (मरम्मत एवं अनुरक्षण सहित) प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

6) सामग्रीगत महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के उपबंधों के अनुसरण में कंपनी द्वारा किसी परिसम्पति में इंडएएस 36 'परिसम्पतियों की अक्षमता हानि के अनुसरण में व्याप्त अक्षमता हानि के परीक्षण का मूल्यांकन किए जाने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7) 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार बेंगलूरू यूनिट (बीजीपी) में पूंजी कार्य प्रगति पर में निम्नलिखित परिसम्पतियां शामिल की गई हैं जो हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार उपयोग में लाई जा रही है परन्तु प्रकट रूप में जिन्हें कुछ दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण उपयोग में लाया जा रहा है। हम संबंधित दस्तावेजों के साथ उनके वहन मूल्य/ उपयोग काल विवरण का सत्यापन एवं एकल वित्तीय विवरणों में उनकी मूल्यह्रास स्वीकृति न किए जाने के प्रभाव की स्वीकृति नहीं कर पा रहे हैं।

परिसम्पति का विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार वहन मूल्य (रुपए लाख में)
नवीन डेटा केन्द्र	2,669.45
अन्य पूंजी कार्य प्रगति पर	3,923.39
एनआईएफटी भवन (संदर्भ नोट 2 से एसएफएस)	6,582.06

8) कंपनी ने स्वयं द्वारा इंडएएस 116 – पट्टे के भावार्थ में पट्टेदार / पट्टादाता के रूप में किए गए पट्टा अनुबंधों की स्वीकृति नहीं की है तथा न ही इसके परिणामस्वरूप लेखांकन नीति के विपरित स्वीकृति, मापन के सिद्धांतों को अंगीकार किया है और न ही प्रकटीकरण किए हैं परन्तु अनुबंध के उपबंधों के अनुसार लाभ अथवा हानि विवरण में प्राप्य / देय किराए का व्ययन / आय के रूप में स्वीकृति की है। इंडएएस 109 – वित्तीय प्रपत्र के

भावार्थ के अनुसरण में इससे संबंधित चुकता / प्राप्त सुरक्षा जमा की स्वीकृति लाभ अथवा हानि विवरण में नहीं की गई है।

9) कंपनी के पास टैली प्राइम सॉफ्टवेयर (लेखा बही) में तैयार किए जाने वाले विशिष्ट बिलों के प्रति प्राप्त होने वाले भुगतान के विनियोजन की कोई प्रणाली नहीं है तथा इसके लिए तैयार किए जाने वाले बिलों एवं प्राप्त भुगतानों के लिए मात्र एक रनिंग एकाउंट का ही उपयोग किया जा रहा है। ऐसा होने से कंपनी के पास कुछ एक्सेल वर्किंग है जिसके आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्दिष्ट व्यापार प्राप्यों से संबंधित कालक्रम वार डेटा प्रस्तुत किया जाता है। हम प्रस्तुत किए गए कालक्रम वार डेटा का स्वतंत्र सत्यापन लेखा बहियों के साथ नहीं कर सकते हैं तथा हमने एक्सेल कार्यप्रणाली का ही उपयोग किया है। इसके अलावा, शेष राशियों की पुष्टि की प्राप्ति / लेखा बहियों के साथ लेखा विवरणों का मिलान की प्रक्रिया भी कंपनी द्वारा नहीं की गई है। एकल वित्तीय विवरण के नोट 4 (बी) और 7 में प्रस्तुत डेटा का भी सत्यापन हम नहीं कर पाए हैं। व्यापार प्राप्यों में 18,099.63 लाख रुपए और 1,95,310.44 लाख रुपए की राशियां शामिल हैं जो 6 महीने से अधिक परन्तु एक वर्ष से कम के ऋण और एक वर्ष से अधिक और तीन वर्षों तक/उससे अधिक के ऋण को दर्शाते हैं। कंपनी द्वारा इंडएएस 109 - 'वित्तीय प्रपत्र' के उपबंधों के अनुसरण में संभावित क्रेडिट हानि के प्रमात्रा का मूल्यांकन एवं स्वीकृति नहीं की गई है तथा इससे संबंधित अपेक्षित प्रकटीकरण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

10) कंपनी ने चालू वित्तीय परिसम्पतियों के अंतर्गत शामिल निम्नलिखित मदों के संबंध में अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण (संभावित क्रेडिट हानियां) के प्रावधान नहीं किए हैं जिनकी वसूली भी संदेहास्पद है :

क. सी-डॉट से 2005-06 से 2010-11 तक की अवधि में पट्टे पर प्रदान किए गए परिसरों के किराए के प्रति 5,847.90 लाख रुपए की राशि वसूलीय है।

ख. कंपनी की मनकापुर यूनिट के संबंध में आईटीआई, एचसीएल एवं अल्काटेल के मध्य किए गए अनुबंध के आधार पर व्यय की गई अधिक राशि के प्रति 1,690.20 लाख रुपए की राशि एचसीएल इंफोसिस्टम्स लिमिटेड से मुआवजे के रूप में वसूलीय है।

ग. हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्यूनिकेशंस लिमिटेड से निर्णित हर्जाने के प्रति 1,049.41 लाख रुपए की राशि वसूलीय है।

घ. माइंडएरे से साख पत्र के नकदीकरण के प्रति 1,023.00 लाख रुपए की राशि वसूलीय है।

ड़. दक्षिण पश्चिम रेलवे से भूमि की बिक्री के प्रति प्रतिफल की 2,908.02 लाख रुपए की राशि वसूलीय है।

च. दावे एवं व्यय शीर्ष के अंतर्गत शामिल 344.48 लाख रुपए (ब्यौरा उपलब्ध नहीं) की राशि वसूली है।

तदनुसार, यदि कंपनी द्वारा ऋण हानियों के प्रति प्रावधान किए होते तो वर्ष के दौरान हानि काफी उच्चतर होती तथा निवल चालू परिसम्पतयों में 12,863.01 लाख रुपए की कमी आती।

11) कंपनी को वर्ष 2014-15 के दौरान 1% की वहनीय ब्याज दर पर संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार से 30,000 लाख रुपए का साफ्ट ऋण प्राप्त हुआ था। बाजार ऋण दर पर विचार के पश्चात इस ऋण के उचित मूल्य की स्वीकृति नहीं की गई थी। कंपनी द्वारा वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं की पहचान इंडएएस 109 के भावार्थ के अनुसार नहीं की गई है तथा ऐसा करके स्वीकृति, मापन, मापन के सिद्धांतों का अनुसरण एवं उनसे संबंधित प्रकटीकरण नहीं किए गए हैं।

12) 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार 22,220.13 लाख रुपए के बही मूल्य के एनआरवी की विभिन्न स्थलों / भंडारों में रखी अनेक पुरानी मदों में शामिल मालसूचियों का विवरण उपलब्ध नहीं करवाया गया है। कंपनी की विभिन्न स्थलों पर रखी गई मालसूचियों में पुरानी मालसूचियां शामिल हैं तथा इनके कालातीत होने के निर्धारण के लिए कालक्रम, उपयोगिता एवं सेवायोज्यता के मूल्यांकन नहीं किए गए हैं। कंपनी ने, हमें दी गई सूचना के अनुसार, किए गए भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है तथा किसी प्रकार की अधिकता/कमी की सूची सुलभ रूप से उपलब्ध न होने के कारण हम यह सत्यापन नहीं कर पा रहे हैं कि क्या लेखा बहियों में किसी प्रकार के समायोजन किए जाने अपेक्षित थे अथवा नहीं थे। विभाजक विवरण प्रस्तुति करने वाली मालसूचियों की सुलभ सूची हमें उपलब्ध नहीं करवाई गई थी जिसके कारण हम कच्चे माल और उत्पादन भंडार, निर्माण अनुबंधों के अंतर्गत जारी की गई सामग्रियों, गैर-उत्पादन भंडार, उत्पादन / संस्थापन की प्रक्रिया के कार्य, निर्मित घटकों, तैयार माल, भंडार मिलान लेखा, मार्गस्थ सामग्री एवं जांच प्रक्रिया के लिए लंबित माल से संबंधित पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं। हमने विभिन्न एक्सेल शीट में प्रस्तुत की गई सूचियों का उपयोग किया तथा हम भंडार रिकार्डों का स्वतंत्र सत्यापन लेखापरीक्षित एकल वित्तीय विवरणों के नोट 6 में प्रस्तुत राशियों के साथ नहीं कर पाए हैं। पूर्ण डेटा उपलब्ध न होने के कारण हम ऐसे भंडारों तथा स्पेयर्स के मूल्यांकन से संबंधित पर्याप्त यथोचित लेखापरीक्षा प्रमाण इस आशय से प्राप्त नहीं कर सके हैं कि क्या ये इंडएएस 2 – मालसूचियां के अनुसरण में हैं अथवा नहीं हैं।

13) कुछ चालू/गैर-चालू देयताओं के बारे में प्रत्येक देय राशि से संबंधित सम्पूर्ण विवरण / प्रकृति तथा कालक्रम, लंबित होने के कारण, पार्टियों द्वारा दावा न किए जाने के कारण, पुष्टि/लेखा विवरण/ समाधान की प्रस्तुति नहीं की गई थी।

14) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत विक्रेताओं से संबंधित सूचना के प्रकटीकरण के संबंध में स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण के नोट 17(सी) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार विक्रेताओं की पहचान की प्रक्रिया लंबित है तथा जिसके परिणामी प्रभाव से उक्त अधिनियम की धारा 23 के ब्याज ब्याज, यदि कोई हो, के संबंध में हुए एकल वित्तीय विवरणों पर परिणामी प्रभाव ज्ञात नहीं किए जा सके हैं।

15) कंपनी ने प्रारंभिक स्वीकृति की तिथि से 12 माह की अवधि (उदाहरण : स्वीकृत / चुकता कर्मचारियों से विभिन्न प्राप्यों, देय धारित धन, सुरक्षा जमा आदि) से आगे की अपनी उन सभी वित्तीय परिसम्पतियों देयताओं के बारे में परिशोधन लागत एवं देय / प्राप्य अनुबंध राशियों के मध्य की भिन्नता पर व्यय / आय के परिशोधन / स्वीकृति के निर्धारण के उद्देश्य से इंडएएस 109 'वित्तीय प्रपत्र' की अपेक्षा के अनुसार उचित मूल्यांकन नहीं करवाया है।

16) कंपनी ने अपनी सभी यूनिटों के लिए आईटीआई कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट ("पीएफ ट्रस्ट) में अंशदान किया गया है जिसके लिए सामग्री लेखांकन नीतियों के प्वांइट 22(ई) में किए गए उल्लेख को परिभाषित अंशदायी योजना के रूप में विचार में लिया गया है तथा इसे चालू वर्ष एवं पूर्व वर्षों, दोनों, के लिए विचारित परिभाषित हितलाभ योजना के रूप में विचार में नहीं लिया गया है। तदनुसार, ट्रस्ट के प्रति देयता का बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार स्वीकृति की जानी चाहिए न कि वर्ष के दौरान पात्र वेतन के 12% के अनुसार। इसके लिए अपेक्षित परिणामी प्रकटीकरण इंडएएस 19 – कर्मचारी हितलाभ के अनुसार प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

17) कंपनी द्वारा कर्मचारी मृत्यु हितलाभ योजना के प्रति कर्मचारियों से संबंधित अपनी देयता के लिए बीमांकिक मूल्यांकन नहीं किए गए हैं जो किसी भी वर्ष में कर्मचारियों से की जाने वाली वसूलियों एवं उनके ब्याज से उपलब्ध निधियों तथा मृतक कर्मचारियों के प्रति देय राशि में न्यूनता के कारण देय हो सकते हैं।

18) कंपनी ने लेखा बहियों का समाधान अपनी सभी यूनिटों / डिवीजनों / कॉर्पोरेट कार्यालयों की जीएसटी विवरणियों (टर्नओवर, छूट प्राप्त टर्नओवर, देय कर, उपलब्ध एवं प्रयुक्त इनपुट कर क्रेडिट तथा स्रोत पर कर कटौती) के साथ नहीं किया है तथा यह उपलब्ध न होने के कारण हम स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों पर होने वाले प्रभाव ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं। कंपनी को अपने प्राप्त अग्रिमों की जांच तथा संबंधित अनुबंधों के आधार पर प्राप्त संबंधित अग्रिमों के वस्तु एवं सेवा भाग की पहचान करनी चाहिए तथा प्राप्त अग्रिमों के ऐसे सेवा भाग पर जीएसटी के विप्रेषण का सुनिश्चय करना चाहिए। कंपनी द्वारा अनुपालन एवं अपेक्षित यथोचित कार्रवाई के संबंधित मामलों की जांच की जा सकती है। वस्तु एवं सेवा भाग के यह विभाजक लंबित होने के कारण हम यह ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं कि अग्रिमों एवं उनके परिणामी ब्याज के प्रति यदि किसी प्रकार की जीएसटी देयता है तो क्या उसके लिए लेखा बहियों में प्रावधान किए गए हैं अथवा नहीं किए गए हैं। कंपनी ने क्रमश: वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 से अपनी बहियों

एवं किए गए कुछ पंजीकरणों की विवरणियों की टर्नओवर के समाधान के प्रति वार्षिक विवरण की प्रस्तुति नहीं की है जबकि इसकी प्रस्तुति सीजीएसटी नियमावली, 2016 के नियम 80 के अंतर्गत की जानी अपेक्षित है।

19) कंपनी ने बहियों के साथ आयकर पोर्टल वेबसाइट पर फार्म 26एएस एवं एआईएस की प्रविष्टियों का समाधान नहीं किया है। उपलब्ध अपर्याप्त डेटा / समाधान के कारण हम फार्म 26एएस/ एआईएस/टीआईएस में की गई प्रविष्टियों तथा इनसे संबंधित अग्रिम कर / धनवापसियों / विवादित कर, यदि कोई हो, के लिए एकल वित्तीय विवरण में किए परिणामी प्रकटीकरण की स्वतंत्र वैधता नहीं कर पा रहे हैं।

20) एकल वित्तीय विवरण के नोट 31 में दिए गए विवरण के अनुसार कंपनी ने आकस्मिक देनदारियों और पूंजी प्रतिबद्धताओं के बारे में ज्ञात सीमा तक रिपोर्टिंग की है। यथोचित विधिक परामर्श, जहां लागू है, के साथ संबंधित देयताओं की व्यवहार्यता के परीक्षण सहित कंपनी की सभी डिवीजनों को पूर्ण एवं विस्तृत सूची उपलब्ध न होने के कारण हम उक्त नोट में रिपोर्ट किए गए मूल्यों की पूर्णता / सटीककता को एवं इनके संबंध में अपेक्षित किसी प्रावधान का निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं।

21) कंपनी द्वारा इंडएएस 115- ग्राहकों से राजस्व के भावार्थ के अंतर्गत सुस्पष्ट निष्पादन दायित्व के रूप में ग्राहकों के प्रति वारंटी दायित्वों को न तो संज्ञान में लिया है तथा जब कभी ये दायित्व उत्पन्न होते हैं तो इनकी स्वीकृति इस तर्क के साथ की जाती है कि इनके संबंध में सामान्यत: इसका अपने विक्रेताओं से बैक-टू-बैक दावा है। कंपनी द्वारा किए गए प्रत्येक अनुबंध में ऐसे अधिकारों के उल्लेख वाले अपेक्षित दस्तावेज हमें प्रस्तुत नहीं किए हैं।

22) 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार पालाक्काड यूनिट को अपने कुछ ग्राहकों से 51 लाख रुपए की राशि की प्राप्ति हुई है जिसका लेखांकन लेखा बहियों में इस कारण से नहीं किया गया है कि प्रबंधन अपने द्वारा उत्पन्न विशिष्ट इनवॉयसों के साथ इनकी प्राप्तियों का मापन नहीं कर पा रही है। तदनुसार, 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार कंपनी के बैंक शेष में 51 लाख रुपए की राशि की न्यूनोक्ति तथा लेखा प्राप्य शेष में समान राशि की अत्योक्ति हुई है। (बलाराम एंड नंदकुमार, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी दिनांक 24 मई, 2024 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार)

23) कंपनी ने अधिनियम की अनुसूची III के भाग II के उपबंधों के अनुसरण में नीचे दिए गए अपेक्षित डेटा का संकलन एवं अपेक्षित डेटा का प्रकटीकरण नहीं किया है।

क्र.सं.	प्रस्तुत न किए गए अपेक्षित प्रकटीकरण
1.	निवेश सम्पति का उचित मूल्य
2.	भंग कंपनियों के साथ सम्बद्धता

24)

क. एकल वित्तीय विवरणों के नोट 22 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें कंपनी द्वारा रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के साथ किए गए एक अनुबंध की स्थिति का उल्लेख किया है जो सहमत शर्तों पर आर्मी स्टेटिक स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क (एएससीओएन) की आपूर्ति एवं स्थापना से संबंधित है। इस अनुबंध के उपबंधों के अंतर्गत कंपनी से अपनी क्षमताओं एवं साथ ही ग्राहक की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए सम्पूर्ण समाधान युक्त एक अनिवार्य प्रस्तुति किए जाने की अपेक्षा की गई थी जिसका मूल्यांकन ग्राहक द्वारा किया जाना था तथा हो टैस्ट बैड मूल्यांकन प्रक्रिया का ए क अनिवार्य अंग था। उक्त नोट में उल्लिखित कारणों के साथ हमें सूचित किया गया है कि 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार टैस्ट बैड अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है तथा इसकी प्राप्ति कुछ वर्णित क्रियाओं के पूर्ण होने पर होनी अपेक्षित थी। कंपनी द्वारा टैस्ट बैड अनुबंध के लंबित अनुमोदन के साथ आंशिक निष्पादन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है तथा कंपनी प्रबंधन के मतानुसार इससे 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार पहले से ही स्वीकृत 1,48,686.48 लाख रुपए की राशि के राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं होगा। हमने कंपनी द्वारा दी गई प्रस्तुति को विश्वास में लिया है तथा स्वीकृत राजस्व के प्रति अपने किसी स्वतंत्र मत की कोई अभिव्यक्ति नहीं की है।

ख. कंपनी ने एक ग्राहक के साथ एक निर्दिष्ट क्षेत्र में नेटवर्क के कार्यान्वयन के लिए 2,48,954.87 लाख रुपए के कुल सहमत मूल्य (ओ एंड एम तथा करों के अलावा) का अनुबंध किया है। यह अनुबंध पूर्ण नहीं होने पर भी इसके प्रति कंपनी ने 2,36,701.57 लाख रुपए के राजस्व की स्वीकृति दी है। प्रतिशत पूर्णता उपलब्ध न होने के कारण हमें राजस्व स्वीकृति के समर्थन के लिए यथोचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त नहीं हो सके हैं।

ग. कंपनी की राजस्व स्वीकृति की लेखाप्रणाली कार्य पूर्णता के प्रतिशत पर आधारित है। कंपनी की प्रत्येक अनुबंध की कुल लागतों के पुनर्मूल्यांकन तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को व्यय की जाने वाली लागतों के संबंध में प्रलेखन प्रणाली अपर्याप्त है जो ग्राहक द्वारा कार्य पूर्णता के साक्ष्यांकित एवं प्रमाणित डेटा, ऐसे कार्य जो पूर्ण हुए हैं परन्तु जिसका प्रमाणन अभी नहीं हुआ है तथा कार्य की प्रगति पर व्ययित लागत के आंतरिक मूल्यांकन पर आधारित है। कंपनी द्वारा वर्ष के अंत तक 2,17,467.63 लाख रुपए के बिल न किए गए राजस्व की स्वीकृति भी की गई है। इनमें 31 मार्च, 2023 तक बिल न किए गए उस राजस्व की स्वीकृति भी शामिल है जिसके बिल कार्य के प्रमाणन के पश्चात ग्राहक को 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार नहीं किए गए हैं। कंपनी ने हमें बिल न किए गए राजस्व का ऐसा विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे बिल किए जाने से पूर्व प्राप्त उस उपलब्धि की पहचान संभव हो सके जिसके बिल अभी जारी नहीं किए गए हैं तथा जिसकी उक्त उपलब्धि के संबंध में आगे की जाने वाली लागतों का वहन अभी किया जाना है तथा व्यय की जाने वाली ऐसी संभावित लागतों के अनुमान प्रमाणन की प्राप्ति के उद्देश्य से फिर से लगाए जा रहे हैं / बदलाव किए जा रहे हैं। तदनुसार, हमें राजस्व स्वीकृति के संबंध में यथोचित एवं पर्याप्त लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं।

25) एकल वित्तीय विवरणों के नोट 22 तथा नोट 25 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें कंपनी ने "व्यापक शीर्षों के अंतर्गत बिक्री" एवं "व्यापक शीर्षों के अंतर्गत सेवा आय" (नोट22), "व्यापक शीर्षों के अंतर्गत माल क्रय" (नोट 25 (ए)) तथा व्यापक शीर्षों के अंतर्गत सेवा व्यय" (नोट 25(बी)) का ब्यौरा उपलब्ध करवाया है। हम प्रस्तुत इस ब्यौरे का लेखा बहियों से मिलान की स्वतंत्र वैधता नहीं कर पा रहे हैं तथा हमने इस वर्किंग का उपयोग किया है।

26) एकल वित्तीय विवरणों के नोट 31 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें कंपनी द्वारा किए गए अन्यथा अनुपालन की रिपोर्ट की गई है। हमारा यह मानना है कि निदेशक मंडल की बैठकों के कोरम, लेखापरीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, स्टेकधारक संबंध समिति तथा जोखिम प्रबंधन समिति के गठन से संबंधित अन्यथा अनुपालन के संबंध में सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ है। पर्याप्त त्वरित डेटा / सूचना उपलब्ध न होने के कारण हम उक्त नोट में राशियों का स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं। कंपनी ने हमारे सम्मुख यह पुष्टि की है कि उक्त अन्यथा अनुपालन किसी प्रकार की लापरवाही के कारण से न होने के उल्लेख के साथ स्टॉक एक्सचेंजों के सम्मुख जुर्माने से छूट प्रदान किए जाने के प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए हैं तथा यह भी कि पिछले वर्ष बीएसई / एनएसई द्वारा छूट प्रदान की गई थी। तदनुसार, कंपनी का यह मानना है कि इन जुर्मानों के प्रति भी समान आधार पर छूट प्रदान की जाएगी। जुर्माने तथा ब्याज के प्रावधान न किए के परिणाम तथा तथा एकल वित्तीय विवरणों पर होने वाले परिणामी प्रभाव ज्ञात नहीं किए जा सके हैं।

व्यवहार में लाए गए ऊपर उल्लिखित सभी मामलों के संबंध में समान:

विविध / ज्ञात न किए जा सके मिथ्या वर्णनों, यदि कोई हों, से संबंधित संभावित परस्पर क्रिया, उनमें व्याप्त एवं उनमें संभावित, स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों पर संभव, वैयक्तिक एवं संचयी प्रभाव, जो सामग्रीगत एवं व्यापक हो सकता है, तथा तदनुसार जो मत की अस्वीकृति का आधार हैं, के विचार हम अपने मत के निर्धारण के लिए पर्याप्त यथोचित लेखापरीक्षा प्रमाण नहीं कर पाए हैं।

गोइंग कंसर्न से संबंधित सामग्रीगत अनिश्चितता

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी का निवल घाटा 56,906 लाख रुपए है। कंपनी की गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रहने की क्षमता पर संदेह व्यक्त कर सकने

वाली घटनाओं एवं स्थितियों के बावजूद भी प्रबंधन के मतानुसार, भारत सरकार से प्राप्त अनवरत सहयोग, निष्पादित की जा रही पर्याप्त मार्जिन वाली आर्डर बुक के उच्च मूल्य, बैंकों द्वारा ऋण के रूप में पहले से ही स्वीकृत कार्यशील पूंजी की पर्याप्तता, अनुबंध उपलब्धियों को अगले 12 माह में बिल न किए गए राजस्व का बिल किए गए राजस्व में परिवर्तित करने, स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट 31 में वर्णित बिल किए गए बकायों के संग्रहण की वसूली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के विचार से गोइंग कंसर्न के लेखांकन का आधार यथोचित है। इस मामले पर हमारे मत में कोई संशोधन नहीं किया गया है। इसके संबंध में इस रिपोर्ट के अनुलग्नक – क के पैरा (xix) के अंतर्गत हमारी टिप्पणियों का भी संदर्भ लें।

मामले का प्रभाव

क) रूग्न औद्योगिक कंपनी अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार जब कंपनी रूग्न कंपनी घोषित की गई थी तब आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित वित्तीय सहायता के अंतर्गत पूंजी व्यय के लिए कंपनी को निधियां प्राप्त हुई थीं।

ख) कंपनी द्वारा निर्दिष्ट अनुपात के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों तथा कंपनी सचित की नियुक्ति से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया है।

ग) केरल सरकार से पुन:धारण की सूचना प्राप्ति के पश्चात भी कंपनी सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के अंतर्गत 77 एकड़ माप की भूमि के 19,470 लाख रुपए के वहन मूल्य का वहन कर रही है जो इसके संबंध में शीर्ष न्यायालय में कंपनी की ओर से दाखिल विवाद न्यायाधीन होने के कारण है।

(उपरोक्त मामले के लिए एकल वित्तीय विवरण के नोट संख्या 31 का संदर्भ लें।)

इन मामलों के संबंध में हमारे मत में संशोधन नहीं किया गया है।

एकल वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन के दायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम की धारा 134(5) ("अधिनियम") में वर्णित मामलों के संबंध में अन्य व्यापक आय, नकदी प्रवाह एवं कंपनी की इक्विटी परिवर्तन सहित कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन की सत्य एवं स्वच्छ छवि प्रस्तुत करने वाले इन एकल वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति, अधिनियम की धारा 133 में किए गए निर्धारण के अनुसार भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का अनुसरण करके निर्मित करने के प्रति उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में, कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा तथा जालसाजियों एवं अन्य अनियमितताओं से उनके बचाव के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों के रखरखाव करना; उचित लेखांकन नीति का चयन एवं उपयोग करना; औचित्यपरक एवं विवेकसम्मत निर्णय निर्धारण करना एवं अनुमान लगाना; तथा सत्य एवं स्वच्छ प्रस्तुत करने वाले एवं प्रत्येक प्रकार सामग्रीगत मिथ्या विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त इंड एएस एकल वित्तीय विवरणों का निर्माण करने एवं प्रस्तुत करने के सुनिश्चय के उद्देश्य से अभिकल्प करने, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं पूर्णत के लिए प्रभावी प्रक्रिया कर रहे है, का कार्यान्वयन एवं सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व भी शामिल है।

यदि प्रबंधन की मंशा परिचालनों को बन्द करने अथवा ऐसा करने के अलावा कोई अन्य विकल्प न होने के कारण कंपनी का ऋणशोधन करने की नहीं है तो प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों के निर्माण के दौरान गोइंग कंसर्न के आधार पर कंपनी की क्षमता का मूल्यांकन करने, यथा लागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन के आधार के लिए गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों एवं उनका उपयोग करने के प्रति उत्तरदायी है।

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के प्रति भी उत्तरदायी है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के प्रति लेखापरीक्षकों के दायित्व

हमारा दायित्व लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसरण में एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा करना तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है। तथापि, हमारी रिपोर्ट के मत के प्रकटीकरण के आधार भाग में वर्णित मामलों के कारण हम एकल वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा मत की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त यथोचित लेखापरीक्षा प्रमाण एकत्र नहीं कर पाए थे।

हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता की आचार अपेक्षाओं तथा कंपनी के संबंध में लागू विधियों एवं विनियमों के अंतर्गत निर्धारित आचार अपेक्षाओं के प्रति कंपनी से स्वतंत्र हैं।

अन्य मामले

हमने कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों (एफएस) में शामिल मानकपुर, रायबरेली, श्रीनगर, नैनी एवं पालक्काड घटक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है तथा इन एकल वित्तीय विवरणों (अंतर-यूनिट शेषों एवं संव्यवहारों के अलावा) में 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार 1,93,893.25 लाख रुपए की कुल परिसम्पतियां एवं इसी तिथि को समाप्त वर्ष की कुल आय 19,023.13 लाख रुपए दशाई गई है। इन घटक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा घटक लेखापरीक्षकों ने की है एवं इनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारे मतानुसार, इन घटक के संबंध में शामिल की गई राशियों एवं प्रकटीकरणों की सम्बद्धता केवल इन घटक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ ही है।

इन मामलों के संबंध में हमारे मत में संशोधन नहीं किया गया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट

1) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के उपबंधों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') की अपेक्षानुसार के अनुसार हम आदेश के पैराग्राफ 3 तथा 4 में निर्दिष्ट मामलों का विवरण **"अनुलग्नक-क"** में प्रस्तुत कर रहे हैं जो हमारे स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के 'मत के प्रकटीकरण के आधार' खंड में वर्णित मामलों के संभावित प्रभाव एवं एकल वित्तीय विवरण के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी रिपोर्ट के अधीन हैं।

2) अधिनियम की धारा 143 की अपेक्षाओं के अनुसरण में हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :-

क) हमने, मत के प्रकटीकरण के आधार के खंड किए गए वर्णन के अनुरूप, हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, लेखापरीक्षा के उद्देश्य से प्रत्येक सूचना तथा स्पष्टीकरण की मांग की है परन्तु हमें प्रत्येक सूचना एवं स्पष्टीकरणों की प्राप्ति नहीं हो पाई थी।

ख) हमारे मतानुसार, मत के प्रकटीकरण के आधार के खंड में वर्णित मामलों के अलावा, कंपनी द्वारा विधिक अपेक्षाओं के अनुसार लेखा बहियों का उचित रखरखाव किया गया है, जो कि हमें इन बहियों के संबंध में हमारी जांच से प्रतीत हुआ है।

ग) कंपनी के किसी शाखा कार्यालय के लेखों की लेखापरीक्षा की रिपोर्ट उप-धारा (8) के अंतर्गत कंपनी के लेखापरीक्षक के अलावा अन्य व्यक्ति तैयार करके हमें उक्त उप-धारा के परन्तुक के अंतर्गत तथा उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट के लिए प्रयोग में लाई गई प्रणाली के अनुसार भेजी गई है।

घ) मत के प्रकटीकरण के आधार के खंड में वर्णित मामलों के अलावा, इस रिपोर्ट में वर्णित अन्य व्यापक आय, इक्विटी परिवर्तन विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण सहित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

ङ) ऊपर मत के प्रकटीकरण के आधार के खंड में वर्णित मामलों के संभावित परिणामों के कारण हम यह उल्लेख करने की स्थिति में नहीं है कि क्या उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के साथ पठित यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2021 के अनुरूप हैं अथवा अनुरूप नहीं हैं।

च) ऊपर मत के प्रकटीकरण के आधार के खंड में वर्णित मामलों के संभावित परिणामों के कारण हम यह उल्लेख करने की स्थिति में नहीं है कि क्या इनसे कंपनी की कार्यशीलता पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव होगा अथवा नहीं होगा।

छ) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा 164(2) के प्रावधानों के अंतर्गत निदेशक (निदेशकों) की अनर्हता के संबंध में जारी दिनांक 5 जून, **2015** की जीएसआर-463 (ई) कंपनी के मामले में लागू नहीं है क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

ज) लेखों के अनुरक्षण एवं उससे सम्बद्ध अन्य मामलों के बारे में रिजर्वेशन / संशोधन का वर्णन उपर्युक्त पैरा 2(बी) के साथ पठित मत के प्रकटीकरण के आधार खंड में किया गया है।

झ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता से संबंधित विवरण **"अनुलग्नक-ख"** में प्रस्तुत हमारी पृथक रिपोर्ट में दिया गया है। हमारी रिपोर्ट में कारणों के उल्लेख के साथ वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मत के प्रकटीकरण की अभिव्यक्ति की गई है।

ञ) ऊपर मत के प्रकटीकरण के आधार के खंड में वर्णित मामलों के संभावित प्रभाव के अलावा कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014, यथासंशोधित के नियम 11 के अनुसरण में, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं कि:-

i. हमें ज्ञात हुए लंबित मुकदमों का कंपनी की वित्तीय स्थिति पर होने वाले प्रभाव का कंपनी द्वारा किया गया प्रकटीकरण स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट 31 में किया गया है।

ii. सामग्रीगत संभावित हानियों, यदि कोई हों, से संबंधित लागू विधियों अथवा लेखांकन मानकों की अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी ने डेरिवेटिव अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों के लिए प्रावधान किए हैं। कंपनी ने कोई व्युत्पन्न अनुबंध नहीं किया।

iii. कंपनी से निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में वर्ष के दौरान किसी राशि का अंतरण किया जाना अपेक्षित नहीं है।

iv) (क) प्रबंधन द्वारा यह प्रस्तुति दी गई है कि,अपनी जानकारी एवं विश्वास, लेखांकन नोटों में किए गए प्रकटीकरण के अलावा, के अनुसार कंपनी द्वारा विदेशी इकाईयों, "मध्यस्थों" सहित किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा इकाई (इकाईयों) को किसी निधि का अग्रिम अथवा ऋण नहीं दिया गया है अथवा निवेश (ऋण पर प्राप्त निधियों अथवा शेयर प्रीमियम अथवा अन्य स्रोतों से अथवा अन्य प्रकार की निधियों में किसी में से) इस सहमति, लिखित अथवा अन्यथा स्वरूप में, के साथ नहीं किया गया है कि मध्यस्थ द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, कंपनी अथवा कंपनी की ओर से ("अंतिम लाभग्राहियों") अन्य व्यक्तियों अथवा निर्धारित इकाईयों को ऋण अथवा उनमें निवेश अथवा कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा, अंतिम लाभग्राहियों की ओर से किसी प्रकार की प्रतिभूति प्रदान की जाएगी;

(ख) अपनी जानकारी एवं विश्वास, लेखांकन नोटों में किए गए प्रकटीकरण के अलावा, के अनुसार कंपनी को विदेशी इकाईयों ("निधियन पार्टियों") सहित किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा इकाई (इकाईयों) से ऐसी किसी निधि की प्राप्ति इस सहमति, लिखित अथवा अन्यथा स्वरूप में, के साथ नहीं हुई है कि कंपनी द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, किन्हीं व्यक्तियों अथवा निर्धारित इकाईयों को किसी भी स्वरूप में कंपनी अथवा निधियन पार्टी ("अंतिम लाभग्राहियों") की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा, अंतिम लाभग्राहियों की ओर से किसी प्रकार की प्रतिभूति प्रदान की जाएगी;

(ग) हमारे द्वारा औचित्यपरक एवं संगत परिस्थितियों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा के आधार; हमारे जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे यह विश्वास स्थपित हो सके कि उप-खंड (क) एवं (ख) में की गई प्रस्तुति में किसी प्रकार का कोई मिथ्या कथन है।

v. कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित अथवा चुकता नहीं किया गया है। तदनुसार, इस उप-खंड के बारे में कोई रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

vi. कंपनी द्वारा, नेटवर्क सिस्टम यूनिट्स ('एनएसयू') के मामले के अलावा, जिनमें उनके द्वारा उपयोग में लाए जा रहे लेखांकन साफ्टवेयर में अपेक्षित फीचर्स नहीं है, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपनी लेखा बहियों का अनुरक्षण एडिट लॉग वर्जन ('टैली प्राइम एवं 'इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट सिस्टम ('आईएमएमएस')) के फीचर्स वाले विविध लेखांकन साफ्टवेयर के उपयोग से किया गया है। एनएसयू के अलावा की गई कुछ परीक्षण जांचों एवं प्रबंधन के साथ हुई चर्चाओं सहित हमारे परीक्षण के आधार पर हमारा यह मत है कि टैली प्राइम एडिट लॉग वर्जन साफ्टवेयर में आडिट ट्रेल (एडिट लॉग) रिकार्डिंग की सुविधा है तथा वर्ष के दौरान इसका उपयोग संबंधित तिथियों (नीचे दी गई तालिका में संदर्भ) में में कार्यान्वयन करके किया गया है। इसके अलावा पालक्काड यूनिट द्वारा 'आईएमएमएस' साफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है जिसमें आडिट ट्रेल (एडिट लॉग) रिकार्डिंग की सुविधा है तथा पालक्काड यूनिट के लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी दिनांक 25 मई, 2024 की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी के आधार पर इसे पूर्ण अवधि के दौरान उपयोग में लाया गया है। नीचे टैली प्राइम (एडिट लॉग) सुविधा का कार्यान्वयन एवं उपयोग, नीचे दी गई विभिन्न तिथियों में, करने वाली अन्य यूनिटों / आरओ का विवरण दिया गया है:

इकाई/क्षेत्रीय कार्यालयों का नाम	"टैली प्राइम (लॉग संपादित करें)" के कार्यान्वयन की तिथि
क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलूरु	07.03.2023
क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई	07.03.2023
क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई	06.03.2023
क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद	07.03.2023
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ	29.03.2023
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली	09.03.2023
क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता	24.03.2023
क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर	07.03.2023
निगमित कार्यालय	19.06.2023
बेंगलूरु प्लांट	13.04.2022
अनुसंधान एवं विकास	16.05.2022
मनकापुर	25.04.2023 से 29.08.2023 30.08.2023 से 31.03.2024
रायबरेली	08.08.2023
नैनी	25.08.2023
श्रीनगर	10.03.2023

कार्यान्वयन किए जाने की उपर्युक्त तिथियों तक आडिट ट्रेल रिकार्डिंग की कोई प्रणाली नहीं थी। अत: उपर्युक्त के संबंध में हम कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11(जी) की अपेक्षाओं के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

हमने कार्यान्वयन की उपर्युक्त तिथियों के पश्चात की अवधि में आडिट ट्रेल फीचर के साथ किसी प्रकार छेड़छाड किए जाने की कोई स्थिति नहीं पाई है।

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 3(1) के परंतुक चूंकि 1 अप्रैल, 2023 से लागू हैं अत: रिकार्ड प्रतिधारण से संबंधित सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार आडिट ट्रेल के प्रतिधारण के संबंध में कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11(जी) के अंतर्गत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

अधिनियम की धारा 143(5) की अपेक्षाओं के अनुसार हमने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों को विचार में लिया है तथा उसके संबंध में की गई कार्रवाई तथा कंपनी के लेखों एवं स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों पर हुए उसके प्रभाव का विवरण **"अनुलग्नक -ग"** में प्रस्तुत है।

कृते **बी.के.रामध्यानी एंड कंपनी एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 002878एस/एस200021

(सीए वासुकी एच एस)
साझेदार
सदस्यता संख्या 212013
यूडीआईएन : 24212013 बीकेसीएलटीजे 8245

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 31 जुलाई , 2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक "क"

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के इंडएएस वित्तीय विवरण के संबंध में आईटीआई लिमिटेड के सदस्यों को संबोधित समतिथि की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाएं' खंड के पैराग्राफ 1 तथा उपर्युक्त मत के प्रकटीकरण के आधार के खंड में वर्णित मामलों के संभावित प्रभावों एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी अलग रिपोर्ट के साथ पठन किए जाने की शर्त के संदर्भ में हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

आईटीआई लिमिटेड के सदस्यों को संबोधित ''अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाएं'' की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में संदर्भित अनुलग्नक-क

1) (क) *(क)* हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी द्वारा मात्रात्मक विवरण, स्थिति, यूनिटों एवं सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण (''पीपीई'') की परिसम्पति कोडिंग प्रणाली के मध्य परिसम्पति अंतरणों सहित पर्याप्त रिकार्ड प्रदर्शित करने वाले विवरणों का अनुरक्षण नहीं किया गया है, इसका विस्तृत विवरण एकल वित्तीय विवरणों के नोट के फुटनोट में भी दिया गया है। सकल ब्लॉक एवं संचित मूल्यह्रास के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशियों का समाधान पीपीई/जीएल रिकार्डों के साथ जाना लंबित है। विभिन्न डिवीजनों / यूनिटों पर भूमि रिकार्डों का समाधान कॉर्पोरेट कार्यालय / संबंधित डिवीजनों/यूनिटों तथा संबंधित परिसम्पति रजिस्टरों के साथ किया जाना आवश्यक है तथा यह विलंबित होने के कारण हम आदेश के पैराग्राफ 3(i)(ए)(ए) के प्रति कोई रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं।

(ख) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर कंपनी के पास 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार कोई अमूर्त परिसम्पतियां नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप आदेश के पैराग्राफ 3(i)(ए)(बी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी द्वारा संपति, संयंत्र एवं उपकरण का भौतिक सत्यापन नही किया गया है तथा तदनुसार हम आदेश के पैराग्राफ 3(i)(ख) पर कोई टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं।

(ग) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, एकल वित्तीय विवरणों के नोट 1 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें कार्पोरेट कार्यालय/ यूनिटों के अपूर्ण भूमि रिकार्डों के संबंध में किए गए अनेक प्रेक्षण शामिल हैं तथा जिनका समाधान कॉर्पोरेट कार्यालय / संबंधित डिवीजनों / यूनिटों में रखे गए दस्तावेजों / रिकार्डों के साथ किया जा रहा है। जिन मामलों में कंपनी पट्टेदार है, उनके संबंध में कुछ पट्टा करार कंपनी के पक्ष में विधिवत रूप से निष्पादित नहीं किए गए हैं, ऐसे पट्टा करारों का नवीकरण/ अंतिमकरण किया जाना लंबित है। इसके अलावा, एकल वित्तीय विवरण के नोट 1 में उल्लिखित कारणों से हम यह टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं कि क्या नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अचल सम्पतियों के हक विलेख कंपनी के नाम से धारित हैं अथवा नहीं हैं। तदनुसार, हम आदेश के पैराग्राफ 3(i)(सी) की अपेक्षा के अनुसार कोई टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं।

सम्पति का स्वरूप	सकल वहन मूल्य (रुपए लाख में)	किस के नाम से धारित	क्या प्रोमोटर, निदेशक अथवा उनके संबंधी अथवा कर्मचारी हैं	धारण की अवधि – रेंज, यदि लागू है, का उल्लेख करें	कंपनी के नाम से धारित न होने के कारण (यदि विवादित है तो उल्लेख करें)	इकाई
भूमि	19,470	केरल सरकार द्वारा हक पुन: प्राप्त किया गया	नहीं	10 वर्ष से अधिक	कंपनी द्वारा पुन: प्राप्ति का दावा किया गया है	पालक्काड
भूमि	9,282	पूर्ण बिक्री विलेख अभी निष्पादित नहीं हुआ है	नहीं	10 वर्ष से अधिक	लंबित	नैनी
भूमि	11,620	पूर्ण बिक्री विलेख अभी निष्पादित नहीं हुआ है	नहीं	10 वर्ष से अधिक	भूमि अधिग्रहण के समय आईटीआई द्वारा भूस्वामियों को चुकता मुआवजे का प्रमाण प्रस्तुत न किए जाने के कारण लंबित	रायबरेली
भूमि	सुनिश्चित नहीं किया जा सकता	पूर्ण बिक्री विलेख अभी निष्पादित नहीं हुआ है	नहीं	सुनिश्चित नहीं किया जा सकता	खरीदी गई 191.03 एकड़ भूमि में से 41.77 एकड़ भूमि के लिए स्वामित्व विलेख उपलब्ध नहीं हैं।	मनकापुर
भूमि	सुनिश्चित नहीं किया जा सकता	पूर्ण बिक्री विलेख अभी निष्पादित नहीं हुआ है	नहीं	10 वर्ष से अधिक	खरीदी गई 435 एकड़ भूमि में से, 41.77 एकड़ के लिए स्वामित्व विलेख रखे गए। शेष क्षेत्र के लिए, केवल अधिकारों का रिकॉर्ड रखा जाता है।	बेंगलूरु प्लांट

(घ) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसम्पतियों (उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों सहित) अथवा दोनों का पुनर्मूल्यन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(i)(डी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है।

(ङ) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर कंपनी के प्रति बेनामी संव्यवहार (प्रतिबंध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) एवं उसके अध्याधीन नियमों के अंतर्गत बेनामी सम्पति के धारण के लिए कोई प्रकियाएं प्रारंभ नहीं की गई हैं अथवा लंबित नहीं हैं। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 3(i)(ई) के अंतर्गत रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है।

2) (क) हमें दी गई सूचना एवं प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों केअनुसार, कंपनी द्वारा सभी वर्गों मालसूचियों का गहन भौतिक सत्यापन नहीं किया है। आदेश के पैराग्राफ 3(i)(ए) के अंतर्गत हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। ये प्रेक्षण कंपनी की कुछ यूनिटों के लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए हैं तथा इनके संबंध में भी कंपनी से यथोचित लेखापरीक्षा प्रमाण / उत्तर प्राप्ति के बिना कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

(ख) हमारे मतानुसार तथा हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, मालसूचियों, बिक्रियों, ऋणदाताओं, उत्पादन एवं कंपनी द्वारा उन बैंकों को प्रस्तुत किया गया अन्य विवरण, जिनसे कार्यशील पूंजी सुविधा प्राप्त की गई है, का लेखा बहियों से त्वरित प्राप्त डेटा उपलब्ध न होने के कारण तथा लेखा बहियों में की गई अनुवर्ती प्रविष्टियों का उक्त विवरणियों के साथ परिणामी समाधान उपलब्ध न होने के कारण, हम आदेश के पैराग्राफ 3(ii)(बी) के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

3) वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित दायित्व साझेदारी अथवा अन्य पार्टियों में किसी प्रकार के निवेश नहीं किए गए हैं, किसी प्रकार की गारंटी अथवा प्रतिभूति नहीं दी गई है अथवा प्रतिभूत अथवा गैर-प्रतिभूत ऋण प्रदान नहीं किए गए हैं। तदनुसार, पैराग्राफ 3(iii)(ए) से (एफ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

4) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर कंपनी द्वारा किसी प्रकार के ऋण प्रदान नहीं किए गए हैं, निवेश नहीं किए गए हैं अथवा अधिनियम की धारा 185 तथा 186 के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल कोई गारंटी प्रदान नहीं की गई है। तदनुसार पैराग्राफ 3(iv) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

5) कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिदेशों तथा धारा 73 से 76 के प्रावधानों तथा अधिनियम के अन्य किन्हीं प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अंतर्गत किसी प्रकार के जमा स्वीकार नहीं किए हैं। कंपनी ने अपने आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर यह प्रस्तुति दी है कि अपनी विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में धारित धन / अन्य जमा के प्रति देय राशि छूट प्राप्त जमा के अंतर्गत आती है तथा तदनुसार, अधिनियम की धारा 73 से 76 का अनुपालन किया गया है। कंपनी द्वारा पुनर्भुगतान न किए जाने से संबंधित स्पष्ट कालक्रम / प्रलेखन / कारक उपलब्ध न होने के कारण से हम इस अनुपालन के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार आदेश के पैराग्राफ 3(v) की रिपोर्टिंग के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

6) केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत रिकार्ड का अनुरक्षण निर्धारित किया गया है। हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 की लागत लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में दिए गए विवरण के अनुसार ऐसे रिकार्ड का अनुरक्षण किया है। कंपनी द्वारा अभी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लागत रिकार्डों को अद्यतन नहीं किया गया है।

7) (क) कंपनी द्वारा वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा,आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धित कर, उपकर एवं संबंधित प्राधिकरणों को देयता की तिथि से छह माह से अधिक अवधि के देय अन्य सांविधिक देयता के संबंध में वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को देय बकाया का नियमित भुगतान नहीं किया जा रहा है तथा इसका विवरण नीचे दिया गया है :

यूनिट	सांविधिक व्यवस्था का नाम	देयताओं की प्रकृति	राशि (रुपए में)	विवाद किस अवधि से संबंधित है	नियत तारीख	भुगतान की तिथि
बेंगलूरु प्लांट, एनएसयू, निगमित, श्रीनगर एवं अन्य इकाईयाँ	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	891.53	2023-24	अनिश्चित	अनिश्चित
बेंगलूरु प्लांट, एनएसयू, निगमित, श्रीनगर एवं अन्य इकाईयाँ	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	260.14	2022-23	अनिश्चित	अनिश्चित
बेंगलूरु प्लांट, एनएसयू, निगमित, श्रीनगर एवं अन्य इकाईयाँ	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	95.70	2021-22	अनिश्चित	अनिश्चित
बेंगलूरु प्लांट, एनएसयू, निगमित, श्रीनगर एवं अन्य इकाईयाँ	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	132.61	2020-21	अनिश्चित	अनिश्चित
बेंगलूरु प्लांट, एनएसयू, निगमित, श्रीनगर एवं अन्य इकाईयाँ	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	111.43	2019-20	अनिश्चित	अनिश्चित
बेंगलूरु प्लांट, एनएसयू, निगमित, श्रीनगर एवं अन्य इकाईयाँ	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	451.07	2018-19 एवं पूर्व	अनिश्चित	अनिश्चित
मनकापुर	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	498.35	2023-24	अनिश्चित	अनिश्चित
मनकापुर	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	641.12	2022-23	अनिश्चित	अनिश्चित
मनकापुर	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	465.74	2021-22	अनिश्चित	अनिश्चित
मनकापुर	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	357.10	2020-21	अनिश्चित	अनिश्चित
मनकापुर	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	857.00	2019-20	अनिश्चित	अनिश्चित
मनकापुर	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	591.13	2018-19 एवं पूर्व	अनिश्चित	अनिश्चित
नैनी	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	252.91	2023-24	अनिश्चित	अनिश्चित
नैनी	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	1,557.17	2022-23	अनिश्चित	अनिश्चित
नैनी	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	807.65	2021-22	अनिश्चित	अनिश्चित
रायबरेली	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	396.89	2023-24	अनिश्चित	अनिश्चित
रायबरेली	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	3,971.24	2022-23	अनिश्चित	अनिश्चित
रायबरेली	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	620.53	2021-22	अनिश्चित	अनिश्चित
रायबरेली	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	361.51	2020-21	अनिश्चित	अनिश्चित
रायबरेली	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	9.36	2019-20	अनिश्चित	अनिश्चित
रायबरेली	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	50.53	2018-19 एवं पूर्व	अनिश्चित	अनिश्चित

यूनिट	सांविधिक व्यवस्था का नाम	देयताओं की प्रकृति	राशि (रुपए में)	विवाद किस अवधि से संबंधित है	नियत तारीख	भुगतान की तिथि
पालक्काड	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	274.32	2023-24	अनिश्चित	अनिश्चित
पालक्काड	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	51.69	2022-23	अनिश्चित	अनिश्चित
पालक्काड	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	127.10	2020-21	अनिश्चित	अनिश्चित
क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद	आयकर अधिनियम, 1961	टीडीएस-192	0.24	2022-23	अनिश्चित	अनिश्चित
क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद	आयकर अधिनियम, 1961	टीडीएस-194 सी	0.14	2022-23	अनिश्चित	अनिश्चित
क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद	जीएसटी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम	जीएसटी पर टीडीएस	0.14	2022-23	अनिश्चित	अनिश्चित
क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद	जीएसटी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम	जीएसटी पर टीडीएस	0.20	2022-23	अनिश्चित	अनिश्चित
क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद	जीएसटी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम	जीएसटी पर देय ब्याज	44.18	2019-21	अनिश्चित	अनिश्चित
क्षेत्रीय कार्यालय बीबीएसआर	सेवा कर अधिनियम, 1994	सेवा कर	3.89	2018-19 एवं पूर्व	अनिश्चित	अनिश्चित
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली	सेवा कर अधिनियम, 1994	सेवा कर	83.03	2018-19 एवं पूर्व	अनिश्चित	अनिश्चित
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली	आयकर अधिनियम, 1961	टीडीएस-194 आई	0.18	2023-24	अनिश्चित	अनिश्चित
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली	पी.टी. अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियम	पी.टी.	0.01	2023-24	अनिश्चित	अनिश्चित
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली	पी.टी. अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियम	पी.टी.	0.01	2023-24 से पूर्व	अनिश्चित	अनिश्चित
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली	जीएसटी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम	जीएसटी पर टीडीएस	6.51	2023-24	अनिश्चित	अनिश्चित
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ	आयकर अधिनियम, 1961	टीडीएस-194 सी	0.08	2023-24	अनिश्चित	अनिश्चित
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ	आयकर अधिनियम, 1961	टीसीएस देय	0.00	2022-23	अनिश्चित	अनिश्चित
एनएसयू	जीएसटी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम	जीएसटी पर टीडीएस (गुतरात) – आईजीएसटी	1.28	2023-24	अनिश्चित	अनिश्चित
एनएसयू	पी.टी. अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियम	पी.टी.	0.01	2022-23	अनिश्चित	अनिश्चित
एनएसयू	ईएसआई अधिनियम, 1948	ईएसआई कर्मचारी	5.42	2023-24 से पूर्व	अनिश्चित	अनिश्चित
एनएसयू	ईएसआई अधिनियम, 1948	ईएसआई कर्मचारी	0.07	2023-24	अनिश्चित	अनिश्चित
एनएसयू दिल्ली	जीएसटी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम	जीएसटी टीडीएस	0.20	2023-24	अनिश्चित	अनिश्चित
बेंगलूरु प्लांट	जीएसटी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम	जीएसटी पर टीडीएस– आईजीएसटी	36.67	2022-23	अनिश्चित	अनिश्चित
निगमित	सेवा कर अधिनियम, 1994	सेवा कर	8.61	2018-19 एवं पूर्व	अनिश्चित	अनिश्चित
निगमित	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	212.31	2020-21 से	अनिश्चित	अनिश्चित
नैनी/रायबरेली/ मनकापुर/क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ	बिक्री कर	बिक्री कर	5634.01	अनिश्चित	अनिश्चित	अनिश्चित
नैनी	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	उत्पाद शुल्क	0.44	अनिश्चित	अनिश्चित	अनिश्चित
रायबरेली	सेवा कर अधिनियम, 1994	सेवा कर	2417.74	अनिश्चित	अनिश्चित	अनिश्चित

नोट –

1. उपरोक्त सभी वैधानिक बकाया देय की प्रस्तुति पहचान तथा सभी यूनिटों/क्षेत्रीय कार्यालयों /कॉर्पोरेट कार्यालय की लेखा बहियों के साथ दस्तावेजों/आदेशों/मांग नोटिसों के लंबित समाधान के अनुसार की गई है।
2. ऊपर रिपोर्ट किए गए भविष्य निधि बकाया की कंपनी द्वारा प्रस्तुति सभी यूनिटों / क्षेत्रीय कार्यालयों/ कॉर्पोरेट कार्यालय के विभिन्न भविष्य निधि ट्रस्ट से प्राप्त करके की गई है। 6 माह से अधिक की सूचित की गई राशि विभिन्न स्प्रेडशीट में किए गए कार्यों पर आधारित हैं जिनका हम स्वतंत्र सत्यापन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनका समाधान लेखा बहियों के साथ नहीं किया गया है।
3. 'मत के प्रकटीकरण' के खंड में की गई हमारी टिप्पणियों के पैराग्राफ 18 का संदर्भ दिया जाता है जिसमें कंपनी ने अपनी सभी यूनिटों/डिवीजनों/कॉर्पोरेट कार्यालय (टर्नओवर, छूट प्राप्त टर्नओवर, देय करों, उपलब्ध तथा प्रयुक्त इनपुट कर क्रेडिट तथा स्रोत पर कर कटौती) से प्रस्तुत किए गए जीएसटी विवरणों के साथ अपनी लेखा बहियों का समाधान नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप 6 माह से अधिक की देयताओं, यदि कोई हों, को ज्ञात नहीं किया जा सका है। इसके अलावा, उक्त पैराग्राम में सूचित किए गए कारणों से उक्त पैराग्राफ में सेवाओं के संबंध में अग्रिम राशि पर जीएसटी की प्रयोज्यता ज्ञात नहीं की जा सकी है जिसके कारण इसे ऊपर रिपोर्ट नहीं किया गया है।

'मत के प्रकटीकरण' के खंड में की गई हमारी टिप्पणियों के पैराग्राफ 2 का संदर्भ दिया जाता है जिसमें इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-घ में उल्लिखित कुछ अथ शेषों का विवरण उपलब्ध न होने का उल्लेख है। लेखा बहियों के साथ समाधान किया गया त्वरित डेटा / सूची उपलब्ध न होने के कारण हम यह पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं कि क्या उक्त तालिका में सूचित सभी सांविधिक देयताएं कंपनी द्वारा देय हैं अथवा नहीं हैं। इस कारण से हम उक्त तालिका में सूचित राशियों की सटीकता / पूर्णता के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं।

(ख) कंपनी के रिकार्ड तथा हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार निम्नानुसार किसी विवाद के कारण से कुल सांविधिक देयताएं बकाया हैं :

यूनिट	सांविधिक व्यवस्था का नाम	देयताओं की प्रकृति	राशि लाख में (31.3.2024 की स्थिति के अनुसार)	विवाद किस अवधि से संबंधित है	किस फोरम में विवाद लंबित है
बेंगलूरु प्लांट	केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944	केन्द्रीय उत्पाद विभाग द्वारा साफ्टवेयर के संबंध में प्रयुक्त शून्य शुल्क दर का विवाद (पूर्व जमा निवल योग 200.00 लाख रुपए)	637.00	2003-2005	सीमाशुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपीलिय ट्रिब्यूनल
बेंगलूरु प्लांट	केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944	आर एंड डी प्रोटोटाइप माड्यूल्स के फील्ड ट्रायल पर उत्पाद विभाग द्वारा की गई मांग। स्थगन विस्तारित (पूर्व जमा निवल योग 30.00 लाख रुपए)	299.00	2006-07	सीमाशुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपीलिय ट्रिब्यूनल
बेंगलूरु प्लांट	केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम 1944	केन्द्रीय उत्पाद विभाग द्वारा साफ्टवेयर के संबंध में प्रयुक्त शून्य शुल्क दर का विवाद (पूर्व जमा निवल योग 14.00 लाख रुपए)	497.28	2001-2002 2002-2003	सीमाशुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपीलिय ट्रिब्यूनल
बेंगलूरु प्लांट	केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम 1944	केन्द्रीय मूल्य संवर्धित दर क्रेडिट	376.00	2007-2008	सीमाशुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपीलिय ट्रिब्यूनल
मनकापुर	उत्तर प्रदेश वीएटी	बिक्री कर	264.89	1986-1989	उत्तर प्रदेश सरकार
मनकापुर	उत्तर प्रदेश वीएटी	बिक्री कर	15.32	1989-1996	उत्तर प्रदेश सरकार
मनकापुर	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	6,456.79	2009-10 से 2013-14	उपकर कर, इलाहाबाद
नैनी	केन्द्रीय बिक्री कर(सीएसटी)	फार्म 'सी' के प्रति अन्य देयों एवं अतिरिक्त कर की मांग	1,013.98	2005-2006	संयुक्त आयुक्त (अपील) वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद
नैनी	केन्द्रीय बिक्री कर	फार्म 'सी' के प्रति अतिरिक्त कर की मांग	2.64	2007-08	अपर आयुक्त (अपील) वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद
नैनी	सीएसटी / उ.प्र.वीएटी / प्रवेश कर	अन्य देयों की मांग	9.23	2008-09	अपर आयुक्त (अपील) वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद
नैनी	केन्द्रीय बिक्री कर	फार्म 'सी' के प्रति अन्य देयों एवं अतिरिक्त कर की मांग	2.12	2009-10	उप आयुक्त वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद
नैनी	सीएसटी / उ.प्र.वीएटी	फार्म 'सी' के प्रति अन्य देयों एवं अतिरिक्त कर की मांग	60.57	2010-11	अपर आयुक्त (अपील) वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद
नैनी	सीएसटी	फार्म 'सी' के प्रति अन्य देयों एवं अतिरिक्त कर की मांग	10.96	2011-12	ट्रिब्यूनल, वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद
नैनी	सीएसटी / उ.प्र.वीएटी	फार्म 'सी' के प्रति अन्य देयों की मांग	146.75	2012-13	उप आयुक्त, सेक्टर 14, वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद

यूनिट	सांविधिक व्यवस्था का नाम	देयताओं की प्रकृति	राशि लाख में (31.3.2024 की स्थिति के अनुसार)	विवाद किस अवधि से संबंधित है	किस फोरम में विवाद लंबित है
नैनी	सीएसटी / उ.प्र.वीएटी	कर की मांग	86.75	2013-14	उप आयुक्त, सेक्टर 14, वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद
पालक्काड	सेवा कर	सेवा कर	109.44	2010-2011	सीईएसटीएटी, बेंगलूरू
पालक्काड	सेवा कर	सेवा कर	140.34	2011-2012	सीईएसटीएटी, बेंगलूरू
पालक्काड	सेवा कर	सेवा कर	161.27	2011-2012	सीईएसटीएटी, बेंगलूरू
पालक्काड	सेवा कर	सेवा कर	2.76	2012-2013	सीईएसटीएटी, बेंगलूरू
पालक्काड	सेवा कर	सेवा कर	2.69	2012-2013	सीईएसटीएटी, बेंगलूरू
पालक्काड	सीएसटी	बिक्री कर	28.04	2001-02	उच्च न्यायालय, ऐरनाकुलम
पालक्काड	सीएसटी	बिक्री कर	504.13	2003-04	केवीएटी ट्रिब्यूनल, पालक्काड
पालक्काड	सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर	सेवा कर	143.42	2016-17 तथा 2017-18	आयुक्त अपील, कोच्चि
पालक्काड	सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर	सेवा कर	3.93	अप्रैल 2015 से जून 2017	आयुक्त अपील, कोच्चि
पालक्काड	माल और सेवा कर	माल और सेवा कर	7,054.14	2017-18 तथा 2018-19	आयुक्त अपील, कोच्चि
रायबरेली	बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	122.53	2010-11	व्यापार कर ट्रिब्यूनल, लखनऊ
रायबरेली	बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	87.39	2014-15	व्यापार कर ट्रिब्यूनल, लखनऊ
क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलूरु	कर्नाटक वीएटी अधिनियम, 2003	टर्नओवर रोक	26.47	2013-14	वाणिज्यिक कर अधिकारी, थिरपुनिथुरा
क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलूरु	कर्नाटक वीएटी अधिनियम, 2003	टर्नओवर रोक	48.92	2014-15	अपीलिय सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, ऐरनाकुलम
क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलूरु	सेवा कर	प्राप्त रायल्टी भुगतान पर सेवा कर का भुगतान न किए जाना	44.78	2012-13 से 2014-15	केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त
क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलूरु	कर्नाटक वीएटी	टर्नओवर रोक	65.87	2012-13	उपायुक्त (अपील) वाणिज्यिक कर, ऐरनाकुलम
श्रीनगर	बिक्री कर	बिक्री कर	733.36	1987-88 से 1989-90,1996-97,1999-00, 2002-03	उच्च न्यायालय, जम्मू एवं कश्मीर
क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर	बिक्री कर	बिक्री कर	226.05	2013-14	बिक्री कर आयुक्त, भुवनेश्वर
निगमित कार्यालय	आय कर	आय कर	691.72	2017-18	आयकर आयुक्त
रायबरेली	माल और सेवा कर	जीएसटी का अतिरिक्त आईटीसी दावा	1,634.03	2017-18	उच्च न्यायालय-लखनऊ
रायबरेली	माल और सेवा कर	जीएसटी का अतिरिक्त आईटीसी दावा	225.46	2017-18	उच्च न्यायालय-लखनऊ

नोट –

ऊपर दी गई सभी विवादित सांविधिक देयों की प्रस्तुति पहचान एवं सभी यूनिटों/क्षेत्रीय कार्यालयों/कॉर्पोरेट कार्यालय के दस्तावेजों / आदेशों / मांग नोटिसों के लंबित समाधान के अनुसार की गई है। इसके कारण से हम उपरोक्त तालिका में रिपोर्ट की गई राशियों की सत्यता/पूर्णता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

8) हमें प्रदान की गई जानकारी एवं प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा हमें दी गई प्रस्तुति के अनुसार वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के कर निर्धारण के दौरान, सरेंडर किए गए अथवा प्रकटीकरण किए गए, ऐसे कोई संव्यवहार नहीं हैं जिन्हें लेखा बहियों में रिकार्ड न किया गया हो।

9) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने नीचे बताए गए बैंकों के अलावा अन्य बैंकों को ऋण के पुनर्भुगतान अथवा उसके ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है :

	ऋणदाता का नाम	नियत तिथि को चुकता न की गई राशि	क्या यह मूलधन है अथवा ब्याज	लंबित अथवा अचुकता दिनों की संख्या	टिप्पणियां, यदि कोई हों
अवधि ऋण	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार	12,000 लाख रुपए (मूलधन) और 3,004.76 लाख रुपए (निर्धारित सीमा तक ब्याज)	मूलधन और ब्याज दोनों	730 दिनों तक	दूरसंचार विभाग के दिनांक 29 अप्रैल, 2022 के आदेश के आधार पर कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से पांच वर्षों के लिए स्वीकृत ऋण के 1/5 भाग का भुगतान (ऋण के उपबंधों के अनुसार) किया जाना है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 के लिए इसे चुकता नहीं किया गया है। संबंधित वर्षों के लिए शास्ति ब्याज चुकता नहीं किया गया है।
अवधि ऋण	इंडियन बैंक लिमिटेड	38.81 लाख रुपए	ब्याज	6 दिनों	उक्त चूक को बाद में सुधार लिया गया है।
अवधि ऋण	इंडियन बैंक लिमिटेड	238.00 लाख रुपए (मूलधन) और 36.04 लाख रुपए (ब्याज)	मूलधन और ब्याज दोनों	13 दिनों	
अवधि ऋण	केनरा बैंक लिमिटेड	1,000 लाख रुपए (मूलधन) और 89.59 लाख रुपए (ब्याज)	मूलधन और ब्याज दोनों	6 दिनों	

(ख) प्रस्तुत सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे सम्मुख की गई प्रस्तुति के आधार पर कंपनी को किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान अथवा सरकार अथवा किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है। तदनुसार, पैराग्राफ 3(ix)(बी) के अंतर्गत कोई रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है।

(ग) कंपनी ने बैंकों से सावधि ऋण प्राप्त किए हैं तथा हमें यह पुष्टि, अनुरक्षित दस्तावेजों एवं प्रस्तुत सूचना के आधार पर, की गई है कि आवेदित किए गए सभी आवधिक ऋणों का उपयोग उसी उद्देश्य से किया जा रहा है जिसके लिए इन्हें प्राप्त किया गया था।

(घ) कंपनी के 31 मार्च, 2024 तक के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच करने से यह ज्ञात हुआ है कि कंपनी ने कंपनी की दीर्घकालिक परिसंपत्तियों के वित्तपोषण के लिए अल्पावधि आधार पर प्राप्त 82,480.47 लाख रुपए की निधि का उपयोग किया है। हम एकल वित्तीय विवरणों के नोट 31 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें कंपनी का चालू अनुपात 1 (जो कि 0.89 है) से कम होने का उल्लेख है तथा यह इस तथ्य का संकेत भी है कि अल्पकालिक निधियों का उपयोग दीर्घकालिक परिसम्पतियों के वित्तपोषण के लिए किया गया है।

(ङ) कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों की समग्र जांच से यह ज्ञात हुआ है कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सम्बद्ध कंपनियों अथवा संयुक्त उद्यमों के दायित्वों की पूर्ति के लिए किसी इकाई अथवा किसी व्यक्ति से कोई निधियां प्राप्त नहीं की हैं। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(ix)(ई) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(च) कंपनी के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी ने धारित अपनी सहायक कंपनियों, सम्बद्ध कम्पनियों अथवा संयुक्त उद्यमों की प्रतिभूतियों को रेहन रखकर किसी ऋण की प्राप्ति नहीं की है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(ix)(एफ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

10) (क) हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरणों के वर्ष के दौरान इनिशियल पब्लिक आफर अथवा फरदर पब्लिक आफर (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से धन की उत्पति नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(x)(ए) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) हमें प्रदान की गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान 10,700 लाख रुपए (प्रतिभूति प्रीमियम सहित) की राशि के प्रीफ्रेंशियल आवंटन किए हैं जो दिनांक 24 फरवरी, 2014 के पत्र के माध्यम से सूचित आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के दिनांक 12 फरवरी, 2014 के अनुमोदन से सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुनर्संरचना बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर, आईटीआई लिमिटेड को वित्तीय सहायता के रूप में, 94.61 रुपए प्रति शेयर की दर से प्रेफ्रेंशियल आधार पर इक्विटी शेयर आबंटन से संबंधित है । कंपनी द्वारा की गई प्रस्तुति के अनुसार इसका उपयोग आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार किया गया है। इसके संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62 की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है। शेयरों अथवा कनवर्टिबल लाभांशों (पूर्ण, आंशिक अथवा विकल्प के रूप में कनवर्टिबल) का निजी प्लेसमेंट नहीं किया गया है।

11) (क) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरण तथा हमारे सम्मुख प्रस्तुति के आधार पर कंपनी द्वारा अथवा कंपनी के प्रति किसी प्रकार की सामग्रीगत जालसाजी वर्ष के दौरान जानकारी में नहीं आई है अथवा रिपोर्ट नहीं की गई है। तदनुसार पैराग्राफ 3(xi)(ए) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (12) के अंतर्गत लेखापरीक्षकों द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षक एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 में किए गए निर्धारण के अनुसार फार्म एडीटी-4 में केन्द्र सरकार के सम्मुख वर्ष के दौरान तथा इस रिपोर्ट की तिथि तक कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। तदनुसार, पैराग्राफ 3(xi)(बी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ग) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरण तथा हमारे सम्मुख प्रस्तुति के आधार पर वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हीसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। चूंकि कंपनी ने इसके संबंध में कोई डेटा प्रस्तुत नहीं किया है, अत: हम उक्त आदेश के पैराग्राफ 3(xi)(c) कके अंतर्गत रिपोर्टिंग के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं।

12) हमारे मतानुसार यह कंपनी निधि कंपनी नहीं है। इस प्रकार आदेश के पैरा 3 के खंड (xii) (ए) से (सी) के अंतर्गत कंपनी की ओर से की जाने वाली रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

13) यह कंपनी एक सरकारी कंपनी है तथा इसे कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के उपबंधों के अनुसार संबंधित पार्टियों के साथ संव्यवहार किए जाने से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं धारा 178 के प्रावधानों से छूट प्राप्त है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(xiii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

14) (क) हमारे मतानुसार तथा कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं एवं आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्रव्यवस्था की समीक्षा के आधार पर कार्यात्मक आंतरिक लेखापरीक्षा होते हुए भी आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली का कार्यक्षेत्र, कवरेज एवं इसके व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप अपेक्षित आकार की नहीं है।

(ख) उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित कारणों से हमारे द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों को पूरी तरह से विचार में नहीं लिया गया है।

15) प्रबंधन द्वारा हमारे सम्मुख की गई प्रस्तुति तथा हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने निदेशकों अथवा स्वयं से संबंधित व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार के गैर-नकदी व्यवहार नहीं किए हैं। तदनुसार उक्त आदेश के पैराग्राफ 3(xv) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

16) (क) हमारे मतानुसार, कंपनी से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-। के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकरण करवाना अपेक्षित नहीं है। तदनुसार आदेश के खंड (xvi) (ए) से (सी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) हमारे मतानुसार, समूह (कोर निवेश कम्पनियां (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश 2016 में की गई परिभाषा के अनुसार) की कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है तथा तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 3(xvi)(डी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

17) कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष तथा निकटवर्ती पूर्व वित्तीय वर्ष में क्रमश: 51,593.90 लाख रुपए तथा 31,059.79 लाख रुपए के घाटे वहन किए गए हैं।

18) हमें दी गई सूचना तथा हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान किसी सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा त्यागपत्र नहीं दिया गया है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(xviii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

19) इसके संबंध में गोइंग कंसर्न आधार पर तैयार किए गए एकल वित्तीय विवरणों के नोट 31 तथा "गोइंग कंसर्न की सामग्रीगत अनिश्चितता" शीर्षक के अंतर्गत हमारे द्वारा की गई विस्तृत टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, ऐसा होते हुए भी कि कंपनी द्वारा चालू वर्ष एवं निकटतम पूर्व वर्ष के दौरान घाटे उठाए गए हैं, इसके द्वारा महत्वपूर्ण देयताओं का निवर्हन किया जाना है तथा कंपनी चालू अनुपाल एक से कम है। उपर्युक्त आधार की उपयुक्तता अन्यों के साथ साथ कंपनी द्वारा बिल न किए गए राजस्व को बिल किए गए राजस्व के संभावित परिवर्तन / प्राप्ति, बिल किए गए प्राप्यों के संग्रहन की वसूली प्रक्रिया तेज करने, नोट में दिए गए विवरण के अनुसार भारत सरकार से समर्थन जारी रहने के साथ साथ कंर्सोटियम बैंकों से प्राप्त कार्यशील पूंजी ऋण की पर्याप्त स्वीकृति पर भी निर्भर करती है।

20) तथापि, कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 135 में निर्दिष्ट स्थितियों की पूर्ति कर ली है तथा इससे धारा 135 एवं कंपनी नियमावली, 2014 के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु कोई लाभ प्राप्त न होने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 135 लागू नहीं होती है। तदनुसार, पैराग्राफ 3(xx)(ए) एवं (बी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

कृते **बी.के.रामध्यानी एंड कंपनी एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 002878एस/एस200021

(सीए वासुकी एच एस)
साझेदार
सदस्यता संख्या 212013
यूडीआईएन : 24212013 बीकेसीएलटीजे 8245

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 31 जुलाई , 2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुलग्नक ख"

आईटीआई लिमिटेड के सदस्यों को संबंधित हमारे रिपोर्ट के "अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाआं की रिपोर्ट" शीर्षक भाग के पैराग्राफ 2 (i) में संदर्भित अनुलग्नक ख

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 के उप धारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रिपोर्ट

हमने आईटीआई लिमिटेड ("कंपनी") के संबंध में 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, वर्ष में समाप्त कथित तिथि के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संयोजन में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के प्रति प्रबंधन के उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की लेखापरीक्षा के दिशानिर्देश नोट के अनुसार इसमें उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करके कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग ("दिशानिर्देश नोट") मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदयित्वों में सम्बद्ध कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की संरक्षा, जालसाजी और चूकों को संज्ञान में लेने, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं पूर्णता के साथ साथ कंपनी आधिनियम, 2013 के अंतर्गत की गई अपेक्षाओं के अनुसार विश्वसनीय वित्तीय सूचना का समय पर निर्माण करने के साथ साथ अपने व्यवसाय का सुव्यवस्थित एवं कुशल रूप में संचालन करने के सुनिश्चय के लिए प्रचालनात्मक प्रभाव्यता से युक्त, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता का निर्माण करने, कार्यान्वयन करने एवं अनुरक्षण करने के दायित्व शामिल हैं।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के संबंध में मार्गदर्शी नोट एवं लेखापरीक्षा मानक, दोनों इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकांटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी, का यथा लागू अनुसरण करके हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपने मत की अभिव्यक्ति करना है।

नीचे मत के प्रकटीकरण पैराग्राफ में वर्णित मामलों के कारण हम पर्याप्त यथोचित ऐसे लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त नहीं पाए हैं जिसके आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रणाली के संबंध में लेखापरीक्षा मत की अभिव्यक्ति की जा सके।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिप्राय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर, कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रक्रिया वित्तीय रिपोर्टिंग एवं सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों से एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने की विश्वसनीयता के संबंध मे युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने की अभिकल्पित प्रकिया है। कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मे वे नीतियां और प्रक्रियाएं शमिल है,

(1) जिससे रिकार्डों के अनुरक्षण, युक्तिसंगत ब्यौरे, सटीकता तथा स्पष्टता के साथ कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान प्रदर्शित होता हो;

(2) जिससे यह युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध होता हो कि सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रुप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कंपनी की आय और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किया गया हैं;

(3) जिससे कंपनी की परिसंपत्ति के अनाधिकृत आधिग्रहण, प्रयोग अथवा निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध मे युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध प्राप्त होते हों तथा जो एकल वित्तीय विवरणों को वास्तविक रुप से प्रभावित कर सकते हों ।

मत का प्रकटीकरण

हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा न तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकांटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में जारी मार्गदर्शी नोट के मापदंडों अथवा आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए हैं तथा न ही इनका परीक्षण किया गया है। इस कारण से, हम अपने इस मत की अभिव्यक्ति के आधार के लिए पर्याप्त यथोचित लेखापरीक्षा प्रमाण एकत्र नहीं कर पाए हैं कि क्या कंपनी में वित्तीय रिपोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए पर्याप्त नियंत्रण स्थापित हैं अथवा नहीं हैं तथा क्या 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से परिचालन कर रहे थे अथवा नहीं कर रहे थे।

हमने ऊपर सूचित प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा की प्रकृति, समय एवं उपयोग में लाए गए लेखापरीक्षा परीक्षणों पर विचार किया है तथा इस प्रकटीकरण से कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों संबंधित हमारा प्रभावित हुआ है तथा हमने स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण पर अपने मत का प्रकटीकरण जारी किया है।

कृते **बी.के.रामध्यानी एंड कंपनी एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 002878एस/एस200021

(सीए वासुकी एच एस)
साझेदार
सदस्यता संख्या 212013
यूडीआईएन : 24212013 बीकेसीएलटीजे 8245

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 31 जुलाई , 2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का ''अनुलग्नक ग''

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा आईटीआई लिमिटेड (स्टैंडएलोन) के वर्ष 2023-24 से संबंधित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा ध्यान केन्द्रित किए जाने वाले क्षेत्रों के संबंध में जारी दिशानिर्देश।

क्र.सं.	जांच के क्षेत्र	लेखापरीक्षक की टिप्पणी
1.	क्या कंपनी में सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया किए जाने की व्यवस्था स्थापित की गई है? यदि हां, तो लेखांकन संव्यवहारों को बाह्य सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से की जाने वाली प्रक्रिया से लेखों के समेकन में होने वाली कठिनाईयों तथा वित्तीय कठिनाईयों, यदि कोई हों, का विवरण प्रस्तुत करें।	मत के प्रकटीकरण के भाग वर्णित मामलों के अलावा कंपनी में अपने सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर के माध्यम से सभी लेखांकन परिवर्तनों की प्रक्रिया के लिए प्रणाली स्थापित है। सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई), मालसूची, इनवॉसिंग (बीजक तैयार करना), आर्डर संसाधन, वेतन सूची लेखांकन साफ्टवेयर से बाह्य हैं।
2	क्या किसी विद्यमान ऋण अथवा किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए उधार/ऋण/ ब्याज इत्यादि के संबंध में कंपनी को ऋण की अदायगी न किए जाने के कारण ऋण की किसी प्रकार की पुनर्संरचना अथवा छूट / बट्टा/ किए जाने की प्रक्रिया की गई है? यदि हां, तो इससे संबंधित किसी प्रकार की वित्तीय बाध्यताएं हों तो उसका विवरण प्रस्तुत करें।	हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा की गई कंपनी के रिकार्डों की जांच के अनुसार, वर्ष के दौरान किसी विद्यमान ऋण की पुनर्संरचना नहीं की गई है तथा इसके संबंध में कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई है।
3	क्या विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र / राज्य एजेंसियों से प्राप्त / प्राप्य से प्राप्य निधियों (अनुदान / राजसहायता) का नियमों एवं शर्तों के अनुसार उचित लेखाजोखा रखा गया है/ उचित उपयोग किया गया है? व्यतिक्रम के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।	हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर, पूंजी अनुदानों एवं राजस्व अनुदानों की रिपोर्टिंग एकल वित्तीय विवरणों के नोट 13, नोट 18 तथा नोट 12 में की गई है, हम, प्राप्त सूचना के अनुसार, कंपनी की विभिन्न यूनिटों / कॉर्पोरेट कार्यालय में की गई प्रयुक्तता / लेखांकन से संबंधित पर्याप्त यथोचित लेखापरीक्षा प्रमाण एकत्र नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा, अप्रयुक्त क्लोजिंग शेषों सहित संबंधित बैंक खातों में प्राप्तियों एवं प्रयुक्ति का सत्यापन एवं समाधान, हमारे सत्यापन के लिए त्वरित डेटा उपलब्ध न करवाए जाने के कारण, लेखाबहियों से त्वरित रूप से नहीं किया जा सका है तथा इस कारण से हम, इसके संबंध में, कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

अनुपालना प्रमाण-पत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए आईटीआई लिमिटेड के खातों की लेखापरीक्षा की और प्रमाणित किया कि हमें जारी सभी निर्देशों का अनुपालन किया है।

कृते **बी.के.रामध्यानी एंड कंपनी एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 002878एस/एस200021

(सीए वासुकी एच एस)
साझेदार
सदस्यता संख्या 212013
यूडीआईएन : 24212013 बीकेसीएलटीजे 8245

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 31 जुलाई , 2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का “अनुलग्नक घ”

राशि रुपए में

क्रेडिट खाता बही				
इकाई/क्षेत्रीय कार्यालयों का नाम	खाता बही का नाम	डेबिट/क्रेडिट	अथशेष	इति शेष
बेंगलूरु प्लांट	अन्य वित्तीय पेरोल के लिए 14502 देनदारी	क्रेडिट	-24,97,29,132	-2,70,65,867
बेंगलूरु प्लांट	अन्य वित्तीय विविध के लिए 145.02 देनदारी	क्रेडिट	-15,17,14,635	-14,31,05,628
बेंगलूरु प्लांट	147.05 अन्य जमा	क्रेडिट	-4,40,10,101	-3,99,22,395
बेंगलूरु प्लांट	14702 सुरक्षा जमा भवन ठेकेदार	क्रेडिट	-4,24,61,366	-4,09,92,627
बेंगलूरु प्लांट	किराया जमा (अन्य देय)	क्रेडिट	-3,74,06,692	-4,10,88,534
बेंगलूरु प्लांट	ग्राहकों से अग्रिम वसूली की गई	क्रेडिट	-2,72,65,970	-2,10,58,487
बेंगलूरु प्लांट	वेतन देय	क्रेडिट	-2,68,59,014	-5,11,26,230
बेंगलूरु प्लांट	14509 ठेकेदार देयता सिविल एवं अन्य	क्रेडिट	-2,37,75,933	-2,46,35,498
बेंगलूरु प्लांट	वेतन वसूली	क्रेडिट	-2,32,43,236	-2,12,11,909
बेंगलूरु प्लांट	145.08 अन्य देनदारी – अन्य	क्रेडिट	-1,02,13,201	-1,06,13,931
बेंगलूरु प्लांट	मनकापुर के लिए पीएल नकदीकरण देनदारी	क्रेडिट	-28,22,919	-28,22,919
बेंगलूरु प्लांट	नैनी के लिए पीएल नकदीकरण	क्रेडिट	-3,55,911	-4,60,943
बेंगलूरु प्लांट	14106 अन्य व्यय एवं सेवाएँ	क्रेडिट	-1,41,540	-1,41,540
बेंगलूरु प्लांट	22506 टीए अग्रिम वेतन वसूली	क्रेडिट	-64,635	-17,479
बेंगलूरु प्लांट	226.06 अग्रिम वसूली योग्य-अन्य विविध वसूली योग्य	क्रेडिट	-1,456	-93,031
क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर	19103 सेवा कर	क्रेडिट	-3,89,165	-3,89,165
क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर	ग्राहक से अग्रिम राशि	क्रेडिट	-5,34,488	-5,34,488
क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई	18210 अन्य देयताएँ	क्रेडिट	-1,25,742	-1,21,235
क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद	विक्रेताओं से 28570 ईएमडी	क्रेडिट	-3,06,252	-28,77,792
क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद	14705 - सुरक्षा जमा राशि	क्रेडिट	-92,719	-95,31,806
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ	ठेकेदारों से 18250 रुपये जमा	क्रेडिट	-6,04,97,916	-6,02,41,881
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ	ठेकेदारों से 18250 रुपये जमा	क्रेडिट	-1,17,69,408	-1,25,13,796
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ	18260 विविध देनदारियाँ	क्रेडिट	-1,43,41,712	-76,49,013
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ	वसूली आपूर्तिकर्ता/अन्य	क्रेडिट	-43,89,145	-3,82,10,694
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ	ग्राहकों से 19400 अग्रिम राशि	क्रेडिट	-31,65,736	-64,18,05,136

इकाई/क्षेत्रीय कार्यालयों का नाम	खाता बही का नाम	डेबिट/क्रेडिट	अथशेष	इति शेष
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ	विक्रेताओं से 28570 ईएमडी	क्रेडिट	-9,25,000	-14,40,000
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ	अवैतनिक यात्रा भत्ता	क्रेडिट	-57,052	-57,052
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ	वेतन और मज़दूरी अवैतनिक	क्रेडिट	-21,156	-21,156
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ	वसूली - पेरोल	क्रेडिट	-9,500	-9,500
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ	18220 वेतन देय	क्रेडिट	-14,82,517	-13,64,682
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली	विक्रेता से सुरक्षा - बीपीएल	क्रेडिट	-5,44,048	-5,44,048
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली	14245 सुरक्षा जमा	क्रेडिट	-1,56,87,009	-1,67,17,232
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली	विक्रेता से ईएमडी - दिल्ली	क्रेडिट	-2,32,86,732	-4,64,74,939
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली	विक्रेता से ईएमडी – बीपीएल	क्रेडिट	-25,69,720	-25,69,720
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली	18220 वेतन देय	क्रेडिट	-41,96,826	-68,51,175
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली	19103 सेवा कर	क्रेडिट	-83,03,254	-83,03,254
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली	19105 राजस्थान / एमपी कर	क्रेडिट	-12,012	-12,012
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ	विविध देनदारी	क्रेडिट	-27,24,29,954	-26,74,26,405
		कुल	**-1,06,52,02,803**	**-1,55,00,23,198**

राशि रुपए में

डेबिट खाता बही				
क्षेत्रीय कार्यालयों का नाम	**खाता बही का नाम**	**डेबिट/क्रेडिट**	**अथशेष**	**इति शेष**
बेंगलूरु प्लांट	21872 दुकानें और भवन किराये का दावा	डेबिट	9,19,95,582	9,71,42,650
बेंगलूरु प्लांट	ठेकेदारों को 225.05 रुपये का अग्रिम भुगतान	डेबिट	4,71,49,437	4,71,49,437
बेंगलूरु प्लांट	228.01 दावे और व्यय वसूली अंतर्देशीय	डेबिट	3,44,48,482	3,44,48,482
बेंगलूरु प्लांट	230.04 सुरक्षा जमा भुगतान खाता	डेबिट	3,39,64,684	3,39,37,224
बेंगलूरु प्लांट	225.07 अन्य अग्रिम वसूली बेंगलूरु प्लांट	डेबिट	2,35,76,835	2,35,76,835
बेंगलूरु प्लांट	21871 क्वार्टरों के किराये का दावा किया	डेबिट	1,83,93,414	3,26,27,524
बेंगलूरु प्लांट	228.01 बिजली डाटा सेंटर	डेबिट	1,61,61,589	90,67,535
बेंगलूरु प्लांट	230.03 जमा राशि का भुगतान - अन्य (ईएमडी)	डेबिट	69,88,737	72,12,277
बेंगलूरु प्लांट	22507 अन्य अग्रिम वसूली बेंगलूरु पीआई	डेबिट	39,59,363	39,43,655
बेंगलूरु प्लांट	22801 वजीफे का दावा	डेबिट	29,76,528	29,76,528
बेंगलूरु प्लांट	235.00 पूर्वभुगतान व्यय	डेबिट	27,60,847	21,34,831
बेंगलूरु प्लांट	22801 दक्षिण पश्चिमी रेलवे पट्टा किराया	डेबिट	21,27,813	21,27,813
बेंगलूरु प्लांट	21873 किराया दावा करें	डेबिट	13,36,670	7,39,543
बेंगलूरु प्लांट	22801 पुनर्प्राप्त करने योग्य यूटीस्टारकॉम एनजीएन निर्माण	डेबिट	10,67,771	10,67,771
बेंगलूरु प्लांट	22506 टीए एडवांस बेंगलुरु प्लांट वीयूएसएस एमयूएसएस	डेबिट	9,09,826	9,09,826
बेंगलूरु प्लांट	बिक्री कर इनपुट क्रेडिट	डेबिट	6,65,486	6,65,486

बेंगलूरु प्लांट	22513 मेचनोलिन्क वेल्डर	डेबिट	5,00,000	5,00,000
बेंगलूरु प्लांट	230.01 जमा टीसीएस प्राप्य	डेबिट	4,79,746	4,60,351
बेंगलूरु प्लांट	उत्पाद शुल्क इनपुट क्रेडिट / जमा	डेबिट	4,27,401	4,27,401
बेंगलूरु प्लांट	कस्टम ड्यूटी इनपुट क्रेडिट / जमा	डेबिट	3,65,627	3,65,627
बेंगलूरु प्लांट	बिक्री कर	डेबिट	3,53,690	3,53,690
बेंगलूरु प्लांट	226.13 अन्य अग्रिम वसूली योग्य	डेबिट	3,06,506	99,506
बेंगलूरु प्लांट	21873 दावे किराया जीएसटी बी2बी	डेबिट	1,79,319	3,56,519
बेंगलूरु प्लांट	222.00 अग्रिम खाता	डेबिट	1,47,434	2,13,989
बेंगलूरु प्लांट	22506 टीए एडवांस 4जी बेंगलूरु प्लांट	डेबिट	97,836	59,124
बेंगलूरु प्लांट	226.03 अग्रिम वसूली योग्य - त्यौहार अग्रिम	डेबिट	84,800	5,74,800
बेंगलूरु प्लांट	22506 टीए/डीए एस्कॉन चरण 4	डेबिट	48,086	38,086
बेंगलूरु प्लांट	226.05 अग्रिम वसूली योग्य – साईकल अग्रिम	डेबिट	30,000	30,000
बेंगलूरु प्लांट	22801 एसएसटीपीएल से वसूली योग्य –एसएएएस आधार	डेबिट	29,500	29,500
बेंगलूरु प्लांट	22510 टीए/डीए एस्कॉन चरण 4	डेबिट	4,651	-21,408
बेंगलूरु प्लांट	225.20 कैंटीन अग्रिम वसूली योग्य	डेबिट	240	240
बेंगलूरु प्लांट	उत्पाद शुल्क	डेबिट	150	-
क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर	बिक्री कर अपील शुल्क के लिए सुरक्षा जमा राशि	डेबिट	7,90,538	7,90,538
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ	29100 सुरक्षा जमा राशि	डेबिट	2,00,96,845	2,14,91,939
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ	खरीद के लिए अग्रिम राशि – क्षेत्रीय कार्यालय	डेबिट	1,99,65,600	1,99,65,600
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ	टीए ईएक्सपी-आरएलवाई-एफ की वसूली	डेबिट	16,78,207	16,78,207
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ	मुख्यालय से बकाया भुगतान करें	डेबिट	81,596	81,596
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ	28316 अन्य अग्रिम वसूली योग्य	डेबिट	44,181	57,803
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ	28315 टीए वसूली योग्य	डेबिट	37,163	5,482
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ	अग्रिम वसूली योग्य सेवाएँ	डेबिट	26,000	24,000
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली	28570 ईएमडी प्राप्य (दिल्ली)	डेबिट	1,92,76,378	2,02,76,379
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली	28312 स्टाफ अग्रदाय अग्रिम और ऋण	डेबिट	3,39,229	2,00,718
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली	28315 टीए वसूली योग्य	डेबिट	15,10,912	3,69,650
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली	28316 अन्य अग्रिम वसूली योग्य (वार्षिक अग्रिम)	डेबिट	81,000	-1,000
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली	28570 ईएमडी प्राप्य (भोपाल)	डेबिट	4,58,123	4,58,123
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली	29100 सुरक्षा जमा राशि (भोपाल)	डेबिट	74,636	74,636
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली	29100 सुरक्षा जमा राशि (दिल्ली)	डेबिट	3,57,020	3,57,020
		कुल	**35,63,55,479**	**36,90,45,534**

कृते **बी.के.रामध्यानी एंड कंपनी एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 002878एस/एस200021

(सीए वासुकी एच एस)
साझेदार
सदस्यता संख्या 212013
यूडीआईएन : 24212013 बीकेसीएलटीजे 8245

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 31 जुलाई , 2024

समेकित वित्तीय विवरण

सामग्री लेखांकन नीतियाँ

कॉर्पोरेट जानकारी

भारत की पहली सार्वजनिक क्षेत्र इकाई (पीएसयू) - आईटीआई लिमिटेड की स्थापना 1948 में हुई थी। तब से, दूरसंचार के क्षेत्र में एक अग्रणी उद्यम के रूप में, इसने वर्तमान राष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्क का 50% योगदान दिया है। नवोन्मेष विनिर्माण सुविधाओं के साथ छह स्थानों और विपणन/सेवा आउटलेट के देशव्यापी नेटवर्क में फैले हुए, कंपनी दूरसंचार उत्पादों की पूरी श्रृंखला और स्विचिंग, ट्रांसमिशन, एक्सेस और अभिदाता परिसर उपकरण के पूरे विस्तार को कवर करने वाले सकल समाधान प्रदान करती है।

आईटीआई वर्ष 2005-06 में अपने मानकापुर और रायबरेली संयंत्रों में मोबाइल उपकरण निर्माण सुविधाओं के उद्घाटन के साथ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल (जीएसएम) प्रौद्योगिकी के विश्व स्तरीय विक्रेताओं के लीग में शामिल हो गया। इसने देश में स्वदेशी मोबाइल उपकरण उत्पादन के एक नए युग में शुरुआत की। ये दोनों सुविधाएं घरेलू और निर्यात बाजार दोनों के लिए सालाना नौ मिलियन से अधिक लाइनों की आपूर्ति करती हैं।

1) तैयारी का आधार

भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार जैसा कि यहां बताया गया है, उन्हें छोड़कर, वित्तीय विवरणों को, लेखांकन के संचय आधार पर, तैयार किए जाते हैं और प्रस्तुत किए जाते हैं। जीएएपी में अनिवार्य भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान शामिल हैं, जिन्हें लगातार लागू किया गया है, सिवाय इसके कि एक नया लेखा मानक प्रारंभ में अपनाया गया है या मौजूदा लेखा मानक में संशोधन के लिए अब तक लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता है।

मापन का आधार :

निम्नलिखित संपत्तियों और देनदारियों, जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है, को छोड़कर वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया गया है :

क व्युत्पन्न वित्तीय साधन, यदि कोई हो

ख. वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा गया है

ग. परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य पर परिभाषित लाभ संपत्ति/(देयता) योजना संपत्तियों के कम उचित मूल्य मान्यता प्राप्त है।

2) अनुमानों का उपयोग

भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन को वित्तीय विवरणों की तारीख को प्रकट संपत्तियों, देनदारियों, राजस्व, व्यय और आकस्मिक देनदारियों की प्रकटीकरण की रिपोर्ट की गई राशि तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और व्यय पर रिपोर्ट की गई राशि में प्रबंधन को प्राक्कलनों और अनुमानों पर विचार करने की अपेक्षा होती है। हालांकि इस प्रकार के अनुमान सभी उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए एक उचित और विवेकी आधार पर किए जाते हैं, वास्तविक परिणाम अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और इस तरह के अंतर उस अवधि में मान्यता प्राप्त हैं जिसमें परिणाम निर्धारित किए जाते हैं।

3) कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किया जाता है, जो कंपनी की कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा है और प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा है जिसमें इकाई संचालित होती है। भारतीय रुपए में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी शेयर और प्रति शेयर डेटा को छोड़कर निकटतम लाखों में पूर्णांक की गई है।

4) राजस्व मान्यता

कंपनी ग्राहकों के साथ किए गए अनुबंधों के प्रति प्राप्त राजस्व की स्वीकृति तब करती है जब ग्राहक को प्रतिबद्ध माल अथवा सेवा के अंतरण का दायित्व पूरा हो जाता है। राजस्व की स्वीकृति निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के अनुसार निर्धारित संव्यवहार मूल्य पर की जाती है। परिसम्पत्ति (माल अथवा सेवा) का अंतरण ग्राहक को किए जाने के समय निष्पादन दायित्व पूर्ण होते हैं तथा अन्य मामलों में निष्पादन दायित्व किसी समय बिन्दु पर पूर्ण होते हैं। समय के साथ पूर्ण होने वाले निष्पादन दायित्व के प्रति राजस्व स्वीकृति निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की प्रगति का मापन करके की जाती है। प्रगति का मापन व्यय की गई वास्तविक लागत के अनुपात के अनुसार निष्पादन दायित्व से सम्बद्ध अनुमानित लागत पर किया जाता है।

क. माल की बिक्री

माल की बिक्री से राजस्व को प्राप्त या प्राप्त करने योग्य, रिटर्न के शुद्ध, व्यापार छूट और वॉल्यूम छूट के उचित मूल्य पर विचार करते हुए मापा जाता है। जब महत्वपूर्ण जोखिम और स्वामित्व के पुरस्कार को बिक्री समझौते की शर्तों के अनुसार ग्राहक को स्थानांतरित कर दिया गया है, न ही निरंतर प्रबंधन भागीदारी और माल पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखा जाता है, विचार की वसूली संभव है, और लागत की लागत और राजस्व विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, तब राजस्व को मान्यता दी जाती है। जोखिम समझौते के अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक शर्तें के आधार पर जोखिम और पुरस्कारों के हस्तांतरण का समय मूल्यांकन किया जाता है।

ख. पूर्व-संकर्म अनुबंध

जब आवश्यक माल पूर्व निरीक्षण और स्वीकृति के बाद अनुबंध के लिए बिना शर्त रूप से विनियमित होते हैं, यदि आवश्यक हो।

ग. एफ़ओआर अनुबंध

एफ़ओआर अनुबंध के मामले में, जब बिक्री पूर्व निर्धारित और स्वीकृति के बाद खरीददार को अंतरण के लिए वाहक को माल सौंप दिया जाता है और एफ़ओआर गंतव्य स्थान के अनुबंध के मामले में, यदि लेखांकन अवधि के अंदर गंतव्य तक पहुंचने वाले माल की उचित अपेक्षा होने पर बिक्री की मान्यता दी जाती है।

घ. बिल और होल्ड बिक्री

बिल-और-होल्ड लेनदेन के लिए, जब ग्राहक शीर्षक लेता है तो राजस्व पहचाना जाता है, बशर्ते कि :

i. यह संभव है कि वितरण किया जाएगा;

ii. जब बिक्री की मान्यता दी जाती हे, तब खरीददार को मद को तैयार कर, पहचानकर और सुपुर्दगी की जाती है;

iii. खरीददार विशेष रूप से आस्थगित सुपुर्दगी निर्देशों को स्वीकार करता है; सामान्य भुगतान शर्तें लागू होती हैं।

ङ. सेवाएं एवं निर्माण अनुबंध

समय-एवं-सामग्री तथा यूनिट के कार्य आधारित अनुबंधों पर राजस्व की स्वीकृति सम्बद्ध सेवाओं का निष्पादन होने पर की जाती है। नियत मूल्य अनुरक्षण राजस्व की स्वीकृति आनुपातिक रूप से या तो सीधी रेखा आधार पर दर निर्धारण के लिए तब की जाती है जब सेवाओं का निष्पादन अनिश्चित संख्या की किन्हीं पुनरावृति क्रियाओं से किसी निर्दिष्ट अवधि में पूरा कर लिया गया हो अथवा आनुपातिक रूप में कार्य पूर्णता के प्रतिशत की विधि से तब की जाती है जब ग्राहक को प्रदान की गई सेवाओं के लाभों का पैटर्न तथा अनुबंध की अवधि पर कंपनी की लागतें अनुबंध के लिए पर्याप्त नहीं होती हैं क्योंकि सेवाओं का स्वरूप सामान्यत: भिन्न प्रकार का होता है तथा यह पुनरावृतीय नहीं होता है। निष्पादन दायित्व की पूर्ति समय के साथ साथ किए जाने वाले अन्य नियत मूल्य, नियत काल के अनुबंधों की राजस्व स्वीकृति, कार्य की पूर्णता के प्रतिशत की विधि से, की जाती है। इनपुट एवं उत्पादकता में प्रत्यक्ष सम्बद्धता होने के विचार से विस्तारित प्रयासों अथवा लागतों का उपयोग कार्य की पूर्ति की प्रगति के निर्धारण के लिए किया जाता है। कार्य की पूर्णता की प्रगति का मापन अनुमानित लागतों अथवा प्रयासों के संबंध में (निष्पादित कार्य के अनुसार) अब तक व्यय की गई लागतों अथवा के अनुपात के अनुसार किया जाता है। संव्यवहार मूल्य के अनुमानों तथा कुल लागतों अथवा प्रयासों की अनुबंध की अवधि के दौरान अनवरत निगरानी की जाती है तथा इनकी स्वीकृति अवधि के दौरान तब की जाती है जब इनके अनुमान परिवर्तित होते हैं अथवा अनुमान संशोधित होते हैं। राजस्व तथा अनुमानित कुल लागतों अथवा प्रयास अनुबंध की प्रगति के अनुसार संशोधित किए जाने की शर्त पर होते हैं। जब यह संभाव्य होता है कुल राजस्व के प्रति कार्य की पूर्ति के लिए अनुबंध लागतों में वृद्धि होगी तो कार्य पूर्णता की संभावित हानि को तत्काल व्यय के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

कुछ अनुबंधों में विभिन्न निष्पादन दायित्व शामिल होते हैं जैसे कि सिस्टम्स, उपकरण इत्यादि की आपूर्ति इत्यादि तथा अनुरक्षण सेवाएं। अनुरक्षण सेवाओं के संबंध में महत्व को संज्ञान में लिया जाता है तथा उसका लेखांकन एक पृथक निष्पादन दायित्व के रूप मे किया जाता है। जहां अनुबंधों में विभिन्न निष्पादन दायित्व होते हैं वहां संव्यवहार मूल्य को स्टैंडएलोन विक्रय मूल्यों के आधार पर प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए निर्धारण किए जाते हैं। जहां इनकी प्रत्यक्ष संबद्धता प्रत्यक्ष रूप में स्पष्ट नहीं होती है तो संभावित लागत जमा मार्जिन के आधार पर उनके अनुमान लगाए जाते हैं।

अन्य नियत मूल्य अनुबंधों के लिए राजस्व की स्वीकृति संव्यवहार के अनुसार रिपोर्टिंग तिथि को कार्य पूर्णता के चरण के अनुपात में की जाती है। कार्य पूर्णता के चरण का मूल्यांकन कार्य निष्पादन के संदर्भ में होता है। यदि किसी प्राप्य प्रतिफल की वसूली के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता होती है अथवा यदि व्यय की गई अथवा व्यय की जाने वाली लागतों का मापन विश्वसनीयता के साथ नहीं किया जा सकता है तो राजस्व की स्वीकृति नहीं की जाती है।

च. ब्याज आय

ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग कर मान्यता दी जाती है।

छ. लाभांश

जब लाभांश प्राप्त करने हेतु कंपनी का अधिकार स्थापित किया जाता है तो लाभांश आय को मान्यता दी जाती है।

ज. किराए से आय

जब तक किराये में वृद्धि अपेक्षित मुद्रास्फीति या अन्यथा उचित (उचित मूल्य) के अनुरूप नहीं होती है, परिचालनीय पट्टे से उत्पन्न होने वाली किराये के आय लीज अवधि के दौरान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर होते हैं।

झ. शुल्क वापसी

दावों को प्रमुखता देने के संबंध में निर्यात पर शुल्क वापसी का दावा किया जाता है।

ट. अन्य आय

अन्य आय जिसे विशेष रूप से ऊपर वर्णित नहीं है, को अर्जन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

5) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, प्रगतिशील पूंजी कार्य

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को ऐतिहासिक लागत पर संचित अवमूल्यन और क्षति नुकसान, यदि कोई हो, के घाटे पर दर्शाये गए हैं। लागत में खरीद मूल्य और पीपीई को अपने अभिप्रेत उपयोग के लिए कामकाजी स्थिति में लाने की कोई भी जिम्मेदार लागत शामिल है। पीपीई के अधिग्रहण से संबंधित उधार और अन्य जिम्मेदार लागत, जो इसके अभिप्रेत उपयोग के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त समय लेती है, को भी इस अवधि तक संबंधित सीमा तक भी शामिल किया गया है जब तक कि इस तरह के पीपीई उपयोग करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। या तो निपटान पर या इस तरह के उपयोग से सेवानिवृत्त होने पर वित्तीय विवरणों से पीपीई को हटा दिया जाता है। जब संयंत्र और उपकरण के महत्वपूर्ण पुर्जो को अंतराल पर प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होती है, तो उन्हें अलग घटक के रूप में मान्यता दी जाती है।

उपहार के रूप में या मुफ्त में प्राप्त संपत्तियों को उचित मूल्य पर दर्शाई जाती हैं, जिसे अधिग्रहण या प्राप्ति के समय कम संचित मूल्यह्रास और क्षति नुकसान के घाटे पर अन्य इक्विटी में जमा किया जाता है।

प्रगतिशील पूंजी कार्य

तुलनपत्र की तिथि पर संस्थापन या निर्माणाधीन संपत्तियों को प्रगतिशील पूंजी कार्य के रूप में दर्शाई जाती है।

निर्माण अवधि से संबंधित आय, जैसे ठेकेदारों से प्राप्त अग्रिम से ब्याज, निविदा दस्तावेजों की बिक्री इत्यादि, को निर्माण के दौरान व्यय के विरुद्ध समाप्त किया जाता है।

पट्टेधारित भूमि के विकास पर व्यय को भूमि विकास व्यय के रूप में पूंजीकृत किया गया है और पट्टे की अवधि या उपयोगी, जीवनकाल जो भी कम है, पर अमूर्त किया गया है।

6) अमूर्त संपत्तियां, विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां

क. आंतरिक उपयोग के लिए अधिग्रहित सॉफ़्टवेयर (जो संबंधित हार्डवेयर का एक अभिन्न हिस्सा नहीं है) की लागत और इसकेपरिणामस्वरूप महत्वपूर्ण भविष्य के आर्थिक लाभ को, उपयोग के लिए तैयार हो जाने पर अमूर्त संपत्ति के रूप में पहचाने जाते हैं। अमूर्त संपत्ति, जो तुलनपत्र की तिथि पर उनके अभिप्रेत उपयोग के लिए तैयार नहीं है, को "विकास के तहत अमूर्त संपत्ति" के रूप में वर्गीकृत की जाती है।

ख. जहां भी योग्य हो, विकासशील कार्य की लागत को उनके पूरा होने पर अमूर्त संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है।

ग. जहां भी योग्य हो, प्रगति के तहत विकास कार्यों की लागत को "विकास के तहत अमूर्त संपत्ति" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

घ. ले जाने वाली राशि में विकास परियोजना (ओं) की ओर बाहरी एजेंसियों को कंपनी द्वारा वित्त पोषित राशि और कंपनी द्वारा भौतिक लागत, कर्मचारी लागत और अन्य प्रत्यक्ष व्यय की ओर किए गए व्यय शामिल है।

7) अनुसंधान और विकास व्यय:

अनुसंधान व्यय लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। उत्पादों की विकास लागत को लाभ और हानि विवरण पर भी दर्शाया जाता है जब तक कि उत्पाद की

तकनीकी व्यवहार्यता स्थापित नहीं की जाती है, इस मामले में इस तरह के व्यय को पूंजीकृत किया जाता है। अनुसंधान और विकास में उपयोग की जाने वाली मूर्त संपत्तियां पूंजीकृत हैं।

अन्य विकास गतिविधि की ओर किए गए व्यय, जहां नए या बेहतर उत्पादों या प्रक्रियाओं के विकास के लिए शोध परिणाम या अन्य ज्ञान लागू किया गया है, और यदि भारतीय लेखा मानक 38 में निर्दिष्ट मान्यता मानदंडों को पूरा किया जाता है, को अमूर्त संपत्ति के रूप में पहचाना जाता है और जब विकसित उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रयोग करने योग्य है, कंपनी के पास विकास को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं और बाद में अमूर्त संपत्ति का उपयोग या बिक्री की जाती है, और उत्पाद या प्रक्रिया भविष्य के आर्थिक लाभ उत्पन्न करने की संभावना है।

8) गैर-वित्तीय संपत्तियों का नुक़सान

प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि के अंत में, अगर आंतरिक/बाहरी कारकों के आधार पर हानि का कोई संकेत होने हेतु संपत्तियों की ले जानेवाली राशि की समीक्षा की जाती है। यदि अनुमानित वसूली योग्य राशि ले जाने वाली राशि से कम पाई जाती है, तो क्षति नुकसान की मान्यता दी जाती है और संपत्तियां वसूली योग्य राशि पर लिखी जाती हैं।

9) मूल्यह्रास/परिशोधन

संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर मूल्यह्रास की गणना सीधी रेखा के आधार पर की जाती है।

वर्ष के दौरान निश्चित परिसंपत्तियों को जोड़ और हटाने पर मूल्यह्रास को यथानुपात आधार पर निम्नानुसार प्रदान किया जाता है:

क. महीने के 15वें दिन या उससे पहले की गई संपत्तियों के अतिरिक्त महीने के लिए मूल्यह्रास पूरी तरह से माना जाता है जबकि महीने के 15वें दिन के बाद कमीशन की गई परिसंपत्तियों के अतिरिक्त महीने के लिए कोई मूल्यह्रास माना नहीं जाता है।

ख. महीने के 15वें दिन या उससे पहले बेचे गए, अयोग्य, क्षतिग्रस्त या नष्ट संपत्तियों के संबंध में, हटाने के महीने के लिए कोई मूल्यह्रास माना नहीं जाता है, जबकि महीने के 15वें दिन के बाद बेचे गए, अयोग्य, क्षतिग्रस्त या नष्ट संपत्तियों के लिए हटाने के महीने के लिए पूर्ण रूप में तरह से माना जाता है।

ग. परिसंपत्ति के एक हिस्से की लागत संपत्ति की कुल लागत के लिए महत्वपूर्ण है और उस हिस्से का उपयोगी जीवन शेष संपत्ति के उपयोगी जीवन से अलग है, तो उस महत्वपूर्ण भाग के उपयोगी जीवन को अलग-अलग निर्धारित किया जाता है और इसके अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा विधि पर ह्रास की जाती है।

घ. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवन और संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मूल्यह्रास के तरीकों की समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो, तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

परिशोधन

अमूर्त संपत्तियों को उनके संबंधित व्यक्तिगत अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर, उस तारीख, जब वे उपयोग के लिए उपलब्ध हैं, से अलग किए जाते हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिशोधन विधियों और उपयोगी जीवन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

अवमूल्यन संपत्तियों के मामले में जो संशोधित किए गए हैं, पुनर्मूल्यांकित राशि पर सीधी रेखा विधि पर मूल्यह्रास की गणना की जाती है। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार, पुनर्मूल्यांकन के कारण बढ़ती अवमूल्यन सामान्य रिजर्व को क्रेडिट के रूप में कम किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का निपटान

शुरुआत में मान्यता दी गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु और किसी भी महत्वपूर्ण भाग को उनके निपटान पर या इसके उपयोग या निपटान से भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है, तो उनके निपटान पर विमान्यता की जाती है। परिसंपत्ति की विमान्यता पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि (निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की ले जाने वाली राशि के बीच अंतर के रूप में गणना की जाती है) को परिसंपत्ति को विमान्यता किए जाने पर लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

विवरण		(वर्ष)
क.	(क) भवन (कारखाने की इमारतों के अलावा)	60
	(ख) कारखाने की इमारत	30
	(ग) पूरी तरह से अस्थायी निर्माण	3
	(घ) प्लिंथ क्षेत्र में प्रत्येक इकाई के लिए आवास निर्माण 80 वर्गमीटर से अधिक नहीं है।	30
ख.	फर्नीचर और फिटिंग	10
ग.	संयंत्र और मशीनरी	
	(क) सामान्य दर (डबल शिफ्ट आधार पर)	15
	(ख) विशिष्ट दर : - सर्वर और नेटवर्क	6
	(ग) कंप्यूटर सहित डेटा प्रोसेसिंग मशीन	3
घ.	सड़के और परिसर की दीवारें	10
ङ	कार्यालय मशीनरी और उपकरण	5
च.	वाहन	8
छ.	5,000/- रुपये से कम की लागत वाली परिसंपत्तियाँ 100 प्रतिशत की कमी	
	हालांकि, 50,000/- रुपये और उससे अधिक की मूल लागत वाले परिसंपत्तियों के संबंध में, पुस्तकों में 5/- रुपये की अवशिष्ट शेष राशि बरकरार रखी गई है।	

10) पट्टे

प्रारम्भिक तिथि पर ही किसी पट्टे को वित्तीय या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

पट्टेदार के रूप में कंपनी

वित्तीय पट्टे को उचित मूल्य के नीचे पूंजीकृत किया जाता है और पट्टे के शुरू होने पर न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य होता है। वित्त प्रभार को लाभ और हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है। एक पट्टे वाली संपत्ति को संपत्ति या लीज अवधि के उपयोगी जीवन, जो भी कम हो, पर मूल्यह्रास किया जाता है।

पट्टा प्रारंभ की तिथि को कंपनी द्वारा उपयोग अधिकार परिसम्पति (आरओयू) तथा 12 माह अथवा कम (अल्प-कालिक पट्टे) अवधि के पट्टे एवं न्यून मूल्य पट्टे के अलावा पट्टा युक्त सभी पट्टा व्यवस्थाओं, जिनमें कंपनी पट्टेदार है, के लिए अनुवर्ती पट्टा दायित्व की स्वीकृति दी जाती है। इन अल्प कालिक एवं न्यून मूल्य की परिसम्पतियों के लिए कंपनी पट्टा भुगतानों की स्वीकृति, पट्टे के काल के लिए सीधी रेखा आधार पर, परिचालन व्यय के रूप में करती है। पट्टा देयता का प्रारंभिक मापन भावी पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य की परिशोधन लागत पर किया जाता है। पट्टे की अंतर्निहित ब्याज की दर के उपयोग से अथवा यदि इनका निर्धारण तत्काल नहीं हो पाता है तो इन पट्टों के क्षेत्र की आवृत्ति ऋण दरों के उपयोग से पट्टा भुगतान बट्टा किए जाते हैं। यदि कंपनी इनके विस्तार अथवा समापन विकल्प का उपयोग करने अथवा न करने के मूल्यांकन के प्रति बदलाव करती है तो पट्टा दायित्वों का पुन:मापन उपयोग अधिकार की परिसम्पति से सम्बद्ध अनुवर्ती समायोजन करके किया जाता है ।

उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों का प्रारंभिक मापन लागत पर किया जाता है जिसमें पट्टा दायित्व की प्रारंभिक राशि का समायोजन पट्टे के प्रारंभ होने के समय अथवा पूर्व चुकता किए गए किन्हीं पट्टा भुगतानों जमा किसी प्रकार के पट्टा प्रोत्साहनों को घटाकर व्यय की गई प्रत्यक्ष लागतों को घटाकर किया जाता है। संचित मूल्यह्रास तथा अक्षमता क्षतियों को घटाकर लागत पर इनके अनुवर्ती मापन किए जाते हैं। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों का मूल्यह्रास प्रारंभ तिथि से पट्टे के शेष काल तथा अंतर्निहित उपयोज्यता काल के लिए सीधी रेखा आधार पर किया जाता है। प्रतिलब्धता के लिए उपयोग अधिकार की परिसम्पतियों का मूल्यांकन तब किया जाता है जब परिस्थितियों अथवा परिवर्तनों के परिणामस्वरूप ऐसे संकेत प्रतीत हों कि उनकी वहन राशियों की वसूली नहीं की जा सकेगी।

पट्टादाता के रूप में कंपनी

ऑपरेटिंग लीज आय को सीधी रेखा के आधार पर लीज अवधि पर मान्यता प्राप्त होती है, सिवाय इसके कि जब वृद्धि सामान्य मुद्रास्फीति या अन्यथा उचित हो। आकस्मिक किराए, अगर कोई है, तो उसे अर्जित अवधि में राजस्व के रूप में पहचाने जाते हैं।

11) उधार लागत

उधार लागत सीधे उस संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए जिम्मेदार है जो आवश्यक उद्देश्य या बिक्री के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त समय लेती है, संपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत होती है।

सामान्य उधार लागत को पूंजीकरण दर लागू करके परिसंपत्तियों को अर्हता प्राप्त करने के लिए पूंजीकृत किया जाता है, जो उस उधार के लिए विशिष्ट उधार के अलावा बकाया सामान्य उधार के लिए उधार लेने वाली लागतों का भारित औसत होता है। अन्य सभी उधार लेने की लागत उस अवधि में व्यय होती है जिसमें वे संभावित हैं। उधार लागत में ब्याज और अन्य लागतें शामिल होती हैं जो एक इकाई निधि के उधार के संबंध में होती है, साथ ही साथ उधार लागत में समायोजन के रूप में माना जाता है।

12) सरकारी अनुदान

सरकार से प्राप्त अनुदान को उचित मूल्य पर मापा जाता है और शुरुआत में आस्थगित आय के रूप में पहचाना जाता है।

स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के कारण आस्थगित आय के तहत पड़ी राशि को संबंधित परिसंपत्तियों पर लगाए गए मूल्यह्रास के अनुपात में अधिग्रहण के लिए उपयोग किए जाने वाले सरकारी अनुदान के लिए जिम्मेदार सीमा तक लाभ और हानि विवरण के क्रेडिट में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

राजस्व व्यय के कारण आस्थगित आय के तहत निलंबित राशि को वित्त पोषण के अनुपात में किए गए व्यय की सीमा तक लाभ और हानि विवरण में हस्तांतरित किया जाता है, जो स्वीकृत अनुदान तक ही सीमित स्वीकृत लागत तक सीमित होता है।

13) संयुक्त उद्यम और एसोशिएट में निवेश

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों में संयुक्त उद्यम और एसोशिएट में कंपनी की भागीदारी को लागत पर दर्शाया गया है, बल्कि समेकित वित्तीय विवरणों में इक्विटी विधि के तहत दर्शाया गया है।

14) मालसूचियाँ

विनिर्माण/उत्पादन गतिविधियों के लिए अप्रचलन के बाद, यदि कोई हो, खरीदी गई कच्ची सामग्रियों, घटकों और भंडार को कम लागत और निवल प्राप्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। वर्ष के अंत में भारित औसत दर पर लागत की गणना की जाती है। जहां भी वही सामान खरीदे जाते हैं, विनिर्माण लागत आमतौर पर अपनाई जाती है।

उप साधन और फैब्रिकेटर के साथ कच्चे माल और उत्पादन भंडार को उनके जारी किए जाने पर कम कीमत पर मूल्यांकित किए जाते हैं और अप्रचलन प्रदान करने के बाद, यदि कोई हो, निवल निष्पाद्य मूल्य पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

स्टॉक और स्टॉक-इन-ट्रेड में निर्मित मदों को, अप्रचलन प्रदान करने के बाद, यदि कोई हो, ब्याज शुल्क, प्रशासन ओवरहेड्स और बिक्री ओवरहेड्स और निवल प्राप्य मूल्य पर छोड़कर कम लागत पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

मूल्यवान धातु स्क्रैप को वर्ष के अंत में शुद्ध वास्तविक मूल्य पर बही खाते में लाया जाता है।

15) चालू कार्य

क. प्रक्रियाशील कार्य (उत्पादन) के मूल्य को, अप्रचलन प्रदान करने के बाद, यदि कोई हो, ब्याज शुल्क, प्रशासन और बिक्री ओवरहेड्स को छोड़कर और निवल अचल मूल्य पर भौतिक रूप से सत्यापित मात्रा के आधार पर मूल्यांकित है ।

ख. प्रक्रियाशील कार्य (संस्थापन) के मूल्य को, अप्रचलन प्रदान करने के बाद, यदि कोई हो, कार्य आदेशों और निवल प्राप्य मूल्य में दर्ज की गई लागत के कम मूल्य पर मूल्यांकित है।

16) औज़ार और गेज

विशेष उद्देश्य के औजारों और जुडनारों पर व्यय शुरू में लागत पर पूंजीकृत है और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, व्यवस्थित आधार पर उत्पादन पर परिशोधित हैं।

फुटकर औजारों को जारी करते समय राजस्व पर प्रभारित किए जाते हैं।

17) वित्तीय संपत्तियां (प्राप्य व्यापार और अन्य प्राप्य)

प्राप्तियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर पहचानी जाती हैं, जो ज्यादातर मामलों में मामूली मूल्य का अनुमान लगाती है। यदि संपत्ति को बाद में क्षति पहुँचने की कोई संकेत है, तो क्षति के लिए भी समीक्षा की जाती है।

18) त्रुटिय और अनुमान

यदि भारतीय लेखा मानकों में बदलाव के कारण परिवर्तन की आवश्यकता है या यदि परिवर्तन वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को अधिक प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है, तो कंपनी अपनी लेखांकन नीतियों को संशोधित करती है।

लेखांकन अनुमान में बदलाव के परिणामस्वरूप मान्यता प्राप्त संपत्तियों या देनदारियों या लाभ या हानि विवरण के लिए परिवर्तन की अवधि में परिवर्तनों की संभावना है।

त्रुटियों की खोज और परिणामों की तुलनात्मक रूप से पुनरीक्षण में परिणामों को पुन: निरीक्षण में परिणाम, देनदारियों और इक्विटी की पहली पूर्व अवधि की इक्विटी की तुलना में त्रुटि की खोज की जाती है। प्रस्तुत की गई पूर्व अवधि के प्रारम्भिक शेष भी पुनः घोषित किए जाते हैं।

19) आय कर

आयकर में वर्तमान और आस्थगित आयकर शामिल हैं।

वर्तमान आयकर

कराधान प्राधिकारियों को देय या से वसूल योग्य राशि को भुगतान की जाने वाली राशि पर मापा जाता है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर की दरें और कर कानून वे हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित होते हैं। इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित वर्तमान कर इक्विटी में मान्यता प्राप्त है और लाभ और हानि के विवरण में नहीं।

आस्थगित कर

संपत्ति और देनदारियों के कर आधार और रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए उनकी ले जाने वाली रकम के बीच अस्थायी अंतर पर तुलनपत्र विधि का उपयोग करके आस्थगित कर प्रावधान किया जाता है।

आस्थगित कर संपत्ति सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतर के लिए पहचानी जाती है, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और किसी भी अप्रयुक्त कर घाटे को आगे बढ़ाते हैं, इस हद तक कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सके।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की राशि को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक कम हो जाती है कि अब यह संभव नहीं है कि आस्थगित कर संपत्ति के सभी या हिस्से को उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

20) वारंटी दायित्व

ग्राहकों को बेचे गए उपकरणों के संबंध में संविदात्मक दायित्व के लिए वारंटी दायित्व वार्षिक तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर माना जाता है।

21) विदेशी मुद्राएं

विदेशी मुद्राओं में लेन-देन को प्रारम्भ में कंपनी द्वारा अपनी संबंधित मुद्रा विनिमय दर पर लेनदेन की तारीख को पहली बार मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त होने पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक संपत्तियों और देनदारियों का अनुवाद रिपोर्टिंग तिथि पर कार्यात्मक मुद्रा विनिमय दर पर किया जाता है।

निपटारे या मौद्रिक वस्तुओं के अंतरण पर उत्पन्न अंतर लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त हैं।

गैर-मौद्रिक वस्तुओं को विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापा जाता है, प्रारंभिक लेनदेन की तारीखों पर कार्यात्मक मुद्रा विनिमय दर का उपयोग करके अंतरित किया जाता है।

22) कर्मचारी हितलाभ

क. अल्पावधि कर्मचारी लाभ को वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में गैर-छूट प्राप्त राशि पर एक व्यय के रूप में पहचाने जाते हैं जिसमें संबंधित सेवा प्रदान की जाती है।

ख. रोज़गार के उपरांत के लाभ जैसे उपदान और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ जैसे विशेषाधिकार छुट्टी, बीमार छुट्टी और एलएलटीसी को वर्ष के लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिस वर्ष में कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हैं। व्यय आकलन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित देय राशि के वर्तमान मूल्य पर मान्यता प्राप्त है।

ग. बीमांकिक लाभ और हानि तथा योजना संपत्तियों (ब्याज को छोड़कर) का विवरण और परिसंपत्ति की अधिकतम सीमा का प्रभाव (यदि कोई हो, ब्याज को छोड़कर) को अन्य व्यापक आय (ओआईसी) में तुरंत मान्यता दी जाती है। निवल परिभाषित देयता (परिसंपत्तियों) पर निवल ब्याज व्यय (आय) की गणना निवल दर देकर (परिसंपत्ति) को वर्ष के दौरान योगदान और लाभ भुगतान के परिणामस्वरूप किसी भी बदलाव को ध्यान में रखते हुए निवल परिभाषित देयता (परिसंपत्ति) को मापने के बाद वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, गणना दर लागू करने के द्वारा की जाती है। निवल ब्याज व्यय और परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित अन्य खर्च लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त हैं।

घ. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) से संबंधित व्यय को घटनाओं के संबंधित वर्ष में लिखा गया है।

ड़. कंपनी के पात्र कर्मचारियों को परिभाषित अंशदायी योजना के अंतर्गत भविष्य निधि के लाभ प्रदान किए जाते हैं । पात्र कर्मचारी तथा कंपनी, दोनों, भविष्य निधि योजना में संबंधित कर्मचारी के वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत के अनुसार मासिक अंशदान करती हैं। कंपनी यह अशंदान आईटीआई कर्मचारी भविष्य निधि न्यास को सौंपती है। विनियमों के अनुसार सरकार द्वारा शासित पेंशन निधि में अंशदान का भाग जमा करवाने के पश्चात न्यास शेष निधियों का निवेश संबंधित विनियमों के अंतर्गत अनुमत्त विशिष्ट निर्दिष्ट उपकरणों मे करता है। न्यास द्वारा लाभग्राहियों को चुकता किए जाने वाले वार्षिक ब्याज की दर का निर्धारण सरकार करती है।

23) प्रावधान और आकस्मिक देयताएं

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब पिछले कार्यक्रम के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, यह संभव है कि आर्थिक लाभों को जोड़नेवाले संसाधनों का बहिर्वाह दायित्व को सुलझाने के लिए आवश्यक होगा और एक विश्वसनीय अनुमान दायित्व की राशि से किया जा सकता है। जब कंपनी को कुछ या सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति की उम्मीद है, उदाहरणार्थ, एक बीमा अनुबंध के तहत, प्रतिपूर्ति एक अलग संपत्ति के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन केवल प्रतिपूर्ति लगभग निश्चित हो। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय किसी भी निवल प्रतिपूर्ति के लाभ और हानि विवरण में प्रस्तुत किया जाता है।

यदि पैसे के समय मूल्य का प्रभाव महत्त्वपूर्ण है, प्रावधानों को वर्तमान पूर्व कर दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो दर्शाती है, जब उचित हो, देयता के लिए विशिष्ट जोखिम होता है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में पहचाना जाता है।

आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि, आकस्मिक देनदारियां जब तक कि आर्थिक लाभों को शामिल करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ और आकस्मिक संपत्तियां जहां आर्थिक लाभ की आमद संभावित है, नोटों में प्रकट की जाती हैं।

भारयुक्त अनुबंध

जब संविदा से कंपनी द्वारा प्राप्त होनेवाले अपेक्षित लाभ संविदा के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत से कम होते हैं तब निर्माण अनुबंधों के अलावा अन्य कई अनुबंधों के लिए प्रावधान किया जाता है।

प्रावधान को अनुबंध समाप्त होने की उम्मीद की निवल लागत के नीचे के वर्तमान मूल्य और अनुबंध के साथ जारी रखने की उम्मीद की निवल लागत से मापा जाता है।

प्रावधान स्थापित होने से पहले, कंपनी उस अनुबंध से जुड़ी संपत्तियों पर किसी भी क्षति नुकसान को पहचानती है।

24) उचित मूल्य मापन

कंपनी प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर उचित मूल्य पर अपने वित्तीय विवरणों में डेरिवेटिव्स और अन्य वस्तुओं जैसे कुछ वित्तीय उपकरणों को मापती है।

सभी संपत्तियों और देनदारियों के लिए जो उचित मूल्यों को वित्तीय विवरणों में मापा या खुलासा किया गया है, वे उचित मूल्य माप के आधार पर उचित मूल्य पदानुक्रम के अधीन वर्गीकृत होते हैं जो कि उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है :

स्तर 1 – समान संपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)

स्तर 2 – उद्धृत कीमतों के अलावा इनपुट्स जिसे स्तर 1 के अधीन शामिल किया गया है, जो संपत्ति या देयता के लिए, या तो सीधे (यानी कीमतों के रूप में) या परोक्ष रूप से (यानी कीमतों से व्युत्पन्न) विचारणीय हैं।

स्तर 3 – संपत्तियों या देनदारियों के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा (अप्रचलित इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

उचित मूल्य प्रकटीकरण के प्रयोजनों के लिए, कंपनी ने संपत्ति या देयता के प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों और उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और देनदारियों के वर्ग निर्धारित किए हैं।

25) निवेश सम्पत्ति

निवेश संपत्तियों को शुरुआत में लागत पर मापा जाता है, जिसमें लेनदेन लागत भी शामिल है। प्रारंभिक मान्यता के अनुक्रम में, निवेश संपत्तियों को कम संचित मूल्यह्रास और संचित क्षति नुकसान, यदि कोई हो, पर उल्लेख किया जाता है।

26) वित्तीय साधन

क. प्रारंभिक मान्यता और मापन

सभी वित्तीय संपत्तियों को प्रारम्भ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में लाभ और हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया गया है, वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार लेनदेन लागत संपत्ति की लागत में शामिल है।

ख. अनुवर्ती मापन

अनुवर्ती मापन के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय संपत्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

i. अमूर्त लागत पर ऋण साधन,

ii. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन (एफवीटीओसीआई),

iii. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन, डेरिवेटिव और इक्विटी साधन (एफवीटीपीएल),

iv. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा इक्विटी साधन [सहयोगियों में निवेश के अलावा जो लागत पर किया जाता है] (एफवीटीओसीआई)।

विमान्यता

वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्ति के हिस्से को तब मान्यता दी जाती है जब परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

एम्बेडेड डेरिवेटिव

एम्बेडेड डेरिवेटिव, यदि आवश्यक हो, होस्ट अनुबंध से अलग किया गया है और उचित मूल्य पर मापा जाता है।

27) आगे अनुबंध

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों को संभालने के लिए आगे मुद्रा अनुबंध जैसे डेरिवेटिव वित्तीय उपकरणों का उपयोग करती है। इस तरह के डेरिवेटिव वित्तीय साधनों को प्रारम्भ में उचित मूल्य पर पहचाना जाता है जिस पर एक डेरिवेटिव अनुबंध दर्ज किया जाता है और बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है। जब उचित मूल्य सकारात्मक होता है तब डेरिवेटिव वित्तीय संपत्ति के रूप में ले जाते हैं और उचित देनदार होने पर वित्तीय देनदारियों के रूप में ले जाते हैं।

28) नकद और नकद समतुल्य

नकद में मौजूदा नकद और मांग जमा शामिल है। नकद समतुल्य तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक अत्यावधिक तरल निवेशह है, जो नकदी की ज्ञात मात्रा में आसानी से परिवर्तनीय है एवं मूल्य में परिवर्तन के तुच्छ जोखिम के अधीन है।

तुलनपत्र पर मौजूदा देनदारियों में उधार के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट, यदि कोई हो, को दिखाया गया है।

29) वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कंपनी माप के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है और क्रेडिट जोखिम के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि की पहचान करती है।

क. सरकार/सरकारी विभागों/सरकारी कंपनियों से कालवर्जित देय को आम तौर पर ऐसी वित्तीय संपत्ति के क्रेडिट जोखिम में वृद्धि के रूप में नहीं माना जाता है।

ख. जहां कानूनी कार्यवाही में बकाया राशि विवादित होती है, अगर कंपनी के विरुद्ध कोई निर्णय दिया जाता है तो भी प्रावधान किया जाता है, भले ही इसे उच्च प्राधिकारियों/अदालतों को अपील पर लिया जाता है।

ग. मामला-दर-मामले के आधार पर विशिष्ट समयावधि के लिए बकाया देय के मामले में।

अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त ईसीएल क्षति नुकसान भत्ता (या उलटा) को लाभ और हानि विवरण में व्यय/(आय) के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह राशि लाभ और हानि विवरण में क्षति लाभ में या हानि के रूप में प्रतिबिंबित करती है।

30) वित्तीय देयताएँ

क. प्रारम्भिक मान्यता और मापन

वित्तीय देयताओं को प्रारंभिक रूप से उपयुक्त, ऋण, उधार, देनदार या डेरिवेटिव के रूप में लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है।

ऋण, उधार और देय, लेनदेन लागत का निवल कहा जाता है जो सीधे जिम्मेदार होते हैं।

ख. बाद के मापन

वित्तीय देनदारियों का मापन उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

i. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियां।

ii. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर नामित वित्तीय देनदारियां शामिल हैं। इस संवर्ग में कंपनी द्वारा प्रवेश किए गए डेरिवेटिव वित्तीय साधन भी शामिल हैं, जो भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा परिभाषित हेज रिश्तों में हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित नहीं हैं। पृथक एम्बेडेड डेरिवेटिव को व्यापार के लिए भी वर्गीकृत किया जाता है जब तक उन्हें प्रभावी हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित नहीं किया जाता है।

व्यापार के लिए धारित देनदारियों पर लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त है।

ग. ऋण और उधार

प्रारंभिक मान्यता के बाद, प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का उपयोग करके ब्याज-रहित ऋण और उधार को बाद में लागत में मापा जाता है। जब देनदारियों को ईआईआर अमूर्तकरण प्रक्रिया के माध्यम से मान्यता प्राप्त होती है लाभ और हानि को लाभ या हानि के रूप में में पहचानी जाती है।

वित्तीय देनदारी के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त होने पर वित्तीय देयता की विमान्यता की जाती है।

घ. व्यापार और अन्य देनदारियाँ

चाहे आपूर्तिकर्ता द्वारा बिल किया गया हो या नहीं, देयताओं को भविष्य में प्राप्त की जानेवाली माल और सेवाओं के लिए भुगतान की जानेवाली राशि के रूप में मान्यता दी जाती है।

31) वित्तीय उपकरण का पुन:वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों के वर्गीकरण को निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों, जो इक्विटी उपकरण और वित्तीय देनदारियां हैं, के लिए कोई पुन:वर्गीकरण नहीं किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो ऋण साधन हैं, पुन:वर्गीकरण केवल तभी किया जाता है जब उन संपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यावसायिक मॉडल में कोई बदलाव हो। अगर कंपनी वित्तीय संपत्तियों को पुन: वर्गीकृत करती है, तो यह भावी रूप से पुन: वर्गीकरण लागू करती है।

32) वित्तीय उपकरणों की ऑफसेटिंग

यदि मान्यता प्राप्त राशि को ऑफ सेट करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकारी है और निवल आधार निपटाने का इरादा है, तो वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को ऑफ सेट किया जाता है और परिसंपत्तियों का एहसास करने तथा देनदारियों को एक साथ व्यवस्थित करने के लिए निवल का तुलन पत्र में दर्शाया जाता है।

33) इक्विटी शेयरधारकों को नकद लाभांश और गैर-नकद वितरण

कंपनी इक्विटी धारकों को नकद या गैर-नकदी वितरण करने की देयता को मान्यता देती है, जब वितरण अधिकृत होता है और वितरण अब कंपनी के विवेकानुसार नहीं होता है।

34) प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर की मूल अर्जन की गणना अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के आधार पर इक्विटी शेयरधारकों के लिए जिम्मेदार अवधि के लिए निवल लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर कम किया हुआ अर्जन की गणना के उद्देश्य के लिए, इक्विटी शेयरधारकों के लिए जिम्मेदार अवधि के लिए निवल लाभ या हानि और उस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी कम किए गए संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

35) रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएँ

समायोजित घटनाएँ ऐसी हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूद स्थितियों के आगे प्रमाण करती हैं। इस मुद्दे के लिए प्राधिकरण से पहले वित्तीय विवरणों को इस तरह की घटनाओं के लिए समायोजित किया जाता है।

गैर-समायोजन घटनाएँ ऐसी हैं, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक उठनेवाली स्थिति के संकेतक हैं। रिपोर्टिंग की तारीख के बाद गैर-समायोजन घटनाओं का हिसाब नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें प्रकट किया गया है।

36) समेकित

आईटीआई ने 40.55 लाख रुपये की लागत के लिए अपने संयुक्त उद्यम "इंडिया सेटकॉम लिमिटेड" में इक्विटी शेयर पूंजी का 49.06% निवेश किया है ।

भारतीय लेखाकंन मानक 28 के अनुसार, संयुक्त उद्यमों में ब्याज की समेकन "इक्विटी विधि" का उपयोग कर किया जा सकता है, जिसमें निवेशक के निवल मूल्य में निवेशक का हिस्सा सीधे निवेशक की किताबों में निवेश के मूल्य के रूप में लिया जा सकता है और अंतर पुराने मूल्य और नए मूल्य के बीच अन्य व्यापक आय में जमा/डेबिट किया जाएगा क्योंकि इक्विटी शेयरों में निवेश को "इक्विटी उपकरणों द्वारा अन्य व्यापक आय" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

हमारे समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार
कृते **बी के रामध्यानी एंड कंपनी एलएलपी**
सनदी लेखाकर
फ़र्म पंजीकरण नं. 002878एस/एस200021

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

वासुकी एच एस	**शालिनी घटक**	**राजीव श्रीवास्तव**	**राजेश राय**
साझेदार	कंपनी सचिव	निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एम.सं. 212013	सीएस नं. ए43488	डीआईएन : 08921307	डीआईएन : 10052045

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक :28.05.2024

31.03.2024 के अनुसार समेकित तुलन पत्र

लाख रुपए में

विवरण	नोट सं.	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
I) परिसंपत्तियाँ					
(1) गैर-चालू परिसंपत्तियाँ					
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	1	**266379.48**		268408.07	
(ख) प्रगतिशील पूंजी कार्य	2	**14228.25**		13863.12	
(ग) निवेश संपत्ति	3	**6817.57**		6827.78	
(घ) साख		**0.00**		0.00	
(ङ) अन्य अमूर्त परिसंत्तियाँ		**0.00**		0.00	
(च) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ		**0.00**		0.00	
(छ) बेरर संयंत्रों को छोड़कर जैविक परिसंपत्तियाँ		**0.00**		0.00	
(ज) वित्तीस परिसंपत्तियाँ					
(i) निवेश	4(क)	**3528.40**		3514.27	
(ii) प्राप्य व्यापार	4(ख)	**11528.53**		19646.74	
(iii) ऋण	4(ग)	**0.00**		0.00	
(iv) अन्य	4(घ)	**3.00**		3.00	
झ) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)		**0.00**		0.00	
(ञ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	5	**0.52**	**302485.75**	0.52	312263.51
(2) चालू परिसंपत्तियाँ					
(क) माल सूचियाँ	6	**22220.13**		24975.23	
ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
(i) निवेश		**0.00**		0.00	
(ii) प्राप्य व्यापार	7	**244081.25**		242927.83	
(iii) नकद एवं नकद समतुल्य	8(क)	**10526.11**		935.78	
(iv) ऊपर (iii) के इतर बैंक शेष	8(ख)	**72715.91**		20548.13	
(v) ऋण	9(क)	**79957.52**		73302.93	
(vi) अन्य	9(ख)	**218180.01**		257975.43	
(ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (निवल)		**0.00**		0.00	
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	10	**9638.68**	**657319.61**	16207.31	636872.64
कुल			**959805.36**		949136.16
II) इक्विटी और देयताएँ					
इक्विटी					
(क) इक्विटी शेयर पूँजी	11	**96088.69**		94957.74	
(ख) अन्य इक्विटी	12	**82345.60**	**178434.29**	142488.97	237446.71
देयताएँ					
(1) गैर-चालू देयताएँ					
(क) अप्रयुक्त सरकारी अनुदान	13	**4496.42**		4501.06	
(ख) वित्तीय देयताएँ					
(i) उधार	14(क)	**12000.00**		18000.00	
(ंक) पट्टे देनदारियाँ	14(ख)	**42.99**		59.66	
(ii) व्यापार देनदारियाँ	14(ग)				
(क) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के कुल बकाया, तथा		**0.00**		0.00	

31.03.2024 के अनुसार समेकित तुलन पत्र जारी ...

लाख रुपए में

विवरण	नोट सं.	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
(ख) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के कुल बकाया		**10912.05**		17399.02	
(iii) अन्य	14(घ)	**7933.30**		7631.29	
(ग) प्रावधान	15	**5363.28**		5141.35	
(घ) आस्थगित कर देयताएँ (निवल)		**0.00**		0.00	
(ङ) अन्य गैर-चालू देयताएँ	16	**0.00**	**40748.04**	0.00	52732.38
(2) चालू देयताएँ					
(क) वित्तीय देयताएँ					
(i) उधार	17(क)	**167545.86**		169583.52	
(i क) पट्टे देनदारियाँ	17(ख)	**16.67**		15.01	
(ii) व्यापार देनदारियाँ	17(ग)				
(क) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के कुल बकाया, तथा		**8398.42**		12895.01	
(ख) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के कुल बकाया		**147348.25**		124773.18	
iii) अन्य	18	**200980.12**		229026.95	
(ख) अन्य चालू देयताएँ	19	**200637.71**		103221.54	
(ग)) प्रावधान	20	**15696.00**		19441.86	
(घ) वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ	21	**0.00**	**740623.03**	0.00	658957.07
कुल			**959805.36**		949136.16

टिप्पणी : सामग्री लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है ।

हमारे समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार

कृते **बी के रामध्यानी एंड कंपनी एलएलपी**
सनदी लेखाकर
फ़र्म पंजीकरण नं. 002878एस/एस200021

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

वासुकी एच एस	**शालिनी घटक**	**राजीव श्रीवास्तव**	**राजेश राय**
साझेदार	कंपनी सचिव	निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एम.सं. 212013	सीएस नं. ए43488	डीआईएन : 08921307	डीआईएन : 10052045

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक :28.05.2024

इक्विटी में समेकित परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

लाख रुपए में

विवरण	2023-24	2022-23
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**94,957.74**	**93,352.29**
पूर्वावधि चूकों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
चालू रिपोर्टिंग वर्ष के प्रारंभ में पुनर्लिखित शेष	-	-
चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	1,130.96	1,605.45
वर्ष के अंत में शेष	**96,088.70**	**94,957.74**

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	शेयर आवेदन राशि निलंबित आबंटन	आरक्षित और अधिशेष						अधिशेष का पुनर्मूल्यांकन	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	कुल
		पूंजी आरक्षित	प्रतिभूति प्रीमियम	अन्य व्यापक आय-डीबीपी का पुनर्मापन	अन्य रिजर्व	सामान्य रिजर्व	धारित आय			
01.04.2023 तक शेष राशि	**10,700.00**	**305,827.30**	**35,230.29**	**2,680.34**	**-**	**235,316.61**	**-447,265.53**	**-**	**-**	**142,489.01**
कोई अन्य समायोजन							-1.35			
लेखांकन नीति / पूर्वावधि चूकों में परिवर्तन										-
चालू रिपोर्टिंग वर्ष के प्रारंभ में पुनर्लिखित शेष	**10,700.00**	**305,827.30**	**35,230.29**	**2,680.34**	**-**	**235,316.61**	**-447,266.88**	**-**	**-**	**142,489.01**
चालू वर्ष में कुल व्यापक आय				-2,120.51						-2,120.51
लाभांश										
धारित आय में अंतरण							-56,892.02			-56,892.02
अन्य कोई परिवर्तन	-10,700.00		9,569.04							-1,130.96
वर्ष के दौरान प्राप्त पूंजी अनुदान *	-									-
31.03.2024 तक शेष राशि	**-**	**305,827.30**	**44,799.33**	**559.83**	**-**	**235,316.61**	**-504,158.90**	**-**	**-**	**82,345.60**
01.04.2022 तक शेष राशि	**7,156.30**	**305,827.30**	**21,679.44**	**8,759.38**	**0.00**	**235316.61**	**-411,280.16**	**-**	**-**	**167,458.87**
लेखांकन नीति / पूर्वावधि चूकों में परिवर्तन *							-			-
चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनर्लिखित शेष	**7,156.30**	**305,827.30**	**21,679.44**	**8,759.38**	**-**	**235,316.61**	**-411,280.16**	**-**	**-**	**167,458.87**
चालू वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय				-6,079.04						-6,079.04
लाभांश										-
वर्ष के दौरान प्राप्त पूंजीगत अनुदान*	10,700.00									10,700.00
धारित आय में अंतरण							-35,985.37			-35,985.37
अन्य कोई परिवर्तन	-7,156.30		13,550.85							6,394.55
31.03.2023 तक शेष राशि	**10,700.00**	**305,827.30**	**35,230.29**	**2,680.34**	**-**	**235,316.60**	**-447,265.53**	**-**	**-**	**142,489.01**

*** नोट :**

रूग्न औद्योगिक कंपनी अधिनियम (एसआईसीए), 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी को रूग्न कंपनी घोषित किए जाने के पश्चात आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा फरवरी, 2014 में आईटीआई लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए अनुमोदित योजना के अंतर्गत 415679 लाख रुपए की वित्तीय सहायता का अनुमोदन दिया गया था। इस पुनरूद्धार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 10700 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की प्राप्ति हुई थी जिसके प्रति कंपनी द्वारा दिनांक 11.5.2023 को भारत के राष्ट्रपति के नाम 10/- रुपए अंकित मूल्य प्रत्येक के प्रति शेयर 94.61 रुपए की दर से 11309586 जारी किए गए हैं।

संलग्न सामग्री लेखांकन नीतियां एवं नोट इन वित्तीय विवरणों का भाग हैं।

हमारे समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार

कृते **बी के रामध्यानी एंड कंपनी एलएलपी**
सनदी लेखाकर
फ़र्म पंजीकरण नं. 002878एस/एस200021

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

वासुकी एच एस	**शालिनी घटक**	**राजीव श्रीवास्तव**	**राजेश राय**
साझेदार	कंपनी सचिव	निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एम.सं. 212013	सीएस नं. ए43488	डीआईएन : 08921307	डीआईएन : 10052045

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक :28.05.2024

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का समेकित विवरण

लाख रुपए में

विवरण	नोट सं.	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
आय					
I. संचालन से राजस्व	22	**126363.22**		139544.51	
II. अन्य आय	23	**4449.79**		5254.88	
III. कुल राजस्व (I +II)			**130813.01**		144799.38
IV. व्यय :					
खपत सामग्री की लागत	24	**8372.89**		16441.53	
व्यापार में स्टॉक की खरीद	25 (क)	**35636.55**		27337.18	
संस्थापन एवं अनुरक्षण प्रभार	25 (ख)	**71839.34**		77664.74	
निर्मित माल, प्रगतिशील कार्य और व्यापार में स्टॉक की मालसूचियों में परिवर्तन	26	**2525.62**		(3322.78)	
कर्मचारी हितलाभ व्यय	27	**23179.60**		22887.13	
वित्तीय लागत	28	**24138.84**		20958.40	
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	29	**5312.25**		4949.84	
अन्य व्यय	30	**16714.07**		13892.97	
IV. कुल व्यय			**187719.15**		180809.03
V. सहयोगी/संयुक्त उद्यम के लाभ (हानि) के हिस्से से पूर्व लाभ/(हानि) और अपवादात्मक मदें (III-IV)			**(56906.14)**		(36009.66)
एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यमों के शुद्ध लाभ का हिस्सा इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है			**14.13**		24.27
VI. असाधारण मद एवं कर के पूर्व लाभ/(हानि)			**(56892.02)**		(35985.37)
VII. असाधारण मद					
(i) आय			**0.00**		0.00
(ii) व्यय			**0.00**		0.00
VIII. कर से पूर्व लाभ/(हानि) (VI + VII)			**(56892.02)**		(35985.37)
IX. कर संबंधी खर्च :					
(1) चालू कर			**0.00**		0.00
(2) आस्थगित कर			**0.00**		0.00
X. वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (VIII-IX)			**(56892.02)**		(35985.37)
XI. अन्य व्यापक आय					
क. (i) मद जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं होंगे					
परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मापन			**(2120.51)**		(6079.04)
अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी साधन के उचित मूल्य में परिवर्तन			**0.00**		0.00
(ii) आय कर उन वस्तुओं से संबंधित है जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			**0.00**		0.00
ख. (i) मद जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत होंगे			**0.00**		0.00
(ii) आय कर उन वस्तुओं से संबंधित है जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			**0.00**		0.00
XII. वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (X+XI) वर्ष के लिए लाभ/(हानि) और कुल व्यापक आय शामिल है			**(59012.52)**		(42064.40)
XIII. प्रति शेयर इक्विटी अर्जन (सतत संचालन के लिए) :					
मूल एवं कम किया हुआ (अंकित मूल्य प्रति रु. 10/-):			**(5.93)**		(3.81)
शेयरों की भारित औसत संख्या			**959620017**		944488639

टिप्पणी : सामग्री लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है ।

हमारे समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार

कृते **बी के रामध्यानी एंड कंपनी एलएलपी**
सनदी लेखाकर
फ़र्म पंजीकरण नं. 002878एस/एस200021

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

वासुकी एच एस	**शालिनी घटक**	**राजीव श्रीवास्तव**	**राजेश राय**
साझेदार	कंपनी सचिव	निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एम.सं. 212013	सीएस नं. ए43488	डीआईएन : 08921307	डीआईएन : 10052045

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक :28.05.2024

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
(क) प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह:				
कर से पूर्व निवल लाभ/(हानि)		**(56892.02)**		(35985.37)
निम्नलिखित के लिए समायोजन :				
मूल्यह्रास	**5312.25**		4949.83	
वित्तपोषण व्यय	**24138.84**		20958.40	
निवेश के विक्रय से लाभ	**0.00**		0.00	
प्राप्त ब्याज/लाभांश	**(291.66)**		(541.27)	
परिसंपत्तियों के विक्रय से हानि	**114.83**		0.00	
परिसंपत्तियों के विक्रय से लाभ	**(48.11)**		(1628.83)	
सहायता अनुदान से अंतरण	**0.00**		250.94	
सहायता अनुदान से अंतरण	**0.00**		0.00	
अन्य व्यापक आय	**(2120.51)**		(6079.04)	
गैर नकद व्यय	**1541.89**	**28647.53**	2660.62	20570.66
कार्यशील पूँजी परिवर्तन के पूर्व प्रचालन नकद (लाभ)		**(28244.48)**		(15414.71)
निम्नलिखित के लिए समायोजन:				
व्यापार और अन्य प्राप्य	**45587.85**		3297.07	
मालसूचियाँ	**2299.57**		(5635.69)	
व्यापार देय	**77739.03**		(11600.84)	
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर	**0.00**	**125626.45**	0.00	(13939.46)
संचालन से उत्पन्न नकद		**97381.97**		(29354.18)
प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकद प्रवाह (क)		**97381.97**		(29354.18)
(ख) निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह :				
स्थाई परिसंपत्तियों सहित क्रय :				
पूँजीगत चालू कार्य	**(3756.62)**		(6069.97)	
स्थाई परिसंपत्तियों का विक्रय	**48.11**		1628.83	
निवेश	**(14.13)**		(24.27)	
प्राप्त ब्याज	**291.66**		541.27	
अन्य बैंक शेषों की परिपक्वता/जमा से प्राप्त आय	**(52167.79)**		8545.12	
प्राप्त लाभांश	**0.00**	**(55598.77)**	0.00	4620.98
निवेश क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकद (ख)		**(55598.77)**		4620.98
(ग) वित्त पोषण क्रियाकलापों से नकद प्रवाह				
अल्पकालिक उधार से प्राप्त आय	**(8052.67)**		26370.79	
शेयर आवेदन के पैसे	**0.00**		10700.00	
कैपेक्स अनुदान प्राप्त हुआ और शेयर आवंटित किए गए	**0.00**		8000.00	
अधिशेष के साथ समायोजन	**(1.35)**		0.00	
प्राप्त सहायता अनुदान	**0.00**		0.00	
वित्तीय व्यय	**(24138.84)**	**(32192.86)**	(20958.40)	24112.39
वित्त पोषण क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकद (ग)		**(32192.86)**		24112.39
नकद और समतुल्य में निवल वृद्धि (क+ख+ग)		**9590.34**		(620.80)
नगद और नगद समतुल्य की अथशेष		**935.78**		1556.54
नगद और नकद समतुल्य की अंतिम शेष		**10526.11**		935.75

टिप्पणी : सामग्री लेखांकन नीतियों और सहटिप्पणी वित्तीय विवरण के मद से ।

हमारे समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार

कृते **बी के रामध्यानी एंड कंपनी एलएलपी**
सनदी लेखाकर
फ़र्म पंजीकरण नं. 002878एस/एस200021

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

वासुकी एच एस	**शालिनी घटक**	**राजीव श्रीवास्तव**	**राजेश राय**
साझेदार	कंपनी सचिव	निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एम.सं. 212013	सीएस नं. ए43488	डीआईएन : 08921307	डीआईएन : 10052045

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक :28.05.2024

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

टिप्पणी संख्या 1

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

लाख रु. में

वित्तीय वर्ष 2023-24

विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यह्रास					31.03.2024 को शुद्ध वहन मूल्य
	सकल राशि 01.04.2023	वृद्धि	विलोप	पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि (शुल्क पुनर्मूल्यांकन कुल शुद्ध वहन राशि का 10% से अधिक है)	समायोजन	कुल 31.03.2024	संचित मूल्य-ह्रास 01.04.2023	अवधि के लिए	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2024	
भूमि:												
-पूर्व स्वामित्व*	220,890.09	-	-	-	-	220,890.09	-	-	-	-	-	220,890.09
-पट्टाधृति****	777.13	-	-	-	-	777.13	1.89	0.27	-	-	2.16	774.97
पट्टे पर दी गई परिसंपति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भूमि विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भवन**	14,958.31	55.32	-	-	-10.12	15,003.51	5,105.64	703.54	-	-1.35	5,807.83	9,195.68
संयत्र एवं यंत्र***	50,714.07	1,880.15	1,670.98	-	-	50,923.24	18,283.50	3,846.38	1,670.96	-	20,458.92	30,464.32
अन्य उपकरण	6,195.47	1,246.31	6.92	-	-	7,434.86	2,156.27	628.37	3.69	-	2,780.95	4,653.91
कार्यालय मशीन एवं उपस्कर	555.78	67.83	0.79	-	3.58	626.40	347.14	72.93	0.79	3.59	422.87	203.53
उपस्कर जुड़नार एवं पुर्जे	114.70	14.58	-	-	-	129.28	60.45	10.19	-	-	70.64	58.64
वाहन	175.80	-	3.34	-	-	172.46	103.99	16.58	3.34	-	117.23	55.23
विद्युत प्रतिष्ठापन	29.49	21.31	-	-	-	50.80	-	3.39	-	-	3.39	47.41
उपयोग का अधिकार(कार लीज)	102.03	-	-	-	-	102.03	45.92	20.41	-	-	66.33	35.70
कुल	**294,512.87**	**3,285.50**	**1,682.03**	**-**	**-6.54**	**296,109.80**	**26,104.80**	**5,302.06**	**1,678.78**	**2.24**	**29,730.32**	**266,379.48**

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

टिप्पणी संख्या 1

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

लाख रु. में

वित्तीय वर्ष 2022-23

विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यह्रास					31.03.2023 को शुद्ध वहन मूल्य
	सकल राशि 01.04.2022	वृद्धि	विलोप	पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि (शुल्क पुनर्मूल्यांकन कुल शुद्ध वहन राशि का 10% से अधिक है)	समायोजन	कुल 31.03.2023	संचित मूल्यह्रास 01.04.2022	अवधि के लिए	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2023	
भूमि :												
-पूर्व स्वामित्व*	220,957.17	-	67.08	-	-	220,890.09	-	-	-	-	-	220,890.09
-पट्टाधृति****	777.13	-	-	-	-	777.13	1.62	0.27	-	-	1.89	775.24
पट्टे पर दी गई परिसंपति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भूमि विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भवन**	14,706.58	251.73	-	-	-	14,958.31	4,400.43	705.21	-	-	5,105.64	9,852.67
संयत्र एवं यंत्र***	44,848.89	5,925.54	60.36	-	-	50,714.07	14,649.31	3,694.17	59.98	-	18,283.50	32,430.57
अन्य उपकरण	5,263.96	946.12	14.61	-	-	6,195.47	1,735.50	435.38	14.61	-	2,156.27	4,039.20
कार्यालय मशीन एवं उपस्कर	409.94	147.33	1.49	-	-	555.78	293.66	54.75	1.27	-	347.14	208.65
उपस्कर जुड़नार एवं पुर्जे	106.74	7.96	-	-	-	114.70	51.09	9.36	-	-	60.45	54.25
वाहन	148.06	27.74	-	-	-	175.80	87.75	16.24	-	-	103.99	71.81
विद्युत प्रतिष्ठापन	29.49	-	-	-	-	29.49	-	-	-	-	-	29.49
उपयोग का अधिकार(कार लीज)	102.03	-	-	-	-	102.03	25.51	20.41	-	-	45.92	56.11
कुल	**287,349.99**	**7,306.42**	**143.54**	-	-	**294,512.87**	**21,244.87**	**4,935.79**	**75.86**	-	**26,104.81**	**268,408.07**

टिप्पणी :

1. कर्नाटक सरकार के पक्ष में 400डी और 624ई टाइप क्वार्टरों के लिए इमदादी औद्योगिक आवास योजना की शर्तें के अनुसार प्राप्त सब्सीडी पर 7 लाख रुपये का प्रभार है।
2. फैक्ट्री भवन पट्टा भूमि पर है, जिसकी माप 30 कनाल्स है, पट्टा अवधि बढ़ाने के कार्य जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ प्रक्रियाधीन है।
3. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और कंपनी की अन्य संपत्तियों के शीर्षक पर विभिन्न उधारदाताओं के पक्ष में 357694 लाख रुपये की कुल राशि का शुल्क है क्योंकि इन संपत्तियों को देनदारियों के लिए सुरक्षा के रूप में गिरवी रखा जाता है।
4. शीर्षक विलेखों की अनुपलब्धता:
   बेंगलूरु :- के आर पुरम में आईटीआई लिमिटेड के पास 435 एकड़ जमीन है । इसमें से, कंपनी के पास लगभग 375 एकड़ क्षेत्र के लिए मालिकाना हक है । शेष क्षेत्र के लिए, भूमि के उपयोग के लिए कंपनी के पास केवल अधिकारों का रिकॉर्ड मौजूद है और कंपनी के पास उचित स्वामित्व विलेख नहीं हैं ।
   मनकापुर :- निजी मालिकों से खरीदी गई 191.03 एकड़ भूमि में से 41.77 एकड़ भूमि का मालिकाना हक प्रबंधन के पास उपलब्ध नहीं है ।
   नैनी :- वर्ष 1969 में आईटीआई कॉम्प्लेक्स (174.69 एकड़) की भूमि जिला औद्योगिक अधिकारी को सौंपी गई थी । इस भूमि का स्वामित्व विलेख अभी भी मैसर्स आईटीआई लिमिटेड के नाम पर स्थानांतरित नहीं किया गया है ।
   पालक्काड :- कंपनी के पास 77 एकड़ भूमि के संबंध में स्वामित्व/पट्टा विलेख संपत्तियां हैं, जिन्हें केरल सरकार द्वारा फिर से शुरू किया गया है और शीर्ष अदालत के समक्ष निर्णय के अधीन है ।
5. कंपनी द्वारा भूमि (फ्रीहोल्ड / पट्टाधारित) रिकार्ड का समाधान सिविल इंजीनियरिंग विभाग में धारित रिकार्डों के साथ किए जाने की प्रक्रिया की जा रही है। रिकार्डों में यथोचित संबद्धता के लिए एक कोडिंग / क्रॉस संदर्भ प्रणाली के विकास की प्रक्रिया की जा रही है।
6. कंपनी द्वारा अपनी सभी यूनिटों / कॉर्पोरेट कार्यालय के संबंधित परिसम्पति रजिस्टरों के अनुसार सकल ब्लॉक एवं मूल्यह्रास ब्लॉक विवरण के मिलान / पुन:आकलन किए जाने की प्रक्रिया की जा रही है तथा वर्तमान ऐसी विभिन्न परिसम्पतियों के सकल ब्लॉक / मूल्यह्रास ब्लॉक का विवरण तैयार कर लिया गया है जिसका ह्रासित मूल्य शून्य था।
7. राजस्व प्राधिकरणों से सम्पति कर के देय भुगतान के प्रति मांग नोटिस प्राप्त न होने के कारण कंपनी द्वारा सम्पति कर का निर्धारण करने तथा भुगतान करने की प्रक्रिया की जा रही है।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

टिप्पणी संख्या. 3

निवेश सम्पत्ति

लाख रु. में

वित्तीय वर्ष 2023-24

विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यह्रास					31.03.2024 को शुद्ध वहन मूल्य
	सकल राशि 01.04.2023	वृद्धि	विलोप	पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि (शुल्क पुनर्मूल्यांकन कुल शुद्ध वहन राशि का 10% से अधिक है)	समायोजन	कुल 31.03.2024	संचित मूल्यह्रास 01.04.2023	अवधि के लिए	विलोप	समयोजन	कुल 31.03.2024	
भूमि	6,497.55	-	-	-	-	6,497.55	-	-	-	-	-	6,497.55
भवन	382.35	-	-	-	-	382.35	52.12	10.21	-	-	62.33	320.02
कुल	**6,879.90**	-	-	-	-	**6,879.90**	**52.12**	**10.21**	-	-	**62.33**	**6,817.57**

निवेश सम्पत्ति — वित्तीय वर्ष 2022-23

विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यह्रास					31.03.2023 को शुद्ध वहन मूल्य
	सकल राशि 01.04.2022	वृद्धि	विलोप	पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि (शुल्क पुनर्मूल्यांकन कुल शुद्ध वहन राशि का 10% से अधिक है)	समायोजन	कुल 31.03.2023	संचित मूल्यह्रास 01.04.2022	अवधि के लिए	विलोप	समयोजन	कुल 31.03.2023	
भूमि	6,497.55	-	-	-	-	6,497.55	-	-	-	-	-	6,497.55
भवन	382.35	-	-	-	-	382.35	41.90	10.22	-	-	52.12	330.23
कुल	**6,879.90**	-	-	-	-	**6,879.90**	**41.90**	**10.22**	-	-	**52.12**	**6,827.78**

टिप्पणी :

i) (क) दूरसंचार विभाग को 03.10.1983 को 99 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दी गई 4653.75 वर्गमीटर भूमि ।
(ख) भूमि के संबंध में (बेंगलूरु और मनकापुर के कुछ भूभागों को छोड़कर) औपचारिक हस्तांतर-पत्र/पट्टा विलेख संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निष्पादित किया गया है ।
(ग) दूरसंचार विभाग को 10.07.1991 से 99 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दी गई 1256.86 वर्गमीटर भूमि ।
(घ) मार्च, 1994 से 3 एकड़ भूमि राज्य सरकार को 99 वर्ष की अवधि के लिए मिनि विधान सौधा के निमार्ण के लिए पट्टे पर दिया गया है।

ii) 1.83 एकड़ भूमि, दक्षिणी रेल्वें को पट्टे पर दी गई है तथा 0.286 एकड़ भूमि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) को पट्टे पर दी गई है।

iii) (क) बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज के पास 0.5733 एकड़ जमीन है।
(ख) एचपीसीएल पेट्रोल बंक, आईटीआई कालोनी के पास 0.2222 एकड़ जमीन है।
(ग) एचपीसीएल पेट्रोल बंक, ओल्ड मद्रास रोड, के.आर.पुरम के पास 0.3025 एकड़ जमीन है।
(घ) ईपीएफओ, एफ-28 भवन, के पास 0.6069 एकड़ जमीन है।
(ङ) थंबी एविएशन (हैलीपैड-ईसी प्लांट) के पास 0.9182 एकड़ जमीन है।
(च) एम्बसी सर्विसस् प्राईवेट लिमिटेड के पास भूमि और भवन की क्रमश: 0.776 एकड़ और 6300 वर्ग मीटर का जमीन है।

iv) कंपनी विभिन्न निवेश संपत्तियों के उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए पंजीकृत मूल्य को शामिल करने की प्रक्रिया में है और इसलिए इस जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सका ।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
टिप्पणी संख्या 2				
पूंजीगत चालू कार्य				
लागत पर पूंजीगत चालू कार्य	**7131.82**		7075.28	
घटाएं: प्रावधान	**0.00**		0.00	
कुल		**7131.82**		**7075.28**
ठेकेदारों के पास सामग्री	**0.00**		28.93	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		28.93	
कुल		**0.00**		**0.00**
लागत पर मशीनरी				
मार्गस्थ	**7.41**		7.93	
स्वीकृति/अधिष्ठापन प्रतीक्षित	**7095.02**		6786.44	
	7102.43		6794.37	
घटाएं : प्रावधान	**6.00**		6.53	
कुल		**7096.43**		**6787.84**
कुल योग		**14228.25**		**13863.12**

पूंजी कार्य प्रगति पर काल प्रभाव अनुसूची

विवरण	**1 वर्ष से कम**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**31.03.2024 को**
परियोजनाएं प्रगति पर	463.00	901.06	831.13	11235.00	13430.19
अस्थाई रूप से निलंबित परियोजनाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ट्रांजिट में स्वीकृति/संस्थापन के लिए प्रतीक्षित मशीनरी का लागत मूल्य	357.70	433.77	0.00	6.59	798.06
कुल	**820.70**	**1334.83**	**831.13**	**11241.59**	**14228.25**
विवरण	**1 वर्ष से कम**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**31.03.2023 को**
परियोजनाएं प्रगति पर	166.75	160.27	-	6,593.48	6920.50
अस्थाई रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	0.00
ट्रांजिट में स्वीकृति/संस्थापन के लिए प्रतीक्षित मशीनरी का लागत मूल्य	1,733.05	1,329.07	2,234.16	1,646.34	6942.62
कुल	**1899.80**	**1489.34**	**2234.16**	**8239.82**	**13863.12**

पंजी कार्य प्रगति पर के लिए, जिनकी कार्य पूर्णता अतिदेय है अथवा इसकी लागत इसकी मूल योजना की तुलना में बढ़ गई है*
सीडब्ल्यूआईपी कार्य पूर्णता अनूसूची

परियोजना का नाम	**1 वर्ष से कम**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**
1- एनआईएफटी	0.00	0.00	0.00	6582.05
2	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6582.05**

परियोजना का नाम	**1 वर्ष से कम**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**
1- एनआईएफटी	0.00	0.00	0.00	6582.05
2	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6582.05**

नोट: कंपनी को एनआईएफटी भवन के निर्माण के कार्य सौंपे गए थे जिसके लिए मैसर्स टीसीआईएल, (भारत सरकार का उपक्रम) की सेवाएं पीएमसी के रूप में प्राप्त की गई थी तथा सम्पूर्ण निर्माण कार्य टीसीआईएल को सौंप दिया गया था। 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार समग्र भवन का निर्माण कर लिया गया था तथा इसे एनआईएफटी को सौंप दिया गया था परन्तु टीसीआईएल द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण से कुछ दस्तावेज प्राप्त न होने के कारण कार्य पूर्णता का प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया था। कंपनी ने यह मामला प्राथमिकता के आधार पर समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्रव्यवस्था के सम्मुख प्रस्तुत किया है। 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार, कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र एवं अन्य दस्तावेजों की प्राप्ति लंबित होने तथा उक्त मामल का समाधान न होने के कारण से एनआईएफटी भवन को पूंजी कार्य प्रगति पर के रूप में दर्शाया गया है।

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
टिप्पणी सं. 4(क)				
अप्रचलित वित्तीय परिसंपत्ति – निवेश				
इक्विटी यंत्रों में निवेश				
लागत पर पूर्ण प्रदत्तश (अनुदत्त)	**3514.27**		3490.00	
इंडिया सेटकॉम लिमिटेड के पूर्ण प्रदत्त 10 रु. प्रति शेयर के 16,21,800 इक्विटी शेयर ।	**14.13**		24.27	
कुल		**3528.40**		**3514.27**
भारतीय लेखा मानक 27 के अनुसार अलग वित्तीय विवरण, संयुक्त उद्यमों में निवेश एकल वित्तीय विवरणों के लागत पर किया जा रहा है ।				
इंडियन सेटकॉम लिमिटेड में इक्विटी उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन की गणना (49%)				
विवरण	**31.03.2024 को**		**31.03.2023 को**	
इंडियन सैटकॉम लिमिटेड की कुल संपत्ति	**12056.60**		12013.13	
घटाएं : इंडियन सैटकॉम लिमिटेड की कुल बाहरी देनदारियां	**(4864.59)**		(4841.15)	
नेटवर्थ (100%)	**7192.01**		7171.98	
आईटीआई का हिस्सा (49%) समापन शेष	**3528.40**		3514.27	
घटाएं : अथशेष	**(3514.27)**		(3490.00)	
वर्ष के दौरान उचित मूल्य में परिवर्तन	**14.13**		24.27	
नोट संख्या 4 (ख)				
गैर चालू वित्तीय परिसम्पतियां - व्यापार प्राप्य				
व्यापार प्राप्य अच्छा समझा गया - प्रतिभूत	**0.00**		0.00	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**
व्यापार प्राप्य अच्छा समझा गया - अप्रतिभूत	**11528.53**		19646.74	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे स्वीकृति	**0.00**		0.00	
कुल		**11528.53**		**19646.74**
व्यापार प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है	**0.00**		0.00	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे स्वीकृति	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**
व्यापार प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	**0.00**		0.00	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे स्वीकृति	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**
कुल योग		**11528.53**		**19646.74**

व्यापार प्राप्त काल प्रभाव अनुसूची	**भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया**					
विवरण	**6 माह से कम**	**6 माह - 1 वर्ष**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**31.03.2024 की स्थिति**
(i) गैर-विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा समझा गया	0.00	0.00	1440.54	5318.09	4769.90	11528.53
(ii) गैर विवादित व्यापार प्राप्य – जिसका क्रेडिट जोखिम बढ़ गया है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) गैर विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट, जो क्षीण है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा समझा गया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(v) विवादित व्यापार प्राप्य – जिसका क्रेडिट काफी जोखिम बढ़ गया है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट, जो क्षीण है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**	**1440.54**	**5318.09**	**4769.90**	**11528.53**

व्यापार प्राप्त काल प्रभाव अनुसूची	**भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया**					
विवरण	**6 माह से कम**	**6 माह - 1 वर्ष**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**31.03.2024 की स्थिति**
(i) गैर-विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा समझा गया	0.00	0.00	1440.54	15535.04	2671.16	19646.74
(ii) गैर विवादित व्यापार प्राप्य – जिसका क्रेडिट जोखिम बढ़ गया है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) गैर विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट, जो क्षीण है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा समझा गया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(v) विवादित व्यापार प्राप्य – जिसका क्रेडिट काफी जोखिम बढ़ गया है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट, जो क्षीण है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**	**1440.54**	**15535.04**	**2671.16**	**19646.74**

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
नोट संख्या 4(ग)				
गैर चालू वित्तीय परिसम्पतियां - ऋण				
ऋण प्राप्य अच्छा समझा गया - प्रतिभूत				
ऋण एवं अग्रिम	**0.00**		0.00	
अन्य	**0.00**		0.00	
	0.00		0.00	
घटाएं - प्रावधान	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**
ऋण प्राप्य अच्छा समझा गया - अप्रतिभूत				
ऋण एवं अग्रिम	**0.00**		0.00	
जमा	**0.00**		0.00	
सम्बद्ध पार्टियों को ऋण एवं अग्रिम	**0.00**		0.00	
अन्य	**0.00**		0.00	
	0.00		0.00	
घटाएं - प्रावधान	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**
ऋण प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है	**0.00**		0.00	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**
ऋण प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	**0.00**		0.00	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**
कुल योग		**0.00**		**0.00**
टिप्पणी सं. 4(घ)				
अप्रचलित वित्तीय परिसंपत्ति – अन्य				
अन्य वित्तीय परिसंपत्ति				
(i) सुरक्षा जमा	**0.00**		0.00	
(ii) 12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि	**3.00**		3.00	
(iii) अन्य	**0.00**		0.00	
कुल योग		**3.00**		**3.00**
टिप्पणी सं. 5				
अन्य अप्रचलित वित्तीय परिसंपत्ति				
(i) अग्रिम पूंजी	**1.62**		1.62	
घटाएं : प्रावधान	**1.10**		1.10	
कुल		**0.52**		**0.52**
(ii) पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम				
सीमांत राशि	**0.00**		0.00	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**
(iii) अन्य	**0.00**		0.00	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**
कुल योग		**0.52**		**0.52**

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
टिप्पणी सं. 6				
माल सूचियाँ				
क) कच्चा माल और उत्पादन भंडार	**10166.15**		8041.77	
घटाएं : अप्रचलन के लिए प्रावधान	**1797.40**		1754.22	
		8368.75		6287.55
ख) विक्रेताओं द्वारा आयोजित फैब्रिकेशन संविदा के प्रति जारी सामग्री	**96.91**		96.91	
घटाएं : प्रावधान	**95.47**		95.47	
		1.44		1.44
ग) गैर-उत्पादन भंडार	**1049.02**		949.10	
घटाएं : अप्रचलन के लिए प्रावधान	**237.41**		237.41	
		811.61		711.69
घ) प्रक्रियाधीन कार्य उत्पादन	**5940.16**		5626.31	
घटाएं : प्रावधान	**575.42**		606.76	
		5364.74		5019.55
ङ) प्रक्रियाधीन कार्य-स्थापना	**16.08**		0.00	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
		16.08		0.00
च) विर्निमित घटक	**4411.22**		4914.19	
घटाएं : प्रावधान	**226.62**		40.13	
		4184.60		4874.06
छ) तैयार माल				
भंडार माल	**4068.77**		6580.92	
घटाएं : प्रावधान	**1018.46**		1019.56	
		3050.31		5561.36
ज) स्टॉक समाधान लेखा	**19.47**		19.47	
घटाएं : प्रावधान	**10.33**		10.33	
		9.14		9.14
झ) निरीक्षण / स्वीकृति हेतु लंबित माल		**384.88**		1141.60
ञ) मार्गस्थ सामग्री अग्रिम				
प्राप्त समझी गई	**28.58**		493.99	
संदिग्ध समझी गई	**238.76**		238.76	
	267.34		732.75	
घटाएं : प्रावधान	**238.76**		238.76	
		28.58		493.99
ट) प्राप्त सामग्री और देय मार्गस्थ अग्रिम		**0.00**		874.86
ठ) औजार और गेज		**0.00**		0.00
कुल योग		**22220.13**		**24975.23**

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
टिप्पणी सं. 7				
चालू वित्तीय परिसम्पतियां - व्यापार प्राप्य				
व्यापार प्राप्य अच्छा समझा गया - प्रतिभूत	**0.00**		0.00	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे स्वीकृति	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**
व्यापार प्राप्य अच्छा समझा गया - अप्रतिभूत				
- गुजनेट	**5012.39**		6419.28	
- गुजनेट के अलावा	**239641.93**		236508.55	
	244654.32		242927.83	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे स्वीकृति	**573.07**		0.00	
कुल		**244081.25**		**242927.83**
व्यापार प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है	**5914.16**		7070.95	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे स्वीकृति	**5914.16**		7070.95	
कुल		**0.00**		**0.00**
व्यापार प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	**570.62**		580.68	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे स्वीकृति	**570.62**		580.68	
कुल		**0.00**		**0.00**
कुल योग		**244081.25**		**242927.83**

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कंपनी में प्राप्य मूल्यों को अपेक्षित साख हानि मॉडल का इस्तेमाल करके हानि परीक्षण में दिया जाना चाहिए। भारतीय लेखा मानक 109 व्यापार प्राप्तियों पर अपेक्षित साख हानि को मापने के दौरान वास्तविक समयोचित के उपयोग की अनुमति देता है, और कहा जाता है कि प्रावधान मैट्रिक्स समयोचित के लिए उदाहरण है। अधिकांश व्यापार प्राप्तियां सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं से उत्पन्न होती हैं, जो उच्च जोखिम के संपर्क में नहीं हैं, कंपनी मामले की समीक्षा और बोर्ड द्वारा अनुमोदित मामले के आधार पर विशिष्ट प्रावधान कर रही है। जबकि, अन्य ग्राहकों के लिए, प्रावधान मामले के आधार पर अपेक्षित साख हानि मॉडल का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

व्यापार प्राप्त काल प्रभाव अनुसूची

विवरण	6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2024 को
(i) गैर-विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा समझा गया	42199.72	18099.63	23552.09	25249.54	117820.71	226921.69
(ii) गैर विवादित व्यापार प्राप्य – जिसका क्रेडिट जोखिम बढ़ गया है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) गैर विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट, जो क्षीण है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा समझा गया	0.00	0.00	0.00	0.00	17732.62	17732.62
(v) विवादित व्यापार प्राप्य – जिसका क्रेडिट काफी जोखिम बढ़ गया है	0.00	0.00	0.00	0.00	5914.16	5914.16
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट, जो क्षीण है	0.00	0.00	0.00	0.00	570.62	570.62
कुल	**42199.72**	**18099.63**	**23552.09**	**25249.54**	**142038.12**	**251139.10**
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे स्वीकृति	0.00	0.00	0.00	0.00	7057.85	7057.85
कुल	**42199.72**	**18099.63**	**23552.09**	**25249.54**	**134980.27**	**244081.25**

व्यापार प्राप्त काल प्रभाव अनुसूची

विवरण	6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2024 को
(i) गैर-विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा समझा गया	32713.80	10856.19	32345.44	32116.04	117494.54	225526.01
(ii) गैर विवादित व्यापार प्राप्य – जिसका क्रेडिट जोखिम बढ़ गया है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) गैर विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट, जो क्षीण है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा समझा गया	0.00	0.00	0.00	0.00	17401.81	17401.81
(v) विवादित व्यापार प्राप्य – जिसका क्रेडिट काफी जोखिम बढ़ गया है	0.00	0.00	0.00	0.00	7070.95	7070.95
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट, जो क्षीण है	0.00	0.00	0.00	0.00	580.68	580.68
कुल	**32713.80**	**10856.19**	**32345.44**	**32116.04**	**142547.98**	**250579.46**
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे स्वीकृति	0.00	0.00	0.00	0.00	7651.63	7651.63
कुल	**32713.80**	**10856.19**	**32345.44**	**32116.04**	**134896.35**	**242927.83**

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
टिप्पणी सं. 8 (क)				
चालू वित्तीयाँ परिसंपत्तियाँ – रोकड और रोकड समकक्ष				
क) मार्गस्थ रोकड़	**0.00**		0.00	
ख) उपलब्ध रोकड़	**2.30**		3.56	
ग) चेक और उपलब्ध स्टैंप	**0.42**		0.46	
घ) बैंकों के पास शेष राशि :				
- चालू खाते में	**10523.39**		931.76	
कुल		**10526.11**		**935.78**
टिप्पणी सं. 8(ख)				
चालू वित्तीयाँ परिसंपत्तियाँ – उपयुक्त को छोड़कर बैंक में शेष राशि				
बैंकों के पास शेष राशि :				
- एस्क्रो खाते पर	**18028.10**		16240.59	
- चालू खाते में (प्रशिक्षुओं)	**410.61**		424.46	
लाभांश बकाया	**0.00**		0.00	
एलसी मार्जिन धन	**0.00**		0.00	
बचत खाते में (प्रशिक्षुओं की प्रतिभूति जमा)	**0.00**		0.00	
अंशंकालिक जमा (मार्जिन धन)	**181.77**		173.07	
चालू खाते में (मार्जिन धन)	**0.00**		0.00	
सावधि जमा खाता पर – 3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम परिपक्वता	**54095.43**		3710.01	
अन्य	**0.00**		0.00	
कुल		**72715.91**		**20548.13**
टिप्पणी सं. 9 (क)				
चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ – ऋण				
वसूली योग्य नकद या वस्तु के रूप में या करने के लिए प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए सुरक्षित अग्रिम				
वाहन	**0.00**		0.00	
गृह भवन	**0.00**		0.00	
अन्य जमा	**1068.17**		1147.76	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
कुल		**1068.17**		**1147.76**
प्राप्य मूल्य पर नकद वसूलीय गैर प्रतिभूत अग्रिम				
अग्रिम वसूलीय - अच्छा समझा गया	**54808.02**		27744.09	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
		54808.02		27744.09
ऋण प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है	**536.60**		536.60	
घटाएं : प्रावधान	**536.60**		536.60	
		(0.00)		0.00
ऋण प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	**0.00**		0.00	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
		0.00		0.00
कुल		**54808.02**		**27744.09**
दावे एवं व्यय वसूलीय - अंतर्देशीय				
अच्छा समझा गया	**21961.58**		41428.03	
घटाएं : प्रावधान	**1060.97**		0.00	
कुल		**20900.61**		**41428.03**

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
ऋण प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है	**1770.82**		992.29	
घटाएं : प्रावधान	**1770.82**		992.29	
		0.00		0.00
ऋण प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	**10.32**		10.32	
घटाएं : प्रावधान	**10.32**		10.32	
		0.00		0.00
कुल		**20900.61**		**41428.03**
दावे एवं व्यय वसूलीय - विदेश				
अच्छा समझा गया	**1.25**		6.10	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
		1.25		6.10
ऋण प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है	**1204.32**		1204.32	
घटाएं : प्रावधान	**1204.32**		1204.32	
		0.00		(0.00)
ऋण प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	**0.00**		0.00	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
		0.00		0.00
कुल		**1.25**		**6.10**
सिविल निर्माण / पूंजी माल के लिए अग्रिम				
अच्छा समझा गया	**0.00**		0.00	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
		0.00		0.00
ऋण प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है	**0.00**		0.00	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
		0.00		0.00
ऋण प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	**0.00**		0.00	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
		0.00		0.00
कुल		**0.00**		**0.00**
वाहन अग्रिम	**0.00**		0.00	
संबंधित पार्टियों को ऋण एवं अग्रिम	**0.00**		0.00	
अन्य जमा	**3600.94**		3387.01	
घटाएं : प्रावधान	**421.47**		421.47	
	3179.47		2965.54	
अल्पावधि जमा पर ब्याज अर्जित नहीं	**0.00**		11.42	
कुल		**3179.47**		**2976.96**
कुल योग		**79957.52**		**73302.93**

(क) इसमें 1690.20 लाख रुपए जो कि एचसीएल इंफोसिस्टम से आईटीआई, एचसीएल और एल्काटेल के बीच समझौता के तहत क्षतिपूर्ति के रूप में वसूली करने योग्य है, का समावेश है। क्योंकि यह राशि आईटीआई लिमिटेड, मनकापुर द्वारा अधिक व्यय कर दी गई है।

(ख) दावा वसूली – भूमि में – 1049.41 लाख रुपये मेसर्स हिमाचल फ्यूचूरिस्टिक कम्यूनिकेशन से परिसमापन हर्जाना के अंतर्गत देय है । कंपनी ने कानूनी मामला दायर किया है जो उच्च न्यायालय, दिल्ली के समक्ष लंबित है और सुनवाई 04.09.2024 को है।

(ग) 31.03.2011 अवधि की समाप्त तक पट्टे पर दिए गए परिसर हेतु 5847.90 लाख रुपए किराए पर प्राप्त हुए है और उसी परिसर के लिए 31.03.2011 के बाद की अवधि के लिए कोई किराये की आय प्राप्ति की अनिश्चितता के कारण संचित आधार पर मान्यता प्राप्त नहीं है।

घ) दावा प्राप्य में मैसर्स माइंडएरे से साख पत्र के नकदीकरण के प्रति 1023.00 लाख रुपए शामिल हैं।

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
टिप्पणी सं. 9(ख)				
चालू वित्तीय परिसंपत्तियां अन्य				
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) सुरक्षा जमा		**498.56**		35.61
(ii) असंबद्ध राजस्व				
सरकार				
- गुजनेट	**5365.13**		5307.00	
- अन्य	**212102.50**		252548.00	
गैर सरकारी	**0.00**	**217467.63**	0.00	257855.00
(iii) अन्य		**213.82**		84.82
कुल		**218180.01**		**257975.43**
अन्य वित्तीय परिसम्पतियों में 2,17,467.63 लाख रुपए का यूबीआर का वह राजस्व शामिल है जिसकी स्वीकृति पिछले कुछ वर्षों में निष्पादित कार्य के आधार पर की गई है तथा जिसकी बिलिंग अनुबंध शर्तों की पूर्ति होने पर की जानी है।				
टिप्पणी सं. 10				
अन्य मौजूदा परिसंपत्तियाँ				
कर और शुल्क निवेश	**9379.36**		14827.89	
सीमा शुल्क विभाग के पास जमा	**0.00**		942.30	
अग्रिम कर का भुगतान (धनवापसी का निवल)	**0.00**		0.00	
उत्पाद शुल्क अधिकारी के पास जमा	**259.32**		437.12	
डब्ल्यूसीटी वसूली योग्य	**0.00**		0.00	
कुल		**9638.68**		**16207.31**
टिप्पणी सं. 11				
I. इक्विटी शेयर पूंजी				
(क) प्राधिकृत				
2,80,00,00, 000 इक्विटी शेयर जिसमें से प्रत्येक 10/- रू. का है	**280000.00**		280000.00	
(ख) निर्गमित				
96,08,86,938 इक्विटी शेयर जिसमें से प्रत्येक 10/- रू. का है (पिछले वर्ष 949577352 इक्विटी शेयर जिसमें से प्रत्येक 10/- रू. का है)	**96088.69**		94957.74	
(ग) अभिदत्त एवं पूर्णरूप से अप्रदत्त				
96,08,86,938 इक्विटी शेयर जिसमें से प्रत्येक 10/- रू. का है (पिछले वर्ष 949577352 इक्विटी शेयर जिसमें से प्रत्येक 10/- रू. का है)	**96088.69**		94957.74	
(घ) अभिदत्त एवं पूर्णरूप से अप्रदत्त नहीं	**0.00**		0.00	
(ड़) सममूल्य प्रति शेयर	**10.00**		10.00	
(च) अदत्त मॉग	**0.00**		0.00	
(छ) जब्त शेयर	**0.00**		0.00	
(ज) प्रारंभ में और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया शेयरों की संख्या का पुनर्मूल्यांकन।				

विवरण	31.03.2024 को शेयरों की संख्या	31.03.2023 को शेयरों की संख्या
शेयरों की संख्या बकाया अथ शेष	**949577352**	933522869
जोड़िए : वर्ष के दौरान निर्गम*	**11309586**	16054483
घटाए : वर्ष के दौरान वापसी क्रय नीति/जब्ती	**0.00**	0.00
शेयरों की बकाया संख्या अंत शेष	**960886938**	**949577352**

* भारत के राष्ट्रपति को कंपनी द्वारा दिनांक 11.05.2023 को 94.61 रुपए प्रति शेयर की दर से 10700 लाख रुपये के पूंजीगत अनुदान के प्रति 11309586 इक्विटी शेयर आवंटित किए गए हैं।

झ) अधिकारों एवं अधिमानो एवं उपरोक्त वर्ग के शेयर के साथ प्रतिबंध संलग्न

- इक्विटी शेयर के प्रत्येक धारक को प्रति शेयर एक वोट देने का अधिकार ।
- कंपनी के परिनिर्धारण होने की दशा में, अधिमान्य राशि का वितरण होने के बाद, इक्विटी शेयर धारकों को कंपनी की शेष परिसंपत्तियों का वितरण उनके द्वारा लिए गए इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा ।

(ञ) शेयरधारकों की सूची जिन्होने 5% से ज्यादा शेयर लिया है।			
नाम	**रखे गए शेयरों की संख्या**		**रखे गए शेयरों की संख्या**
1. भारत के राष्ट्रपति	**864485747**		855912566
2. विशेष राष्ट्रपति निवेश कोष	**75869381**		73132976
(ट) पिछले पॉच वर्षों के दौरान:			
i) नकद प्राप्त किए बिना आबंटित शेयरों की कुल संख्या	**0.00**		0.00
ii) अधिलाभ शेयरों के माध्यम से पूरी तरह से भुगतान के रुप में आबंटित शेयरों की कुल संख्या	**0.00**		0.00
iii) वापस खरीदे गए शेयरों की कुल संख्या एवं वर्ग	**0.00**		0.00
	31.03.2024 को रखे गए शेयरों		**31.03.2023 को रखे गए शेयरों**
II) प्राथमिकता शेयर : **क) अधिकृत** 70000000 वरीयता शेयर प्रत्येक 100 रुपए के	**70000**		70000
प्रवर्तक का नाम	**शेयरों की संख्या**	**कुल शेयरों का %**	**31.03.2024 के समाप्त अवधि के दौरान % परिवर्तन**
1. भारत के राष्ट्रपति	**864485747**	89.97	1.00
2. कर्नाटक सरकार	**312500**	0.03	0.00

लाख रुपए में

विवरण	**31.03.2024 को**		**31.03.2023 को**	
टिप्पणी सं. 12				
अन्य इक्विटी				
1) आरक्षित पूंजी				
i) उपहार स्वरुप दी गई नि:शुल्क भूमि				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	**25.30**		25.30	
वृद्धि	**0.00**		0.00	
कुल	**25.30**		25.30	
कटौती	**0.00**		0.00	
इति शेष		**25.30**		**25.30**
ii) सहायता अनुदान पूँजी				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**305802.00**		305802.00	
सहायता अनुदान से अंतरण (पूँजी)	**0.00**		0.00	
इति शेष		**305802.00**		**305802.00**
कुल आरक्षित पूंजी		**305827.30**		**305827.30**
2) प्रतिभूति बीमा-किस्त आरक्षिति				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	**35230.29**		21679.44	
वृद्धि	**9569.04**		13550.85	
कुल	**44799.33**		**35230.29**	
कटौती : एफपीओ मुद्दे व्यय*	**0.00**		0.00	
इति शेष		**44799.33**		**35230.29**
3) पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति				
i) पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति –भूमि				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	**0.00**		0.00	
घटाएं - भूमि की बिक्री पर उत्क्रमण	**0.00**		0.00	
इति शेष		**0.00**		**0.00**
ii) पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति –भवन				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	**0.00**		0.00	
घटाएं – सामान्य संशय पर अंतरण	**0.00**		0.00	
इति शेष		**0.00**		**0.00**
कुल पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति		**0.00**		**0.00**

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
4) प्रतिधारित आय				
i) सामान्य आरक्षिति:				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	**235316.61**		235316.61	
पूर्व अवधि समायोजन	**0.00**		0.00	
जोड़े : बांड मोचनीय आरक्षिति से अंतरण	**0.00**		0.00	
घटाएं – लाभ-हानि में अंतरण	**0.00**		0.00	
घटाएं - अधिशेष के लिए अंतरण	**0.00**		0.00	
इति शेष		**235316.61**		**235316.61**
ii) अचल संपत्ति की बिक्री पर लाभ				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	**0.00**		0.00	
घटाएं - अधिशेष के लिए अंतरण	**0.00**		0.00	
इति शेष		**0.00**		**0.00**
iii) तकनीकी जानकारी की बिक्री				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**3.50**		3.50	
घटाएं - लाभ-हानि में अंतरण	**0.00**		0.00	
इति शेष		**3.50**		**3.50**
iv) औद्योगिक आवास सब्सिडी				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**6.79**		6.79	
घटाएं - लाभ-हानि में अंतरण	**0.00**		0.00	
इति शेष		**6.79**		**6.79**
v) निवेशीय भत्ता आरक्षिति				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**0.00**		0.00	
घटाएं - सामान्य आरक्षिति में अंतरण	**0.00**		0.00	
इति शेष		**0.00**		**0.00**
vi) अधिशेष				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**(447275.83)**		(411290.45)	
जोड़े: वर्ष के दौरान लाभ/हानि	**(56892.02)**		(35985.37)	
जोड़े: सामान्य आरक्षित से अंतरण	**0.00**		0.00	
जोड़े: अचल संपत्तियों की बिक्री के हानि पर लाभ से अंतरण	**0.00**		0.00	
कुल	**(504167.84)**		**(447275.83)**	
घटाएं : विनियोग	**1.35**		0.00	
घटाएं-लाभ और हानि खाते से कम अंतरण(वर्ष के लिए हानि)	**0.00**		0.00	
इति शेष		**(504169.19)**		**(447275.83)**
कुल – प्रतिधारित कमाई		**(268842.30)**		**(211948.93)**
5) शेयर अनुप्रयोग में लंबित आबंटित धन राशि		**0.00**		10700.00
6) अन्य व्यापक आय				
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन (बीमांकिक लाभ)				
अथशेष	**2680.34**		8759.38	
वर्ष के दौरान परिवर्तन	**(2120.51)**		(6079.04)	
इति शेष		**559.83**		**2680.34**
कुल योग – अन्य इक्विटी		**82345.60**		**142488.97**

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
टिप्पणी सं. 13				
अप्रचलित देनदारियाँ				
सरकारी अनुदान का अनुपयोग :				
i) उपहार स्वरुप दी गई नि:शुल्क उपस्कर				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	**0.00**		0.00	
घटाएं - लाभ-हानि में अंतरण	**0.00**		0.00	
इति शेष		**0.00**		**0.00**
ii) सहायता अनुदान (पूंजीगत):				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**4.64**		4.64	
जोड़े : इस वर्ष की प्राप्तियां	**0.00**		0.00	
कुल	**4.64**		**4.64**	
घटाएं : सहायता अनुदान राजस्व में अंतरण:पूंजीगत आरक्षिति	**0.00**		0.00	
घटाएं : लाभ हानि लेखा में अंतरण	**4.64**		0.00	
इति शेष		**0.00**		**4.64**
iii) सहायता अनुदान(राजस्व)				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**4496.42**		4245.48	
जोड़े : इस वर्ष की प्राप्तियाँ*	**0.00**		0.00	
कुल	**4496.42**		**4245.48**	
घटाएं : लाभ/हानि लेखे में अंतरण	**0.00**		(250.94)	
इति शेष		**4496.42**		**4496.42**
कुल योग		**4496.42**		**4501.06**
- सरकार से प्राप्त अनुदान के अव्ययित भाग (अनुदान दस्तावेज की शर्तों के अंतर्गत) का वर्गीकरण अन्य इक्विटी से अलग किया गया है तथा इसे गैर-चालू देयताओं में दर्शाया गया है।				
टिप्पणी सं. 14(क)				
अप्रचलित वित्तीय देनदारियाँ – उधार				
I उधार – सुरक्षित				
(क) बांड	**0.00**		0.00	
(ख) सावधि ऋण				
(i)) बैंक द्वारा	**0.00**		0.00	
(ii) अन्य द्वारा	**0.00**		0.00	
(ग) आस्थगित भुगतान देयता	**0.00**		0.00	
(घ) जमा	**0.00**		0.00	
(ङ) संबंधित पक्ष द्वारा ऋण	**0.00**		0.00	
(च) यौगिक वित्तीय लिखतों का दायित्व घटक	**0.00**		0.00	
(छ) अन्य ऋण	**0.00**		0.00	
II उधार – असुरक्षित				
(क) बांड	**0.00**		0.00	
(ख) सावधि ऋण				
(i) बैंक द्वारा	**0.00**		0.00	
(ii) अन्य द्वारा	**0.00**		0.00	
भारत सरकार से ऋण*	**12000.00**		18000.00	
उपार्जित और उपरोक्त पर देय ब्याज	**0.00**		0.00	
(ग) आस्थगित भुगतान देयता	**0.00**		0.00	
(घ) जमा	**0.00**		0.00	
(ङ) संबंधित पक्ष द्वारा ऋण	**0.00**		0.00	
(च) यौगिक वित्तीय लिखतों का दायित्व घटक	**0.00**		0.00	
(छ) अन्य ऋण	**0.00**		0.00	
		12000.00		**18000.00**
कुल योग		**12000.00**		**18000.00**

कंपनी को वर्ष 2014-15 के दौरान दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार से कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए 30,000 लाख रुपए का साफ्ट ऋण प्राप्त हुआ, कंपनी द्वारा जिसका भुगतान, दो वर्ष के स्थगन काल के पश्चात लाभ अर्जन प्रारंभ होने के पश्चात, पांच वर्ष में किया जाना है। दूरसंचार विभाग के दिनांक 29.04.2022 तथा 24.03.2023 के पत्रों के अनुसार कंपनी को वित्तीय वर्ष 2022-23 से साफ्ट ऋण का पुनर्भुगतान करने के लिए कहा गया है तथा भुगतान न किए जाने की स्थिति में स्वीकृत उपबंधों के अनुसार जुर्माना ब्याज लगाया जाना है। तदनुसार, कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रति जुर्माना ब्याज के लिए 148.56 लाख रुपए के प्रावधान किए हैं। तथापि, कंपनी द्वारा साफ्ट ऋण को अनुदान सहायता के रूप में परिवर्तित किए का अनुरोध इस तथ्य के आधार पर किया गया है, जो कि विचाराधीन है, कि कंपनी को साफ्ट ऋण की अदायगी पुनरूद्धार योजना की कार्यान्वयन अवधि में कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए की गई थी तथा कंपनी की पुनरूद्धार योजना अभी जारी है तथा यह अभी बीआईएफआर से बाहर नहीं आई तथा इसे घाटे हो रहे हैं।

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
टिप्पणी सं. 14(ख)				
अचल वित्तीय देयता – पट्टे देयता				
वित्त पट्टे देयताएं	**42.99**		59.66	
परिचालन पट्टे देयताएं	**0.00**		0.00	
कुल योग		**42.99**		**59.66**
टिप्पणी सं. 14(ग)				
चालू वित्तीय देयताएँ – व्यापार प्राप्तियाँ				
वस्तुओं के संभरण के लिए				
- गुजनेट				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**0.00**		0.00	
- अन्य	**10912.05**		17399.02	
- गुजनेट के अलावा				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**0.00**		0.00	
- अन्य	**0.00**		0.00	
कुल		**10912.05**		**17399.02**
व्ययों और सेवाओं के लिए				
- गुजनेट				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**0.00**		0.00	
- अन्य	**0.00**		0.00	
- गुजनेट के अलावा				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**0.00**		0.00	
- अन्य	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**
अन्य देयताओं के लिए				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**0.00**		0.00	
- अन्य	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**
विवादित देय राशि				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**0.00**		0.00	
- अन्य	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**
कुल योग		**10912.05**		**17399.02**

व्यापार प्राप्य काल प्रभाव अनुसूची

विवरण	**भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया**				
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**31.03.2024 को**
(i) एमएसएमई	1218.77	3034.49	2220.26	4438.53	10912.05
(ii) अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) विवादित बकाया-एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादित बकाया-अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**1218.77**	**3034.49**	**2220.26**	**4438.53**	**10912.05**

व्यापार प्राप्य काल प्रभाव अनुसूची

विवरण	**भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया**				
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**31.03.2024 को**
(i) एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) अन्य	882.38	4181.57	2015.59	10319.48	17399.02
(iii) विवादित बकाया-एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादित बकाया-अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**882.38**	**4181.57**	**2015.59**	**10319.48**	**17399.02**

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
टिप्पणी सं. 14(घ)				
अचल वित्तीय देयता –अन्य				
प्राप्त प्रतिभूति जमा	**7933.30**		7631.29	
कुल योग		**7933.30**		**7631.29**
टिप्पणी सं. 15				
अचल प्रावधान का विवरण				
(i) कर्मचारियों के लाभ के लिए				
विशेषाधिकृत अवकाश के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**5111.65**		4572.04	
घटाएं : निगमित से अंतरण	**0.00**		0.00	
जोड़े : वर्ष के लिए प्रावधान	**229.99**		539.61	
घटाएं : अदायगी	**20.08**		0.00	
कुल		**5321.56**		**5111.65**
रुग्णावकाश के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**29.71**		47.23	
घटाएं : निगमित से अंतरण	**0.00**		0.00	
जोड़े : वर्ष के लिए प्रावधान का उत्क्रमण	**12.01**		(17.52)	
घटाएं : अदायगी	**0.00**		0.00	
कुल		**41.72**		**29.71**
(ii) अन्य		**0.00**		**0.00**
कुल योग		**5363.28**		**5141.35**
टिप्पणी सं. 16				
अन्य गैर-चालू देयताएँ				
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
कुल योग		**0.00**		**0.00**
टिप्पणी सं. 17(क)				
चालू वित्तीय देयताएँ – ऋण				
I ऋण - प्रतिभूत				
(क) मांग पर पुनर्भुगतान किए जाने वाले ऋण				
(i) बैंकों से	**149526.45**		157561.05	
(ii)अन्यों से	**19.41**		22.47	
(ख) सम्बद्ध पार्टियों से ऋण	**0.00**		0.00	
(ग) जमा	**0.00**		0.00	
(घ) दीर्घकालिक ऋणों की चालू परिपक्वता	**0.00**		0.00	
(ङ) अन्य	**0.00**		0.00	
कुल		**149545.86**		**157583.52**
II ऋण - अप्रतिभूत				
(क) मांग पर पुनर्भुगतान किए जाने वाले ऋण				
(i) बैंकों से	**0.00**		0.00	
(ii)अन्यों से	**0.00**		0.00	
(ख) सम्बद्ध पार्टियों से ऋण	**0.00**		0.00	
(ग) जमा	**0.00**		0.00	
(घ) दीर्घकालिक ऋणों की चालू परिपक्वता	**18000.00**		12000.00	
(ङ) अन्य	**0.00**		0.00	
कुल		**18000.00**		12000.00
कुल योग		**167545.86**		169583.52

भारतीय स्टेट बैंक तथा बैंकों के संघ के अन्य सदस्यों से कंपनी के प्रत्येक प्रकार के स्टॉक, प्राप्यों आदि तथा अचल परिसम्पतियों सहित चालू परिसम्पतियों को दृष्टि बंधक करके कैश क्रेडिट प्राप्त किया गया था। इस सुविधा के लिए ब्याज की दर माह की एमसीएलआर से 2.75% अधिक है।

31.3.2024 की स्थिति के अनुसार जमा, जो प्राप्य हैं तथा धनवापसी के लिए दावा नहीं किए गए हैं, को चालू देयताओं में दर्शाया गया है।

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
टिप्पणी सं. 17(ख)				
चालू वित्तीय देयताएँ – पट्टे देयताएँ				
वित्त पट्टे देयताएँ	**16.67**		15.01	
प्रचालन पट्टे देयताएँ	**0.00**		0.00	
कुल योग		**16.67**		**15.01**
टिप्पणी सं. 17 (ग)				
चालू वित्तीय देयताएँ-व्यापार प्राप्तियाँ				
वस्तुओं के संभरण के लिए				
- गुजनेट				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**0.00**		0.00	
- अन्य	**7275.61**		5767.42	
- गुजनेट के अलावा				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**8398.42**		12895.01	
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**126407.77**		111152.25	
- संदिग्ध लेनदारों के लिए प्रावधान	**0.00**		0.00	
कुल		**142081.80**		**129814.68**
व्यय और सेवाओं के लिए				
- गुजनेट				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**0.00**		0.00	
- अन्य	**0.00**		489.77	
- गुजनेट के अलावा				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**0.00**		0.00	
- अन्य	**10928.35**		3537.07	
कुल		**10928.35**		**4026.84**
अन्य देयताओं के लिए				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**0.00**		0.00	
- अन्य	**2736.52**		3826.67	
कुल		**2736.52**		**3826.67**
विवादित बकाया				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**0.00**		0.00	
- अन्य	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**
कुल योग		**155746.67**		**137668.20**

व्यापार प्राप्य काल प्रभाव अनुसूची					
विवरण	**भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया**				
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**31.03.2024 को**
(i) एमएसएमई	2811.62	1600.33	1892.24	2094.24	8398.42
(ii) अन्य	66600.77	41133.07	4248.17	19332.78	131314.79
(iii) विवादित बकाया-एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादित बकाया-अन्य	0.00	0.00	0.00	16033.45	16033.45
कुल	**69412.39**	**42733.39**	**6140.42**	**37460.47**	**155746.67**
विवरण	**भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया**				
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**31.03.2024 को**
(i) एमएसएमई	3859.89	2799.52	2273.09	3962.52	12895.02
(ii) अन्य	28104.90	18378.18	22839.34	39049.94	108372.36
(iii) विवादित बकाया-एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादित बकाया-अन्य	0.00	0.00	0.00	16400.82	16400.82
कुल	**31964.79**	**21177.70**	**25112.43**	**59413.28**	**137668.20**

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सूची (एमएसएमई) जिनके प्रति कंपनी को ब्याज सहित कोई राशि बकाया है। कंपनी एमएसएमई विक्रेताओं की पूरी सूची तैयार करने की प्रक्रिया में है।

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
अनुलग्नक के अनुसार				
सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय/भुगतान का खुलासा उस सीमा तक करना, जिस सीमा तक कंपनी द्वारा ऐसे उद्यमों की पहचान की जाती है।				
(क) समाप्त अवधि के लिए न चुकाया हुआ मूल राशि का बकाया है।	**8398.42**		12895.01	
(ख) समाप्त अवधि के लिए न चुकाया हुआ ब्याज बकाया है।	**55.24**		68.25	
(ग) अवधि के दौरान नियुक्ति दिन से परे भुगतान किया गया ब्याज और मूलधन की राशि।	**0.00**		0.00	
(घ) भुगतान में देरी के कारण हेतु ब्याज राशि की शेष और देय (जो नियुक्ति अवधि के दौरान से परे भुगतान की गई) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत ब्याज को छोड़कर।	**0.00**		0.00	
(ङ) समाप्त अवधि के लिए न चुकाया हुआ अर्जित ब्याज की राशि शेष।	**55.24**		68.25	
(च) आगामी वर्षों में शेष बकाया एवं देय ब्याज की राशि (उस तिथि तक जब, एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौतियोग्य व्यय की अस्वीकृति के उद्देश्य से, उपर्युक्तानुसार देय ब्याज का वास्तविक भुगतान लघु उद्यमों को किया गया है)	**0.00**		0.00	
टिप्पणी सं. 18				
चालू वित्तीय देयताएँ – अन्य				
बिल न चुकाया देय				
सरकार				
-गुजनेट	**4545.19**		5011.06	
-गुजनेट के अलावा	**121398.68**		140547.18	
गैर सरकार	**0.00**		0.00	
उधार पर नहीं बकाया किन्तु प्रोदभूत ब्याज	**3004.76**		2556.20	
उधार पर बकाया एवं प्रोदभूत ब्याज	**0.00**		0.00	
अप्रदत परिपक्व जमा एवं उन पर प्रोदभूत ब्याज	**0.00**		0.00	
अप्रदत परिपक्व डिवेंचर एवं उन पर प्रोदभूत ब्याज	**0.00**		0.00	
दावा न किए गए लाभांश	**0.00**		0.00	
व्यय एवं सेवा कर के लिए	**9251.14**		11485.08	
अन्य देयता के लिए	**20447.44**		26675.34	
अन्य देय	**834.96**		660.59	
देय वेतन	**4209.35**		2747.87	
रॉयल्टी देय	**1007.54**		1007.54	
वेतन संशोधन बकाया	**1006.06**		1006.28	
ठेकेदारों से जमा	**7818.80**		7263.31	
विविध देनदारियॉं	**27456.20**		30066.45	
अधिमान शेयर*	**0.00**		0.00	
कुल		**200980.12**		**229026.90**
टिप्पणी सं. 19				
अन्य चालू देयताएँ				
अग्रिम में आय प्राप्त	**11.22**		2.66	
शुल्क और कर	**4105.84**		3628.85	
ग्राहकों से अग्रिम	**196520.65**		99590.03	
कुल		**200637.71**		**103221.54**

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
टिप्पणी सं. 20				
वर्तमान चालू - प्रावधान				
कराधन के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**0.00**		0.00	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रावधान	**0.00**		0.00	
घटाएं : पूर्व वर्ष के लिए प्रावधान का समायोजन	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**
उपदान के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**16605.23**		13226.54	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रावधान	**2903.81**		4397.69	
घटाएं : उपदान न्यास में अंतरण	**5990.00**		1534.99	
जोड़े : उपदान न्यास से अंतरण	**5715.10**		2724.78	
जोड़े : निगमित से अंतरण	**0.00**		0.00	
घटाएं : भुगतान	**5627.39**		2208.78	
कुल		**13606.75**		**16605.23**
अर्जित अवकाश के लिए		`		`
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**2664.53**		1992.69	
घटाएं: निगम को अंतरण	**0.00**		0.00	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रावधान	**2089.96**		3443.48	
घटाएं : भुगतान	**2820.21**		2771.66	
कुल		**1934.28**		**2664.52**
रूग्णावकाश के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**1.53**		2.50	
जोड़े : वर्ष के लिए प्रावधान	**0.32**		(0.97)	
घटाएं : अदायगी	**0.00**		0.00	
कुल		**1.85**		**1.52**
लंबी दूरी के लिए रियायती यात्रा भत्ता				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**170.57**		177.16	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रावधान का उत्क्रमण	**9.40**		57.76	
घटाएं : भुगतान	**26.85**		64.35	
कुल		**153.12**		**170.58**
कुल योग		**15696.00**		**19441.86**
टिप्पणी सं. 21				
चालू कर देनदारियाँ				
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**
विवरण	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए**		**31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए**	
टिप्पणी संख्या 22				
परिचालन से राजस्व				
i) उत्पादों की बिक्री (जीएसटी का निवल)				
तैयार माल की बिक्री	**5103.65**		5944.54	
व्यापार माल की बिक्री	**38669.62**		16198.06	
कुल		**43773.27**		**22142.60**
ii) सेवाओं की बिक्री		**82589.95**		117399.93
iii) अन्य प्रचालन राजस्व :				
क) स्क्रैप की बिक्री	**0.00**		1.98	
ख) डीएलआरसी परियोजना से आय	**0.00**		0.00	
ग) गैर-प्रतिस्पर्धा शूल्क	**0.00**		0.00	
घ) सहायता-राजस्व में अनुदान	**0.00**	**0.00**	0.00	1.98
कुल		**126363.22**		**139544.51**

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
मुख्य शीर्षक अंतर्गत बिक्री				
- **एनपीआर**	**0.00**		0.00	
1. मिनी पीडीओ	**0.09**		1.21	
2. इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग उपस्कर/एसएमपीएस/एसएसटीपी	**0.00**		750.64	
3. एमएलएलएन	**0.00**		0.00	
4. इन्वर्टर ट्रॉली	**0.26**		0.00	
5. एनसीएम	**3.97**		0.00	
6. टेलीफोन	**102.50**		18.47	
7. जी-पॉन	**0.00**		0.10	
8. जॉब वार्क	**0.00**		0.00	
9. सोलर पैनल	**337.44**		122.29	
10. एसएमपीएस	**0.00**		0.00	
11.4 जी रेडियों	**0.00**		0.00	
12. जीएसएम फ्रेंचाइजी	**0.00**		0.00	
13. एनजीएन	**0.00**		0.00	
14. एनएफएस	**501.96**		595.18	
15. एस्कॉन	**0.00**		0.00	
16. रक्षा	**316.40**		399.88	
17. स्मार्ट ऊर्जा मीटर	**0.00**		(1155.62)	
18. बीबीडब्ल्यूटी	**0.00**		0.00	
19. एचडीपीई पाइप	**903.29**		251.97	
20. ओएफसी	**2756.19**		1139.08	
21. महानेट	**935.22**		412.79	
22. वाईफाई हॉटस्पॉट	**0.00**		0.00	
23. गुजनेट	**0.00**		0.00	
24. बीएनजी	**0.00**		0.00	
25. डीडीओएस	**0.00**		0.00	
26. मिनी पीसी विनिर्माण/टैब पीसी	**398.26**		3548.92	
27. सीसीएमएस	**0.00**		0.00	
28. जीएसएम पश्चिम क्षेत्र	**0.00**		0.00	
29. ओएनटी/ओएलटी	**157.08**		0.00	
30. एसएसटीपी	**0.00**		0.00	
31. एसटीएम	**0.00**		0.00	
32. एसईएम(एनईटी)	**0.00**		0.00	
33. मोबाइल शोरूम	**7.59**		52.77	
34. एमसीईयू	**135.00**		0.00	
35. वाईफ़ाई एस्सेस पाईंट	**0.00**		2.50	
36. आईपी इन्क्रीपटर एमएचए	**0.00**		0.00	
37. सौर एलईडी स्ट्रीट लाईट	**4199.16**		1378.86	
38. फेस शील्ड/ सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन	**0.67**		20.21	
39. स्मार्ट पार्सल डिलीवरी सिस्टम	**0.00**		0.00	
40. घटक स्क्रीनिंग वीएसएससी	**0.00**		0.00	
41. स्मार्ट कार्ड	**0.00**		31.52	
42. वेंटीलेटर / मेडिकल डिवाइस	**0.00**		0.00	
43. यूएसओएफ भारत नेट प्रोजेक्ट	**0.00**		0.00	
44. टैनफिनेट	**0.00**		0.00	
45. आईएएफ डाटा सेंटर का उन्नयन	**0.00**		0.00	
46. आईएएफ 4जी एलटीई	**1440.53**		10066.92	
47. एस्कॉन चरण IV	**0.00**		0.00	
48. ऐयरटेल एफटीटीएच रोल आउट	**0.00**		0.00	
49. भारतनेट अंडामान और निकोबार	**0.00**		0.00	
50. एफएमएस-एमसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी	**0.00**		215.64	
51. सीसीटीवी	**333.29**		0.00	
52. पीओएलईएस	**0.00**		597.81	
53. इंस्टालेशन ट्रेडिंग ओएमसी	**43.97**		0.00	
54. 3 डी प्रिंटिग	**34.92**		23.25	
55. अनुबंध विनिर्माण	**26.23**		6.45	
56. आईटी कंप्यूटर सहायक उपकरण	**3697.72**		1168.98	
57. अन्य राज्य सरकार	**442.31**		1814.15	
58. अन्य	**26999.22**		678.64	
कुल		**43773.27**		**22142.60**

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
मुख्य शीर्ष के अंतर्गत सेवाएँ से लाभ				
1. एसएसटीपी एएमसी	**14.94**		56.21	
2. टेलीकॉम टेस्टिंग एव लैब	**140.14**		76.28	
3. स्मार्ट पार्सल सर्वीसेस	**0.00**		0.00	
4. डाटा सेंटर	**3241.49**		2616.94	
5. कौशल विकास	**23.89**		31.49	
6. एसडब्ल्यूएएन	**0.00**		0.00	
7. जीएसएम	**4293.14**		5519.78	
7 क. जीएसएम एएमसी (जीएसटी टर्नओवर)	**0.00**		121.40	
8. एनएफएस	**4247.31**		6654.22	
9. जी-पॉन आई एंड सी	**1322.23**		1054.57	
10. एस्कॉन एएमसी	**0.00**		665.04	
11. रक्षा एएमसी	**39.48**		85.94	
12. एनजीएन एएमसी	**213.74**		321.87	
13. बीबीडब्ल्यूटी	**0.00**		0.00	
14. महानेट बिल रहित	**0.00**		24829.19	
14 क. महानेट (जीएसटी टर्नओवर)	**2037.86**		0.00	
15. वाई-फाई हॉटस्पॉट	**311.39**		0.00	
16. गुजनेट	**7478.78**		6655.23	
17. बीएनजी	**479.24**		482.90	
18. डीडीओएस	**345.57**		450.11	
19. एमएलएलएन एएमसी	**1346.06**		1571.27	
20. सीसीएमएस एएमसी	**73.95**		77.77	
21. ई-निविदा	**444.37**		1648.16	
22. एफएमएस-एमसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी	**2613.00**		2619.88	
23. एसएमपीएस	**186.57**		81.07	
24. यूएसओएफ भारत नेट प्रोजेक्ट	**489.96**		675.31	
25. जीएसएम पश्चिम क्षेत्र	**0.00**		0.00	
26. वाईफ़ाई एस्सेस पाईंट	**0.00**		0.00	
27. एसडब्ल्यूएम-आईसीटी- अपशिष्ट प्रबंधन	**8707.00**		324.54	
28. आईएएफ डाटा सेंटर का उन्नयन	**0.00**		0.00	
29. जियो फेंसिंग प्रोजेक्ट	**689.42**		243.08	
30. घटक स्क्रीनिंग वीएसएससी	**0.00**		667.11	
31. आईटी-वेब पोर्टल	**0.00**		412.50	
32. ओएमसी एएमसी	**397.53**		320.77	
33. टैनफिनेट	**5794.29**		12803.43	
34. आईएएफ 4जी एलटीई	**0.00**		0.00	
35. फाइबर नेटवर्क	**0.23**		0.00	
36. रेलवे	**625.53**		138.71	
37. एनएमएस	**55.31**		55.31	
38. ई-गवर्नेंस/ई-सेवा	**2.05**		0.00	
39. ओसीबी एएमसी	**0.00**		7.18	
40. टीपीए	**54.30**		502.76	
41. आधार बिजनेस/एसएएएस	**313.78**		4.98	
42. विश्वसनीयता प्रयोगशाला	**158.55**		161.91	
43. ऐयरटेल एफटीटीएच रोलआउट	**48.97**		1539.97	
44. भारतनेट अंडामान और निकोबार	**0.00**		0.00	
45. सीसीटीवी सर्वीसेस	**2609.09**		947.82	
46. सर्वेक्षण कार्य	**0.00**		0.00	
47. एस्कॉन फेज़ – IV	**15033.72**		37648.34	
48. एसएएएस	**262.94**		171.90	
49. अनुबंध विनिर्माण	**712.52**		111.74	
50. एमएलएलएन आईएंडसी	**0.00**		4.87	
51. अन्य एएमसी	**5231.37**		4960.58	
52. अन्य	**12550.24**		77.80	
कुल		**82589.95**		**117399.93**

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
विदेशी मुद्रा में आय				
माल के निर्यात का एफओबी के आधार पर गणना	**0.00**		0.00	
रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी, व्यावसायिक और परामर्श शुल्क	**0.00**		0.00	
ब्याज और लाभांश	**0.00**		0.00	
सेवाएँ	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**

कंपनी द्वारा रक्षा मंत्रालय के साथ दिनांक 01.10.2020 को 8,280.36 करोड़ रुपए मूल्य का आर्मी स्टेटिक कम्यूनिकेशन नेटवर्क (एस्कॉन) चरण IV के निष्पादन के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अंतर्गत, विभिन्न स्थलों पर सम्पूर्ण अवसंरचना तथा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का रोल आउट उपलब्ध करवाने के लिए टेलीकॉम उपकरण, एनएमएस, मोबाइल नॉड्स का संस्थापन कमीशनिंग एवं अनुरक्षण तथा सिविल कार्य किए जाने हैं। इस परियोजना को तीन वर्ष में पूरा किया जाना है तथा इसके पश्चात दो वर्ष की वारंटी सहित दस वर्षों के लिए अनिवार्य अनुरक्षण किया जाना है। अवधारणा प्रमाण [पीओसी] की क्रियाओं के अंतर्गत भारतीय सेना के थल सेना मुख्या 5 सिग्नल परिसरों में टैस्ट बैड स्थापित किया गया है। पीओसी की प्रक्रिया के लिए थल सेना की सहायता आईटीआई तथा ओईएम टीम कर रही हैं। पीओसी की प्रक्रिया की जा रही है तथा इसमें हो रही प्रमुख देरी उद्गम देश के एक मामले के कारण से है जिसका समाधान अब हो गया है तथा पीओसी की प्रक्रिया 30.06.2024 तक पूरी होने की संभावना है। परियोजना की समयावधि संशोधित करके दिसंबर, 2025 कर दी गई है।

टिप्पणी संख्या : 23				
अन्य आय				
क) आय पर ब्याज				
i) अंतर कार्यालय अग्रिम पर ब्याज	**0.00**		0.00	
ii) ब्याज – अन्य	**291.66**		541.27	
कुल		**291.66**		**541.27**
ख) गैर-व्यापार निवेश से लाभांश		**0.00**		0.00
ग) निवेश के बिक्री से निवल लाभ / हानि		**0.00**		0.00
घ) अन्य गैर-प्रचालन आय (ऐसी आय के कारण निवल खर्च)				
i) परिसंपत्ति के बिक्री से लाभ	**48.11**		89.66	
घटाएं : पूँजीगत खाते का आरक्षण	**0.00**		0.00	
कुल	**48.11**		**89.66**	
ii) कमीशन	**0.00**		0.00	
iii) किराया	**2340.29**		1806.11	
iv) पट्टे का किराया	**334.91**		309.15	
v) परिवाहन प्रभार	**0.00**		0.00	
vi) रद्दी की बिक्री	**548.35**		675.56	
vii) जल प्रभार / विद्युत प्रभार	**5.45**		5.21	
viii) जब्त बैंक गारंटी	**0.00**		16.10	
ix) अतिरिक्त वापस लिया हुआ प्रावधान	**4.95**		0.00	
x) वीआरएस की प्रतिपूर्ति	**0.00**		0.00	
xi) गैर जरूरत देनदारियों की वापसी	**302.30**		3.80	
xii) परिनिर्धारित हानि की छूट	**37.53**		0.00	
xiii) श्रीनगर की हानि की क्षतिपूर्ति	**0.00**		0.00	
xiv) ब्याज प्रभार पर छूट	**0.00**		0.00	
xv) अनुदान सहायता से स्थानांतरण	**0.00**		0.00	
xvi) राजस्व अनुदान सहायता – वीआरएस	**0.00**		0.00	
xvii) राजस्व अनुदान सहायता	**0.00**		0.00	
xviii) पूंजीगत सहायता अनुदान से स्थानांतरण	**0.00**		0.00	
xix) एसडब्ल्यूआर/एनएचएआई द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा	**0.00**		1539.17	
xx) विविध आय	**531.60**		268.84	
कुल (i से xx)		**4153.49**		**4713.61**
ङ) निवेश का कैरिंग वैल्यू के लिए समायोजन (प्रतिलेखन)		**0.00**		0.00
च) पिछले साल से संबंधित अनुदान		**0.00**		0.00
छ) विदेशी मुद्रा अनुवाद और लेन-देन पर निवल लाभ / हानि (वित्तीय लागत के रूप में माने जाने के अलावा)		**4.64**		0.00
कुल योग		**4449.79**		**5254.88**

कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) ने बेंगलूरु मेट्रो रेल परियोजना के लिए कुल 1606.24 लाख रुपए के मुआवजे पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी, बेंगलूरु में कंपनी की 738 वर्ग मीटर भूमि का अधिग्रहण किया है। कंपनी ने अपने वर्ष 2022-23 के लेखों में 1539.17 लाख रुपए की आय (मुआवजा - 1606.24 लाख रुपए घटा भूमि की लागत 67.07 लाख रुपए) का लेखांकन किया है। इसके अलावा, चूंकि उक्त भूखंड भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाले बैंकरों के संघ के पास कार्यशील पूंजी के वित्तीय के प्रति समर्थक प्रतिभूति के रूप में बंधक था अत: कंपनी द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के सम्मुख अपने दिनांक 06.04.2022 के पत्र के माध्यम से पूर्व काल में इलेक्ट्रॉनिक सिटी, बेंगलूरू में स्थित भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा बीएमआरसीएल द्वारा किए जाने के बारे में प्रकटीकरण करके भूमि की स्थिति की ब्यौरा दिया है तथा कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) द्वारा बेंगलूरु मेट्रो रेल परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई 738 वर्गमीटर की भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाणपत्र की मांग की है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से इसके संबंध में कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है।
कंपनी को के.आर.पुरम, बेंगलूरु में 1320 वर्गमीटर भूमि की बिक्री के लिए दक्षिण पश्चिम रेलवे (एसडब्ल्यूआर) से प्राप्त होने वाली मुआवजा राशि 2908.01 लाख रुपए है। कंपनी ने विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एसएलएओ), बेंगलूरु द्वारा निर्धारित दर के अनुसार वर्ष 2020-21 के लेखों में मुआवजा राशि का लेखांकन किया है। इसके अलावा, दक्षिण पश्चिम रेलवे की दिनांक 15.03.2023 की आयोजित बैठक में उप-पंजीयक के.आर. पुरम द्वारा उपरोक्त भूमि का दिशानिर्देश मूल्य 1172.16 लाख रुपए होना बताया गया है, जिसकी सूचना दिनांक 14.03.2023 के पत्र के माध्यम से दी गई है। तथापि, कंपनी द्वारा अपने दिनांक 08.05.2023 के पत्र संख्या आईटीआई/बीजीपी/एचआर/2021/8009 के माध्यम से दक्षिण पश्चिम रेलवे के दिनांक 14.03.2023 के पत्र में प्रस्तावित दर के प्रति अपनी अस्वीकृति सूचित की गई है तथा इसके संबंध में यह मामला उचित प्राधिकरण के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया गया है।

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
<u>टिप्पणी संख्या 24</u>				
<u>प्रयुक्त सामग्री की लागत</u>				
आरंभिक स्टॉक	**7869.03**		8293.69	
जोड़े : पुनरीक्षण के कारण पूर्व अवधि समायोजन	**0.00**		0.00	
क्रय / स्थानांतरण	**11321.78**		16534.65	
स्थापना और अनुरक्षण के लिए सामग्री	**0.00**		0.00	
कुल		**19190.81**		**24828.34**
घटाएं:				
अंतिम स्टॉक	**10213.00**		8138.78	
राजस्व एवं अन्य को निर्गम	**604.92**		248.12	
सामग्री अन्य यूनिटों में स्थानांतरण	**0.00**		(0.09)	
कुल		**10817.92**		**8386.81**
जोड़ : भंडार से संबंधित भंडार अप्रत्यक्ष व्यय		**0.00**		0.00
उपभोग		**8372.89**		**16441.53**
<u>मुख्य शीर्षक जिनके अंतर्गत कच्चे माल का खपत होता है विवरण</u>				
विवरण				
1. इलेक्ट्रॉनिक माल और घटक	**7016.58**		14734.40	
2. एमएनआईसी	**0.16**		12.23	
कुल		**7016.74**		**14746.63**
<u>सीआईएफ आधार पर आयातित वस्तुओं का मूल्य</u>				
कच्चे माल और उत्पादन भंडार		**375.23**		349.64
घटक और अतिरिक्त पुर्जे		**0.00**		171.62
मार्गस्थ सामग्री		**0.00**		0.00
पूँजीगत माल		**0.00**		0.00
कुल		**375.23**		**521.25**

आयातित कच्चे माल का मूल्य, भंडार और अतिरिक्त पुर्जों की खपत और स्वदेशी वस्तुओं की खपत और कुल खपत में प्रत्येक की प्रतिशतता

विवरण	मार्च , 2024	मार्च,2023	मार्च, 2023	%
आयातित	**375.23**	**4.48**	521.25	3.17
स्वदेशी	**7997.66**	**95.52**	15920.27	96.83
कुल	**8372.89**	**100.00**	**16441.53**	**100.00**

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
<u>टिप्पणी संख्या 25 (क)</u>				
<u>व्यापार में स्टॉक की खरीद</u>				
मुख्य शीर्षक के तहत खरीदे गए सामान				
विवरण				
1. मिनी पीडीओ	**0.00**		0.00	
2. इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग उपस्कर/एसएमपीएस/एसएसटीपी	**0.00**		0.00	
3. एमएलएलएन	**0.00**		0.00	
4. इन्वर्टर ट्रॉली	**0.00**		0.00	
5. एनसीएम	**0.00**		0.00	
6. टेलीफोन	**0.00**		0.00	
7. जी-पॉन	**0.00**		0.00	
8. जॉब वार्क	**0.00**		0.00	
9. सोलर पैनल	**0.00**		0.00	
10. एसएमपीएस	**0.00**		0.00	
11. 4 जी रेडियों	**0.00**		0.00	
12. जीएसएम फ्रेंचाइजी	**0.00**		0.00	

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
13. एनजीएन	**0.00**		0.00	
14. एनएफएस	**483.14**		572.86	
15. एस्कॉन	**0.00**		0.00	
16. रक्षा	**0.00**		0.00	
17. स्मार्ट ऊर्जा मीटर	**0.00**		0.00	
18. बीबीडब्ल्यूटी	**0.00**		0.00	
19. एचडीपीई पाइप	**0.00**		0.00	
20. ओएफसी	**0.00**		657.60	
21. महानेट	**907.16**		400.41	
22. वाईफाई हॉटस्पॉट	**0.00**		0.00	
23. गुजनेट	**0.00**		396.14	
24. बीएनजी	**0.00**		0.00	
25. डीडीओएस	**0.00**		0.00	
26. मिनी पीसी विनिर्माण/टैब पीसी	**0.00**		0.00	
27. सीसीएमएस	**0.00**		0.00	
28. जीएसएम पश्चिम क्षेत्र	**0.00**		0.00	
29. ओएनटी/ओएलटी	**0.00**		0.00	
30. एसएसटीपी	**0.00**		0.00	
31. एसटीएम	**0.00**		0.00	
32. एसईएम(एनईटी)	**0.00**		0.00	
33. मोबाइल शोरूम	**6.68**		40.89	
34. एमसीईयू	**0.00**		0.00	
35. वाईफ़ाई एस्सेस पाईंट	**0.00**		0.00	
36. आईपी इन्क्रीपटर एमएचए	**0.00**		0.00	
37. सौर एलईडी स्ट्रीट लाईट	**4195.44**		0.00	
38. फेस शील्ड/ सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन	**0.00**		3.59	
39. स्मार्ट पार्सल डिलीवरी सिस्टम	**0.00**		0.00	
40. घटक स्क्रीनिंग वीएसएससी	**0.00**		0.00	
41. स्मार्ट कार्ड	**0.00**		0.00	
42. वेंटीलेटर / मेडिकल डिवाइस	**0.00**		0.00	
43. यूएसओएफ भारत नेट प्रोजेक्ट	**0.00**		13.39	
44. टैनफिनेट	**0.00**		7259.73	
45. आईएएफ डाटा सेंटर का उन्नयन	**0.00**		0.00	
46. आईएएफ 4जी एलटीई	**1481.13**		9158.71	
47. एस्कॉन चरण IV	**0.00**		4759.19	
48. ऐयरटेल एफटीटीएच रोल आउट	**0.00**		0.00	
49. भारतनेट अंडामान और निकोबार	**0.00**		0.00	
50. एफएमएस-एमसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी	**0.00**		202.70	
51. सीसीटीवी	**306.63**		0.00	
52. पीओएलईएस	**0.00**		553.53	
53. इंस्टालेशन ट्रेडिंग ओएमसी	**40.23**		0.00	
54. 3 डी प्रिंटिग	**0.00**		0.00	
55. अनुबंध विनिर्माण	**0.00**		0.00	
56. आईटी कंप्यूटर सहायक उपकरण	**3626.60**		1080.02	
57. अन्य राज्य सरकार	**408.42**		1669.02	
58. अन्य	**24181.12**		569.41	
कुल		**35636.55**		**27337.19**

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
टिप्पणी संख्या 25 (ख)				
स्थापना और रखरखाव शुल्क				
मुख्य शीर्ष के अंतर्गत सेवाएँ से लाभ				
1. एसएसटीपी एएमसी	**7.56**		11.75	
2. टेलीकॉम टेस्टिंग एव लैब	**0.00**		0.00	
3. स्मार्ट पार्सल सर्वीसेस	**0.00**		0.00	
4. डाटा सेंटर	**2421.89**		2091.81	
5. कौशल विकास	**20.76**		27.71	
6. एसडब्ल्यूएएन	**0.00**		0.00	
7. जीएसएम	**4057.02**		5216.19	
7 क. जीएसएम एएमसी (जीएसटी टर्नओवर)	**0.00**		0.00	
8. एनएफएस	**3209.78**		6388.00	
9. जी-पॉन आई एंड सी	**607.76**		513.26	
10. एस्कॉन एएमसी	**0.00**		594.21	
11. रक्षा एएमसी	**0.00**		0.00	
12. एनजीएन एएमसी	**207.32**		312.22	
13. बीबीडब्ल्यूटी	**0.00**		0.00	
14. महानेट बिल रहित	**0.00**		24084.32	
14 क. महानेट (जीएसटी टर्नओवर)	**1976.72**		0.00	
15. वाई-फाई हॉटस्पॉट	**294.28**		0.00	
16. गुजनेट	**4939.03**		4344.63	
17. बीएनजी	**383.23**		383.23	
18. डीडीओएस	**326.56**		425.35	
19. एमएलएलएन एएमसी	**606.53**		435.08	
20. सीसीएमएस एएमसी	**68.04**		71.55	
21. ई-निविदा	**334.34**		1235.29	
22. एफएमएस-एमसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी	**2456.26**		2462.69	
23. एसएमपीएस	**150.18**		60.71	
24. यूएसओएफ भारत नेट प्रोजेक्ट	**458.31**		482.13	
25. जीएसएम पश्चिम क्षेत्र	**0.00**		0.00	
26. वाईफ़ाई एस्सेस पाईंट	**0.00**		0.00	
27. एसडब्ल्यूएम-आईसीटी- अपशिष्ट प्रबंधन	**8006.00**		298.58	
28. आईएएफ डाटा सेंटर का उन्नयन	**0.00**		0.00	
29. जियो फेंसिंग प्रोजेक्ट	**634.26**		222.51	
30. घटक स्क्रीनिंग वीएसएससी	**0.00**		613.75	
31. आईटी-वेब पोर्टल	**0.00**		377.44	
32. ओएमसी एएमसी	**364.81**		294.09	
33. टैनफिनेट	**4305.35**		2034.73	
34. आईएएफ 4जी एलटीई	**0.00**		0.00	
35. फाइबर नेटवर्क	**0.21**		0.00	
36. रेलवे	**514.25**		126.69	
37. एनएमएस	**51.16**		51.16	
38. ई-गवर्नेंस/ई-सेवा	**1.85**		0.00	
39. ओसीबी एएमसी	**0.00**		0.00	
40. टीपीए	**0.00**		0.00	
41. आधार बिजनेस/एसएएएस	**286.47**		4.58	
42. विश्वसनीयता प्रयोगशाला	**0.00**		0.00	
43. ऐयरटेल एफटीटीएच रोलआउट	**156.80**		1077.18	
44. भारतनेट अंडामान और निकोबार	**27.71**		0.00	
45. सीसीटीवी सर्वीसेस	**2403.39**		876.54	
46. सर्वेक्षण कार्य	**0.00**		0.00	
47. एस्कॉन फेज़ – IV	**14809.53**		17709.90	
48. एसएएएस	**176.10**		123.18	
49. अनुबंध विनिर्माण	**82.68**		0.00	
50. एमएलएलएन आईएंडसी	**0.00**		4.38	
51. अन्य एएमसी	**4995.77**		4404.84	
52. अन्य	**12497.43**		305.08	
कुल		**71839.34**		**77664.74**

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
टिप्पणी संख्या 26				
तैयार माल की वस्तु सूची में परिवर्तन, प्रक्रियाधीन कार्य और व्यापार में स्टॉक				
प्रक्रियाधीन कार्य में वृद्धि / (ह्रास)				
प्रक्रियाधीन – उत्पादन :				
इति शेष	**5940.16**		5594.97	
घटाएं : अथ शेष	**5594.97**		6902.72	
कुल	**345.19**		**(1307.75)**	
जोड़े : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	**0.00**		0.00	
घटाएं : मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप	**0.00**		0.00	
कुल		**345.19**		**(1307.75)**
प्रक्रियाधीन कार्य – संस्थापन :				
इति शेष	**0.00**		0.00	
घटाएं : अथ शेष	**0.00**		0.00	
कुल	**0.00**		**0.00**	
जोड़े : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	**0.00**		0.00	
घटाएं : मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**
विनिर्मित घटकों में वृद्धि / (ह्रास)				
इति शेष	**4403.41**		4900.12	
घटाएं : अथ शेष	**4900.12**		4270.98	
कुल	**(496.71)**		**629.13**	
जोड़े : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	**0.00**		0.00	
घटाएं : मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप	**0.00**		0.00	
कुल		**(496.71)**		**629.13**
प्रक्रियाधीन कार्य – संस्थापन :				
इति शेष	**0.00**		0.00	
घटाएं : अथ शेष	**0.00**		0.00	
कुल	**0.00**		**0.00**	
जोड़े : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	**0.00**		0.00	
घटाएं : मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप/ संस्थापन में प्रभाव	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**
प्रक्रियाधीन कार्य में वृद्धि / (ह्रास)				
व्यापार में स्टॉक:				
इति शेष	**3958.84**		6431.14	
घटाएं : अथ शेष	**6431.14**		2429.75	
कुल	**(2472.30)**		**4001.40**	
जोड़े : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	**98.20**		0.00	
घटाएं : मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप	**0.00**		0.00	
कुल		**(2374.10)**		**4001.40**
रद्दी का स्टॉक				
इति शेष	**0.00**		0.00	
घटाएं : अथ शेष	**0.00**		0.00	
जोड़े : पूर्व अवधि समायोजन	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**
कुल योग		**(2525.62)**		**3322.78**

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
टिप्पणी संख्या 27				
कर्मचारी हित पर व्यय:				
i) वेतन और मजदूरी :				
वेतन और मजदूरी	**16724.09**		17162.32	
घटाएं : अन्य राजस्व लेखा	**0.00**		0.00	
कुल	**16724.09**		**17162.32**	
बोनस	**15.32**		5.38	
वेतन संशोधन बकाया भुगतान	**0.00**		0.00	
प्रोत्साहन	**7.45**		10.55	
कुल		**16746.86**		**17178.25**
ii) भविष्य निधि और अन्य निधियों को कंपनी का अंशदान:				
भविष्य निधि और पेंशन निधि	**1918.56**		1881.52	
कर्मचारी राज्य बीमा	**11.22**		18.94	
उपदान न्यास निधि	**1640.31**		1433.52	
छुट्टी वेतन - पीएल	**1470.48**		843.78	
रुग्ण अवकास	**4.78**		5.96	
जमा बद्ध बीमा / ग्रुप बीमा	**18.32**		22.26	
कुल		**5063.67**		**4205.98**
iii) कर्मकार और कर्मचारी कल्याण व्यय				
कल्याण व्यय – कैंटीन	**308.69**		300.24	
कल्याण व्यय – शिक्षा	**3.68**		3.73	
चिकित्सा व्यय	**479.79**		546.76	
एलटीसी / एलएलटीसी	**9.40**		57.76	
वर्दी	**0.18**		1.84	
अन्य	**567.90**		341.63	
कुल		**1369.64**		**1251.96**
iv) स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति योजना				
वीआरएस भुगतान		**(0.58)**		250.94
v) बीमांकिक लाभ / (हानि)		**0.00**		0.00
कुल योग		**23179.60**		**22887.13**
संबंधित पार्टी लेनदेन				
प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों - वेतन और परिलब्धियाँ				
नाम		**मार्च, 2024**		**मार्च, 2023**
श्री राजेश राय – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक		**39.97**		4.12
श्री आर एम अग्रवाल – पूर्व, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक		**0.00**		8.87
श्री राजीव श्रीवास्तव – निदेशक-वित्त		**28.88**		24.22
श्री रमण बाबू – निदेशक- विपणन		**8.21**		0.00
श्री राकेश चंद्र तिवारी – पूर्व- निदेशक विपणन		**35.28**		45.98
श्रीमती एस जेयंति-निदेशक (उत्पादन)/ (मानव संसाधन – अतिरिक्त प्रभार)		**25.88**		2.04
श्री वेंकटेश्वरलू – पूर्व, निदेशक (उत्पादन)		**0.00**		42.07
श्रीमती आर वसंती- पूर्व, निदेशक(उत्पादन) – अतिरिक्त प्रभार		**3.31**		2.04
श्रीमती शालिनी घटक-कंपनी सचिव- 06.07.2023 से प्रभावी		**8.41**		0.00
श्रीमती शनमुगा प्रिया – पूर्व, कंपनी सचिव		**0.00**		16.20

भारतीय लेखाकरण मानक 19 के अंतर्गत प्रकटीकरण रिपोर्ट

परिभाषित लाभ योजना

ट्रस्ट द्वारा कर्मचारियों की उपदान निधि योजना परिभाषित लाभ योजना है । दायित्व का वर्तमान मूल्य बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है । अवकाश नकदीकरण का दायित्व को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है जो कि अपव्ययी है ।

		उपदान		विशेषाधिकार अवकाश		रुग्न अवकाश	
I परिणाम का सारांश							
क्र.सं.	**परिसंपत्ति / देयता**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**
क	दायित्व का वर्तमान मूल्य	**13,645**	16,729	**7,169**	7,776	**44**	31
ख	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**126**	124	**0**	0	**0**	0
ग	प्रावधान के रूप में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल संपत्ति / (देयता)	**-13,519**	-16,605	**-7,169**	-7,776	**-44**	-31
II बीमांकिक और जनसांख्यिकीय धारणा							
क्र.सं.	**विवरण**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**
क	छूट दर	**7.21**	7.18	**7.21**	7.18	**7.21**	7.18
ख	भविष्य में वेतन वृद्धि	**5.36**	2.75	**5.36**	2.75	**5.36**	2.75
ग	उम्र के संघर्षण	**6.90**	12.35	**6.90**	12.35	**6.90**	12.35
III योजना दायित्व							
	समाप्त तिथि	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**13,645**	16,729	**7,169**	7,776	**44**	31
IV सेवा लागत							
क्र.सं.	**विवरण**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**
क)	वर्तमान सेवा लागत	**448**	526	**637**	537	**3**	3
ख)	पिछली सेवा लागत में कटौती लाभ / हानि शामिल	**0**	0	**0**	0	**0**	0
ग)	गैर दिनचर्या निपटान पर लाभ या हानि	**0**	0	**0**	0	**0**	0
घ)	कुल सेवा लागत	**448**	**526**	**637**	**537**	**3**	**3**
V निवल ब्याज लागत							
क्र.सं.	**विवरण**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**
क)	परिभाषित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	**1201**	1030	**558**	450	**2**	3
ख)	योजना परिसंपत्ति पर ब्याज आय	**9**	122	**0**	0	**0**	0
ग)	निवल ब्याज लागत (आय)	**1192**	907	**558**	450	**2**	3
VI लाभ दायित्व में परिवर्तन							
क्र.सं.	**विवरण**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**
क)	अवधि की प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**16729**	15007	**7776**	6565	**31**	50
ख)	अधिग्रहण समायोजन	**0**	0	**0**	0	**0**	0
ग)	ब्याज लागत	**1201**	1030	**558**	450	**2**	3
घ)	सेवा लागत	**448**	526	**637**	537	**3**	3
ङ)	पिछली सेवा लागत में कटौती लाभ / हानि शामिल	**0**	0	**0**	0	**0**	0
च)	लाभ का भुगतान	**-6010**	-2725	**-2652**	-2915	**0**	0
छ)	दायितत्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	**1277**	2891	**849**	3139	**8**	-24
ज)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**13645**	16729	**7169**	7776	**44**	31

भारतीय लेखाकरण मानक 19 के अंतर्गत प्रकटीकरण रिपोर्ट (जारी)...

		उपदान		विशेषाधिकार अवकाश		रुग्न अवकाश	
VII दायित्व पर वास्तविक लाभ / हानि का विभाजन							
क्र.सं.	**विवरण**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**
क	जनसांख्यिकीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	**-207**	568	**-147**	349	**-1**	2
ख	वित्तीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि	**494**	112	**505**	111	**3**	0
ग	अनुभव समायोजन होने पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	**990**	2211	**491**	2679	**6**	-27
VIII परिसंपत्ति योजना पर बीमांकिक लाभ/हानि							
क्र.सं.	**विवरण**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**
क	अपेक्षित ब्याज आय	**9**	122	**0**	0	**0**	0
ख	योजना संपत्ति पर वास्तविक आय	**22**	49	**0**	0	**0**	0
ग	वर्ष के संपत्ति पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	**13**	-73	**0**	0	**0**	0
IX तुलन पत्र और संबंधित विश्लेषण							
क्र.सं.	**विवरण**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**
क	अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**13,645**	16,729	**7,169**	7,776	**44**	31
ख	योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	**126**	124	**0**	0	**0**	0
ग	तुलन पत्र में अपव्यी दायित्व / प्रावधान	**-13,519**	-16,605	**-7,169**	-7,776	**-44**	-31
X आय विवरण में मान्यता प्राप्त राशि							
क्र.सं.	**विवरण**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**
क	कुल सेवा लागत	**448**	526	**637**	537	**3**	3
ख	निवल ब्याज लागत	**1,192**	907	**558**	450	**2**	3
ग	अवधि में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ) / हानि	**0**	0	**849**	3,139	**8**	-24
घ	आय विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	**1,640**	1,434	**2,045**	4,127	**12**	-19
XI अन्य व्यापक आय (ओसीआई)							
क्र.सं.	**विवरण**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**
क	निवल संचयी न पहचाना गया लाभ/(हानि) खोलना	**0**	0	**0**	0	**0**	0
ख	पीबीओ पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	**-1,277**	-2,891	**0**	0	**0**	0
ग	परिसंपत्ति पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	**13**	-73	**0**	0	**0**	0
घ	वर्ष में न पहचाना गया बीमांकिक लाभ/(हानि)	**-1,264**	-2,964	**0**	0	**0**	0
XII परिसंपत्ति योजना में परिवर्तन							
क्र.सं.	**विवरण**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**
क	अवधि की शुरुआत में योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	**124**	1781	**0**	0	**0**	0
ख	योजना संपत्ति पर वास्तविक वापसी	**22**	49	**0**	0	**0**	0
ग	नियोक्ता योगदान	**5,990**	1019	**0**	0	**0**	0
घ	लाभ का भुगतान	**-6,010**	-2,725	**0**	0	**0**	0
ङ	अवधि के अंत में योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	**126**	124	**0**	0	**0**	0

भारतीय लेखाकरण मानक 19 के अंतर्गत प्रकटीकरण रिपोर्ट (जारी)...

		उपदान		विशेषाधिकार अवकाश		रुग्न अवकाश	
XIII योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियाँ (कुल योजना परिसंपत्तियों का प्रतिशत)							
क्र.सं.	**विवरण**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**
क	भारत सरकार की प्रतिभूतियों	**0**	0	**0**	0	**0**	0
ख	राज्य सरकार की प्रतिभूतियों	**0**	0	**0**	0	**0**	0
ग	उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड	**0**	0	**0**	0	**0**	0
घ	सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	**0**	0	**0**	0	**0**	0
ङ	परिसंपत्ति	**0**	0	**0**	0	**0**	0
च	बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित धन	**100%**	100%	**0**	0	**0**	0
छ	बैंक शेष	**0**	0	**0**	0	**0**	0
	कुल	**100%**	**100%**				
XIV निवल परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन योजना							
क्र.सं.	**विवरण**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**
क	अवधि की शुरुआत में निवल परिभाषित लाभ देयता	**16,605**	13,227	**7,776**	6,565	**31**	50
ख	अधिग्रहण समायोजन	**0**	0	**0**	0	**0**	0
ग	कुल सेवा लागत	**448**	526	**637**	537	**3**	3
घ	निवल ब्याज लागत (आय)	**1,192**	907	**558**	450	**2**	3
ङ	पुनः माप	**1,264**	2,964	**849**	3,139	**8**	-24
	खोलने में अंतर	**0**	0	**0**	0	**0**	0
च	निधि के लिए योगदान का भुगतान	**-5,990**	-1,019	**-2,652**	-2,915	**0**	0
छ	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान लाभ	**0**	0	**0**	0	**0**	0
ज	अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता	**13,519**	16,605	**7,169**	7,776	**44**	31
XV चालू और गैर-चालू वर्ष के अंत में पीबीओ का विभाजन							
क्र.सं.	**विवरण**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**
क	चालू देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	**4300**	5972	**1,931**	2,665	**2**	2
ख	गैर-चालू देयता (एक वर्ष से अधिक की देय राशि)	**9345**	10758	**5238**	5112	**42**	30
	वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	**13,645**	16,729	**7,169**	7,776	**44**	31
XVI अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित योगदान							
क्र.सं.	**विवरण**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**
क	सेवा लागत	**504**	517	**561**	427	**42**	14
ख	निवल ब्याज लागत	**975**	1192	**517**	558	**3**	2
ग	अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित व्यय	**1478**	1,709	**1,078**	985	**46**	16

XVII परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता विश्लेषण।

क)	**वेतन वृद्धि में परिवर्तन का असर**	**31.03.2024**	**31.03.2024**	**31.03.2024**
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**13,645**	**7,169**	**44**
क)	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	**-161**	**-117**	**-1**
ख)	0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	**167**	**123**	**1**

ख)	**वेतन वृद्धि में परिवर्तन का असर**			
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**13,645**	**7,169**	**44**
क)	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	**111**	**124**	**1**
ख)	0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	**-111**	**-120**	**-1**

भारतीय लेखाकरण मानक 19 के अंतर्गत प्रकटीकरण रिपोर्ट (जारी)...

XVIII परिभाषित लाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफ़ाइल।

क्र.सं.	वर्ष	राशि	राशि	राशि
क)	0 से 1 वर्ष	4,300	1,931	2
ख)	1 से 2 वर्ष	3,169	1,570	21
ग)	2 से 3 वर्ष	2,344	1,179	9
घ)	3 से 4 वर्ष	1,324	726	5
ङ)	4 से 5 वर्ष	895	527	2
च)	5 से 6 वर्ष	414	254	1
छ)	6 साल बाद	1,199	982	4

XIX परिणाम का सारांश

		छुट्टी यात्रा रियायत	
क्र.सं.	**परिसंपत्ति / दायित्व**	**31.03.2024**	**31.03.2023**
क	दायित्व का वर्तमान मूल्य	152	171
ख	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0	0
ग	प्रावधान के रूप में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल परिसंपत्तियाँ / (दायित्व)	-152	-171

XX बीमांकिक एवं जनसांख्यिकीय धारणाएँ

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024	31.03.2023
क	छूट दर	7.21	7.18
ख	भविष्य में वेतन वृद्धि	5.36	2.75
ग	उम्र के संघर्षण	6.90	12.35

XXI बीमांकिक मूल्य

	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	152	171

XXII कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची III के अनुसार वर्ष के अंत में पीबीओ का विभाजन

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024	31.03.2023
क	चालू देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	43	64
ख	गैर-चालू देयता (एक वर्ष से अधिक की देय राशि)	109	107
ग	वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	152	171

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
टिप्पणी संख्या 28				
वित्तपोषण लागत				
i) ब्याज व्यय				
नकद ऋण	**17514.15**		14422.22	
सार्वजनिक जमा	**0.00**		0.00	
बांड	**0.00**		0.00	
अवधि ऋण	**0.00**		0.00	
अन्य*	**3030.54**		3720.67	
ii) बैंक प्रभार	**3594.15**		2785.67	
iii) सरकारी गारंटी शुल्क	**0.00**		0.00	
iv) बांड / ऋण जारी करने में व्यय	**0.00**		0.00	
v) विदेशी मुद्रा अनुवाद और लेनदेन से निवल लाभ/हानि	**0.00**		29.85	
कुल		**24138.84**		**20958.40**
*पीएफ से ट्रस्ट में विलंबित भुगतान पर ब्याज सहित अन्य ब्याज व्यय।				
टिप्पणी संख्या 29				
मूल्यह्रास और ऋणमुक्ति व्यय :				
स्थाई परिसंपत्ति	**5312.25**		4946.02	
औजर और गेज	**0.00**		3.82	
कुल	**5312.25**		4949.84	
घटाएं : पूनर्मूल्यांकन आरक्षित से स्थानांतरण	**0.00**		0.00	
निवल मूल्यह्रास		**5312.25**		**4949.84**
टिप्पणी संख्या 30				
अन्य व्यय				
डीआरई बट्टे खाते में डाले गए		**0.00**		0.00
वीआरएस व्यय		**0.00**		0.00
विनिर्माण व्यय :				
भंडार और पुर्जों की खपत		**23.87**		9.57
पावर और लाइट		**1831.81**		1849.09
जल प्रभार		**348.00**		333.66
उत्पाद शुल्क		**0.00**		0.00
रखरखाव और मरम्मत :				
i) प्लांट मशीनरी और उपस्कर	**135.83**		270.71	
ii) वाहन	**27.97**		88.84	
iii) भवन	**1134.81**		877.03	
iv) अन्य उपस्कर	**202.35**	**1500.96**	158.29	1394.87
लागत और औजारों पर व्यय		**0.00**		0.00
प्रयोगात्मक कार्य और प्रशिक्षण पर व्यय		**6.83**		6.78
लघु उपस्कर और कार्य पर व्यय		**3.70**		0.75
रॉयल्टी		**0.00**		884.61
आग के कारण स्टॉक का नुकसान		**0.00**		88.25
स्क्रैप और निस्तारण		**0.00**		0.00
फैक्ट्री व्यय		**1105.84**		926.29

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
टीओटी प्रभार				
i) तकनीकी सहायता	**0.00**		0.00	
ii) तकनीकी जानकारी शूल्क	**0.00**		0.00	
iii) प्रलेखन प्रभार	**0.00**		0.00	
iv) प्रशिक्षण सहायता	**0.00**		0.00	
v) अन्य	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
परिनिर्धारित नुकसानी		**5478.17**		1246.75
विलंब शुल्क		**0.00**		0.67
विदेशी मुद्रा अनुवाद और संचालन में निवल लाभ / हानि (वित्त लागत के रूप में माने जाने के अलावा)		**0.00**		0.00
कुल विनिर्माण व्यय		**10299.18**		**6741.28**
प्रशासनिक व्यय :				
किराया	**130.50**		154.69	
दर और कर	**873.66**		1056.47	
बीमा	**111.91**		129.75	
यात्रा व्यय				
अंतर्देशीय	**420.91**		562.09	
विदेशी	**0.00**		0.00	
डाक, टेलीग्राम, टेलेक्स व्यय	**25.46**		25.61	
टेलीफोन और ट्रंक-कॉल देय	**63.67**		44.24	
लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक				
लेखापरीक्षा शुल्क	**22.01**		27.04	
कराधान मामले के लिए	**3.30**		1.50	
कंपनी कानून मामलों के लिए	**0.00**		0.00	
प्रबंधन सेवाओं के लिए	**0.00**		0.00	
प्रतिपूर्ति व्यय के लिए	**1.20**		1.18	
अन्य सेवाओं के लिए	**3.35**		1.33	
कानूनी शुल्क	**178.51**		135.76	
अन्य व्यावसायिक शुल्क	**186.94**		264.36	
सीआईएसएफ / निजी सुरक्षा व्यय	**1121.86**		1002.28	
मुद्रण और स्टेशनरी और नकल प्रभार	**47.26**		64.94	
परिवहन व्यय	**293.18**		291.40	
समाचार पत्र, पत्रिका और पत्र-पत्रिकाएं	**9.68**		14.70	
यंत्रीकृत लेखा व्यय	**0.11**		2.40	
पट्टा शुल्क	**0.00**		0.00	
लाइसेंस शुल्क / खण्ड प्रभार	**1.72**		2.40	
सीएसआर व्यय	**2.00**		16.64	
अनुवर्ती सार्वजनिक अधिकारी (एफपीओ) पर व्यय	**0.00**		0.00	
कार्यालय व्यय	**629.85**		580.43	
आरएम स्टोर्स के अप्रचलन के लिए प्रावधान	**453.26**		0.00	
अप्रचलित आरएम और प्रोडक्शन स्टोर को बट्टे खाते में डाले गए	**2.28**		0.00	
प्रक्रियादीन पूंजीगत कार्य को बट्टे खाते में डालने का प्रावधान	**0.00**		0.00	
देनदार / अग्रिम के लिए प्रावधान	**150.64**		2639.38	
अशोध्य ऋण को बट्टे खाते में डाले गए	**271.56**		0.78	

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
दावे एवं व्यय बंद प्रभारी	**664.20**		20.47	
परिसंपत्तियों की बिक्री के कारण हानि	**112.20**		0.00	
जुर्माना और विलंब शुल्क	**71.44**		17.35	
वहन राशि निवेश का समायोजन	**0.00**		0.00	
निवेशों की बिक्री पर निवल घाटा	**2.63**		0.00	
कुल प्रशासन व्यय		**5855.29**		**7057.17**
<u>ग. विक्रय व्यय</u>				
विक्रय एजेंसी कमीशन	**23.31**		4.11	
विज्ञापन व्यय	**9.23**		16.98	
प्रदर्शनी और प्रचार व्यय	**26.98**		9.64	
पैकिंग व्यय	**1.10**		6.70	
अग्रेषण व्यय	**510.93**		53.68	
प्रदत्त छूट	**0.00**		0.00	
आश्वस्ति व्यय	**0.01**		0.00	
विक्रय बढ़ोतरी व्यय	**0.03**		0.00	
मनोरंजन व्यय	**(14.55)**		1.56	
निविदा प्रपत्र की लागत	**2.56**		1.84	
कुल विक्रय व्यय		**559.60**		**94.51**
कुल अन्य व्यय		**16714.07**		**13892.97**
बैक-टू-बैक व्यवस्था होने की दशा में, परिनिर्धारित नुकसान की गणना निवल आधार पर की जाएगी।				
<u>विदेशी मुद्रा में व्यय :</u>				
रॉयलटी	**0.00**		0.00	
जानकारी	**0.00**		0.00	
वृत्तिक / परामर्श शुल्क	**0.00**		0.00	
ब्याज	**0.00**		0.00	
अन्य	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (जारी)...

अतिरिक्त प्रकटीकरण

विवरण

टिप्पणी संख्या 31

1 **निगमित सूचना :**
आईटीआई लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसका निगमन कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत हुआ था। कंपनी का मूल व्यवसाय दूरसंचार उपकरणों का विनिर्माण, बिक्री एवं सर्विसिंग तथा इन्टरनेट प्रोटोकोल (आईपी)/मल्टी प्रोटोकोल लेबल स्विचिंग लेबल स्विचिंग (एमपीएलएस) प्रौद्योगिकी, ऑप्टिकल फाइबर केवल (ओएफसी), माइक्रोवेव रेडियो तथा सेटेलाइट चैनलों के उपयोग से संचार नेटवर्क अवसंरचना का निर्माण करना है। इसके अलावा कंपनी टर्नकी अनुबंधों / समाधान के कार्य तथा ग्राहक की आवश्यकता के अनुरूप समर्थन सेवाएं भी प्रदान करती है।"

2 16500 करोड़ रुपये की राशि 2014-2015 के दौरान वेतन संशोधन बकाया राशि दूरसंचार विभाग(डीओटी), भारत सरकार से प्राप्त हुआ है। 15493.72 लाख रुपये का भुगतान वेतन संशोधन बकाया राशि के रुप में और शेष राशि 1006.06 लाख रुपये का मौजूदा देनदारियों के तहत रखा गया है।

3 लेनदारों, देनदारों के खातों में शेयर राशियाँ, ग्राहकों से अग्रिम, कुछ बैंक खाते, वसूली योग्य दावे, ऋण और अग्रिम, फैब्रिकेटरों, उप-ठेकेदार / अन्य के पास सामग्री, मार्गस्थ सामग्री, जमा राशियों, ऋण, जीएसटी, जमा और अन्य देनदारियों जो पुष्टि / समाधान के अधीन हैं। हालांकि प्रबंधन की राय में, यदि सामान्य व्यवसाय के दौरान महसूस किया गया हो, व्यापार प्राप्तियाँ, मौजूदा संपत्ति, ऋण और अग्रिम के रूप में व्यक्त किए गए है।

4 प्रबंधन के मतानुसार, निष्पादन की जा रही, पर्याप्त लाभ वाली 1192700 लाख रुपए की विद्यमान ऑर्डर बुक के उच्चतर मूल्य, अगले 12 महीनों में अनुबंध के लक्ष्यों की पूर्ति करके 217468 लाख रुपए के बिल न किए गए राजस्व को बिल किए गए राजस्व / प्राप्ति में परिवर्तित किए जाने की प्रबल संभावना, बिल किए गए बकायों की वसूली, वसूली प्रक्रियाओं में तेजी लाना, भारत सरकार से प्राप्त हो रही निरंतर सहायता के साथ साथ कंसोर्टियम बैंकों से कार्यशील पूंजी ऋण की पर्याप्त स्वीकृति गोइंग कंसर्न आधार पर लेखांकन किए जाने का पर्याप्त आधार है।

5 कंपनी मुख्य रूप से विनिर्माण, व्यापार और दूरसंचार उपकरणों की सर्विसिंग के कारोबार और सहायक सेवाओं के प्रतिपादन के व्यवसाय में लगी हुई है और अलग से रिपोर्ट करने योग्य कोई खंड नहीं है। कंपनी को मुख्य रूप से एक ही भौगोलिक क्षेत्र के रूप में माना जाता है, जो भारत में काम कर रही है। कंपनी रक्षा परियोजनाओं में भी लगी हुई है। भारतीय लेखांकन मानक ('इंडएएस 108) के भावार्थ के अनुसार कंपनी का निदेशक मंडल, सामूहिक रूप से, कंपनी का 'मुख्य परिचालन निर्णय निर्धारक' अथवा 'सीओडीएम' है। कंपनी द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि इंडएएस 108 के भावार्थ में रिपोर्ट किए जाने योग्य ऐसा कोई परिचालनात्मक घटक नहीं हैं जिसकी राजस्व स्वीकृति समान प्रकार के अनुबंधों से की गई हो। इसके अलावा, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अपनी दिनांक 23.02.2018 की अधिसूचना के माध्यम से रक्षा उत्पादन करने वाली कंपनियों को घटक रिपोर्टिंग की अपेक्षाओं से छूट प्रदान की गई है। कंपनी का यह मत है कि कंपनी कुछ रक्षा परियोजनाओं का निष्पादन कर रही है तथा इस प्रकार यह छूट कंपनी के संबंध में लागू है तथा तदनुसार लागू लेखांकन मानक के अंतर्गत अपेक्षित सूचना की प्रस्तुति नहीं की गई है।

6 **(क) संबंधित पार्टी प्रकटीकरणों पर लेखाकरण मानक (इंड एएस)24 के अनुसार इंडिया सेटकॉम लि.(आईएसएल) – इन संयुक्त उद्यम कंपनियों के साथ निम्न लेन-देन किए गए।**

लाख रुपए में

	31.03.2024	**31.03.2023**
माल सेवाओं का खरीद	-	-
माल सेवाओं का विक्रय	-	-
बकाया रकम :		
- संबंधित पार्टी से देय	-	-
- संबंधित पार्टी को देय	-	-
संबंधित पार्टी से संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	-	-
वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि	-	-
ख) कुंजी प्रबंधन कर्मियों को प्रतिपूर्ति भुगतान किया गया। (इंड एएस-24 यथा अपेक्षित)		
श्री राजेश राय-अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**39.97**	4.12
श्री आर एम अग्रवाल – पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**-**	8.87
श्री राजीव श्रीवास्तव – निदेशक-वित्त	**28.88**	24.22
श्री रमण बाबू – निदेश्का विपणन	**8.21**	-
श्री राकेश चंद्र तिवारी-पूर्व-निदेशक विपणन	**35.28**	45.98
श्रीमती एस जेयंति – निदेशक (उत्पादन) (अतिरिक्त प्रभार-मानव संसाधन)	**25.88**	2.04
श्री वेंकटेश्वरलू – पूर्व-निदेशक (उत्पादन)	**-**	42.07
श्रीमती आर वसंती- पूर्व निदेशक (उत्पादन) अतिरिक्त प्रभार	**3.31**	2.04
श्रीमती शालिनी घटक-कंपनी सचिव 06.07.2023 से प्रभावी	**8.41**	-
श्रीमती शनमुगा प्रिया – पूर्व, कंपनी सचिव	**-**	16.20

7 **आय प्रति शेयर (प्रचालन जारी रखने के लिए)**	**31.03.2024**	31.03.2023
कर पूर्व लाभ	**-56892.02**	-35985.37
(-) अधिमान लाभांश	**0.00**	0.00
लाभांश कर	**0.00**	0.00
इक्विटी शेयरधारकों को उपलब्ध लाभ	**-56892.02**	-35985.37
वर्ष के प्रारंभ में शेयरों की संख्या	**949577352**	933522869
वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या	**960886938**	949577352
अवधि के दौरान शेयरों का भारित औसत संख्या	**959620017**	944488639
आय प्रति इक्विटी शेयर (प्रचालन जारी रखने के लिए) बेसिक और तनुकृत (रु. में)	**-5.93**	-3.81

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (जारी)...

8 चूँकि कंपनी की पर्याप्त भावी कर योग्य आय की कोई यथार्थ अवधारणा नहीं है, भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस)-12 के अंतर्गत अनवशोषित मूल्यह्रास और कंपनी के अग्रेषित हानि पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों को नहीं लिया जा रहा है।.

9 **संयुक्त उद्यम;**

इंड एएस 28 के अनुसार संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग

(क) इंडिया सैटकॉम लिमिटेड सं.2, काडुगोडी इंडस्ट्रियल एरिया, व्हाईट फिल्ड, बेंगलूरु-560067 कर्नाटक-भारत	**31.03.2024**	**31.03.2023**
कंपनी की इक्विटी भागीदारी	**49.06%**	49.06%
संयुक्त उद्यम के निगमीकरण का स्थान-जे.वी, **भारत**		
10 क) पूँजी खाते में निष्पादन के लिए शेष संविदाओं की प्राक्कलित राशि जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिम का निवल)	**1,001.84**	2,033.31
ख) अन्य संविदाओं के संबंध में प्रतिबद्धता नहीं दी गई।	-	-

11 **आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं**

(क) कंपनियों के खिलाफ दावों को कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	**31.03.2024**	31.03.2023
- बकाया साखपत्र एवं गारंटी	**191,074.42**	132,149.64
- बकाया कर		
----- मुक़दमे		
----------प्रत्यक्ष कर मामले	**691.72**	691.72
----------अप्रत्यक्ष कर मामले	**21,242.07**	13,371.38
-----अन्य कर बकाया		
----------प्रत्यक्ष कर मामले	**212.31**	177.51
----------अप्रत्यक्ष कर मामले	**5,634.01**	5,915.37
- अन्य दावे – मुक़दमे	**27,821.35**	27,718.38
- अन्य दावे – अन्य	**54.80**	18.20

i) कंपनी के प्रति किए दावों की स्वीकृति ऋण के रूप में नहीं की गई है, जिसमें मैसर्स अल्फ़ियन कॉर्पोरेशन द्वारा दावा की गई 167000.00 लाख रुपए की राशि शामिल है, कंपनी को जीपॉन से संबंधित बैक-टू-बैक आधारित अनुबंध के प्रति बीएसएनएल से वसूली करनी है।

ii) कंपनी को बीबीएमपी से वर्ष 2008-09 से 2023-24 तक के लिए 7938.21 लाख रुपए की संपत्ति कर की मांग प्राप्त हुई है, जिसे एकमुश्त निपटान के रूप में जमा किया जाना है। तथापि, कंपनी ने बीबीएमपी से इस आधार पर मांग राशि में संशोधन किए जाने की अपील की है, कि यह कंपनी बीआईएफआर की पुनरुद्धार योजना के अंतर्गत एक रूग्न उद्योग है तथा यह छूट प्राप्त करने की पात्र है।

(iii) कंपनी को बीएसई/एनएसई से स्वतंत्र निदेशकों/महिला निदेशकों की पर्याप्त संख्या न होने के कारण 54.84 रुपये की राशि के जुर्माने का नोटिस प्राप्त हुआ है। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में गैर-अनुपालन का कारण के साथ बीएसई/एनएसई को अनुरोध किए जाने के परिणामस्वरुप वित्तीय वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही तक जुर्माना समाप्त कर दिया गया है। कंपनी का विश्वास है कि अनुवर्ती दंड भी इसी प्रकार समाप्त किए जाएंगे। तदनुसार, इन दंडों के प्रति किसी प्रकार के प्रावधान नहीं किए गए हैं।

(iv) दावे की राशि में एचएफसीएल द्वारा निर्णित हर्जाने के प्रति दावा की गई 1193.88 लाख रुपये का दावा तथा विवाचक द्वारा की गई पुष्टि शामिल है। तथापि, कंपनी ने उक्त दावे के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दायर की है।

(v) कंपनी के प्रति किए गए दावों में ईईएसएल निविदा के अंतर्गत आरईसीएपी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीसीएमएस बॉक्स उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में दायर की गई याचिका की देय तिथि से दावा की गई राशि के शेष 615.13 लाख रुपए का दावा भी शामिल है।

vi.) वित्तीय संकट के कारण, भविष्य निधि में अंशदान सहित कुछ सांविधिक देयताओं के भुगतान में देरी हुई है। इसके प्रति देय ब्याज / जुर्माने की वास्तविक ज्ञात न किए जा सकने के कारण कंपनी द्वारा अनुमान के आधार पर देरी पर ब्याज के प्रति अनुमानित आधार पर प्रावधान किए गए हैं।

vii) कंपनी ने अनुमानित आधार पर पिछले वर्ष के लिए सी/डी फॉर्म जमा नहीं करने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय बिक्री कर देयता के लिए 5634.01 लाख रूपये (पिछले वर्ष 5,915.37 लाख रुपये) की आकस्मिक देयता का खुलासा किया है । वास्तविक दायित्व वैधानिक रूप के संग्रह और प्रस्तुत करने और कर निर्धारण के समय लागू कर दर को अपनाने के आधार पर भिन्न हो सकते हैं।

viii) सभी अतिदेय सांविधिक देनदारियों (निर्विवाद सहित) के बकाया और दंड पर संबंधित अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन और निर्धारित किया जा सकता है।

ix) सी-डॉट से पट्टे पर लिए गए परिसर के देय किराए के रूप में लंबे समय से प्राप्य पर्याप्त बकाया (जो रॉयल्टी राशि से अधिक है) को ध्यान में रखते हुए सी-डॉट को देय रॉयल्टी पर देय ब्याज के प्रावधान नहीं किए गए हैं। ब्याज राशि ज्ञात नहीं की जा सकी है।

(ख) अन्य मुकदमें

i) परिसमाप्त क्षति के कारण दावा वसूली- भूमि में 1049.41 लाख रूपये मेसर्स हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस से देय है। कंपनी ने कानूनी मामला दायर किया है जो दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है।

ii) ब्रुहत बेंगलूरु महानगर पालिका का (बीबीएमपी) ने आईटीआई की अनुमति के बिना आईटीआई भूमि कृष्णाराजपुरम में सड़क का निर्माण, कर्नाटक हाइकोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद किया गया जिसका उपयोग आम जनता द्वारा किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (जारी)...

आईटीआई लिमिटेड द्वारा मैसर्स माइंड ऐरे सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के प्रति कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए दिनांक 18.5.2022 को मैजिस्ट्रेट सिविल न्यायालय के सम्मुख एक शिकायत दर्ज की गई है। यह मामला नगर वाणिज्य न्यायालय, बेंगलूरु के अध्याधीन है।

आईटीआई लिमिटेड द्वारा इंफोस पार्क को एलईडी स्ट्रीट लाइटों की आपूर्ति की गई थी, जिसका भुगतान अभी प्राप्त नहीं हुआ है। आईटीआई द्वारा मैसर्स इंफोस पार्क के खिलाफ बैंक की ओर से भुगतान के लिए चेक नकार दिए जाने का एक मामला दर्ज किया गया है।

कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 5 एकड़ भूमि का उपयोग कर रहा है तथा इसके लिए कोई पट्टा करार नहीं किया गया है।

12 पूर्व वर्षों के प्रतिलेखित दायित्वों में 302.30 लाख रुपए नैनी इकाई, 45.58 लाख रुपए एवं क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई 249.83 लाख रुपए और क्षेत्रीय कार्यालय मुबंई 6.88 लाख रुपए (पिछले वर्ष 3.80 लाख रुपए जिसमें नैनी इकाई के 2.86 लाख रुपए, क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलूरु प्लांट के 0.94 लाख रुपए) शामिल हैं। .

13 **प्रयुक्त आयातित कच्चे माल, भंडार और अतिरिक्त पूर्जों का मूल्य तथा प्रयुक्त देशी सामग्री का मूल्य प्रत्येक की प्रतिशतता।**

	31.03.2024	31.03.2023
आयातित	**375.23**	521.25
देशी	**7,997.66**	15,920.27
कुल	**8,372.89**	**16,441.53**

14 रूग्न उद्योग कंपनी अधिनियम (एसआईसीए), 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कंपनी एक रूग्न कंपनी है तथा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के सम्मुख कंपनी को संदर्भित किए जाने के पश्चात वर्तमान में यह पुनरूद्धार योजना के अंतर्गत आती है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा पुनरूद्धार योजना के अंतर्गत कंपनी के पुनरूद्धार के लिए फरवरी 2014 में अनुमोदित 415679 लाख रुपए की वित्तीय सहायता का अनुमोदन दिया गया है।

15 स्वीकृत वित्तीय सहायता के एक भाग के रूप में, वित्तीय वर्ष 2022-23 तक पूंजी अनुदान के रूप में 113256 लाख रुपए तथा राजस्व अनुदान के रूप में 189279 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है। बीआईएफआर के दिनांक 08.01.2013 के आदेश के अनुसरण में विभिन्न तिथियों पर प्राप्त पूंजी अनुदान के प्रति आवंटन की तिथि से तीन माह पूर्व के प्रचलित बाजार मूल्य अथवा औसत शेयर मूल्य, जो भी कम हो, के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को शेयर आवंटित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बीआईएफआर पुनरुद्धार योजना के अंतर्गत कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुए हैं।

कुल पूंजी अनुदान में से, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 18700 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई। इसमें से 8,000.00 लाख रुपए की अनुदान राशि के प्रति भारत के राष्ट्रपति को दिनांक 28.09.2022 को 103.45 रुपए प्रति शेयर (प्रत्येक 10 रुपए प्रति शेयर 93.45 रुपए के प्रीमियम पर पूरी तरह से चुकता) की दर से 77,33,204 शेयर तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दिनांक 11.05.2023 को 10700.00 लाख रुपए मूल्य के 11309586 इक्विटी शेयर 94.61 रुपए की दर से आवंटित किए गए। तुलन पत्र की तिथि तक प्राप्त कुछ वित्तीय सहायता की राशि 302535 लाख रुपए है।

16 12.15 एकड़ भूमी में से जो बेंगलूरु मैट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन, बीएमटीसी को पट्टे के रुप में देना है 12.15 एकड़ भूमी जो पहले से ही बीएमटीसी के कब्जे में है, भारत सरकार के पट्टे के नियमों व शर्तानुसार अनुमोदन देना है। पट्टे को पहचानित कर किराए को शर्तो के अनुसार अंतिम रुप दिया जाएगा। 285 लाख रुपए पूर्व में बीएमटीसी से प्राप्त हो चुकी है जिसको जमा किया गया है।

17 ईएसआईसी के साथ पट्टा समझौता जुलाई 2016 के महीने में समाप्त हो गया है और पट्टे का नवीकरण समझौते नहीं किया गया है, क्योंकि संशोधित पट्टा किराया ईएसआईसी के साथ फैसला नहीं किया गया है। इसके अलावा, कंपनी उन सभी पट्टा समझौतों की पहचान, समीक्षा और नवीनीकरण की प्रक्रिया में है, जो समाप्त हो चुके हैं, जहाँ कंपनी पट्टादाता है।

18 **सीआईएफ आधार पर आयात का मूल्य**

	31.03.2024	31.03.2023
कच्चा माल और उत्पादन भंडार	**375.23**	349.64
घटक तथा अतिरिक्त पुर्जे	-	171.62
मार्गस्थ सामग्री	-	-
पूँजीगत माल	-	-
कुल	**375.23**	**521.26**

19 सी-डॉट, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय से 2005-06 से 2010-11 तक 5847.90 लाख रुपये अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है। उगाही/वसूली के अनिश्चितता के चलते, सकल किराया राजस्व की पहचान जिसकी कुल रकम 12679,92 लाख रुपये है जो प्रोद्भवन आधार पर वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए है, आस्थगित किया गया है और एएस के अनुरूप है।

जून 1990 तक दक्षिणी रेलवे द्वारा अपनी सुविधाओं तक पहुंच मार्ग के रूप में उपयोग की जाने वाली 1.83 एकड़ भूमि के किराए का भुगतान, बिना किसी लिखित पट्टा करार के, चुकता किया जा रहा था। तथापि, एप्रोच रोड का उपयोग जनता एवं स्थानीय क्षेत्र निवासियों द्वारा किए जाने के कारण दक्षिण रेलवे किराए का भुगतान करना बंद कर दिया था। वर्तमान में इस भूमि का उपयोग जनता द्वारा राइट आफ वे के रूप में किया जा रहा है।

वित्तीय विवरणों के नोट 1 तथा नोट 3 में किए गए प्रकटीकरण के अनुसार नीचे उल्लिखित के अलावा सम्पतियों के हक विलेख कंपनी के नाम पर धारित हैं:

(i) पालक्काड में स्थित 19470 लाख रुपए मूल्य (वहन मूल्य) की 77 एकड़ माप की भूमि का पुन: ग्रहण केरल सरकार द्वारा कर लिया गया है तथा यह मामला उच्चतर न्यायालय के सम्मुख न्यायाधीन है। तुलन पत्र में दर्शाई भूमि के मूल्य में केरल सरकार द्वारा पुन: ग्रहण की गई भूमि का मूल्य शामिल है जो उच्चतर न्यायालय में न्याय के लिए लंबित है।

(ii) आईटीआई कॉम्प्लेक्स में 174.69 एकड़ माप की 9282 लाख रुपए के मूल्य (वहन मूल्य) की भूमि जिला औद्योगिक अधिकारी द्वारा वर्ष 1969 में नैनी यूनिट को सौंप दी गई थी जो कंपनी के नाम से नहीं है।

(iii) उद्योग विभाग, रायबरेली द्वारा दिनांक 12.11.1973 को गांव बेलापुर, छजलापुर एवं मालिकमाऊ ऐयमा, रायबरेली में दिनांक 9.1.1973 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 10574(1). एसएचए.यू/18.II.666/बीएचए-72 के माध्यम अंतरित की गई 11620 लाख रुपए (लगभग) मूल्य की 196.37 एकड़ भूमि (फैक्टरी क्षेत्र) के शीर्ष के अंतरण का मामला आईटीआई लिमिटेड की ओर से भूमि अधिग्रहण के समय भू स्वामियों को चुकता किए गए भुगतान के प्रमाण की प्रस्तुत न किए जाने के कारण लंबित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (जारी)...

20 मैसर्स कार्वी डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड तथा मैसर्स टेल्वा सिस्टम्स से 2144 लाख रुपये की राशि लम्बे समय से प्राप्य है। कंपनी द्वारा इस मामले में बट्टा नामे का कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि विक्रेताओं (बैक-एंड पार्टनर्स) से समान राशि की अनुरूपी देयता देय है जो कि इस राशि की वसूली होने पर ही की जाएगी। प्राप्य एवं देय राशि के मध्य भिन्नता की 242 लाख रुपए की राशि के लिए प्रावधान किए गए हैं।

21 प्रोमोटरों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों तथा संबद्ध पार्टियों (कंपनी अधिनियम, 2013 में की गई परिभाषा के अनुसार) ऋण अथवा अग्रिम के रूप में किसी भी प्रकार के ऐसे ऋण प्रदान नहीं किए गए है जो पृथक अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से (क) मांग पर देय हैं अथवा (ख) निर्दिष्ट किन्हीं शर्तों अथवा पुनर्भुगतान की अवधि में देय हैं।

22 कंपनी द्वारा अथवा कंपनी के प्रति बेनामी संव्यवहार (प्रतिबंध) अधिनियम, 19488 (1988 का 45) एवं उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत न तो कोई प्रक्रिया की गई है अथवा न ही कोई प्रक्रिया लंबित है।

23 कंपनी ने बैंकों से अपनी चालू परिसम्पतियों की प्रतिभूति के आधार पर ऋण प्राप्त किए हैं। कंपनी द्वारा बैंकों को फाइल किया गया स्टॉक एवं देनदार विवरण लेखा बहियों के अनुरूप है।

24 किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान अथवा किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

25 प्रबंधन के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत स्ट्रक ऑफ कंपनियों के साथ प्रतिभूतियों में निवेश, प्राप्यों, देयों, स्ट्रक ऑफ कंपनी द्वारा धारित शेयरों एवं अन्य बकाया शेषों के संबंध में किसी प्रकार के संव्यवहार नहीं किए हैं।

26 कंपनी के प्रति ऐसे कोई चार्जिस अथवा चार्जिस की संतुष्टि नहीं है जो सांविधिक अवधि के पश्चात अभी आरओसी में पंजीकृत नहीं की गई है।

27 कंपनी ने ऐसी काई योजना व्यवस्था नहीं की है जिससे चालू अथवा पूर्व वित्तीय वर्ष में लेखांकन प्रभावित होता हो।

28 कंपनी ने लेखा बहियों में रिकार्ड न किए ऐसे कोई संव्यवहार नहीं किए हैं जो आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण के लिए वर्ष के दौरान त्याग दिए गए हों अथवा जिनका प्रकटीकरण किया गया हो।

29 कंपनी के क्रिप्टो अथवा वर्चुअल मुद्रा में चालू अथवा पूर्व वर्ष के दौरान न तो कोई ट्रेड किया है और न ही निवेश किया है।

30 कंपनी द्वारा बैंको अथवा वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋणों का उपयोग उन उद्देश्यों से किया जा रहा है जिस उद्देश्य के लिए आवेदन दिया गया था।

31

अनुपातों की गणना के लिए प्रयुक्त अनुपात और सूत्र निम्नानुसार है	अंश-गणक	भाजक	31.03.2024	31.03.2023	% भिन्नता	भिन्नता के कारण> 25%
(क) चालू अनुपात	चालू संपत्तियाँ	चालू देयताएँ	0.89	0.97	-8.17%	
(ख) नामे इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	1.03	0.80	28.75%	इक्विटी में कमी के कारण
(ग) नामे सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय	ऋण सेवा	-1.15	-0.85	35.29%	ब्याज लागत में कमी उधार की अदायगी और ईबी आईटीडीए में कमी के कारण
(घ) इक्विटी पर प्रतिफल	करों के बाद निवल लाभ - वरीयता लाभांश (यदि कोई हो)	औसत शेयरधारकों की इक्विटी	-0.27	-0.14	92.86%	घाटे में वृद्धि और इक्विटी में कमी के कारण
(ड़) मालसूची टर्नओवर अनुपात	बेचे गए माल या बिक्री की लागत	औसत सूची	5.02	5.33	-5.82%	
(च) व्यवसाय प्राप्य टर्नओवर अनुपात	निवल ऋण बिक्री	औसत प्राप्य खाते	0.63	0.57	10.53%	
(छ) व्यवसाय देय टर्नओवर अनुपात	निवल ऋण बिक्री	औसत व्यापार देयताएं	0.87	0.83	4.82%	
(ज) निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात	निवल	कार्यशील पूंजी	-1.52	-6.31	-75.98%	कार्यशील पूंजी में कमी के कारण
(झ) निवल लाभ अनुपात	निवल लाभ	निवल बिक्री	-45.03%	-25.82%	74.40%	राजस्व और योगदान / मार्जिन में कमी के कारण
(ञ) नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	ब्याज और करों से पहले की कमाई	नियोजित पूंजी	-0.17	-0.06	170.50%	ईबीआईटी और नियोजित पूंजी में कमी के कारण

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (जारी)...

32 सीएसआर गतिविधियों का विवरण

	31.03.2024	31.03.2023
(i) वर्ष के दौरान कंपनी से व्यय के लिए अपेक्षित राशि	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii) व्यय की गई राशि	2.00	5.00
(iii) वर्ष के अंत में न्यूनता *	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv) पिछले वर्ष की कुल न्यूनता	शून्य	शून्य
(v) न्यूनता का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं
(vi) सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति	सशस्त्र बल ध्वज निधि (एएफएफडीएफ)	सशस्त्र बल ध्वज निधि (एएफएफडीएफ)
कंपनी ने अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत निर्दिष्ट शर्तों को पूरा कर लिया है तथा यह धारा 135 एवं कंपनी नियमावली, 2014 के प्रावधानों के प्रावधानों के अनुपालन के प्रति उत्तरदायी है परन्तु कोई लाभ अर्जित न होने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 135 लागू नहीं है।		

33 आईटीआई लिमिटेड, एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण, कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार के आदेश द्वारा की जाती है। महिला स्वतंत्र निदेशकों सहित स्वतंत्र निदेशकों की अपर्याप्त संख्या के कारण निदेशक मंडल की संरचना सेबी लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। तथापि, कंपनी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में महिला स्वतंत्र निदेशकों सहित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का प्रस्ताव प्रशासनिक मंत्रालय के पास प्रक्रियाधीन है।

34 एनआईएफटी के साथ नवबंर, 2018 माह में किया गया अनुबंध कालातीत हो गया है तथा इसके लिए संबंधित मंत्रालय से अनुमोदन प्रतीक्षित है। कंपनी ने यह सूचित किया है कि यह मामला प्राथमिक आधार पर समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्रव्यवस्था के सम्मुख संदर्भित किया गया है।

35 31.03.2024 को समाप्त वर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण अनुवर्ती घटनाओं का यथोचित प्रकटीकरण / प्रस्तुति / स्वीकृति वित्तीय विवरणों में की गई है। वर्ष 2024-25 के दौरान, निदेशकों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात तथा इस रिपोर्ट की प्रस्तुति किए जाने तक ऐसे किसी मामले अथवा परिस्थितियों की जानकारी नहीं थी जिनसे कंपनी की वित्तीय स्थिति तथा इसके परिचालनों के परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता हो तथा जिनसे संबंधित कार्रवाई वित्तीय विवरणों में न की गई हो।

36 कंपनी का नियंत्रण माननीय राष्ट्रपति, भारत सरकार तथा अन्य नामितों के पास है। इसे ध्यान में रखते हुए यह कंपनी, "इंडएएस 24 (संबंधित पार्टी प्रकटीकरण)" में दी गई परिभाषा के अनुसार 'सरकार से संबंधित इकाई' (भारत सरकार के संबंध में) है अथवा एक ऐसी इकाई है जिसका नियंत्रण, संयुक्त नियंत्रण अथवा प्रभुत्व सरकार के पास है।

37 वर्ष के दौरान क्षमता हानि के कोई संकेत नहीं देखे गए हैं। तुलन पत्र की तिथि को वहन राशि की समीक्षा भी की गई थी तथा वर्ष के दौरान परिसम्पतियों में किसी प्रकार की क्षमता हानि प्रतीत नहीं हुई थी । (पिछले वर्ष : शून्य)

38 क) वर्ष के दौरान बीएसएनएल और रक्षा, जिनके साथ वर्ष के दौरान कंपनी के महत्वपूर्ण लेखा प्राप्य / देय हैं, के शेष की पुष्टि की प्रक्रिया की गई है तथा ओपन मदों के पुन:समाधान विवरण पर विधिवत हस्ताक्षर किए जाने के संबंध में परस्पर सहमति / बातचीत की जा रही हे। इस बातचीत / परस्पर सहमति के पूर्ण होने के पश्चात आवश्यक प्रविष्टियों का समावेश कर लिया जाएगा।

ख) कंपनी के साथ संव्यवहार करने वाली अन्य पार्टियों से शेष की पुष्टि अभी पूरी तरह से प्राप्त हुई है। शेष की पुष्टि प्राप्त होने तथा उससे संबंधित समाधान होने के पश्चात आवश्यक प्रविष्टियों का समावेश कर लिया जाएगा।

39 वित्तीय विवरणों के निर्माण के अंतर्गत लेखांकन अनुमान लगाए जाने अपेक्षित होते हैं जो वास्तविक परिणामों से काफी भिन्न हो सकते हैं। कंपनी की लेखांकन नीतियों के उपयोग के दौरान प्रबंधन को भी अपने अनुमानों का उपयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। इस नोट में उन क्षेत्रों, जिसमें उच्चतर डिग्री अथवा जटिलता वाले अनुमान लगाए जाने अपेक्षित होते हैं, तथा उन मदों, जिनमें सामग्रीगत समायोजन लगाए जाने की आवश्यकता, उनके अनुमान एवं पूर्वानुमान मूल मूल्यांकन से भिन्न होने के कारण अधिक होती है, का संक्षित विवरण दिया गया है।

क) परिभाषित हितलाभ दायित्व के अनुमान -

परिभाषित हितलाभ दायित्व के अनुमान के कुछ महत्वपूर्ण बीमांकिक पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। अनुमानों एवं पूर्वानुमानों का मूल्यांकन आवधिक रूप में किया जाता है। ये ऐतिहासिक अनुभव एवं अन्य कारकों पर आधारित होते हैं जिनमें ऐसी भावी घटनाओं से संबंधित प्रत्याशाएं शामिल होती हैं जिनसे कंपनी पर वित्तीय प्रभाव होना संभव हो सकता है तथा जो परिस्थितियों के अनुसार औचित्यपरक मानी जाती हैं।

ख) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का उपयोज्यता काल -

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का अनुमानित उपयोज्यता काल कंपनी की लेखांकन नीति पर आधारित है।

ग) प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

प्रावधानों और आकस्मिकताओं की पहचान के लिए किए जाने वाले मूल्यांकन इंडएएस 37 "प्रावधानों, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसम्पतियां" के अंतर्गत लगाए गए हैं। आकस्मिक घटनाओं के होने की संभावना का मूल्यांकन के लिए प्रबंधन द्वारा संभावित हानि के जोखिम की संभाव्यता के लिए उत्तम पूर्वानुमान लगाए जाने अपेक्षित होते हैं। अप्रत्याशित विकास से यदि परिस्थितियों में परिवर्तन होता है तो ऐसी संभावनाओं में परिवर्तन हो सकता है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (जारी)...

40 श्रेणियों के आधार पर वित्तीय साधनों का वहन मूल्य इस प्रकार है: - (लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ/देयताएँ	31 मार्च 2024 तक ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ/ देयताएँ	31 मार्च 2024 तक परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियाँ :			-
निवेश	0.00	0.00	3,528
व्यापार प्राप्तियाँ	0.00	0.00	255,610
ऋण	0.00	0.00	79,958
नकद और नकद समकक्ष	0.00	0.00	10,526
अन्य बैंक शेष	0.00	0.00	72,716
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	0.00	0.00	218,183
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**0.00**	**0.00**	**640,521**
वित्तीय परिसंपत्तियाँ :			-
उधार	0.00	0.00	179,546
देय व्यापार	0.00	0.00	166,659
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	0.00	0.00	208,913
कुल वित्तीय देनदारियाँ	**0.00**	**0.00**	**555,118**

विवरण	31 मार्च 2024 तक एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ/देयताएँ	31 मार्च 2024 तक ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ/ देयताएँ	31 मार्च 2024 तक परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियाँ :			
निवेश	0.00	0.00	3,514
व्यापार प्राप्तियाँ	0.00	0.00	262,575
ऋण	0.00	0.00	73,303
नकद और नकद समकक्ष	0.00	0.00	936
अन्य बैंक शेष	0.00	0.00	20,548
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	0.00	0.00	257,978
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**0.00**	**0.00**	**618,854**
वित्तीय परिसंपत्तियाँ :			
उधार	0.00	0.00	187,584
देय व्यापार	0.00	0.00	155,067
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	0.00	0.00	236,658
कुल वित्तीय देनदारियाँ	**0.00**	**0.00**	**579,309**

41 **क) स्तर 1 - इस वर्गीकरण के अंतर्गत वित्तीय लिखतों का मापन सक्रिया बाजारों में प्रयुक्त उद्धृत मूल्यों (गैर-समायोजित) के उपयोग से किया जाना शामिल है।**

ख) स्तर 2 - इस वर्गीकरण में स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों के अलावा इनपुट के उपयोग से मापन की गई वित्तीय लिखतें शामिल हैं, जो परिसम्पति अथवा देयता, प्रत्यक्ष (यथा मूल्य के रूप में) अथवा अप्रत्यक्ष (मूल्यों से उत्पन्न), के लिए ध्यान दिए जाने योग्य हैं।

ग) स्तर 3 - इस वर्गीकरण में इनपुट के उपयोग से मापन किए गए वे वित्तीय लिखतें शामिल हैं जो सुस्पष्ट बाजार डेटा (अस्पष्ट इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

42

विवरण	स्तर-1	स्तर-2	स्तर-3
31 मार्च 2024 को	शून्य		
उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय देनदारियाँ:			
कुल			
31 मार्च 2023 को	शून्य		
उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय देनदारियाँ:			
कुल			

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (जारी)...

43 वित्तीय विवरणों पर सामग्रीगत प्रभाव उपलब्ध न होने की स्थिति में वित्तीय लिखतों की परिशोधन लागत को उनके वहन मूल्य के समान ही माना जाता है। दीर्घकालिक सुरक्षा जमा के मामले में वित्तीय विवरणों पर कोई सामग्रीगत प्रभाव न होने के कारण डिस्काउंटिंग नहीं की जाती है।

44 कंपनी द्वारा, विदेशी इकाईयों ("मध्यस्थों") सहित, किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा इकाई (इकाईयों), को किसी निधि का अग्रिम अथवा ऋण अथवा उनमें निवेश (ऋण निधियों अथवा शेयर प्रीमियम अथवा अन्य अन्य स्रोतों अथवा निधियों के स्वरूप में), इस निर्धारण के साथ, लिखित अथवा अन्य स्वरूप में, नहीं किया गया है कि मध्यस्थ द्वारा कंपनी ("अंतिम लाभग्राही") अथवा कंपनी की ओर से किसी भी प्रकार से, संज्ञान में लिए गए अन्य व्यक्तियों अथवा इकाईयों को, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऋण दिया जाएगा अथवा उनमें निवेश किया जाएगा अथवा अंतिम लाभग्राही की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा समान प्रकार की सुविधा प्रदान की जाएगी।

45 कंपनी द्वारा, विदेशी इकाईयों ("मध्यस्थों") सहित, किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा इकाई (इकाईयों), से इस निर्धारण के साथ किसी निधि की प्राप्ति, लिखित अथवा अन्य स्वरूप में, नहीं हुई है कि कंपनी द्वारा निधियन पार्टी ("अंतिम लाभग्राही") की ओर से, किसी भी प्रकार से संज्ञान में लिए गए अन्य व्यक्तियों अथवा इकाईयों को, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऋण दिया जाएगा अथवा उनमें निवेश किया जाएगा अथवा अंतिम लाभग्राही की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा समान प्रकार की सुविधा प्रदान की जाएगी।

46 वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई लाभांश घोषित अथवा चुकता नहीं किया गया है।

47 कंपनी द्वारा अपनी लेखा बहियों के साथ 26एएस / एआईएस / टीआईएस फार्म का समाधान किए जाने की प्रक्रिया की जा रही है। समाधान पूरा होने के पश्चात लेखा बहियों में प्रविष्टियां, यदि कोई हों, की जाएगीं।

48 कंपनी द्वारा दिनांक 24.03.2021 की अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट अनुसूची ।।। के संशोधनों के अनुसार प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित डेटा का समेकन / संग्रहण करने की प्रक्रिया की जा रही है। कार्य पूरा होने के पश्चात डेटा / प्रकटीकरण प्रस्तुत किए जाएंगे।

49 क) इंड एएस वित्तीय विवरणों सभी राशियों का प्रकटीकरण तथा उनकी प्रस्तुति, यदि कहीं अन्यथा उल्लेख नहीं है, निकटतम लाख रुपए में राउंड ऑफ करके की गई है।

ख) जहां कहीं आवश्यकता हुई है वहां तुलना किए जाने के उद्देश्य से पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुन:समूहन / पुन: प्रस्तुति की गई है।

ग) दिनांक 01.04.2016 से अनुसूची ।।।(डिवीजन ।।) की अपेक्षा के अनुसार परिसम्पतियों एवं देयताओं के चालू वर्ष के आंकड़ों का समूहन, चालू तथा गैर-चालू के अंतर्गत, वित्तीय तथा गैर-वित्तीय परिसम्पतियों के रूप में किया गया है।

घ) निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण जारी किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

50 अपनी पूंजी के प्रबंधन के दौरान कंपनियों का उद्देश्य गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रहने की अपनी क्षमता की रक्षा करना है जिससे कि शेयरधारकों के लिए प्रतिफल एवं अन्य स्टेकधारकों लाभ प्राप्त होने जारी रह सकें तथा अन्य हितधारकों के लिए लाभ प्रदान करना जारी रख सके तथा ऋण एवं इक्विटी के लिए उपयुक्त पूंजी संरचना को बरकरार रखा जा सके। निदेशक मंडल (बीओडी) का प्रारंभिक दायित्व अपने निवेशकों, ऋणदाताओं एवं बाजार विश्वास को बरकरार रखने तथा व्यवसाय के संवहनीय भावी विकास के लिए निधियों के उपयोग का विवेकी प्रबंधन करना तथा वित्तीय बाजारों में उपलब्ध अवसरों से स्रोतण के माध्यम से सुदृढ़ पूंजी आधार का अनुरक्षण करना एवं पूंजी लागतों को न्यून करना है। कंपनी की नीति कंपनी के सभी विद्यमान एवं संभावित जोखिमों को कम करने, शेयरधारक, विक्रेता और बाजार के विश्वास को बरकरार रखकर कंपनी की उन्नति एवं विकास की संवहनीयता का पोषण करने की है। कंपनी, कंपनी के जोखिम प्रोफाइल को प्रभावित किए बिना, स्वतंत्रता, सुरक्षा, साथ ही उच्च वित्तीय लोचकता के सुनिश्चय के लिए एक सुदृढ़ इक्विटी आधार को बनाए रखने की ओर ध्यान केन्द्रित कर रही है। पूंजी संरचना के अनुरक्षण अथवा समायोजन के उद्देश्य से कंपनी द्वारा यथासंभव आवश्यक उपाय किए जाएंगे।

कंपनी ने दीर्घकालिक ऋण इक्विटी अनुपात की मॉनीटरिंग की है जो निम्नानुसार है :

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
दीर्घकालिक ऋण (दीर्घकालिक ऋणों की चालू परिपक्वता सहित)	**12000.00**	18000.00
इक्विटी (पूंजी रिजर्व सहित)	**178434.29**	237446.71
इक्विटी अनुपात के प्रति दीर्घकालिक ऋण	**0.07**	0.08

51 **वित्तीय जोखिम कारक** -

कंपनी के क्रियाकलापों से कंपनी के सम्मुख बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम एवं नकदी जोखिम जैसे अनेक वित्तीय जोखिम व्याप्त होते हैं। कंपनी का प्रमुख ध्यान वित्तीय बाजारों की अस्थितरता के पूर्वानुमानों की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करना तथा अपने वित्तीय निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली संभावनाओं को न्यूनतम करना है।

जोखिम	जोखिम के कारक	मापन	प्रबंधन
बाजार जोखिम – ब्याज दर	परिवर्तनीय दरों पर अल्पकालिक ऋण	संवेदी विश्लेषण	कंपनी ने सभी ऋण प्रतिस्पर्धी ब्याज पर प्राप्त किए हैं। हेजिंग के उद्देय से कंपनी ने कोई डेरियेटिव प्राप्त नहीं किाय है।
क्रेडिट जोखिम	नकदी एवं नकदी समतुल्य तथा व्यापार प्राप्य	कालक्रम विश्लेषण	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बैंक जमा का विविधिकरण। कंपनी के प्रमुख प्राप्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से हैं।
नकदी जोखिम	ऋण एवं अन्य देयताएं	नकदी प्रवाह में उतार चढ़ाव के पूर्वानुमान	पर्याप्त नकदी एवं नकदी समतुल्यों का अनुरक्षण

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (जारी)...

क) बाजार जोखिम :

i) ब्याज दर जोखिम - कंपनी द्वारा ऋण की प्राप्ति परिवर्तनीय ब्याज दरों पर की गई है। इस प्रकार कंपनी के सम्मुख ब्याज दर में परिवर्तन का जोखिम है। कंपनी के ऋणों का मूल्य वर्ग भारतीय रुपए मुद्रा है।

विवरण	**31.03.2024 को**	**31.03.2023 को**
परिवर्तनीय ऋण दर	**149526.45**	157561.05
निश्चित ऋण दर	**30000.00**	30000.00
योग ऋण	**179526.45**	187561.05
ii) संवेदनशीलता - ब्याज दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप ऋणों के प्रति उच्चतर / कम लागत के प्रति लाभ अथवा हानि संवेदी हैं। नीचे दी गई तालिका में लाभ अथवा हानि पर ब्याज दरों में होने वाली बढ़ोतरी / कमी के प्रभाव का सार दिया गया है।		
कर पूर्व लाभ पर प्रभाव		
विवरण	**31.03.2024 को**	**31.03.2023 को**
ब्याज दर – 50बीएससी प्वांइट की वृद्धि	**-7,47.63**	-7,87.81
ब्याज दर – 50बीएससी प्वांइट की वृद्धि	**7,47.63**	7,87.81

ख) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम का अभिप्राय काउंटर पार्टी द्वारा अपने दायित्व में चूक किया जाना तथा उसके परिणामस्वरूप वित्तीय हानि होना है। रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार क्रेडिट जोखिम की अधिकतम व्याप्तता व्यापार प्राप्यों से हैं। तदनुसार, नीचे दिए गए पैराग्राफ में व्यापार प्राप्यों का मूल्यांकन अन्य सभी वित्तीय परिसम्पतियों से अलग किया गया है।

(i) व्यापार प्राप्यों पर क्रेडिट जोखिम

व्यापार प्राप्य मुख्यत: अप्रतिभूत होते हैं तथा इनकी उत्पति ग्राहकों से प्राप्त होने वाले राजस्व से होती हैं। प्रमुख व्यापार प्राप्यों की प्राप्ति अनुबंधों के निष्पादन से होती है। कंपनी द्वारा किए गए वसूली विश्लेषण के आधार पर इन्हें अच्छा माना गया है।

कंपनी के प्रमुख ग्राहक, दायित्वों का निर्वाह करने के प्रति सक्षम, केन्द्र /राज्य सरकार की उपयोज्यताएं हैं तथा तदनुसार चूक का जोखिम नगण्य है। इसके अलावा, स्थापित भुगतान सुरक्षा तंत्रव्यवस्था एवं ऐतिहासिक भुगतान व्यवहार के आधार पर प्रबंधन का ऐसा मानना है कि देय तिथि से 30 दिन के प्राप्यों की पूर्ण प्राप्ति की जा सकती है। उपरोक्त कारकों तथा लागू विनियमों को विचार मे लेते हुए, प्रारंभिक स्वीकृति तथा उसके पश्चात प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को व्यापार प्राप्यों के प्रति क्रेडिट जोखिम निरंतर नगण्य है।

(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रति क्रेडिट जोखिम

कंपनी का ऐसा मानना है कि ऐसी वित्तीय परिसम्पतियां, जिनमें अक्षमता हानि नहीं है, तथा विचाराधीन रिपोर्टिंग तिथियों के पूर्व बकाया की क्रेडिट गुणवत्ता अच्छी है। अपनी वित्तीय परिसम्पतियों से सम्बद्ध क्रेडिट जोखिमों को कवर करने के लिए कंपनी ने कोई आनुशंगिक अथवा अन्य संवर्धन नहीं किए हैं। इसके अलावा, नकदी एवं नकदी समतुल्यों का धारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में किया गया है तथा इनमें कोई महत्वपूर्ण क्रेडिट जोखिम नहीं है।

ग) नकदी जोखिम

नकदी के संबंध में कंपनी के प्रमुख स्रोत नकदी एवं नकदी समतुल्य हैं जो परिचालनों से उत्पन्न होते हैं। कंपनी अपनी नकदी की आवश्यकताओं का प्रबंधन नकदी प्रवाह की निरंतर निगरानी के माध्यम से करती है तथा नकदी एवं नकदी समतुल्यों का पर्याप्त अनुरक्षण करती है। किसी प्रकार की न्यूनता ज्ञात करने के लिए निवल नकदी अपेक्षाओं की तुलना उपलब्ध नकदी से की जाती है। अल्पकालिक नकदी की अपेक्षाओं के अंतर्गत मुख्यत: व्यापार देय, दीर्घकालिक ऋणों की चालू परिपक्वता आदि होती है जो प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को व्यवसाय के सामान्य क्रम से उत्पन्न होती है। कंपनी अपनी अल्पकालिक नकदी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नकदी एवं नकदी समतुल्यों के पर्याप्त शेष का अनुरक्षण करती है। अपनी दीर्घकालिक नकदी अपेक्षाओं के मूल्यांकन के लिए कंपनी आवधिक आधार पर मूल्यांकन करती है तथा आंतरिक उत्पतियों के माध्यम से उनका प्रबंधन करती है।

52 वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बेंगलूरू संयंत्र, एन.एस. यूनिट तथा आरओ कोलकाता के संबंध में विभिन्न विक्रेताओं को बिलों का भुगतान करने के प्रति 115.56 लाख रुपए के गैर- प्रावधान किए गए थे। यह पुष्टि की जाती है कि समान राशि के प्रावधान / भुगतान का लेखांकन वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विधिवत कर लिया गया है।

53 इंडएएस 115 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी हुआ है। इस मानक का प्रमुख सिद्धांत यह है कि इकाई द्वारा प्रतिबद्ध माल एवं सेवाओं का अंतरण ग्राहक को उस राशि पर करके राजस्व की स्वीकृति करनी है जिसकी प्राप्ति की अपेक्षा की पात्रता इकाई को ऐसे माल एवं सेवाओं का अंतरण किए जाने के प्रति है।

हमारे समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार
कृते **बी के रामध्यानी एंड कंपनी एलएलपी**
सनदी लेखाकर
फ़र्म पंजीकरण नं. 002878एस/एस200021

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

वासुकी एच एस	**शालिनी घटक**	**राजीव श्रीवास्तव**	**राजेश राय**
साझेदार	कंपनी सचिव	निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एम.सं. 212013	सीएस नं. ए43488	डीआईएन : 08921307	डीआईएन : 10052045

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक :28.05.2024

अनुबंध – 1

31.03.2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए संबंधित पार्टी लेनदेन (समेकित) का प्रकटीकरण

32. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

क) एसोशिएट/संयुक्त उद्यम

उद्यम का नाम	व्यवसाय का स्थान	कंपनी द्वारा धारित स्वामित्व हित		गैर-नियंत्रण हितों द्वारा धारित स्वामित्व हित		प्रमुख गतिविधियां
		31.03.2024 को	31.03.2023 को	31.03.2024 को	31.03.2023 को	
इंडिया सैटकॉम लिमिटेड	इंडिया	49.06%	49.06%	50.94%	50.94%	वीसैट विनिर्माण एवं सर्वीसिंग

ख) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का विवरण:

₹. In Lakhs

निदेशकों / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के नाम	31.03.2024 को सामाप्त तिमाही के लिए	31.03.2024 को सामाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को सामाप्त वर्ष के लिए
श्री राजेश राय – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	10.12	39.97	4.12
श्री राजीव श्रीवास्तव – निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकरी	7.34	28.88	24.22
श्री सी वी रमण बाबू, निदेशका (विपणन)	8.21	8.21	
श्रीमती एस जेयंति – निदेशक (उत्पादन) 20.05.2023 से प्रभावी और निदेशक–मानव संसाधन-अतिरिक्त प्रभार	6.83	25.88	2.04
श्रीमती आर वसंती-निदेशक (उत्पादन) अतिरिक्त प्रभार 19.05.2023 तक*	-	3.31	2.04
श्रीमती शालिनी घटक-कंपनी सचिव (06.07.2023 से प्रभावी)*	2.89	8.41	-
श्री आर एम अग्रवाल – पूर्व - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	-	-	8.87
श्री राकेश चंद्र तिवारी – पूर्व निदेशक (विपणन)	-	35.28	45.98
श्री डी वेंकटेश्वरूलू – पूर्व – निदेशक (उत्पादन)	-	-	42.07
श्रीमती शनमुगा प्रिया – पूर्व - कंपनी सचिव	-	-	16.20
डॉ राजा नायक-स्वतंत्र निदेशक	0.50	1.50	1.80
श्री श्री बिलेश्वर सिन्हा – स्वतंत्र निदेशक	0.30	1.20	1.30
श्रीमती ममता पलारिया – स्वतंत्र निदेशक	0.30	1.30	1.80

*वर्ष का अंश

ग) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के इतर संबंधित परतियों के साथ लेनदेन निम्नानुसार है (पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में दर्शित है) :-

Particulars	एसोशिएट/संयुक्त उद्यम
	इंडिया सेटकॉम लिमिटेड
माल का क्रय	शून्य
माल की बिक्री	
सेवाएँ प्रदान करना	
प्राप्त सेवाएँ	
प्राप्त किराया (लीज़)	
ब्याज आय	
निवेश पर लाभांश आय	
31.03.2024 पर बकाया ऋण (ब्याज सहित)	
31.03.2024 पर बकाया व्यापार देनदारियाँ	
31.03.2024 पर बकाया प्राप्य व्यापार	
31.03.2024 पर इक्विटी में निवेश	40.55 लाख रु. (40.55 लाख)
31.03.2024पर बकाया कराया के लिए अग्रिम	शून्य

घ.)	संबंधित पार्टियों के साथ निपटाए गए सभी लेनदेन सरल रूप में पहुँच के आधार पर है।
ङ)	सभी बकाया शेष राशि (ऋण के इतर) असुरक्षित हैं और अगले 6 महीनों के अंदर नकद में प्रतिदेय है। ऋण के बकाया शेष राशि के लिए नीचे टिप्पणी ज का संदर्भ लें।
च)	**संबंधित पार्टियों को ऋण :**
	शून्य
छ)	**कर्मचारियों की प्रतिनियुक्त सहित प्रबंध अनुबंध:-**
	शून्य
ज.)	"सरकार एवं सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेन :- जैसा कि आईटीआई संचार मंत्रालय (एमओसी) के नियंत्रणाधीन एक सरकारी संस्था है, सरकार एवं सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेन के संबंध में भारतीय लेखा मानक 24 के अधीन अपेक्षित अनुसार कंपनी ने विवरणात्मक प्रकटीकरण का प्रावधान किया है। भारतीय लेखा मानक 24 के अधीन अपेक्षित अनुसार, व्यक्तिगत रूप में महत्वपूर्ण लेनदेन नीचे दिये जाते हैं : - 1. शेयरों की पुनर्खरीद। 2. जारी बोनस। 3. प्रदत्त लाभांश।

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में आईटीआई लिमिटेड के सदस्यगण,

भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसरण में आईटीआई लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की रिपोर्ट

भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसरण में कंपनी के वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित समेकित वित्तीय विवरणों की हमारे द्वारा लेखापरीक्षित एवं निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 28 मई, 2024 को अनुमोदित एवं हमारे द्वारा समतिथि को रिपोर्ट की गई रिपोर्ट, भारत को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के उपबंधों के अनुसरण में की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान की गई टिप्पणियों के आलोक में, संशोधित की गई है। तदनुसार, यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 28 मई, 2024 की हमारी पूर्व लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अधिक्रमण करती है। दिनांक 28 मई, 2024 को जारी हमारी मूल लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि के पश्चात घटित घटनाओं के प्रति हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं पूर्णत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किए गए प्रेक्षणों तक ही सीमित हैं।

मत का प्रकटीकरण

हमारी सेवाएं आईटीआई लिमिटेड ('कंपनी') के लिए 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के तुलनपत्र, समेकित लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह विवरण, इक्विटी परिवर्तन विवरण युक्त भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार निर्मित संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार संक्षेप तथा अन्य स्पष्टकारी सूचना (एतद्वारा समेकित वित्तीय विवरण 'एसएफएस' के नाम से संदर्भित) की लेखापरीक्षा के लिए प्राप्त की गई थीं।

हम कंपनी के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों पर अपने किसी मत की अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हैं। ऐसा हमारी रिपोर्ट के 'मत प्रकटीकरण के आधार' में वर्णित उन मामलों के प्रभाव के कारण है जिनके संबंध में हम इन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपने लेखापरीक्षा मत की अभिव्यक्ति के आधार की प्रस्तुति के लिए पर्याप्त एवं यथोचित लेखापरीक्षा प्रमाण एकत्र नहीं कर पाए हैं।

मत के प्रकटीकरण का आधार

1) निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 29 मई, 2023 को अनुमोदित 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण की रिपोर्टिंग पूर्व लेखापरीक्षक मैसर्स जीआरएसएम एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा समतिथि की रिपोर्ट के माध्यम से की गई थी। इस रिपोर्ट के माध्यम से, उन्होंने उक्त समेकित वित्तीय विवरण के 'अर्हक मत के आधार' भाग में वर्णित मामलों के महत्व के कारण अपने मत की अर्हता तथा समेकित वित्तीय विवरणों एवं उक्त वित्तीय वर्ष से संबंधित मदों के प्रभाव का परिमाण निर्धारित करने / उनका पता लगाने की अपनी असमर्थता की अभिव्यक्ति की थी। उनकी अर्हता तथा प्रेक्षणों का प्रभाव चालू वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर जारी रह सकता है। प्रबंधन की ओर से हमें चालू वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित इन मदों के प्रभाव की अर्हता हमें उपलब्ध नहीं करवाई गई है तथा तदनुसार, हम इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं।

2) इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी एसए 510 – प्रारंभिक लेखापरीक्षा कार्य – प्रारंभ शेष के संदर्भ में, हमने 31 मार्च, 2024 तक समेकित वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई परिसम्पतियों एवं देयताओं की कुछ मदों के विवरण एवं उनकी वर्तमान स्थिति का विवरण मांगा था। प्रबंधन द्वारा हमें 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार उक्त तुलन पत्र में से अग्रेषित क्रमशः 3,563.55 लाख रुपए और 10,652.02 लाख रुपए के संचयी नामे तथा क्रेडिट शेष एवं क्रमश: समान खाते में दर्शाए गए 3,690.45 लाख रुपए और 15,500.23 लाख रुपए के नामे एवं क्रेडिट शेष का अपेक्षित ब्रेकअप एवं उनकी वर्तमान स्थिति की प्रस्तुति नहीं की गई थी। इन खातों का सारांश इस रिपोर्ट के अनुलग्नक – घ में प्रस्तुत है।

3) यथोचित कोडिंग / क्रॉस -रेफ्रेंस प्रणाली (समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 1 में संदर्भित) न होने के कारण कंपनी द्वारा भूमि (फ्रीहोल्ड/लीजहोल्ड) रिकार्ड तथा सिविल इंजीनियरिंग विभाग ('सिविल') द्वारा अनुरक्षित विस्तृत रिकार्ड की सह-सम्बद्धता नहीं की जा सकी है। संज्ञान में आए दस्तावेजों की सभी विसंगतियां एवं अन्य मामले सिविल द्वारा अनुरक्षित रिकार्ड पर आधारित हैं। सदस्यों का ध्यान हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैराग्राफ 1(सी) में वर्णित मामलों की ओर आकर्षित किया जाता है जिनके संबंध में कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जानी अपेक्षित है तथा जिनके संबंध में हमने ऐसी भूमि की विस्तृत पहचान न कर पाने की अपनी असमर्थता व्यक्त की है जो कंपनी के नाम नहीं है। कंपनी के नाम से हक विलेख होने से संबंधित अन्य अनेकों विसंगतियां हैं।

4) समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 1 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें भूमि एवं भवनों से संबंधित देय सम्पति की स्वीकृति या तो अनुमानों के आधार पर किए जाने अथवा राजस्व प्राधिकरणों से मांग प्राप्त न होने / अथवा सिविल में उपलब्ध परिसम्पति रिकार्ड के अनुसार भूमि लंबित अपेडेशन / समाधान के कारण निर्धारण न किए जाने का उल्लेख है। यथोचित रिकार्ड प्राप्त न होने के कारण से स्वीकृत प्रावधानों की पर्याप्तता / पूर्णता / शुद्धता, स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों पर होने वाले प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सका है।

5) कंपनी के स्वामित्व वाली / पट्टे पर प्राप्त भूमि एवं भवनों (बिक्री / पट्टा विलेख, उनकी स्थिति, सम्पति के उपयोग के उद्देश्य, सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) एवं निवेश सम्पति (आईपी) में किए जाने वाले वर्गीकरण, उनसे संबंधित परिशोधन किए जाने अथवा न किए जाने की अपेक्षा, उनसे उत्पन्न आय आदि) का अपेक्षित विवरण हमें प्रस्तुत नहीं किया गया था। 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार ऐसी परिसम्पतियों की मूल लागत तथा उनका ह्रासित मूल्य क्रमश: 7,657.03 लाख रुपए तथा 7,592.54 लाख रुपए है। कंपनी द्वारा भूमि एवं भवनों की कुछ मदों पर 334.91 लाख रुपए की आय स्वीकृत की गई है तथापि उनसे संबंधित पट्टा समाप्त हो गया है और हमारी जानकारी के अनुसार इसका नवीकरण अभी नहीं हुआ है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान इंडएएस 40 – निवेश सम्पति के अनुसार कंपनी द्वारा निवेश सम्पति के उचित मूल्य, उनके उचित मूल्य के निर्धारण के आधार, ऐसी परिसम्पतियों से उत्पन्न किराया आय एवं किराया आय उत्पन्न करने वाली निवेश परिसम्पतियों के प्रत्यक्ष परिचालन व्यय (मरम्मत एवं अनुरक्षण सहित) प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

6) सामग्रीगत महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के उपबंधों के अनुसरण में कंपनी द्वारा किसी परिसम्पति में इंडएएस 36 'परिसम्पतियों की अक्षमता हानि के अनुसरण में व्याप्त अक्षमता हानि के परीक्षण का मूल्यांकन किए जाने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7) 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार बेंगलूरु प्लांट में पूंजी कार्य प्रगति पर में निम्नलिखित परिसम्पतियां शामिल की गई हैं जो हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार उपयोग में लाई जा रही है परन्तु प्रकट रूप में जिन्हें कुछ दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण उपयोग में लाया जा रहा है। हम संबंधित दस्तावेजों के साथ उनके वहन मूल्य/ उपयोग काल विवरण का सत्यापन एवं समेकित वित्तीय विवरणों में उनकी मूल्यह्रास स्वीकृति न किए जाने के प्रभाव की स्वीकृति नहीं कर पा रहे हैं।

परिसंपत्तियों का विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार वहन मूल्य (रुपए लाख में)
नवीन डेटा केन्द्र	2,669.45
अन्य पूंजी कार्य प्रगति पर	3,923.39
एनआईएफटी भवन (संदर्भ नोट 2 से एसएफएस)	6,582.06

8) कंपनी ने स्वयं द्वारा इंडएएस 116 – पट्टे के भावार्थ में पट्टेदार / पट्टादाता के रूप में किए गए पट्टा अनुबंधों की स्वीकृति नहीं की है तथा न ही इसके परिणामस्वरूप लेखांकन नीति के विपरित स्वीकृति, मापन के सिद्धांतों को अंगीकार किया है और न ही प्रकटीकरण किए हैं परन्तु अनुबंध के उपबंधों के अनुसार लाभ अथवा हानि विवरण में प्राप्य / देय किराए का व्ययन / आय के रूप में स्वीकृति की है। इंडएएस 109 – वित्तीय प्रपत्र के भावार्थ के अनुसरण में इससे संबंधित चुकता / प्राप्त सुरक्षा जमा की स्वीकृति लाभ अथवा हानि विवरण में नहीं की गई है।

9) कंपनी के पास टैली प्राइम सॉफ्टवेयर (लेखा बही) में तैयार किए जाने वाले विशिष्ट बिलों के प्रति प्राप्त होने वाले भुगतान के विनियोजन की कोई प्रणाली नहीं है तथा इसके लिए तैयार किए जाने वाले बिलों एवं प्राप्त भुगतानों के लिए मात्र एक रनिंग एकाउंट का ही उपयोग किया जा रहा है। ऐसा होने से कंपनी के पास कुछ एक्सेल वर्किंग है जिसके आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्दिष्ट व्यापार प्राप्यों से संबंधित कालक्रम वार डेटा प्रस्तुत किया जाता है। हम प्रस्तुत किए गए कालक्रम वार डेटा का स्वतंत्र सत्यापन लेखा बहियों के साथ नहीं कर सकते हैं तथा हमने एक्सेल कार्यप्रणाली का ही उपयोग किया है। इसके अलावा, शेष राशियों की पुष्टि की प्राप्ति / लेखा बहियों के साथ लेखा विवरणों का मिलान की प्रक्रिया भी कंपनी द्वारा नहीं की गई है। स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण के नोट 4 (बी) और 7 में प्रस्तुत डेटा का भी सत्यापन हम नहीं कर पाए हैं। व्यापार प्राप्यों में 18,099.63 लाख रुपए और 1,95,310.44 लाख रुपए की राशियां शामिल हैं जो 6 महीने से अधिक परन्तु एक वर्ष से कम के ऋण और एक वर्ष से अधिक और तीन वर्षों तक/उससे अधिक के ऋण को दर्शाते हैं। कंपनी द्वारा इंडएएस 109 - 'वित्तीय प्रपत्र' के उपबंधों के अनुसरण में संभावित क्रेडिट हानि के प्रमात्रा का मूल्यांकन एवं स्वीकृति नहीं की गई है तथा इससे संबंधित अपेक्षित प्रकटीकरण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

10) कंपनी ने चालू वित्तीय परिसम्पतियों के अंतर्गत शामिल निम्नलिखित मदों के संबंध में अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण (संभावित क्रेडिट हानियां) के प्रावधान नहीं किए हैं जिनकी वसूली भी संदेहास्पद है :

(क) सी-डॉट से 2005-06 से 2010-11 तक की अवधि में पट्टे पर प्रदान किए गए परिसरों के किराए के प्रति 5,847.90 लाख रुपए की राशि वसूलीय है।

(ख) कंपनी की मनकापुर यूनिट के संबंध में आईटीआई, एचसील एवं अल्काटेल के मध्य किए गए अनुबंध के आधार पर व्यय की गई अधिक राशि के प्रति 1,690.20 लाख रुपए की राशि एचसीएल इंफोसिस्टम्स लिमिटेड से मुआवजे के रूप में वसूलीय है।

(ग) हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्यूनिकेशंस लिमिटेड से निर्णित हर्जाने के प्रति 1,049.41 लाख रुपए की राशि वसूलीय है।

(घ) माइंडएरे से साख पत्र के नकदीकरण के प्रति 1,023.00 लाख रुपए की राशि वसूलीय है।

(ङ) दक्षिण पश्चिम रेलवे से भूमि की बिक्री के प्रति प्रतिफल की 2,908.02 लाख रुपए की राशि वसूलीय है।

(च) दावे एवं व्यय शीर्ष के अंतर्गत शामिल 344.48 लाख रुपए (ब्यौरा उपलब्ध नहीं) की राशि वसूली है।

(छ) तदनुसार, यदि कंपनी द्वारा ऋण हानियों के प्रति प्रावधान किए होते तो वर्ष के दौरान हानि काफी उच्चतर होती तथा निवल चालू परिसम्पतयों में 12,863.01 लाख रुपए की कमी आती।

11) कंपनी को वर्ष 2014-15 के दौरान 1% की वहनीय ब्याज दर पर संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार से 30,000 लाख रुपए का साफ्ट ऋण प्राप्त हुआ था। बाजार ऋण दर पर विचार के पश्चात इस ऋण के उचित मूल्य की स्वीकृति नहीं की गई थी। कंपनी द्वारा वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं की पहचान इंडएएस 109 के भावार्थ के अनुसार नहीं की गई है तथा ऐसा करके स्वीकृति, मापन, मापन के सिद्धांतों का अनुसरण एवं उनसे संबंधित प्रकटीकरण नहीं किए गए हैं।

12) 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार 22,220.13 लाख रुपए के बही मूल्य के एनआरवी की विभिन्न स्थलों / भंडारों में रखी अनेक पुरानी मदों में शामिल मालसूचियों का विवरण उपलब्ध नहीं करवाया गया है। कंपनी की विभिन्न स्थलों पर रखी गई मालसूचियों में पुरानी मालसूचियां शामिल हैं तथा इनके कालातीत होने के निर्धारण के लिए कालक्रम, उपयोगिता एवं सेवायोज्यता के मूल्यांकन नहीं किए गए हैं। कंपनी ने, हमें दी गई सूचना के अनुसार, किए गए भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है तथा किसी प्रकार की अधिकता/कमी की सूची सुलभ रूप से उपलब्ध न होने के कारण हम यह सत्यापन नहीं कर पा रहे हैं कि क्या लेखा बहियों में किसी प्रकार के समायोजन किए जाने अपेक्षित थे अथवा नहीं थे। विभाजक विवरण प्रस्तुति करने वाली मालसूचियों की सुलभ सूची हमें उपलब्ध नहीं करवाई गई थी जिसके कारण हम कच्चे माल और उत्पादन भंडार, निर्माण अनुबंधों के अंतर्गत जारी की गई सामग्रियों, गैर-उत्पादन भंडार, उत्पादन / संस्थापन की प्रक्रिया के कार्य, निर्मित घटकों, तैयार माल, भंडार मिलान लेखा, मार्गस्थ सामग्री एवं जांच प्रक्रिया के लिए लंबित माल से संबंधित पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं। हमने विभिन्न एक्सेल शीट में प्रस्तुत की गई सूचियों का उपयोग किया तथा हम भंडार रिकार्डों का स्वतंत्र सत्यापन लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 6 में प्रस्तुत राशियों के साथ नहीं कर पाए हैं। पूर्ण डेटा उपलब्ध न होने के कारण हम ऐसे भंडारों तथा स्पेयर्स के मूल्यांकन से संबंधित पर्याप्त यथोचित लेखापरीक्षा प्रमाण इस आशय से प्राप्त नहीं कर सके हैं कि क्या ये इंडएएस 2 – मालसूचियां के अनुसरण में हैं अथवा नहीं हैं।

13) कुछ चालू/गैर-चालू देयताओं के बारे में प्रत्येक देय राशि से संबंधित सम्पूर्ण विवरण / प्रकृति तथा कालक्रम, लंबित होने के कारण, पार्टियों द्वारा दावा न किए जाने के कारण, पुष्टि/लेखा विवरण/ समाधान की प्रस्तुति नहीं की गई थी।

14) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत विक्रेताओं से संबंधित सूचना के प्रकटीकरण के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण के नोट 17(सी) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार विक्रेताओं की पहचान की प्रक्रिया लंबित है तथा जिसके परिणामी प्रभाव से उक्त अधिनियम की धारा 23 के ब्याज ब्याज, यदि कोई हो, के संबंध में हुए समेकित वित्तीय विवरणों पर परिणामी प्रभाव ज्ञात नहीं किए जा सके हैं।

15) कंपनी ने प्रारंभिक स्वीकृति की तिथि से 12 माह की अवधि (उदाहरण : स्वीकृत / चुकता कर्मचारियों से विभिन्न प्राप्यों, देय धारित धन, सुरक्षा जमा आदि) से आगे की अपनी उन सभी वित्तीय परिसम्पतियों देयताओं के बारे में परिशोधन लागत एवं देय / प्राप्य अनुबंध राशियों के मध्य की भिन्नता पर व्यय / आय के परिशोधन / स्वीकृति के निर्धारण के उद्देश्य से इंडएएस 109 'वित्तीय प्रपत्र' की अपेक्षा के अनुसार उचित मूल्यांकन नहीं करवाया है।

16) कंपनी ने अपनी सभी यूनिटों के लिए आईटीआई कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट ("पीएफ ट्रस्ट) में अंशदान किया गया है जिसके लिए सामग्री लेखांकन नीतियों के प्वांइट 22(ई) में किए गए उल्लेख को परिभाषित अंशदायी योजना के रूप में विचार में लिया गया है तथा इसे चालू वर्ष एवं पूर्व वर्षों, दोनों, के लिए विचारित परिभाषित हितलाभ योजना के रूप में विचार में नहीं लिया गया है। तदनुसार, ट्रस्ट के प्रति देयता का बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार स्वीकृति की जानी चाहिए न कि वर्ष के दौरान पात्र वेतन के 12% के अनुसार। इसके लिए अपेक्षित परिणामी प्रकटीकरण इंडएएस 19 – कर्मचारी हितलाभ के अनुसार प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

17) कंपनी द्वारा कर्मचारी मृत्यु हितलाभ योजना के प्रति कर्मचारियों से संबंधित अपनी देयता के लिए बीमांकिक मूल्यांकन नहीं किए गए हैं जो किसी भी वर्ष में कर्मचारियों से की जाने वाली वसूलियों एवं उनके ब्याज से उपलब्ध निधियों तथा मृतक कर्मचारियों के प्रति देय राशि में न्यूनता के कारण देय हो सकते हैं।

18) कंपनी ने लेखा बहियों का समाधान अपनी सभी यूनिटों / डिवीजनों / कॉर्पोरेट कार्यालयों की जीएसटी विवरणियों (टर्नओवर, छूट प्राप्त टर्नओवर, देय कर, उपलब्ध एवं प्रयुक्त इनपुट कर क्रेडिट तथा स्रोत पर कर कटौती) के साथ नहीं किया है तथा यह उपलब्ध न होने के कारण हम स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों पर होने वाले प्रभाव ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं। कंपनी को अपने प्राप्त अग्रिमों की जांच तथा संबंधित अनुबंधों के आधार पर प्राप्त संबंधित अग्रिमों के वस्तु एवं सेवा भाग की पहचान करनी चाहिए तथा प्राप्त अग्रिमों के ऐसे सेवा भाग पर जीएसटी के विप्रेषण का सुनिश्चय करना चाहिए। कंपनी द्वारा अनुपालन एवं अपेक्षित यथोचित कार्रवाई के संबंधित मामलों की जांच की जा सकती है। वस्तु एवं सेवा भाग के यह विभाजक लंबित होने के कारण हम यह ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं कि अग्रिमों एवं उनके परिणामी ब्याज के प्रति यदि किसी प्रकार की जीएसटी देयता है तो क्या उसके लिए लेखा बहियों में प्रावधान किए गए हैं अथवा नहीं किए गए हैं। कंपनी ने क्रमश: वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 से अपनी बहियों एवं किए गए कुछ पंजीकरणों की विवरणियों की टर्नओवर के समाधान के प्रति वार्षिक विवरण की प्रस्तुति नहीं की है जबकि इसकी प्रस्तुति सीजीएसटी नियमावली, 2016 के नियम 80 के अंतर्गत की जानी अपेक्षित है।

19) कंपनी ने बहियों के साथ आयकर पोर्टल वेबसाइट पर फार्म 26एएस एवं एआईएस की प्रविष्टियों का समाधान नहीं किया है। उपलब्ध अपर्याप्त डेटा / समाधान के कारण हम फार्म 26एएस/ एआईएस/टीआईएस में की गई प्रविष्टियों तथा इनसे संबंधित अग्रिम कर / धनवापसियों / विवादित कर, यदि कोई हो, के लिए समेकित वित्तीय विवरण में किए परिणामी प्रकटीकरण की स्वतंत्र वैधता नहीं कर पा रहे हैं।

20) समेकित वित्तीय विवरण के नोट 31 में दिए गए विवरण के अनुसार कंपनी ने आकस्मिक देनदारियों और पूंजी प्रतिबद्धताओं के बारे में ज्ञात सीमा तक रिपोर्टिंग की है। यथोचित विधिक परामर्श, जहां लागू है, के साथ संबंधित देयताओं की व्यवहार्यता के परीक्षण सहित कंपनी की सभी डिवीजनों को पूर्ण एवं विस्तृत सूची उपलब्ध न होने के कारण हम उक्त नोट में रिपोर्ट किए गए मूल्यों की पूर्णता / सटीककता को एवं इनके संबंध में अपेक्षित किसी प्रावधान का निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं।

21) कंपनी द्वारा इंडएएस 115- ग्राहकों से राजस्व के भावार्थ के अंतर्गत सुस्पष्ट निष्पादन दायित्व के रूप में ग्राहकों के प्रति वारंटी दायित्वों को न तो संज्ञान में लिया है तथा जब कभी ये दायित्व उत्पन्न होते हैं तो इनकी स्वीकृति इस तर्क के साथ की जाती है कि इनके संबंध में सामान्यत: इसका अपने विक्रेताओं से बैक-टू-बैक दावा है। कंपनी द्वारा किए गए प्रत्येक अनुबंध में ऐसे अधिकारों के उल्लेख वाले अपेक्षित दस्तावेज हमें प्रस्तुत नहीं किए हैं।

22) 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार पालक्काड यूनिट को अपने कुछ ग्राहकों से 51 लाख रुपए की राशि की प्राप्ति हुई है जिसका लेखांकन लेखा बहियों में इस कारण से नहीं किया गया है कि प्रबंधन अपने द्वारा उत्पन्न विशिष्ट इनवॉयसों के साथ इनकी प्राप्तियों का मापन नहीं कर पा रही है। तदनुसार, 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार कंपनी के बैंक शेष में 51 लाख रुपए की राशि की न्यूनोक्ति तथा लेखा प्राप्य शेष में समान राशि की अत्योक्ति हुई है। (बलाराम एंड नंदकुमार, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी दिनांक 24 मई, 2024 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार)

23) कंपनी ने अधिनियम की अनुसूची III के भाग II के उपबंधों के अनुसरण में नीचे दिए गए अपेक्षित डेटा का संकलन एवं अपेक्षित डेटा का प्रकटीकरण नहीं किया है।

क्र.सं.	प्रस्तुत न किए गए अपेक्षित प्रकटीकरण
1.	निवेश सम्पति का उचित मूल्य
2.	भंग कंपनियों के साथ सम्बद्धता

24)

क) समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 22 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें कंपनी द्वारा रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के साथ किए गए एक अनुबंध की स्थिति का उल्लेख किया है जो सहमत शर्तों पर आर्मी स्टेटिक स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क (एएससीओएन) की आपूर्ति एवं स्थापना से संबंधित है। इस अनुबंध के उपबंधों के अंतर्गत कंपनी से अपनी क्षमताओं एवं साथ ही ग्राहक की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए सम्पूर्ण समाधान युक्त एक अनिवार्य प्रस्तुति किए जाने की अपेक्षा की गई थी जिसका मूल्यांकन ग्राहक द्वारा किया जाना था तथा हो टैस्ट बैड मूल्यांकन प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग था। उक्त नोट में उल्लिखित कारणों के साथ हमें सूचित किया गया है कि 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार टैस्ट बैड अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है तथा इसकी प्राप्ति कुछ वर्णित क्रियाओं के पूर्ण होने पर होनी अपेक्षित थी। कंपनी द्वारा टैस्ट बैड अनुबंध के लंबित अनुमोदन के साथ आंशिक निष्पादन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है तथा कंपनी प्रबंधन के मतानुसार इससे 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार पहले से ही स्वीकृत 1,48,686.48 लाख रुपए की राशि के राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं होगा। हमने कंपनी द्वारा दी गई प्रस्तुति को विश्वास में लिया है तथा स्वीकृत राजस्व के प्रति अपने किसी स्वतंत्र मत की कोई अभिव्यक्ति नहीं की है।

ख) कंपनी ने एक ग्राहक के साथ एक निर्दिष्ट क्षेत्र में नेटवर्क के कार्यान्वयन के लिए 2,48,954.87 लाख रुपए के कुल सहमत मूल्य (ओ एंड एम तथा करों के अलावा) का अनुबंध किया है। यह अनुबंध पूर्ण नहीं होने पर भी इसके प्रति कंपनी ने 2,36,701.57 लाख रुपए के राजस्व की स्वीकृति दी है। प्रतिशत पूर्णता उपलब्ध न होने के कारण हमें राजस्व स्वीकृति के समर्थन के लिए यथोचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त नहीं हो सके हैं।

ग) कंपनी की राजस्व स्वीकृति की लेखाप्रणाली कार्य पूर्णता के प्रतिशत पर आधारित है। कंपनी की प्रत्येक अनुबंध की कुल लागतों के पुनर्मूल्यांकन तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को व्यय की जाने वाली लागतों के संबंध में प्रलेखन प्रणाली अपर्याप्त है जो ग्राहक द्वारा कार्य पूर्णता के साक्ष्यांकित एवं प्रमाणित डेटा, ऐसे कार्य जो पूर्ण हुए हैं परन्तु जिसका प्रमाणन अभी नहीं हुआ है तथा कार्य की प्रगति पर व्ययित लागत के आंतरिक मूल्यांकन पर आधारित है। कंपनी द्वारा वर्ष के अंत तक 2,17,467.63 लाख रुपए के बिल न किए गए राजस्व की स्वीकृति भी की गई है। इनमें 31 मार्च, 2023 तक बिल न किए गए उस राजस्व की स्वीकृति भी शामिल है जिसके बिल कार्य के प्रमाणन के पश्चात ग्राहक को 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार नहीं किए गए हैं। कंपनी ने हमें बिल न किए गए राजस्व का ऐसा विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे बिल किए जाने से पूर्व प्राप्त उस उपलब्धि की पहचान संभव हो सके जिसके बिल अभी जारी नहीं किए गए हैं तथा जिसकी उक्त उपलब्धि के संबंध में आगे की जाने वाली लागतों का वहन अभी किया जाना है तथा व्यय की जाने वाली ऐसी संभावित लागतों के अनुमान प्रमाणन की प्राप्ति के उद्देश्य से फिर से लगाए जा रहे हैं / बदलाव किए जा रहे हैं। तदनुसार, हमें राजस्व स्वीकृति के संबंध में यथोचित एवं पर्याप्त लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं।

25) समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 22 तथा नोट 25 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें कंपनी ने "व्यापक शीर्षों के अंतर्गत बिक्री" एवं "व्यापक शीर्षों के अंतर्गत सेवा आय" (नोट22), "व्यापक शीर्षों के अंतर्गत माल क्रय" (नोट 25 (ए)) तथा व्यापक शीर्षों के अंतर्गत सेवा व्यय" (नोट 25(बी)) का ब्यौरा उपलब्ध करवाया है। हम प्रस्तुत इस ब्यौरे का लेखा बहियों से मिलान की स्वतंत्र वैधता नहीं कर पा रहे हैं तथा हमने इस वर्किंग का उपयोग किया है।

26) समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 31 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें कंपनी द्वारा किए गए अन्यथा अनुपालन की रिपोर्ट की गई है। हमारा यह मानना है कि निदेशक मंडल की बैठकों के कोरम, लेखापरीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, स्टेकधारक संबंध समिति तथा जोखिम प्रबंधन समिति के गठन से संबंधित अन्यथा अनुपालन के संबंध में सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ है। पर्याप्त त्वरित डेटा / सूचना उपलब्ध न होने के कारण हम उक्त नोट में राशियों का स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं। कंपनी ने हमारे सम्मुख यह पुष्टि की है कि उक्त अन्यथा अनुपालन किसी प्रकार की लापरवाही के कारण से न होने के उल्लेख के साथ स्टॉक एक्सचेंजों के सम्मुख जुर्माने से छूट प्रदान किए जाने के प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए हैं तथा यह भी कि पिछले वर्ष बीएसई / एनएसई द्वारा छूट प्रदान की गई थी। तदनुसार, कंपनी का यह मानना है कि इन जुर्मानों के प्रति भी समान आधार पर छूट प्रदान की जाएगी। जुर्माने तथा ब्याज के प्रावधान न किए के परिणाम तथा तथा एकल वित्तीय विवरणों पर होने वाले परिणामी प्रभाव ज्ञात नहीं किए जा सके हैं।

व्यवहार में लाए गए ऊपर उल्लिखित सभी मामलों के संबंध में समान:

विविध / ज्ञात न किए जा सके मिथ्या वर्णनों, यदि कोई हों, से संबंधित संभावित परस्पर क्रिया, उनमें व्याप्त एवं उनमें संभावित, समेकित वित्तीय विवरणों पर संभव, वैयक्तिक एवं संचयी प्रभाव, जो सामग्रीगत एवं व्यापक हो सकता है, तथा तदनुसार जो मत की अस्वीकृति का आधार हैं, के विचार हम अपने मत के निर्धारण के लिए पर्याप्त यथोचित लेखापरीक्षा प्रमाण नहीं कर पाए हैं।

गोइंग कंसर्न से संबंधित सामग्रीगत अनिश्चितता

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी का निवल घाटा 56,906 लाख रुपए है। कंपनी की गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रहने की क्षमता पर संदेह व्यक्त कर सकने वाली घटनाओं एवं स्थितियों के बावजूद भी प्रबंधन के मतानुसार, भारत सरकार से प्राप्त अनवरत सहयोग, निष्पादित की जा रही पर्याप्त मार्जिन वाली आर्डर बुक के उच्च मूल्य, बैंकों द्वारा ऋण के रूप में पहले से ही स्वीकृत कार्यशील पूंजी की पर्याप्तता, अनुबंध उपलब्धियों को अगले 12 माह में बिल न किए गए राजस्व का बिल किए गए राजस्व में परिवर्तित करने, समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 31 में वर्णित बिल किए गए बकायों के संग्रहण की वसूली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के विचार से गोइंग कंसर्न के लेखांकन का आधार यथोचित है। इस मामले पर हमारे मत में कोई संशोधन नहीं किया गया है। इसके संबंध में इस रिपोर्ट के अनुलग्नक – क के पैरा (xix) के अंतर्गत हमारी टिप्पणियों का भी संदर्भ लें।

मामले का प्रभाव

क. रूग्न औद्योगिक कंपनी अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार जब कंपनी रूग्न कंपनी घोषित की गई थी तब आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित वित्तीय सहायता के अंतर्गत पूंजी व्यय के लिए कंपनी को निधियां प्राप्त हुई थीं।

ख. कंपनी द्वारा निर्दिष्ट अनुपात के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों तथा कंपनी सचित की नियुक्ति से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया है।

ग. केरल सरकार से पुन:धारण की सूचना प्राप्ति के पश्चात भी कंपनी सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के अंतर्गत 77 एकड़ माप की भूमि के 19,470 लाख रुपए के वहन मूल्य का वहन कर रही है जो इसके संबंध में शीर्ष न्यायालय में कंपनी की ओर से दाखिल विवाद न्यायाधीन होने के कारण है।

(उपरोक्त मामले के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के नोट संख्या 31 का संदर्भ लें।)

इन मामलों के संबंध में हमारे मत में संशोधन नहीं किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन के दायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम की धारा 134(5) ("अधिनियम") में वर्णित मामलों के संबंध में अन्य व्यापक आय, नकदी प्रवाह एवं कंपनी की इक्विटी परिवर्तन सहित कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन की सत्य एवं स्वच्छ छवि प्रस्तुत करने वाले इन समेकित वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति, अधिनियम की धारा 133 में किए गए निर्धारण के अनुसार भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का अनुसरण करके निर्मित करने के प्रति उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में, कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा तथा जालसाजियों एवं अन्य अनियमितताओं से उनके बचाव के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों के रखरखाव करना; उचित लेखांकन नीति का चयन एवं उपयोग करना; औचित्यपरक एवं विवेकसम्मत निर्णय निर्धारण करना एवं अनुमान लगाना; तथा सत्य एवं स्वच्छ प्रस्तुत करने वाले एवं प्रत्येक प्रकार सामग्रीगत मिथ्या विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों का निर्माण करने एवं प्रस्तुत करने के सुनिश्चय के उद्देश्य से अभिकल्प करने, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं पूर्णत के लिए प्रभावी प्रक्रिया कर रहे है, का कार्यान्वयन एवं सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व भी शामिल है।

यदि प्रबंधन की मंशा परिचालनों को बन्द करने अथवा ऐसा करने के अलावा कोई अन्य विकल्प न होने के कारण कंपनी का ऋणशोधन करने की नहीं है तो प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों के निर्माण के दौरान गोइंग कंसर्न के आधार पर कंपनी की क्षमता का मूल्यांकन करने, यथा लागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन के आधार के लिए गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों एवं उनका उपयोग करने के प्रति उत्तरदायी है।

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के प्रति भी उत्तरदायी है।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के प्रति लेखापरीक्षकों के दायित्व

हमारा दायित्व लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसरण में समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा करना तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है। तथापि, हमारी रिपोर्ट के मत के प्रकटीकरण के आधार भाग में वर्णित मामलों के कारण हम समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा मत की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त यथोचित लेखापरीक्षा प्रमाण एकत्र नहीं कर पाए थे।

हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता की आचार अपेक्षाओं तथा कंपनी के संबंध में लागू विधियों एवं विनियमों के अंतर्गत निर्धारित आचार अपेक्षाओं के प्रति कंपनी से स्वतंत्र हैं।

अन्य मामले

हमने कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों (एफएस) में शामिल मानकपुर, रायबरेली, श्रीनगर, नैनी एवं पालक्काड घटक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है तथा इन समेकित वित्तीय विवरणों (अंतर-यूनिट शेषों एवं संव्यवहारों के अलावा) में 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार 1,93,893.25 लाख रुपए की कुल परिसम्पतियां एवं इसी तिथि को समाप्त वर्ष की कुल आय 19,023.13 लाख रुपए दशाई गई है। इन घटक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा घटक लेखापरीक्षकों ने की है एवं इनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारे मतानुसार, इन घटक के संबंध में शामिल की गई राशियों एवं प्रकटीकरणों की सम्बद्धता केवल इन घटक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ ही है।

इन मामलों के संबंध में हमारे मत में संशोधन नहीं किया गया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट

1) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के उपबंधों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') की अपेक्षानुसार के अनुसार हम आदेश के पैराग्राफ 3 तथा 4 में निर्दिष्ट मामलों का विवरण **अनुलग्नक - क** में प्रस्तुत कर रहे हैं जो हमारे स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के 'मत के प्रकटीकरण के आधार' खंड में वर्णित मामलों के संभावित प्रभाव एवं समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी रिपोर्ट के अधीन हैं।

2) अधिनियम की धारा 143 की अपेक्षाओं के अनुसरण में हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :-

क) हमने, मत के प्रकटीकरण के आधार के खंड किए गए वर्णन के अनुरूप, हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, लेखापरीक्षा के उद्देश्य से प्रत्येक सूचना तथा स्पष्टीकरण की मांग की है परन्तु हमें प्रत्येक सूचना एवं स्पष्टीकरणों की प्राप्ति नहीं हो पाई थी।

ख) हमारे मतानुसार, मत के प्रकटीकरण के आधार के खंड में वर्णित मामलों के अलावा, कंपनी द्वारा विधिक अपेक्षाओं के अनुसार लेखा बहियों का उचित रखरखाव किया गया है, जो कि हमें इन बहियों के संबंध में हमारी जांच से प्रतीत हुआ है।

ग) कंपनी के किसी शाखा कार्यालय के लेखों की लेखापरीक्षा की रिपोर्ट उप-धारा (8) के अंतर्गत कंपनी के लेखापरीक्षक के अलावा अन्य व्यक्ति तैयार करके हमें उक्त उप-धारा के परन्तुक के अंतर्गत तथा उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट के लिए प्रयोग में लाई गई प्रणाली के अनुसार भेजी गई है।

घ) मत के प्रकटीकरण के आधार के खंड में वर्णित मामलों के अलावा, इस रिपोर्ट में वर्णित अन्य व्यापक आय, इक्विटी परिवर्तन विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण सहित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

ङ) ऊपर मत के प्रकटीकरण के आधार के खंड में वर्णित मामलों के संभावित परिणामों के कारण हम यह उल्लेख करने की स्थिति में नहीं है कि क्या उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के साथ पठित यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2021 के अनुरूप हैं अथवा अनुरूप नहीं हैं।

च) ऊपर मत के प्रकटीकरण के आधार के खंड में वर्णित मामलों के संभावित परिणामों के कारण हम यह उल्लेख करने की स्थिति में नहीं है कि क्या इनसे कंपनी की कार्यशीलता पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव होगा अथवा नहीं होगा।

छ) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के प्रावधानों के अंतर्गत निदेशक (निदेशकों) की अनर्हता के संबंध में जारी दिनांक 5 जून, 2015 की जीएसआर-463 (ई) कंपनी के मामले में लागू नहीं है क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

ज) लेखों के अनुरक्षण एवं उससे सम्बद्ध अन्य मामलों के बारे में रिजर्वेशन / संशोधन का वर्णन उपर्युक्त पैरा 2(बी) के साथ पठित मत के प्रकटीकरण के आधार खंड में किया गया है।

झ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता से संबंधित विवरण **"अनुलग्नक-ख"** में प्रस्तुत हमारी पृथक रिपोर्ट में दिया गया है। हमारी रिपोर्ट में कारणों के उल्लेख के साथ वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मत के प्रकटीकरण की अभिव्यक्ति की गई है।

ञ) ऊपर मत के प्रकटीकरण के आधार के खंड में वर्णित मामलों के संभावित प्रभाव के अलावा कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014, यथासंशोधित के नियम 11 के अनुसरण में, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं कि:-

i. हमें ज्ञात हुए लंबित मुकदमों का कंपनी की वित्तीय स्थिति पर होने वाले प्रभाव का कंपनी द्वारा किया गया प्रकटीकरण स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट 31 में किया गया है।

ii. सामग्रीगत संभावित हानियों, यदि कोई हों, से संबंधित लागू विधियों अथवा लेखांकन मानकों की अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी ने डेरियेटिव अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों के लिए प्रावधान किए हैं। कंपनी ने कोई व्युत्पन्न अनुबंध नहीं किया।

iii. कंपनी से निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में वर्ष के दौरान किसी राशि का अंतरण किया जाना अपेक्षित नहीं है।

iv) (क) प्रबंधन द्वारा यह प्रस्तुति दी गई है कि, अपनी जानकारी एवं विश्वास, लेखांकन नोटों में किए गए प्रकटीकरण के अलावा, के अनुसार कंपनी द्वारा विदेशी इकाईयों, ''मध्यस्थों'' सहित किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा इकाई (इकाईयों) को किसी निधि का अग्रिम अथवा ऋण नहीं दिया गया है अथवा निवेश (ऋण पर प्राप्त निधियों अथवा शेयर प्रीमियम अथवा अन्य स्रोतों से अथवा अन्य प्रकार की निधियों में किसी में से) इस सहमति, लिखित अथवा अन्यथा स्वरूप में, के साथ नहीं किया गया है कि मध्यस्थ द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, कंपनी अथवा कंपनी की ओर से (''अंतिम लाभग्राहियों'') अन्य व्यक्तियों अथवा निर्धारित इकाईयों को ऋण अथवा उनमें निवेश अथवा कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा, अंतिम लाभग्राहियों की ओर से किसी प्रकार की प्रतिभूति प्रदान की जाएगी;

(ख) अपनी जानकारी एवं विश्वास, लेखांकन नोटों में किए गए प्रकटीकरण के अलावा, के अनुसार कंपनी को विदेशी इकाईयों (''निधियन पार्टियों'') सहित किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा इकाई (इकाईयों) से ऐसी किसी निधि की प्राप्ति इस सहमति, लिखित अथवा अन्यथा स्वरूप में, के साथ नहीं हुई है कि कंपनी द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, किन्हीं व्यक्तियों अथवा निर्धारित इकाईयों को किसी भी स्वरूप में कंपनी अथवा निधियन पार्टी (''अंतिम लाभग्राहियों'') की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा, अंतिम लाभग्राहियों की ओर से किसी प्रकार की प्रतिभूति प्रदान की जाएगी;

(ग) हमारे द्वारा औचित्यपरक एवं संगत परिस्थितियों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा के आधार; हमारे जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे यह विश्वास स्थपित हो सके कि उप-खंड (क) एवं (ख) में की गई प्रस्तुति में किसी प्रकार का कोई मिथ्या कथन है।

v. कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित अथवा चुकता नहीं किया गया है। तदनुसार, इस उप-खंड के बारे में कोई रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

vi. कंपनी द्वारा, नेटवर्क सिस्टम यूनिट्स ('एनएसयू') के मामले के अलावा, जिनमें उनके द्वारा उपयोग में लाए जा रहे लेखांकन साफ्टवेयर में अपेक्षित फीचर्स नहीं है, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपनी लेखा बहियों का अनुरक्षण एडिट लॉग वर्जन ('टैली प्राइम™1 एवं 'इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट सिस्टम ('आईएमएमएस')) के फीचर्स वाले विविध लेखांकन साफ्टवेयर के उपयोग से किया गया है। एनएसयू के अलावा की गई कुछ परीक्षण जांचों एवं प्रबंधन के साथ हुई चर्चाओं सहित हमारे परीक्षण के आधार पर हमारा यह मत है कि टैली प्राइम एडिट लॉग वर्जन साफ्टवेयर में आडिट ट्रेल (एडिट लॉग) रिकार्डिंग की सुविधा है तथा वर्ष के दौरान इसका उपयोग संबंधित तिथियों (नीचे दी गई तालिका में संदर्भ) में में कार्यान्वयन करके किया गया है। इसके अलावा पालक्काड यूनिट द्वारा 'आईएमएमएस' साफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है जिसमें आडिट ट्रेल (एडिट लॉग) रिकार्डिंग की सुविधा है तथा पालक्काड यूनिट के लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी दिनांक 25 मई, 2024 की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी के आधार पर इसे पूर्ण अवधि के दौरान उपयोग में लाया गया है। नीचे टैली प्राइम (एडिट लॉग) सुविधा का कार्यान्वयन एवं उपयोग, नीचे दी गई विभिन्न तिथियों में, करने वाली अन्य यूनिटों / आरओ का विवरण दिया गया है:

इकाई/क्षेत्रीय कार्यालयों का नाम	"टैली प्राइम (लॉग संपादित करें)" के कार्यान्वयन की तिथि
क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलूरु	07.03.2023
क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई	07.03.2023
क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई	06.03.2023
क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद	07.03.2023
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ	29.03.2023
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली	09.03.2023
क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता	24.03.2023
क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर	07.03.2023
निगमित कार्यालय	19.06.2023
बेंगलूरु प्लांट	13.04.2022
अनुसंधान एवं विकास	16.05.2022
मनकापुर	25.04.2023 से 29.08.2023 30.08.2023 से 31.03.2024
रायबरेली	08.08.2023
नैनी	25.08.2023
श्रीनगर	10.03.2023

कार्यान्वयन किए जाने की उपर्युक्त तिथियों तक आडिट ट्रेल रिकार्डिंग की कोई प्रणाली नहीं थी। अत: उपर्युक्त के संबंध में हम कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11(जी) की अपेक्षाओं के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

हमने कार्यान्वयन की उपर्युक्त तिथियों के पश्चात की अवधि में आडिट ट्रेल फीचर के साथ किसी प्रकार छेड़छाड किए जाने की कोई स्थिति नहीं पाई है।

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 3(1) के परंतुक चूंकि 1 अप्रैल, 2023 से लागू हैं अत: रिकार्ड प्रतिधारण से संबंधित सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार आडिट ट्रेल के प्रतिधारण के संबंध में कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11(जी) के अंतर्गत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

सम्बद्ध कंपनी के लेखापरीक्षकों द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11(जी) की अपेक्षाओं के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गई है। तदनुसार, हम इसके अनुपालन के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं।

अधिनियम की धारा 143(5) की अपेक्षाओं के अनुसार हमने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों को विचार में लिया है तथा उसके संबंध में की गई कार्रवाई तथा कंपनी के लेखों एवं स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों पर हुए उसके प्रभाव का विवरण **''अनुलग्नक ग''** में प्रस्तुत है।

कृते बी.के.रामध्यानी एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 002878एस/एस200021

(सीए वासुकी एच एस)
साझेदार
सदस्यता संख्या 212013
यूडीआईएन: 24212013बीकेसीएलटीके 1103

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 31 जुलाई, 2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक "क"

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के इंडएएस वित्तीय विवरण के संबंध में आईटीआई लिमिटेड के सदस्यों को संबोधित समतिथि की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाएं' खंड के पैराग्राफ 1 तथा उपर्युक्त मत के प्रकटीकरण के आधार के खंड में वर्णित मामलों के संभावित प्रभावों एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी अलग रिपोर्ट के साथ पठन किए जाने की शर्त के संदर्भ में हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

आईटीआई लिमिटेड के सदस्यों को संबोधित "अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाएं" की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में संदर्भित अनुलग्नक-क

1. (क) (क) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी द्वारा मात्रात्मक विवरण, स्थिति, यूनिटों एवं सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण ("पीपीई") की परिसम्पति कोडिंग प्रणाली के मध्य परिसम्पति अंतरणों सहित पर्याप्त रिकार्ड प्रदर्शित करने वाले विवरणों का अनुरक्षण नहीं किया गया है, इसका विस्तृत विवरण समेकित वित्तीय विवरणों के नोट के फुटनोट में भी दिया गया है। सकल ब्लॉक एवं संचित मूल्यह्रास के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशियों का समाधान पीपीई/जीएल रिकार्डों के साथ जाना लंबित है। विभिन्न डिवीजनों / यूनिटों पर भूमि रिकार्डों का समाधान कॉर्पोरेट कार्यालय / संबंधित डिवीजनों/ यूनिटों तथा संबंधित परिसम्पति रजिस्टरों के साथ किया जाना आवश्यक है तथा यह विलंबित होने के कारण हम आदेश के पैराग्राफ 3(i)(ए)(ए) के प्रति कोई रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं।

(ख) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर कंपनी के पास 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार कोई अमूर्त परिसम्पतियां नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप आदेश के पैराग्राफ 3(i)(ए)(बी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी द्वारा संपति, संयंत्र एवं उपकरण का भौतिक सत्यापन नही किया गया है तथा तदनुसार हम आदेश के पैराग्राफ 3(i)(ख) पर कोई टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं।

(ग) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 1 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें कॉर्पोरेट कार्यालय/ यूनिटों के अपूर्ण भूमि रिकार्डों के संबंध में किए गए अनेक प्रेक्षण शामिल हैं तथा जिनका समाधान कॉर्पोरेट कार्यालय / संबंधित डिवीजनों / यूनिटों में रखे गए दस्तावेजों / रिकार्डों के साथ किया जा रहा है। जिन मामलों में कंपनी पट्टेदार है, उनके संबंध में कुछ पट्टा करार कंपनी के पक्ष में विधिवत रूप से निष्पादित नहीं किए गए हैं, ऐसे पट्टा करारों का नवीकरण/ अंतिमकरण किया जाना लंबित है। इसके अलावा, समेकित वित्तीय विवरण के नोट 1 में उल्लिखित कारणों से हम यह टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं कि क्या नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अचल सम्पतियों के हक विलेख कंपनी के नाम से धारित हैं अथवा नहीं हैं। तदनुसार, हम आदेश के पैराग्राफ 3(i)(सी) की अपेक्षा के अनुसार कोई टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं।

सम्पति का स्वरूप	सकल वहन मूल्य (रुपए लाख में)	किस के नाम से धारित	क्या प्रोमोटर, निदेशक अथवा उनके संबंधी अथवा कर्मचारी हैं	धारण की अवधि – रेंज, यदि लागू है, का उल्लेख करें	कंपनी के नाम से धारित न होने के कारण (यदि विवादित है तो उल्लेख करें)	इकाई
भूमि	19,470	केरल सरकार द्वारा हक पुन: प्राप्त किया गया	नहीं	10 वर्ष से अधिक	कंपनी द्वारा पुन: प्राप्ति का दावा किया गया है	पालक्काड
भूमि	9,282	पूर्ण बिक्री विलेख अभी निष्पादित नहीं हुआ है	नहीं	10 वर्ष से अधिक	लंबित	नैनी
भूमि	11,620	पूर्ण बिक्री विलेख अभी निष्पादित नहीं हुआ है	नहीं	10 वर्ष से अधिक	भूमि अधिग्रहण के समय आईटीआई द्वारा भूस्वामियों को चुकता मुआवजे का प्रमाण प्रस्तुत न किए जाने के कारण लंबित	रायबरेली
भूमि	सुनिश्चित नहीं किया जा सकता	पूर्ण बिक्री विलेख अभी निष्पादित नहीं हुआ है	नहीं	सुनिश्चित नहीं किया जा सकता	खरीदी गई 191.03 एकड़ भूमि में से 41.77 एकड़ भूमि के लिए स्वामित्व विलेख उपलब्ध नहीं हैं।	मनकापुर
भूमि	सुनिश्चित नहीं किया जा सकता	पूर्ण बिक्री विलेख अभी निष्पादित नहीं हुआ है	नहीं	10 वर्ष से अधिक	खरीदी गई 435 एकड़ भूमि में से, 41.77 एकड़ के लिए स्वामित्व विलेख रखे गए। शेष क्षेत्र के लिए, केवल अधिकारों का रिकॉर्ड रखा जाता है।	बेंगलूरु प्लांट

(घ) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसम्पतियों (उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों सहित) अथवा दोनों का पुनर्मूल्यन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(i)(डी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है।

(ङ) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर कंपनी के प्रति बेनामी संव्यवहार (प्रतिबंध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) एवं उसके अध्याधीन नियमों के अंतर्गत बेनामी सम्पति के धारण के लिए कोई प्रकियाएं प्रारंभ नहीं की गई हैं अथवा लंबित नहीं हैं। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 3(i)(ई) के अंतर्गत रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है।

2. (क) हमें दी गई सूचना एवं प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी द्वारा सभी वर्गों मालसूचियों का गहन भौतिक सत्यापन नहीं किया है। आदेश के पैराग्राफ 3(i)(ए) के अंतर्गत हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। ये प्रेक्षण कंपनी की कुछ यूनिटों के लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए हैं तथा इनके संबंध में भी कंपनी से यथोचित लेखापरीक्षा प्रमाण / उत्तर प्राप्ति के बिना कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

(ख) हमारे मतानुसार तथा हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, मालसूचियों, बिक्रियों, ऋणदाताओं, उत्पादन एवं कंपनी द्वारा उन बैंकों को प्रस्तुत किया गया अन्य विवरण, जिनसे कार्यशील पूंजी सुविधा प्राप्त की गई है, का लेखा बहियों से त्वरित प्राप्त डेटा उपलब्ध न होने के कारण तथा लेखा बहियों में की गई अनुवर्ती प्रविष्टियों का उक्त विवरणियों के साथ परिणामी समाधान उपलब्ध न होने के कारण, हम आदेश के पैराग्राफ 3(ii)(बी) के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

3. वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित दायित्व साझेदारी अथवा अन्य पार्टियों में किसी प्रकार के निवेश नहीं किए गए हैं, किसी प्रकार की गारंटी अथवा प्रतिभूति नहीं दी गई है अथवा प्रतिभूत अथवा गैर-प्रतिभूत ऋण प्रदान नहीं किए गए हैं। तदनुसार, पैराग्राफ 3(iii)(ए) से (एफ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

4. हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर कंपनी द्वारा किसी प्रकार के ऋण प्रदान नहीं किए गए हैं, निवेश नहीं किए गए हैं अथवा अधिनियम की धारा 185 तथा 186 के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल कोई गारंटी प्रदान नहीं की गई है। तदनुसार पैराग्राफ 3(iv) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

5. कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिदेशों तथा धारा 73 से 76 के प्रावधानों तथा अधिनियम के अन्य किन्हीं प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अंतर्गत किसी प्रकार के जमा स्वीकार नहीं किए हैं। कंपनी ने अपने आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर यह प्रस्तुति दी है कि अपनी विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में धारित धन / अन्य जमा के प्रति देय राशि छूट प्राप्त जमा के अंतर्गत आती है तथा तदनुसार, अधिनियम की धारा 73 से 76 का अनुपालन किया गया है। कंपनी द्वारा पुनर्भुगतान न किए जाने से संबंधित स्पष्ट कालक्रम / प्रलेखन / कारक उपलब्ध न होने के कारण से हम इस अनुपालन के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार आदेश के पैराग्राफ 3(v) की रिपोर्टिंग के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

6. केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत रिकार्ड का अनुरक्षण निर्धारित किया गया है। हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 की लागत लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में दिए गए विवरण के अनुसार ऐसे रिकार्ड का अनुरक्षण किया है। कंपनी द्वारा अभी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लागत रिकार्डों को अद्यतन नहीं किया गया है।

7. (क) कंपनी द्वारा वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धित कर, उपकर एवं संबंधित प्राधिकरणों को देयता की तिथि से छह माह से अधिक अवधि के देय अन्य सांविधिक देयता के संबंध में वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को देय बकाया का नियमित भुगतान नहीं किया जा रहा है तथा इसका विवरण नीचे दिया गया है :

यूनिट	सांविधिक व्यवस्था का नाम	देयताओं की प्रकृति	राशि (रुपए में)	विवाद किस अवधि से संबंधित है	नियत तारीख	भुगतान की तिथि
बेंगलूरु प्लांट, एनएसयू, निगमित, श्रीनगर एवं अन्य इकाईयाँ	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	891.53	2023-2024	अनिश्चित	अनिश्चित
बेंगलूरु प्लांट, एनएसयू, निगमित, श्रीनगर एवं अन्य इकाईयाँ	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	260.14	2022-2023	अनिश्चित	अनिश्चित
बेंगलूरु प्लांट, एनएसयू, निगमित, श्रीनगर एवं अन्य इकाईयाँ	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	95.70	2021-2022	अनिश्चित	अनिश्चित
बेंगलूरु प्लांट, एनएसयू, निगमित, श्रीनगर एवं अन्य इकाईयाँ	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	132.61	2020-2021	अनिश्चित	अनिश्चित
बेंगलूरु प्लांट, एनएसयू, निगमित, श्रीनगर एवं अन्य इकाईयाँ	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	111.43	2019-2020	अनिश्चित	अनिश्चित
बेंगलूरु प्लांट, एनएसयू, निगमित, श्रीनगर एवं अन्य इकाईयाँ	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	451.07	2018-19 एवं पूर्व	अनिश्चित	अनिश्चित
मनकापुर	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	498.35	2023-2024	अनिश्चित	अनिश्चित
मनकापुर	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	641.12	2022-2023	अनिश्चित	अनिश्चित
मनकापुर	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	465.74	2021-2022	अनिश्चित	अनिश्चित
मनकापुर	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	357.10	2020-2021	अनिश्चित	अनिश्चित
मनकापुर	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	857.00	2019-2020	अनिश्चित	अनिश्चित
मनकापुर	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	591.31	2018-19 एवं पूर्व	अनिश्चित	अनिश्चित
नैनी	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	252.91	2023-2024	अनिश्चित	अनिश्चित
नैनी	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	1,557.17	2022-2023	अनिश्चित	अनिश्चित
नैनी	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	807.65	2021-2022	अनिश्चित	अनिश्चित
रायबरेली	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	396.89	2023-2024	अनिश्चित	अनिश्चित
रायबरेली	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	3,971.24	2022-2023	अनिश्चित	अनिश्चित
रायबरेली	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	620.53	2021-2022	अनिश्चित	अनिश्चित
रायबरेली	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	361.51	2020-2021	अनिश्चित	अनिश्चित
रायबरेली	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	9.36	2019-2020	अनिश्चित	अनिश्चित
रायबरेली	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	50.53	2018-19 एवं पूर्व	अनिश्चित	अनिश्चित

यूनिट	सांविधिक व्यवस्था का नाम	देयताओं की प्रकृति	राशि (रुपए में)	विवाद किस अवधि से संबंधित है	नियत तारीख	भुगतान की तिथि
पालक्काड	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	274.32	2023-2024	अनिश्चित	अनिश्चित
पालक्काड	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	51.69	2022-2023	अनिश्चित	अनिश्चित
पालक्काड	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	127.10	2020-2021	अनिश्चित	अनिश्चित
क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद	आयकर अधिनियम, 1961	टीडीएस-192	0.24	2022-2023	अनिश्चित	अनिश्चित
क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद	आयकर अधिनियम, 1961	टीडीएस-194 सी	0.14	2022-2023	अनिश्चित	अनिश्चित
क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद	जीएसटी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम	जीएसटी पर टीडीएस	0.14	2022-2023	अनिश्चित	अनिश्चित
क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद	जीएसटी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम	जीएसटी पर टीडीएस	0.20	2022-2023	अनिश्चित	अनिश्चित
क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद	जीएसटी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम	जीएसटी पर देय ब्याज	44.18	2019-2021	अनिश्चित	अनिश्चित
क्षेत्रीय कार्यालय बीबीएसआर	सेवा कर अधिनियम, 1994	सेवा कर	3.89	2018-19 एवं पूर्व	अनिश्चित	अनिश्चित
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली	सेवा कर अधिनियम, 1994	सेवा कर	83.03	2018-19 एवं पूर्व	अनिश्चित	अनिश्चित
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली	आयकर अधिनियम, 1961	टीडीएस-194 आई	0.18	2023-2024	अनिश्चित	अनिश्चित
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली	पी.टी. अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियम	पी.टी.	0.01	2023-2024	अनिश्चित	अनिश्चित
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली	पी.टी. अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियम	पी.टी.	0.01	2023-2024 से पूर्व	अनिश्चित	अनिश्चित
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली	जीएसटी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम	जीएसटी पर टीडीएस	6.51	2023-2024	अनिश्चित	अनिश्चित
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ	आयकर अधिनियम, 1961	टीडीएस-194 सी	0.08	2023-2024	अनिश्चित	अनिश्चित
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ	आयकर अधिनियम, 1961	टीसीएस देय	0.00	2022-2023	अनिश्चित	अनिश्चित
एनएसयू	जीएसटी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम	जीएसटी पर टीडीएस (गुतरात) – आईजीएसटी	1.28	2023-2024	अनिश्चित	अनिश्चित
एनएसयू	पी.टी. अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियम	पी.टी.	0.01	2022-2023	अनिश्चित	अनिश्चित
एनएसयू	ईएसआई अधिनियम, 1948	ईएसआई कर्मचारी	5.42	2023-2024 से पूर्व	अनिश्चित	अनिश्चित
एनएसयू	ईएसआई अधिनियम, 1948	ईएसआई कर्मचारी	0.07	2023-2024	अनिश्चित	अनिश्चित
एनएसयू दिल्ली	जीएसटी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम	जीएसटी टीडीएस	0.20	2023-2024	अनिश्चित	अनिश्चित
बेंगलूरु प्लांट	जीएसटी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम	जीएसटी पर टीडीएस– आईजीएसटी	36.67	2022-2023	अनिश्चित	अनिश्चित
निगमित	सेवा कर अधिनियम, 1994	सेवा कर	8.61	2018-19 एवं पूर्व	अनिश्चित	अनिश्चित
निगमित	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	212.31	2020-21 से	अनिश्चित	अनिश्चित
नैनी/रायबरेली/मनकापुर/क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ	बिक्री कर	बिक्री कर	5634.01	अनिश्चित	अनिश्चित	अनिश्चित
नैनी	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	उत्पाद शुल्क	0.44	अनिश्चित	अनिश्चित	अनिश्चित
रायबरेली	सेवा कर अधिनियम, 1994	सेवा कर	2417.74	अनिश्चित	अनिश्चित	अनिश्चित

नोट:

1) उपरोक्त सभी वैधानिक बकाया देय की प्रस्तुति पहचान तथा सभी यूनिटों/क्षेत्रीय कार्यालयों /कॉर्पोरेट कार्यालय की लेखा बहियों के साथ दस्तावेजों/आदेशों/मांग नोटिसों के लंबित समाधान के अनुसार की गई है।

2) ऊपर रिपोर्ट किए गए भविष्य निधि बकाया की कंपनी द्वारा प्रस्तुति सभी यूनिटों / क्षेत्रीय कार्यालयों/ कॉर्पोरेट कार्यालय के विभिन्न भविष्य निधि ट्रस्ट से प्राप्त करके की गई है। 6 माह से अधिक की सूचित की गई राशि विभिन्न स्प्रेडशीट में किए गए कार्यों पर आधारित हैं जिनका हम स्वतंत्र सत्यापन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनका समाधान लेखा बहियों के साथ नहीं किया गया है।

3) 'मत के प्रकटीकरण' के खंड में की गई हमारी टिप्पणियों के पैराग्राफ 18 का संदर्भ दिया जाता है जिसमें कंपनी ने अपनी सभी यूनिटों/डिवीजनों/कॉर्पोरेट कार्यालय (टर्नओवर, छूट प्राप्त टर्नओवर, देय करों, उपलब्ध तथा प्रयुक्त इनपुट कर क्रेडिट तथा स्रोत पर कर कटौति) से प्रस्तुत किए गए जीएसटी विवरणों के साथ अपनी लेखा बहियों का समाधान नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप 6 माह से अधिक की देयताओं, यदि कोई हों, को ज्ञात नहीं किया जा सका है। इसके अलावा, उक्त पैराग्राम में सूचित किए गए कारणों से उक्त पैराग्राफ में सेवाओं के संबंध में अग्रिम राशि पर जीएसटी की प्रयोज्यता ज्ञात नहीं की जा सकी है जिसके कारण इसे ऊपर रिपोर्ट नहीं किया गया है।

'मत के प्रकटीकरण' के खंड में की गई हमारी टिप्पणियों के पैराग्राफ 2 का संदर्भ दिया जाता है जिसमें इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-घ में उल्लिखित कुछ अथ शेषों का विवरण उपलब्ध न होने का उल्लेख है। लेखा बहियों के साथ समाधान किया गया त्वरित डेटा / सूची उपलब्ध न होने के कारण हम यह पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं कि क्या उक्त तालिका में सूचित सभी सांविधिक देयताएं कंपनी द्वारा देय हैं अथवा नहीं हैं। इस कारण से हम उक्त तालिका में सूचित राशियों की सटीकता / पूर्णता के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं।

(ख) कंपनी के रिकार्ड तथा हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार निम्नानुसार किसी विवाद के कारण से कुल सांविधिक देयताएं बकाया हैं :

यूनिट	सांविधिक व्यवस्था का नाम	देयताओं की प्रकृति	राशि लाख में (31.3.2024 की स्थिति के अनुसार)	विवाद किस अवधि से संबंधित है	किस फोरम में विवाद लंबित है
बेंगलूरु प्लांट	केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944	केन्द्रीय उत्पाद विभाग द्वारा साफ्टवेयर के संबंध में प्रयुक्त शून्य शुल्क दर का विवाद (पूर्व जमा निवल योग 200.00 लाख रुपए)	637.00	2003-2005	सीमाशुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपीलिय ट्रिब्यूनल
बेंगलूरु प्लांट	केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944	आर एंड डी प्रोटोटाइप माड्यूल्स के फील्ड ट्रायल पर उत्पाद विभाग द्वारा की गई मांग। स्थगन विस्तारित (पूर्व जमा निवल योग 30.00 लाख रुपए)	299.00	2006-07	सीमाशुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपीलिय ट्रिब्यूनल
बेंगलूरु प्लांट	केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम 1944	केन्द्रीय उत्पाद विभाग द्वारा साफ्टवेयर के संबंध में प्रयुक्त शून्य शुल्क दर का विवाद (पूर्व जमा निवल योग 14.00 लाख रुपए)	497.28	2001-2002 2002-2003	सीमाशुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपीलिय ट्रिब्यूनल
बेंगलूरु प्लांट	केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम 1944	केन्द्रीय मूल्य संवर्धित दर क्रेडिट	376.00	2007-2008	सीमाशुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपीलिय ट्रिब्यूनल
मनकापुर	उत्तर प्रदेश वीएटी	बिक्री कर	264.89	1986-1989	उत्तर प्रदेश सरकार
मनकापुर	उत्तर प्रदेश वीएटी	बिक्री कर	15.32	1989-1996	उत्तर प्रदेश सरकार
मनकापुर	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	6,456.79	2009-10 से 2013-14	उपकर कर, इलाहाबाद
नैनी	केन्द्रीय बिक्री कर(सीएसटी)	फार्म 'सी' के प्रति अन्य देयों एवं अतिरिक्त कर की मांग	1,013.98	2005-2006	संयुक्त आयुक्त (अपील) वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद
नैनी	केन्द्रीय बिक्री कर	फार्म 'सी' के प्रति अतिरिक्त कर की मांग	2.64	2007-08	अपर आयुक्त (अपील) वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद
नैनी	सीएसटी / उ.प्र.वीएटी / प्रवेश कर	अन्य देयों की मांग	9.23	2008-09	अपर आयुक्त (अपील) वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद
नैनी	केन्द्रीय बिक्री कर	फार्म 'सी' के प्रति अन्य देयों एवं अतिरिक्त कर की मांग	2.12	2009-10	उप आयुक्त वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद
नैनी	सीएसटी / उ.प्र.वीएटी	फार्म 'सी' के प्रति अन्य देयों एवं अतिरिक्त कर की मांग	60.57	2010-11	अपर आयुक्त (अपील) वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद
नैनी	सीएसटी	फार्म 'सी' के प्रति अन्य देयों एवं अतिरिक्त कर की मांग	10.96	2011-12	ट्रिब्यूनल, वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद
नैनी	सीएसटी / उ.प्र.वीएटी	फार्म 'सी' के प्रति अन्य देयों की मांग	146.75	2012-13	उप आयुक्त, सेक्टर 14, वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद
नैनी	सीएसटी / उ.प्र.वीएटी	कर की मांग	86.75	2013-14	उप आयुक्त, सेक्टर 14, वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद
पालक्काड	सेवा कर	सेवा कर	109.44	2010-2011	सीईएसटीएटी, बेंगलूरू
पालक्काड	सेवा कर	सेवा कर	140.34	2011-2012	सीईएसटीएटी, बेंगलूरू
पालक्काड	सेवा कर	सेवा कर	161.27	2011-2012	सीईएसटीएटी, बेंगलूरू
पालक्काड	सेवा कर	सेवा कर	2.76	2012-2013	सीईएसटीएटी, बेंगलूरू
पालक्काड	सेवा कर	सेवा कर	2.69	2012-2013	सीईएसटीएटी, बेंगलूरू

यूनिट	सांविधिक व्यवस्था का नाम	देयताओं की प्रकृति	राशि लाख में (31.3.2024 की स्थिति के अनुसार)	विवाद किस अवधि से संबंधित है	किस फोरम में विवाद लंबित है
पालक्काड	सीएसटी	बिक्री कर	28.04	2001-02	उच्च न्यायालय, ऐरनाकुलम
पालक्काड	सीएसटी	बिक्री कर	504.13	2003-04	केवीएटी ट्रिब्यूनल, पालक्काड
पालक्काड	सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर	सेवा कर	143.42	2016-17 तथा 2017-18	आयुक्त अपील, कोच्चि
पालक्काड	सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर	सेवा कर	3.93	अप्रैल 2015 से जून 2017	आयुक्त अपील, कोच्चि
पालक्काड	माल और सेवा कर	माल और सेवा कर	7,054.14	2017-18 तथा 2018-19	आयुक्त अपील, कोच्चि
रायबरेली	बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	122.53	2010-11	व्यापार कर ट्रिब्यूनल, लखनऊ
रायबरेली	बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	87.39	2014-15	व्यापार कर ट्रिब्यूनल, लखनऊ
क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलूरु	कर्नाटक वीएटी अधिनियम, 2003	टर्नओवर रोक	26.47	2013-14	वाणिज्यिक कर अधिकारी, थिरपुनिथुरा
क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलूरु	कर्नाटक वीएटी अधिनियम, 2003	टर्नओवर रोक	48.92	2014-15	अपीलिय सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, ऐरनाकुलम
क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलूरु	सेवा कर	प्राप्त रायल्टी भुगतान पर सेवा कर का भुगतान न किए जाना	44.78	2012-13 से 2014-15	केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त
क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलूरु	कर्नाटक वीएटी	टर्नओवर रोक	65.87	2012-13	उपायुक्त (अपील) वाणिज्यिक कर, ऐरनाकुलम
श्रीनगर	बिक्री कर	बिक्री कर	733.36	1987-88 से 1989-90,1996-97,1999-00, 2002-03	उच्च न्यायालय, जम्मू एवं कश्मीर
क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर	बिक्री कर	बिक्री कर	226.05	2013-14	बिक्री कर आयुक्त, भुवनेश्वर
निगमित कार्यालय	आय कर	आय कर	691.72	2017-18	आयकर आयुक्त
रायबरेली	माल और सेवा कर	जीएसटी का अतिरिक्त आईटीसी दावा	1,634.03	2017-18	उच्च न्यायालय-लखनऊ
रायबरेली	माल और सेवा कर	जीएसटी का अतिरिक्त आईटीसी दावा	225.46	2017-18	उच्च न्यायालय-लखनऊ

नोट :

ऊपर दी गई सभी विवादित सांविधिक देयों की प्रस्तुति पहचान एवं सभी यूनिटों/क्षेत्रीय कार्यालयों/कॉर्पोरेट कार्यालय के दस्तावेजों / आदेशों / मांग नोटिसों के लंबित समाधान के अनुसार की गई है। इसके कारण से हम उपरोक्त तालिका में रिपोर्ट की गई राशियों की सत्यता/पूर्णता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

8. हमें प्रदान की गई जानकारी एवं प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा हमें दी गई प्रस्तुति के अनुसार वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के कर निर्धारण के दौरान, सरेंडर किए गए अथवा प्रकटीकरण किए गए, ऐसे कोई संव्यवहार नहीं हैं जिन्हें लेखा बहियों में रिकार्ड न किया गया हो।

9. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने नीचे बताए गए बैंकों के अलावा अन्य बैंकों को ऋण के पुनर्भुगतान अथवा उसके ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है :

नामे प्रतिभूतियों सहित ऋण की प्रकृति	ऋणदाता का नाम	नियत तिथि को चुकता न की गई राशि	क्या यह मूलधन है अथवा ब्याज	लंबित अथवा अचुकता दिनों की संख्या	टिप्पणियां, यदि कोई हों
अवधि ऋण	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार	12,000 लाख रुपए (मूलधन) और 3,004.76 लाख रुपए (निर्धारित सीमा तक ब्याज)	मूलधन और ब्याज दोनों	730 दिनों तक	दूरसंचार विभाग के दिनांक 29 अप्रैल, 2022 के आदेश के आधार पर कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से पांच वर्षों के लिए स्वीकृत ऋण के 1/5 भाग का भुगतान (ऋण के उपबंधों के अनुसार) किया जाना है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 के लिए इसे चुकता नहीं किया गया है। संबंधित वर्षों के लिए शास्ति ब्याज चुकता नहीं किया गया है।
अवधि ऋण	इंडियन बैंक लिमिटेड	38.81 लाख रुपए	ब्याज	6 दिनों	उक्त चूक को बाद में सुधार लिया गया है।
अवधि ऋण	इंडियन बैंक लिमिटेड	238.00 लाख रुपए (मूलधन) और 36.04 लाख रुपए (ब्याज)	मूलधन और ब्याज दोनों	13 दिनों	
अवधि ऋण	केनरा बैंक लिमिटेड	1,000 लाख रुपए (मूलधन) और 89.59 लाख रुपए (ब्याज)	मूलधन और ब्याज दोनों	6 दिनों	

(ख) प्रस्तुत सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे सम्मुख की गई प्रस्तुति के आधार पर कंपनी को किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान अथवा सरकार अथवा किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है। तदनुसार, पैराग्राफ 3(ix)(बी) के अंतर्गत कोई रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है।

(ग) कंपनी ने बैंकों से सावधि ऋण प्राप्त किए हैं तथा हमें यह पुष्टि, अनुरक्षित दस्तावेजों एवं प्रस्तुत सूचना के आधार पर, की गई है कि आवेदित किए गए सभी आवधिक ऋणों का उपयोग उसी उद्देश्य से किया जा रहा है जिसके लिए इन्हें प्राप्त किया गया था।

(घ) कंपनी के 31 मार्च, 2024 तक के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच करने से यह ज्ञात हुआ है कि कंपनी ने कंपनी की दीर्घकालिक परिसंपत्तियों के वित्तपोषण के लिए अल्पावधि आधार पर प्राप्त 82,480.47 लाख रुपए की निधि का उपयोग किया है। हम एकल वित्तीय विवरणों के नोट 31 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें कंपनी का चालू अनुपात 1 (जो कि 0.89 है) से कम होने का उल्लेख है तथा यह इस तथ्य का संकेत भी है कि अल्पकालिक निधियों का उपयोग दीर्घकालिक परिसम्पतियों के वित्तपोषण के लिए किया गया है।

(ङ) कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र जांच से यह ज्ञात हुआ है कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सम्बद्ध कंपनियों अथवा संयुक्त उद्यमों के दायित्वों की पूर्ति के लिए किसी इकाई अथवा किसी व्यक्ति से कोई निधियां प्राप्त नहीं की हैं। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(ix)(ई) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(च) कंपनी के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी ने धारित अपनी सहायक कंपनियों, सम्बद्ध कम्पनियों अथवा संयुक्त उद्यमों की प्रतिभूतियों को रेहन रखकर किसी ऋण की प्राप्ति नहीं की है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(ix)(एफ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

10. (क) हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरणों के वर्ष के दौरान इनिशियल पब्लिक आफर अथवा फरदर पब्लिक आफर (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से धन की उत्पति नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(x)(ए) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) हमें प्रदान की गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान 10,700 लाख रुपए (प्रतिभूति प्रीमियम सहित) की राशि के प्रीफ्रेंशियल आवंटन किए हैं जो दिनांक 24 फरवरी, 2014 के पत्र के माध्यम से सूचित आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के दिनांक 12 फरवरी, 2014 के अनुमोदन से सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुनर्सरचना बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर, आईटीआई लिमिटेड को वित्तीय सहायता के रूप में, 94.61 रुपए प्रति शेयर की दर से प्रेफ्रेंशियल आधार पर इक्विटी शेयर आबंटन से संबंधित है । कंपनी द्वारा की गई प्रस्तुति के अनुसार इसका उपयोग आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार किया गया है। इसके संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62 की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है। शेयरों अथवा कनवर्टिबल लाभांशों (पूर्ण, आंशिक अथवा विकल्प के रूप में कनवर्टिबल) का निजी प्लेसमेंट नहीं किया गया है।

11. (क) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरण तथा हमारे सम्मुख प्रस्तुति के आधार पर कंपनी द्वारा अथवा कंपनी के प्रति किसी प्रकार की सामग्रीगत जालसाजी वर्ष के दौरान जानकारी में नहीं आई है अथवा रिपोर्ट नहीं की गई है। तदनुसार पैराग्राफ 3(xi)(ए) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (12) के अंतर्गत लेखापरीक्षकों द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षक एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 में किए गए निर्धारण के अनुसार फार्म एडीटी-4 में केन्द्र सरकार के सम्मुख वर्ष के दौरान तथा इस रिपोर्ट की तिथि तक कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। तदनुसार, पैराग्राफ 3(xi)(बी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ग) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरण तथा हमारे सम्मुख प्रस्तुति के आधार पर वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हीसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। चूंकि कंपनी ने इसके संबंध में कोई डेटा प्रस्तुत नहीं किया है, अत: हम उक्त आदेश के पैराग्राफ 3(xi)(c) कके अंतर्गत रिपोर्टिंग के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं।

12. हमारे मतानुसार यह कंपनी निधि कंपनी नहीं है। इस प्रकार आदेश के पैरा 3 के खंड (xii) (ए) से (सी) के अंतर्गत कंपनी की ओर से की जाने वाली रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

13. यह कंपनी एक सरकारी कंपनी है तथा इसे कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के उपबंधों के अनुसार संबंधित पार्टियों के साथ संव्यवहार किए जाने से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं धारा 178 के प्रावधानों से छूट प्राप्त है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(xiii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

14. (क) हमारे मतानुसार तथा कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं एवं आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्रव्यवस्था की समीक्षा के आधार पर कार्यात्मक आंतरिक लेखापरीक्षा होते हुए भी आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली का कार्यक्षेत्र, कवरेज एवं इसके व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप अपेक्षित आकार की नहीं है।

(ख) उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित कारणों से हमारे द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों को पूरी तरह से विचार में नहीं लिया गया है।

15. प्रबंधन द्वारा हमारे सम्मुख की गई प्रस्तुति तथा हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने निदेशकों अथवा स्वयं से संबंधित व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार के गैर-नकदी व्यवहार नहीं किए हैं। तदनुसार उक्त आदेश के पैराग्राफ 3(xv) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

16 (क) हमारे मतानुसार, कंपनी से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-। के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकरण करवाना अपेक्षित नहीं है। तदनुसार आदेश के खंड (xvi) (ए) से (सी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) हमारे मतानुसार, समूह (कोर निवेश कम्पनियां (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश 2016 में की गई परिभाषा के अनुसार) की कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है तथा तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 3(xvi)(डी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

17. कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष तथा निकटवर्ती पूर्व वित्तीय वर्ष में क्रमश: 51,579.77 लाख रुपए तथा 31,035.52 लाख रुपए के घाटे वहन किए गए हैं।

18. हमें दी गई सूचना तथा हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान किसी सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा त्यागपत्र नहीं दिया गया है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(xviii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

19. इसके संबंध में गोइंग कंसर्न आधार पर तैयार किए गए समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 31 तथा "गोइंग कंसर्न की सामग्रीगत अनिश्चितता" शीर्षक के अंतर्गत हमारे द्वारा की गई विस्तृत टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, ऐसा होते हुए भी कि कंपनी द्वारा चालू वर्ष एवं निकटतम पूर्व वर्ष के दौरान घाटे उठाए गए हैं, इसके द्वारा महत्वपूर्ण देयताओं का निवर्हन किया जाना है तथा कंपनी चालू अनुपाल एक से कम है। उपर्युक्त आधार की उपयुक्तता अन्यों के साथ साथ कंपनी द्वारा बिल न किए गए राजस्व को बिल किए गए राजस्व के संभावित परिवर्तन / प्राप्ति, बिल किए गए प्राप्यों के संग्रहन की वसूली प्रक्रिया तेज करने, नोट में दिए गए विवरण के अनुसार भारत सरकार से समर्थन जारी रहने के साथ साथ कंर्सोटियम बैंकों से प्राप्त कार्यशील पूंजी ऋण की पर्याप्त स्वीकृति पर भी निर्भर करती है। इसके अलावा, गोइंग कंसर्न की अवधारणा के बारे में, जिसके आधार पर लेखों का निर्माण किया गया है, 'इंडिया सैटकॉम लिमिटेड" की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में "अन्य विधिक एवं विनियामक मामलों की रिपोर्ट" के अंतर्गत प्वांइट संख्या 1(जी) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। इसके संबंध में, लेखापरीक्षकों का यह मत है कि कंपनी द्वारा अंगीकार किया गया गोइंग कंसर्न आधार कंपनी द्वारा आवेदित की गई योजना तथा साथ ही भुगतान गेटवे साफ्टवेयर के व्यवसायीकरण पर निर्भर है।

20. तथापि, कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 135 में निर्दिष्ट स्थितियों की पूर्ति कर ली है तथा इससे धारा 135 एवं कंपनी नियमावली, 2014 के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु कोई लाभ प्राप्त न होने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 135 लागू नहीं होती है। तदनुसार, पैराग्राफ 3(xx)(ए) एवं (बी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

21. कंपनी की एक सम्बद्ध कंपनी है जिसमें इसके पास 49.06% इक्विटी शेयर पूंजी का धारण है तथा जिसे समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है। तथापि, सम्बद्ध कंपनी की कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश (सीएआरओ) रिपोर्टों में संबंधित लेखापरीक्षक द्वारा कोई अर्हता अथवा प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। तदनुसार, उक्त आदेश के पैराग्राफ 3(xxi) के प्रावधान लागू नहीं है।

कृते बी.के.रामध्यानी एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 002878एस/एस200021

(सीए वासुकी एच एस)
साझेदार
सदस्यता संख्या 212013
यूडीआईएन: 24212013बीकेसीएलटीके 1103

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 31 जुलाई, 2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक "ख"

आईटीआई लिमिटेड के सदस्यों को संबंधित हमारे रिपोर्ट के "अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाआं की रिपोर्ट" शीर्षक भाग के पैराग्राफ 2 (i) में संदर्भित अनुलग्नक ख

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 के उप धारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रिपोर्ट

हमने आईटीआई लिमिटेड ("कंपनी") के संबंध में 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, वर्ष में समाप्त कथित तिथि के समेकित वित्तीय विवरणों के संयोजन में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के प्रति प्रबंधन के उत्तरदयित्व

कंपनी का प्रबंधन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की लेखापरीक्षा के दिशानिर्देश नोट के अनुसार इसमें उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करके कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग ("दिशानिर्देश नोट") मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदयित्वों में सम्बद्ध कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की संरक्षा, जालसाजी और चूकों को संज्ञान में लेने, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं पूर्णता के साथ साथ कंपनी आधिनियम, 2013 के अंतर्गत की गई अपेक्षाओं के अनुसार विश्वसनीय वित्तीय सूचना का समय पर निर्माण करने के साथ साथ अपने व्यवसाय का सुव्यवस्थित एवं कुशल रूप में संचलन करने के सुनिश्चय के लिए प्रचालनात्मक प्रभाव्यता से युक्त, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता का निर्माण करने, कार्यान्वयन करने एवं अनुरक्षण करने के दायित्व शामिल हैं।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदयित्व

हमारा उत्तरदायित्व, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के संबंध में मार्गदर्शी नोट एवं लेखापरीक्षा मानक, दोनों इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकांटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी, का यथा लागू अनुसरण करके हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपने मत की अभिव्यक्ति करना है।

नीचे मत के प्रकटीकरण पैराग्राफ में वर्णित मामलों के कारण हम पर्याप्त यथोचित ऐसे लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त नहीं पाए हैं जिसके आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रणाली के संबंध में लेखापरीक्षा मत की अभिव्यक्ति की जा सके।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिप्राय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर, कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रक्रिया वित्तीय रिपोर्टिंग एवं सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों से एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने की विश्वसनीयता के संबंध मे युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने की अभिकल्पित प्रक्रिया है। कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मे वे नीतियां और प्रक्रियाएं शमिल है,

(1) जिससे रिकार्डों के अनुरक्षण, युक्तिसंगत ब्यौरे, सटीकता तथा स्पष्टता के साथ कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान प्रदर्शित होता हो;

(2) जिससे यह युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध होता हो कि सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रुप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कंपनी की आय और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किया गया हैं;

(3) जिससे कंपनी की परिसंपत्ति के अनाधिकृत आधिग्रहण, प्रयोग अथवा निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध मे युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध प्राप्त होते हों तथा जो समेकित वित्तीय विवरणों को वास्तविक रुप से प्रभावित कर सकते हों ।

मत का प्रकटीकरण

हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा न तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकांटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में जारी मार्गदर्शी नोट के मापदंडों अथवा आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए हैं तथा न ही इनका परीक्षण किया गया है। इस कारण से, हम अपने इस मत की अभिव्यक्ति के आधार के लिए पर्याप्त यथोचित लेखापरीक्षा प्रमाण एकत्र नहीं कर पाए हैं कि क्या कंपनी में वित्तीय रिपोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए पर्याप्त नियंत्रण स्थापित हैं अथवा नहीं हैं तथा क्या 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से परिचालन कर रहे थे अथवा नहीं कर रहे थे।

हमने ऊपर सूचित प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा की प्रकृति, समय एवं उपयोग में लाए गए लेखापरीक्षा परीक्षणों पर विचार किया है तथा इस प्रकटीकरण से कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों संबंधित हमारा प्रभावित हुआ है तथा हमने समेकित वित्तीय विवरण पर अपने मत का प्रकटीकरण जारी किया है।

कृते **बी.के.रामध्यानी एंड कंपनी एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 002878एस/एस200021

(सीए वासुकी एच एस)
साझेदार
सदस्यता संख्या 212013
यूडीआईएन: 24212013बीकेसीएलटीके 1103

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 31 जुलाई, 2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुलग्नक ग"

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा आईटीआई लिमिटेड (समेकित) के वर्ष 2023-24 से संबंधित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा ध्यान केन्द्रित किए जाने वाले क्षेत्रों के संबंध में जारी दिशानिर्देश।

क्र.सं.	जांच के क्षेत्र	लेखापरीक्षक की टिप्पणी
1.	क्या कंपनी में सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया किए जाने की व्यवस्था स्थापित की गई है? यदि हां, तो लेखांकन संव्यवहारों को बाह्य सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से की जाने वाली प्रक्रिया से लेखों के समेकन में होने वाली कठिनाईयों तथा वित्तीय कठिनाईयों, यदि कोई हों, का विवरण प्रस्तुत करें।	मत के प्रकटीकरण के भाग वर्णित मामलों के अलावा कंपनी में अपने सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर के माध्यम से सभी लेखांकन परिवर्तनों की प्रक्रिया के लिए प्रणाली स्थापित है। सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई), मालसूची, इनवॉसिंग (बीजक तैयार करना), आर्डर संसाधन, वेतन सूची लेखांकन साफ्टवेयर से बाह्य हैं।
2.	क्या किसी विद्यमान ऋण अथवा किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए उधार/ ऋण/ब्याज इत्यादि के संबंध में कंपनी को ऋण की अदायगी न किए जाने के कारण ऋण की किसी प्रकार की पुनर्संरचना अथवा छूट / बट्टा/ किए जाने की प्रक्रिया की गई है? यदि हां, तो इससे संबंधित किसी प्रकार की वित्तीय बाध्यताएं हों तो उसका विवरण प्रस्तुत करें।	हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा की गई कंपनी के रिकार्डों की जांच के अनुसार, वर्ष के दौरान किसी विद्यमान ऋण की पुनर्संरचना नहीं की गई है तथा इसके संबंध में कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई है।
3.	क्या विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र / राज्य एजेंसियों से प्राप्त / प्राप्य से प्राप्य निधियों (अनुदान / राजसहायता) का नियमों एवं शर्तों के अनुसार उचित लेखाजोखा रखा गया है/ उचित उपयोग किया गया है? व्यतिक्रम के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।	हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर, पूंजी अनुदानों एवं राजस्व अनुदानों की रिपोर्टिंग समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 13, नोट 18 तथा नोट 12 में की गई है, हम, प्राप्त सूचना के अनुसार, कंपनी की विभिन्न यूनिटों / कॉर्पोरेट कार्यालय में की गई प्रयुक्तता / लेखांकन से संबंधित पर्याप्त यथोचित लेखापरीक्षा प्रमाण एकत्र नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा, अप्रयुक्त क्लोजिंग शेषों सहित संबंधित बैंक खातों में प्राप्तियों एवं प्रयुक्ति का सत्यापन एवं समाधान, हमारे सत्यापन के लिए त्वरित डेटा उपलब्ध न करवाए जाने के कारण, लेखाबहियों से त्वरित रूप से नहीं किया जा सका है तथा इस कारण से हम, इसके संबंध में, कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

अनुपालना प्रमाण-पत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए आईटीआई लिमिटेड के खातों की लेखापरीक्षा की और प्रमाणित किया कि हमें जारी सभी निर्देशों का अनुपालन किया है।

कृते बी.के.रामध्यानी एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 002878एस/एस200021

(सीए वासुकी एच एस)
साझेदार
सदस्यता संख्या 212013
यूडीआईएन: 24212013बीकेसीएलटीके 1103

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 31 जुलाई, 2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुलग्नक घ"

राशि रुपए में

क्रेडिट खाता बही				
इकाई/क्षेत्रीय कार्यालयों का नाम	खाता बही का नाम	डेबिट/क्रेडिट	अथशेष	इति शेष
बेंगलूरु प्लांट	अन्य वित्तीय पेरोल के लिए 14502 देनदारी	क्रेडिट	-24,97,29,132	-2,70,65,867
बेंगलूरु प्लांट	अन्य वित्तीय विविध के लिए 145.02 देनदारी	क्रेडिट	-15,17,14,635	-14,31,05,628
बेंगलूरु प्लांट	147.05 अन्य जमा	क्रेडिट	-4,40,10,101	-3,99,22,395
बेंगलूरु प्लांट	14702 सुरक्षा जमा भवन ठेकेदार	क्रेडिट	-4,24,61,366	-4,09,92,627
बेंगलूरु प्लांट	किराया जमा (अन्य देय)	क्रेडिट	-3,74,06,692	-4,10,88,534
बेंगलूरु प्लांट	ग्राहकों से अग्रिम वसूली की गई	क्रेडिट	-2,72,65,970	-2,10,58,487
बेंगलूरु प्लांट	वेतन देय	क्रेडिट	-2,68,59,014	-5,11,26,230
बेंगलूरु प्लांट	14509 ठेकेदार देयता सिविल एवं अन्य	क्रेडिट	-2,37,75,933	-2,46,35,498
बेंगलूरु प्लांट	वेतन वसूली	क्रेडिट	-2,32,43,236	-2,12,11,909
बेंगलूरु प्लांट	145.08 अन्य देनदारी – अन्य	क्रेडिट	-1,02,13,201	-1,06,13,931
बेंगलूरु प्लांट	मनकापुर के लिए पीएल नकदीकरण देनदारी	क्रेडिट	-28,22,919	-28,22,919
बेंगलूरु प्लांट	नैनी के लिए पीएल नकदीकरण	क्रेडिट	-3,55,911	-4,60,943
बेंगलूरु प्लांट	14106 अन्य व्यय एवं सेवाएँ	क्रेडिट	-1,41,540	-1,41,540
बेंगलूरु प्लांट	22506 टीए अग्रिम वेतन वसूली	क्रेडिट	-64,635	-17,479
बेंगलूरु प्लांट	226.06 अग्रिम वसूली योग्य-अन्य विविध वसूली योग्य	क्रेडिट	-1,456	-93,031
क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर	19103 सेवा कर	क्रेडिट	-3,89,165	-3,89,165
क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर	ग्राहक से अग्रिम राशि	क्रेडिट	-5,34,488	-5,34,488
क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई	18210 अन्य देयताएँ	क्रेडिट	-1,25,742	-1,21,235
क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद	विक्रेताओं से 28570 ईएमडी	क्रेडिट	-3,06,252	-28,77,792
क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद	14705 - सुरक्षा जमा राशि	क्रेडिट	-92,719	-95,31,806
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ	ठेकेदारों से 18250 रुपये जमा	क्रेडिट	-6,04,97,916	-6,02,41,881
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ	ठेकेदारों से 18250 रुपये जमा	क्रेडिट	-1,17,69,408	-1,25,13,796
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ	18260 विविध देनदारियाँ	क्रेडिट	-1,43,41,712	-76,49,013
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ	वसूली आपूर्तिकर्ता/अन्य	क्रेडिट	-43,89,145	-3,82,10,694
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ	ग्राहकों से 19400 अग्रिम राशि	क्रेडिट	-31,65,736	-64,18,05,136

इकाई/क्षेत्रीय कार्यालयों का नाम	खाता बही का नाम	डेबिट/क्रेडिट	अथशेष	इति शेष
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ	विक्रेताओं से 28570 ईएमडी	क्रेडिट	-9,25,000	-14,40,000
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ	अवैतनिक यात्रा भत्ता	क्रेडिट	-57,052	-57,052
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ	वेतन और मज़दूरी अवैतनिक	क्रेडिट	-21,156	-21,156
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ	वसूली - पेरोल	क्रेडिट	-9,500	-9,500
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ	18220 वेतन देय	क्रेडिट	-14,82,517	-13,64,682
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली	विक्रेता से सुरक्षा - बीपीएल	क्रेडिट	-5,44,048	-5,44,048
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली	14245 सुरक्षा जमा	क्रेडिट	-1,56,87,009	-1,67,17,232
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली	विक्रेता से ईएमडी - दिल्ली	क्रेडिट	-2,32,86,732	-4,64,74,939
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली	विक्रेता से ईएमडी – बीपीएल	क्रेडिट	-25,69,720	-25,69,720
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली	18220 वेतन देय	क्रेडिट	-41,96,826	-68,51,175
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली	19103 सेवा कर	क्रेडिट	-83,03,254	-83,03,254
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली	19105 राजस्थान / एमपी कर	क्रेडिट	-12,012	-12,012
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ	विविध देनदारी	क्रेडिट	-27,24,29,954	-26,74,26,405
		कुल	**-1,06,52,02,803**	**-1,55,00,23,198**

राशि रुपए में

डेबिट खाता बही				
इकाई/क्षेत्रीय कार्यालयों का नाम	**खाता बही का नाम**	**डेबिट/क्रेडिट**	**अथशेष**	**इति शेष**
बेंगलूरु प्लांट	21872 दुकानें और भवन किराये का दावा	डेबिट	9,19,95,582	9,71,42,650
बेंगलूरु प्लांट	ठेकेदारों को 225.05 रुपये का अग्रिम भुगतान	डेबिट	4,71,49,437	4,71,49,437
बेंगलूरु प्लांट	228.01 दावे और व्यय वसूली अंतर्देशीय	डेबिट	3,44,48,482	3,44,48,482
बेंगलूरु प्लांट	230.04 सुरक्षा जमा भुगतान खाता	डेबिट	3,39,64,684	3,39,37,224
बेंगलूरु प्लांट	225.07 अन्य अग्रिम वसूली बेंगलूरु प्लांट	डेबिट	2,35,76,835	2,35,76,835
बेंगलूरु प्लांट	21871 क्वार्टरों के किराये का दावा किया	डेबिट	1,83,93,414	3,26,27,524
बेंगलूरु प्लांट	228.01 बिजली डाटा सेंटर	डेबिट	1,61,61,589	90,67,535
बेंगलूरु प्लांट	230.03 जमा राशि का भुगतान - अन्य (ईएमडी)	डेबिट	69,88,737	72,12,277
बेंगलूरु प्लांट	22507 अन्य अग्रिम वसूली बेंगलूरु पीआई	डेबिट	39,59,363	39,43,655
बेंगलूरु प्लांट	22801 वजीफे का दावा	डेबिट	29,76,528	29,76,528
बेंगलूरु प्लांट	235.00 पूर्वभुगतान व्यय	डेबिट	27,60,847	21,34,831
बेंगलूरु प्लांट	22801 दक्षिण पश्चिमी रेलवे पट्टा किराया	डेबिट	21,27,813	21,27,813
बेंगलूरु प्लांट	21873 किराया दावा करें	डेबिट	13,36,670	7,39,543
बेंगलूरु प्लांट	22801 पुनर्प्राप्त करने योग्य यूटीस्टारकॉम एनजीएन निर्माण	डेबिट	10,67,771	10,67,771
बेंगलूरु प्लांट	22506 टीए एडवांस बेंगलूरु प्लांट वीयूएसएस एमयूएसएस	डेबिट	9,09,826	9,09,826
बेंगलूरु प्लांट	बिक्री कर इनपुट क्रेडिट	डेबिट	6,65,486	6,65,486

इकाई/क्षेत्रीय कार्यालयों का नाम	खाता बही का नाम	डेबिट/क्रेडिट	अथशेष	इति शेष
बेंगलूरु प्लांट	22513 मेचनोलिन्क वेल्डर	डेबिट	5,00,000	5,00,000
बेंगलूरु प्लांट	230.01 जमा टीसीएस प्राप्य	डेबिट	4,79,746	4,60,351
बेंगलूरु प्लांट	उत्पाद शुल्क इनपुट क्रेडिट / जमा	डेबिट	4,27,401	4,27,401
बेंगलूरु प्लांट	कस्टम ड्यूटी इनपुट क्रेडिट / जमा	डेबिट	3,65,627	3,65,627
बेंगलूरु प्लांट	बिक्री कर	डेबिट	3,53,690	3,53,690
बेंगलूरु प्लांट	226.13 अन्य अग्रिम वसूली योग्य	डेबिट	3,06,506	99,506
बेंगलूरु प्लांट	21873 दावे किराया जीएसटी बी2बी	डेबिट	1,79,319	3,56,519
बेंगलूरु प्लांट	222.00 अग्रिम खाता	डेबिट	1,47,434	2,13,989
बेंगलूरु प्लांट	22506 टीए एडवांस 4जी बेंगलूरु प्लांट	डेबिट	97,836	59,124
बेंगलूरु प्लांट	226.03 अग्रिम वसूली योग्य - त्यौहार अग्रिम	डेबिट	84,800	5,74,800
बेंगलूरु प्लांट	22506 टीए/डीए एस्कॉन चरण 4	डेबिट	48,086	38,086
बेंगलूरु प्लांट	226.05 अग्रिम वसूली योग्य – साईकल अग्रिम	डेबिट	30,000	30,000
बेंगलूरु प्लांट	22801 एसएसटीपीएल से वसूली योग्य –एसएएएस आधार	डेबिट	29,500	29,500
बेंगलूरु प्लांट	22510 टीए/डीए एस्कॉन चरण 4	डेबिट	4,651	-21,408
बेंगलूरु प्लांट	225.20 कैंटीन अग्रिम वसूली योग्य	डेबिट	240	240
बेंगलूरु प्लांट	उत्पाद शुल्क	डेबिट	150	-
क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर	बिक्री कर अपील शुल्क के लिए सुरक्षा जमा राशि	डेबिट	7,90,538	7,90,538
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ	29100 सुरक्षा जमा राशि	डेबिट	2,00,96,845	2,14,91,939
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ	खरीद के लिए अग्रिम राशि – क्षेत्रीय कार्यालय	डेबिट	1,99,65,600	1,99,65,600
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ	टीए ईएक्सपी-आरएलवाई-एफ की वसूली	डेबिट	16,78,207	16,78,207
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ	मुख्यालय से बकाया भुगतान करें	डेबिट	81,596	81,596
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ	28316 अन्य अग्रिम वसूली योग्य	डेबिट	44,181	57,803
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ	28315 टीए वसूली योग्य	डेबिट	37,163	5,482
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ	अग्रिम वसूली योग्य सेवाएँ	डेबिट	26,000	24,000
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली	28570 ईएमडी प्राप्य (दिल्ली)	डेबिट	1,92,76,378	2,02,76,379
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली	28312 स्टाफ अग्रदाय अग्रिम और ऋण	डेबिट	3,39,229	2,00,718
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली	28315 टीए वसूली योग्य	डेबिट	15,10,912	3,69,650
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली	28316 अन्य अग्रिम वसूली योग्य (वार्षिक अग्रिम)	डेबिट	81,000	-1,000
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली	28570 ईएमडी प्राप्य (भोपाल)	डेबिट	4,58,123	4,58,123
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली	29100 सुरक्षा जमा राशि (भोपाल)	डेबिट	74,636	74,636
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली	29100 सुरक्षा जमा राशि (दिल्ली)	डेबिट	3,57,020	3,57,020
		कुल	**35,63,55,479**	**36,90,45,534**

कृते **बी.के.रामध्यानी एंड कंपनी एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 002878एस/एस200021

(सीए वासुकी एच एस)
साझेदार
सदस्यता संख्या 212013
यूडीआईएन: 24212013बीकेसीएलटीके 1103

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 31 जुलाई, 2024

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा आईटीआई लिमिटेड (स्टेंडएलोन) के 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के अंतर्गत की गई टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में निर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग की रूपरेखा के अनुसार आईटीआई लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का निर्माण करने का दायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार, अपनी स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत अपने मत की अभिव्यक्ति करने के प्रति उत्तरदायी हैं। यह सूचित किया जाता है कि ऐसा उनके द्वारा, दिनांक 28.05.2024 की पूर्व लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अधिक्रमण में जारी की गई अपनी दिनांक 31.07.2024 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अंतर्गत कर लिया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आईटीआई लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। इस अनुपूरक लेखापरीक्षा का निर्वाह सांविधिक लेखापरीक्षकों के किसी कार्यशील प्रपत्र तक पहुंच स्थापित किए बिना किया गया है तथा यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कंपनी कार्मिकों से की गई पूछताछ एवं कुछ चयनित लेखांकन रिकार्डों की जांच तक सीमित है। अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान मेरे द्वारा किए गए कुछ लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के प्रभाव से सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट संशोधित की गई है।

मेरे द्वारा की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मैं अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो मेरी जानकारी में आए हैं तथा जो मेरे मतानुसार वित्तीय विवरणों एवं संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं।

लाभ एवं हानि

व्यय

अन्य व्यय – 16714.07 **लाख रुपए (नोट** 30)

वर्ष 2023-24 से संबंधित व्यय का प्रावधान न किए जाने के कारण उपर्युक्त शीर्ष में 242.30 लाख रुपए की राशि की न्यूनोक्ति हुई है।

इसके परिणामस्वरूप हानि में समान राशि की भी न्यूनोक्ति हुई है।

कृते एवं की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

(पुरूषोत्तम तिवारी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(वित्त एवं संचार)

स्थान : दिल्ली
दिनांक: 11.09.2024

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के अंतर्गत आईटीआई लिमिटेड (स्टेंडएलोन) के 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर की गई टिप्पणियां तथा इनके संबंध में कंपनी के उत्तर

	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी	कंपनी के उत्तर
1.	**लाभप्रदत्ता पर टिप्पणियां** लाभ एवं हानि विवरण **लाभ एवं हानि** **व्यय** **अन्य व्यय** – 16714.07 **लाख रुपए (नोट** 30) वर्ष 2023-24 से संबंधित व्यय का प्रावधान न किए जाने के कारण उपर्युक्त शीर्ष में 242.30 लाख रुपए की राशि की न्यूनोक्ति हुई है। इसके परिणामस्वरूप हानि में समान राशि की भी न्यूनोक्ति हुई है।	वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित 242.30 लाख रुपए के व्यय के प्रावधान बिल देर से प्राप्त होने तथा अवधि के दौरान इन्हें पारित न किए जाने से चूकवश अनजाने में इनका लेखा बहियों में न होने के कारण से हुआ है। तथापि, चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इनका विधिवत लेखांकन कर लिया गया है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

राजेश राय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 10052045

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 10.10.2024

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा आईटीआई लिमिटेड (समेकित) के 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के अंतर्गत की गई टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में निर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग की रूपरेखा के अनुसार आईटीआई लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का निर्माण करने का दायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार, अपनी स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के अंतर्गत अपने मत की अभिव्यक्ति करने के प्रति उत्तरदायी हैं। यह सूचित किया जाता है कि ऐसा उनके द्वारा, दिनांक 28.05.2024 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से कर लिया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आईटीआई लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमारे द्वारा आईटीआई लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई है परन्तु हमने इंडिया सैटकॉम लिमिटेड (संयुक्त नियंत्रित इकाई) की वर्ष की उक्त तिथि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है। इसके अलावा, एक निजी इकाई होने के कारण अधिनियम की धारा 139(5) तथा 143(6) इंडिया सैटकॉम लिमिटेड के मामले में, सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्त से संबंधित कानूनों के अंतर्गत तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा के आयोजन के लिए, लागू नहीं है। तदनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा इस कंपनी के लिए न तो सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की गई है और न ही अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई है। इस अनुपूरक लेखापरीक्षा का निर्वाह सांविधिक लेखापरीक्षकों के किसी कार्यशील प्रपत्र तक पहुंच स्थापित किए बिना किया गया है तथा यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कंपनी कार्मिकों से की गई पूछताछ एवं कुछ चयनित लेखांकन रिकार्डों की जांच तक सीमित है।

मेरे द्वारा की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मैं अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो मेरी जानकारी में आए हैं तथा जो मेरे मतानुसार वित्तीय विवरणों एवं संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं।

लाभ एवं हानि

व्यय

अन्य व्यय – 16714.07 लाख रुपए (नोट 30)

वर्ष 2023-24 से संबंधित व्यय का प्रावधान न किए जाने के कारण उपर्युक्त शीर्ष में 242.30 लाख रुपए की राशि की न्यूनोक्ति हुई है।

इसके परिणामस्वरूप हानि में समान राशि की भी न्यूनोक्ति हुई है।

कृते एवं की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

(पुरूषोत्तम तिवारी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(वित्त एवं संचार)

स्थान : दिल्ली
दिनांक: 17.09.2024

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के अंतर्गत आईटीआई लिमिटेड (समेकित) के 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर की गई टिप्पणियां तथा इनके संबंध में कंपनी के उत्तर

	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी	कंपनी के उत्तर
1	**लाभप्रदत्ता पर टिप्पणियां** लाभ एवं हानि विवरण **लाभ एवं हानि** **व्यय** **अन्य व्यय** – 16714.07 **लाख रुपए (नोट** 30) वर्ष 2023-24 से संबंधित व्यय का प्रावधान न किए जाने के कारण उपर्युक्त शीर्ष में 242.30 लाख रुपए की राशि की न्यूनोक्ति हुई है। इसके परिणामस्वरूप हानि में समान राशि की भी न्यूनोक्ति हुई है।	वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित 242.30 लाख रुपए के व्यय के प्रावधान बिल देर से प्राप्त होने तथा अवधि के दौरान इन्हें पारित न किए जाने से चूकवश अनजाने में इनका लेखा बहियों में न होने के कारण से हुआ है। तथापि, चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इनका विधिवत लेखांकन कर लिया गया है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

राजेश राय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 10052045

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 10.10.2024

आईटीआई लिमिटेड के उत्पाद और सेवाएँ

1948 से राष्ट्र निर्माण में भागीदार

आईटीआई लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उपक्रम)

आईटीआई लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उपक्रम)

सीआईएन : एल32202केए1950जीओआई000640
पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय :
आईटीआई भवन, दूरवाणीनगर, बेंगलूरु-560 016,
कर्नाटक, भारत
फोन: +91(80) 2561 4466 | फैक्स: +91(80) 2561 7525
ई-मेल: cosecy_crp@itiltd.co.in | वेबसाइट: https://www.itiltd.in